

Approved by UGC  
Journal No. : 63580  
Regd. No. 21747

Indexed : IIJIF, I2OR & SJIF  
I2OR Impact Factor : 5.540  
ISSN 2277-2014

# Research Discourse

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal

Vol. X

No. I

January-March 2020



Editor

*Dr. Anish Kumar Verma*

Associate Editors

*Dr. Rakesh Kumar Maurya*

*Dr. Purusottam Lal Vijay*

*Romee Maurya*

*Ashok Ram*



Approved by UGC  
Journal No. : 63580  
Regd. No. 21747

Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF  
I2OR Impact Factor : 5.540  
ISSN 2277-2014

# Research Discourse

*An International Peer-reviewed Refereed Research Journal*

Vol.X

No.I

JANUARY- MARCH 2020



**Editor in Chief**  
***Dr. Anish Kumar Verma***

**Associate Editors**  
***Dr. Rakesh Kumar Maurya***  
***Dr. Purusottam Lal Vijay***  
***Romee Maurya***  
***Ashok Ram***

*Published by :*  
***South Asia Research & Development Institute***  
B. 28/70, Manas Mandir, Durgakund, Varanasi-221005, U.P. (INDIA)  
Website : [www.researchdiscourse.org](http://www.researchdiscourse.org)  
E-mail : [researchdiscourse2012@gmail.com](mailto:researchdiscourse2012@gmail.com)  
Mobile : 09453025847, 8840080928

**Patron : Dr. Lalji Tripathi**, Ex. Principal, Mariah P.G. College, Mariah, Jaunpur, U.P.

**Editor in Chief : Dr. Anish Kr. Verma** Asst. Prof., Deptt. of Sociology, Mariah P.G. College, Jaunpur, U.P.

**Associate Editors : Dr. Rakesh Kumar Maurya, Dr. Purusottam Lal Vijay, Mrs. Romee Maurya, Ashok Ram**

**International Editorial Board : Anna Malingdog**, Asst. Prof., Deptt. of Pol. Sci., De La Salle Univ., Philippines

**Abdul Qayyum**, Qadirabad Colony P.O. Choti Zareen Tehsil & Distt. D.G. Khan Punjab, Pakistan

#### **National Editorial Board**

**Prof. Rekha**, Deptt. of Sociology, M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.

**Dr. N.K. Singh**, Principal, R.H.S.P.G. College, Jaunpur, U.P.

**Dr. Deenbandhu Tiwari**, Associate Prof., Deptt. of Sociology, L.B.S.P.G College, Varanasi, U.P.

**Dr. Rajeev Kumar Singh**, Assistant Professor of Law, Law Collage Dehradun, Uttarakhand University, UK

**Dr. Aparna Singh**, Assistant Professor of Law, Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, Lucknow, U.P.

**Dr. Pramod Kr. Shukla**, Asst. Prof. Deptt. of Sociology,D.D.U.Gorakpur,U.P.

**Dr. Rajneesh**, Asst. Prof. Deptt. of Sociology, S.S.S.V.S Govt. P.G. College, Chunai, U.P.

**Dr. Ramesh Kumar**, HOD, Deptt. of Political Science, S.D. College, Ambala, Haryana

**Dr. Kaushal Kishor**, Asst. Prof. in Sociology & Anthropology, A.N. Sinha Inst. of Social Studies, Patna, Bihar

**Dr. Reeta**, Asst. Prof., Deptt. of Commerce, Gangapur Compus, M.G.K.V.P., Varanasi, U.P.

**Dr. Santosh Kr. Tiwari**, Asst. Prof., School of Law, Justice & Governance, Gautam Buddha Uni., Greater Noida, U.P.

**Dr. Sanjay Kumar Tiwari**, Asst. Prof., Deptt. of Commerce, Mariah P.G. College, Jaunpur, U.P.

**Dr. Surendra Pratap Singh**, Asst. Prof., Deptt. of Hindi, M.G.K.V.P., Varanasi, U.P.

**Dr. Jitendra Singh Goyal**, Academic Counsellor, IGNOU, Mahamaya Govt. Degree College, Mahona, Lucknow, U.P.

**Dr. Neeraj Tiwari**, President, Madhumay Educational & Research Foundation, Faizabad, U.P.

**Dr. Neearj Kumar Shukla**, HOD, B.Ed., Govt. P.G. College, Kashipur, U.S. Nagar, Uttrakhand

**Mr. Shivendra Kr. Maurya**, Editor in Chief, Unmesh: An International refereed research journal, Pratapgarh, U.P

**Mr. Sudhanshu Chaubey**, Editor in Chief, Tripathaga: An International refereed research journal, Varanasi, U.P.

**Mr. Manjul Trivedi**, Editor in Chief, Veethika : An International refereed research journal, Lucknow, U.P.

#### **Advisory Board**

**Prof. Sushil Kumar Gautam**, Head, Deptt. of Phy. Edu., M.G.K.V.P., Varanasi, U.P.

**Dr. Anurag Mishra**, Asst. Prof., Deptt. of Pol. Sci., Mariah P.G. College, Jaunpur, U.P.

**Dr. Amjad Ali Siddiqui**, Asst. Prof., Deptt. of Sociology, MOHD.H.P.G. College, Jaunpur, U.P.

**Dr. Anajana Verma**, Asst. Prof., Deptt. of History, M.G.K.V.P., Varanasi, U.P.

**Dr. Chiranjeev Kumar Thakur**, DLW, Varanasi, U.P.

**Dr. Dhananjay Sharma**, Asst. Prof., Deptt. of Sociology, Govt. P.G. College, Bageshwar, Uttarakhad

**Dr. Rama Shanker Pandey**, Asst. Prof. B.Ed., Govt. P. G. College Jaiharikhali, Lansdowne, Pauri Garhwal, UK

**Mr. Kuldeep Birwal**, Asst. Prof., Department of Education, Yash college of Education, Rurkee, Haryana

#### **Review Editor's**

**Dr. Kripa Kinjalkam**, Asst. Prof., Department of Hindi, Iswar Saran Degree College, University of Allahabad, U.P.

**Dr. Anju Sihare**, Asst. Prof., Deptt. of Hindi, Govt. Chhatrasal College, Pichore, M.P.

**Dr. Vijay Sankar Dwivedi**, Asst. Prof. Deptt. of Sanskrit, Delhi University, Delhi

**Dr. Surya Kant Tripathi**, Asst. Prof. Deptt. of Sanskrit, D.D.U.Gorakpur.U.P.

**Dr. Archama Bhattacharjee**, Asso. Prof., Deptt. of English and Academic Vice Principle, Kakojan College, Jorhat, Assam

**Dr. Anjaneya Pandey**, HOD, Deptt. of English, Mariah P.G. College, Jaunpur, U.P.

**Dr. Dinesh Kumar Tiwari**, HOD, Asst. Prof., Deptt. of Commerce, D.A.V.P.G. College, Azamgarh, U.P.

**Dr. S.K. Pandey**, Asst. Prof., Dept. of commerce ,Y.D. (PG) College,Lakhimpur-Kheri ,U.P.

**Dr. Chandra Prakash Dubey**, HOD, LIS, Mariah P.G. College, Mariah, Jaunpur, U.P.

**Dr Sugriv Singh**, Librarian Univ. Employment Info. & Guidance Bureau, FCI Campus, Univ. of Alla, Allahabad, U.P.

**Dr. S. Kandasamy**, Asso. Prof. and Head, Deptt. of Public Policy, Law and Governance, Central University of Rajasthan.

**Dr. Vinod Kumar Saro**j, Deptt. of Public Policy, Law and Governance, Central University of Rajasthan, Rajasthan.

**Dr. R. Panneer Selvam**, Asst. Prof., Department of History, Gov. Arts College (A), Salem, Tamilnadu.

**Dr. Vineet Kumar Guru**, Asst. Prof., Department of History, Government College, Bijawar, M.P.

**Dr. Manoj Kumar Mishra**, Asso. Prof. ,Dept. of Defence & Strategic Studies, S.G.R.P.G. College, Dobhi, Jaunpur, U.P.

**Mr. Uday Pratap Singh**, Asst. Prof., Dept. of Defence, Iswar Saran P.G. College, Allahabad, U.P.

**Mr. Ashutosh Kumar Tripathi**, Freelance Journalist, B.5/167, Avadgarvi, Shivali, Varanasi, U.P.

**Dr. Santosh Kumar Tripathi**, Asst. Prof., Deptt. of Sociology, S.M.R.D.P.G. College, Gazipur, U.P.

**Dr. Anand Kumar**, UGC-PDF, Department of Sociology, Lucknow University, Lucknow, U.P.

**Dr. Santosh Kumar Singh**, Asst. Prof., Dept. of Psychology, M.G.K.V.P., Varanasi, U.P.

**Dr. Rajendra Singh**, Asst. Prof., Dept. of Psychology, R.S.K.D.P.G. College, Jaunpur, U.P.

**Prof. MC Sati**, Department of Economics, H.N.B. Garhwal University, UK

**Mr. Kamlesh Goyal**, Research Scholar, Department of Economics, Punjabi University, Patiala, Punjab

**Dr. Arvind Kumar**, Asst. Prof., Department of B.Ed., Raza college, Rampur, U.P

**Dr. Pravin Kumar Tiwari**, Asst. Prof., Department of Education, Mariah P.G. College, Jaunpur, U.P

**Dr. R. Sekar**, Asst. Prof., Deptt. of Political Science, Thiruvalluar Gov. Arts College, Rasipuram, Namakkal, Tamilnadu.

**Dr. Hemani Kumar Singh**, Asst. Prof., Deptt. of Political Science, S.P.M Gov. Digree College, Phaphamau, Alla., U.P.

**Dr. Naresh Kr. Verma**, Asst. Prof., Deptt. of Geography, Central University of Haryana, Mahendergarh

**Dr. Arun Pratap Singh**, Asst. Prof., Deptt. of Geography, S.P.M. Gov. Digree College, Phaphamau, Allahabad, U.P.

**Dr. Amit Kr. Mishra**, Asst. Prof., Deptt. of Philosophy, H.N.B. Gov. P.G. College, Naini, Allahabad, U.P.

**Dr. Ram Narain Mishra**, Asst. Prof., Deptt. of Philosophy, S.B. College (Affi. V.K.S. University), Ara, Bihar

**Dr. Neetu Mishra**, Asso. Prof., Department of Home Science, University of Allahabad, U.P.

**Mrs. Vidya Verma**, Asst. Prof., Deptt. of Home Science, Govt. Girls Degree College, Kannauj, U.P.

#### **© Editor**

**Note: Scholars will be answerable to the contents of their articles.**

**All disputes and complaints are subject exclusively to the Jurisdiction of the courts/tribunals/forums at Varanasi Only.**

## **Editorial**

The labels ‘New India’ and ‘new Indian’ are now in the recent Discourse. The concept of New India is seems to be similar with an street advertisement “Nayi Indian, Nayi Deluxe Bike” (New Indian, New Bike, a fading advertisement on a brick wall in Bansberia, West Bengal, December 2009). But now the concept New India is the first time officially used by PM Narendra Modi in his speech of Mann Ki Baat on 30th July 2017, said that a “New India is rising. A new India is the dreams of its Yuva Shakti are taking shape. A new India that fulfills aspirations of its Nari Shakti is taking shape. A new India about giving opportunities to the poor is taking shape” and the BhartiJanta Party’s (BJP) national executive meeting adopted a six-point agenda, seeking to rid the country of poverty, terrorism, casteism, communalism and corruption, to realize Prime Minister’s vision of a new India by 2022, when India will celebrate 75 years of independence. Is there is really a new India, which is different from what it was before an unstated old India, a new Indian in New India who is assumed to enjoy the fruits of a modern, industrial and dynamic India, neither bound by the past nor by provincial thinking?

We comeup with this issue and tried to discuss the major problems and challenges that may help in transform the India. We express extreme gratitude to Proof reader Dr. Pankaj Singh, Dr. Sunil kumar , Dr. Anoop kumar, Mr.Pawan kumar Maury, Miss Namrata Verma and all other contributors who have contributed and devoted their essential insights and came up with their manuscripts for this issue which directly as well as indirectly is the contribution to the society.

Last but not least we are very thank-full to all the researcher and reader. We will be very happy if you give us or write up your valuable comments and suggestion.

Published Date 30-03-2020

Chief-Editor

**Dr. Anish Kumar Verma**



# INDEX

- वर्तमान समय में भूगोल शिक्षण का महत्व 1–2  
डॉ० भवभूति मिश्र
- महाकवि कालिदास के साहित्य में वन्य चित्रण 3–5  
डॉ० (श्रीमती) अनुपम शेरी
- स्वाधीनता संग्राम में हिन्दी सिनेमा का योगदान 6–7  
चंचल सिंह
- भारत में वृद्धों के संस्थागत देखभाल की व्यवस्था का स्वरूप : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन 8–9  
डॉ० चन्दन कुमार पाण्डेय
- ग्राम न्यायालय का उद्भव एवं विकास 10–13  
रमाकान्त यादव एवं विनीत मिश्रा
- राही मासूम रजा और उनका सिनेमाई संसार 14–16  
प्रियंका यादव
- फरुखाबाद जनपद की अर्थव्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन 17–19  
डॉ० विनोद कुमार तिवारी
- गाँधीजी का शिक्षा–दर्शन और बेसिक शिक्षा 20–21  
डॉ० राजेश कुमार पाण्डेय
- बेरोजगारी के प्रति ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों के विचार (जौनपुर जनपद के बक्शा विकास खण्ड पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन) 22–24  
सुनील कुमार यादव एवं डॉ० संजय कुमार सिंह
- समकालीन हिन्दी कविता में एकलत्य : एक चिंतन 25–28  
डॉ० कविता सिंह
- फतेहपुर सीकरी, आगरा (उत्तर प्रदेश–भारत) में स्थित शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की प्रासंगिकता 29–31  
यतेन्द्र सिंह
- ग्रामीण स्वास्थ्य के विकास में सामाजिक व सांस्कृतिक अवरोध (जौनपुर जनपद के विकास खण्ड धर्मापुर के विशेष संदर्भ में) 32–33  
संदीप कुमार एवं डॉ० संजय कुमार सिंह
- भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा 34–36  
डॉ० अजय कुमार
- माता की देखभाल एवं बाल विकास के प्रति समन्वित बाल विकास कार्यक्रम की स्थिति : एक अध्ययन 37–39  
डॉ० पूनम
- ग्रन्थालयों की वर्तमान आवश्यकता : ग्रीन कम्प्यूटिंग 40–42  
मनीष कुमार सिंह
- अनुशासन के सन्दर्भ में गिजुभाई की दृष्टि 43–45  
डॉ० मनोज मिश्र
- मृच्छकटिकम् में वार्णित सामाजिक स्थिति की प्रासांगिकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 46–48  
डॉ० किरन देवी
- कृष्णा सोबती के उपन्यास 'डार से बिछुड़ी' में चित्रित पितृसत्ता के विविध रूप 49–51  
करिश्मा नाज
- हिन्दी समीक्षा की आधारमूलि : संस्कृत काव्यशास्त्र 52–54  
शशी देवी
- दलित कविता में हिन्दू संस्कृति का विरोध 55–57  
शिमला देवी
- भारत में गठबंधन सरकार की सार्थकता : बिहार के सदर्भ में 58–59  
अवनीश कुमार पाण्डेय एवं डॉ० अनिल कुमार सिंह

- विद्यार्थियों में शैक्षिक शिथिलता : एक अध्ययन 60–61  
 डॉ० शैलेन्द्र कुमार वर्मा
- प्रेमचंद और अम्बेडकर : दलित मुक्ति के संदर्भ में 62–65  
 डॉ० विनोद कुमार
- भारतीय राजनीतिक चेतना का दस्तावेज़ : मैला आँचल 66–69  
 अर्जुन कुमार
- बेरोजगारी एवं युवा आक्रोश 70–71  
 डॉ० मिथिलेश कुमार चौबी
- समगतिशील विकास और तृतीय विश्व 72–73  
 डॉ० अशोक कुमार सिंह चन्देल
- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति : बिहार के विशेष सन्दर्भ में 74–75  
 डॉ० ललित कुमार
- ग्रामीण समुदाय में जाति एवं वर्ग संघर्ष 76–78  
 डॉ० मकरन्द जायसवाल
- सतत् विकास : एक बेहतर भविष्य का आधार 79–80  
 डॉ० बिनायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह
- कविता का सामाजिक सरोकार 81–83  
 डॉ० अरविन्द सिंह
- कौटिल्य एवं सुशासन : एक अध्ययन 84–85  
 सुधीर कुमार यादव
- कुमाऊंनी लोक गीतों में बिष्णु-सौन्दर्य 86–89  
 डॉ० अनिता जोशी
- पर्यावरण एवं प्रदूषण एवं कानून 90–92  
 डॉ० अर्चना राजे
- पर्यावरण सुरक्षा के प्राचीन उपाय : एक अध्ययन 93–94  
 डॉ० सरला शर्मा
- ग्रामीण उद्यमी महिलाओं पर पश्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण का प्रभाव 95–96  
 डॉ० मुकेश सिंह राठौर
- राष्ट्रीय आजीविका मिशन एवं महिला सशक्तीकरण 97–100  
 रोमी मौर्या एवं डॉ० अमय प्रताप सिंह
- खेल में मानसिक रूप से स्वास्थ्यता एवं अस्वास्थ्यता का चिकित्सीय महत्व 101–102  
 डॉ० अनिल कुमार मिश्र
- भारत नेपाल सम्बन्धों का विश्लेषणात्मक अध्ययन 103–105  
 डॉ० शिवचन्द्र सिंह रावत एवं डॉ० एम०क० उनियाल
- हिमालयी पश्चिम एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में गड़रियों की भूमिका 106–108  
 डॉ० एम०क० उनियाल एवं डॉ० शिवचन्द्र सिंह रावत
- समकालीन व आधुनिक कला : एक अध्ययन 109–111  
 डॉ० सारिका बाला
- सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दर्शन में रहस्यवाद 112–114  
 डॉ० दीनानाथ सिंह
- भारत में बाल अपराध निवारण के सम्बन्ध में सांविधिक प्राविधान 115–117  
 डॉ० छोटे लाल बाजपेयी
- आपदा और प्रबन्धन 118–119  
 डॉ० आरती कनौजिया
- गोंड जनजाति उत्पत्ति व विकास 120–122  
 डॉ० गौतम आनन्द सिंह
- राष्ट्र निर्माण में शोध की भूमिका 123–124  
 रत्नेश कुमार

- व्यवसायिक असंगठित श्रमिक : एक सामान्य परिचय, आजमगढ़ के अहिरौला  
 विकास खण्ड के विशेष संदर्भ में 125–127
- सतीश कुमार उपाध्याय एवं 'डॉ० हेमन्त कुमार सिंह  
 राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी का उदय : उज्ज्वल भविष्य की ओर 128–129
- डॉ० माधुरी दुबे
- अभ्यास—संख्या के आधार पर संप्रत्यय अधिगम के तार्किक  
 नियमों की जटिलता का तुलनात्मक अध्ययन 130–133
- डॉ० अशोक कुमार
- ग्रामीण महिलाओं में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता का अध्ययन 134–136
- डॉ० अमृता श्रीवास्तवा
- सूरदास और श्रीमद्भागवत की हरिलीला 137–140
- डॉ० मिथ्यलेश कुमारी
- नूरजहाँ बेगम का मुगल दरबार प्रभाव 141–143
- डॉ० सत्य नारायण सिंह
- विश्व व्यवस्था का सिद्धांत : इमैनुअल वालरस्टीन के विचारों के आधार पर समाजशास्त्रीय विश्लेषण 144–146
- डॉ० रजनीश
- डिजिटलीकरण का शिक्षा पर प्रभाव : एक अध्ययन 147–148
- नीरज
- वाराणसी नगर के मुस्लिम आवास और स्वच्छता सम्बन्धी आदत 149–150
- डॉ० अमजद अली सिद्दीकी
- सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक—शिक्षा 151–152
- डॉ० ऋषिकेश विश्वकर्मा
- मैत्रेयी पुष्पा के 'झूला नट' उपन्यास में भारतीयता : एक अध्ययन 153–154
- मंजू यादव
- अनेकान्त दर्शन 155–157
- डॉ० सुमन रघुवंशी
- भारतीय दर्शन में 'आत्मा' की अवधारणा : एक विवेचन 158–165
- डॉ० सुभाष चन्द्रा
- श्रीलाल शुक्ल उपन्यासों के विविध आयाम 166–168
- अभय कुमार सिंह

# INDEX

- A Strategy for the development of Higher Education in National Education Policy 2020 1-3  
Dr. Kusum Sharma
- Relation of Some Maternal Factors to Birth Weight of Offspring 4-7  
Dr. Kiran Singh
- Effect of Home Environment on Emotional Maturity of Adolescents 8-9  
Priyanka Malik & Dr. Rachana Pathak
- A Study on Evolution of Financial Inclusion in India 10-12  
Prof. Vinod Kumar Pandey & Vishnu Yadav
- Why Children's Need Physical Education 13-15  
Dr. Jitender pal
- Performance Variation in Children with Hearing Impairment on a Test of Basic Concepts 16-19  
Shyam Sunder Mishra & Prof. K. K. Tiwari
- Teachers' Attitude Towards Ict in Respect to Usage of Computer 20-23  
Nitin Kumar Gupta & Dr. Manju Gupta
- A Study of Self-concepts of Science and Arts College Students 24-26  
Dr. Manvir Singh & Smt. Reeti Nigam
- A Study of Lathyrism and the Intake of Khesari Pulse with Old and New Concepts 27-28  
Dr. (smt) Richa Singh
- Education and National Integration 29-31  
Dr. Manoj Kumar
- A Perspective on Varying Notions of Development and Governance : An Indian Observation 32-35  
Chinmayee Chaturvedi
- The Pre-Raphaelite Poetry 36-38  
Dr. Alka Tandon
- Impact of Fluvial Hazards in Dev Prayag block, Tehri garhwal, Uttarakhand 39-42  
Dr. Mukta Raje & Harikesh
- Comparison of Three Generations in Manju Kapur's Difficult Daughters 43-45  
Dr. Sangeeta Arora
- Treatment of Human Relations in D.H. Lawrence's short story *The Prussian Officer* 46-48  
Dr. Lt. Anjita Singh
- Theme of Wilderness in the works of Catherine Parr Traill and Susanna Moodie 49-51  
Dr. Pratyush Chandra
- The Art of Indian English Poetry : A Brief Survey 52-54  
Dr. Subham Chatterjee
- Approach of sustainable Development : A Theoretical Analysis 55-57  
Dr. Santosh Kumar Yadav
- Population Education : A Necessity 58-59  
Dr. Saroj Kumari
- A Review Study on Impact of Diet on Menopausal Symptoms 60-62  
Dr. Bharti Pandey
- The Cultural Context of Development : Its Relevance for a Country like India 63-64  
Dr. Neerja Misra
- The Shadow Lines* : A panorama of Emancipation of Women 65-67  
Dr. Manisha Khanna
- Creativity : Its Nature and Development 68-70  
Dr. Smita Misra

## वर्तमान समय में भूगोल शिक्षण का महत्व

डॉ मवभूति मिश्र\*

\*प्राचार्य एवं अध्यक्ष, शिक्षा संकाय, के०वी० पी०जी०कॉलेज, मिर्जापुर, उ०प्र०

**सारांश :** वर्तमान समय में भूगोल शिक्षण का महत्व शिक्षा में निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि आज के विश्व का मानव भूयकर आणविक युद्धों एवं परस्पर कलहों से दुखी है। एक ओर जहाँ मानव, विज्ञान की सहायता से भूयकर अस्त्र बनाता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सद्भावना के प्रयत्न किए जा रहे हैं। अधिकांश जन-मानस सद्भावना के साथ है। ऐसी स्थिति में यह स्वभाविक है कि देश के जागरूक शिक्षाविद् एवं नेतागण अपने बच्चों और भावी नागरिकों को ऐसी शिक्षा दें, जिससे वे पारस्परिक सहयोग एवं सद्भाव से रह सकें।

**मुख्य शब्द :** भूगोल शिक्षण, प्रयोगात्मक भूगोल, भूगोल पाठ्यक्रम, मानव विकास आदि।

मानव विकास में भूगोल शिक्षण के महत्व को देखते हुए टामस्कर ने कहा है कि “हमें भूगोल शिक्षण इसलिए नहीं करना है कि हमें इसे पढ़ाना है, बल्कि हमें इसके द्वारा शिक्षा एवं संस्कृति से सम्बन्धित मांगों को पूरा करना है तथा व्यक्ति एवं सामाजिक जीवन के प्रति इसकी उपयोगिता सिद्ध करनी है।”<sup>1</sup>

हार्टशोर्न के अनुसार, “पृथ्वी का मानवीय संसार के रूप में वैज्ञानिक रीति से वर्णन करना ही भूगोल का उद्देश्य है।”<sup>2</sup> मैकमुरी (1926) के अनुसार अधिकारिक लोगों द्वारा यह भी पुष्ट किया जा चुका है कि मनुष्य एवं पृथ्वी के बीच की अन्तक्रिया को व्यक्त करना ही भूगोल शिक्षण का उद्देश्य है।<sup>3</sup>

कोचर<sup>4</sup> ने भूगोल शिक्षण के निम्न उद्देश्यों का उल्लेख किया है—

1. पृथ्वी के धरातल पर आर्थिक एवं भौतिक तथ्यों के वितरण की भिन्नता के बारे में विद्यार्थियों को
2. पृथ्वी के धरातल पर आर्थिक एवं भौतिक तथ्यों के वितरण की भिन्नता के बारे में विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करना तथा उनके साथ सामंजस्य रस्थापित करने और पृथ्वी के किसी भाग की विलक्षणताओं से अवगत कराना ही भूगोल शिक्षण का उद्देश्य है।
3. भूगोल शिक्षण का उद्देश्य यह भी है कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का एक-दूसरे पर निर्भरता के बारे में छात्रों को ज्ञान के विकसित किया जाय।
4. ऐसे भौगोलिक प्रत्ययों के माध्यम से छात्रों को सामान्यीकरण करने में सहायता प्रदान करना, जिसका ज्ञान विश्व की समस्याओं को समझने, उनका मूल्यांकन करने और निर्णय लेने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के 1986 के भूगोल पाठ्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य बताये हैं—

(क) **हाईस्कूल में भूगोल पाठ्यक्रम के उद्देश्य<sup>5</sup>:**

1. मानवीय क्रिया-कलाओं पर भौतिक परिस्थितियों के प्रभाव का स्पष्ट ज्ञान कराना।
2. संसार के देशों विशेषतः भारत के समक्ष विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का समझने की शक्ति का विकास करना।
3. विभिन्न देशों की आर्थिक आवश्यकताओं तथा कृषि एवं उद्योग के साधनों, संरक्षण एवं उपभोग की उन्नतिशील विधियों पर उनकी प्रतिक्रिया का बोध कराना।

(ख) **इण्टरमीडिएट में भूगोल पाठ्यक्रम के उद्देश्य<sup>6</sup>:**

1. मानवीय क्रिया-कलाओं पर भौतिक परिस्थितियों के प्रभाव का स्पष्ट ज्ञान कराना।
2. संसार के देशों विशेषतः भारत के समक्ष विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं को समझने की शक्ति का विकास करना।
3. विभिन्न देशों की आर्थिक आवश्यकताओं तथा कृषि एवं उद्योग के संरक्षण एवं संस्थानों के उन्नतिशील विधियों पर उनकी प्रक्रिया का बोध कराना।
4. प्रयोगात्मक भूगोल द्वारा (अ) स्थानीय भूगोल के अध्ययन तथा क्षेत्रीय कार्य को प्रोत्साहित करना। (ब) मौसम-पर्यवेक्षण के महत्व तथा अभिलेखन पर बल देना। (स) मौसम के प्रमुख तत्त्वों— तापमान, वायुदाब, पवन, आद्रता, बादल, वर्षा तथा दूर्घटता का पर्यवेक्षण और मापन करना।
5. मानचित्र और रेखाचित्रों के द्वारा भौगोलिक आँकड़ों तथा स्थलाकृतियों को प्रदर्शित करना।
6. जरीब या फीता, प्रिजमेटिक कम्पास और समतल मेज द्वारा सर्वेक्षण करना।
7. भूगोल के क्षेत्रीय कार्य तथा प्रयोगात्मक कार्य के लिए प्रयोगात्मक पुस्तिका बनाना।

भूगोल के ज्ञान की सहायता से हम उत्पादन में बढ़िया कर सकते हैं तथा आधुनिक संसार के साथ प्रगति कर नवीनीकरण में योगदान दे सकते हैं। साथ ही साथ नवोदित प्रजातन्त्र के लिए सुयोग्य नागरिक बना सकते हैं।

**भूगोल शिक्षण के उद्देश्यों को सारांशत : निम्नलिखित रूप में कहा जा सकता हैं—**

1. **ज्ञान—प्राप्ति का उद्देश्य :** भूगोल हमारे प्राकृतिक तथा भौतिक वातावरण के विषय में हमारी ज्ञान—वृद्धि करता है।
2. **बौद्धिक उद्देश्य :** भूगोल के अध्ययन से आलोचनात्मक विचार—पद्धति का विकास होता है, तर्क—शक्ति तथा कल्पना के विकास में भी भूगोल का महत्वपूर्ण योगदान है। छात्र विभिन्न प्रदत्त तथ्यों की एक दूसरे से तुलना करके 'सामान्यीकरण' के स्तर तक पहुँचता है।
3. **सांस्कृतिक उद्देश्य :** छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों, रीति—रिवाजों तथा परम्पराओं का, कलाओं का और नैतिकता का ज्ञान कराता है। भौगोलिक वातावरण के परिणामस्वरूप किस प्रकार की संस्कृति तथा सभ्यता का विकास हुआ है और किसी देश के निवासी किसी विशेष प्रकार का जीवन—यापन क्यों करते हैं?
4. **सामाजिक उद्देश्य :** छात्रों में प्रजातान्त्रिक गुणों का विकास भूगोल द्वारा होता है, अच्छी नागरिकता के आदर्श तथा देश—प्रेम की भावना का विकास होता है।
5. **अन्तर्राष्ट्रीयता की साझेदारी और सूझ—बूझ का विकास:** अन्तर्राष्ट्रीयता तथा विश्व—बन्धुत्व की भावना को प्रोत्साहन देता है। एक देश का दूसरे देश पर निर्भर रहना, देशों का पारस्परिक सहयोग और राष्ट्रों के मध्य भाई—चारे की भावना को बढ़ावा देना भूगोल का उद्देश्य है।
6. **जीवकोपार्जन में सहायता/व्यवसायिक उद्देश्य:** शक्ति के साधनों (व्यावसायिक उद्देश्य), खनिज—पदार्थों तथा कच्चे माल के विषय में ज्ञान प्रदान कराता है। यह ज्ञान कृषि, उद्योग, व्यापार आदि के लिए अति आवश्यक है। इस प्रकार भूगोल शिक्षण के एक नहीं; अनेक उद्देश्य हैं। कुछ उद्देश्य शाश्वत और कुछ परिरिथियों के अनुसार बदलते भी रहते हैं, क्योंकि उद्देश्यों का निर्धारण, प्रमुख रूप से व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को देखकर किया जाता है।

**सन्दर्भ :**

1. D. Tamaskar. *The Principle and Methods of the Geography (First Ed.)*. Jabulpur: Published by Dr. K. L. Bhave, Nd., p 24
2. R. Hatshome (1960). *Perspective on the Nature of Geography*. London: Butler and Tanner, p 60
3. C.A. McMurry (1926). *Special Method in Geography*. London: Macmillan & Co. Ltd., p 1
4. S. K. Kochhar (1983). *Teaching of Social Studies*. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd., p 22
5. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (1986). हाईस्कूल परीक्षा की विवरण—पत्रिका. इलाहाबाद: निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, पृ. 64
6. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (1986). इण्टरमीडिएट परीक्षा की विवरण—पत्रिका. इलाहाबाद: निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, पृ. 69—70
7. हरनारायण सिंह (1989). भूगोल—शिक्षण. आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर, पृ. 43—44

## महाकवि कालिदास के साहित्य में वन्य चित्रण

डॉ० (श्रीमती) अनुपम शैरी\*

\*एसोसिएट प्रोफेसर, श्रीमती बी०डी० जैन गार्ल० पी०जी० कॉलेज, आगरा

**सारांश :** कविवर कालिदास प्रकृति के अन्यतम प्रेमी एवं सफल चित्रकार है। अपने विस्तृत काव्य-फलक पर बने प्रकृति के दृश्यों में उन्होंने अपनी सिद्ध-सफल तूलिका में नयन-विलोभन और हृदयावर्जक विभिन्न रंग तो भरे ही हैं, साथ ही, अचेतन प्रकृति को मानवीय भावनाओं में रंगकर उसे मानवोचित किया-व्यापारों और आशा-आकांक्षाओं से सम्पृक्त करके सस्फूर्त, जीवन्त और प्रेरणादायक भी बना दिया है। उन्होंने प्रकृति को मनुष्य की सुख-दुःख की सतत सहचरी के रूप में देखा है। कालिदास वस्तुतः भारत की उस संस्कृति के उदगाता, पुरोधा और प्रस्तोता महाकवि हैं, जो अरण्यों में जन्मी, फैली-फूली-फलित हुई और जिसने अपनी विशाल गोद में समस्त मानव जाति को ही नहीं, सभी चराचर प्राणियों को भी सर्वेह समेट लिया है। नगर की सभ्यता उस आरण्यक संस्कृति के समुख नतमस्तक है। भौतिकवाद और भोगवाद से उदवेजित नगरवासी जिसके गाद में बैठकर अपने अतृप्त, अशान्त हृदय को जुड़ाता है और आत्मलोक एवं आत्मशान्ति पाता है। उनका काव्य भौतिकवाद और अध्यात्म का, सभ्यता और संस्कृति का, नगर एवं वन का एवं धरा और स्वर्ग का समन्वय करता चलता है। उनके विराट् परिवार के विशाल धेरे में मनुष्य और उसके पालित पशु-पक्षी ही नहीं, स्वाधीन वन्य प्राणी और अचेतन वृक्ष-लता भी आ गए हैं। उन्होंने मेघ और विद्युत् जैसी प्राकृतिक उत्पादनों में भी अनुराग-तरलित जीवन डाल दिया है। जड़-चेतनमय विराट् विश्व की एक परिवार के रूप में यह परिकल्पना विश्व साहित्य में बेजोड़ है।

**मुख्य शब्द :** साहित्य, सभ्यता, आरण्यक संस्कृति, भौतिकवाद, भोगवाद आदि।

प्राचीन भारत में पचास वर्ष की आयु तक गृहस्थ धर्म का सम्पर्क निर्वाह करने के उपरान्त लोग संग्रही मानव सप्तलीक वानप्रस्थी हो जाते थे अथवा कुछ नैष्ठिक ब्रह्माचर्य व्रत स्वीकार कर लेते थे, उन्हें 'ऋषि' कहा जाता था। वे नगर के कोलहाल से दूर निर्जन वनों में आश्रम बनाकर रहते थे, जिन्हें 'तपोवन' की संज्ञा दी गयी थी। ये तपोवन स्वशासी होते थे, अपने उपयोग की समस्त वस्तुओं—अन्न आदि का स्वयं उत्पादन करते थे, राजकोष से उन्हें अनुदान भी मिलता था। तपोवन शिक्षा ने प्रमुख केन्द्र थे। इनके प्रमुख संरक्षक—संचालक 'कुलपति' कहलाते थे, जिनके आश्रम में रहकर अनेक शिष्य निःशुल्क विद्याध्यन करते थे। तपोवन अभारण्य होते थे, जिनमें वन्य जीवों का आखेट वर्जित था। 'अभिज्ञान शाकुन्तल' का नायक राजा दुष्यन्त जिस मृग का शिकार करना चाहता था, वह आश्रम—मृग था और उसका पीछा करते—करते वह जिस वन में आ पहुँचा था, वह महर्षि कण्य का तपोवन था। अतः एक मुनि ने बीच में आकर हाथ उठाकर राजा को उस पर बाण चलाने से रोक दिया—“राजन् आश्रम—मृगोऽयं न हन्तव्यो, न हन्तव्यः” और राजा को उसके कर्तव्य का स्मरण कराया कि उनका शस्त्र तो पीड़ितों की रक्षा के लिए है, हरिण जैसे भोले—भाले निरपाध वन्य प्राणियों पर प्रहार करने के लिए नहीं—“आर्त्तव्राण्य वः शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसि”।

शिकार मांसभोजी जंगली मनुष्य की आवश्यकता हो सकती थी, किन्तु तथाकथित साध्य शहरी मनुष्य का और विशेष रूप से राजाओं का वह सभ्यता के आदिम युग से ही विचित्र मनोविनोद का साधन या शौक रहा है। महाकवि ने उसकी सर्वत्र भृत्यना की है। मृगाया—दुर्व्यसनी दशरथ शिकार को अपने शब्दबेधी वाण से बीघ डालने के विचित्र शौक के कारण घड़े में जल भरते हुए मुनि कुमार श्रवण को जल पीते हुए हाथी के भ्रम में अपना निशाना बना लेते हैं और उसके अंधे—बूढ़े अपाहिज माँ—बाप का एकमात्र सहारा छीन लेते हैं। मनुष्य की मनुष्यता औरों का जीवन लेने में नहीं, उनका जीवन बचाने और उन्हें जीवनदान देने में है। इसीलिए कालिदास का दिलीप कहता है, 'क्षत्रिय' वह है जो अपने बाहुबल से पीड़ित प्राणियों प्राणियों का परित्राण करे—“क्षत्रात् किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रुदः” और अपने शस्त्रबल से जब वह भूखे सिंह के पंजों में छटपटाती कातर नेत्रों से निहारती नदिनी गाय को नहीं छुड़ा पाता तो यह कहते हुए कि— “भाई सिंह, तुम्हें अपनी भूख ही तो मिटानी है न, तो लो मेरा यह शरीर ले लो। नदिनी को छोड़ दो और इस शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा लो— “स त्वं मदीयेन शरीर वृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद” अपन शरीर को ही माँस के लोथड़े की तरह भूखे सिंह के आगे डाल देता है—“सन्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहमुपानयत् पिण्डमिवभिषस्य” प्राणियों के परित्राण के लिए आत्मोत्सर्ग की यह पराकाष्ठा है।

इन वनों में परस्पर की त्यागकर मैत्री के सूत्र में आबद्ध वन्य प्राणी निर्द्वन्द्व विचरण करते थे। वे राजा जैसे शस्त्रधारी आखेट को तपोवन—परिसर में समीपस्थ देखकर भी न तो भयभीत होते थे और न ही रथ की आवाज सुनकर भगते थे—“विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगः।” हरिण शावक भी वनमूमि में निर्भय विचरण करते थे—“एते चार्वागुपवनभुवि च्छिन्नदर्भाकृशायां नष्टाशंका हरिणशिशावो मंदमंद चरन्ति।” महर्षि मारीच के आश्रम में तो शकुन्तला का शिशु भरत सिंहशावक के साथ खेलता था, और उसके जबड़े खोलकर उसके दाँत गिना करता था— “जृम्मस्व रे सिंहशावक! जृम्मस्व, दन्तास्ते गणयिष्यामि।”<sup>1</sup> नगर सभ्यता से प्रताङ्गित—निष्कासित साम्राज्यी सीता ने वाल्मीकि के तपोवन में आरण्यक संस्कृति के विशाल अंक में आश्रय और संरक्षण पाया था, उस तपोवन में जहाँ तपस्त्रियों के संसर्ग से हिंसक जन्तु भी अपनी हिंसक प्रकृति को छोड़कर अन्य वन्य जीवों के साथ मिल—जुलकर स्नेहपूर्वक रहते थे। महर्षि वाल्मीकि ने सीता को आश्वस्त किया कि उनकी संतान को निर्भयता, निर्वरता, मैत्रीभाव और राग—द्वेषरहित विशालहृदयता के संस्कार तपोवन के इसी पावन वातावरण में मिल सकेंगे—

“तपस्वि—संसर्ग—विनीत सत्तवे तपोवने बीतमया वसास्मिन्।

### इतो भविष्यत्यनघप्रसूतेरप्त्य संस्कार मयाविधिस्ते ।।” रघु० 14 / 75

और तपोनिरतता भगवती भवानी के अभयारण्य के तो क्या कहने, जहाँ व्याघ्रादि हिस्त्र जन्तुलों ने अपनी हिंसावृत्ति त्याग दी थी, वन्य प्राणियों का पारस्परिक विरोध प्रशमित हो गया था और वृक्ष पत्रों, पुष्पों और फलों से अतिथियों का स्वागत कर रहे थे—

### “विरोधिसत्तवोज्जितपूर्वमत्सरं दुमैरभीष्ट प्रसवाचिंता तिथिः”—कुमारसंभव 5 / 17

वनस्पतियों और वन्य प्राणियों के साथ सम्बन्ध : वृक्ष—लताओं के साथ मानव के पारिवारिक स्नेह सम्बन्धों की बड़ी ही भव्य और हृदयस्पर्शी झाकी महाकवि ने ‘अभिज्ञान शाकुन्तला’ में प्रस्तुत की है— कण्ठ—आश्रम की शकुन्तला—प्रभृति कोमलागी किशोरियों पौधों की क्यारियों में घड़ों से पानी डाल रही है। शुक्नतला की एक सखी को यह श्रमसाध्य कार्य शकुन्तला के कोमल शीर के साथ ज्यादती जान पड़ा इसलिए वह कुलपति कण्ठ को, जिन्होंने शकुन्तला को अपनी औरस पुत्री जैसा पाला था, उलाहना देने से नहीं चूकती— “हला शकुन्तले, त्वोत्तोषि तातकण्वस्य आश्रम—वक्षः प्रियतरा: इति तर्क्यामि येन नवमालिका—कुसुम—परिपेलवापि त्वमेतेषामालबाल—परिपूरणे नियुक्ता किन्तु शकुन्तला को इन वृक्षों से अपने सगे भाइयों जैसा स्नेह है अतः उन्हें सीचने में उसे सुखानुभूति ही होती है। उसमें भला कष्ट कैसा— “हला अनसूये! न केवल तातकण्वस्य नियोगः ममापि एतेषु सहोदर—स्नेहः।”

जिनसे पत्र—पुष्प की आशा होती है, उन वृक्षों की देखभाल तो सभी करते हैं किन्तु ये अनुराग—तरलित वन्य कन्याएँ, जिनके फूलने का समय निकल चुका है, इन वृक्षों को भी अपने स्नेह—जल से सीचना नहीं भूलतीं—“सखि शकुन्तले! उदकं लभिता एते ग्रीष्म काल कुसुम दायिनः आश्रम वृक्षः। इदानीं अतिकान्त—कुसुम—समायानपि वृक्षान् सिंचामः तेन अभिसंधिगुरुको धमो भविष्यति।” और शकुन्तला उसके प्रस्ताव का तुरन्त सहर्ष स्वागत करती है— “हला प्रियवदे! रमणीयं खलु मन्त्रयसि।” मदं पवन से संचालित पल्लवबाला आभ्रतरु उसे जैसे अपनी कोमल ऊँगलियों के संकेत से स्नेहपूर्वक पास बुलाता हुआ दिखायी देता है और वह उसे सीचने पहुँच जाती है।

मानव अपनी मनोगत कामनाओं और हृदयस्थ अनुराग को प्रकृति के इन जीवन्त उपादानों (वनस्पतियों) में मूर्त होते देखता आया है। शकुन्तला की सहकार (आप्नवृक्ष) के साथ वनतोषिणी नवमालिका लता के स्वयंवर की परिकल्पना उसकी प्रिय समागम की हृदयस्थ अभिलाषा को ही जैसे रेखांकित कर रही है। प्रियवदा तो उसके इस प्रच्छन्न प्रिया—भिलाष को स्पष्ट ही कर देती है—

**अनसूया—हला शकुन्तले! इयं स्वयंकर वधूः सहकारस्य त्वया कृतनामधेया वनतोषिणीति नवमालिका एनां विस्मृतासि?**

**शकुन्तला—तत् आत्मानपि विस्मरिष्यामि। (लतामुपेत्यावलोक्य च) हला: रमणीयः खलु कालः अस्य पादप मिथनस्य**

**रतिकरः सवंत्तः। येन नवकुसुमयीवना नवमालिका अयमपि बहुफलतया उपभोग क्षमः सहकारः।**

रघुवंश के महर्षि वाल्मीकि के तपोवन में तो राजभवन से निष्कासित आसन्नप्रसवा सीता को आश्रम के बालपादों को अपने स्नेह—जल से सीचकर सर्वधीत करने की किया द्वारा मातृस्व का ही पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त होता है—

### “पयोघटंराश्रम बालवृक्षान् सम्वर्धयन्ती स्वबलानुरूपम्।

**असंशयं प्राक् तनयोपपत्ते: स्तनन्ध्यप्रीतिमवाप्स्यसि त्वम्।। रघु० 14 / 78**

महर्षि वरिष्ठ के आश्रम में ऋषि पत्नियों हरिणों का सतान की भाँति अन्नादि से पोषण करती थीं, उनके लाडले मृग कुटियों के द्वार पर खड़े होकर उनके भीतर जाने का मार्ग रोक लेते थे। मुनि कन्याओं द्वारा वृक्षों की क्यारियों में भरे गए जल को वन्य पक्षी निश्शंक होकर पीते थे और तुप्त हुए हरिण आँगन में बैठे जुमाली करते थे।

महर्षि कण्ठ पतिगृह जाती हुई अपनी पुत्री शकुन्तला के लिए लता—वृक्षों के परिवार से कैसे मार्मिक शब्दों में विदा मङ्ग रहे हैं—“हे तपोवन के स्नेही पादपो, अरी अनुराग रंजित लताओ! जो तुम्हें बिना सींचे कभी जल पीने का भी विचार नहीं करती थी, जिसे यद्यपि पुष्पों और पल्लवों के आभूषण अत्यन्त प्रिय थे किन्तु तुम्हें कष्ट न हो इसलिए जिसन कभी तुम्हरे पल्लव तक नहीं तोड़े और तुम्हारा पुष्पित होना ही जिसके लिए महान उत्सव होता था, वही तुम्हारी स्नेहशीला शकुन्तला आज पतिगृह जा रही है, आप सभी उसे कृपया जाने की अनुमति पदान करें—

**पातृ न प्रथमं व्यवस्यति जर्ल युष्मास्वसिक्तेषु या,**

**नादते प्रियमप्णनपि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्।**

**आदौ वः कुसुमप्रवृत्तिसमये यस्या: भवत्युत्सवः।**

### सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सवरनुज्ञायाताम्।।” अभिं० 4 / 11

और प्रकृति के प्रतिनिधि वसन्त के काकिल ने कूक द्वारा मधुर स्वर में विदाई दी। शकुन्तला अपनी बहन माधवी लता से लिपटकर कैसे करुणा—विगलित स्वर में विदा मौग रही है— ‘लता बहन! अपनी शाखा रुपी भुजाओं से मेरा प्रत्यालिंगन करो। आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊँगी। पिता जी, आप मेरी ही तरह मेरी इस प्यारी बहन की भी देख—भाल कीजिएगा—लता भगिनि! प्रत्यालिंग मां शाखा मयैबहुभिः। अद्यप्रभृतित दूरवर्तिनी खलु ते भविष्यति।’ फिर आसन्नप्रसवा मृगी पर उसकी दृष्टि पड़ती है वह पिता से अनुरोध करती है कि जब उसकी संतानोत्पत्ति हो तो वह शुभ समाचार उसे अवश्य पहुँचाया जाय—‘तत् एषा उटजपयन्तचारिणी गर्भ—भार—मध्यामृगवधूर्यदा सुख प्रसवा भविष्यति तदा में कमपि प्रियनिवेदकं विसर्जयिष्यसि। मा विस्मरिष्यसि।’

जिस मातृविहीन मृगशावक का उसने पुत्रवत् पालन किया था, उसे वह किसी तरह पिता जी को सौंपकर जाने का प्रयास करती है— “वत्स कि मां सहवास—परित्यागिनोमनु—बध्नासि ननु अचिर प्रसूतोपरतया जनन्या बिना यथा मया वर्धितोऽसि तथा इदानीमपि मया विरहितं तातस्वां चिन्तयिष्यति। तत्रिवर्तस्व।”

आज विदा होती शकुन्तला के लिए समग्र प्रकृति जीवन्त हो उठी है। किसी वृक्ष ने उसे पहनने के लिए रेशमी वस्त्र दिए हैं, किसी ने चरण रँगने के लिए महावर दिया है तो अन्य पादपों ने बनदेवता के हाथों से उसके अलंकरण के लिए दिव्य आभूषणों के उपहार दिए हैं—

क्षौर्मं केनचिदिन्दु पाण्डु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतम् ।  
निष्ठ्यूतश्चरणोपराग सुभगो लाक्षारसः केनचित् ।  
अन्यम्यो वनदेवता करतलैरापर्व माणोस्थितै—

**दत्तान्याभरणानि नः किसलयच्छाया परिस्पर्धिभिः ॥ शाकुन्तल 4/7**

तपोरता भगवती पार्वती तो अपने हाथों रोपे गए पौधों का घट रुपी स्तनों से पुत्रवत् संवर्धन करती है। आगे चलकर औरस पुत्र कार्तिकेय भी पादपों के प्रति उनके वात्सल्य को कम न कर पाये। उनके द्वारा नीवारादि पालित मृग उनसे इतने हिलमिल गये थे कि सखियों के सामने वे उनके नेत्रों से अपने नेत्रों की विशालता (आयतता, दीर्घता) को नापा करती थी। वन्य जीवों और वनस्पतियों में मानवीय करुणा का प्राकट्य : कालिदास के काव्यों में वन्य जीवों, वनस्पतियों और मानवों के बीच एक अंतः प्रवाहिनी दिव्य करुणा के दर्शन होते हैं। शाकुन्तला को आश्रम से सदा के लिए विदा होते देखकर हरिणियों ने कुशशायों के ग्रास उगल दिए, मोरों ने नाचना बन्द कर दिया और लताएँ पीले पत्तों के रूप में आँसू बरसाने लगी—

**उद्गीर्ण वर्मकवला भूगी, परित्यक्तनर्तना मयूरो ।**

**अपसृतपाण्डुपत्रा मुचन्त्यश्रु इव लताः ॥ शाकु 4/4**

परित्यक्ता सीता के विलाप को सुनकर तो जैसे सम्पूर्ण वन हर रो पड़ा—मयूरों का नृत्य थम गया, वृक्ष पुष्पों के रूप में औसू टपकने लगे और हरिणियों ने दर्भों के ग्रास उगल दिए—

**नृत्यं मयूराः कुसुमानि वृक्षा दर्भानुपात्तान् विजहुर्हरिण्यः ।**

**तस्या प्रपन्ने समदुःख भावमत्यन्तमासीद् रुदितं वनेऽपि ॥ रघु 14/69**

वन और जीवनदायक जलद : संस्कृत साहित्य में 'वन' को कानन और जल के अर्थ ('वने सालिल कानने"—अमरकोश ) में ग्रहण करके दोनों के अन्योन्याश्रयत्व को स्वीकारा गया है। मेघ पर्वस्थित सघन वनों से टकराकर और उनके शीतल संस्पर्श से अपनी वाष्प को जल—बिन्दुओं में परिणत करके वन की—जीवन की जल कक्षी वर्षा करते हैं और यह वन (जल) न केवल वनों को अपितु समस्त चराचर प्राणियों को जीवन प्रदान करता है। 'आप्रकूट' (आम के वृक्ष) हों कूट (चोटी) पर जिसके या 'तरुशिखर' (तरु हों शिखर पर जिसके) पर्वत ही जल वृष्टि से दावागिन को शान्त करने वाले इन मेघों को आश्रय दे सकते हैं—

**त्वामासार प्रशमित—वनोपप्लवं साधु मूढन्नं**

**वक्ष्यत्यध्वश्रम परिगतं सानुमानाभ्रकूटः ॥ मेघदूत 1/7**

पकव (पके) पीताम फलों से लदे आम्र वनों वाले आम्रकूट पर जब श्याम धन आश्रय लेता तो वह धरती माता के बीच में काले और चारों ओर से गोरे पयोधर की कांति को धारण कर लेता—

**छन्नोपान्तः परिणत फल द्योतिभिः काननाम्नै**

**स्त्वय्यारुदे शिखरमचलः स्निग्धवेणी सर्वणै ।**

**नूनं यास्यत्यमर — मिथुन — प्रेक्षणीयामवस्थां**

**मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शोष—विस्तार—पांडुः ॥ मेघदूत 1/18**

महाकवि की सजल जलधर के लिए माँ वसुन्धरा के दुग्धस्त्रावी स्तनग्र या स्तनमुख की परिकल्पना कितनी सटीक है! माँ स्तनपान कराकर अपने शिशु का पोष करती है तो धरती माता का स्तन जल्द जलवृष्टि करके वनस्पतियों को नवजीवन देता है, प्राणियों के लिए धास और मनुष्यों के लिए अन्न उत्पन्न करता है। इसीलिए कल्पोल करती नदियाँ उसके जीवन का जयघोष करने लगती हैं।

भारत जब तक इस आरण्यक संस्कृति का उपासक रहा, यहाँ कभी अनावृष्टि की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। जल्द यथेष्ट जलवृष्टि करके उसकी उर्वरा भूमि की शस्य—श्यामला बनाते रहे। परन्तु ज्यों ही नगर सम्यता उस पर हावी हुई, नगर के तथाकथित सभ्य मानव ने इस आरण्यक संस्कृति को आदिम वनवासी मनुष्य की वन्य विकृति मानकर त्याग दिया, उसका अध्यात्म लाभ का चरम लक्ष्य भौतिकवाद में ही सिमट गया।

### सन्दर्भ :

1. अभिज्ञान शाकुन्तलम्, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी
2. वेलणकर, प्रो० हरि दामोदर, रघुवंश, चौखम्बा प्रकाशन
3. यादव, डॉ बलवान सिंह, मेघदूत, चौखम्बा, संस्कृत भवन
4. डॉ० रघुवंश, प्रकृति और काव्य, साहित्य भवन, इलाहाबाद
5. अवरथी, डॉ० देवी शंकर, संस्कृत विद्याओं म प्रकृति
6. हसीन, डॉ० शबना, मानव, प्रकृति और संस्कृति

## स्वाधीनता संग्राम में हिंदी सिनेमा का योगदान

चंचल सिंह\*

\*शोधार्थी, हिन्दौ विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

**सारांश :** यह अध्ययन स्वाधीनता संग्राम में हिंदी सिनेमा का योगदान को रेखांकित करता है। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं और विशेष रूप से महात्मा गांधी का यह मानना था कि राजनीतिक आजादी का आंदोलन समाज सुधार के प्रयासों के बिना नहीं चलाया जा सकता है। भारतीय समाज में मौजूद इन स्थितियों से सिनेमा प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता था? यही कारण है कि मूक युग में धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित विषयों और कथानकों के आधार पर फिल्में बनी। इस युग की अधिकांश फिल्मों में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ढंग से स्वतंत्रता आंदोलन की अनुगृंज दिखाई देती है। यह शोध पत्र विवरणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है। जो पूर्व के अध्ययनों से अलग है तथा अध्ययन विषय एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं।

**मुख्य शब्द :** स्वाधीनता आंदोलन, गांधीवादी विचारधारा, सुधारवादी आंदोलन, सांस्कृतिक चेतना, प्राचीन संस्कृत नाटक आदि।

किसी भी देश का इतिहास, सांस्कृतिक चेतना, पर्व-उत्सव, भेले-प्रदर्शनियां, रीति-रिवाज आदि सिनेमा में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त होता है। यह राष्ट्रीय एकता और विश्व बंधुत्व की भावना का भी पोषण करता है। भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में हिन्दी सिनेमा का अमूल्य योगदान रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में सिनेमा के महत्व को स्वीकार करते हुए डॉ राममनोहर लोहिया ने कहा था कि दृृ “भारत को एक करने वाली दो ही शक्तियाँ हैं, पहला गांधी और दूसरी फिल्में”।<sup>1</sup> भारत में सिनेमा और स्वतंत्रता संग्राम दोनों सहयोगी रहे हैं। देश में महात्मा गांधी और सिनेमा में दादा साहब फाल्के लगभग एक ही समय सक्रिय होते हैं। 1914 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अपने महान संघर्ष की सफलता के बाद स्वदेश लौटते हैं और इसी के आस-पास घुंडीराज गोविंद फाल्के अर्थात दादा साहब फाल्के भी इंग्लैंड से फिल्म निर्माण की तकनीक सीखकर और उससे जुड़े सामान लेकर स्वदेश लौटते हैं। यह केवल संयोग मात्र नहीं है कि महात्मा गांधी को ‘राष्ट्रपिता’ और दादा साहेब फाल्के को ‘भारतीय सिनेमा का पिता’ कहा जाता है। महात्मा गांधी और दादा साहेब फाल्के की सक्रियता से स्वतंत्रता आन्दोलन और हिन्दी सिनेमा एक-दूसरे से प्रभावित होते हुए अपनी गति से आगे बढ़ता है।

बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में देश के समक्ष अनेक महत्वपूर्ण सवाल थे जिन्हें महात्मा गांधी ने सम्बोधित करना प्रारंभ किया तो सिनेमा ने भी उन सवालों को अपने ढंग से जनता के समक्ष रखा। स्वाधीनता आंदोलन, गांधीवादी विचारधारा और समाज में चल रहे सुधारवादी आंदोलन में एक उत्प्रेरक का काम करने की दृष्टि से हिन्दी सिनेमा ने प्रारंभ से ही अपनी भूमिका निर्भाई है। अमृतलाल नागर ने लिखा है कि “देश की जनता ने चाह स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का समय हो या उसके बाद का समय, हमेशा हिन्दी सिनेमा में अपनी ऊचि दिखाई है क्योंकि हिन्दी सिनेमा ने उनके अन्तःकरण को जागृत करके उन्हें सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कुरीतियों से लड़ने एवं उन्हें दूर करने के योग्य बनाया।”<sup>2</sup>

दादा साहब फाल्के ने कठिन परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर 21 अप्रैल 1913 को मुम्बई के ओलंपिया सिनेमा हॉल में पहली भारतीय फिल्म ‘राजा हरिश्चन्द्र’ का प्रदर्शन किया। उनके प्रयासों से सिनेमा शीघ्र ही भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म और इतिहास को अभिव्यक्त करने लगा। फाल्के ने 19 अक्टूबर 1913 को ‘केसरी’ समाचार पत्र को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि “मैं सभी विषयों पर फिल्में बनाऊंगा, पर विशेषकर प्राचीन संस्कृत नाटकों और नए मराठी बॉम्बे टॉकीज की ‘जन्मभूमि’, कृष्ण फिल्म कम्पनी की ‘हिन्दुस्तान हमारा हैं’ और चन्द्र आर्ट की ‘वतन की पुकार’ तथा रंजीत मूवीटोन की ‘छीन ले आजादी’ महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान मुख्यों ने 1943 में ‘किस्मत’ फिल्म बनाई। इसी फिल्म में ‘दूर हटो ऐ दनिया वालों हिन्दुस्तान हमारा है गाना था। गीतकार रामचन्द्र नारायण जी द्विवेदी उर्फ कवि प्रदीप के खिलाफ गिरफ्तारी वारट जारी किया गया था। विमल राय की ‘हमराही’ (1945) में रवीन्द्र नाथ टैगोर का गीत ‘जन गण मन अधिनायक’ पहली बार प्रयोग किया गया था। यही गीत स्वतंत्रता के बाद भारत का राष्ट्रगान बना।”<sup>3</sup> उनके इस कथन का अर्थ यही है कि वे भारत के लोगों को धार्मिक रूप से परिष्कृत करना चाहते थे। देश गुलाम था और वह अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को मुक्त कराने का प्रयास कर रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं और विशेष रूप से महात्मा गांधी का यह मानना था कि राजनीतिक आजादी का आंदोलन समाज सुधार के प्रयासों के बिना नहीं चलाया जा सकता है। भारतीय समाज में मौजूद इन स्थितियों से सिनेमा प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता था? यही कारण है कि मूक युग में धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित विषयों और कथानकों के आधार पर फिल्में बनी। इस युग की अधिकांश फिल्मों में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ढंग से स्वतंत्रता आंदोलन की अनुगृंज दिखाई देती है।

आत्मगौरव की भावना उस युग की महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। साहित्य में जिस समय मैथिलीशरण गुप्त ‘हम क्या थे, क्या हैं, क्या होंगे अभी..’ जैसे सवाल उठा रहे थे, उसी समय मूक युग का सिनेमा भी देश के स्वर्णिम इतिहास का चित्रण कर रहा था। मूक युग का सिनेमा देशवासियों को यह संदेश दे रहा था कि हमारे देश का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है और सदियों की गुलामी के कारण आज हमारी स्थिति दयनीय हो गई है। भारत में 1912 से 1930 तक लगभग 1300 फिल्मों का निर्माण हुआ। इनमें अधिकतर फिल्मों की कथाओं का आधार भारतीय जीवन में रचे-बसे ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों के जीवन और उनसे जुड़ी घटनाएं ही थीं।

अंग्रेज सरकार ने प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान हुए अपने अनुभवों से सिनेमा की शक्ति और समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को पहचान लिया था। उन्होंने स्वयं भी प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान सिनेमा का अपने पक्ष में प्रोफैंडा के रूप में खूब उपयोग किया था। 1917 में रूसी क्रांति के बाद रूस द्वारा भी बोल्शेविज्म के विरोध में प्रचार के लिए सिनेमा का एक हथियार की तरह उपयोग किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सिनेमा की किसी भी तरह की भूमिका को रोकने के उद्देश्य से प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान ही यानी 5 मार्च 1918 को अंग्रेजों ने 'इंडियन सिनेमेटोग्राफी एक्ट' लागू किया। इसके अंतर्गत सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले किसी भी फिल्म को सेंसर बार्ड से प्रमाण पत्र लेना आवश्यक था। इस एक्ट का संबंध देश की राजनीतिक चेतना से था, न कि सांस्कृतिक चेतना से। सेंसर बोर्ड को यह लगता कि अमुक फिल्म से स्वतंत्रता का संदेश फैलने की संभावना है, वह फिल्म सेंसर की कंची का शिकार हो जाती थी।

सेंसर बोर्ड पूरी तरह से अंग्रेज सरकार के अधीन काम करता था। वह किसी भी राजनीतिक आंदोलन, व्यक्ति, घटना का चित्रण अथवा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले कथानकों पर बनी फिल्मों को प्रदर्शित नहीं होने देता था। जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले रहा था, उसी समय सिनेमा पर सेंसर बोर्ड द्वारा लगाई गई पाबंदियों के कारण सिनेमा की क्रांतिकारी चेतना को धक्का लगा। चूंकि, सिनेमा एक खर्चीला माध्यम है, इस कारण इसके निर्माताओं के लिए सरकार से शत्रुता मोल लेना एक महंगा सौदा था। सरकारी प्रतिबंधों का स्पष्ट प्रभाव सिनेमा पर पड़ा जिसके कारण स्वाधीनता आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी फिल्में कम बनी। इसके बावजूद कई फिल्मकारों ने अपने व्यावसायिक हितों के ऊपर राष्ट्रीय हितों को महत्व दिया और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े संदर्भों को चित्रित करने वाली फिल्में बनाईं।

सन 1921 में एक फिल्म बनी थी— 'भक्त विदुर'। इस फिल्म में द्वारका दास संपत ने विदुर की भूमिका निभाई थी। वे दुबले-पतले और लम्बे कद के थे। फिल्म में उन्होंने धौती पहनी थी और उनके हाथ में एक लाठी रहती थी। सेंसर बोर्ड ने भक्त विदुर को महात्मा गांधी की छाया मानकर उस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ इसी तरह की घटना 'वन्दे मातरम' फिल्म के साथ भी हुई। अंग्रेजों के अनुसार 'वन्दे मातरम' शब्द देशभक्ति की भावना जगाने वाला शब्द था।

1930 और 1940 के आसपास प्रभात, न्यू थिएटर्स एवं बॉम्बे टॉकीज द्वारा निर्मित फिल्मों ने राष्ट्रीय चेतना जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इन फिल्मों ने स्वतंत्रता संग्राम के कारण उत्पन्न विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलनों को न केवल चित्रित किया बल्कि उन्हें गति भी दी। नितिन बोस, वी शांताराम, गजानन जागीरदार, सोहराब मोदी, के ए अब्बास, चेतन आनंद, चंदूलाल साह, मेहबूब खान, बो एन रेड्डी, विमल रॉय, विजय भट्ट, मास्टर विनायक आदि की फिल्मों ने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद स्वाधीनता आंदोलन में उत्प्रेरक का काम किया।

असहयोग आंदोलन के दौरान उग्र जनता ने चौरी चौरा में थाने में आग लगा दी जिसमें कई पुलिसवाले की जलने से मृत्यु हो गई। हिंसा की इस घटना से महात्मा गांधी इतने अधिक आहत हुए कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। गांधी के इस फैसले की कुछ लोगों ने आलोचना की। हिन्दी सिनेमा भी इस मामले में पीछे नहीं रहा। पी. के. अत्रे और मास्टर विनायक जैसे फिल्मकारा ने 'ब्रह्मचारी', 'हिंस्की की बोतल' और 'धर्मवीर' जैसी फिल्में बनाकर गांधी के इस फैसले की आलोचना की। इन फिल्मों में गांधी की आलोचना की गई थी इसलिए सेंसर बोर्ड ने आसानी से पास कर दिया।

1935 में संगीतकार नागरदास नायक ने प्रफुल्ल राय निर्देशित 'भारत लक्ष्मी पिक्चर्स' की फिल्म 'बलिदान' में 'जागो जागो भारतवासी, एक दिन तुम थे जगदगुरु, जग था उन्नत अभिलाषी' गीत बनाकर भारत के स्वर्णिम इतिहास की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया था। 1940 के आसपास सोहराब मोदी ने भी भारत के स्वर्णिम इतिहास को चित्रित करने के उद्देश्य से 'पुकार' (1939) और 'सिकन्दर' (1941) फिल्म बनाई। इन फिल्मों ने राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्वाधीनता संग्राम की इस लड़ाई में हिंदी सिनेमा अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। सभी क्षेत्र चाहे वे साहित्य हो पक्तारिता हो सीधे तौर पर आमने-सामने की लड़ाई हो या फिर सिनेमा सभी ने भारत को आजाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिसके परिणामस्वरूप अंततः हमारा देश आजाद हुआ।

## सन्दर्भ :

1. लोहिया, ऑंकार शरद; एकजीवनी, पृ० 12
2. नागर, डॉ शरद; संपादन एवम संकलन, फिल्मक्षेत्र, पृ० 49
3. अग्रवाल, डॉ विजय; सिनेमा की संवेदना, पृ० 40

## **भारत में वृद्धों के संस्थागत देखभाल की व्यवस्था का स्वरूप : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन**

**डॉ० चन्दन कुमार पाण्डेय\***

\*असिस्टेन्ट प्रोफेसर, (समाजशास्त्र), राजकीय महाविद्यालय, मोदहा, हमीरपुर, उ०प्र०

**सारांश :** भारतीय सामाजिक और पारिवारिक संरचना में वृद्धों को अत्यन्त उच्च प्रिस्थिति प्राप्त है। वृद्ध व्यक्ति परिवार व समाज में मुखिया की भूमिका का निर्वहन करता रहा है वह अपने ज्ञान व अनुभव से परिवार का संचालन कशलतापूर्वक कर अन्य सदस्यों को समाज के मूल्यों एवं आदर्शों को आत्मसात कर योग्य नागरिक बनने में सहयोग प्रदान करता है। बदले में वृद्ध व्यक्ति को परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा मान—सम्मान, इज्जत और सेवा—शुश्रूषा प्राप्त होती है। परन्तु वर्तमान समय में पारिवारिक संरचना में परिवर्तन होने से सबसे ज्यादा प्रभावित परिवार के वृद्ध हुये हैं। संयुक्त की जगह एकाकी परिवार का प्रचलन वृद्धों की देखभाल हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने को विवश करता है। ऐसे में ही वृद्धों की देखभाल हेतु संस्थागत देखभाल की व्यवस्था का आविभाव भारत में भी हुआ है। प्रस्तुत शोध पत्र में वृद्धों के संस्थागत देखभाल की व्यवस्था के स्वरूप का विस्तार से विवेचना किया गया है।

**मुख्य शब्द :** वृद्ध, वृद्धगृह, संस्थागत, परिवार, समाज आदि।

संस्थागत देखभाल की व्यवस्था में प्रमुखतः तीन क्षेत्रों को समिलित किया गया है—

- 1- दिवसीय देखरेख (Day Care Centre)
2. आवासीय देखरेख (Residential Care) और
3. अन्य सुविधाएं जैसे— स्वास्थ्य देखभाल, वृद्धों के लिये स्वरोजगार सम्बन्धी क्रियाकलाप।

दिवसीय देखरेख (डेकेयर सेंटर) में सामान्यतः पूरे दिन वृद्धों की सौहार्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। ये मुख्यतः उन वृद्धों के संचालित किये जा रहे हैं जो परिवार से अलग नहीं रहना चाहते या फिर वृद्धगृह में नहीं रहना चाहते लेकिन परिवार में उनके साथ समय व्यतीत करने वाला कोई नहीं है। अतः वे अपने खाली समय के उपयोग हेतु एक ऐसी संस्थागत देखभाल की आवश्यकता महसूस करते हैं, जो उन्हें परिवार से अलग न रखती हो। वर्तमान समय में परिवारों की प्रकृति एकल होती जा रही है, जिसमें माता—पिता दोनों ही काम—काजी हैं। ऐसी स्थिति में वृद्धों की इन संस्थाओं के आस—पास 'प्ले—स्कूल' संचालित करने के सुझाव दिये जा रहे हैं ताकि वृद्ध एवं बच्चे एक—दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर सके।

संस्थागत देखभाल का एक अन्य स्वरूप निर्सिंग होम के रूप में सामने आ रहा है। ये मुख्यतः उन वृद्धों के लिये संचालित किये जा रहे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, या समुदाय में स्वतंत्र रूप से रहने में असमर्थ होते हैं। परिवार व अन्य सम्बन्धी इन्हें साथ रखने में स्वयं को सहज महसूस नहीं करते हैं। विकसित देशों में अनेकों वृद्ध दीर्घकालीन देखभाल चिकित्सालयों से करवा रहे हैं। इस देखभाल की व्यवस्था का भारत में अभी प्रचलन नहीं है।

इन सब में वृद्धगृह एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था है जो पूर्णरूपेण देखभाल व सहायता उपलब्ध करा रही है। सामान्यतः वृद्धगृहों के संचालन के तीन स्वरूप प्रचलित हैं—

(1) निःशुल्क वृद्धगृह : निःशुल्क वृद्धगृह अर्थात् इसमें निवास करने वाले वृद्धों को उनको प्रदान की जा रही सुविधाओं के लिये किसी भी प्रकार का शुल्क भुगतान नहीं करना पड़ता। ये सरकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। ये वृद्धगृह उन असहाय वृद्धों के लिये होते हैं जिनके पास न तो आय का कोई स्रोत होता है और न ही कोई देखभाल करने वाला या फिर परिवार या अन्य सम्बन्धियों द्वारा उनका त्याग कर दिया गया है। ऐसे वृद्धों को भोजन, आवासीय सुविधा इन वृद्धगृहों में उपलब्ध कराई जाती है। अनेकों अध्ययनों में यह पाया गया गया है कि इस प्रकार के वृद्धगृहों में औसत सुविधाएं ही उपलब्ध कराई जाती हैं। वृद्धगृह का प्रशासन इसका कारण कम बजट या आर्थिक असमर्थता बतलाते हैं, (राममूर्ति 2001)।

(2) सशुल्क वृद्धगृह : वृद्धगृहों का द्वितीय स्वरूप सशुल्क वृद्धगृहों के रूप में सामने आते हैं। इसमें वृद्धों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुख—सुविधाओं का शुल्क लिया जाता है। ये अधिकतर निजी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जाते हैं। इनमें विविध प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें आने वाले वृद्ध वे होते हैं जो कि आर्थिक रूप से सक्षम तो हैं लेकिन परिवार में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है या उनकी संतानों विंदेशों में जाकर रहने लगी है। कभी—कभी यह भी परिणाम प्राप्त होते हैं कि वृद्ध किसी पर निर्भर नहीं होना चाहते या फिर अन्य के साथ रहना उन्हें अपनी व्यक्तिगत जीवन का ह्यास लगता है। इन गृहों में वे ही वृद्ध रहते हैं जो उच्च वर्ग से सम्बन्धित हैं।

(3) सशुल्क एवं निःशुल्क वृद्धगृह : वृद्धगृहों का तृतीय स्वरूप है जिसमें वृद्धों के पास दो विकल्प होते हैं प्रथम यह कि जो वृद्ध आर्थिक रूप से सक्षम है वे वृद्धगृह को कुछ सहायता राशि उपलब्ध कराते हैं द्वितीय आर्थिक रूप से अक्षम होने पर शुल्क भुगतान बिना भी रहा जा सकता है। शुल्क भुगतान करके रहने वाले वृद्धों व निःशुल्क रूप से रहने वाले वृद्धों को समान सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं, मुख्यतः भोजन व चिकित्सा सम्बन्धी, (शाह 2006)।

'पे एण्ड स्टे' पद्धति पर आधारित सशुल्क वृद्धगृह एवं निःशुल्क वृद्धगृहों में रहने वाले वृद्धों की अन्तःक्रिया सम्बन्धों में अन्तर अवश्य होता है। शुल्क भुगतान कर रहने वाले वृद्ध अधिकतर अकेले रहना चाहता है। ये भावना एक घर से अधिक होटल

की है, जबकि निःशुल्क वृद्धगृहों के वृद्धों के मध्य सम्बन्ध अच्छे व सामान्य पाये गये, (खान 2005)। लेकिन संतुष्टि स्तर ज्ञात करने पर प्राप्त हुआ कि 'पे एण्ड स्टे' पद्धति पर आधारित वृद्धगृह में रहने वाले वृद्ध निःशुल्क वृद्धगृहों में निवास करने वाले वृद्धों से अधिक संतुष्ट थे। इसका प्रमुख कारण इनमें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का अन्तर था, (श्रीवल्स व नायर 2001)। कृष्णन नायर (1998) के अनुसार वृद्धगृहों की मुख्य समस्या यह है कि इनके नियंत्रण के लिये न तो कोई संगठन हैं और न ही कोई नियम।

अलाम (2006) ने दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में 186 वृद्धगृहों का अध्ययन किया। प्राप्त परिणाम वृद्धगृह की छवि को धूमिल करते हैं। क्योंकि 46 प्रतिशत वृद्धगृहों में चिकित्सीय देखभाल के लिये किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई। वहाँ 72 प्रतिशत वृद्धगृहों के पास किसी आपातकालीन रिथर्टि से निपटने के लिये कोई वाहन नहीं है।

हेल्पेज इण्डिया (2007) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अन्तर्गत आने वाले वृद्धगृहों का सर्वेक्षण किया गया। जिसमें कुछ चौकाने वाले तथ्य सामने आये। 90 प्रतिशत वृद्धगृहों में नियुक्त कर्मचारी अप्रशिक्षित हैं। वृद्धगृहों में पारिवारिक सदस्यों की कमी अक्सर ही वृद्ध महसूस करते हैं। अतः उनके खाली समय के उपयोग के लिये मनोरंजन की सुविधा मात्र 50 प्रतिशत वृद्धगृहों में ही उपलब्ध है। सिर्फ 10 प्रतिशत वृद्धगृहों में चिकित्सक वृद्धगृहों में ही रहते हैं शेष 90 प्रतिशत वृद्धगृह में ये नियमित अन्तराल (सामान्यतः सप्ताह में एक या दो बार) में ही आते हैं। प्राप्त परिणाम निम्न सारणी में वर्णित हैं—

#### सारिणी 1.5 : हेल्पेज इण्डिया द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार वृद्धगृहों का संक्षिप्त विवरण

प्रकृति (N=12)	8 निःशुल्क, 1 सशुल्क, 3 मिश्रित (निःशुल्क व सशुल्क)
क्षमता	50 बेड प्रति वृद्धगृह
रहने की व्यवस्था	30 प्रतिशत में बड़ा सामूहिक शयनकक्ष (6–12 बेड), 60 प्रतिशत (2–4 बेड), 10 प्रतिशत (1 बेड)
पारितात्त्व	75 प्रतिशत स्वारथ वृद्धों के लिये, 25 प्रतिशत शारीरिक रूप से अक्षम वृद्धों के लिये
लिंग विशेष के लिये	90 प्रतिशत पुरुष व स्त्रियों दोनों के लिए, 10 प्रतिशत केवल स्त्रियों के लिये
आय वर्ग	30 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के बेसहारा वृद्धों के लिये, 60 प्रतिशत निम्न मध्यम वर्ग, 10 प्रतिशत मध्यम वर्ग
कर्मचारियों की संख्या	6–7 वृद्धों पर 1 कर्मचारी, 3–4 कर्मचारी प्रत्येक वृद्धगृह में
प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता	10 प्रतिशत में प्रशिक्षित, 90 प्रतिशत में अप्रशिक्षित कर्मचारी
मनोरंजन व्यवस्था	50 प्रतिशत में उपलब्ध यथा, सत्संग, इंडोर गेम, टीवी, प्रार्थना कक्ष
चिकित्सीय सुविधा	90 प्रतिशत में सिजिटर चिकित्सक, 10 प्रतिशत में रेजीडेंट चिकित्सक

स्रोत— इंटरनेट ([www.helpageindia.org](http://www.helpageindia.org))

वहाँ कुछ अन्य अध्ययनों यथा दाण्डेकर (1996), सिन्हा (2008) इत्यादि में वृद्धों की रिथर्टि परिवार में रहने वाले वृद्धों से बेहतर पाई गई व अधिकतर वृद्ध यहाँ के जीवन से संतुष्ट पाये गये।

वृद्ध एवं वृद्धावस्था से सम्बन्धित शोधों की सख्ती काफी अधिक है। लेकिन वृद्धगृहों से सम्बन्धित शोध गिने चुने ही है। यद्यपि वृद्धगृहों का इतिहास तीन सौ वर्षों से अधिक प्राचीन है। 1990 के मध्य राज्य पर आधारित वृद्धगृहों के अध्ययन सामने आये। दाण्डेकर (1996) द्वारा महाराष्ट्र, राममूर्ति, जमुना, रेड्डी (1996) द्वारा आन्ध्र प्रदेश व राजन, मिश्रा व शर्मा (1999) द्वारा दक्षिणी राज्यों का अध्ययन इत्यादि। इन सबमें वृद्धों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं, देखभाल की गुणवत्ता, प्रबन्धन का रूपया इत्यादि को जानने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अध्ययन भी प्रकाश में आये हैं जैसे लीबिंग (1997–98), गुजरात जनसंख्या संस्थान का प्रोजेक्ट (2004), मैरीरानी (2001) ईश्वर मोदी (2001) शाह (2006), मिश्रा (2003), बीण नलिनी (1999) इत्यादि।

#### सन्दर्भ :

1. Ramamurti, P.V. (2001). in Help Age India Research & Development, Journal Vol. 8, No. 2, May 2002., pp. 3-4.
2. Shah, H. (2006). Women in Old Age Homes in Mumbai, Paper presented in Conference of Sociological Society by Chennai.
3. Sreevals & P.S. Nair (2001). Elderly and Old Age Homes in Kerala HelpAge India, Research & Development Jl. Vol. 7, No. 3 June-Sept, pp. 11-21.
4. Nair, T.K. (1998). in Article of Homes of the Future by in Online addition of Indians National News Paper The Hindu Sunday, 18, 1998.
5. Dandekar, K. (1996). The Elderly in India, Sage Publication, New Delhi.
6. Rajan, I.S., U.S. Mishra and P.S. Sarma (1999). India's Elderly Burden or Challenge? Sage Publication, New Delhi, pp. 232.

## ग्राम न्यायालय का उद्भव एवं विकास

रमाकान्त यादव\*

\*शोधार्थी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तरप्रदेश

विनीत मिश्रा\*\*

\*\*शोधार्थी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तरप्रदेश

**सारांश :** ग्राम न्यायालय का उद्भव एवं विकास' के अन्तर्गत ग्राम न्यायालयों से सम्बन्धित प्राप्त साक्षों के आधार पर इसके उद्भव एवं विकास की गयी है, क्योंकि ग्राम न्यायालय का अस्तित्व प्राचीनकाल में भी विद्यमान था। ग्राम न्यायालय का प्रावधान चाहे जो काल रहा हो अस्तित्व में था। इस अध्याय में वैदिक काल, मौर्यकाल, गुप्तकाल, चोलकाल, सल्तनत काल, मुगलकाल एवं ब्रिटिश शासन के बारे में वर्णन किया गया है।

**मुख्य शब्द :** वैदिक काल, मौर्यकाल, गुप्तकाल, चोलकाल, सल्तनत काल, मुगलकाल, ब्रिटिश शासन आदि।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की विवेचना की गयी है। भारत की स्वतन्त्रता के बाद गठित न्याय-पंचायत के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ग्राम न्यायालय की आवश्यकता, विभिन्न आयोग की रिपोर्ट एवं ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के साथ तुलनात्मक वर्णन किया गया है। इस अध्याय में गुणवत्ता, प्रभावित करने वाले कारक तथा ग्राम न्यायालय के समक्ष चुनौतियों का विवेचन किया गया है। ग्राम न्यायालय का अस्तित्व प्राचीन भारत से ही प्रलक्षित होता है। प्रत्येक काल में नाम चाहे जो रहा हो, लेकिन उनके कार्य वर्तमान समय के ग्राम न्यायालय की ही भौति थे।

वैदिक काल में विवाद को तय करने वाले पंच को 'मध्यमा-सी' एवं ग्राम न्यायाधीश को ग्राम वादिन के नाम से जाना जाता था। मौर्यकाल में न्याय व्यवस्था की सबसे निचली सीढ़ी पर ग्राम सभा का अस्तित्व मिलता है। ग्राम सभा में ग्राम न्यायाधीश के रूप में ग्रामणी और ग्राम का वृद्ध आपसी विवाद के मामले को निपटारा करते थे। गुप्तकाल में सबसे निचली पायदान पर न्याय व्यवस्था के रूप में ग्राम सभा का स्थान प्रलक्षित होता है। जिसे कुल कहा जाता था। गुप्तकाल में पारिवारिक सदस्यों की समिति होती थी। जिसे मान्यता प्राप्त था और जो अपने विवादों का निपटारा करते थे।

चोल काल में स्थानीय स्वशासन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस काल में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था विकास के रूप में अपने चरमात्कर्ष पर थी। यहाँ ग्राम सभा को "उर" कहा जाता था। चोल काल में निम्न स्तर के मुकदमों का फैसला उर के माध्यम से किया जाता था और यह केन्द्रीय व्यवस्था से मुक्त होती थी। अर्थात् यह अपने आप में स्वतंत्र होती थी। सल्तनत काल में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें पुरातन संस्था के रूप में गाँवों में बनी रही ग्राम समुदाय के सभी प्रकार के मुकदमों विशेषकर परस्त्रीगमन, चोरी, डकैती इत्यादि को वह तय किया करता था।

मुगलकाल में न्याय करने के लिए कस्बों, शहर व गाँव में शासन की ओर से काजी नियुक्ति किए जाते थे। प्रत्येक गाँव में काजी के अतिरिक्त ग्राम पंचायत वहाँ के लोगों के झगड़ों को तय किया करती थी। ग्राम पंचायत प्राचीन संस्था थी जो की पूर्णतः गाँव में बनी रही तथा परस्त्रीगमन, सम्पत्ति उत्तराधिकार, विवाह, तलाक आदि के मुकदमों को ग्राम की परम्पराओं व रीतिरिवाजों के अनुसार पंचों की मदद से निस्तारित की जाती थी। अधिकांशतः ये पंचायतें जाति पर आधारित होती थी। इन पंचायतों को अभियुक्तों पर दण्ड शुल्क लगाने, उन्हें चेतावनी देने सबके समुख लजित करने, सामाजिक वहि कार करने आदि के भी अधिकार भी थे। यह पंचायतें न तो किसी को मृत्युदण्ड दे सकती और न उन्हें बन्दीगृह में रख सकती थी।

भारत में अंग्रेजी उपनिवेश के समय से ही स्थानीय शासन के महत्व को समझा जाने लगा। वर्ष 1882 में लार्ड रिपन के शासन के कार्यकाल में स्थानीय स्तर पर प्रशासन में लोगों को समिलित करने के कुछ प्रयास किए गये।

राष्ट्रीय आन्दोलन द्वारा महत्व दिए जाने एवं ब्रिटिश शासन द्वारा अपने प्रशासन में समिलित करने के लिए 1930 एवं 1940 में अनेक प्रांतों में पंचायतीराज संबंधी कानून बनाये गये। संविधान के प्रथम प्रारूप में पंचायतीराज व्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं था। गाँधी जी के दबाव के परिणामस्वरूप इसे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया। भारत गाँव का देश है। आदिकाल से समाज हित में भौति-2 के प्रयोग होते रहे अन्तः पंचायत व्यवस्था को सर्वोत्तम पाया गया। ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन की इकाई के रूप में भारतीय प्रजातंत्र का यह प्राचीन और प्रयोगसिद्ध प्रबंध, सर्वस्वीकृत रहा है।

महात्मा गांधी का मानना था भारत में कई फेर-बदल और क्रांतियाँ आई। इन सबके बीच में भारतीय जनता को बचा ले जाने का सबसे अधिक श्रेय इन्हीं संस्थाओं का है। इन्होंने लोगों को सुखी रखा और एक हृद तक उनकी आजादी की रक्षा भी की है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ग्रामीण संस्थाओं नहीं छोड़ा जाय। मैं उन तमाम चीजों से डरता हूँ जो इनका नाश करना चाहती है। गाँधी जी का ग्राम पंचायत से इतना लगाव था कि वे उन्हें ग्राम उद्घारक संघ कहते थे।

प्राचीन भारतीय संस्कृति में रिथ्यति गाँव, अर्थ तथा प्रशासन और व्यवस्था के क्षेत्र में पूर्ण स्वावलंबी थे। इनके पतन में ग्राम में दल बंदी और लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, निरक्षरता, शरारत, फूट, लापरवाही आदि दुष्प्रवृत्तियों को विकसित किया। ग्राम के लोग पंचायतों के माध्यम से ही अपनी विवादों का निपटारा करते थे। उनके निर्णय सर्वमान्य और सर्वग्राह्य हुआ करते थे।

गॅंधी का कहना था ग्रामीण पंचायतों को प्रभावशील होने में तथा प्राचीन गौरव के अनुकूल होने में कुछ समय अवश्य लगेगा। यदि प्रारम्भ में ही उनके हाथों में दण्डकारी शक्ति सौंप दी गई तो उसका अनुकूल प्रभाव पड़ने के स्थान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसलिए ग्राम पंचायतों प्रारम्भ से ही ऐसे अधिकार देने में सर्वकता आवश्यक है, जिनके कारण वह बदनाम न हो जाय। शुरू-2 में जरूरी है कि पंचायत को जुर्माना करने या किसी का सामाजिक बहिष्कार करने की सत्ता न दी जाय। गॅंव में सामाजिक बहिष्कार अज्ञान या अविवेकी लोगों के हाथ में एक खतरनाक हथियार सिद्ध हुआ है। जुर्माना करने का अधिकार भी हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है और अपने उददेश्य को नष्ट कर सकता है। उनके इस विचार का तात्पर्य पंचायत को अधिकार विहिन मानना नहीं बल्कि अधिकारों को दण्ड देने के रूप में संयमित प्रयोग किए जाने से था। गॅंधी जी चाहते थे पंचायत के कार्यों में शिक्षा के साथ ग्रामोपयोगी उद्योग को भी जोड़ा जाय। पंचायत को अधिकार भोगने वाली संस्था न बनाकर सद्भाव जारी करने वाली रचनात्मक संस्था के रूप में विकसित किया जाय। यह संस्था गॅंव में सुधार का वातावरण पैदा कर सकती है। नशीली वस्तुओं के सेवन करने वाले व्यक्ति पंचायत के सद्भावपूर्ण वातावरण के अपनी इन दुष्प्रवित्तियों को छोड़ सकते हैं। वे कहते थे, मेरी कल्पना की ग्राम व्यवस्था में शोषण ही नहीं, और शोषण ही तो हिंसा की जड़ है। गॅंधी बताते थे कि स्वतंत्रता का अर्थ विदेशी शासकों का चला जाना भर ही नहीं है। स्वतंत्रता तब तक अपूर्ण रहेगी जब तक वह प्रत्येक देश के नागरिक के हाथ में सत्ता सूत्रों को न सौंप दे और राज्य अपने पास कम से कम शक्ति को धारण करे वे कहते थे, राज्य तो वह सबसे अच्छा है जहाँ शासन कम से कम होता है। गॅंधी कहते थे जो पंचायत गॅंव वालों की सद्भावना खो दे उसे तोड़ दिया जाना चाहिए और उसके स्थान पर दूसरी पंचायत चुन ली जाय। पंचायतीराज व्यवस्था यों तो प्राचीन है और वह सर्वाधिक विश्वसनीय व्यावहारिक त्वरित न्याय दिलाने वाली रही है। पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है, यह भरोसा हमारे धर्मपरायण पूर्वजों के अपने आचरण से मिलता रहा है। गॅंधी जी ने इसके मर्म को समझा और अपने कर्म से कामयाब करके विश्वास को नया धरातल दिया।

**न्याय पंचायत : प्राचीन काल से चली आ रही न्याय व्यवस्था** को एवं गॅंधी के स्वराज्य ग्राम की अवधारणा को सफल बनाने के लिए भारतीय सरकार ने ३०प्र० पंचायत राज अधिनियम, १९४७ को बनाया गया। ३०प्र० पंचायतराज अधिनियम के अध्याय ६ में ग्रामीण स्तर पर गॅंवों की समस्या को गॅंव में निस्तारण के लिए प्रावधान किया गया है।

**न्याय पंचायत का गठन :** न्याय पंचायत को गठन के सम्बन्ध में राज्य सरकार या नियत प्राधिकारी जिलों को सर्किल में विभाजित करेगा। ग्राम पंचायत की अधिकारिता के अधीन रहते हुए प्रत्येक सर्किल में उतने ही क्षेत्र समिलित होंगे, जितने उचित हो तथा प्रत्येक सर्किल के एक न्यायपंचायत की स्थापना की जा सकती है।

**सदस्यों की संख्या :** प्रत्येक न्यायपंचायत में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 25 सदस्य होंगे, यदि पंचायत में कोई रिक्त होती है तब भी न्यायपंचायत कार्य करती रहेगी लेकिन पंचों की संख्या नियत संख्या के दो-तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए।

**पंचों की नियुक्ति तथा कार्यकाल :** ग्राम पंचायत के सदस्यों में से उतनी संख्या में से व्यक्ति न्याय-पंचायत के पंच होने के लिए जितनी संख्या नियत की जाय, नियक्ति की जायेगी। यदि न्याय-पंचायत के पंच होने के लिए वांछित संख्या में ग्राम पंचायत के सदस्य उपलब्ध न हो तो नियत प्राधिकारी द्वारा रिक्त को पूर्ण करने के लिए ग्राम सभा के अन्य सदस्यों में से नामांकन कर सकता है न्यायपंचायत के पंच तभी नियुक्त किये जायेंगे जब वह नियत अर्हता पूर्ण करते हैं यदि नियत अर्हता रखने वाले व्यक्ति उपलब्ध न हो तो नियत प्राधिकारी नियत अर्हताओं में से किन्हीं या सभी अर्हताओं को लिखित आदेश द्वारा शिखिल कर सकता है।

**सरपंच तथा सहायक सरपंच का निर्वाचन :** धारा 43 के अधीन नियुक्त पंच में से दो सदस्यों को जो कार्यवाहियों को अभिलिखित करने की क्षमता रखता हो सरपंच तथा सहायक सरपंच के लिए निर्वाचित किया जायेगा।

**कार्यकाल :** न्याय-पंचायत के प्रत्येक पंच का कार्यकाल उसकी नियुक्त की दिनांक से प्रारम्भ होगा और उस ग्राम सभा के कार्यकाल के साथ जिससे वह नियुक्त किया गया है, होगा।

**पंचों को त्याग-पत्र :** पंच, सरपंच अथवा सहायक सरपंच नियत प्राधिकारी को स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा।

**न्यायपंचायत की पीठ :** सरपंच न्याय पंचायत के समक्ष आने वाले आपराधिक वादों तथा जाचों के निस्तारण के लिए एक न्याय पीठ होगी जिसमें पाँच पंच होंगे।

**क्षत्रीय आधिकारिता :** दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए न्यायपंचायत द्वारा विचारण योग्य प्रत्येक आपराधिक वाद उस सर्किल के न्यायपंचायत के सरपंच के समक्ष संस्थित किया जायेगा, जिसमें अपराध किया गया हो।

**सिविल प्रक्रिया सहिता, 1908 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन संस्थित प्रत्येक वाद उस सर्किल के न्यायपंचायत के सरपंच के समक्ष संस्थित किया जायेगा।**

**1.न्यायपंचायत द्वारा संज्ञेय अपराध :** निम्नलिखित अपराध या ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण तथा प्रयास यदि किसी न्यायपंचायत की अधिकारिता के भीतर किये जाये तो न्यायपंचायत द्वारा संज्ञेय होगे—

1. भारतीय दण्ड सहिता, 1860 की धारा 140, 160, 172, 174, 179, 269, 277, 283, 285, 289, 290, 294, 323, 334, 341, 352, 357, 358, 374, 379, 403 तथा 411 (जहाँ धारा 379, 403 तथा 411 के अधीन आपराधिक वादों में चुराई गयी अथवा दुर्विनियुक्त सम्पत्ति का मूल्य 50 रुपये से अधिक ना हो, 416, 428, 430, 431, 447, 448, 504, 506, 509, तथा 510 के अधीन अपराध)
2. पशु अतिचार अधिनियम, 1871(1871 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 24 तथा 26 के अधीन अपराध,
3. सार्वजनिक धूत अधिनियम, 1867 (1867 का अधिनियम संख्या 3) की धारा 3, 4, 7 तथा 13 के अधीन अपराध,
4. ऐसा कोई अन्य अपराध जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके न्यायपंचायत द्वारा संज्ञेय घोषित किया जाये,

5. इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन कोई अपराध।  
**2. भारतीय दण्ड संहिता**, 1860 की धारा 143,145,151, तथा 153 के अधीन किसी अपराध से सम्बन्धित ऐसा कोई आपराधिक वाद जो किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो विचारण के लिए न्यायपंचायत को अन्तरित किया जा सकता है यदि वह न्यायालय की राय में गम्भीर न हो<sup>१</sup>।

**परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिमूर्ति :** न्यायपंचायत 15 दिन के लिए प्रतिमुओं सहित या रहित 1000 रुपये तक की धनराशि का बन्ध पत्र नि पादित करने के लिए आदेश दे सकता है<sup>२</sup>।

**शास्तियाँ :** 1. कोई न्यायपंचायत कारावास तथा मृत्यु दण्डादेश नहीं दे सकती।

2. न्यायपंचायत 250 रु0 तक अर्थदण्ड दे सकती है, किन्तु अर्थदण्ड के भुगतान में चूक किये जाने पर कारावास का दण्ड नहीं दे सकती<sup>३</sup>।

उपर्युक्त न्यायपंचायत के प्रावधानों को संक्षिप्त में किया गया है।

**मूल्यांकन :** न्यायपंचायत का गठन ग्रामीण स्तर पर नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय प्रदान करने के लिए किया गया था। उ0प्र० पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अध्याय 6 में धारा 42 से 94 तक में प्रावधान किया गया है। ग्रामीण स्तर पर न्याय को सफल बनाने के लिए न्यायपंचायत के अध्याय के तहत किए गये सम्पूर्ण प्रावधान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत के स्वतन्त्र होने के बाद इन प्रावधानों को लागू किया गया। गाँधी जी ने असहयोग आन्दोलन के दौरान स्वयंसेवकों को ऐसा करने का निर्देश दिया था। न्यायपंचायत के प्रावधानों को उतनी अधिक सफलता नहीं मिल सकी जितनी शासन को उमीद थी, क्योंकि हमारे ग्रामीण समाज का ढाँचा सामंती था। गांव में दबगों के खिलाफ बोल पाना गरीब के बस में नहीं था। जाति वाद के दूसरे धिनौने रूप सामने आ चुके थे, दलितों की वस्तियों में आग लगाने या गरीबों की बहू-बेटियों पर हाथ डालने की घटनाये सामने आती रहती थी। जमीदारी की प्रथा समाप्त होने के बाद भी जमीदारों का गांवों पर प्रभाव विद्यमान था, जनता उस समय गांवों के जमीदारों के रहमों करम पर जिन्दा थे। गांव की गुटबाजी सीधे तौर पर न्यायपंचायतों को प्रभावित करती थी, न्यायपंचायत में निर्णय पंचों के द्वारा किया जाता था पंचों के चुनाव में गांव के शक्तिशाली लोगों का प्रभाव रहता था। न्यायपंचायत इस प्रभाव के कारण न्याय करने असफल हुई। इन समस्त समस्यों के कारण गांव के गरीब का विश्वास न्यायपंचायत से उठ गया और वे न्याय प्राप्त करने के लिए तहसील तथा दिवानी की तरफ अपना रुख कर लिया।

न्याय पंचायत की असफलता के बाद भारत सरकार की तन्द्रा टूटी, और सन् 1986 में विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट की संस्तुति के आधार पर ग्राम न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया।

**न्यायालय की आवश्यकता :** जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड का मंत्र न्यायालय परिसर के पवित्र लोक की तरह लोग जानते और मानते हैं। लेकिन होता वही है – तारीख पर तारीख देकर लोगों को कोर्ट कच्छरी में उलझा कर रखा जाता है। हालांकि एक लम्बी नींद के बाद भारत सरकार की तन्द्रा टूटी और उसने आनन्-फानन में ग्राम न्यायालय की स्थापना करने का फैसला लिय। इससे गांव के किसानों के जिला न्यायालयों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेग। साथ ही साथ खेती किसानी की ओर वे अधिक समय दे पायेंगे। यह कानून लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण से एक कदम आगे न्याय के विकेन्द्रीकरण की ओर बढ़ा जा सकता है। इस कानून के जरिये सरकार की सोच है कि आम आदमी को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जाय। वर्ततान में 2.5 करोड़ से भी अधिक मामले विभिन्न अदालतों में लिखित हैं। ग्राम न्यायालयों के गठन से मामलों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी।

**ग्राम न्यायालय का न्यायिक निर्माण :** विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट ग्राम न्यायालय के विचार का प्रक्रमक थी। ग्राम न्यायालय एक ग्रामीण अदालत के रूप में बसा हुआ है जो पुरे देश के तालुका स्तर पर स्थापित किया जायेगा। यद्यपि कि प्रत्येक तालुका स्तर पर इसका मुख्यालय होगा, यह एक तालुका के भीतर विभिन्न गांवों की यात्रा करने की उमीद थी और इसलिए यह एक चल न्यायालय है। यह ग्राम न्यायालयों पर आधारित मौलिक विचारों में से एक है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के दरवाजे के चरण में न्याय प्रदान करना है। 1986 में अपनी रिपोर्ट में विधि आयोग के अन्य प्रमुख कारणों में से एक ऐसा मॉडल बनाना था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों के लिए सहभागिता के न्याय का एक ढाँचा प्रदान करता है।

सहभागिता सम्बन्धी न्याय का एक मॉडल प्राप्त करने की इच्छा का एक विस्तार भी विधि आयोग के एक शक्ति के प्रतिकूल प्राणाली की जगह ग्राम न्यायालयों में एक सहमति, समाधान कारी प्रक्रिया के रूप में पाया गया है। जों के लेट-लतीफी एक चल न्यायालय की उपस्थिति, बल्कि प्रक्रियात्मक कानून के कम आवेदन से भी बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने की मांग की गयी थी। 2009 के अधिनियम में सहमति विवाद के लिए इस इच्छा का एक अलग प्रारूप है, और ग्राम न्यायालय पर एक दायित्व रखता है कि सभी नागरिक मामलों को पहली बार पक्षकारों की सहमति से या औपचारिक समझौता प्रक्रिया द्वारा हल करने का प्रयास किया जायेगा। इस अधिनियम में मामलों की सुनवाई, हालांकि कम प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के साथ प्रदान की जाती है। यह स्पष्ट हाना चाहिए कि अधिनियम पक्षों पर विवादों के विवादास्पद समाधान को लागू नहीं करता है, वे वैमनस्यपूर्ण निर्णय लेने और वकील को उनके लिए ग्राम न्यायालय से पहले प्रकट करने के लिए संलग्न कर सकते हैं; यदि कोई सौहार्दपूर्ण संकल्प संभव नहीं दिखाई देता है।

न्यायक्षेत्र के सन्दर्भ में, विधि आयोग, क्रमशः ग्राम न्यायालयों को अपेक्षाकृत व्यापक न्यायक्षेत्र प्रदान करने के पक्ष में था, जो कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी और सिविल न्यायधीश (जूनियर डिवीजन) के साथ अपराध और सिविल मामलों में क्रमशः सह-व्यापक रूप से था। 2009 का अधिनियम पूरी तरह से इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, ह बल्कि इसके वजाय, उच्चन्यायालय ने वित्तीय सीमा निर्धारित करने की अनुमति देकर क्रमशः इसकी पहली और दूसरी अनुसूचियों में क्रमशः दोनों अपराधों के साथ-साथ सिविल मामलों में ग्राम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। विधि आयोग की रिपोर्ट में चर्चा के साथ-साथ 2009 में अधिनियम के अधिनियमन से पहले विधायी बहस से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में

आम तौर पर पैदा होने वाले आपेक्षाकृत सरल मामलों के साथ ग्राम न्यायालयों पर भरोसा करने की प्रक्रिया कुछ हद तक संरक्षक की इच्छा का पता चलता है। इस सब का नतीजा यह है कि ग्राम न्यायालय के पास न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या सिविल न्यायालय जूनियर डिवीजन के तुलनीय अधिकार क्षेत्र है।

2009 के अधिनियम में ग्राम न्यायालय के फैसलों से अनुमति प्राप्त की जान वाली अपीलों की संख्या को भी सीमित कर दिया, इसके बजाय अधिनियम ने एक विशिष्ट आर्थिक मूल्य के ऊपर सिविल मामलों को अपील का प्रावधान, और आपराधिक मामलों में जहाँ आरोपी को दोषी नहीं माना गया है, या 1000 रु0 से अधिक जुर्माना देने का आदेश दिया गया है। ग्राम न्यायालयों के फैसले से अपील करने का अधिकार का यह बयान कुछ लोगों के लिए चिन्ता का स्रोत रहा है। आपराधिक मामलों में ग्राम न्यायालय से अपील सत्र न्यायालयों द्वारा सुनी जायेगी, जबकि जिला न्यायाधीशों द्वारा सिविल मामलों में सुनवाई की जायेगी। एक बार फिर, यह उन्हें प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और जूनियर डिवीजन के सिविल न्यायाधीशों के समान स्तर पर रखता है।

अन्त में, जबकि विधि आयोग ने प्रत्येक राज्य में न्यायाधीशों का एक विशिष्ट कैडर तैयार करने का निर्देश दिया था, 2009 का अधिनियम ऐसा नहीं करता। इसके बजाय अधिनियम केवल यह निर्धारित करता है कि प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किये जाने वाले पात्र व्यक्तियों को न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए योग्यता प्राप्त होगी। यह सवाल कि ये व्यक्ति नियमित न्यायपालिका के सदस्य होंगे यह बाहर से तैयार किये जायेंगे स्पष्ट नहीं<sup>1</sup>।

#### **सन्दर्भ :**

1. eminenceias.com rural development by Mahatma Gandhi
2. उ0 प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 42
3. उ0 प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 43
4. उ0 प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 44
5. उ0 प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 45
6. उ0 प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 47
7. उ0 प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 49
8. उ0 प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 52
9. उ0 प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 53
10. उ0 प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 54
11. विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट, 1986

## राही मासूम रजा और उनका सिनेमाई संसार प्रियंका यादव\*

\*शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, श्री गांधी पी०जी० कालेज, मालटारी, आजमगढ़, उ०प्र०

**सारांश :** यह अध्ययन राही मासूम रजा और उनका सिनेमाई संसार को रेखांकित करता है। डॉ० राही मासूम रजा जितने बड़े उपन्यासकार थे, उतने ही बड़े संस्कृति और समाजशास्त्री भी थे। फिल्मी दुनिया में व्याप्त कचरों को साफ करने की पूरी-पूरी कोशिश की। उनकी विशेषता यह थी कि न उन्होंने समझौता किया, न मैदान से पलायन किया। यह शोध पत्र विवरणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है। जो पूर्व के अध्ययनों से अलग है तथा अध्ययन विषय एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं।

**मुख्य शब्द :** भारतीय संस्कृति, कलात्मकता, भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज व्यवस्था, साहित्य शिक्षा आदि।

डॉ० राही मासूम रजा ने आधुनिक भारतीय संस्कृति के नैतिक पतन के दार में रचना—जगत में प्रवेश किया। आधुनिक सिनेमा में हिंसा, चोरी, डकैती, अवैध रिश्ते, नशीले पदार्थों का व्यापार, सेक्स—व्यभिचार, मार—काट आदि को प्रमुखता मिलने लगी थी। उनके फिल्म जगत में प्रवेश करते—करते तीन प्रकार की फिल्में बनने लगी थीं। पर्दे पर सफलता को दृष्टि को ध्यान में रखकर निर्मित फिल्में, पोर्न फिल्में और कला फिल्में। कलात्मकता की दृष्टि से कला फिल्मों का महत्व अपनी जगह है, किन्तु उसे समझने की प्रकृति बहुत कम लोगों के पास होती है। डॉ० लता बी. एस. ने लिखा है कि “भारतीय सिनेमा ने समाज में अमीर—गरीब, शहरी—ग्रामीण, हिन्दू—मुस्लिम जातीय श्रेष्ठता तथा कनिष्ठत्व, स्त्री और पुरुष आदि पीढ़ी के अन्तर्विरोधों के उनके आपसी टकराव को अत्याचार को, शोषण को, अहंकार को फिल्म के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। केवल विरोधात्मक या नकारात्मक पहलू को ही नहीं, बल्कि उसक उज्ज्वल पक्ष को, सौहार्द को और मानवीयता को भी उतने ही शक्ति के साथ लोगों को उनके सामने रखा। धर्म, जाति, भाषा तथा प्रदेश इन सभी को लांघकर मानवीयता, बंधुत्व, राष्ट्रीय प्रेम, हिन्दी उदात्त तत्वों को फारसी फिल्मों में केन्द्रियता मिली है।”<sup>1</sup> यदि यह सही है तो भारतीय संस्कृति के प्रति आज के सिनेमा में उपेक्षा का भाव क्यों दिखायी देता है? वर्तमान भारतीय फिल्मों का युग वर्तमान पतनशील भारतीय समाज व्यवस्था का ही प्रतिबिम्ब है। कहना होगा कि नैतिकता का लगातार क्षरण हो रहा है। फिल्मी दुनिया में रिश्तों का काई महत्व नहीं रह गया है। सेक्स का खुला व्यापार चल रहा है। सुख—सुविधाओं को पाने की दौड़ में सिनेमा के दर्शक अपने अन्दर की मानवता और भारतीय मूल्यों को ही भुला बैठते हैं। यद्यपि कुछ अच्छी फिल्में भी बनी हैं, किन्तु खराब फिल्में अधिक बनी हैं, जिनका व्यापक असर समाज पर पड़ा है। आज इतिहास पर आधारित पुकार तथा सिकन्दर जैसी फिल्में क्यों नहीं बन रही हैं। युवा पीढ़ी पर फिल्मों के नायक—नायिकाओं के प्रेम को उनके जीवन की घटनाएँ समझना तथा स्वयं को नायक—नायिक रूप में देखकर फिल्मी सितारों से इश्क करने तथा फिल्मों में काम करने के लिए घर से भागकर मुम्बई आने वाले युवक—युवतियों की कमी नहीं है। वे न केवल अपने पैसे बर्बाद करते हैं, अपना जीवन भी बर्बाद कर लेते हैं।

हिन्दी में कुछ बड़े लेखकों के श्रेष्ठ उपन्यासों पर वे फिल्में बनी हैं। जैसे चित्रलेखा, सदगति, सारा आकाश, शतरंज के खिलाड़ी, मारे गए गुलफाम, परिणीता, देवदास, गाइड, काली आंधी तथा आसाद का एक दिन अत्यन्त उल्लेखनीय हैं। इलेक्ट्रानिक मीडिया के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण आधुनिक शिक्षा प्रणाली में काफी परिवर्तन हो रहा है। बाबूलाल का कहना है कि “साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में भी चलचित्र का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कालिदास का अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक जो सात अंक का है, पढ़ने में काफी समय व्यतीत हो जाएगा और पढ़ने के बाद भी उसके पात्र, स्थल आदि के बारे में जानकारी भी नहीं रहेगी, परन्तु यदि इसी को चलचित्र पर उतारकर दिखाया जाए तो पूर्ण नाटक को तीन घण्टों में दिखाया जा सकेगा और उसमें निहितसारी जानकारी को चित्रपट के माध्यम से भली भांति समझा जा सकता है।”<sup>2</sup> प्रश्न यह है कि अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक को फिल्म के रूप में देखने वाले कितने होंगे और समझने वाले कितने होंगे। वर्तमान के प्रश्नों का उत्तर अतीत में मिलना सम्भव नहीं है। राही मासूम रजा के उपन्यासों में चित्रित फिल्मी दुनिया का परिदृश्य नितांत अलग है। एक सृजनात्मक लेखक जो केवल शब्द की तूलिका से जीवन का चित्र रचता है और बाद में उसे दृश्य रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है तो उसे एक गहरे आत्मसंघर्ष से गुजरना पड़ता है। राही मासूम रजा के उपन्यासों पर बनी फिल्मों में जीवन का यथार्थ चलचित्र की तरह ही दिखायी देता है। हिम्मत जौनपुरी उनका चरित्र प्रधान छोटा उपन्यास है, किन्तु उस पर बनी फिल्म कई दृष्टियों से व्यापक परिप्रेक्ष्य को हमारे सामने लाती है। हिम्मत के जीवन के अनेक अंशों को जोड़कर यह उपन्यास लिखा गया है। वह एक साधारण व्यक्ति था, जिसे उपन्यास में भी और चलचित्र में भी राही मासूम रजा ने असाधारण बना दिया है। हिम्मत जौनपुरी में बेरोजगारी का मार्मिक चित्रण है।

बम्बई में यमुना ही है जो हिम्मत से प्यार से बोलती है। हिम्मत को पूरा विश्वास है कि यमना उसका साथ जरूर देगी। हिम्मत जौनपुरी में यमुना अपना नाम बदलकर जुबैदा रख लेती है। उसकी मान्यता है कि इस धर्म में मुसलमानी नाम हो तो धर्म और भी चलता है। राही मासूम रजा संवादों के क्षेत्र में केवल उपन्यास ही नहीं, बल्कि अपनी फिल्मों व टी.वी. सीरियलों में और भी स्पष्ट होते हैं। हिम्मत जौनपुरी उपन्यास में बम्बई महानगरी का चित्रण करते हुए राही मासूम रजा लिखते हैं कि “वह बड़ा बेदर और बेमूरैव्यत शहर है और यह बदन से मशीन और दिलों से पत्थर तक फैला हुआ है। डिब्बियों और बोतलों के सिवा यहां कोई चीज असली नहीं है और असली डिविया में नकली पालिश हमारे देश का भविष्य है तथा जूतों पर पालिश की जाती है, वह

हम खुद हैं। मैं आते ही इस शहर की शान पर चढ़ गया। मेरी आत्मा के फालतू हिस्से धिस रहे हैं। शायद यह शहर जीत जाए और आज का जो राही मासूम रजा है, वह केवल एक चमचा दिखायी दे।<sup>3</sup> मुर्बई जैसे महानगर में फिल्मी संस्कृति का विकास निरन्तर हो रहा है। इस विकास में मानवीय जीवन की अनदेखी की जा रही है। इस उपन्यास में शारदा के साथ बलात्कार होता है। रफ्फन को पद से अयोग्य ठहराने के लिए सर्स्पेंड कर दिया जाता है। अपनी नौकरी छूटने के बारे में वह जन्त को नहीं बताता। रफ्फन फिर बम्बई लौटता है और वहां कहानियां बेचना शुरू करता है। अब वह थक जाता है, उसे ऐसे में जैदीविला की याद आती है और उसे ढाका से आया हुआ भाईजान का पत्र मिलता है। राही लिखते हैं कि 'रफ्फन बेवफूफी मत करो, वहां क्या धरा है। अब भी आ जाओ तो जिंदगी बन जाएगी। जो मुल्क तुम जैसे शायर को सवा दो सो रुपए महीने से ज्यादा नहीं दे सकता, वह मुल्क इस काबिल नहीं कि उससे प्यार किया जाए। गोली मारो उस मुल्क को।' मैंने ढाका यूनिवर्सिटी में बात चलायी है, मगर यह तो वही किस्सा हुआ कि मुर्बई सुस्त और गवाह चुस्त।<sup>4</sup> रफ्फन अपने भाई के पास न जाने का फैसला करता है। इस फैसले से उसकी थकान तथा मानसिक तनाव दूर हो जाता है। रफ्फन अपने आप को नये संघर्षों से जुटाता है। यह प्रोड्यूसर को उसके घर में नहीं पकड़ना चाहता है ताकि उससे एग्रीमेंट का थोड़ा-बहुत पैसा ले सके।

'दिल एक सादा कागज' में हिन्दुस्तान के बड़े शहरों में इधर पैदा हुए एक नये कलास को सामने लाया गया है। राही मासूम रजा ने मुख्य रूप से मध्यवर्ग में पायी जाने वाली दिव्यता का चित्रण किया है। लेखक स्वयं एक प्रतिष्ठित साहित्यकार है तथा वह फिल्मी जगत में कहानियां लिखकर जीविकोपार्जन करना चाहता है। उन्होंने लिखा है कि 'बहुत दिनों तक वह उपन्यासकार न बन सका। हिम्मत ही नहीं पड़ी, पर जब जन्त ने नोटिस दिया कि अब घर नहीं चल सकता तो उसे उपन्यासकार बनना ही पड़ा। जन्त सूरत पर सवार रहती है कि जल्दी खत्म होने या न होने से कोई दिलचस्पी न थी। वह तो यह चाहती थी कि उपन्यास खत्म हो कि घर में पैसे आएं। बाकी बिलों, तकाजों के खाते से जान छूट। उपन्यास विस्तर की चादर, गेंहू की बोरी, नमक का पैकेट, लौंग की फड़िया और चाय का डिब्बा बन जाए।'<sup>5</sup> जन्त यह जानती थी कि इस प्रकार उत्तम साहित्य की रचना नहीं की जा सकती, परन्तु आधिक स्थितियों के कारण वह विवश थी। राही ने उपन्यासों के बदलते स्वरूप पर भी दृष्टिपात किया है और अपने उपन्यासों में उसको ठीक ढंग से समाहित किया है। फिल्म जगत का यह यथार्थ है, जो पहले पर्दे पर बड़ी मोहक मुद्रा पर दिखायी पड़ता है, यानी सच को तो सात तालों और सात पर्दों में रखकर झूठ को अच्छी तरह रंग रोगन करके दर्शकों के सामने परोस दिया जाता है। डॉ. कुंवरपाल सिंह ने लिखा है कि 'यद्यपि फिल्मी पत्रिकाओं और अखबारों में हीरो-हिरोइनों के किस्से अक्सर छपे रहते हैं और सामान्य पाठक इसी को मजे लेकर पढ़ते और सोचते रहते हैं कि हिरोइनों कितनी स्वच्छन्द और बिदास होती हैं, लेकिन फिल्मी पत्रिका और अखबारों में या फिल्मों में उनकी उत्तेजक मुद्राओं को देखकर सिसकारी भरने वाले पाठक या दर्शक यह नहीं जान पाते कि यह तो हीरो या प्रोड्यूसर के रतिक्ष की रतिक्रीड़ा का तलछट मात्र है। इसके बावजूद इस तलछट के जरिए ही फिल्म निर्माता दर्शकों को बेवकूफ बनाकर लाभ कमाते हैं। इसीलिए वे कहानी लेखक से ऐसी धांसू कहानी तैयार करवाते हैं, जिससे फिल्म हिट हो जाए। धांसू कहानी से तात्पर्य ऐसी कहानी से है, जिसमें भरपूर सेक्स हो।'<sup>6</sup> राही ने अपने उपन्यासों के मूल बिन्दु से कोई समझौता नहीं किया। प्रोड्यूसर और उनके बीच सब कुछ हर समय सामान्य नहीं रहता था। फिल्मी गीतकार बागी होने से डरते रहे हैं। गीतलेखन में भी प्रतिस्पर्धा होती थी।

लेखक अक्सर कहानी लिखने के लिए प्राइड्यूसर से प्रेरित होते थे। राही मासूम रजा ने लिखा है कि 'यहां कहानियां लिखना कौन जानता है। यहां तो सबसे बड़ा राइटर वह है, जो किसी की कहानी मार सके, जो हिन्दी कहानियों का चोला बदल सके। हीरो को हिरोइन और हिरोइन को हीरो बनाकर नयी कहानी लिख सके। पहले हिन्दी फिल्में देखकर दो-चार उपन्यास लिखो। हिन्द पाकेट बुक्स में छपवाओ। प्रोड्यूसरों-डायरेक्टरों को तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, पर उनकी बीवियां गजब की पढ़ाकूँ होती हैं। सूरत से ही काबिल दिखाई देती हैं और उन्हें काबिल बनाने में पाकेट बुकों का बड़ा हाथ होता है।'<sup>7</sup> फिल्मी दुनिया में अच्छे-से-अच्छे लेखक को प्रोड्यूसर तथा डायरेक्टर की मांग पर काम करना होता है। उर्दू का शायर है, हिन्दी का गीतकार है। यदि वह बाक्स आफिस पर सफल नहीं होता तो उसका कोई मतलब नहीं होता।

'सीन-75' का मुख्य विषय फिल्मी संसार से ही सम्बन्धित है। उपन्यास की कहानी अली अमजद से शुरू होती है। अली अमजद लेखक बनने बम्बई जाता है। जब वह फिल्मी दुनिया में आता है तो वह डिक्रूज गेस्ट हाउस के मच्छरों और खटमलों के कमरों में रहता है। सीन-75 अली अमजद और हरीश की पहली फिल्म होती है। ये लोग मनचंदानी की बिल्डिंग में रहते हैं। मनचंदानी की पत्नी साधना है। वह फिल्मी दुनिया से सम्बन्ध बनाए रखना चाहती है। वहां एक स्त्री है, जिसे आदमखोर कहा जाता है। नाम है, रमा, वह मुसलमानों से धूणा करती है। भोलानाथ चोपड़ा उसका पति है। सरला रमा की सहेली है। सरला ही रमा चोपड़ा के सारे खर्च उठाती है। फिर भी रमा सरला से ईर्ष्या करती है। 'सुरक्षांगार' सोसायटी में नजमा नाम की एक कालगाल है, जो नीली के नाम से फिल्मों में छोटे-छोटे रोल किया करती है और असिस्टेंट डायरेक्टरों में बहुत पापुलर हो चुकी है। हरीश से नजमा का कोई सीरियस किरम का इश्क नहीं रहता। वी.डी. और रोजी का एकतरफा प्रम लोक मानस की सहज अभिव्यक्ति है। सीन-75 के हरीश नामक डायरेक्टर की किसी नयी फिल्म में साइड हिरोइन बनने वाली कोई नयी लड़की रात भर उसका बिस्तर गर्म करती है और सुबह जैसे ही हरीश अपने दोस्त अमजद के मृत्यु की खबर पाता है, वैसे ही परेशान हो जाता है। फिल्म निर्माताओं की शर्तों को मानने वाली और बड़े अभिनेताओं को पसन्द आने वाली नयी लड़कियों को फिल्मों में रोल मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती, जबकि युवकों के मामले में स्थिति बिल्कुल भिन्न है। बम्बई में आने वाले अधिकांश युवक फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने आ जाते हैं। उनके सपने बड़े होते हैं, लेकिन यहां उनका कोई गॉडफादर नहीं होता। इसलिए वे दर-दर की ठोकरें खाते हुए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। राही मासूम रजा ने लिखा है कि 'यह समाज नामों का एक जगल है। अली अमजद ने भी अपने आपको नामों के एक घने जंगल में अकेला पाया था। यही हाल सबका है। सभी नामों के घने जंगल में अपने व्यक्तित्व के टूटे हुए आइने में हजार सिरों वाले राक्षस बने खड़े हैं। और अपने आपको डरा रहे हैं। आगे कोई कल नहीं है। शुरू

में मैंने जिस सम्बन्धीन सम्बन्ध की बात कही है, वह यही है। यहां लोग संघर्ष के दिनों में ही आत्मीय होते हैं या जब तक उनकी गाड़ी चल रही होती है। लोग उससे आत्मीयता का स्वाग करते हैं। यहां लोग मजबूरी में सम्बन्धों को ढोते हैं। फंदा जी यह जानते हुए भी कि उनके नौकर रामनाथ के अवैध सम्बन्ध न केवल उनकी पत्नी से है, बल्कि उनकी बेटी से भी है और वह उन पर हुक्म भी चलाने लगा है, वह उसे डांटने डपटने या घर से बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाते। चूंकि उन्हें इस बात का डर था कि यहीं से निकलते ही रामनाथ को कोई—न—कोई फिल्मी लेखक हथिया लेगा और ऐसी स्थिति में उनकी वर्जिनल कहानियों का स्रोत सूख जाएगा। वस्तुतः स्वच्छन्द यौनाचरण वाले लोग मान—मर्यादा को दरकिनार करके अर्थलाभ को सर्वाधिक महत्व देते हैं, इसीलिए फंदाजी जैसे लोग अपनी बेटी और बिली के प्रेमी को छंछूदर की तरह निगलने में ही भलाई समझते हैं। रामनाथ उनसे अलग न हो जाए, इसलिए वे फिल्मी दुनिया की पहली लेखक जोड़ी मानते हैं—फंदा—रामनाथ।<sup>18</sup> फिल्म इंडस्ट्री में नवधनादाय वर्ग की उस विकसित भोथरी चेतना का स्वरूप देखने को मिलता है। समाज में आदर्श बधारने वाले कितने गिरे होते हैं, यह भी देखना महत्वपूर्ण है। सीन—75 में कथा के बीच में राही साहब का एक छोटा—सा आत्मवक्तव्य है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि “इस कहानी के तमाम पात्र काल्पनिक हैं और आधुनिक भारतीय समाज से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। यदि किसी को अपनी या अपने किसी दोस्त की झलक मिल जाए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं पर मैं कोई अल्लाह मियां तो हूं नहीं कि मनगढ़त सूरते बनाता रहूं। मैं तो देखी—भाली सूरतों को ही काट—छांट के अपनी कहानी के काबिल बनाता हूं।”<sup>19</sup> यह आत्मवक्तव्य अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। रचनात्मक समस्याएं या पात्र वायवीय नहीं होते, बल्कि यथार्थ होते हैं, परन्तु इतना जरूर है कि रचना का कोई चरित्र प्रायः अन्य चरित्रों का संश्लिष्ट रूप होता है। फिल्म इंडस्ट्री में तरह—तरह की चालबाजियां और कलाबाजियां होती रहती हैं। वहां सपनों का दिव्य संसार है।

डॉ० राही मासूम रजा ने सिनेमा जैसे लोकप्रिय कला माध्यम की क्षमता और संवेदनशीलता को भली भाँति पहचाना और प्रयोग करने वाले रचनाकार और चिन्तक के रूप में हमारे सामने आए। उनका कहना था कि “मैं साहित्य के आलोचकों पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। फिल्म जो साहित्य का सबसे प्रगतिशील फार्म है, वह हमारे आलोचकों की स्नौवरी का शिकार होकर रह गयी। हमारी यूनिवर्सिटीयों में केवल कविता और उपन्यासों का पाठ क्यों करवाया जाता है, फिल्म क्यों नहीं दिखायी जाती। हमारे प्रो. फिल्म देखने को घटिया बात क्यों समझते हैं। जब तक समाज म हम फिल्म को उसकी अपनी जगह नहीं देंगे, तब तक हमें उससे कोई मांग करने का हक नहीं है।”<sup>20</sup> राही ने फिल्म जगत को रचनात्मक रूप देने की भरसक कोशिश की। वे कहानी को फिल्म की रीढ़ मानते थे। यदि कहानी मजबूत है तो पटकथा मजबूत होगी और पटकथा मजबूत होगी तो संवाद मजबूत होगा। सवाद की संवेदना वे अच्छी तरह पकड़ते हैं। सिनेमा लोगों को सुख प्रदान करता है तथा इस सुख से वह समाज को स्वस्थ बनाने की लड़ाई लड़ता है। जिस प्रकार मूल्यहीन साहित्य बेकार है, उसी तरह मूल्यहीन सिनेमा भी त्रुटिपूर्ण है। प्रेमचन्द, यशपाल जैस महान लेखकों ने फिल्म में हाथ आजमाने की कोशिश की, लेकिन थोड़े ही दिनों में उन्हें फिल्म जगत रास नहीं आया।

महाभारत सीरियल की चर्चा के क्रम में राही मासूम रजा के चलचित्र सम्बन्धी दृष्टि पर पर बात की ही नहीं जा सकती। महाभारत नामक धारावाहिक के कारण इनका नाम पूरे देश में हो गया। छोटे पर्दे की महाभारत ने राही मासूम रजा को इस रवि—कवि से एक कदम आगे की राह दिखा दी और वे सचमुच हमेशा के लिए सबसे लाडले रचनाकार बन गए। महाभारत के संवादों को सुनते हुए उनकी प्रतिभा और मेधा दोनों का पता चलता है। राही मासूम रजा ने जिन फिल्मों में अपना योगदान दिया है, वे हैं, आइना, परम्परा, निश्चय, जिन्दगी एक जुआ, जूरी, प्यार का साया, लम्हे, जवानी जिन्दाबाद, जेटिलमैन, गूँज, दोस्त गरीबों का, कमांडो, डांस—डांस, ईमानदार, अनुभव, आखिरी रास्ता, कालधंधा गोरेलोग, आपके साथ, इस्लाम, बात बन जाए, सवेरे वाली गाड़ी, जूठी, सीतंगार, उल्टा—सीधा, तवायफ, जमीन—आसमान, जाग उठा इंसान, डिस्को डांसर, बड़े दिल वाला, अच्छा बुरा, प्रेम तपस्या, किसी से न कहना, मैं अवारा हूं, निकाह, तेरी मांग सितारों से भर दूँ बेमिशाल, मैं इंतेकाम लूँगा, जीवनधारा, एक ही भूल, राकी, नरम—गरम, हम पांच, संगीत, दो प्रेमी, जुदाई, जुर्माना, गोलमाल, मैं तुलसी तेरे आंगन की, फांसी, हत्यारा, कोतवाल शाब, आलाप, बैराग, मिली, प्रेम कहानी, पत्थर और पायल, रास्ते का पत्थर आदि। राही ने भारतीय सिनेमा को एक अलग रंग और आयाम प्रदान किया। फिल्मी दुनिया को समाजोपयोगी बनाने के लिए आज राही मासूम रजा जैसे साहित्यकारों की जरूरत है, जो फिल्मों की दुनिया को वितृष्णा से न देखें। राही एक बड़े चिंतक भी थे। उनके फिल्मों में सामूहिक प्रयास नजर आता है। वे 25 साल तक फिल्म जगत से जुड़े रहे। 300 से अधिक फिल्मों की पटकथा और संवाद लिखे। उन्होंने फिल्म मनोरंजन का साधन मात्र है, इसका रचनात्मक खड़न किया। सिनेमा के माध्यम से जो अपसंस्कृति फैल रही है, उसका भी रचनात्मक विरोध किया। सच्चे अर्थों में वे अपने आप में सिनेमा जगत को साफ—सुथरा करने के एक वृहत्तर आन्दोलन थे।

### सन्दर्भ :

1. डॉ० लता बी. एस. : डॉ० राही मासूम रजा के उपन्यासों में चित्रित फिल्मी दुनिया, पृष्ठ—31.
2. बाबूलाल जोशी : निबन्ध सरिता, पृष्ठ—147.
3. राही मासूम रजा : हिम्मत जौनपुरी, पृष्ठ—100.
4. राही मासूम रजा : दिल एक सादा कागज, पृष्ठ—126.
5. राही मासूम रजा : दिल एक सादा कागज, पृष्ठ—79.
6. डॉ० कुंवरपाल सिंह : राही और उनका रचना—संचार,
7. राही मासूम रजा : दिल एक सादा कागज, पृष्ठ—202.
8. राही मासूम रजा : सीन—75, पृष्ठ—115.
9. राही मासूम रजा : सीन—75, पृष्ठ—57
10. राही मासूम रजा : सिनेमा और संस्कृति, पृष्ठ—56.

## फर्झखाबाद जनपद की अर्थव्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ० विनोद कुमार तिवारी\*

\*एस० प्रोफेसर, डी०एन० कालेज, फतेहगढ़, उ०प्र०

**सारांश :** प्राचीन काल से ही राजनैतिक पटल पर चर्चित रही जनपद फर्झखाबाद की धरा गौरवमय इतिहास की साक्षी रही है। लगभग 2181 वर्ग किमी क्षेत्रफल तथा 18.85 लाख जनसंख्या वाला यह जनपद तीन तहसीलों और सात विकास खण्डों में विभक्त है। आलू गन्ना एवं तम्बाकू मुख्य नकदी फसलें हैं। शीतगृह बड़ी संख्या में हैं। जरदोजी (इम्ब्रायडरी) प्रमुख उद्योग है जिसके उत्पाद न केवल सम्पूर्ण देश में लोकप्रिय हैं बल्कि विदेशों में भी निर्यात किये जाते हैं। फर्झखाबाद-फतेहगढ़ नगरयुग्म के अतिरिक्त नीबकरोरी, संकिसा और कम्पिल प्रमुख पर्यटन केन्द्र हैं। गंगा तट पर स्थित होने के कारण विभिन्न स्नान पर्वों के साथ हो माघ के महीने में लगने वाला रामनगरिया मेला (माघमेला) पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बिन्दु होता है। इस शोधपत्र में प्रामाणिक द्वितीयक समंकों का उपयोग किया गया है। शोधपत्र का उद्देश्य जनपद की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण कर नीतिनियताओं को विकास के लिए सुझाव देना है।

**मुख्य शब्द :** जिला घरेलू उत्पाद, कृषि, आलू, शीतगृह, जरदोजी, पर्यटन आदि।

**परिचय :** पतित पावनी माँ गंगा के पावन तट पर बसा फर्झखाबाद प्राचीन एतिहासिक धरोहरों, गौरवशाली परम्पराओं और अक्षुण्ण स्मृतियों को संजोये हुए है। प्राचीनकाल से ही भारतीय इतिहास में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण रहा है। महाभारत काल में सौलह महाजनपदों में से एक पांचाल महाजनपद में यह क्षेत्र सम्मिलित था। फर्झखाबाद जिले का एतिहासिक नगर कम्पिल (महाभारतकालीन काम्पिल्य) दक्षिण पांचाल की राजधानी थी। इसी काम्पिल्य के राजा द्वुपद की पुत्री राजकुमारी द्वौपदी स्वयंवर में जल में प्रतिविम्ब देखकर मछली की आंख बेधने वाले अर्जुन का वरण करके विष्णुत हुई। जनपद के विभिन्न स्थानों पर प्रागैतिहासिक काल के कांसे के हथियार और बर्तन प्राप्त हुए हैं जो कि सम्भवतः कांस्ययुगीन हैं। कम्पिल सहित विभिन्न स्थानों पर भूरे एवं चित्रित भूरे मृदभाष्ट भी प्राप्त हुए हैं जो कि अतरंगी खेड़ा (जनपद एटा) और हस्तिनापुर में मिले मृदभाष्टों के समान हैं। इससे स्पष्ट है कि पांचालों के घनिष्ठ राजनैतिक और व्यापारिक सम्बन्ध हस्तिनापुर के कुरुओं से थे। सन् 1342 के आसपास मोहम्मद तगलक फर्झखाबाद आया था। तत्कालीन कुछ प्रासारिक तथ्यों में फर्झखाबाद का नाम स्वर्गनगरी भी उल्लिखित है (आपके लिए फर्झखाबाद, 1997)। सन् 1478 में जौनपुर के शर्की शासकों को पराजित करके दिल्ली के लोदी शासक ने खोरगढ़ का नाम बदलकर शमशाबाद तथा राजगढ़ का नाम बदलकर फतेहगढ़ रख दिया था। सन् 1714 ई० में नवाब मोहम्मद खाँ बंगश ने दिल्ली के मुगल बादशाह फर्झखसियर के नाम पर वर्तमान फर्झखाबाद नगर बसाकर अपनी सत्ता का केन्द्र बनाया।

**वर्तमान में जिला फर्झखाबाद तीन तहसीलों (फर्झखाबाद सदर, कायमगंज, अमृतपुर) और सात विकासखण्डों (बद्दुपुर, कमालगंज, राजेपुर, मोहम्मदाबाद, कायमगंज, नवाबगंज और शमशाबाद)में विभाजित है। जनपद का कुल क्षेत्रफल 2181 वर्ग किमी है जिसमें से 2133 वर्ग किमी ग्रामीण तथा 48 वर्ग किमी नगर क्षेत्र हैं। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद में 9 नगर तथा 1005 ग्राम ह। जनपद के 9 नगरों में 7 संवैधानिक नगर हैं जिसमें से 2 में नगरपालिका, 4 में नगर पंचायत तथा एक कैन्टोनमेंट बोर्ड है। जनपद में कुल 512 ग्राम पंचायतें हैं। वर्ष 2011 में जनपद की कुल जनसंख्या 18.85 लाख थी जिसमें से 14.69 लाख (78 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्र में तथा 4.16 लाख (22 प्रतिशत) नगर क्षेत्र में निवास करती है। कुल जनसंख्या में 53 प्रतिशत पुरुष और 47 प्रतिशत महिलायें हैं। जनपद में साक्षरता दर 69 प्रतिशत है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 67.8 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 73.4 प्रतिशत है।**

**उद्देश्य :** इस शोध अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य जनपद की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना, जनपद की अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों का अध्ययन करना और जनपद के आर्थिक विकास के लिए समुचित सुझाव देना है।

**शोधविधि :** इस शोधपत्र में विश्लेषणयुक्त विवरणात्मक शैली को अपनाया गया है। शोधपत्र में द्वितीयक समंकों का उपयोग किया गया है। द्वितीयक समंकों का संकलन सरकारी और विश्वसनीय गैर सरकारी पत्र-पत्रिकाओं, रिपोर्टों, समाचार पत्रों तथा इन्टरनेट पर उपलब्ध विश्वसनीय स्रोतों से किया गया है।

**जिला घरेलू उत्पाद :** किसी राष्ट्र, प्रदेश या जिले की समृद्धता और विकास का आंकलन करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का एक संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्रोतों से प्राप्त होता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि फसलें, पशुधन, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता ह। फर्झखाबाद जनपद के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2019-20 में 3790.4 करोड़ रु० था। द्वितीयक (माध्यमिक) क्षेत्र में उत्पादन, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और निर्माण कार्य को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र का योगदान 1408.98 करोड़ रु० था। तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, मरम्मत, होटल व्यवसाय, परिवहन, संग्रहण, संचार, वित्तीय सेवायें, संपदा, लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवा क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र का योगदान 5998.3 करोड़ रु० था। तीनों क्षेत्रों को मिलाकर फर्झखाबाद का जिला सकल घरेलू उत्पाद 2019-20 में 11197.63 करोड़ रुपये था। विगत तीन वर्षों में जनपद के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर 10 प्रतिशत से अधिक रही। जिला सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 33.85 प्रतिशत है जबकि प्रादेशिक औसत 25.4 प्रतिशत तथा राष्ट्रीय औसत 20.3 प्रतिशत है इससे स्पष्ट है कि जनपदीय अर्थव्यवस्था की कृषि पर निर्भरता अधिक है। दूसरी

ओर जनपद औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है। यहां द्वितीयक क्षेत्र का जिला सकल घरेलू उत्पाद में योगदान मात्र 12.58 प्रतिशत ही है जो कि प्रादेशिक औसत 24.9 प्रतिशत तथा राष्ट्रीय औसत 24.7 प्रतिशत से बहुत कम है।

**कृषि :** जनपद की अर्थव्यवस्था का मुख्य श्रोत कृषि है और दोआब के सामान्य प्रचलन की भाँति ही यहां भी खरीफ, रबी और जायद में कृषि उत्पादन होता है। वर्ष 2018-19 में जनपद में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 173 हजार हैक्टेयर था जिसमें से 169 हजार हैक्टेयर (लगभग 97.7 प्रतिशत) क्षेत्र सिंचित है। स्पष्टतः सिचाई की दृष्टि से जनपद बहुत समृद्ध है। यहां नहरों की लम्बाई 144 किमी है जबकि राजकीय नलकूपों की संख्या 310, पक्के कुएं 29, पम्पसेट 10, उथले नलकूप 34862, मध्यम नलकूप 648 तथा गहरे नलकूप 164 हैं। जनपद में वर्ष भर में सामान्यतः 465 मिमी वर्षा होती है।

वर्ष 2018-19 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 499.83 हजार मी.टन हुआ जिसमें चावल 42.6 हजार मी.टन, गेहूँ 323.64 हजार मी.टन, जौ 3.85 हजार मी.टन, बाजरा 8.23 हजार मी.टन मक्का 1128 हजार मी.टन और ज्वार 1.76 हजार मी.टन. सहित कुल धान्य 492.9 हजार मी.टन का उत्पादन तथा उर्द, मूंग, मसूर, चना, मटर एवं अरहर सहित दालों का 6.9 हजार मी.टन उत्पादन समिलित है। जनपद में कुल तिलहन उत्पादन 10.88 हजार मी.टन था जिसमें महत्वपूर्ण योगदान सरसों (लाही) का 9.46 हजार मी.टन है जबकि अल्पमात्रा में अलसी, तिल, मूगफली और सूरजमुखी का भी उत्पादन होता है।

जनपद में आम (52500मी.टन), अमरुद (131200मी.टन), केला (20000मी.टन), पपीता (6250मी.टन), तरबूज (8400मी.टन), खरबूज (3000मी.टन) आदि फलों का भी प्रमुखता से उत्पादन होता है। सब्जियों में प्याज (10500मी.टन), टमाटर (51600मी.टन), पत्तागोभी (2700मी.टन), भिण्डी (2750मी.टन), लौकी 1800मी.टन), हरी मिर्च (1800मी.टन), हरी मटर (13350मी.टन), तोरई (4725 मी.टन) आदि का प्रमुखता से उत्पादन होता है। जनपद के बढ़पुर विकासखण्ड में गुलाब, गेदा, ग्लैडियोजाई तथा राजेपुर, कमालगंज विकासखण्डों में मेन्था की खेती होती है।

**गन्ना और तम्बाकू :** जनपद की कृषि अर्थव्यवस्था में गन्ना भी मिठास लाने का कार्य करता है। वर्ष 2018-19 में 8116 हैक्टेयर में 538837 मी.टन गन्ने का उत्पादन हुआ जबकि 2016-17 में 466517 मी.टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। इस प्रकार इस अवधि में 15.5 प्रतिशत उत्पादन बढ़ गया। जनपद में गन्ने का उपयोग मुख्यतः गन्ने का रस पीने में (ठिलिया वाले छोटे व्यवसायियों का रोजगार), गुड बनाने में (मध्यम स्तरीय कारोबार) तथा चीनी बनाने (चीनी मिल-बड़े व्यवसाय) में होता है। कायमगंज में सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल संचालित है। जनपद की कायमगंज तहसील तम्बाकू उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश के तम्बाकू उत्पादन 54342 मी.टन. में लगभग 10 प्रतिशत योगदान के साथ फर्झखाबाद में तम्बाकू उत्पादन 5438 मी.टन था। यहां उत्पादित तम्बाकू का उपयोग चबाने वाले उत्पाद खेनी, गुटखा, जर्दा के रूप में होता है। सिंगरेट बनाने का कोई कारखाना यहां नहीं है यद्यपि बीड़ी बनाने का काम जनपद में होता है। तम्बाकू में पाया जाने वाला निकोटिन स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है और इससे मुख, फेफड़े, उदर और गर्दे का कैन्सर होने की सम्भावना रहती है।

**आलू एवं शीतगृह :** फर्झखाबाद जनपद आलू के उत्पादन के लिए सम्पूर्ण भारत में विख्यात है। फर्झखाबाद आलू का शहर है। यहां आलू की लगभग 50 किस्मों का उत्पादन किया जाता है। वर्ष 2018-19 में प्रदेश में आलू का उत्पादन 170.56 लाख मी.टन हुआ था। इसी वर्ष इस जिले में आलू का उत्पादन 32765 हैक्टेयर क्षेत्रफल में 11.20 लाख मी.टन हुआ था जो कि प्रदेश के उत्पादन का लगभग 6.5 प्रतिशत था। आलू की पैदावार 342 कुन्टल प्रति हैक्टेयर होती है। आलू की प्रमुख किस्में कुफ्री ख्याति, पुखाराज, मोहन, कुफ्री बहार 3797 चिप्सोन आदि हैं। कुल आलू उत्पादन का लगभग 30 प्रतिशत बुआई में, लगभग 20 प्रतिशत जनपद के नागरिक उपभोग में प्रयोग किया जाता है तथा शेष 50 प्रतिशत अन्य जनपदों या प्रदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। आलू एक शीघ्रनाशवान कृषि उत्पाद है अतः इसके सुरक्षित भण्डारण के लिए निर्यातित तापमान वाले शीतगृहों की आवश्यकता होती है।

फर्झखाबाद कोल्ड स्टोरेज प्राठ 110 लिंग पहला एवं सबसे पुराना शीतगृह है। वर्तमान में जनपद में 94 शीतगृह हैं और यह सभी निजी क्षेत्र में हैं। इनकी कुल भण्डारण क्षमता 8.78 लाख मी.टन है। वर्तमान में शीतगृह में आलू भण्डारण का किराया 220 रुपया प्रतिकुन्टल है।

**जरदोजी :** जरदोजी शब्द दो पर्सियन शब्दों – जर या जरीन (स्वर्ण) तथा दोजी (सिलाई) से मिलकर बना है। जरदोजी शब्द का आशय सिल्क, साटिन, रेशमी या अन्य उपयुक्त कपड़े पर धातु के धागों से एन्ड्रायडरी या कढ़ाई करने से है। जरदोजी ईरानी और भारतीय उपमहाद्वीप की मिश्रित कढ़ाई कला है। इस कला के प्रारम्भिक काल में शुद्ध चांदी के धागों से सोने की पत्तियों की कढ़ाई की जाती थी तथा रत्नों का भी प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में कारीगरों के द्वारा सामान्यतः सुनहरी या चांदी की पालिश वाले ताबे के धागों या सिल्क के धागों से कढ़ाई की जाती है। फर्झखाबाद में जरदोजी महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उद्योग है जो कि न केवल सम्पूर्ण नगर क्षेत्र में फैला हुआ है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी पैर पसार रहा है। लगभग 1.75 लाख प्रशिक्षित हस्तशिल्प कारीगर इस उद्योग में संलग्न हैं तथा लगभग 400 उत्पादन इकाइयां पंजीकृत हैं। यहां निर्मित लहंगे विशेषरूप से लोकप्रिय हैं। यहां निर्मित उत्पाद न केवल देश के अन्दर उपयोग किये जाते हैं बल्कि यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अरब देशों और मध्य पूर्व के अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किये जाते हैं। राज्य सरकार ने “एक जिला एक उत्पाद” योजना में जरदोजी को समिलित किया है।

**व्यापार और वाणिज्य :** जनपद में मुख्यतः दैनिक उपभोग की वस्तुओं के अतिरिक्त, कृषि उत्पाद (विशेषतः आलू, तम्बाकू), छपे हुए वस्त्र, जरदोजी उत्पाद तथा कुछ मात्रा में वर्तन, जूते चप्पल (फुटवियर) आदि का निर्यात तथा निर्मित उत्पादों का आधात होता है। फर्झखाबाद, कमालगंज, कायमगंज, मोहम्मदाबाद, फतेहगढ़ और शमशाबाद थोक व्यापारिक मण्डियां हैं।

**पर्यटन :** जनपद में धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन के अवसर उपलब्ध हैं। कम्पिल, सकिसा, नीबकरोरी, पुटरी, शंगीरामपुर तथा फर्झखाबाद-फतेहगढ़ नगर ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन के केन्द्र हैं। कम्पिल महाभारत कालीन राजा द्रुपद की राजधानी थी।

वहां राजा द्रुपद से सम्बन्धित कुछ एतिहासिक स्थल, जैन मंदिर पर्यटकों के मध्य लोकप्रिय हैं। सकिसा बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्यटन स्थल है। महात्मा बुद्ध ने यहां प्रवास किया था। सप्ताट अशोक का एक स्तम्भ भी यहां स्थापित होने से इस स्थल का एतिहासिक और धार्मिक दोनों महत्व है। यहां न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी वर्षभर पर्यटक आते रहते हैं। विभिन्न देशों ने आर्थिक सहायता देकर यहां बौद्ध मन्दिर परिसरों का निर्माण कराया है। नीबकरौरी गांव में बाबा नीबकरौरी के नाम से प्रसिद्ध पूज्य बाबा लक्ष्मणदास की तपोभूमि/साधनारथस्थली होने के कारण यह स्थान हिन्दुओं की आस्था का प्रमुख केन्द्र है। यहां वर्षभर विभिन्न प्रदेशों से धार्मिक पर्यटकों का आवागमन रहता है।

जनपद को मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त है। फरुखाबाद नगर में स्थित पांचालघाट, शमशाबाद के निकट ढाईघाट और कमालगांज के निकट श्रंगीरामपुर गंगा भक्तों के लिए आस्था के विशेष केन्द्र हैं। वर्षभर, विशेषतः स्नानपर्वा पर बड़ी संख्या में स्नानार्थी यहां आकर अपने समस्त कष्टों को भूलकर मां गंगा की कृपानुभूति प्राप्त करते हैं। कवि की निम्न पवित्रियां उचित ही हैं—  
सींच रही है स्नेहमयी दे जीवनधारा। सकल ताप तेरी पुनीत लहरों से हारा ॥

माघ माह में प्रतिवर्ष पांचालघाट पर रामनगरिया मेला (माघमेला) का आयोजन होता है जिसमें निकटवर्ती विभिन्न जनपदों के लोग एक माह तक कल्पवास करते हैं, विभिन्न धार्मिक आयोजन होते हैं और जनमानस प्रवचनों से लाभान्वित होते हैं। जिला प्रशासन भी अनेक प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ ही विकास प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। रामनगरिया मेले में एक माह तक बाजार भी लगा रहता है जहां न केवल कल्पवासी बल्कि पर्यटक भी आवश्यकता की वस्तु क्रय करते हैं। सर्कस, झूले, जादू मौत का कुआं आदि विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध रहते हैं। यह जनपद की आय का बृहद श्रोत है। मां गंगा के सम्बन्ध में कवि जयशंकर प्रसाद ने उचित ही कहा है—

कानन मुखरित हुए द्विजों के श्रुति कलरव से। पुण्य हुए कितने प्रवचन भव—अभिनव से ॥

रह न सकेगा कभी यह देश भूखा नंगा। मंगल जल जब तक तुम में, बहती गंगा ॥

पर्यटन से भी जनपद को बहुत आय होती है और रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। पर्यटन केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करके, परिवहन के साधनों का आधुनिकीकरण करके तथा अतिथि देवोभव की भावना को जगाकर पर्यटन से आय में बढ़िया की असीम सभावनाओं का दोहन किया जा सकता है।

जनपद के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि बड़े उद्योगों के विकास के लिए निवेश को आकर्षित किया जाए। आलू आधारित उद्योग जनपद की आवश्यकता है। कम्पिल और सकिसा में पर्यटन सुविधाओं के विकास के साथ ही आवागमन के आरामदायक आर तीव्रगामी साधन उपलब्ध कराये जायें जो देशी—विदेशी पर्यटकों का आकर्षित करें। जरदोजी उद्योग को आधारभूत सुविधायें प्रदान करके उसका विकास किया जाये जिससे एक ओर रोजगार के अवसर सुजित होंगे और दूसरी ओर विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी।

#### सन्दर्भ :

1. 'आपके लिए फरुखाबाद', 1997; सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार.
2. डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैन्डबुक : फरुखाबाद, डायरेक्टरेट ऑफ सेन्सस आपरेशन्स, उत्तर प्रदेश; सीरीज-10, पार्ट XII - A; 2011.
3. Farrukhabad Agriculture 2018-19, उत्तर प्रदेश सरकार, 2018-19
4. सांख्यकीय पत्रिका : फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश सरकार

## गाँधीजी का शिक्षा-दर्शन और बेसिक शिक्षा

डॉ राजेश कुमार पाण्डे<sup>\*</sup>

\*एसोसिएट प्रोफेसर, केंद्रीय ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश

**सारांश :** गाँधीजी जी आधुनिक राष्ट्र के जनक कहे जाते हैं। उनका मानना था कि लोगों के सामाजिक-आर्थिक एवं नैतिक प्रगति का आधार शिक्षा है। गाँधीजी जी व्यक्ति की शिक्षा को आवश्यक समझते थे। उनका कहना था कि शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को स्वावलम्बी बनाये। वे शिक्षा में आत्मनिर्भरता के प्रबल समर्थक थे। वे 'पढ़ो और कमाओ' की नीति में विश्वास रखते थे। जिससे भविष्य में विद्यार्थियों को व्यावहारिक जीवन में कठिनाइयाँ न झेलनी पड़े। गाँधीजी जी शिक्षा के द्वारा बालक में जीवन कौशल का विकास आवश्यक समझते थे। उन्होंने देखा कि तत्कालीन शिक्षा प्रणाली के कारण लोग श्रम से विमुख हो रहे थे। उनका मानना था कि जब तक शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बनाया जायेगा तब तक देश में सामाजिक एवं आर्थिक स्वराज नहीं आ सकता। प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में बदलाव के अभाव में शिक्षा को जीवनोपयोगी नहीं बनाया जा सकेगा। वे शिक्षा को मानव के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम मानते थे। इसी विचार को ध्यान में रखकर उन्होंने एक नयी शिक्षा-पद्धति का प्रतिपादन किया, जिसे बेसिक शिक्षा कहते हैं। बेसिक शिक्षा स्वावलम्बन पर आधारित है। जिसके द्वारा देश में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर कर भोषण रहित एक नये सर्वोदय समाज की स्थापना की जा सके। जिसमें सभी एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे की प्रगति में सहायक बनें।

**मुख्य शब्द:** स्वावलम्बन, आध्यात्मिकता, जीविकोपार्जन, आर्थिक स्वराज, बेसिक शिक्षा आदि।

**प्रस्तावन :** गाँधीजी ने उन महान शिक्षकों और उपदेशकों की गौरवपूर्ण मण्डली में स्थान प्राप्त किया है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को एक नवज्योति दी है। गाँधीजी आधुनिक राष्ट्र के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन के प्रारम्भ में ही यह अनुभव कर लिया था कि लोगों के सामाजिक-आर्थिक, राजनैतिक एवं नैतिक प्रगति का आधार शिक्षा है। उन्होंने समय-समय पर अपने शिक्षा सम्बन्धी विचार सभाओं एवं 'हरिजन' के अनेक लेखों में व्यक्त किया था। गाँधीजी आध्यात्मिकता पर आधारित एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थे। इस कार्य के लिए गाँधीजी व्यक्ति की शिक्षा को आवश्यक समझते थे। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को स्वावलम्बी बनाये। गाँधीजी के अनुसार शिक्षा के मूल्यों को अनुभव में ही खोजना चाहिए। शिक्षा के द्वारा बालक में व्यवहार कुशलता का आना जरूरी है। व्यवहार में कौशल प्राप्त करने के लिए बालक को निरीक्षण, अनुभव, प्रयोग, सेवा तथा प्रेम का आश्रय लेना होगा (पाण्डे, 2010)। गाँधीजी का मानना था कि शिक्षा सबके लिए है, सम्पूर्ण जीवन के लिए है। शिक्षा को समाज एवं जीवन के सच्चे परिवेश में सर्वसुलभ बनाना अपेक्षित है। गाँधीजी भारत में प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की अर्थहीनता से असन्तुष्ट थे। उन्होंने देखा कि तत्कालीन शिक्षा प्रणाली जो भारतीयों के ऊपर थोपी गयी वह सर्वांगीण नहीं थी। उनका मानना था कि यदि राजनैतिक स्वराज्य मिल भी जाय तो भी देश में सामाजिक एवं आर्थिक स्वराज्य तब तक नहीं आ सकता जब तक कि शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बनाया जाता। गाँधीजी की धारणा थी कि प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाये बिना वाहित नये मानव समाज की कल्पना व्यर्थ है (सिन्हा, 1988)। इसके लिए उन्होंने एक नयी शिक्षा-पद्धति का प्रतिपादन किया जिससे देश में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को दूर कर शोषणमुक्त एक नये आदर्श समाज की स्थापना की जा सके।

**बेसिक शिक्षा की पृष्ठभूमि एवं मूलभूत सिद्धान्त :** गाँधीजी के शैक्षिक विचार उनके शिक्षा सम्बन्धी प्रयोगों पर आधारित हैं। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लोगों को श्रम की अवहेलना करना सिखाकर बेकार बना देती है, जिससे शिक्षित बेराजगारों की संख्या बढ़ती है। गाँधीजी का कहना था कि शिक्षा प्राप्त करने पर भी यदि बालक बेकार रहता है तो इसमें शिक्षा का ही दोष है। उनके अनुसार शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में स्वावलम्बन का गुण आना जरूरी है। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाये जिससे वह अपना जीविकोपार्जन कर सके। गाँधीजी ने इस तथ्य पर विशेष जोर दिया है कि महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति में साहस, शक्ति, सदगुण, आत्मानुभव तथा सेवाभाव का पूर्णरूपेण विकास किया जाय। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर गाँधीजी ने सन् 1921 ई0 में अपने साधियों के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव रखा किन्तु इसे मूर्तरूप नहीं दिया जा सका। अक्टूबर, 1937 में वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें गाँधीजी ने राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे बेसिक शिक्षा कहते हैं (लाल, 2010)। सम्मेलन में इस पर पर्याप्त विचार-विमर्श करने के बाद कुछ प्रस्ताव पारित किये गये। यही प्रस्ताव बेसिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्त है :

- सात वर्ष (7-14) तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
- शिक्षा का माध्यम मातृभाषा
- आधारभूत शिल्प अथवा उद्योग केन्द्रित शिक्षा तथा
- स्वावलम्बन

**बेसिक शिक्षा का क्रियान्वयन और स्वतंत्र भारत में बेसिक शिक्षा :** गाँधीजी के बेसिक शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सन् 1938 ई0 में बेसिक शिक्षा की योजना उन प्रान्तों में लागू कर दी गयी जहाँ कांग्रेस की सरकार थी।

सन् 1947 ई0 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ सुधारों के उपरान्त बेसिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना गया। बेसिक शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु अनेक प्रयास किये गये जिसमें नये बेसिक स्कूलों की स्थापना, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा तथा बेसिक शिक्षा संबन्धी पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आदि शामिल रहा।

**निष्कर्ष :** अनेक प्रयासों के बाद भी बेसिक शिक्षा में पर्याप्त उन्नति नहीं हो पायी। यह बिडम्बना ही कही जा सकती है कि अपने देश की संस्कृति, सभ्यता, कला-कौशल, जनसंख्या, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक रिश्ति आदि सभी दृष्टियों से अनुकूल होते हुए भी बेसिक शिक्षा में आशा के अनुरूप प्रगति नहीं हुयी। इसका सबसे प्रमुख कारक बेसिक शिक्षा के अर्थ के विषय में मतभिन्नता थी। भारतीय जीवन पर अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजियत, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी सभ्यता आदि ने इतना अधिक प्रभुत्व जमा लिया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अपने देश में स्कूली वातावरण, पाठ्यक्रम, शिक्षक एवं शिक्षा के माध्यम पर अंग्रेजी शिक्षा पूरी तरह हावी है (सिन्हा 1988)। हमें इससे छुटकारा पाना होगा। गँधीजी की इच्छानुसार यदि बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाये जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का विकास करना है तो बेसिक शिक्षा को सही परिप्रेक्ष्य में अपनाना होगा।

#### **सन्दर्भ :**

1. त्यागी, गुरुसरन दास (2008), उदीयमान भारत में शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ0 247
2. पाण्डेय, आर०एस० (2010), उदीयमान भारत में शिक्षक, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ0 246, 252
3. लाल, रमन विहारी (2010), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ, पृ0 327
4. सिन्हा, सुखसागर (1988), बुनियादी शिक्षा का महत्व, कल्याण, गीता प्रेस गोरखपुर 62 (1), पृ0 313–315

## **बेरोजगारी के प्रति ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों के विचार (जौनपुर जनपद के बक्शा विकास खण्ड पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)**

**सुनील कुमार यादव\***

\*शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, सहकारी पी०जी० कालेज, मेहरावॉ, जौनपुर, उ०प्र०

**डॉ संजय कुमार सिंह\*\***

\*\*असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, सहकारी पी०जी० कालेज, मेहरावॉ, जौनपुर, उ०प्र०

**सारांश :** बेरोजगारी एक ऐसी आर्थिक सामाजिक समस्या है जो समाज में अनेक समस्याओं को स्वतः जन्म देती है। भारत की सामाजिक समस्याओं में सर्वाधिक विकाराल सामाजिक समस्या बेरोजगारी की है, क्योंकि इससे अनेक अन्य सामाजिक समस्याएं प्रादुर्भाव होती है। वैयक्तिक विघटन, सामाजिक विघटन, पारिवारिक विघटन, सामुदायिक विघटन, आपराधिक कृत्यों में वृद्धि बाल एवं किशोर अपराधों का बढ़ान्त्र, वेश्यावृत्ति, दुर्व्यवहारों की वृद्धि, मद्यपान, मादक द्रव्य व्यसन, भिक्षावृत्ति, ऋणग्रस्तता बेकारी, नैराश्य, दीन, भावना, आत्महत्या, क्रान्ति, आदि की घटनाएं बेकारी के परिणामस्वरूप ही घटित होती हैं। भारतीयों के लिए कितने संकट के दिन हैं ये जबकि भारत में बेकारी की समस्या दिन-प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही है। व्यक्ति की बेरोजगारी और चरित्र का बाजार दर गिर गया है। अतः भारतीयों का गिरा हुआ चरित्र गन्दगी, बीमारी, अनावश्यक मृत्यु और सबसे बढ़कर निराशा की स्थिति, नीची आय, असन्तोषजनक आवास समय से पहले मृत्यु बेरोजगारी दुष्प्रभाव को प्रकट करती है।

**मुख्य शब्द :** सामाजिक विघटन, पारिवारिक विघटन, सामुदायिक विघटन, आपराधिक कृत्यों में वृद्धि, बाल एवं किशोर अपराध आदि।

रोजगार मनुष्य के जीवन-यापन का बुनियादी आधार है। यह मनुष्य की भूख एवं ध्यास मिटाने की, प्राथमिक एवं आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति का एक सशक्त साधन है। किन्तु बेरोजगार व्यक्ति को अनेकानेक संकटों का सामना करना पड़ता है। संकट के दिनों में बेरोजगार व्यक्ति स्वयं अपने लिए तो बोझ बनता ही है, वह समाज के लिए, समुदाय के लिए और यहां तक की राष्ट्र के लिए बोझ बन जाता है। अपना जीविकोपार्जन एवं आश्रितों को पोषण प्रदान के लिए वह अनेकानेक कुरकम करने को तैयार हो जाता है। खाद्य पदार्थों की बाजार दर बढ़ जाती है और चरित्र की बाजार दर गिर जाती है। उसका व्यवहार व आचरण आसुरी प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाते हैं, उसमें विपथगमनात्मक प्रवृत्तियां जागृत हो जाती हैं, विचलनकारी व्यवहार फिर विघटनकारी व्यवहार करने के लिए बाध्य हो जाता है। सामाजिक संरचना अस्त-व्यस्त हो जाती है, अनुशासनहीन, चरित्रहीन एवं आदर्श शून्य व्यवहार ताण्डव-नृत्य करने लगते हैं, व्यक्ति आदर्शों के बोझ को त्यागकर नाना प्रकार के दुष्कर्मों से पीड़ित, भूख का मारा हुआ, कर्ज से दबा हुआ कुत्ते और बिल्लीयों की तरह जीवन बिताने से उबकर चोरी, डकैती, तस्करी, हिंसा और नाना प्रकार के आपराधिक कार्यों को करने की ओर अभिमुख हो जाता है। वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, आत्महत्या आदि नीतिभ्रष्ट, आदर्शशून्य सम्बन्धी अपराधों को खुलकर करने लगता है। जिस देश में भूख-उपवास ही घर किये हों, जिस राज्य का निवासी बेरोजगार होकर दर-दर की ठोकरे खा रहा हो, व्यवसाय में इतना गिरा हो और राज्य इस भूख का कोई इलाज न कर पाता हो, बेरोजगारों को रोजगार न दे पाता हो, वहाँ ज्ञानाभाव में नीति भ्रष्टता सम्बन्धी अपराधों और अन्न के अभाव में चोरी के अपराधों का अपराधी कौन है? किसे सजा दी जानी चाहिए गिर्दी किसे फोड़नी चाहिए? राम बास कूटना चाहिए क्या गरीब, बेरोजगार और ज्ञान हीन व्यक्ति को? इस प्रकार बेरोजगारी से सारा समाज, सारा समुदाय, सम्पूर्ण राष्ट्र प्रभावित होता है? बेरोजगारी से नाना प्रकार की सामाजिक समस्याओं का प्रादुर्भाव होता है, देश में आर्थिक समस्यायें उठ खड़ी होती हैं, राजनीतिक अस्थिरता अपना पाप जमा लेती है, औद्योगिक अशान्ति के बादल राष्ट्र के नम मण्डल पर छा जाते हैं, लोगों का स्वास्थ्य क्षतिग्रस्त हो जाता है, मरिटिक वेकार हो जाता है, उसकी आकाश्चांत भर जाती है, आत्मसम्मान और उत्तरदायित्व की भावना नष्ट हो जाती है, साहस और इच्छाशक्ति कमजोर हो जाती है, कौशल नष्ट हो जाता है और कर्ज में इतना डुब जाता है कि फिर वैयक्तिक पारिवारिक, समुदाय एवं राष्ट्र उन्नति की भावनाएं नष्ट हो जाती हैं।

बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के आय के सभी स्रोत सूख जाते हैं, उसकी दशा अत्यन्त दयनीय हो जाती है, उसका परिवार ढूटने लगता है। निर्धनता, ऋणग्रस्तता, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, आत्महत्या, बाल-अपराध, अपराध, भ्रष्टाचार, जैसे सारे कुरकम इस शून्खला की कड़ी बनते चलते हैं। अस्तु विवेचन-विश्लेषण की दृष्टि से बेरोजगारी के दुष्परिणामों को हम यहाँ निम्नलिखित बिन्दुओं में रखकर प्रस्तुत करना चाहेंगे-

1. **वैयक्तिक विघटन :** बेरोजगार व्यक्ति का अन्ततः वैयक्तिक विघटन होता है कहने की आवश्यकता नहीं कि बेरोजगारी किसी युवा व्यक्ति के लिए रोजी रोटी से आहत व्यक्तियों के लिए पुराने व्यक्तियों के लिए अल्परोजगार, आंशिक रोजगार में संलग्न व्यक्तियों के लिए और अल्पवैतनिक व्यक्तियों के लिए बहुत ही खतरनाक है। एक पुरानी कहावत है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब व्यक्ति के पास कोई काम ही नहीं होगा तो वह सरलतया ही शैतान का शिकार बन सकता है। वह बेरोजगारी से त्रस्त होकर कोई भी कुरकम कर सकता है। क्षुधा-पीड़ित व्यक्ति, भूख से आहत व्यक्ति, निर्धनता से तंग व्यक्ति कोई भी अनाचार, व्यभिचार, व पापाचार कर नैतिकता का आदर्शों व मूल्यों का गला घोट सकता

- है। वह अपनी गरीबी से तंग आकर जहां एक और समाज को दुत्कारता घृणा एवं उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, वहां दूसरी ओर वह स्वयं अपने आप से घृणा करने लगता है, उसमें हीनता की भावना इतनी जड़वत हो जाती है कि वह अपने जीवन को पूर्णतया बेकार व व्यथ मानने लगता है। निश्चय ही ऐसी भावनाएं मनुष्य के पतन एवं विनाश का कारण बनती है। इधर हाल के वर्षों में जिस दर से अपराधिता बढ़ी है उसमें बेरोजगार व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या पायी गयी है। अनपढ़ बेरोजगार व्यक्तियों की भाँति पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्तियों की चोरी, डकैती, कत्ल, हिंसा, आत्महत्या, हत्या मद्यपान, जुआ, तस्करी आदि में प्रमुख भूमिका है। बेरोजगारी इस प्रकार विघटन का मार्ग प्रशस्त करती है।
- 2. पारिवारिक विघटन :** बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा दृष्टिरिणाम व्यक्ति का पारिवारिक विघटन करना भी है। बेरोजगारी के कारण व्यक्ति का वैयक्तिक विघटन के साथ पारिवारिक विघटन होता है, ऐसे की कमी, पग-पग पर परेशानी, चिन्ता और कलह को जन्म देती है जिससे परिवार के सदस्यों में अशान्ति फैल जाती है, भरपेट भोजन नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, रहने के लिए घर पर्याप्त नहीं होता और जब जीवन की सारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है तो ऐसे परिवार में कलह होना स्वाभाविक है। घर के सदस्य जरा-जरा सी बातों पर क्षुब्ध और उत्तेजित हो उठते हैं और अपना क्रोध परिवार के कमजोर सदस्यों पर निकालते हैं ऐसी स्थिति में परिवार की शान्ति भंग होती है दाम्पत्य जीवन में वलेश बढ़ जाता है तथा बालक अपराधों की दिशा में चले जाते हैं। परिवार के और भी सदस्य अपराधों की दुनिया में अभिमुख हो जाते हैं, घर का परित्याग कर कहीं अन्यत्र चल जाते हैं। पति-पत्नि के मध्य सम्बन्ध ध्वस्त हो जाते हैं, परिवार की भावात्मक एकता एवं स्थिरता नष्ट हो जाती है। निराशा की स्थिति में आत्महत्या की घटनाएं घटित होने लगती हैं। पति-पत्नी स्वयं तो विषपान करते देखे जाते हैं, बच्चों को भी जहर का घोल पिलाकर सदा-सदा के लिए सुला देते हैं। पति-पत्नी से सम्बन्ध विच्छेद व तलाक भी हो जाता है। बच्चे अनाथ भी हो जाते हैं। वे गलियों में कबाड़ी का काम करने लगते हैं, तेल मालिश, बूट पालिश की प्रवृत्तियां अपना लेते हैं।
- 3. सामाजिक विघटन :** बेरोजगारी जो वैयक्तिक विघटन की जन्मदात्री है, सामाजिक विघटन की भी आधारशिला है। बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप बेरोजगार एवं रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की मनोवृत्तियों में तीखापन आ जाता है, उनका सामाजिक जीवन रिक्त होने लगता है, अस्त व्यस्त होने लगता है तथा सामुदायिक भावना नष्ट होने लगती है। बेरोजगार व्यक्तियों की दृष्टि में एक-दूसरे के प्रति कड़वाहट-घृणा, हेय व उपेक्षा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। समाज के लोगों में ऐसे भाव उत्पन्न होते ही समूह के सदस्यों के बीच रहने वाले सम्बन्ध टूटने लगते हैं समूह के कार्यात्मक संतुलन भंग हो जाते हैं, समुदाय में असामाजिकता बढ़ने लगती है, व्यक्तिवादिता का बाहूल्य हो जाता है यह व्यक्ति वादिता अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देकर अपराध की भी वृद्धि करती है जो कि सामाजिक विघटन का प्रत्यक्ष रूप है।
- 4. सामुदायिक विघटन :** सामुदायिक संगठन की आधारशिला है— ‘सामुदायिक भावना’, हम की भावना। सामुदायिक जीवन इस सामुदायिक भावना द्वारा ही पूर्णित एवं पल्लवित होता है। सामुदायिक विघटन का श्री गणेश उसी समय हो जाता है। जब मनुष्य सामुदायिक सहयोग और ऐकमत्व से अपना हाथ खींच लेता है वह सामुदायिक जीवन में सामुदायिक हित में भाग लेना बन्द कर देता है। बेरोजगार व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है, सामुदायिक जीवन से कटकर जीवन यापन करता है, उसमें काम खोज करने की इच्छा का नाश हो जाता है, समुदाय के विकास के कार्यों से उसे अस्विधि हो जाती है समुदाय के स्थान पर वह अपने स्वार्थ को विशिष्टिता देने लगता है, उसी क्षण से सामुदायिक विघटन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। एक बार अपने को बेकार निरर्थक व्यक्ति मान लेने पर वह अपने काम, समुदाय के काम और भविष्य के प्रति उदासीन हो जाता है बेरोजगारी कमजोर इच्छा-शक्ति वाले व्यक्तियों के विद्रोह करने के लिए उत्प्रेरित करती है, सनक के दर्शनशास्त्र को विकसित करती है तथा हिंसात्मक अपराध करने की अभिप्रेरणा देती है बेरोजगारी उपद्रवी नेता उत्पन्न करती है तथा कभी-कभी समुदाय में क्रान्ति का बीज बोने की कोशिश करती है।
- 5. सामाजिक, आचार-भ्रष्टता :** बेरोजगारी सामाजिक आचार-भ्रष्टता का मार्ग प्रशस्त करती है। अक्सर बेरोजगार व्यक्ति हर ओर से निराश होकर विपथगमनात्मक कार्यों को करने लगता है। उसके नैतिक पतन की सम्भावना बहुत अधिक रहती है यह जंगल राज्य को विकसित करने में मदद करती है।
- 6. अस्वस्थ नागरिकों में वृद्धि :** यह आशा करना व्यर्थ है कि एक बेरोजगार व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा। उसे समुचित और सन्तुलित आहार मिलने की कल्पना नहीं की जा सकती है इसके अभाव में एक अस्वस्थ और बीमार समाज की स्थापना होती है। शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति किसी प्रकार का श्रम करके भी अपनी जीविका अजित नहीं कर सकता इसलिए बेरोजगारी अस्वस्थ नागरिकों में वृद्धि करती है।
- 7. राजनीतिक अशान्ति :** बेरोजगारी देश में राजनीतिक अशान्ति का बीज रोपड़ करती है। बौद्धिक वर्ग की बेरोजगारी इस सम्बन्ध में और भी अधिक महत्वपूर्ण है। कहना ना होगा कि फ्रांस की राज्य क्रान्ति के लिए बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी हद तक उत्तरदायी थी। फिर क्रान्तिकारी समाजवाद या साम्यवाद उन लोगों में बड़ी शोषणा से स्थान पाता है जिनके मन में बेरोजगारी जनित विक्षोम के कारण वस्तु स्थिति के प्रति एक प्रकार का विरोधी दृष्टिकोण पहले से ही घर कर गया होता है।
- 8. औद्योगिक श्रमिकों की क्षतिग्रस्तता :** बेरोजगारी श्रमिकों की आय कम करती है, उनकी आय में अनियमितता लाती है तथा यह उनकी कार्य कुशलता को कम करती है। यह श्रमिकों के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाती है, मस्तिष्क को बेकार करती है। उसकी आकांक्षा को कमजोर करती है, स्थिर पयास करने की उसकी योग्यता को नष्ट करती है, आलस्य व

दुराचार की प्रेरणा देती है आत्म-सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना को नष्ट करती है। बेरोजगार श्रमिक निराश होते हैं और अपनी कुण्ठाओं पर नियंत्रण के लिए नशीली दवाओं का सेवन करते हैं वे अपनी निराश मादक द्रव्यों के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास करने लगते हैं।

9. **आतंकवाद को बढ़ावा :** बेरोजगारी आतंकवाद को भी बढ़ावा देती है। बेरोजगार व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति के लिए समाज के प्रति, सरकार के प्रति क्रोधित होते हैं। उनकी सोच कुछ नकरात्मक हो जाती है वे सोचते हैं यदि यह समाज उनकी उपयुक्त रोजगार पाने की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है तो इसे बर्बाद ही कर देना चाहिए। इससे वे राज्य के विरुद्ध संगठित हिंसा करना चाहते हैं। पंजाब और असम में आतंकवाद को बढ़ाने में युवा बेरोजगारों की महत्ती भूमिका रही है। दोनों राज्यों में यवा बेरोजगारों की बड़ी संख्या में होने की समान समस्या रही है।

परन्तु हम बिना किसी संकोच के कह सकते हैं कि बेरोजगारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को इस प्रकार प्रभावित करती है कि उसके भयकर दुष्परिणाम निकलते हैं जो किसी भी दशा में वांछनीय नहीं हैं। यह समाज व व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पक्ष को स्पर्श करती है और उसे क्षतिग्रस्त करती है।

#### **सन्दर्भ :**

1. अहुजा, राम, 2000, सामाजिक समस्याएँ , रावत पब्लिकेशन, जयपुर
2. सिंह, डॉ०बी०एन०, 2015, जन्मेजय सिंह, नगरीय समाजशास्त्र, रावत पब्लिकेशन, जयपुर
3. मदान, जी०आर०, 2020, विकास का समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली
4. प्र०० मैत्रीय चौधरी, प्र०. मंजू भट्ट, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

## समकालीन हिन्दी कविता में एकलव्य : एक चिंतन

डॉ० कविता सिंह\*

\*सहायक आचार्य, (हिन्दी विभाग), राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय छर्चा, अलीगढ़, उत्तरप्रदेश

**सारांश :** किसी भी काल की कविता अपने देश और काल से सम्बद्ध होती है। प्रत्येक परिवेश का अपने काव्य की प्रवृत्तियों के निर्माण में विशेष योगदान एवं सहयोग होता है। प्रायः जनसाधारण की प्रवृत्तिया ही धीरे-धीरे काव्य की प्रवृत्तियाँ बन जाती हैं। हिन्दी साहित्य का पूरा इतिहास इस कथन की गवाही देता है। अधुनातन हिन्दी कविता भी इसका अपवाद नहीं है। आजादी के बाद के परिवर्तनों ने हिन्दी कविता के स्वरूप को बहुत प्रभावित किया है।

**मुख्य शब्द :** समकालीन, आधुनिकीकरण, संस्कृति, साहित्य, अकवितावादी परिवेश आदि।

**समकालीनता से आशय :** समकालीनता की अवधारणा बहुत विवादाप्यद है। कुछ रचनाकार इसे आधुनिकता का विकसित रूप मानते हैं। आधुनिकता मध्यकालीन मान्यताओं के विरोध में स्थापित वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानी गयी ह। आधुनिकीकरण ने समज के साथ-साथ संस्कृति और साहित्य को भी कहीं न कहीं अच्छी तरह झकझोरा है। डॉ० गंगा प्रसाद 'विमल' के शब्दों में, "वस्तुतः संस्कृति में संक्रान्ति की वजह संस्कृति का आधुनिकीकरण भी है और संस्कृति की मानवीय संदर्भों में पुनर्व्याख्या भी है। विज्ञान, तकनीकी विकास और मनुष्य की विज्ञान के प्रति सचेतना इस पुनर्व्याख्या की दृष्टि का पूर्ण निर्माण करती है।"

अधिकतर आलोचकों और विचारकों ने साठोत्तरी रचना परिवेश को समकालीन माना है। सन १६६० के बाद जो मोहम्मद की प्रक्रिया शुरू हुई उसने आधुनिकता से आगे की सोच का जन्म दिया। १६६० तक जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास आधुनिकता का प्रमाण था लेकिन सन १६६० के बाद धीरे-धीरे व्यवस्था विरोध का स्वरूप बनने लगाय व्यवस्था विरोध निश्चय ही समकालीन अवधारणा है। डॉ० गंगा प्रसाद 'विमल', डॉ० गोविन्द रजनीश आदि आलोचकों से साठोत्तरी कविता को ही समकालीन माना है। सन १६६० से पहले राजनीतिक मुद्दे कविता में प्रधान नहीं थे, लेकिन साठोत्तरी कविता में राजनीतिक विचार विमर्श अनिवार्य सा है। डॉ० गोविन्द रजनीश के शब्दों में, "समकालीन कवियों के लिए राजनीति ही सबसे अधिक गतिशील प्रत्यक्ष एवं कठोरतम सच्चाई रही है। इसलिए उनकी कविता न केवल समकालीन दुनिया की पहचान को गहरा करती है अपितु परिवेशजन्य विसंगतियों को खोलकर रख देती है। राजनीति से ज़ब्ज़ा आज का अनिवार्य एवं अपेक्षित कवि कर्म सा हो गया है।"<sup>2</sup> समकालीन कहे जाने वाले कवियों का एक वर्ग केवल वर्जनाओं के विरोध और अनैतिकता तथा नंगेपन के समर्थकों को समकालीन मानता है। अकविता के अन्तर्गत इसी प्रकार का भाव बोध प्रचारित हुआ। बहुत से साठोत्तरी रचनाकार विकृतियों का विरोध करते हुए सकारात्मक और सार्थक मूल्यों को महत्व देते हैं।

डॉ० गंगा प्रसाद गुप्त न ऐसे कवियों को आस्थावादी मानते हुए कहा है कि "इसकी दृष्टि संकुचित नहीं है और इसकी आस्थायें भी बोनी नहीं हैं। इसके विपरीत विकृतियों को गौरवान्वित करने वाले अकवितावादी परिवेश के प्रति घृणा या क्रोध पैदा करने के बजाय स्वयं धृणा और अनास्था का परिवेश रचते हैं।"<sup>3</sup> कुछ विद्वानों ने 'समकालीन' को काल निरपेक्ष माना है तो कुछ ने उसकी समय-सीमा सुनिश्चित की है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के शब्दों में "समकालीन हिन्दी कविता का विकास एक बहती धारा के समान है। उसके प्रवृत्तिगत अध्ययन से केवल उसकी एक विकास-परम्परा का पता चलता है। अलग-अलग कवियों की कविताओं का अध्ययन करते हुए उन कवियों के अपने संस्कारों उनकी भिन्न-भिन्न जीवन दृष्टिओं, उनकी काव्य विषयक धारणाओं तथा समकालीन वास्तविकता के विविध पहलुओं की जानकारी होती है।"<sup>4</sup>

स्वतंत्रता का सही अभिप्राय अपनी पुरानी कुंठाओं, असम्यता इत्यादि को दूर करके एक नए उज्ज्वल सम्यता के पुनर्निर्माण का अध्याय है। यह एक व्यापक परिवर्तन है तथा हर दृष्टि से यह परिवर्तन भारत के सम्पूर्ण परिवेश में दृष्टिगोचर होता है।

**'एकलव्य' एक 'मिथक' :** समकालीन कवियों ने जिन पुराख्यानों को अपनी कविता का निमित्त बनाया है उनकी संख्या अच्छी खासी है देश-विदेश में भी पुराख्यानों का विशाल वैभव बिखरा हुआ है। पुराख्यानों या मिथक को निम्न वर्गों में बाँट सकते ह -

1. वैदिक आख्यान

2. महाभारतकालीन आख्यान

3. रामायण कालीन आख्यान

4. अन्य आख्यान

'एकलव्य' महाभारत का प्रमुख पात्र एवं महत्वपूर्ण चरित्र है। कथाकार नरेन्द्र कोहली ने लिखा है कि 'समकालीन कविता में जीवन के लोगों का विश्वास जीतने वाले और जुझारू चरित्र का अभाव है इसलिए लेखक का मन या तो फंटेसी की ओर मुड़ता है या मिथकों और पुराख्यानों की ओर जाता है।'<sup>5</sup>

प्राचीन आख्यानों के प्रति मनुष्य का आकर्षण स्वाभाविक है क्योंकि वह अपने अतीत को जानने और समझने की इच्छा रखता है।<sup>6</sup> "पुराण" शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में पाणिनी, यास्क तथा स्वयं पुराणों का उल्लेख आवश्यक है 'पुरा' शब्द में 'टचु' प्रत्यय करने और तुट के आगमन होने पर 'पुरातन' शब्द की व्युत्पत्ति होती है जिसका अर्थ प्राचीन काल में होने वाला अथवा प्राचीन है। 'यास्क' के 'निरुक्त' में पुराण की व्युत्पत्ति 'पुरानव भवति' के रूप में बताई गयी है जिसका अर्थ है जो प्राचीन होकर भी

नया होता है वायु पुराण में 'पुराण' शब्द की व्युत्पत्ति – 'पुराअनति' है अर्थात् जो प्राचीन में जीवित थाद्य पदमपुराण के अनुसार 'पुरा परम्परा वष्टि कामयते' अर्थात् जो प्राचीनता अथवा परम्परा की कामना करता है वह पुराण कहलाता है।<sup>6</sup> 'पुराख्यान' अथवा मिथक की उत्पत्ति के सम्बन्ध में मुख्य रूप से एक कारण अत्यन्त ही स्पष्ट दिखाई देता है प्रारम्भ में आदि मानव ने अपन भावों की अभिव्यक्ति के लिए जब किसी साधन या माध्यम का चुनाव किया होगा तथा शायद मिथक ही सबसे अधिक और प्रभावशाली तथा प्रेषणीय तत्व रहा होगा।

सामान्य रूप से अगर मिथक शब्द के अर्थ को देखें तो परंपरागत रूप से वह कथा जिसका की संबंध अति प्राकृतिक घटनाओं तथा मानवीय भावों से होता है उसे ही मिथक कहते हैं। मिथक की खोज मानवीय सम्पूर्णता की खोज है<sup>7</sup> माना जाता है कि हिन्दी में मिथक शब्द का प्रयोग आधुनिक काल से प्रारम्भ हुआ। भारतीय पुराण विद्या के अनुसार आकाश और पृथ्वी के प्रणय को अत्यन्त प्राचीन 'मिथक' माना जाता है इसे सार्वभौमिक मिथक भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए जब आकाश से वर्षा होती है तब उस वर्षा से पृथ्वी को उर्वरा शक्ति प्राप्त होती है जिससे वनस्पतियों का सृजन होता है यह एक प्राकृतिक तथ्य है इसी आधार पर मिथक की रचना आकाश को पुरुष-पिता तथा पृथ्वी को स्त्री-माता के रूप में कल्पना करके प्रणय-संबंध की रचना की गयी है। दिनकर ने इसी प्रणय सम्बन्ध को ध्यान में रखकर पुरुर्वा-उर्वशी की कथा को मिथक का नाम दियाय फलस्वरूप पुत्र को उत्पत्ति से मौलिक सृष्टि-मिथक को पल्लवित किया गया है। पाश्चात्य विद्वान रिचर्ड चेज के अनुसार "मिथक ही साहित्य है"<sup>8</sup> मिथक का जन्म आदि मनुष्य और प्रकृति के आरभिक संवाद के समय से माना जाता है। मिथक का प्रयोग काव्य में ही अधिक देखने को मिलता है जबकि कविगण अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा अपने मनोनुकूल प्रसंगों और परिस्तिथियों को मिथक के माध्यम से सरलता से अभिव्यजित कर देते हैं। मिथक के सम्बन्ध में एक विचार यह भी है कि मिथक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थान्तरित होते हुए सामूहिक अवधेतना में सदा सुरक्षित रहते हैं।

रामायण और महाभारत के आख्यानों में पुराणों की तरह से विभिन्न वैदिक मिथकों का भी प्रयोग किया गया है। 'एकलव्य' का वर्णन मुख्य रूप से महाभारत में मिलता है। इसके अतिरिक्त कौरवों, पाण्डवों के संघर्ष, भीष्म कर्ण, कृष्ण चरित्र, पांडवों का स्वर्ग—गमन के अतिरिक्त कच और देवयानी का आख्यान नल चरित आदि महाभारत में समाहित हैं। ये सभी आख्यान मानव जाति के विकास और उत्थान की गाथायें हैं य आधुनिक मानव की नियति को रेखांकित करने के लिए इन पुराख्यानों और मिथकों का प्रयोग लगातार होता रहा है।

'एकलव्य' का प्रसंग उस समय आता है जब कौरव और पाण्डव बड़े हुए तब पितामह भीष्म ने विचार किया कि इन राजकुमारों को धर्म, राजनीति और युद्ध विद्या की शिक्षा दिलानी चाहिए। द्रोणाचार्य की शिक्षा की चर्चा देश—देशांतर तक होती थी इससिलें पितामह भीष्म ने भी अस्त्र—शस्त्र की शिक्षा सीखने के लिए कौरवों और पाण्डवों को वहाँ भेज दियाय द्रोणाचार्य की प्रशंसा सुन एक दिन बालक एकलव्य भी अस्त्र—शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके आश्रम पहुँचा। एकलव्य के पिता का नाम हिरण्य धनु था और वह निषाद जाति के थे। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को नीच जाति का जानकर उन राजकुमारों के साथ रखना उचित नहीं समझा और उसे शिक्षा देने से इंकार कर दियाय एकलव्य बड़ी आशा से वहाँ आया था किन्तु निराश होकर लौट आया तथा वन में जाकर द्रोणाचार्य की मूर्ति बनायीं और उसी को अपना गुरु मानकर श्रद्धा और लगन के साथ प्रतिदिन नियमपूर्वक अपने आप ही अस्त्र—शस्त्र चलाने का अभ्यास करने लगा। धीरे—धीरे वो इस कला में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन सब राजकुमार शिकार के उद्देश्य से अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ वन में गए उनके साथ एक कुत्ता भी था। वह कुत्ता घूमते फिरते वहाँ पहुँचा जहाँ बालक एकलव्य अभ्यास कर रहा था। उसका शरीर काला और मैला था, सिर पर जटाये थी तथा उसने मृग चर्म धारण कर रखा था। इस भीषण रूप को देखकर वह कुत्ता उस पर भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते का भौंकना बंद करने के लिए सात बाण उसकी ओर छोड़े जिससे उसका मुँह भर गया और भौंकना बंद हो गया किन्तु कुत्ते को चोट कहीं नहीं लगी। फिर वह कुत्ता बाणों से भरे हुए मुख को लेकर पाण्डवों के पास पहुँचा जिसे देख सब आश्चर्यचकित रह गए तथा वे कुत्ते के मुँह में बाणों को भरने वाले को ढूँढ़ने लगे। ढूँढ़ते—ढूँढ़ते उन्हें एक मनुष्य मिला वह लगातार बाण चलाने का अभ्यास कर रहा था। पूछने पर बताया कि 'मैं एकलव्य हूँ। मेरे पिता हिरण्य धनु हैं। मेरी जाति निषाद है और मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ और यहाँ धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा हूँ।' उसके पास से लौटकर राजकुमारों ने सब हाल द्रोणाचार्य को सुनायाय अर्जुन ने कहा 'गुरुजी आपने मुझे हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से यह बात कहीं थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर नहीं होगा परन्तु एक शिष्य है।' अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य ने कुछ देर तक विचार किया और फिर उन्हें भी अपने साथ लेकर उसी वन में गए जहाँ एकलव्य थाद्य द्रोणाचार्य को देखते ही बालक एकलव्य उनके चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा 'हे! आचार्य जी मैं आपका शिष्य एकलव्य हूँ।' द्रोणाचार्य ने उससे कहा 'अगर मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दोद्या एकलव्य ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया 'आप मेरे गुरु हैं।' कोई भी ऐसी दक्षिणा नहीं जो गुरु को न दी जा सके।' इस पर द्रोणाचार्य ने आज्ञा दी की वह अपने दाहिने हाथ का अंगूठा उन्हें काट कर दे। गुरु भक्त एकलव्य ने तत्काल अपना अंगूठा काट कर अपने गुरु को समर्पित कर दियाय द्रोणाचार्य के इस कार्य से अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ और गुरु को प्रेम भरी दुष्टि से देखने लगा।

गुरु भक्ति के कारण ही एकलव्य शस्त्र शिक्षा में इतना प्रवीण हो गया और इसी कारण उसका नाम आज तक अमर है। विद्या पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद आदि सभी को समान है। परमात्मा ने विद्या सभी को बराबर ही दी है किसी को विद्या पढ़ने से वंचित नहीं रखाय गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों के साथ शिक्षा इस्सिलें नहीं दी क्योंकि वह नीच जाति से उत्पन्न था। वह इतनी बड़ी भारी भूल थी। इसके बाद उन्होंने इससे बड़ी भूल गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा माँग कर की। यदि द्रोणाचार्य उसका अंगूठा न कटवाते तो वह शस्त्र विद्या में कहीं और अधिक निपुण हो जाता और यदि द्रोणाचार्य उसे शिक्षा दे देते तो बालक एकलव्य न जाने कितना निपुण होता और अपना तथा भारत का नाम पूरे विश्व में अस्त्र—शस्त्र में बहुत चमकाता।

महाभारत कालीन आख्यानों के पात्रों को लेकर अनेक कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से ख्याति अर्जित की है। शैलेश जैदी 'सूरज एक सलीब', डॉ० किशोर काबरा ने 'उत्तर महाभारत', सुशील दीक्षित 'मध्यांतर यथार्थ', अयोध्या सिंह उपाध्याय 'छुआछूत के चौपदे', रामचन्द्र शुक्ल की 'अछूत की आह', पं. माधव शुक्ल की 'हम अछूत हरिजन', गया प्रसाद शुक्ल सनेही की 'अछूत', ब्रह्मदत्त दीक्षित ललाम की 'हरिजन', मैथिली शरण गुप्त की 'अछूत', डॉ० सौ. बी. भारती की 'आक्रोश', सुमन राजे की 'वापसी' आदि शामिल हैं। 'एकलव्य' निषाद जाति के होने के कारण उन्हें सामाजिक असमानता, अस्पृश्यता का शिकार होना पड़ा, प्राचीन साहित्यों में जाति-भेद, वर्ण भेद आदि का उल्लेख प्राप्त होता है।

समकालीन कवि जगदीश चन्द्र ने चीटियों के माध्यम से जाति-भेद, वर्ण-भेद को स्पष्ट कुछ इस प्रकार किया है कि बेचारी चींटी रात-दिन चलती है अपने लक्ष्य पर पहुँचने के लिए वह भरसक प्रयत्न करती है जिस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने के लिए एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति की आराधना करके शस्त्र विद्या सीखना चाहते थे। "चीटियाँ/अनाज के गोदाम की ओर बढ़ रही हैं।/एकलव्य की तरह/इनकी दृष्टि के सामने कुछ और नहीं है/गोदाम के सिंहा"<sup>10</sup>

श्रमिक का जीवन अत्यन्त ही कठोर होता है। उसे अनेक अभावों में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अनेक कठिनाईयों का समना करना पड़ता है आखिर कब तक वह इस तरह लगातार प्रतिशोध की आग में जलते रहेंग। इस प्रकार एकलव्य के समाज को कब स्वतन्त्रता मिलेगी। इस परम्परा से कब छुटकारा मिलेगा। इन जातीय बन्धनों से मुक्ति कब मिलेगी। "बोलोहू कृष्ण/श्रमिक जनक्या करें?/शस्त्रों के विरुद्ध वे/कब तक नहीं शास्त्र गहे?/प्रतिशोध क्यों नहीं लें/एकलव्य की परम्परा"<sup>11</sup>

कर्ण को सूतपुत्र होने के कारण शिक्षा से वंचित रहना पड़ा, द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या में पारंगत होने के बाद भी सूतपुत्र कर्ण को शस्त्र प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया। निषाद जाति का होने के कारण ही द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण नहीं दिया था लेकिन अपनी लगन और बुद्धि से वह धनुर्विद्या में पारंगत हो गया था। "एकलव्य में शिष्य आपका,/यह अरण्य ही मेरा देश/गुरुकूल में आया था लेकिन/नहीं आपने दिया प्रवेश"<sup>12</sup>

चारों वर्णों में शूद्र जाति को ही अपमान सहन करना पड़ता है। क्या वो मनुष्य नहीं हैं? इतना भेदभाव क्यों? उसे क्यों दीन-हीन और तुच्छ समझा जाता है वह भी तो भारत का नागरिक है उसे भी वही अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो एक सामान्य नागरिक को प्राप्त हैं। रामशंकर बटोही ने अपनी कविता 'शाकुन्तलम्' में श्रमजीवी के स्वामिमान की चर्चा की है। "बन्दी बोला मैं नहीं चोर/श्रीमान, मेरी क्या है विसात/धीवर हूँ शचितार्थ का मैं/स्वामी से करता नहीं घात"<sup>13</sup>

मध्यकालीन कवियों में कबीर रैदास, दादू आदि कवियों, विचारकों ने अपने ज्ञान के बल पर न केवल मन्दिरों पर अपितु हिन्दू संस्कृति पर भी अमिट छाप छोड़ी है। सभी ने जाति-पाति, छुआ-छूत का डटकर विरोध किया है। हरिजन जाति का मंदिर में प्रवेश निषिद्ध था। सभी ने डटकर विरोध किया तथा गाँधी जी द्वारा हरिजनों के मंदिर प्रवेश पर लगी रोक को हटाया गया। "मेहतर से धृणा, कूड़े से प्रेम/सत्ताहीन वर्गी के पक्ष में पिछड़े हुए वर्गों का/सामूहिक अग्निदाह, खुले आम/अंतहीन अनाचार, गरीबों से छुट्टा बलात्कार"<sup>14</sup>

युगों-युगों से शासक वर्ग शासित वर्ग में असमानता रही है उच्च वर्ग शोषण करने में तनिक भी नहीं डरता है वह सदैव निम्न जाति का शोषण करने में अपनी शान समझता है। "सुदामा की नम्रता ओढ़े/झुण्ड की झुण्ड बकरियाँ, जंगल के राजा का फैसला सुनकर मौन हों गयीं..//शासक और शासित की बोली का अतर/समझ में आता है"<sup>14</sup>

आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द ने वर्ण व्यवस्था की नये से व्याख्या की है उन्होंने जन्म के स्थान पर कर्म को वर्ण व्याख्या का आधार बनाने का प्रयास कियाद्य कुछ कवियों ने उनके इस मत को अपनाया है। हिन्दी साहित्य के कवि 'हीराडोम' की कविता 'अछूत की शिकायत' पहली दलित रचना कही जा सकती है जिसे भोजपुरी में लिखा गया है। "हमनी के रति दिन दुखवा भोगत वानी/हमनी के सहेब से विनती सुनारबि/हमनी के दुःख भगवानओं न देखत जो/हमनी के कबुले कलेसवा उठाइवे"<sup>15</sup>

डॉ० रामकूमार वर्मा 'एकलव्य' महाकाव्य में कहते हैं कि भारत के मूल निवासियों को विद्या पढ़ने के अधिकार से वंचित क्यों रहना पड़े? क्यों मूल निवासी होने के कारण छुआछूत का शिकार होना पड़े? "जिनको कि आर्यण कहते अनार्य हैं/जिनका कि देश तथा कण-कण भूमि है/हम अछूत हैं, तो हमारे अंगस्पर्श से/आर्यों के सुअंग क्या कुअंग बन जायेगे"<sup>16</sup>/

दलित कविता वर्णव्यवस्था के प्रति खड़गहस्त है। वह उन सारे धर्मग्रन्थों का विरोध करते हैं जिनके आधार पर चारुवर्ण व्यवस्था और गुलामी आयी है। श्री दयाशंकर 'बटोही' शिक्षा संस्थानों में दलित छात्रों के साथ भेद-भाव का कड़ा विरोध करते हैं। "द्रोणाचार्य सुनें, उनकी परम्परायें सुनें/एकलव्य मैं पहले था, आज भी हूँ अब जान गया हूँ/अंगूठा क्यों मांगते हो?/ अब दान में अंगूठा मांगने का साहस/कोई नहीं करता, प्रेक्षिकल मैं फेल कर देता है/प्रथम अगर आता हूँ तो छटा अथवा सांतवा स्थान देता है/जाति, गध टाइटल मैं खोजता/वह आत्मा और मन को बेमेल करता है"<sup>17</sup>/

भारत में वर्ण-व्यवस्था का श्रेय मनुस्मृति को जाता है इस वर्ण-व्यवस्था ने ही सार्वजनिक भावना को समाप्त कर दिया है। जब तक वर्ण व्यवस्था, ऊँच-नीच के आधार पर समाज को टुकड़ों में बँटा जाता रहेगा तब तक न ही न्याय का कोई महत्व है और न ही व्यक्ति का और न ही ऐसे समाज काद्य एकलव्य ने निम्न जाति का होने के कारन ही अंगूठा देकर अपने निषाद होने का मूल्य चुकायाद्य डॉ० सौ. बी. भारती का आक्रोश साफ दिखाई देता है। "द्रोणाचार्य, जिसे माना था तुमने अपना गुरु/गुरु नहीं वो तो आतातायी निकला/जिसने मांग लिया था दाहिना अंगूठा तुमस/जिससे कि रह न सको तुम योग्य धनुर्धर"<sup>18</sup>/

शम्भुनाथ के अनुसार 'पौराणिक कथाओं में तर्क की कोई जगह नहीं है मनु स्मृति तथा अन्य स्मृतियाँ ने समाज को लम्बे समय तक कठोर वर्ण-व्यवस्था, पुनर्जन्मवाद और मोक्ष की धारणाओं से जकड़ ही रखा था' <sup>19</sup>

सर्वप्रथम महाराष्ट्र में कुछ समाज सुधारक हुए जिन्होंने दलित समाज में जागरूकता लाने के लिए, दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किये, हिन्दी के कवियों ने उनसे प्रेरणा भी लीद्य शंकराचार्य द्वारा मंदिर में शूद्रों के प्रवेश के निषेध का विरोध ओमप्रकाश बाल्मीकि ने किया है। 'तुम कहते हो शंकराचार्य/मंदिर में जाने का अधिकार/आदमी को नहीं होता/क्योंकि/वह अपने श्रम का फल खाता है/धूप बारिश में लड़ते हुए/जिंदा रखता है/उस आदमी को जिसे देश कहते हैं' <sup>20</sup>

राजनैतिक स्तर पर अवश्य आजादी मिली हुई है लेकिन दलित जातियाँ आज भी विषमता से पीड़ित हैं य मन्दाकिनी श्रीवास्तव चाणक्य के माध्यम से दलितों के दिन प्रतिदिन बढ़ती संख्या पर रोष व्यक्त करती हैं। "मैं देख रही हूँ/कि/लोगों के भीतर/बैठा चाणक्य अब मर रहा है" <sup>21</sup>

**महत्व :** साहित्य का मूल प्रेरणा स्रोत समाज है चाहे वह दलित साहित्य हो या वैचारिक साहित्य समाजदैव्यक्तियों का एक संगठन होता है। व्यक्ति और समाज द्वारा ही सामाजिक मूल्यों का निर्माण और मानवीय मूल्यों का निर्धारण होता है। मानवीय मूल्यों का निर्धारण करने में हमारे देश की वैदिक ऋचायें, पुराख्यान, मिथक, उपनिषद का विशेष योगदान है। पौराणिक आख्यानों से पता चलता है कि स्त्री और शूद्रों की स्थिति बहुत दयनीय थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अवश्य दोनों ही स्थितियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। समकालीन कविता विलासिता की कविता न होकर समस्याओं की कविता है। समकालीन कवियों ने पुराख्यानों और मिथकों के माध्यम से तत्कालीन स्थितियों को वर्तमान समाज के सामने लाने का प्रयास कियाद्य 'एकलव्य' एक शूद्र (निषाद) जाति का होने के कारण उसे शिक्षा से वंचित रखा गयाद्य समकालीन कवियों ने कविता के माध्यम से वर्ग, जाति-भेद, ऊँच-नीच, मानव सभ्यता, सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था में परिवर्तन आदि के द्वारा एक नई दिशा देने का प्रयत्न किया है।

**निष्कर्ष :** निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि समाज की सम्पूर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से देखने, समझने और चलाने का काम मनुष्य का होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पुराण और मिथक निश्चित रूप से हमारे अतीत हैं और अतीत के प्रति मनुष्य, प्राणी मात्रा का जुड़ाव निश्चित है। अतीत का साहित्य हमें अपने जड़ों से जुड़े रहने का माध्यम होते हैं। 'एकलव्य' ने अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर शास्त्र विद्या को प्राप्त किया। लेकिन द्रोणाचार्य ने उससे दक्षिणा के नाम पर अंगूठा ही मांग लिया। भारतीय समाज में जातिवाद बहुत ही पुराना कोड़ है जिसको दूर करना हमारा परम कर्तव्य है। समकालीन कवियों ने इन आख्यानों के माध्यम से ऊँच-नीच, वर्ग-भेद को समाप्त तो नहीं किया वरन् शिक्षा के प्रति जागरूकता फैला कर एक नये समाज की संरचना करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

राजनैतिक स्तर पर अवश्य दलित जातियों को आजादी मिली हुई है। लेकिन दलित वर्ग आज भी विषमताओं से जूँझ रहा है। समाज में फैले व्यवस्था परिवर्तन में बदलाव लाना चाहता है। नयी पोढ़ी की नयी सोच के कारण 'एकलव्य' जैसे शिष्यों को नवीन चेतना, नया वातावरण, उच्च-शिक्षा द्वारा, नित-नये प्रयोगों द्वारा ऊँच-नीच, भेदभाव को समाप्त करने में अवश्य सफलता प्राप्त होगी और समाज में एक नये युग का सूत्रपात होगा।

#### सन्दर्भ :

1. 'विमल', प्रसाद डॉ. गंगा 'आधुनिक साहित्य के सन्दर्भ में' पृ. ११३-११४
2. 'रजनीश' डॉ। गोविन्द, 'समकालीन हिन्दी कविता की सेवेदना' पृ. १०
3. गृह्ण, प्रसाद डॉ। गंगा, 'आधुनिक काव्य सन्दर्भ और प्रकृति' पृ. ११५
4. तिवारी, प्रसाद विश्वनाथ, 'समकालीन हिन्दी कविता' पृ. ०५
5. 'काहली', नरेन्द्र, 'मिथक और भाषा' सम्पादक शंभुनाथ पृ. १३५
6. 'हिन्दी की आधुनिक प्रबंध कविता का वैचारिक आधार' पृ. ०३
7. श्रीवास्तव, डॉ। जगदीश 'मिथकीय कल्पना और आधुनिक काव्य' विश्व वि., प्रकाशन १६८५ पृ. ०३
8. डॉ। नरेन्द्र 'मिथक और साहित्य' नई दिल्ली, नेशनल पब्लिकेशन हाउस १६८७ पृ. ३३
9. 'अक्षरा' अक्टूबर-दिसंबर १६६४ पृ. ४२
10. 'पाषाण' मिश्र धूवदेव, चौराह पर कृष्ण पृ. ३८
11. काबरा, डॉ। किशोर 'उत्तर महाभारत' अभिव्यक्ति प्रकाशन दिल्ली, १६६० पृ. १७७
12. 'बटोही', रमाशंकर 'शाकुन्तलम्' आशुरोष प्रकाशन, राज्य शिक्षा संस्थान एलनगंज, इलाहबाद, १६६६ पृ. ६२
13. 'पाषाण' मिश्र धूवदेव 'खण्डहर होते शहर के अंदरे में' प्रगतिवाद प्रकाशन, हावड़ा १६६८ पृ. ६६
14. शुक्ल, ललित, समानान्तर प्रकाशन नई दिल्ली-१६६८ 'सहमी हुई शताब्दी' पृ. १७
15. प. माता प्रसाद, 'दलित साहित्य' प्रकाशन वर्ष १६६६ पृ. १३
16. वहीं पृ. १८
17. वहीं पृ. २७
18. भारती, डॉ। सी. बी., 'आक्रोश' लोक सूचना प्रकाशन फरुखाबाद १६६६ पृ. ४४
19. युद्धरत आम आदमी, अक्टूबर-दिसंबर १६६६ पृ. ०७
20. प० माता प्रसाद, 'दलित साहित्य' प्रकाशन-१६६६ पृ. २५
21. युद्धरत आम आदमी, जनवरी-मार्च १६६७ पृ. ५०

## **फतेहपुर सीकरी, आगरा (उत्तर प्रदेश—भारत) में स्थित शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की प्रासंगिकता**

**यतेन्द्र सिंह\***

\*एमफिल० (इतिहास), नेट यूजी०सी०(इतिहास), मकान नं० ७३ E, दीप नगर, वंशी बिहार मोड़, पश्चिमपुरी, सिकन्दरा, आगरा, उ०५०

**सारांश :** भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर से ३७ किमी० (२३ मील) पश्चिम में चिश्तिया सिलसिले के सूफी सन्त हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख सलीम चिश्ती हजरत बाबा फरीद शंकरगंज के खानदान से थे। इनके पिता का नाम शेख वहाउददीन एवं माता का नाम बीबी अकसा था। इनका जन्म सन् १४७९ ई० (हिजरी ८८३) में दिल्ली के शेख सराय इलाके में हुआ था। चिश्ती १८ वर्ष की उम्र में हज करने के लिए मक्का रवाना हो गये, वे १५३७ ई० स्वदेश वापस लौटे एवं १५५४ में दुबारा हज करने के लिये गये १५६३ में वापस लौटकर सीकरी पहाड़ पर एक खानकाह बनायी।

**मुख्य शब्द :** सूफी सन्त, चिश्तिया, अजमेर शरीफ की दरगाह, दरगाह, खानकाह आदि।

अकबर ने पुत्र प्राप्ति के लिए अजमेर शरीफ की दरगाह पर पैदल जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए मन्त्र मांगी। उन्हीं दिनों किसी ने सीकरी में स्थित सूफी सन्त शेख सलीम चिश्ती के विषय में जानकारी दी। अकबर उनके आश्रम पर गया जो सीकरी के पास पहाड़ पर था अकबर ने चिश्ती से मन्त्र मांगी और पूछा कि क्या खुदा मुझे कोई पुत्र देगा। देवयोग से उस समय उन्होंने विशेष कृपा दिखलाई और कहा खुदा तुम्हें प्रसन्न होकर तीन पुत्र देगा। चिश्ती की दुआ से अकबर के तीन पुत्र सलीम (जहाँगीर) मुराद, और दानियाल। बुधवार ३०. अगस्त १५६९ को सलीम का जन्म हुआ। पुत्र प्राप्ति के समय अकबर ने प्रण किया, कि वह सीकरी में एक दरगाह का निर्माण करायेगा। पुत्र प्राप्ति से ही अकबर के हृदय में इस स्थान (सीकरी) से लगाव हो गया। हजरत शेख सलीम चिश्ती का इन्तकाल फरवरी सन् १५७२ (हिजरी सम्वत् ९७९) को हो गया। उनके दफन स्थल पर दरगाह ए सलीम चिश्ती का निर्माण क्रारम्भ किया गया जिसका निर्माण कार्य सन् १५८१ में पूर्ण हुआ। दरगाह का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था जिसे जहाँगीर ने सन् १६०६ में ५ लाख रुपये कुतुबुददीन खान कोका को देकर दरगाह के स्ट्रक्चर में कोइ परिवर्तन किये बिना राजस्थान के मकराना से लाये गये सफेद संगमरमर के पत्थर से पुनर्निर्मित कराया, जो मुगल स्थापत्य कला का वेमिसाल नमूना प्रस्तुत करती है।

चिश्ती इस्लाम धर्म के सूफीमत चिश्तिया शाखा के संत थे। चिश्तिया शाखा की स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल ने की थी। किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मुइनुददीन चिश्ती (सन् ११९२) के द्वारा किया गया। चिश्ती के प्रमुख सूफी सन्त मुइनुददीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुददीन बजित्यार काकी, शेख फरीदान गजशंकर, बाबा फरीद, निजामुददीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती आदि।

इस्लामी कानून के अनुसार संगीत अवैध है, किंतु चिश्ती शाखा के संतो ने 'समा' (संगीत गोष्ठी) आध्यात्मिक मूल्य पर बल दिया और उच्च कोटि के संगीतज्ञों का प्रश्रय भी दिया। चिश्ती सूफी सन्त उदार थे और वे (चिश्ती सूफी संत) लोकहित बारी थे और हिन्दू मुस्लिम समाज के समन्वय पर जोर देते थे। वे समाज में प्रचलित दकियानूसी प्रथाओं के विरोधी थे।

दरगाह को सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई इसका आधार (नींव) चौकोर है। इसमें सफेद संगमरमर के पत्थर एवं लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। बाहर का संपूर्ण भाग सफेद संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है एवं गुम्बद के अंदर के भाग में बलुआ पत्थर लगा है इसकी नींव सहन से लगभग तीन फुट ऊंचे चबूतरे पर रखी गई है। इसे बनाने में पत्थर की दीवार पत्थरों के स्तंभ जिन पर सुदर डिजाइन उकेरी गई है बरसात में छत के पानी को नीचे उतारने के लिए स्तंभ को अंदर से खालो किया गया है दरगाह जिस चबूतरे पर बनी है उस पर चढ़ने कि लिए पांच सीढ़िया बनाई गई है दरगाह का मुख्य प्रवेश दार आबनूस की लकड़ी से बनाया गया है जिस पर सुदर डिजाइन उकेरी गई है दरगाह में सुदर छज्जा निकाला गया है जो घुमावदार स्तम्भों पर टिका है दरगाह के मुख्य प्रवेश दरवाजे के बाद मजार में जाने के लिए एक और दरवाजा लगाया गया है जो पत्थर के दो टुकड़ों को तराशकर बनाया गया है चिश्ती की मजार पत्थर की बनी है और मजार के ऊपर छतरी बनायी गयी है जो चंदन की लकड़ी की है जिस पर सीप की मीनाकारी भी की गयी है। दरगाह की दीवारों को विभिन्न प्रकारों के चिन्हों द्वारा सजाया गया है चिश्ती दरगाह का मुगल चित्रकला के ज्ञान में उल्लेखनीय योगदान है इसमें प्रकृति के फल वाले पौधों को चित्रित किया गया है। दरगाह पर चित्रित चित्रकला के निम्न नाम हैं

- (1) डाढ़ो पैनल पेंटिंग्स
- (2) स्पेङ्गिल पैनल पेंटिंग्स
- (3) साफ्ट पैनल पेंटिंग्स
- (4) मोरल पैनल पेंटिंग्स।

दरगाह का फर्श पत्थर से विभिन्न डिजाइनों में बनाया गया है दरगाह में लगे सफेद संगमरमर के पत्थर को राजस्थान की मकरान की खान से लाया गया था। इनमें सुदर पत्थर की जालियां तथा विभिन्न डिजाइनों में लगी हुयी हैं जिनमें गुजराती शैली का प्रभाव झलकता है दरगाह की दीवार पर कुराने शरीफ की आयतों को अरबी भाषा में उकेरा गया है। दरगाह में सुन्दर बरामदा है जिसमें चारों तरफ पत्थर की जालियां लगी हुयी हैं दरगाह में गुम्बद प्याजी एवं लहसुनी आकार की है दरगाह के

सामने (दक्षिण की तरफ) बुलंद दरवाजा है जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था तथा पूर्व की तरफ इस्लाम खां का मकबरा, बादशाही दरवाजा एवं पश्चिम की तरफ जामी मस्जिद है इसी के सहन में चिश्ती दरगाह को बनाया गया है। दरगाह के उत्तर पूर्व में जनाना रोजा एवं उत्तर में वो सुरंग है जिसके प्रति यह धारणा है कि इसी सुरंग से अनारकली को निकाल दिया गया था।

अकबर के शासनकाल में दरगाह की देखरेख, साजसज्जा, एवं चिश्ती परिवार के पालन पोषण के लिए 84 गांव दान में दिये गये थे, जिनसे प्राप्त आय के माध्यम से चिश्ती दरगाह की देखरेख एवं कर्मचारियों का खर्च तथा चिश्ती परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। मुगलकाल में यहां पर अरबी एवं फारसी भाषा में मदरसों में शिक्षा दी जाती थी।

सन 1821 में ब्रिटिश सरकार ने चिश्ती वंशजों से मुगलों द्वारा दान में दिए गये गांवों को वापिस ले लिया तथा 10853 रु० तीन भागों में निर्धारित किए।

- (1) चिश्ती वंशजों को वजीफा एवं पेंशन
- (2) दरगाह की मरम्मत के लिए
- (3) दरगाह कर्मचारियों की तनखाह एवं धार्मिक मामलों के लिए खर्चा शामिल था।

वर्तमान समय में दरगाह की देखरेख एवं प्रबंधन के लिए दरगाह कमेटी बनती है जिसक अध्यक्ष मौजूदा चिश्ती वंशज होते हैं धार्मिक मामलों की देखरेख यू०पी० सुन्नी वक्फ बोर्ड न०१७। करता है। दरगाह पर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसमें से ७: वक्फ बोर्ड का दिया जाता है शेष ९३ भाग मौजूदा सज्जादा नसीन के पास जाता है। दरगाह के कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वेतन मिलता है दरगाह के मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के कंधों पर है। 1994 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दरगाह के 100 मीटर के दायरे में कोई चीज न विकने का आदेश दिया गया है। दरगाह की साफ सफाई 'मैडपेक थिरेपै' द्वारा की जाती है दरगाह में पर्यटकों के सुरक्षा की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के कंधों पर है दरगाह के दर्शन सूर्योदय से सूर्यास्त तक किए जा सकते हैं। इशा की नवाज के बाद दरगाह बंद कर दी जाती है दरगाह की स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक दरगाह के प्रबन्धन एवं कार्यशैली में विभिन्न समय में भिन्न-भिन्न उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं।

सूफियों की त्याग की भावना का असर भी जनता पर पड़ा। इन सूफियों में दिखावटी या बनाबटीपन न था और साधारण खानकाह में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते थे। उनके उपदेशों से जनता प्रभावित होती रही है सूफी संतों ने जनता के मध्य रहकर तथा उनका सहयोगी बनकर कार्य किया। हिन्दू मुस्लिम एकता के अथक प्रयास किए। इस्लाम की कट्टरता पर चोट की साथ ही हिन्दू धर्म में जो आडम्बर थे उन्हें समाप्त करने के प्रयास किया।

सूफी साधक शेख सलीम चिश्ती ने हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए अथक प्रयास किए। इसी श्रद्धा का फल है कि चिश्ती दरगाह पर हिन्दू हो या मुस्लिम, सिक्ख हो या ईसाई नेता हो या अमिनेता, धनवान हो या निर्धन, देशी पर्यटक हो या विदेशी पर्यटक, पुरुष हो या स्त्री सभी श्रद्धालु 'सिजदा' करते हैं और मनोकामना हेतु धागा बांधते हैं। ऐसे मौकों की लम्बी सूची है जब राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय शीर्ष नेताओं ने दरगाह पर आकर 'सिजदा' कर मन्त्र भागी हैं।

दरगाह की स्थापना से वर्तमान समय तक विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा है सामाजिक प्रभाव, राष्ट्रीय एकता, अन्तराष्ट्रीय सद्भाव, कौमी एकता, आस्था और विश्वास, स्थापत्य कला के क्षेत्र में योगदान सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर के क्षेत्र में योगदान— (प) चिश्ती के वंशजों को रोजगार, (पप) कर्मचारी के रूप में रोजगार (पपप) दुकानदारों के रूप में रोजगार (पअ) जूता चप्पलों की रखवाली के रूप में रोजगार, (अ) फोटोग्राफी के रूप में रोजगार, (अप) पर्यटन के क्षेत्र में विश्वी दरगाह का योगदान, (अपप) मानसिक संतोष आदि क्षेत्रों में प्रभाव एवं योगदान है।

हिन्दू-मुस्लिम समन्वय, सौहार्द, शान्ति में हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की प्रासंगिकता रही है। जनसाधारण चाहे वह हिन्दू हो अथवा मुसलमान साधारणतया शातिपूर्ण रहना परसंद करते हैं और इस क्षेत्र में सलीम चिश्ती एवं उनका दरगाह की मुख्य भूमिका रही है। साधारणतः जनता की राजनीतिक तथा धार्मिक महत्वकांक्षाएँ बहुत कम होती हैं। इसी कारण साधारणतः जनता अपने पड़ासियों के साथ मिलकर रहना परसंद करती है, चाहे वह पड़ोसी हिन्दू हो अथवा मुसलमान। इस वर्ग पर सूफी संतों एवं भक्ति आंदोलनों के प्रचारकों का बहुत प्रभाव पड़ा। क्योंकि अधिकांश सूफी संत इसी वर्ग से थे। जन साधारण संतों, दार्शनिकों और कतिपय विद्वानों ने हिन्दू मुसलमानों का एक दूसरे के साथ रहने की आवश्यकता को बताया और परिस्थितयों ने उन्हें इसके लिए बाध्य किया। इसी सूफी आंदोलन की श्रृंखला में शेख सलीम चिश्ती थे। उच्च वर्ग की राजनीतिक आवश्यकता के कारण हिन्दू और मुसलमानों का सम्पर्क हुआ। इन सभी ने मिलकर उन परिवर्तनों का जन्म दिया तो हमें सल्तनत काल में वेशभूषा, रहन-सहन, रीति रिवाज, खान-पान, साहित्य, और धार्मिक प्रवृत्तियों में दिखाई देते हैं। परंतु ये परिवर्तन गम्भीर न थे। शासक और विशेषाधिकार प्राप्त मुस्लिम वर्ग की धार्मिक असहिष्णुता ने इस संपूर्ण काल में हिन्दू और मुसलमानों के संबंधों को सुधरने नहीं दिया। ऐसी रिति में सलीम चिश्ती की दरगाह पर मनोकामना के लिए आज भी धागा बांधा जाना, आस्था विश्वास के साथ-साथ धार्मिक सहिष्णुता, आपसी भाईचारा का प्रतीक है। हिन्दू मुस्लिम दोनों धर्म आड़े नहीं आ रहे।

अन्ततः राष्ट्रीय एकता की धुरी को मजबूत करती दरगाह के माध्यम से हिन्दू मुस्लिम "धर्म सेतु" का निर्माण हुआ परिलक्षित होता है।

इस शोध को तैयार करते वक्त दरगाह की स्थापत्य कला के प्रति मुझे जो अनुभूति हुई उसे हमने निम्न परिचयों में व्यक्त करने की कोशिश की है।

"तालाब में खिले कमल के फूल को देखकर जो अनुभूति हमें प्रकृति की कला के प्रति होती है, ठीक वही अनुभूति सीकरी की जामा मस्जिद के सहन में स्थापित हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की स्थापत्य कला को देखकर होती है।"

### सन्दर्भ :

1. अबुल फजल—अकबरनामा, भाग—1, (अंग्रेजी अनुवाद) एच०बेविज प्रकाशक — श्रीमती शील सेठी फॉर एस०एस० प्रकाशन, दिल्ली, 1977
2. अलामी, अबुल फजल—द आइन —ए अकबरी, भाग—1, (अंग्रेजी अनुवाद) एच० ब्लोचमैन एण्ड डी०सी० फिलौट प्रकाशक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, 1977
3. अल—बदायूँनी— मुन्ताखाब—उत्त—तवारिख, भाग—2, (अंग्रेजी अनुवाद) डब्ल्यू० एच० लोवे प्रकाशक—मोहम्मद अहमद फॉर इदराह—1 अदावियात —1 दिल्ली, 2009 दशीमजन सेन्ट दिल्ली, 1973
4. अबुल—फजल— अकबरनामा, भाग—3, (अंग्रेजी अनुवाद) एच०बेविज प्रकाशक—श्रीमती गील सेठी फॉर एस०एस० प्रकाशन, दिल्ली, 1977
5. अलामी, अबुल फजल— द आइन —ए अकबरी, भाग—2, (अंग्रेजी अनुवाद) कर्नल एच०एस० जैरेट एण्ड सर जादूनाथ सरकार, प्रकाशक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, 1978
6. अलामी, अबुल फजल— द आइन —ए—अकबरी, भाग—3, (अंग्रेजी अनुवाद) कर्नल एच०एस० जैरेट, रिवाइजड द्वितीय एडीशन करैकटड एण्ड फरदर एनोटेटड, सर जादूनाथ सरकार, प्रकाशक —ऑरिएन्टल बुक्स रीप्रिन्ट कॉर्पोरेशन नई दिल्ली, 1978
7. अबुल फजल— अकबरनामा, भाग—2, (अंग्रेजी अनुवाद) एच० बेविज, प्रकाशक —श्रीमती शील सेठी फॉर एस०एस० प्रकाशन, दिल्ली
8. अल—बदायूँनी—मुन्ताखाब—उत्त—तवारिख, भाग—1, (अंग्रेजी अनुवाद) जार्ज एस०ए० रैकिंग, प्रकाशक—मोहम्मद अहमद फॉर इदराह —1 अदावियात —1 दिल्ली, 1973
9. तुजुक—ए—जहाँगीरी और मेमोर्यर्स ऑफ जहाँगीर (अंग्रेजी अनुवाद)— अलेकजेंडर रोजर्स, प्रकाशक — एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स 4215 / 1 अन्सारी रोड, दिल्ली, नई दिल्ली, 1989
10. अबुल फजल—ए—अलामी आइन—ए—अकबरी, भाग 3. (अंग्रेजी अनुवाद) कर्नल एच०एस० जैरेट, प्रकाशक—द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता, 1984
11. अबुल फजल अलामी— आइन —ए—अकबरी (अंग्रेजी अनुवाद) एच० ब्लोचमैन लेखक एस०एल० गूमर, प्रकाशक—नरेश चन्द्र जैन न्यू इम्प्रियल बुक डिपो 53 / डी० देव नगर, नई दिल्ली, 1965
12. आगरा गजेंटियर — स्टेटिस्टिकल डेस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टोरिकल एकाउण्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविन्स ऑफ इण्डिया भाग — टप्प फर्लखाबाद एण्ड आगरा, सकलनकर्ता एच०सी० कॉनीयोयर, सम्पादक ई०टी० एटकिन्सन एण्ड एफ०एच० फिशर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविन्सस एण्ड अवध गवर्नमेन्ट प्रेस, इलाहाबाद, 1884
13. एटकिन्सन, ई०टी० एण्ड फिशर, एफ०एच०— स्टेटिस्टीकल डिस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टोरिकल एकाउन्ट नॉर्थ—वेस्टर्न प्रोविन्सज ऑफ इण्डिया भाग—7, (गजेंटियर) फर्लखाबाद एण्ड आगरा, इलाहाबाद, 1884
14. दरगाह के अन्तर्गत शोध
15. द जहाँगीरनामा — मेमोर्यर्स ऑफ जहाँगीर इपीरर ऑफ इण्डिया (अंग्रेजी अनुवाद), व्हीलर एम० थेक्सटन, प्रकाशक — ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 1999
16. जहाँगीर — जहाँगीर का आत्मचरित्र (जहाँगीरनामा) अनुवादक —ब्रजरल्दास प्रकाशक — नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, 1914
17. जहाँगीर—तुजुक—ए—जहाँगीरी (अंग्रेजी अनुवाद) अलेकजेंडर रोजर्स (आई०सी०एस०) प्रकाशक—रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, लंदन, 1909
18. वर्तमान में प्रबन्धतन्त्र से जुड़े सूफी सन्त, मुल्ला, मौलवी आदि महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी।
19. राजकीय दस्तावेज, पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, फाइल संख्या भार०पुरा०सर्व० 5 / सू० / 07 / 26, आगरा।
20. शासनादेश सुप्रीम कोर्ट सिविल नं० 653 / 1994 (वसीम अहमद सईद वर्जिज यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर)
21. साक्षात्कार
  1. परिजादा खुशीद अलीम चिश्ती
  2. परिजादा अयाजुद्दीन चिश्ती उर्फ रईस मियाँ (चिश्ती के 17 वें वंशज)
  3. सेफ फरीदी छव परिजादा रईस मियाँ चिश्ती
  4. मास्टर कदीर (पूर्व दरगाह प्रबन्धक)
  5. हाजी मुकीम

## ग्रामीण स्वास्थ्य के विकास में सामाजिक व सांस्कृतिक अवरोध (जौनपुर जनपद के विकास खण्ड धर्मापुर के विशेष संदर्भ में)

संदीप कुमार\*

\*शोध छात्र, (एम.ए. एम.फिल. नेट), समाजशास्त्र विभाग, सहकारी पी०जी० कालेज, मिहरावां, जौनपुर, उ०प्र०

डॉ संजय कुमार सिंह\*\*

\*\*शोध निर्देशक, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, सहकारी पी०जी० कालेज, मिहरावां, जौनपुर, उ०प्र०

**सारांश :** जहाँ तक भारतीय ग्रामीण समाज की बात है तो देखा जाय तो भारतीय संस्कृति यदि आज जीवित है तो यह भारतीय गांवों में ही देखने को मिलती है, ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और इसलिए ये प्रारम्भ से प्राकृतिक शक्तियों की पूजा आराधना और विश्वास करते आये हैं क्योंकि इन प्राकृतिक शक्तियों (सूर्य, अग्नि, इन्द्र, पवन) से कृषि का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है और कृषि का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है और कृषि के बिना ग्रामीण जीवन सम्बन्ध नहीं है, परन्तु बढ़ते हुए समय ने इनके गूढ़ रहस्य को खो दिया है और लोग इसे धर्म व अधिविश्वास आत्मा के रूप में स्वीकार करने लगे किन्तु आधुनिकता और विज्ञान ने इनके वास्तविक रहस्य को पुनः एक बार खोज निकाला है। फिर भी ग्रामीण समाज रुद्धिग्रस्त और धार्मिक रीति-रिवाजों धार्मिक अंधविश्वासों प्रतिमानों व मूल्यों को आत्मसात किये हुए हैं।

**मुख्य शब्द :** भारतीय संस्कृति, आधुनिकता और विज्ञान, सामाजिक कल्याण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष, कृपोषण आदि।

ग्रामीण समाज में अच्छे व खुराब स्वास्थ्य के लिए ईश्वर को ही जिम्मेदार मानते हैं और इसे देवी-देवताओं का रूप होना क्रोध के रूप में मानते हैं ग्रामीण समाज में तो कई विमारियों के लिए प्रत्यक्ष देवी देवताओं का नाम भी बताया जाता है और उसी के अनुसार यज्ञ, पूजा, बलि, हवन एवं धार्मिक कृत्य करने का प्रावधान भी है, जिससे देवता प्रसन्न होकर अपने क्रोध से मुक्त कर दें।

सामान्यता लोग उसे स्वास्थ्य मानते हैं जिसका अच्छा शरीर (देह) एवं अच्छी खुराक हो और अधिक से अधिक श्रम करता हो लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को अरोक्त से अतिरिक्त चिन्ताओं एवं परेशानियों से मुक्त होना भी आवश्यक है। लोगों का यह विश्वास है कि, मनुष्य का जन्म, मृत्यु, विवाह, विमारियां आदि ईश्वर द्वारा पूर्व नियोजित होते हैं इनमें मनुष्य की कहीं कोई भूमिका नहीं होती है। यह विश्वास शहर की अपेक्षा गांवों में अधिक दृढ़ होती है, इनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवनकाल ईश्वर द्वारा निर्धारित होता है। मनुष्य संसार में अपने निर्धारित समय तक ही रहता है। जिस व्यक्ति का जीवनकाल समाप्त हो जाता है उसे कोई भी चिकित्सक या औषधि नहीं बचा सकता है। अतः वे ऐसे समय में चिकित्सक पर विश्वास न करके ईश्वर की प्रार्थना उपवास और उन्हें प्रसन्न करने पर ही विश्वास करते हैं। इस प्रकार रोगी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष का ज्ञान रोग के पहचान एवं निदान के लिए तो आवश्यक है।

**स्वास्थ्य की अवधारणा :** स्वास्थ्य एक व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक कल्याण का दर्शाता है, दूसरे शब्दों में विमारी व दुख, दर्द से मुक्ति की अवस्था ही स्वास्थ्य है विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में इसे व्यापक रूप से परिभाषित किया है जिसके अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ विमारी या कमजोरी न होना ही नहीं है बल्कि शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था ही स्वास्थ्य है इस प्रकार व्यक्ति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष को भी स्वास्थ्य का अविच्छिन्न अंग माना गया है किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर उसके सामाजिक वातावरण सामाजिक स्तर एवं मनोरंजन की विधियों का गहरा सम्बन्ध है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी इसी प्रकार कहा गया है जिसके शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का विकास हो इस प्रकार व्यक्ति का अपने पर्यावरण के साथ पूर्ण रूप से सामाजिक व शारीरिक समायोजन ही स्वास्थ्य है। कभी-कभी व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है किन्तु उसकी सामाजिक गतिविधियाँ समाज के अनुकूल नहीं होती ऐसे में व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कहा जाता है। इस प्रकार व्यक्ति का दोनों स्तरों से स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है शारीरिक व मानसिक और इसके लिए व्यक्ति का सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पूर्णतः उत्तरदायी होती है।

दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पाति के किसी भी क्षेत्र में स्वास्थ्य एक मूलभूत तत्व होता है यह देश की शक्ति और उत्पादक क्षमता की माप है स्वास्थ्य क्षति का प्रभाव राष्ट्रीय उत्पादन में उत्पादित और कार्यकुशलता दोनों पर पड़ता है यह मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है जो उसके क्रिया-कलापों को प्रभावित करती है तथा उसके प्रारब्ध का निर्माण करती है, सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणाओं का विकास विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संगठनों के प्रादुर्भाव के साथ हुआ है स्वास्थ्य की अवधारणा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार से समझी जाती है कि रोग का न होना ही स्वास्थ्य है।

वही व्यक्ति स्वस्थ है जो विमार नहीं पड़ता या जिसमें रोग के लक्षण नहीं दिखाई पड़ते। स्वास्थ्य के आधुनिक अवधारणाओं के अनुसार स्वास्थ्य का तात्पर्य मानसिक शारीरिक, पारिवारिक एवं परिवेशजनित समृद्धि और स्वास्थ्य स्थिति से लगाया जाता है। रोग या कष्ट से मुक्त रहना ही स्वास्थ्य का गुण है।

इस सन्दर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गयी स्वास्थ्य की परिभाषा का उल्लेख करना आवश्यक है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि "स्वास्थ्य भौतिक मानसिक और समाजिक कुशलता की उस पूर्व दशा की स्थिति है जिसमें व्यक्ति स्वस्थ रहता है। यह केवल रोगों की अनुपरिधित मात्र से सम्बंधित नहीं है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के

लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पक्षों का स्वरूप होना अति आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस परिभाषा में यह मान लिया गया है कि स्वास्थ्य के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं। सामाजिक व सांस्कृतिक पक्ष को स्वास्थ्य का अग माना गया है।

**डेविड मैकेनिक के अनुसार, स्वास्थ्य के लिए संतुलन तो आवश्यक है स्वास्थ्य की अवधारणा स्वास्थ्य विज्ञान और स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं पर आधारित होता है। स्वास्थ्य एक मानवीय समस्या है। अतः स्वास्थ्य को सामाजिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है स्वास्थ्य सम्बन्धी डेविड मैकेनिक की यह अवधारणा वर्तमान अध्ययन के अनुकूल है।**

**वैयक्तिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य :** वैयक्तिक स्वच्छता वैयक्तिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण भाग है किन्तु पर्यावरणात्मक स्वच्छता सम्पूर्ण पर्यावरण को निर्धारित करती है। जहाँ तक ग्रामीण समुदाय की बात है यहाँ स्वच्छता उपेक्षित विषय रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ व्यक्ति को वैयक्तिक स्वच्छता पर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है। इसकी उपेक्षा कर हम स्वास्थ्य के बांधित लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकत हैं क्योंकि व्यक्तिगत सफाई की कमी से स्वच्छ जल व अन्य पर्यावरणीय दशाओं से होने वाला लाभ नगण्य हो जाता है।

वैयक्तिक स्वच्छता स्वास्थ्य के उस पहले से सम्बन्धित होता है जिसको रखने के लिए व्यक्ति को स्वयं ही व्यवस्था करना होता है। इसमें व्यक्ति अपने शरीर की सफाई द्वारा अपने स्वास्थ्य की रक्षा करता है और उसमें सुधार लाता है। वैयक्तिक स्वच्छता से व्यक्ति द्वारा अपने स्वास्थ्य तथा रहन-सहन का भी निर्धारण होता है। इसे बनाए रखना व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी होती है। वस्तुतः मानव स्वास्थ्य और वैयक्तिक स्वच्छता का घनिष्ठ सम्बन्ध है।

ग्रामीण समुदाय में वैयक्तिक स्वच्छता के तौर-तरीके भी अन्य सामाजिक व सांस्कृतिक परम्पराओं की भाँति निरिचत होते हैं। अतः ग्राम समुदाय में वैयक्तिक स्वच्छता को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि उन लोगों के उन विशिष्ट क्रियाओं विचारों, मूल्यों और आदतों का समझा जाए जिसका उनके शरीर की सफाई से सम्बन्ध होता है। सामान्यतः गाँव वाले अशिक्षा के कारण वैयक्तिक स्वच्छता के वैज्ञानिक कारणों से अनभिज्ञ होते हैं। उनके दृष्टिकोण से वैयक्तिक सफाई शारीरिक स्वच्छता व विभिन्न रोगों से बचाव और अच्छे स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि धार्मिक पवित्रता के लिए की जाती है।

**भोजन एवं नशीले पदार्थों का सेवन :** भोजन मनुष्य की मूल आवश्यकताओं के अन्तर्गत आता है। मानव में होने वाले विभिन्न शारीरिक मानसिक रोगों के विभिन्न कारकों का निर्धारण और उनके उपचार में भोजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए सन्तुलित और सुपाच्य भोजन अत्यन्त आवश्यक है और उसके अभाव में व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता है। भोजन में ग्रहण किये जाने वाले पदार्थों की पौष्टिकता व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। किसी भी समाज में भोजन सम्बन्धी आदतें और भोजन सामग्री का सामाजिक निर्धारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं तथा स्थान विशेष की परिस्थितिकी विशेषताओं के अनुरूप होता है। ग्रामीण समाज में भोजन सम्बन्धी आदतें उनकी संस्कृति का एक हिस्सा हैं जो उनके स्वास्थ्य की दशा का निर्धारण करती है।

सन्तुलित मात्रा में भोजन ग्रहण करना मानव शरीर के सन्तुलित विकास हेतु अति आवश्यक है। भोजन प्रमुख रूप से शरीर के निमाण शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति तथा सुरक्षात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। व्यक्ति का भोजन केवल प्रोटीन, चर्बी, खनिज, विटामिन एवं अन्य पोशक तत्वों की उपलब्ध मात्रा नहीं है, अपितु यह सुरक्षा और मानव सम्मता का भी अंग है समाज और उनकी सम्मताएँ केवल विचार पर नहीं आधारित हैं भोजन की दशाओं से भी उनके गुण तथा अवगुण को संदर्भित किया जाता है। भोजन से सम्बन्धित विभिन्न संवेदनों से ज्ञात होता है कि ओसत भारतीयों का भोजन असन्तुलित है। जिसके फलस्वरूप कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है और व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक विकास रुक जाता है।

#### सन्दर्भ :

1. सोशल मेडिसीन, 1976. श्रीधर राव, ए-4, जे.एन. मेडिकल कालेज, क्वाटर्स, सुधा श्रीधर, W.H.O.
2. राम अहुजा, 2000, सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन, जयपुर
3. Matatkar, R.K.: "Social Custom and Health in Bhave et.al. You and Your Health, G.Y. Rane Prakashan, Poona, p. 379.
4. K.A. Hasan, 1967, The Cultural Frontier of Health in village India, Monak Tales : Bombay, page-77.

## भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा

डॉ अजय कुमार\*

\*एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, मेरठ कॉलेज, मेरठ, उत्तरप्रदेश

**सारांश :** भारत में मानसिक रोगों की व्यापकता वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक में से है। हमारे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2016 में पाया गया कि भारत की लगभग 14 प्रतिशत आबादी को सक्रिय मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। लगभग 2 प्रतिशत गंभीर मानसिक विकारों से पीड़ित थी। हर वर्ष लगभग दो लाख भारतीय मानसिक विकारों के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। यदि आत्महत्या वाले मामले शामिल किए जाएं तो संख्या और अधिक बढ़ जाती है। आंकड़े डराने वाले हैं और एक संभावित मानसिक स्वास्थ्य महामारी का संकेत है। भारतीय जनता के सामने चुनौती आ खड़ी हुई है कि मानसिक स्वास्थ्य को कैसे मानसिक विकारों की सीमा तक जाने से रोका जाए? निश्चित रूप से मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल को गंभीरता से लेना होगा तथा इस पर होने वाले निवेश में वृद्धि करनी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सामाजिक भागीदारी के महत्वपूर्ण साधन के रूप में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा की महती भूमिका को स्वीकार करता है। प्रस्तुत लेख मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के प्रत्यय को भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करने का प्रयास है। भारतीय नागरिकों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा का प्रत्यय, भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के साथ समावेशित होकर महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

**मुख्य शब्द :** विश्व स्वास्थ्य संगठन, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वैश्वीकरण, मानसिक स्वास्थ्य, अर्थव्येद, मानसिक अवसाद आदि।

**प्रस्तावना :** भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2017 में कहा था कि— ‘भारत एक संभावित मानसिक स्वास्थ्य महामारी का सामना कर रहा है।’ एक अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि 2016 में भारत की 14% जनसंख्या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से पीड़ित थी, जिसमें 45.7 मिलियन लोग मानसिक अवसाद संबंधी विकारों से तथा 49 मिलियन लोग चिंता संबंधी विकार से पीड़ित थे। कोविंड-19 महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य संकट को और बढ़ा दिया है। विश्वभर की रिपोर्ट से पता चलता है, कि लॉक डाउन के दौरान युवा वर्ग विशेष रूप से मानसिक समस्याओं से ग्रस्त हुआ है। प्राचीन भारत में मानसिक स्वास्थ्य को सामुदायिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक गतिविधियों द्वारा सतुरित रखने का प्रयास किया जाता था तथा मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को कुछ स्थानीय एवं विशिष्ट चिकित्सकों द्वारा गीत, नृत्य तथा कुछ परंपरागत जड़ी-बूटियों के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाता था। आयुर्वेद में भी मानसिक समस्याओं के कुछ उपचार एवं निदान मिलते हैं। अर्थव्येद में भी मानसिक कष्ट देने वाले भूतों एवं दुष्ट आत्मा को भगाने के कुछ गीत तथा मंत्र आदि के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन भारत में कभी भी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को एक रोग के रूप में नहीं माना गया तथा न ही व्यवस्थित रूप से इसके निदान एवं उपचार का कोई गंभीर प्रयास किया गया। (चक्रवर्ती 2004)

वर्तमान भारत तीव्र गति से नगरीकरण की ओर बढ़ता हुआ एक देश है। पिछले दो दशकों में भारत के नगरों में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण तथा वैश्वीकरण ने भारत के सामाजिक ताने-बाने को भी पूरी तरह परिवर्तित कर दिया है। इस बढ़े परिवर्तन ने भारतीय मूल्यों और परंपराओं को भी बदला है। संयुक्त परिवार शहर में स्थानांतरित होते ही एकल परिवारों में परिवर्तित हो गये। इस परिवर्तन ने सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक एवं राजनीतिक संदर्भों को भी परिवर्तित कर दिया। (गुरुराज एवं इसाक 2004)

प्रस्तुत आलेख बदलते परिदृश्य में उत्पन्न हुई मानसिक अस्वस्थता को धनात्मक मानसिक स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करने में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा की महत्ता को रेखांकित करने का प्रयास करता है।

**मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ :** मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक रोग दो ऐसे प्रत्यय हैं, जिनका प्रयोग सामान्यतः साथ-साथ किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले मनोवैज्ञानिक जैसे जहोदा, काल मेनियर, मैसलो, विग तथा शाह आदि का मत है कि मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य सिर्फ मानसिक रोगों की अनुपरिधि से नहीं होता है। मानसिक स्वास्थ्य एक प्रकार का समायोजी व्यवहार है जो व्यक्ति को जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे सामाजिक, सावेगिक एवं शैक्षिक आदि में सफलतापूर्वक समायोजन करने में सहायता करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी विभिन्न इच्छाओं, आवश्यकताओं, विशेषाओं आदि के मध्य एक ऐसा संतुलन या समायोजन स्थापित करता है जिससे वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक समायोजी व्यवहार कर पाने में सक्षम होता है।

**भारतीय संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ :** मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में वर्तमान में भारत में तीन सबसे बड़ी समस्याएं उभर रही हैं। सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, विभिन्न व्यसनों की आदत तथा बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति। राष्ट्रीय मानसिक जाँच एवं तंत्रिका विकास संस्थान (NIMHANS) ने 2015-16 के दौरान भारत के 12 चयनित राज्यों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वे में पाया, कि भारत के लगभग 15: व्यक्ति एक या अधिक मानसिक समस्याओं से ग्रसित हैं तथा इन्हें नियमित सलाह एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मध्य आयु या कार्यकारी वर्ग गंभीर प्रकार के मनोरोग से सबसे अधिक प्रभावित पाया गया। शहरी क्षेत्र में मानसिक समस्याओं का बोझ तीव्र गति से बढ़ रहा है। 15% लोगों को चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता है, परंतु उन्हें

यह प्राप्त नहीं हो पा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल 75% आबादी किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य से जूँझ रही है। साथ ही भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को फंड का आवटन भी अन्य बीमारियों की तुलना में बहुत कम है। भारत में हर 10 लाख आबादी पर केवल तीन मनोचिकित्सक हैं। कॉमनवेल्थ देशों के नियम के मुताबिक हर एक लाख की आबादी में कम से कम 5–6 मनोचिकित्सक होने चाहिए।

WHO के अनुसार वर्ष 2020 तक भारत की लगभग 20% आबादी मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2020 तक अवसाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी समस्या होगी। आंकड़ों के अनुसार भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। राष्ट्रीय अवसाद अभिलेख ब्यूरो (NCRB) के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2019 में भारत में प्रतिदिन 381 मृत्यु आत्महत्या के कारण दर्ज की गई तथा पूरे वर्ष में यह आंकड़ा 1,39, 123 तक पहुंच चुका है। सन 2018 के मुकाबले में संख्या 3.4% अधिक थी। शहरों में आत्महत्या की दर शेष भारत की दर से लगभग 4% अधिक पाई गई।

भारत में अल्कोहल का सेवन मानसिक समस्याओं को उत्पन्न करने वाला सबसे सामान्य कारक है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 14.6 प्रतिशत भाग अल्कोहल का सेवन करता है। महिलाओं की तुलना में अल्कोहल का प्रयोग पुरुषों में लगभग 26% ज्यादा होता है। WHO की 2014 की रिपोर्ट के अनुसार एल्कोहल लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतीकूल प्रभाव डालता है। अल्कोहल के कारण एक बड़ी जनसंख्या तनाव अवसाद तथा आत्महत्या जैसे मानसिक विकारों का शिकार हो रही है। साथ ही अल्कोहल के कारण दुर्बल शारीरिक स्वास्थ्य, विभिन्न दुर्घटनाएं तथा घेरेलू हिंसा आदि के मामले भी बढ़ रहे हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 1.5 मिलियन लोगों में वौद्धिक अक्षमता और तकरीबन 7,22,826 लोगों में मनोसामाजिक विकलांगता मौजूद है। इसके बावजूद भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर किया जाने वाला व्यय कुल सरकारी स्वास्थ्य व्यय का मात्र 1.3% है। 2011 की जनगणना के अनुसार मानसिक रोगों से ग्रस्त लगभग 78.62% लोग बेरोजगार हैं। भारत में मानसिक रूप से बीमार लोगों के पास या तो देखभाल की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं या फिर उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। मानसिक अस्वस्था की यह समस्या अगले 25 वर्षों में और बढ़ने का अनुमान है। (पटेल एवं अन्य 2011)

भारत में मानसिक अस्वस्था बढ़ने के कुछ प्रमुख कारण शहरीकरण, असमानता, निर्धनता, आर्थिक अस्थायित्व, युद्ध, बेरोजगारी, वंचना, वातावरण, अशिक्षा, तनावपूर्ण परिवारिक संबंध आदि हैं। इन सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत तथा वातावरणीय कारकों के कारण एक बड़ा वर्ग मानसिक विकारों की दहलीज पर जा पहुंचता है। परंतु इनमें से अधिकांश पीड़ित मानसिक विकारों के निदान एवं उपचार के औपचारिक प्रक्रम तक नहीं पहुंच पाते तथा विकारों के दुष्परिणाम झेलने को बाध्य होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान लगाया है, की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकारों के कारण भारत को 103 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान होगा। एन. एच. एम. एस. ने यह भी पाया कि मानसिक विकार कम आय कम शिक्षा तथा कम रोजगार वाले परिवारों को ज्यादा प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। इन कमजोर समुद्दों को सामाजिक व आर्थिक स्थितियों के कारण वित्तीय सीमाओं का सामना करना पड़ता है और उपचार के लिए संसाधनों की सीमित उपलब्धता इस स्थिति को और बदतर बना देती है। इस संबंध में राज्य सेवा और बीमा कवरेज में भी कमी पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबों और कमजोर लोगों पर आर्थिक दबाव की स्थिति और अधिक बिगड़ जाती है।

**मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के संवर्धन की आवश्यकता :** राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वे 2016 के अनुसार देश के मानसिक विकार ग्रस्त लोगों में से 80% को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उपचार प्राप्त नहीं हो पाता। साथ ही शहरी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक दबाव, असमानता तथा निर्धनता के कारण मानसिक समस्याओं के उपचार की आवश्यकता निरंतर बढ़ रही है। मानव विकास सूचकांक (HDI) वृहद स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण सूचक है। 2019 के सूचकांक के अनुसार भारत 189 देशों की सूची में 129 पायदान पर है। मानसिक स्वास्थ्य, दृढ़ता से मानव विकास के साथ जुड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2004 की एक रिपोर्ट के अनुसार, मानव विकास के सामाजिक एवं आर्थिक कारक, मजबूती के साथ मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य एवं व्यक्ति की सूजनात्मकता से जुड़े हैं। मानसिक स्वास्थ्य एवं मानव विकास के मध्य एक गत्यात्मक संबंध पाया जाता है। चूँकि शिक्षा, मानव विकास का आधार है, अतः मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशिष्ट चिकित्सा पद्धति पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने के बजाय, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के प्रत्यय को संवर्धित करना एक धनात्मक कदम हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, मानव के उत्तम स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण कारक है।

**मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा की संरचना :** विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य शिक्षा की एक योजना प्रस्तावित की है। जिसमें मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा भी नीति निर्माताओं एवं समुदाय का ध्यान आकर्षित करती है। मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तियों तथा समुदाय अपनी जीवन शैली को नियन्त्रित करने में सक्षम बनाती है नियमित तथा नियन्त्रित करने में सक्षम बनाती है। नियमित तथा नियन्त्रित जीवन-शैली अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की आधारशिला है।

शिक्षा एक त्रि-आयामी प्रक्रिया है जो सूचना देने, शिक्षण कौशल तथा मूल्य विकसित करने या स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य निम्नान्वय की ओर-अभिवृत्ति विकसित करती हो, यह वांछित क्षेत्र में पूर्व निर्धारित उद्देश्य प्राप्त करने में सहयोगी है। मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी गतिविधियाँ विद्यालयों, कार्य-स्थलों, अर्चतालों तथा अन्य सामुदायिक स्थानों पर होना चाहिये, ये गतिविधियाँ व्यक्ति को स्वयं को जानने-समझने, समुचित निर्णय लेने एवं स्वयं प्रेरणा जागृत करने में सफल साबित होगी। मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य मात्र मानसिक बीमारियों को दूर रखना एवं उनका इलाज करना ही नहीं है। बल्कि व्यक्ति में अपने स्वास्थ्य को उत्तम रखने के कौशल, आत्मविश्वास एवं प्रेरणा को उत्पन्न करना भी है।

**मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य :** मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा मूलतः नागरिकों में उत्तम मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने संबंधी हर पहलू एवं मानसिक रोग उत्पन्न न होने देने संबंधी कार्यक्रमों की प्राथमिकता देता है। मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा का एक प्रमुख

उद्देश्य व्यक्ति को अपने भीतर छिपी अंतः शक्तियों का अनुभव कराना है, ताकि व्यक्ति स्वयं को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सके। मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत उन सभी उपायों का प्रशिक्षण भी समिलित है, जिनसे व्यक्ति में किसी प्रकार की मानसिक व्याधि उत्पन्न ही न हो सके। इसके लिए यह शिक्षा मानसिक तनाव को कम करने तथा मानसिक संघर्षों से छुटकारा पाने की मनोवैज्ञानिक एवं अन्य विधियों का भी उल्लेख करती है। मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा आम लोगों के इस विश्वास का भी खंडन करने का प्रयास करती है, कि मानसिक रोग असाध्य तथा दैवीय प्रकोप हैं। लोगों की इस धारणा को समाप्त करने में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा का विशेष योगदान है।

मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा का एक उद्देश्य मानसिक अस्पतालों में रोगियों के साथ मानवीय संबंधों में सुधार लाना भी है। जब तक समुदाय तथा अस्पताल मानसिक रोगियों के साथ संवेदनशील तथा मानवीय व्यवहार नहीं करेंगे, सफलतापूर्वक उनका उपचार संभव नहीं है।

विकासशील देशों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम मुख्य रूप से समाज के भेदभाव पूर्ण व्यवहार एवं मानसिक रोगों को अपवाद मानने की धारणा का खंडन करने पर केंद्रित होते हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा इस से कहीं आगे जाकर एक नियोजित कार्यक्रम है, जो लोगों को अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी बनाती है। साथ ही उन्हें भावात्मक मजबूती तथा पर्याप्त ज्ञान उपलब्ध कराती है, ताकि वे बिना हिचक मानसिक समस्याओं से संघर्ष में स्वयं की तथा समुदाय की सहायता कर सकें। मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता मात्र व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, वरन् सामुदायिक, सम्मानात्मक स्तर पर भी है।

#### **सन्दर्भ :**

1. Chakraborty A. (2004) "Mental health and psychiatry in west Bronx Desai, N.G. et al. (2004)" Urban Mental Health Services in India."
2. India Journal of Psychiatry, 2004, 46(3), 194-292.
3. ICSSR, et al (2002), India Council Of Social Science Research And Indian Council Medical Research" Pune, 66-67
4. Khan, M.A. (2010) - Indian Psychiatry The British Connection" D.G. I Health Services Ministry of Health and Family Welfare.
5. Lahariya, C. (2018) - "Strengthen Mental Health services for Universal health coverage in India" Jan-Mar 64 (1)

## **माता की देखभाल एवं बाल विकास के प्रति समन्वित बाल विकास कार्यक्रम की स्थिति : एक अध्ययन**

**डॉ पूनम\***

\*सहायक प्राध्यापिका, गृह विज्ञान, रमाबाई राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर, उत्तरप्रदेश

**सारांश :** प्रस्तुत अध्ययन माता की देखभाल एवं बाल विकास के प्रति समन्वित बाल कार्यक्रम की स्थिति : एक अध्ययन उत्तरप्रदेश है। देश के समावशी समतुल्य और दीर्घकालिक विकास के लिए महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण आवश्यक है। इसके संरक्षण करने के साथ ही उनके सम्पूर्ण विकास को सुनिश्चित करना समाज एवं सरकार का महत्वपूर्ण कार्य है। इसका हमेशा यह प्रयास रहता है कि बच्चों को उनके अच्छे ढंग से लालन-पालन के लिए सुरक्षित और आरामदेह परिवेश मिले। साथ ही महिलाओं को सभी प्रकार की हिंसा और भेदभाव से मुक्त सुगम, वहनीय और विश्वासयोग्य बातावरण में सशक्त बनाया जा सके। भारत की जनसंख्या में लगभग 66.29 करोड़ महिलाएं 0-6 वर्ष के उम्र वाले बच्चों की संख्या 15.8 करोड़ हैं। इस दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन पूर्व के अध्ययनों से अलग है तथा अध्ययन विषय एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान व सुचना देता है।

**मुख्य शब्द :** समावेशी, कुपोषण, अंतर्निहित पूर्वाग्रह, दीर्घकालिक विकास, पुरुष प्रधान समाज आदि।

स्वतंत्रता और अवसरों के सन्दर्भ में देश के संविधान ने महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिए हैं। महिलाएं अपनी नियति स्वयं तय कर सकें इसके लिए आजीवन जारी रहने वाली ऐसी नीति अपनाई जा रही है उनके साथ हो रहे भेदभाव और समाज में अंतर्निहित पूर्वाग्रह को समाप्त करने के साथ ही उनके अधिकारों और सम्मान को पुनर्स्थापित करती है और उन्हें आवश्यकता के अनुरूप सक्षम एवं कुशल बनाने के साथ ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनमें विश्वास जगाती है। जब एक महिला स्वस्थ होती है, तब वह प्रसन्न रहती है। वह अपने आपको सक्रिय, सूजनशील, समझदार तथा योग्य महसूस करती है। उसमें इतनी शक्ति व बल होता है, कि वह अपने दैनिक कार्य कर सकती है। महिला का स्वास्थ्य उसके जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालता है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए गर्भावस्था में दी जाने वाली मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की प्राप्ति एवं जानकारी को महत्वपूर्ण माना जाता है। गरीबी के कारण उन्हें गर्भावस्था व प्रसव के समय आवश्यक देखरेख की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इस कारण से ग्रामीण महिलायें कुपोषण का शिकार हो जाती हैं। अशिक्षा, अज्ञानता व जागरूकता के अभाव, निर्धनता, पुरुष प्रधान समाज पर निर्भरता, पर्दा प्रथा, पाखण्डवाद, पारिवारिक जीवन में गर्भवती महिलाओं के प्रति कम संवेदनशीलता के कारण ग्रामीण महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच नहीं बन पाती।

अच्छे स्वास्थ्य के लिये सभी पोषक तत्त्वों की शरीर को आवश्यकता होती है। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। समन्वित बाल विकास कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यक्रमों ने महिलाओं, पूर्व विद्यालयी बच्चों, किशोरियों को पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा आदि की प्राप्ति को सहज बनाया है। एक समाज बनाये जान की आवश्यकता है जिसमें बच्चों, महिलाओं और लड़कियों की संसाधनों और अवसरों तक समान पहुँच हो सके ताकि वे भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में शामिल हो सकें। दीर्घकालिक विकास के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक बदलाव में महिलाएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं। समन्वित बाल विकास योजना कल्याणकारी योजना जो रक्तल पूर्व बच्चों और उनकी माताओं की जीवित रहने की दर को बढ़ाने और उन्हें पौष्टिक भोजन एवं सीखने के अवसर प्रदान करने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे केन्द्र पर समन्वित रूप में उपलब्ध कराना है।

"सामाजिक न्याय" के लक्ष्य को ध्यान में रखकर संतुलित क्षेत्रीय व सामुदायिक विकास हेतु बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने तथा उनमें शारीरिक व बौद्धिक बढ़ोत्तरी को लेकर प्रदेश के तीन विकास खण्डों में भारत सरकार के सहयोग से एक अग्रगामी परियोजना प्रारम्भ की गयी थी। इस के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री माताओं को भी सेवाएं प्रदान की जाती रही, ताकि वे विकास की मुख्य धारा से जुड़कर भावी समाज की मजबूती में योगदान कर सकें। 1988-89 इस कार्यक्रम को चलाने के लिए प्रदेश में "बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय" गठित किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा समाजसेवी जनसहयोग के ध्यय से गठित "राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड" को भी इस विभाग के नियंत्रण में रखा गया, ताकि इस विभाग के कार्यक्रमों में उसकी सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। समन्वित बाल विकास परियोजना आई.सी.डी.एस. भारत में 2 अक्टूबर सन् 1975 को प्रारम्भ की गयी। इसकी समस्त सेवाएँ आंगनबाड़ी नामक केन्द्र पर उपलब्ध करायी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 812 बाल विकास परियोजनाएँ स्थीकृत हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 1,10,311 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन 1,06,983 कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यक्रमों एवं 1,06,545 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जो सभी परियोजना के संचालन की दृष्टि से कम है, जबकि कार्यक्रम का सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

आंगनबाड़ी केन्द्र की प्रमुख गतिविधियाँ निम्न प्रकार हैं—

1. गर्भवती धात्री, किशोरी तथा 7 माह - 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषाहार।
2. 0-5 वर्ष के सभी बच्चों की वृद्धि निगरानी, प्रोत्साहन, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच।

3. स्वास्थ्य कार्यक्रमी, आशा के साथ मिलकर माह में एक बार ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस का आयोजन।
4. 3-6 वर्ष तक के बच्चों को केन्द्र पर शाला पूर्व शिक्षा।
5. केन्द्र संचालन के बाद कार्यक्रमी द्वारा प्रतिदिन 4-5 गृह भ्रमण करके स्वास्थ्य पोषण शिक्षा देना।
6. मातृ समिति की बैठक, महिला मण्डल बैठक का आयोजन एवं जन भागीदारी करना।

परिवार स्तर पर शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण की आवश्यक जानकारी देने तथा विशेषकर 0-2 वर्ष तक की माताओं व परिवार को शिशु देखभाल की तथा स्तनपान, टीकाकरण व खतरों के लक्षण की जानकारी के लिये गृहभ्रमण अत्यन्त महत्वपूर्ण गतिविधि है तथा आंगनबाड़ी कार्यक्रमी द्वारा सही समय पर सही सलाह व मार्गदर्शन से शिशु स्वास्थ्य की स्थितियाँ बेहतर हो पाती हैं। गृहभ्रमण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आंगनबाड़ी कार्यक्रमी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं –

1. वर्ष में प्रत्येक छ: माह पर अप्रैल एवं अक्टूबर माह में दो बार सर्वेक्षण करना।
2. सभी गर्भवती, छ: माह तक के बच्चों की माताओं, 7 माह-6 वर्ष तक के बच्चों व किशोरी बालिकाओं का पंजीकरण करना तथा पूरक पोषाहार का वितरण करना।
3. स्वास्थ्य कार्यक्रमी, आशा के साथ मिलकर आंगनबाड़ी केन्द्र पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस (विलेज हेल्थ एण्ड न्यूट्रीशन डे) का आयोजन करना।
4. छूटे हुए मैंजरों, पुरावों, टोलों को चिन्हित करना तथा उत्तरदात्रियों की सूची बनाकर सेवाओं की पहुंच कराना।
5. टीकाकरण हेतु 0-5 वर्ष तक सभी बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं की सूची बनाकर टीकाकरण करवाना।
6. सभी गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं की प्रसव पूर्व तथा प्रसव पश्चात् स्वास्थ्य जाँच करवाना।
7. सभी किशोरी बालिकाओं की बैठक कर पोषण व स्वास्थ्य मुद्दों पर जानकारी देना।
8. माह में एक बार मातृ समिति की बैठक का आयोजन करना।
9. प्रत्येक दिन 4-5 घरों में गृह भ्रमण करके स्वास्थ्य एवं पोषण के अच्छे स्वस्थ व्यवहारों की जानकारी देना।
10. 3-6 वर्ष तक बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देना।
11. 6 माह के ऊपर बच्चों का अनुपूरक आहार/ऊपरी आहार शुरू करने हेतु केन्द्र पर पंचायत और मातृ समिति के सहयोग से प्रत्येक माह 'अन्नप्राशन' करवाना।
12. 0-5 वर्ष के सभी बच्चों का वजन लेकर वृद्धि निगरानी करना व उचित परामर्श व प्रोत्साहन देना।
13. खतरे की गर्भावस्था, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों, खतरे के लक्षण वाले बच्चों को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर संदर्भित करना।
14. महिलाओं तथा किशोरियों को पोषण स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान कराना।

अर्ली चाइल्ड डिटेक्शन (बाल विकलांगता – जैसे, बहरापन, मन्दबुद्धि, रत्तोधी, अपंगता आदि को चिन्हित कर संदर्भित करना)।

समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत पूर्व-विद्यालयीय बच्चों की उम्र 3-6 वर्ष की मानी गयी है। आहार कोई भी खाद्य-पदार्थ जो भूख को मिटाने के लिए खायी जाए और जिससे हमें ऊर्जा की आपूर्ति होती है, शरीर का निर्माण होता है, शरीर की सुरक्षा एवं शारीरिक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से संचालित करता है। साथ ही हमें मानसिक स्थिति जैसे – आनन्द, प्रसन्नता, संतुष्टि व सुरक्षा भी प्रदान करता है। समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम, लगातार विश्व का सबसे बेजोड़ बाल विकास कार्यक्रम रहा है, जिसका संचालन उसके अस्तित्व में आने के तीन दशकों से संतोषजनक ढंग से किया जा रहा है। समन्वित बाल विकास सेवा के तहत पर्याप्त कार्य-अनुभवों के कारण कल्याणकारी काया से लेकर सामाजिक परिवर्तन के नए-नए चुनौतीपूर्ण कार्यों के संदर्भ में एक सुखद बदलाव आया है। इस कार्यक्रम में कठिनपय सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें छ: वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली माताओं को पोषक आहार, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाच तथा रेफरल सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा तथा 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को स्वास्थ्य एवं आहार संबंधी शिक्षा दी जाती है। यथासमय बच्चों के पालन एवं उनकी अच्छी देखभाल करने के लिए "बच्चों की देखभाल करने वालों की क्षमता वृद्धि" कार्यक्रम के माध्यम से तीन वर्ष से कम आयु के छोटे बच्चों की आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

योजना के उद्देश्य हैं— पूरक भोजन जिसके अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवा से बच्चों को 300 दिन की अवधि के लिए जिसमें 500 कैलोरी की ऊर्जा और 12-15 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। इसके अलावा स्तनपान करने वाली और गर्भवती महिलाओं के भोजन में 600 कैलोरी की ऊर्जा और 18-20 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा; 0-6 साल के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना; एक ऐसी प्रणाली विकसित करना जिससे बच्चों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल सके; बच्चों की मृत्यु दर, अस्वस्थता दर, कुपोषण दर और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना; विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बच्चों की देखभाल और शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने के उद्देश्य से एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना; गर्भावस्था के दौरान मां को आवश्यक पोषण के बारे में जानकारी देना और बच्चे की देखभाल हेतु विभिन्न जरूरतों के बारे में पता लगाना और उनकी मदद करना एवं समेकित बाल विकास योजना क्रियान्वयन का मूल मच आंगनबाड़ी केन्द्र है। इसी के माध्यम से इसे सम्पादित किया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य विकास परियोजना और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए मां की क्षमता को बढ़ाना।

समन्वित बाल विकास सेवा स्कीम के कारण जीवित रहने, जीवनवर्धन, संरक्षण एवं विकास के बाल अधिकार को सुनिश्चित करने तथा जिस समाज में वे जीते हैं, बड़े होते हैं तथा अपना विकास करते हैं, उस समाज में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक प्रणाली में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। इसमें सभी सांस्कृतिक पद्धतियों और उनकी विविधता को ध्यान में रखते हुए बाल-कन्द्रित कार्यक्रम सहित एक व्यापक मध्यस्थता कार्यक्रम के जरिए लोकपावन कार्य को साकार करने का प्रयास किया गया है तथा समाज की सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए एक परिवर्तनकारी हथियार के रूप में कार्य किया है।

एकमुश्त सेवा प्रदान करने की अवधारणा मुख्य रूप से उन विचारों पर आधारित है कि यदि समन्वित पद्धति से भिन्न-भिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाएँ तो उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक विशेष सेवा की दक्षता संबंधित सेवाओं से प्राप्त सहायता पर निर्भर करती है। इस कार्यक्रम की दूसरी विशेषता यह है कि यह परियोजना के स्तर पर उल्पन्न सभी सरकारी सेवाओं का उपयोग करता है और उसे कार्यान्वित करता है। इसकी कार्य-प्रकृति बहु-क्षेत्रीय है तथा इसका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन अन्तःक्षेत्रीय कार्यात्मक संबंधों पर निर्भर करता है। यह संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए बैठकें आयोजित करता है तथा परियोजना स्तर पर मौजूदा सरकारी अवसंरचना का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करता है।

समन्वित बाल विकास सेवा की स्कीम सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम है जो माता की देखभाल एवं बाल विकास के क्षेत्र में चलाया जा रहा है ताकि लक्ष्य समूहों पर इसका दूरगामी प्रभाव डालने के उद्देश्य को पूरा किया जा इस कार्यक्रम का इतना वृहद विस्तार और लक्ष्य समूहों तक इसकी सफल पहुंच, इस कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और उनकी सच्ची लगन का ही परिणाम है। समय बीतने के साथ ही यह कार्यक्रम किसी सामाजिक क्षेत्र में सरकार द्वारा शुरू किए गए निर्णायिक विकास कार्यक्रम के रूप में उभरकर सामने आया है।

सेवाएं	लक्ष्य समूह
पूरक शिक्षण	6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली माताएं
पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा	3-6 साल के बच्चे
पांचाल और स्वास्थ्य शिक्षा	15-45 साल की महिलाएं
टीकाकरण	6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली माताएं
स्वास्थ्य जाय	6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली माताएं
परामर्श सेवाएं	6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली माताएं

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायक द्वारा ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आंगनबाड़ी वास्तव में गांव में स्थित अपने ही आंगन के रूप में बच्चों की देखभाल तथा खेलकूद का एक केन्द्र है। यह सामुदायिक स्तर पर छ: वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती माताओं तथा किशोरियों को सेवायें प्रदान करता है। आंगनबाड़ी केन्द्र आपस में मिलने-जुलने का एक ऐसा स्थान है जहां महिलाओं, माताओं के एवं अन्य ग्रामीण यहां कार्यकर्ताओं के साथ विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। योजना का वैचारिक महावाक्य है –

**'आई.सी.डी. एस. की पहचान, लड़का लड़की एक समान।'**

**स्वस्थ्य शिशु एवं नारी सम्मान, रहें निरोग, न रहे कोई अज्ञान ॥'**

#### सन्दर्भ :

- चौधरी, लाखाराम, महिला सशक्तिकरण : दशा और दिशा, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ व्यूमन रिसोर्स एण्ड सोशल साइंस, वा. 3, इशू 12, दिसम्बर 2016, पृ. 278-285.
- गुप्ता अर्चना, जे.पी. श्रीवास्तव, डॉ. डी.पी. राय आंगनबाड़ी केन्द्रों की आधारिक संरचना का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, गोल्डन रिसर्च थॉट्स, वा. 6, इशू 1, जुलाई, पृ. 1-5, आईएसएसएन 2231-5063.
- जेन, दीपा, 'महिला सशक्तीकरण के व्यावहारिक उपाय' उद्धृत महिला सुरक्षा एवं महिला पुलिस, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2007
- कुमायत, श्याम एस, महिलाओं के विरुद्ध असमानता एवं दिसा, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइटिफिक रिसर्च, वा. 2, इशू 4, अप्रैल, 2013, पृ. 89-90, आईएसएसएन नं. 2277.8179
- महिलाओं व बच्चों के लिए कार्यक्रम, लोक पंचायत, वर्ष 11, अंक 4, नई दिल्ली, अप्रैल 2015
- मौर्य, पदमचन्द्र कन्त्या भूषण हत्या रोकथाम – विविध शासकीय प्रयास, इंटरनेशनल रेफर्ड रिसर्च जर्नल, जनवरी, 2011, वा. 2.
- मेश्वाम, रमेश कुमार, महिला सशक्तीकरण में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का मूल्यात्मक अध्ययन, इंडियन जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च, 63-65वा. 6, इशू 9, सितम्बर 2016, आईएसएसएन नं. 2249-555एक्स
- नयाल, सुभाष, परिवारिक मूल्य एवं लिंग असमानता, गोल्डन रिसर्च थॉट, वा. 5, इशू 12, 2016, पृ. 1-4.
- नेहरा, राकेश कुमार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व ग्रामीण महिला स्वास्थ्य प्रतिशत राजस्थान क संदर्भ में खण्ड स्तरीय अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च 2017, वा. 3 इशू 6, पृ. 662-667, आईएसएसएन नं. 2394-7500
- यादव, अजीत कुमार, समन्वित ग्रामीण विकास की दशाएँ: गाजीपुर जनपद (उ.प्र.) का एक प्रतीक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिव्यूस एण्ड रिसर्च इन सोशल साइंस, वा. 2, इशू 4, अप्रैल-दिसम्बर, 2014, पृ. 6-8, आईएसएसएन नं. 2347-5145

## ग्रन्थालयों की वर्तमान आवश्यकता : ग्रीन कम्प्यूटिंग

मनीष कुमार सिंह\*

\*असिझरो, लाइब्रेरी, हिन्दू, पी०जी० कॉलेज, जमानिया, गाजीपुर, उ०प्र०

**सारांश :** प्रस्तुत अध्ययन ग्रन्थालयों की वर्तमान आवश्यकता : ग्रीन कम्प्यूटिंग को रेखांकित करता है। विज्ञान को वरदान के साथ-साथ अभिशाप भी कहा गया है। संप्रति विज्ञान में हो रहे नित नवीन प्रयोगों और आविष्कारों से मानव जीवन जितना सुलभ हो रहा है उतना ही हमारा पर्यावरण दृष्टि हो रहा है। लेकिन फिर भी ये उतना ही सही है कि अगर एक ओर वातावरण पर विपरीत प्रभाव डालने वाले उत्पाद और सेवाएँ बाजार में आ रहे हैं तो उनके प्रभाव से पर्यावरण को बचाने वाली तकनीकें भी विकसित की जा रही हैं। इन्हीं में से एक तकनीक है—ग्रीन कम्प्यूटिंग। ग्रीन कम्प्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें कम्प्यूटर और अन्य संबंधित उपकरणों या साधनों का उपयोग पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस दृष्टि से यह अध्ययन विषय एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान व सूचना देता है।

**मुख्य शब्द :** ग्रीन कम्प्यूटिंग, सामाजिक संस्थाओं, डिजिटल ग्रन्थालय, संस्थागत निष्केपागार, पर्यावरण आदि।  
**प्रस्तावना :** कम्प्यूटर का उपयोग हम जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कर रहे हैं तथा ग्रन्थालय कम्प्यूटर का उपयोग करने वाली सबसे प्रमुख सामाजिक संस्थाओं में से एक है। वर्तमान समय में हमारी कम्प्यूटर पर निर्भरता डिजिटल ग्रन्थालय, वर्चुअल ग्रन्थालय एवं संस्थागत निष्केपागार की लोकप्रियता के माध्यम से परिलक्षित होती है। हम सोचते हैं कि इसके द्वारा हम कागज के उपयोग को सीमित कर पर्यावरण को लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम बड़ी मात्रा में कार्बन डाई ऑक्साइड ( $\text{CO}_2$ ) को पर्यावरण में उत्सर्जित कर रहे हैं। कुछ प्रमुख आई०टी० कंपनियों ने यह दावा किया है कि एक 4.7 MB का ईमेल भेजने में उतना ही ग्रीनहाउस गैस उत्पन्न होता है जितना कि एक चाय की केतली को 17.5 बार गर्म करने में। ग्रन्थालयों की कम्प्यूटर पर निर्भरता तथा इस निर्भरता के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों ने ही ग्रन्थालय में ग्रीन कम्प्यूटिंग की आवश्यकता को परिलक्षित किया है। ग्रीन कम्प्यूटिंग (हरित संगणना) या ग्रीन आई०टी०, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ कम्प्यूटिंग या आई०टी० को संदर्भित करती है। सैन मुरुगेसन 'ग्रीन कम्प्यूटिंग' को इस प्रकार परिभाषित करते हैं "कम्प्यूटरों, सर्वरों और संबंधित उपकरणों जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्टोरेज उपकरण और नेटवर्क तथा संचार संबंधी प्रणालियों की डिजाइनिंग, निर्माण प्रयोग तथा निपटान का अध्ययन तथा अभ्यास जो कुशल व प्रभावशाली है तथा जिसका वातावरण पर पड़ने वाला प्रभाव न के बराबर या नगण्य है।"

ग्रीन कम्प्यूटिंग के लक्ष्य ग्रीन कैमिस्ट्री (हरित रसायनशास्त्र) के समान है, खतरनाक, पदार्थों के उपयोग को कम करना, उत्पाद का जीवन अवधि के दौरान ऊर्जा की बचत को अधिकतम करना तथा मृत पदार्थों तथा कारखानों के कचरे की रिसाइकिंग प्रक्रिया या जैविक अपघटन को बढ़ावा देना। ग्रीन कम्प्यूटिंग हेतु प्रमुख क्षेत्रों में अनुसन्धान अभी जारी है जैसे कि कम्प्यूटरों के प्रयोग को यथा संभव ऊर्जा के रूप में कुशल बनाना और ऊर्जा की बचत संबंधित कम्प्यूटर प्रौद्योगिकियों के लिए एलारिथम तथा प्रणालियों डिजाइन करना। ग्रीन कम्प्यूटिंग का लक्ष्य खतरनाक पदार्थों के उपयोग को कम करना तथा इसके घातक प्रभावों से हमारे पर्यावरण को बचाना है। कार्बन उत्सर्जन भी हमारे पर्यावरण को प्रभावित करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है और अधिकांश कार्बन उत्सर्जन कम्प्यूटर तथा इसके विभिन्न उपकरणों के उपयोग के माध्यम से होता है। यद्यपि कम्प्यूटर हर आम आदमी की बुनियादी आवश्यकता है और मानव श्रम को कम करने तथा उसके समय की बचत करने के लिए उपयोगी है। लेकिन उनके द्वारा हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में भी अवगत रहना चाहिए।

**ग्रन्थालयों में ग्रीन कम्प्यूटिंग की आवश्यकता (Need of Green Computing in Libraries) :** एक ऐसे समय में जब हमारा समाज एक सूचना समाज के रूप में बदल रहा है, ग्रन्थालयों पर 24/7 काम करने का दबाव है जिससे की सारी उपलब्ध सूचनाओं का संग्रहण व्यवस्थापन तथा पुनर्प्राप्ति संभव हो सके। निश्चित रूप से इस लक्ष्य की प्राप्ति बिना कम्प्यूटर के संभव नहीं है। परन्तु हमें यह ध्यान रखना हांगा कि हमें यह लक्ष्य अपने पर्यावरण की कीमत पर प्राप्त हो रहा है। ग्रन्थालयों तथा सूचना केन्द्रों में सूचनाओं के संग्रहण तथा पुनर्प्राप्ति के लिए अत्यधिक बिजली का उपयोग हो रहा है जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है।

**ग्रीन कम्प्यूटिंग के विभिन्न क्षेत्र (Different Areas of Green Computing) :** 1992 में, अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने एनर्जी स्टार, एक स्वैच्छिक लेबलिंग कार्यक्रम जो मॉनिटरों, जलवायु नियंत्रक उपकरणों तथा अन्य प्रौद्योगिकियों में ऊर्जा की बचत को बढ़ावा देने और पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है, की शुरूआत की। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक्स उपभाक्ताओं ने व्यापक रूप से स्लीप मोड (ऊर्जा की खपत को कम करने वाली प्रणाली) को अपनाया। एनर्जी स्टार प्रोग्राम के तुरन्त बाद ही शायद "ग्रीन कम्प्यूटिंग" शब्द गढ़ा गया था, 1992 के बाद से ही ऐसे कई यूजनेट (USENET) उपलब्ध हैं जो शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में करते हैं। समवर्ती, स्वीडिश संगठन टीसीओ (TCO Development) ने सीआरटी (CRT) आधारित कम्प्यूटर डिस्प्ले के बजाय कम चम्पकीय तथा विद्युत उत्सर्जन करने वाले डिस्प्ले को बढ़ावा देने के लिए टीसीओ (TCO Certification) प्रोग्राम शुरू किया, बाद में इस प्रोग्राम का दायरा बढ़ा कर ऊर्जा की खपत, एर्गोनॉमिक्स तथा निर्माण सामग्री में खतरनाक पदार्थों के प्रयोग को इसमें शामिल किया गया। वीआईए टेक्नोलॉजी (VIA Technology) ताइवान की एक एक कंपनी है जो मदरबोर्ड, चिपसेट्स, सीपीयू और अन्य कम्प्यूटर हार्डवेयर बनाती है 2001 में ग्रीन कम्प्यूटिंग के लिए अपनी पहल की शुरूआत की। ग्रीन कम्प्यूटिंग की

दृष्टि से कंपनी अपने उत्पादों के डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया के दौरान बिजली दक्षता पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। इसके पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का सच्च कम्प्यूटिंग रणनीतियों की एक शृंखला का उपयोग करके, निर्भित किया जाता है और कंपनी वातावरण की खातिर हरित कम्प्यूटिंग के लाभों के साथ-साथ उत्पादकता और समग्र उपयोगकर्ता अनुभव को शिक्षित करने का प्रयास कर रही है।

**कार्बन-मुक्त कम्प्यूटिंग (Carbon Free Computing) :** कार्बन फ्री कम्प्यूटिंग ग्रीन कम्प्यूटिंग पहल (VIA Green Computing Initiative) के एक हिस्से के रूप में अक्टूबर 2006 में वीआईए टैक्नोलॉजी द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है, जिसका उद्देश्य ऐसे कम्प्यूटर उत्पादों का निर्माण करना है जिनको कार्बन मुक्त प्रमाणित किया जा सकता है। ऐसी परियोजनाओं के माध्यम से हमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायता मिलेगी। कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ किसी एक संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किया गया कुल कार्बन उत्सर्जन होता है। यह उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीनहाउस गैसों के रूप में होता है। माना जाता है कि मुख्य ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मोथेन, नाइट्रोक्साइड और फ्लोरोकार्बन में बढ़ोत्तरी पृथ्वी के तापमान में बढ़ोत्तरी के लिए जिम्मेदार है, जो बाढ़ और सूखे, बढ़ते समुद्र के जल स्तर और अन्य पर्यावरण प्रभाव के कारण हो सकता है।

**सौर कम्प्यूटिंग (Solar Computing) :** सौर कम्प्यूटिंग में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है यह ऊर्जा या तो सीधे तापीय ऊर्जा (गर्मी) के रूप में या सौर पैनलों में फोटोवोल्टिक कोशिकाओं और बिजली उत्पन्न करने के लिए पारदर्शी फोटोवोल्टेज्युइक गलास के उपयोग के माध्यम से प्राप्त होती है। ऐप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अक्षय ऊर्जा म निवेश करने वाली प्रमुख आईटी कंपनियां हैं।

**एल्गोरि�थम दक्षता (Algorithmic Efficiency) :** किसी भी कम्प्यूटिंग कार्य के लिए कम्प्यूटर संसाधनों की मात्रा पर एल्गोरिथम की दक्षता का प्रभाव पड़ता है और लेखन प्रोग्रामों में कई दक्षताएँ मौजूद हैं। अब जबकि कम्प्यूटर विपुल संख्या में उपलब्ध हैं और ऊर्जा की लागत की तुलना में हार्डवेयर की कीमतों में गिरावट आई है। ऊर्जा में बचत और कम्प्यूटिंग प्रणालियों और प्रोग्रामों के पर्यावरणीय प्रभाव ने अधिक ध्यान आकर्षित किया है। हार्डवेयर के एक सफल भौतिक विज्ञानी, एलेक्स विस्नर ग्रास द्वारा किये गये एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि औसत गूगल खोज 7 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ( $CO_2$ ) छोड़ती है। लेकिन गूगल के अनुसार, यह आंकड़ा विवादास्पद है, यह कहते हुए कि एक विशिष्ट खोज केवल 0.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ( $CO_2$ ) ही उत्पन्न करती है।

**बिजली प्रबंधन (Power Management) :** एडवार्स्ड कॉन्फिगरेशन एण्ड पॉवर इंटरफेस (Advanced configuration and power interface) (.lhhvkbZ@ACPI), एक खुला उद्योग मानक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सीधे इसके अंतर्निहित हार्डवेयर में बिजली बचाने के पहलुओं को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। यह एक निश्चित अन्तराल की निष्क्रियता के बाद स्वतः ही सिस्टम के घटकों जैसे कि मॉनिटर तथा हार्ड ड्राइव को बंद करने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, सिस्टम शीतनिद्रा (Hibernate) की अवस्था में हो सकता है, जिसमें ज्यादातर घटक सीपीयू (CPU) व सिस्टम की रैम सहित बंद हो जाते हैं। एसीपीआई (ACPI) इंटेल माइक्रोसॉफ्ट का उन्नत ऊर्जा प्रबंधन (Advanced Power Management) नामक मानक का एक उत्तराधिकारी है, जो कम्प्यूटर के बायस (BIOS) को बिजली प्रबंधन कार्यों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। कुछ प्रोग्राम उपयोगकर्ता को सीपीयू (CPU) को होने वाली आपूर्ति को व्यक्तिगत रूप से समायोजित करने की अनुमति देते हैं, जिससे कि उत्पन्न होने वाली गर्मी की मात्रा तथा बिजली की खपत, दोनों में कमी आती है। इस प्रक्रिया को अंडरवोल्टिंग (Undervolting) कहा जाता है। कुछ सोपीयू (CPU) प्रोसेसर को काम के बोझ के अनुसार, स्वचालित रूप से अंडर वॉल्ट कर सकते हैं, इस तकनीक को इंटेल प्रोसेसरों पद 'स्पीडस्टेप (Speedstep), एमडी (AMD) के चिप्स पर "पॉवरनाऊ" (Powernow)@^^ dwy ,u DokbV^^ (Cool in Quiet), VIA के सीपीयू (CPU) पर लॉगहॉल (Longhaul) और ट्रांसमेटा (Transmeta) के प्रोसेसरों के साथ लॉगरन, स्वदह ल्नदझ कहा जाता है।

**ग्रीन कम्प्यूटिंग के लिए उपयोगी तकनीकें (Useful Technologies for Green Computing) :** ऐसे कई बुनियादी कदम हैं जिनसे हम ग्रन्थालयों में कम्प्यूटिंग के माध्यम से पर्यावरण की होने वाली हानि के प्रभाव को काफी कम कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से ऊर्जा के उपयोग को कम करने के लिए उपाय हैं।

**कम ऊर्जा को खपत करने वाले हार्डवेयर (Low Energy Consumption Hardware) :** कम्प्यूटरों में कम ऊर्जा का उपयोग करने वाले प्रोसेसर का इस्तेमाल, मदरबोर्ड में अलग से ग्राफिक्स कार्ड की जगह इनबिल्ड ग्राफिक्स कार्ड का उपयोग, एनर्जी कन्ज्युमिंग फैन के स्थान पर निश्चिक कूलिंग का इस्तेमाल और हार्ड ड्राइव के स्थान पर सालिड राज्य ड्राइव का इस्तेमाल करके काफी हद तक ऊर्जा के खपत पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

**आभासीकरण (Virtualization) :** कम्प्यूटर आभासीकरण (Virtualization) कम्प्यूटर संसाधनों को कम करने से संबंधित है, जैसे-भौतिक हार्डवेयर के एक सेट पर दो या अधिक तार्किक (Logical) कम्प्यूटर सिस्टम चलाने की प्रक्रिया। कम्प्यूटर आभासीकरण की अवधारणा 1960 के दशक में आईबीएम मेनफ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अस्तित्व में आई, लेकिन इसका व्यवसायीकरण 1990 के दशक में केवल 8606 अनुकूलन कम्प्यूटरों के लिए ही किया गया। आभासीकरण के साथ, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक अकेले शक्तिशाली सिस्टम की आभासी मशीनों पर मूल हार्डवेयर को निकाल कर ई भौतिक सिस्टम जोड़ सकता था, जिसके कारण ऊर्जा तथा कूलिंग खपत में कमी आई। कई वाणिज्यिक कम्पनियां और मुक्त श्रोत परियोजनाएं अब आभासी कम्प्यूटिंग में परिवर्तन को सक्षम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज उपलब्ध कराते हैं। इंटेल कॉर्पोरेशन और एमडी ने भी आभासी कम्प्यूटिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए, 8606 अनुदेश सेट के अनुसार, अपनी प्रत्येक सीपीयू (CPU) लाइन के लिए प्राप्ताइटरी वचुअलाइजेशन एन्हासेमेट बनाये हैं।

**टर्मिनल सर्वर (Terminal Server) :** टर्मिनल सर्वरों का भी ग्रीन कम्प्यूटिंग में प्रयोग किया गया है। इस प्रणाली का उपयोग करते समय, एक टर्मिनल पर उपयोगकर्ता केंद्रीय सर्वर से संपर्क करते हैं। सम्पूर्ण वास्तविक गणना सर्वर पर की जाती है, लेकिन

उपयोगकर्ता को ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्मिनल पर होने का आभास होता है। इन्हें थिन क्लाइंट के साथ जोड़ा जा सकता है, जो कि एक सामान्य वर्कस्टेशन की तुलना में ऊर्जा के 1/8 भाग की खपत करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की लागत तथा खपत में कमी आती है। आभासी प्रयोगशालाओं को बनाने के लिए थिन क्लाइंट टर्मिनल सेवाओं में बृद्ध हुई है। टर्मिनल सर्वर सॉफ्टवेयर के उदाहरणों में विन्डोज के लिए टर्मिनल सेवाएं और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिनक्स टर्मिनल सर्वर प्रोजेक्ट (एलटीएसपी) शामिल हैं।

**पदार्थों की रीसाइकिलिंग (Recycling)** : कम्प्यूटिंग उपकरण की रीसाइकिलिंग से हानिकारक पदार्थों जैसे कि सीसा, पारा और हैक्सावेलेंट क्रोमियम को जमीन में दबाने से (लैंडफिल्स) से बचा जा सकता है और ये उन उपकरणों का स्थान भी ले सकत है जिनके निर्माण में इनकी आवश्यकता है, में लाया जा सकता है या फिर इन्हें विभिन्न धर्मार्थ संस्थाओं और लाभ-निरपेक्ष संगठनों को दान किया जा सकता है। हालांकि, कई धर्मार्थ संस्थाओं ने हाल ही में दान दिए जाने वाले उपकरणों के लिए न्यूनतम सिस्टम आव यक्ताएं निर्धारित की हैं। इसके अलावा, पुराने सिस्टम के कुछ पुर्जों को बचाया जा सकता है और इन्हें कुछ रिटेल आउटलेट और नगर निगम अधिकारी निजी रीसाइकिलिंग केन्द्रों की सहायता से रीसाइकिल किया जा सकता है। कम्प्यूटिंग आपूर्तियां जैसे कि प्रिंटर, कार्टिजों, पेपर और बैटरियों को भी रीसाइकिल किया जा सकता है। इनमें से अधिकतर योजनाओं में एक दोष यह है कि रीसाइकिलिंग अभियानों के माध्यम से एकत्रित किये गये कम्प्यूटर अक्सर विकासशील देशों में भेज दिए जाते हैं जहां पर्यावरण के मानक उत्तरी अमेरिका व यूरोप की तुलना में कम सख्त हैं। सिलिकॉन वैली टॉकिसक्स गढ़बंधन का अनुमान है कि रीसाइकिलिंग के लिए एकत्रित किया जाने वाला 80: पोस्ट-कंजूमर इ-वेस्ट (इलेक्ट्रॉनिक कचरा) विदेशों में जैसे कि चीन और पाकिस्तान में भेज दिया जाता है।

पुराने कम्प्यूटर की रीसाइकिलिंग एक गोपनीयता संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाती है। पुराने भण्डारण उपकरणों (Storage) में निजी जानकारियां हो सकती हैं जैसे कि ईमेल, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर, जिन्हें कोई भी इंटरनेट पर उपलब्ध मुफ्त सॉफ्टवेयर की सहायता से आसानी से पुनः प्राप्त कर सकता है। एक फाइल को हटाने (Delete) से यह वास्तव में हार्ड डिस्क से नहीं हटती। कम्प्यूटर की रीसाइकिलिंग से पहले, उपयोगकर्ताओं को पहले हार्ड ड्राइव या हार्ड ड्राइव्स, यदि एक से अधिक हैं, हटानी चाहिए और इसे पूर्णतया नष्ट कर देना चाहिए या कहीं सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। कुछ अधिकृत हार्डवेयर रीसाइकिलिंग कम्पनियां भी हैं जहां कम्प्यूटर को रीसाइकिलिंग के लिए दिया जा सकता है और वे आम तौर पर एक गैर प्रकटीकरण (नॉन-डिस्कलोजर) समझौते पर हस्ताक्षर करती हैं।

**डिस्प्ले (Display)** : एलसीडी (LCD) मॉनिटर आम तौर पर डिस्प्ले के लिए प्रकाश उत्पन्न करने के लिए कोल्ड कैथोड पलोरोसेंट बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। कुछ नए डिस्प्ले पलोरोसेंट बल्ब की जगह लाईट एमिटिंग डायोड की एक सारणी का इस्तेमाल करते हैं जो कि डिस्प्ले द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बिजली की मात्रा को कम कर देता है।

**ग्रीन कम्प्यूटिंग को ग्रन्थालयों में प्रभावी बनाने के कुछ सरल उपाय (Some Simple Solutions to make Green Computing Effective in Libraries) मॉनिटर** : ग्रन्थालयों में पाठकों को कम्प्यूटर पर काम करने की अपनी पद्धति में सुधार लाने हेतु प्रेशित करना चाहिए जिससे वातावरण पर होने वाले इलेक्ट्रॉनिक दुष्प्रभावों से बचा जा सके। इनमें से कुछ सुधार नीचे दिए गए हैं-

1. जब कम्प्यूटर पर काम नहीं कर रहे हैं तो उसके सीपीयू और अन्य उपकरणों को बंद कर दें।
2. कम्प्यूटर संबंधी अपने सारे काम एक साथ निपटा लें और बाकि समय सभी हार्डवेयर बंद रखें।
3. लेजर प्रिंटर जैसे उपकरणों जिनमें ज्यादा बिजली की खपत होती है, को काम होने के बाद तुरन्त बंद दें।
4. कैथोड रे ट्रैवल (CRT) मॉनिटर की अपेक्षा लिकिवड क्रिस्टल (LCD) मॉनिटर का उपयोग करें।
5. जब भी संभव हो डेस्कटॉप कम्प्यूटर की जगह नोटबुक कम्प्यूटर का इस्तेमाल करें।
6. जब भी आपका कम्प्यूटर खुला हो और उस पर काम न हो रहा हो तो हार्डड्राइव व डिस्प्ले को बंद करने में पावर मैनेजमेंट की सुविधाओं का उपयोग करें।
7. कम्प्यूटर वर्क स्टेशन, सर्वर्स, नेटवर्क्स और डेटा सेंटर्स के लिए वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन लगाए।
8. सर्फिंग करते समय जिस विंडो या वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, उसके अलावा खुली हुई दूसरी सभी विंडोज या वेबसाइट्स बंद कर दें।

**निष्कर्ष (Conclusion)** : एक अध्ययन के अनुसार, दुनियाँ भर में लगभग 20 करोड़ लोग इंटरनेट पर खोज करते हैं। इस खोज के दौरान इंटरनेट कई सर्वरों पर अभीष्ट शब्द से संबंधित सामग्री वाली वेबसाइटों को खोजता है जिससे बढ़ी मात्रा में कार्बन डाई ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। इन सर्वरों पर भारी मात्रा में सामग्री एकत्रित होती है। जिसके कारण सर्वर बहुत ज्यादा लोडेड होते हैं जिन्हें चलाने और ठंडा रखने के लिए अत्यधिक बिजली की आवश्यकता होती है जो अंततः पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ग्रीन कम्प्यूटिंग के प्रति ग्रन्थालयों में जागरूकता काफी तेजी से बढ़ रही है परन्तु आवश्यकता इसे एक आन्दोलन बनाने की है, जिससे की पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाकर सतत विकास को समर्पय बनाया जा सके।

#### सन्दर्भ :

1. Rana (Priya) : Green Computing Saves Green, International Journal of Advanced Computer and Mathematical Sciences. 1 (1) 201045-51.
2. Williams (Simon) : Green Computing, Business, 2 (2) 2009 102-109.
3. Ganesh (K) Your Environmental Goals with Green Computing, International Journal of Green Computing, 3 (2) 2012 56-71
4. [http://en.wikipedia.org/wiki/green\\_computing](http://en.wikipedia.org/wiki/green_computing)

## **अनुशासन के सन्दर्भ में गिजुभाई की दृष्टि**

### **डॉ मनोज मिश्र\***

\*एसो प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग, वाई० डी० पी० जी० कालेज, लख्नौमपुर (खीरी)

**सारांश :** किसी समाज के निर्माण में अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुशासन ही मनुष्य को श्रेष्ठता प्रदान करता है तथा उसे समाज में उत्तम स्थान दिलाने में सहायता करता है। इसके अभाव में मानव प्रकृति प्रदत्त शक्तियों का उचित प्रयोग नहीं कर सकता है। अनुशासन के द्वारा ही व्यक्ति अच्छी शक्ति प्राप्त करता है और इस शक्ति से वह अपनी नैसर्जिक प्रवृत्तियों का विकास करने में समर्थ होता है। अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है— अनु और शासन। अनु उपर्युक्त है जो शासन से जुड़ा है और जिससे अनुशासन शब्द बना है। जिसका अर्थ है— किसी नियम के अधीन रहना या शासन के अनुसार, अपने जीवन को चलाना ही अनुशासन है अर्थात् अनुशासन वह विधान है जो किसी संस्था, वर्ग या समुदाय के सदस्यों को उनके अनुसार, सम्यक रूप से कार्य/आचरण करने के लिए सम्बोधित या निर्देशित करे। भारत में प्राचीन समय से ही अनुशासन शब्द का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता रहा है। जैसे नियम के संदर्भ में भी अनुशासन शब्द का प्रयोग किया गया है— ऋण के सम्बन्ध में मनु का अनुशासन, शब्द के संदर्भ में पाणिनि का शब्दानुशासन तथा लिंगानुशासन। 'महाभारत' का 13 वां पर्व 'अनुशासन पर्व' है। इसमें अनुशासन का अर्थ उपदेश से है। इस पर्व में उपदेशों का वर्णन है, इसलिए इसका नाम अनुशासन पर्व रखा गया। इसी प्रकार रामचरितमानस में 'अनुशासन' शब्द आज्ञा के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है। रामचरितमानस में लक्षण अपने भ्राता श्री रामचन्द्र जी से कहते हैं— जो तुम्हार अनुशासन पाऊँ। कन्दुक से ब्रह्माण्ड उठाऊँ॥

**मुख्य शब्द :** आधुनिक शैक्षिक विचारधारा, अनुशासन, संस्था, वर्ग, समुदाय आदि।

आधुनिक शैक्षिक विचारधारा में अनुशासन का अर्थ व्यापक रूप में लिया जाता है। आज जहाँ शिक्षा का उददेश्य बालक में सफल नागरिकता एवं सामाजिकता के गुणों का विकास करना समझा गया है, वहां विद्यालय अनुशासन स तात्पर्य ऐसे आन्तरिक तथा वाह्य अनुशासन से लिया जाता है जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विकास करे। आन्तरिक अनुशासन आत्मप्रेरित होता है। बालक अपनी इच्छा से अनुशासन मानता है। यह आरोपित अनुशासन नहीं है। यह उच्च चरित्र और संकल्प वाले व्यक्तियों के उदाहरण से प्राप्त होता है। जबकि वाह्य अनुशासन नियमों तथा दण्ड के भय पर आधारित रहता है। बालक वाह्य रूप से तो कहना मानता है, परन्तु भीतर ही भीतर उसके हृदय में घृणा तथा रोष के भाव उत्पन्न हो जाते हैं और फिर वे भाव किसी न किसी दृष्टि रूप में प्रस्फुटित होते हैं इसलिए नवीन शिक्षा व्यवस्था में स्वानुशासन पर बल दिया जाता है।

प्रसिद्ध बाल शिक्षाशास्त्री गिजुभाई बधेका अनुशासन के महत्व से भलीभांति परिचित थे। उन्होंने स्वानुशासन का समर्थन किया और कठोर अनुशासन को बाल विकास के मार्ग की एक प्रमुख बाधा के रूप में देखा। वे बालकों में लालच या दण्ड द्वारा अनुशासन स्थापित करने का विरोध करते हैं। इसलिए उन्होंने अभिभावकों व शिक्षकों से अपना मत व्यक्त किया— “माँ—बाप और शिक्षक समझ लें कि मारने या ललचाने से बालक सुधर नहीं सकते, उल्टे वे बिंगड़ते हैं। मारने से बालक में गुणावन आ जाता है। ललचाने से बालक लालची बन जाता है। भय और लालच से बालक बेशरम, ढीठ और दीन-हीन बन जाता है।”<sup>1</sup> गिजुभाई के अनुसार, लालच या दण्ड ऐसा प्रेरक है। जो असर तो तेजी से करता है किन्तु सीखने या विकास करने की गति में अवरोध बन जाता है और बालक स्वाभाविक विकास व सीखने की प्रक्रिया से विचित हो जाते हैं। इसी प्रकार बच्चों की रुचि, जरूरत, इच्छा, मन आदि के विरुद्ध चीजों, रितियों और व्यवहार का होना उनमें नकारात्मक भाव उत्पन्न करता है। जिससे एक सहज व स्वाभाविक अनुशासन जो परिवार और समाज में विकसित होकर स्कूलों में सुरुदृ और सक्रिय होना चाहिए, वह नहीं हो पाता।

गिजुभाई के अनुसार, प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन का अर्थ है— कक्षा में चुपचाप, हाथ—पैर बांध कर बैठे रहो। अगर कोई कामकाज करेंगे, तो अनुशासन और व्यवस्था भग हो जाएगी। गिजुभाई इस विशय में लिखते हैं— “शालाएं और घर बालप्रवृत्तियों को छीन लेते हैं और क्रियाहीनता को ही अनुशासन मानते हैं।”<sup>2</sup> वे ऐसे अनुशासन को सच्चा अनुशासन नहीं मानते जो डॉट-डपट या दण्ड के भय से उपजता हो और जिसमें बालक की क्रियाशीलता व स्वतंत्रता बाधित होती हो। वे स्वानुशासन के पक्षधर थे। वे स्वानुशासन के संदर्भ में कहते हैं— ‘‘सच्चा स्वानुशासन शिक्षक पर निर्भर नहीं रहता, अपितु प्रत्येक बालक के अंतर्जीवन में होने वाले विकास पर अवलंबित है। स्वानुशासन उपालम्भों से अथवा बड़ों के उपदेश से नहीं लाया जा सकता। गलतियां निकालकर, गलतियों के लिए उपालम्भ देकर अथवा गलतियों के लिए बालक को सामने डॉट-डपट कर नियमन नहीं लाया जा सकता। कदाचित् शुरू-शुरू में इन तरीकों से ऊपरी अनुशासन दिखाई देगा, पर वह लम्बे समय तक नहीं टिक पाएगा।”<sup>3</sup>

गिजुभाई स्वानुशासन हेतु शाला में विविध प्रवृत्तियों के आयोजन को आवश्यक मानते हैं। उनका मानना है कि वास्तविक अनुशासन का उदय प्रवृत्ति विशेष से होता है। किसी क्षण किसी प्रवृत्ति विशेष में बालक को अपर्व आनन्द आने लगता है। उस समय उनके चेहरे के भाव ही उनकी संलग्नता एवं एकाग्रता की साक्षी देने लगते हैं। स्वनियमन की दिशा में यही बच्चों का पहला कदम मानना चाहिए। प्रवृत्ति चाहे कैसी भी हो, इन्द्रिय शिक्षण की हो, बटन या हुक लगाने की या कप-रकाबियां उठाकर चलने की हो। उनका मानना है कि आज्ञा देकर या जबरदस्ती यह प्रवृत्ति बालकों पर लादी नहीं जा सकती। वे कहते हैं— “परंतु यह

प्रवृत्ति स्वेच्छाचारिता से बालकों पर लादी नहीं जा सकती। यह प्रवृत्ति स्वयं स्फुरित होनी चाहिए। बालक के विकास की जरूरतों से उद्भूत होनी चाहिए और यह उद्भूत होती ही है क्योंकि विकास के लिए मनुष्य स्वभावतः प्रवृत्ति करना चाहता है। जिस प्रवृत्ति की तरफ हमारे जीवन की अन्तः शक्तियां बिना रुके मुड़ जाती हैं, अथवा जिस प्रवृत्ति में मनुष्य हर कदम पर ऊपर चढ़ता जाता है, वह प्रवृत्ति ही नियमन देने वाली होती है। ऐसी प्रवृत्ति ही मनुष्य में सुव्यवस्था लाती है और उसके समक्ष विकास की अनंत संभावनाओं के प्रदेश उद्घाटित करती है। ऐसी प्रवृत्ति को बालक तब तक आहलादपूर्वक बार-बार करता है जब तक कि वह उसका पोषण करती है, उसे विकसित करती है।<sup>4</sup>

वर्तमान परम्परागत शिक्षा के अन्तर्गत अनुशासन स्थापित करने में केवल शिक्षकों के आदेश का पालन करने या अनुकरण करने पर बल दिया जा रहा है। इसमें छात्र की सृजनशक्ति व मूल प्रवृत्तियों की अवहेलना की जाती है। जबकि गिजुभाई स्वानुशासन हेतु शाला में विविध प्रवृत्तियों के आयोजन को आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार, यह प्रवृत्ति उस पर लादी नहीं जानी चाहिए, वरन् स्वयं स्फुरित होनी चाहिए। विकास के लिए बालक स्वभावतः प्रवृत्ति करना चाहता है। स्व-स्फुटित प्रवृत्तियां ही अनुशासन देने वाली होती हैं। इसलिए गिजुभाई ने अपने बालमन्दिर में संगीत, इन्द्रिय शिक्षण, प्रकृति परिचय, चित्रकारी, नाटक, कहानी, बालक्रीडा, जीवन व्यवहार तथा मुक्त व्यवसाय के काम आदि प्रवृत्तियों को शामिल किया था। जिससे बालक अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रवृत्तियों में सहभागिता कर सके। जब बालक अपने मनपसन्द कार्य में संलग्न रहता है, ऐसी स्थिति में अनुशासन की कोई समस्या ही उत्पन्न ही नहीं होती।

गिजुभाई का मानना था कि स्वतंत्रता के सिद्धान्त पद्धति के द्वारा ही बालक के मूल स्वभाव को विकसित किया जा सकता है और उसे स्वानुशासित बनाया जा सकता है। गिजुभाई बाल प्रवृत्तियों पर रोक लगाकर शान्ति और व्यवस्था की विद्यालय में स्थापना करना उचित नहीं मानते हैं। उनका विचार है कि विकासशील बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अर्थात् जब उसे विकासमान परिस्थिति में से प्रवृत्ति के चयन की इच्छा स्फुरित हो, तभी प्रवृत्ति करने की छूट मिलनी चाहिए। इसके लिए शाला में स्वतंत्र वातावरण का होना आवश्यक है। वे इस विषय में कहते हैं— “स्वतंत्रता पर निर्मित शिक्षण पद्धति का काम यह है कि वह बालक को स्वतंत्र होने की तालीम देने को आगे आए। स्वतंत्र वातावरण में बालक ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों स्वयं को अधिक से अधिक व्यक्त करता जाएगा, वह अपने मूल स्वभाव को अधिक निर्मलता से बाहर लाएगा। अगर शिक्षण कार्य में सही मायने में स्वतंत्रता आ जाए तो अन्य कठिनाइयों के साथ-साथ दण्ड एवं पुरस्कार का भी अन्त आ जाए। इससे बालक स्वस्फुरण से स्वतंत्र प्रवृत्तियों में संलग्न होकर स्वाधीनता के मार्ग पर बढ़ जाता है। उसमें स्वानुशासन का उदय होता है।”<sup>5</sup>

गिजुभाई के अनुसार, शाला में अनुशासन स्थापित करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कक्षा में अनुशासन हेतु शिक्षक द्वारा जोर से बोलने की आदत के विषय में गिजुभाई कहते हैं— “अध्यापक जोर की आवाज में पढ़ाएगा तभी कक्षा में अनुशासन और व्यवस्था बनी रहेगी, अन्यथा नहीं। ऐसी एक मान्यता उसके मन में घर किए हुए है। यह कैसी भाँति है कि अध्यापक गला फाड़कर बोलेगा तभी उसका रौब पड़ेगा और अनुशासन बना रहेगा।”<sup>6</sup> गिजुभाई ऐसे शिक्षकों से कहते हैं कि कक्षा में शांति और व्यवस्था बनाने के लिए जोर से बोलने की बजाय शिक्षक को शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बनाने पर ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है— “अध्यापक की अपनी शिक्षण कला से ही शांति छा जाएगी। शांति के धीमे स्वर में ही काम करने में मजा आ जाता है। यही नहीं, उनमें एक प्रकार की मधुरता आने लगेगी। फिर तो शांति स्वतः शोरगुल के सामने संघर्ष करने लगेगी।”<sup>7</sup>

गिजुभाई ने बालमन्दिर में बालकों को स्वतंत्र व भयमुक्त वातावरण देकर उन्हें स्वानुशासित बनाने का सफल प्रयोग किया था। उन्होंने इस हेतु शिक्षण में संगीत, इन्द्रिय शिक्षण, जीवन व्यवहार तथा मुक्त व्यवसाय के काम, भाषा शिक्षण, प्रकृति परिचय, चित्रकारी, नाटक, कहानी, बालक्रीडा, शांति की क्रीड़ा आदि प्रवृत्तियाँ शामिल की थीं जिससे बालक अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रवृत्तियों में सहभागिता कर सके। भरत लाल पाठक ने एक शैक्षिक प्रवृत्ति ‘शांति की क्रीड़ा’ के बारे में लिखा है— “इसका मुख्य प्रयोजन यही था कि मन शान्त बने, क्रियाकलापों में शांति एवं अनुशासन उपजे तथा नियत्रित गति की प्राप्ति हो।”<sup>8</sup> गिजुभाई ने अपने एक लेख ‘दो शालाओं का अवलोकन’ में अपनी सच्ची अनुशासित शाला का वर्णन इस प्रकार किया है— “सच मानें तो लड़के ऊंधमी हैं ही नहीं। जब इन्हें पानी का रेला कह दिया, तो सचमुच इनमें पानी की धारा जैसा ही बल है इसलिए इन्हें स्वयं व्यवस्थित किया जा सकता है। यहाँ हमने बालकों के लिए अनुकूल व रुचिकर प्रवृत्तियों की व्यवस्था की है। जिसको जो भी पसंद हो, करता है, और जब इच्छा हो, तभी करता है। प्रत्येक बालक अपने मनपसंद के काम में लगा रहता है, फिर वह भटकने, झाँगड़ने या मरती करने को खाली नहीं रहता। जब वह अपना काम करके मुक्त होता है तब वह उल्टा आनंदपूर्वक दूसरे बालकों के साथ मिलता-जुलता, मौज उड़ता है। बच्चे एक पंक्ति में बैठे रहें, घूमें नहीं, चुपचाप पढ़ते रहें, इसे मैं अनुशासन नहीं मानता।”<sup>9</sup>

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि गिजुभाई ने बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए स्वतंत्रता को अनिवार्य माना। उनका मानना था कि स्वतंत्रता पर आधारित शिक्षण पद्धति के द्वारा ही बालक के मूल स्वभाव को विकसित किया जा सकता है और उसे स्वानुशासित बनाया जा सकता है। गिजुभाई स्वानुशासन को ही वास्तविक अनुशासन मानते थे। उनका कहना था कि बालकों पर अनुशासन जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए बल्कि वह स्वयं उनके हृदय से उत्पन्न होना चाहिए क्योंकि स्वफुरित अनुशासन ही सच्चा अनुशासन होता है। वे अनुशासन स्थापना के लिए पुरस्कार व दण्ड दोनों के विरोधी थे। उनका मानना था कि दण्ड देने से छात्रों के मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बालक स्वाभाविक विकास या सीखने की प्रक्रिया से वंचित हो जाते हैं।

गिजुभाई मानते थे कि यह धारणा गलत है कि बालकों को सजा दे कर अनुशासित किया जा सकता है। दण्ड के भय से हम बालक को अल्प समय तक ही अनुशासित रख सकते हैं परन्तु यह अनुशासन स्थायी नहीं होता है। वे कहते हैं— 'वस्तुतः यह सोच ही बिल्कुल गलत है। कोई यह तर्क देता है कि सजा देकर शैतान लड़कों को शान्त बनाया जा सकता है। पर यह शांति टिकेगी कब तक ? किसी बलवान व्यक्ति के सामने बन्दूक ताने रखें तो वह घड़ी भर के लिए ही शांत रह पाएगा। सजा देकर हम बालक को गुलाम बनाना चाहते हैं, यह अच्छी बात नहीं है।'<sup>10</sup> दमनात्मक तरीकों से हम बालक को थोड़े समय के लिए अनुशासित रख सकते हैं लेकिन यह अनुशासन स्थायी नहीं होगा, बल्कि बालक की रुचि, आवश्यकता, इच्छा आदि के अनुरूप उन्हें स्वतंत्रता देकर स्वानुशासन की स्थापना की जा सकती है। गिजुभाई के विचारों का अनुमोदन करते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) ने भी कहा था— "अनुशासन स्वेच्छापूर्वक तथा कुशलतापूर्वक किए गए महत्वपूर्ण सहयोगात्मक कार्य की देन है।"<sup>11</sup> अनुशासन की स्थापना हेतु दण्ड के प्रयोग से बालक में नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है जो कि मनौवैज्ञानिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। इसलिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 में बालकों को दण्ड देने पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन एवं शिक्षा का अधिकार विधेयक का यह प्रावधान गिजुभाई के विचारों से प्रेरित है। अतः स्पष्ट है कि गिजुभाई के स्वानुशासन सम्बन्धी विचार आज की शिक्षा व्यवस्था में भी उपयोगी हैं।

वर्तमान शिक्षा में अनुशासन का अर्थ है कक्षा में चुपचाप, निष्क्रिय होकर बैठना। अगर कोई कार्य या क्रिया की जाएगी तो अनुशासन भंग हो जाएगा। बालक की मूल प्रवृत्ति क्रियाशीलता है, शाला या कक्षा उसकी इस बालप्रवृत्ति को छीन लेते हैं और क्रियाहीनता को ही अनुशासन मानते हैं जो कि मनौवैज्ञानिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है। गिजुभाई का विचार था कि शाला में स्वतंत्र वातावरण निर्मित कर बालकों को स्वानुशासित बनाया जा सकता है। उनका मानना था कि बालक की स्वाधीनता और स्वतंत्रता छीनकर अनुशासन रखना बच्चों को आनंद और शिक्षा दानों से बचात रखना है। गिजुभाई के अनुसार, यदि बालक की प्रारम्भिक गतिविधियां व्यवस्थाहीन, अनुशासनविहीन या थोड़ी अजब या अव्यवस्थित भी हैं, तो बच्चों की स्वाधीनता, उनकी क्रियात्मक भागीदारी, खेलने, कूदने और सीखने के आनन्द में अपना अनुशासन स्वयं खोज लेती है। इस प्रकार गिजुभाई ने रुसों और फ्रायड के स्वतंत्रता सम्बन्धी विचार का समर्थन करते हुए बालकों की स्वामाविक स्वतंत्रता को बाधित करने को अनुशासनहीनता का कारण बताया जो कि आज की शिक्षा व्यवस्था के लिए अति प्रासंगिक है।

किसी भी राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब उसके नागरिक अनुशासित हों। यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज एवं राष्ट्र प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहें, तो हमें अनुशासित रहना ही पड़ेगा। आज का शैक्षिक वातावरण अत्यन्त विषम हो गया है और सर्वत्र अनुशासनहीनता व्याप्त है। छात्रों में स्वानुशासन विकसित करने के लिए आज गिजुभाई जैसे बालस्नेही व आदर्श शिक्षकों की आवश्यकता है जिनके तेजस्वी व प्रेमिल व्यक्तित्व के आगे छात्र स्वयं अनुशासित हो जाएं। गिजुभाई ने अनुशासन पर केवल विचार ही व्यक्त नहीं किए, वरन् उनको अपने बालमंदिर में लागू करके भी दिखाया। बालमंदिर के स्वतंत्र और क्रियाशील वातावरण में, शिक्षकों के स्नेही और प्रेमिल व्यवहार से बालकों में स्वतः ही अनुशासन की भावना उदित हो गयी थी। छात्रों में अनुशासन उत्पन्न करने के लिए गिजुभाई ने बालमंदिर में जो वातावरण रचा, जो क्रियाएं करायी, वे आज भी प्रासंगिक ह। आज अगर गिजुभाई के इन विचारों का अनुशीलन कर वर्तमान शिक्षा में लागू किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे विद्यालयों में अनुशासनहीनता की कोई समस्या दृष्टिगत नहीं होगी। इन विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त बालक ही एक स्वानुशासित समाज की स्थापना करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकेंगे। ऐसे स्वानुशासित समाज के द्वारा ही भारत को एक सशक्त व विकसित देश के रूप में निर्माण कर पाना संभव हो सकेगा।

## सन्दर्भ :

1. छ्वे, रमेश (1999), गिजुभाई बघेका के शैक्षिक विचार एवं प्रयोग, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, पृ 21
2. गिजुभाई, (2006), बालशिक्षण जैसा मैं समझ पाया, मॉटेसरी बाल शिक्षण समिति, राजदलेसर (चुरु), पृ 33
3. गिजुभाई, (2006), मांटेसरी पद्धति—भाग—1, मॉटेसरी बाल शिक्षण समिति, राजदलेसर (चुरु), पृ 159
4. गिजुभाई, (2006), मांटेसरी पद्धति—भाग—1, पृ 55
5. पाठक, भरतलाल (1983), गिजुभाई का शिक्षा में योगदान, सुरजीत प्रकाशन, बीकानेर, पृ 55
6. गिजुभाई, (2006), प्राथमिकशाला में शिक्षक, मॉटेसरी बाल शिक्षण समिति, राजदलेसर (चुरु), 2006 पृ 124
7. गिजुभाई, प्राथमिकशाला में शिक्षक, पृ 127
8. पाठक, भरतलाल, गिजुभाई का शिक्षा में योगदान, पृ 55
9. पाठक, भरतलाल, गिजुभाई का शिक्षा में योगदान, पृ 55
10. गिजुभाई, (2006), शिक्षक हों तो, मॉटेसरी बाल शिक्षण समिति, राजदलेसर (चुरु), पृ 62–63
11. गिजुभाई, (2006), शिक्षक हों तो, मॉटेसरी बाल शिक्षण समिति, राजदलेसर (चुरु), पृ 62–63

## मृच्छकटिकम् में वर्णित सामाजिक स्थिति की प्रासांगिकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में डॉ किरन देवी\*

\*असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, रत्न सेन डिग्री कालेज, बांसी—सिद्धार्थनगर, उ०प्र०

**सारांश :** शूद्रक कृत प्रकरण एक ऐसा विलक्षण प्रकरण रत्न है, जो संस्कृत नाट्य—साहित्य में एक अद्भुत रचना है इसमें जनजीवन का वास्तविक चित्रण मिलता है। यह वस्तुतः जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा विचित है। जन—जीवन का जितना विस्तृत, वास्तविक और व्यापक चित्रण मृच्छकटिक में मिलता है, उतना अन्यत्र सर्वथा दुर्लभ है। इसमें विविध कलाओं एवं सामाजिक परिस्थितियों को परिलक्षित करने वाली गीर्वाण वाणी ने भारत की सरम्य धरा को ज्ञान का विस्तृत आलोक प्रदान किया है। शूद्रक संस्कृत साहित्य के एक मात्र नाटककार है, जिन्होंने देवी—देवताओं, राजा अथवा शृंगारिकता को छोड़कर तत्कालीन सामाजिक समस्याओं को नाटक का विषय बनाया है। शूद्रक ने इस प्रकरण में मानव जीवन और समाज की विसंगतियों को पूर्णता प्रतिम्बित किया है।

**मुख्य शब्द :** मृच्छकटिक, संस्कृत साहित्य, नाट्य—साहित्य, शूद्रककालीन समाज, नाटककार आदि।

साहित्य समाज का दर्पण है किसी भी भाषा के साहित्य को कवि अथवा लेखक समाज के परिवेश में रहकर उस समय की रीति—रिवाजों आदि को अपनी लेखनी के द्वारा सृजित करता है। सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा कवि समाज को अधिक जिज्ञासा एवं संदेशशीलता से देखते हुए चिंतन—मनन करता है, जिस कारण समाज का स्वरूप आदि किसी भी कवि के साहित्य में अवश्यमेव वर्णित होता है, किसी काल की सामाजिक परिस्थितियों को ज्ञात करने का सर्वोत्तम उपाय तत्कालीन साहित्य होता है—यह उक्त मृच्छकटिकम् के सन्दर्भ में पूर्णतः चरितार्थ होती है। इस प्रकरण में तत्कालीन समाज की परिस्थितियों का यथार्थ स्वरूप दर्षिगोचर होता है। शूद्रककालीन सामाजिक स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय एवं दयनीय थी। सम्पूर्ण समाज सम्पन्न होने के बाद भी विक्षिप्त एवं अद्यापतित की अवस्था में था। सम्पूर्ण प्रजा राजा में निहित थी, राजा की इच्छा सर्वोपरि होती थी, किन्तु समाज में शाकितशाली राजाओं का अभाव था। राज्य संचालन मंत्रियों की सहायता से किया जाता था।<sup>1</sup> यद्यपि सामाजिक सुरक्षा हेतु पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति मुकदमों के निर्णय हेतु न्यायधीशों की नियुक्ति की जाती थी किन्तु न्याय व्यवस्था उचित नहीं थी। अधिकारी वर्ग परस्पर कलह करता था। शूद्रककालीन समाज में प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करता था। किसी भी वर्ग को विशेष कार्य अथवा व्यवसाय के लिए बाध्य नहीं किया जाता था।

मृच्छकटिक प्रकरण के अनुशीलन से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि उस समय समाज छिन्न—भिन्न हो रहा था। जाति व्यवस्था कठोर हो गई थी। जाति जन्म से मानी जाने लगी थी और लोगों में जातिगत अभिमान उत्पन्न होने लगा था वीरक और चन्दनक का जो विवाद होता है उसमें इसकी झलक भिल जाती है<sup>2</sup> चाण्डालों के कथन से यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण कभी—कभी जाति की अपेक्षा मानवीय गुणों को वरीयता दी जाने लगी थी। ज्ञान और चरित्र बल के कारण समाज में ब्राह्मण सवश्रेष्ठ माने जाते थे। कुछ ब्राह्मण व्यापार भी करते थे। चारुदत्त के पिता एक सार्थवाह थे। ब्राह्मणों को समाज में विशेष अधिकार और सम्मान प्राप्त था। उन्हें आदरणीय माना जाता था। ब्राह्मण के सुवर्ण आदि को चुराना महापाप माना जाता था। निमन्त्रण पर जाना और दक्षिणा लेना ब्राह्मणों का कार्य हो चला था। शार्विलक—जैसे ब्राह्मण चोरी आदि दुष्कर्मों में भी फँस गये थे। व्यापार के कार्य में वैश्य अग्रणी हो गये थे। क्षत्रियों का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। फाँसी देने का कार्य चाण्डाल करते थे। उन्हें समाज में निम्न कोटि का स्थान प्राप्त था। उस समय भिन्न—भिन्न जातियाँ छोटे-छोटे मुहल्लों में निवास करते लगी थीं और जातियों के नाम पर मुहल्लों के नाम पड़ने लगे थे। प्राकृत, जनों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था।

‘मृच्छकटिक’ के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उस समय नारियों की दो श्रेणियाँ थी—प्रकाशनारी अथवा उस गणिका और अप्रकाशनारी अथवा वधू या कुल—वधू।

**अलं चतुः शालभिर्प्रवेश्य प्रकाशनारीघृत एश यस्मात् ।  
तस्मात्स्वयं धारय विप्र तावद्यावन्त तस्याः खलु भोः समर्त्यते ।<sup>3</sup>**

प्रकाशनारी के अन्तर्गत वेश्या वर्ग भी आ जाता था। वेश्या का ही एक दूसरा रूप गणिका होता था। परन्तु दोनों में फिर भी बहुत अन्तर होता था। वेश्याएँ अपने रूप और यौवन के द्वारा जहाँ पर अपना जीवनयापन करती थीं वहाँ गणिकाओं का काम विशेष रूप से नाचना—गाना होता था। भास ने अपने चारुदत्त नाटक में गणिका के सन्दर्भ में कहा है।

**एश रंगपवेश कलानां चैव शिक्षया ।**

वेश्या शब्द की व्याख्या करते हुए ‘दशरूपक’ में अवलोककार धनिक ने लिखा है—

**‘वेशोभृतिः सोऽस्या जीवनभितिवेश्या । तद्विशेशो गणिका ।**

उक्त लक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है, कि गणिका का स्थान वेश्याओं की अपेक्षा ऊँचा होता था। इसी सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि वसन्त सेना भी वेश्या न होकर एक गणिका थी। मृच्छकटिक में अधिकांश तौर पर उस गणिका कह कर ही पुकारा गया है। यद्यपि कुछ स्थानों पर वेश्या भी कहा गया है। तत्कालीन समाज में असर्वर्ण जाति की स्त्री से भी विवाह किया जा सकता था। “ब्राह्मण चारुदत्त और शार्विलक वेश्याओं से विवाह करते हैं। तत्कालीन समाज में रखेल (बिना विवाह किये किसी

स्त्री को उप—पत्नी बनाकर रखना) की प्रथा भी थी। सती होने की भी प्रथा थी। परदे की प्रथा थी। ‘स्त्रियाँ स्वर्ण निर्मित आभूषण धारण करती थीं। वे विभिन्न प्रकार के आभूषणों वस्त्रों एवं पुणों के द्वारा स्वयं को अलंकृत करती थीं’<sup>5</sup>

‘तत्कालीन समाज में द्यूतक्रीड़ा की प्रथा थी। लोक धनवर्धन के लिए जुआ खेलते थे और एक—दूसरे को व्याज के लिए रुपये देते थे जुआरियों की अपनी मण्डली भी थी और उसके नियम भी थे। जुआ खेलने के नियमों का पालन करना प्रत्येक जुआरी के लिए आवश्यक था जुए का खेल वैध माना जाता था। यदि कोई जुआरी जुए का धन नहीं देता था तो उसका देय धन न्यायालय के द्वारा दिलाया जाता था’<sup>6</sup> ‘उस समय मदिरालय थे और मदिरापान की प्रथा भी थी।’ तत्कालीन समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। दासों को खरीदा जाता था और धन देकर उन्हें कोई भी मुक्त करा सकता था मदनिका वसन्तसेना के यहाँ इसी दासों को मुक्त कर दिया जाता था’<sup>7</sup> ‘मृच्छकटिक’ प्रकरण के अन्त में स्थावरक को इसी प्रकार दासता से मुक्त कर दिया था।’<sup>8</sup>

मृच्छकटिक में चित्रित तत्कालीन समाज आर्थिक दृष्टि से समुद्दशाली था। व्यापार कार्य समुन्नत था। जहाजों से समुद्र पार तक व्यापार होता था। चतुर्थ अंक में मैत्रेय चेटी से करता है कि क्या तुम्हारे जहाज समुद्र में चलते हैं? इससे यह ज्ञात होता है कि समुद्र में जहाज चलते थे जिनके द्वारा व्यापार करने की सुविधा भी इस काल में थी। धनिकों के यहाँ स्वर्णराशि और स्वणाभूषण पाये जाते थे। चारुदत्त की पत्नी धूता की चतुर्थ समुद्र सारभूता रत्नमाला और वसन्तसेना के रत्न तथा आभूषण इसके प्रमाण हैं। बड़े लोगों के बच्चे स्वर्ण निर्मित खिलौनों से खेलते थे। बड़े व्यापारी अपना पर्याप्त धन देश के विकास—कार्य के लिए लगा देते थे। चारुदत्त ने अनेक विहार, आराम देवालय, तड़ाग और कूपों का निर्माण कराया था। लोगों के आने—जाने के लिए बैलगाड़ियों का प्रचलन था। घोड़े भी सवारी के काम आते थे। धनी—मानी लोग हाथी भी रखते थे। आवागमन के लिए बड़े—बड़े राजमार्ग थे परन्तु रात्रि में इन मार्गों पर चलना भयावह था। यद्यपि उस समय राजतन्त्र था, परन्तु राजा प्रजा के विचारों के अनुरूप राजमन्त्रियों की सम्पत्ति से गुप्तचर विभाग के अधिकारी गणों से दूतों एवं अनेक सेवकों की सहायता से राजकार्य सम्पन्न करते थे। इस दशा का निरूपण करता हुआ चारुदत्त इस प्रकार कह रहा है—

चिन्तासक्तनिमग्नमन्त्रिसलिलं, दूतोर्भिंशंखाकुलं  
पर्यन्तस्थितचारनक्रमकरं नागाशवहिस्त्रायम्।  
नानावाशककड़पक्षिरचितं कायस्थसर्पास्पदं  
नीतिक्षुश्णांटं च राजकरणं हिस्त्रैः समुद्रायते ॥<sup>9</sup>

अर्थात् विवाद के निर्णय के विचार में ढूबे हुए मन्त्रिगण ही जिसके जल हैं, जो दूतरुपी लहरों और भाँखों से भरा हुआ है जिसमें चारों और फले गुप्तचर ही घड़ियाल और मगर हैं। अपनी—अपनी बात के समर्थन में अनेक प्रकार से बोलने वाले वादी और प्रतिवादीगण ही जहाँ पक्षी की तरह बोल रहे हैं कायस्थरुपी सर्पों का जहाँ घर है नीति रुपी किनारा जहाँ टूट चुका है, ऐसा यह न्यायालय हिंसक लोगों के कारण समुद्र के समान लग रहा है।

इस काल में राजा मन्त्रियों की सम्पत्ति से कार्य करते थे। “प्रजा राजदण्ड से भयभीत रहती थी। मृत्युदण्ड की प्रथा थी।”<sup>10</sup> न्याय की समुचित व्यवस्था थी। अभियुक्त की इच्छा पर अपराधी को क्षमा कर दिया जाता था। “शिकारी को मृत्युदण्ड दिया गया था, परन्तु चारुदत्त ने उसे क्षमा कर दिया था।”<sup>11</sup> तत्कालीन दण्ड—प्रक्रिया कठोर थी। अपराधी को बाँधकर घसीटा जाता था तथा कुत्तों का भक्ष्य बनाया जाता था। शरीर को आरे से चिरवाया जाता था और शूली पर भी चढ़ाया जाता था।

“तत्कालीन समाज में वैदिक धर्म की मान्यता थी।”<sup>12</sup> अनेक प्रकार के यज्ञ किये जाते थे। पूजा, पाठ, बलि और तर्पण आदि क्रियाएँ समाज में प्रचलित थी। देव—पूजा, वस्त्र और तर्पण में चारुदत्त का अटल विश्वास था। नागरिक लोग व्रत—उपवास करते थे और ब्राह्मणों को दान देते थे। चाण्डाल भी अपने देवी—देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते थे। वैदिक धर्म के साथ—साथ बौद्ध धर्म का भी प्रचार था। यद्यपि उस समय बौद्ध धर्म का भी प्रचार था। यद्यपि उस समय बौद्ध धर्म ह्रास की ओर उन्मुख होने लगा था, बौद्ध भिक्षु प्रायः इन्द्रिय संयमी और तपस्वी होते थे, फिर भी समाज में उसका विशेष सम्मान था। कुछ भिक्षु सिर मुड़ाकर भी सांसारिक वासनाओं में लिप्त रहते थे। उस समय बौद्धों के लिए विहार होते थे। उनका एक कुलपति होता था। धार्मिक मान्यताओं के साथ—साथ जनमानस में अनेक प्रकार के विश्वास प्रचलित थे। कुछ ग्रहों के योग का अमिश्ट माना जाता था। शकुन और अपशकुन का भी विचार होता था।

मृच्छकटिक—कालीन समाज में नृत्यादि कलाएँ समुन्नत थीं। वसन्तसेना जैसी कुछ गणिकाएँ उच्चकोटि की कला प्रेमी और कलाकार थीं। वे संगीत नृत्य आदि के द्वारा असीम धन उपार्जित करती थीं। उस समय अभिनय के योग्य बड़ी—बड़ी रंगशालाएँ बनायी जाती थीं। नाट्यकला का पर्याप्त विकास हो चुका था। वाद्यों में वीणा, बांसुरी, दर्दुर, मृदंग पणव आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। चित्रकला और मूर्तिकला का भी सम्पूर्ण विकास हो चुका था। इस काल में चौर्य—कला का भी विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है।

इस प्रकार मृच्छकटिक—कालीन समाज में जहाँ समृद्धि और वैभव था, वहीं एक अर्तदब्द्ध भी था। शकार षड्यन्त्र के द्वारा चारुदत्त को मृत्युदण्ड दिलाने के लिए प्रयत्नशील है। चारुदत्त भाकार को क्षमादान देकर शूली से मुक्त कर देता है। समाज में जहाँ चोर, जुआरी, पाखण्डी आदि है, वहीं वैश्या वसन्तसेना और ब्राह्मण चारुदत्त दोनों ही के चरित्र उज्ज्वलता के प्रतीक हैं। सम्पूर्ण समाज में वित्त की अपेक्षा वृत्त की मान्यता देखी जी रही है।

प्राचीन साहित्य स्वभावतः तत्कालीन सामाजिक यथार्थ को प्रतिफलित करने के साथ—साथ भविष्य के लिए भी पथ प्रदर्शक होता है। ‘मृच्छकटिकम्’ नामक प्रकरण भी स्वकालीन यथार्थता को अभिव्यक्त करने के साथ—साथ वर्तमान सामाजिक पर प्रासादिक बना हुआ है। प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार कार्य अथवा व्यवसाय करने की स्वतन्त्रता, गणिका नारी का समाज एवं राज्य की स्वीकर्षण से ब्राह्मण की पत्नी बन जाना, महिलाओं का जीवन—यापन संबंधी निर्णय स्वयं लेना इत्यादि तथ्य आधुनिक सुधारवादी समाज को इस प्राचीन नाटक की अभिनव देन है। इस प्रकरण में महाकवि शूद्रकद्वारा नायक चारुदत्त का

ऐसा विचित्र एवं अद्भुत चरित्र उपस्थित किया गया है जो वर्तमान में भी अत्यन्त प्रांसगिक एवं ग्रहणीय है। चारूदत्त सामाजिक जीवन के उत्तर-चढ़ाव में अद्भुत चरित्र उपस्थित किया गया है जो कि सम्पूर्ण सामाजिक जीवन दर्शन को अभिव्यक्त करता है।

**“दीनानां कल्पवक्षः स्वगुणफलनतः सज्जनानां कुटुम्बी-आदा”**

**शिक्षितानां सुचरितनिकशः भील वेला समुदः।**

**सत्कर्ता नावमन्ता पूरुषां गुण निधिरक्षिणोदर सत्वो,**

**द्वोकः भलाध्यः सजीवत्यधिक गुण तयांचोच्छवसन्तीव चान्ये ॥ १४**

प्राचीन साहित्य के इन ग्रहणीय तथों को उन्नत रूप देने हेतु सर्वप्रथम संविधान का निर्माण किया गया, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक मानव को शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति एवं सामाजिक सुरक्षा इत्यादि सभी क्षेत्रों में विशेष अधिकार प्रदान किये गये। यथा समानता का, स्वतन्त्रता एवं शोषण के विरोध का अधिकार इत्यादि। इन अधिकारों के अतिरिक्त मानवहित को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विभिन्न कानून, अधिनियम एवं धारायें पारित की गयी। व्यवसाय के सम्बन्ध में संविधान में कहा गया कि सभी नागरिक अपनी आजीविका के लिए कोई भी व्यापार अथवा कारोबार कर सकते हैं उन्हें किसी विशेष व्यवसाय एवं कार्य हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा।<sup>15</sup> इसी प्रकार जाति-पाति ऊँच-नीच को समाप्त करने हेतु अस्पृश्यता का अन्त करना।<sup>16</sup> धर्म के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबन्ध लगाना।<sup>17</sup> किसी कार्य को जबरदस्ती करने के लिए बाध्य न करना इत्यादि कई ऐसे तथ्य हैं जो कि प्राचीन साहित्य में निहित आदर्शों का ही उन्नत रूप हैं।

‘मृच्छकटिकम्’ प्रकरण में जहाँ एक ओर अनेक प्रासांगिक तथ्य हैं वहीं दूसरी ओर अनेक अप्रासांगिक सामाजिक परिस्थितियाँ हैं जो आज भी हमारे समाज में व्यसन के समान विद्यमान हैं। यथा चोरी करना, घूतकीड़ा, मद्यपान करना, नारी अपहरण एवं हत्या उचित न्याय व्यवस्था न होना इत्यादि। इन अवरोधक सामाजिक स्थितियों के दमन अथवा समाप्ति हेतु पाचीन साहित्य की भौति वर्तमान में भी सरकार, प्रशासन अथवा जन-सामान्य द्वारा महत्वपूर्ण प्रयत्न किये जा रहे हैं किन्तु समाज में इनका स्वरूप यथावत बना हुआ है, जो कि सम्पूर्ण समाज को प्रभावित कर रही है। शिक्षा एवं जागरूकता से ही व्याप्त बुराइयों को दूर किया जा सकता है।

‘मृच्छकटिकम्’ में प्रतिपादित सामाजिक स्थिति में से जो जहाँ एक ओर अनेक तथ्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी प्रासांगिक एवं ग्रहणीय हैं। वहीं दूसरी और ऐसे घटक भी हैं जो पूर्णतः अप्रासांगिक एवं हानिकारक हैं। अतः मानव जीवन एवं समाज को आघात पहुँचाने वाले इन अप्रासांगिक घटकों का परित्याग करके सामाजिक सुधार हेतु प्रत्येक मनुष्य को स्वतः प्रयत्न करना होगा तभी समाज राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा।

#### सन्दर्भ :

1. मृच्छकटिक 6 / 1-5
2. मृच्छकटिक अंक 10 पृष्ठ 651
3. मृच्छकटिक 3 / 7
4. मृच्छकटिक 1 / 6,4 / 3-4
5. वही पृष्ठ 188
6. वही 2 / 4-10 तक
7. वही पृष्ठ 433
8. वही 4 अंक दृष्टव्य
9. वही पृष्ठ 659
10. वही 9 / 14
11. वही 10 / 26
12. वही 9 / 14
13. वही 1 / 4
14. वही 1 / 48
15. भारतीय संविधान अनुच्छेद – 19
16. भारतीय संविधान अनुच्छेद – 17
17. भारतीय संविधान अनुच्छेद – 15

## **कृष्णा सोबती के उपन्यास 'डार से बिछुड़ी' में चित्रित पितृसत्ता के विविध रूप**

**करिश्मा नाज\***

\*शोध छात्रा, एम०एच० पी० जी० कॉलेज, मुरादाबाद, उ०प्र०

**सारांश :** हिन्दी कथा साहित्य में जब कृष्णा सोबती का प्रादुर्भाव हुआ उस समय नवलेखन का दौर था। नयी कविता, नई कहानी, एब्सर्ड नाटक की चर्चाएं अपने शिखर पर थीं। उनकी कुछ कहानियाँ को नई कहानी आंदोलन की श्रेष्ठ रचनाओं में गिना जाता है किन्तु कृष्णा सोबती को ख्याति मिली, भारतीय समाज से नाभिनालबद्ध पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था के विविध रूपों को अपने लेखन के माध्यम से उजगार करने के लिए। विवाह, प्रजनन, मातृत्व, सामाजिक जीवन, वृद्धावस्था तथा स्त्री जीवन के विविध रूपों में पितृसत्ता की व्याप्ति तथा उसकी चुनौतियाँ कृष्णा सोबती के कथा साहित्य के विषय-वस्तु के रूप में चित्रित हुए हैं।

**मुख्य शब्द :** उपन्यास, कथा साहित्य, पितृसत्तात्मक, समाज व्यवस्था, सामंतवादी विचारधारा आदि।

सन् 1958 ई. में प्रकाशित कृष्णा सोबती का उपन्यास 'डार से बिछुड़ी' हिन्दी कथासाहित्य में तब से लेकर आज तक अपनी प्रासारिकता को बनाये हुए है। आधुनिक महिला रचनाकारों में कृष्णा सोबती का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे अपने विशिष्ट लेखन के लिए पहचानी जाती हैं। कृष्णा सोबती ने अपनी रचनाओं के द्वारा स्त्री को सदियों से चली आ रहीदासता और सामंतवादी विचारधारा से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। वह हशिये पर पहुँचायी गयी 'स्त्री मुक्ति' की सशक्त आवाज हैं। उनकी नायिकायें पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चूनौती देती हैं।

अपने उपन्यास 'डार से बिछुड़ी' में कृष्णा सोबती ने विधवा जीवन की समस्या, जीवन साथी न चुनने का अधिकार, घरेलू हिंसा, शिक्षा के अधिकार से बचना, पारिवारिक प्रताइना और बेमेल विवाह आदि समस्याओं का सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक आधार पर उठाया है। इसके लिए वे 'पाशों नामक लड़की' का चुनाव करती है जिसके आस-पास जीवन के ईर्द-गिर्द उपन्यास का कथानक बुना गया है। यह केवल 'पाशों' की कथा नहीं है अपितु अपने आस-पास की सभी स्त्रियों की कथा है जो अपने अस्तित्व और अस्तिमता के लिए अंत तक संघर्ष करती हैं। उपन्यास की नायिका 'पाशों' समाज के द्वारा लादे गए रीति-रिवाजों का बहिष्कार करती हैं। वह इंसान होने के जीना चाहती है और इस प्रक्रिया में अपनी अलग पहचान बनाती है।

पाशों अभी किशोरी ही थी, जब उसकी माँ विधवा होकर भी शेखों की हवेली जा चढ़ी। ऐसे में केवल माँ ही इसके मामुओं के लिए 'कुल बोरनी' नहीं हो गयी, वह भी सन्देहास्पद हो उठी। नानी ने भी एक दिन कहा ही था' सँभलकर री, एक बार थिरका पाँव जिन्दगानी धूल में मिला देगा!' लेकिन थिरकने जैसा तो पाशों की जिन्दगी में कुछ था ही नहीं, सिवाय इसके कि वह माँ की एक झलक देखने के छटपटात और इसी के चलते शेखों की हवेलियों की ओर निकल जाती। यही जुर्म था उसका। माँ ही जब विधर्मी बैरियों के घर जा बैठी तो बैठी का क्या भरोसा! जहर दे देना चाहिए कुलच्छनी को, या फिर दरिया में डुबो देना चाहिए!..... ऐसे हो खतरे को भाँपकर एक रात माँ के आँचल में जा छुपी पाशों, लेकिन शीघ्र ही उसका वह शारण्य भी छूट गया, और फिर तो अपनी डार से बिछुड़ी एक लड़की के लिए हर ठौर-ठिकाना त्रासद ही बना रहा।

उपन्यास के फ्लैप पर लिखी यह टिप्पणी इसके अंतर्वस्तु पर प्रकाश डालती है कि "कृष्णा सोबती ने अपने इस कथाकृति में जिस लाड से पाशो— जैसे चरित्र की रचना की है, और जिस तरह स्त्री—जीवन के समक्ष जन्म से ही मौजूद खतरों और उसकी विडम्बनाओं को रेखांकित किया है, आकस्मिक नहीं कि उसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है, और वह है सिक्ख और अग्रेज सेनाओं के बीच 1849 में हुआ अन्तिम घमासाना! पाशो उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन वह उसकी जिन्दगी में अनिवार्य रूप से शामिल था। एक लडाई थीं, जिसे उसने लगातार अपने भीतर और बाहर लड़ा, और जिसके लिए कोई भी समयान्तराल कोई मायने नहीं रखता। यही कारण है कि पाशो यहाँ अपनी धरती पर संस्कृति, दोनों का प्रतिरूप बन गई है।"<sup>1</sup> कृष्णा सोबती उपन्यास के आमुख में कहती है, "उलाहने, शिकायत, दुख—दर्द, कड़वाहट भुलाकर कौन कह रहा था कि सब जिए—जाएं। यह पाशों की आवाज थी। शायद वही लड़की जो उस शाम कर्जन रोड पर चलते—चलते मुझे शाह आलमी में दिखी थी। न शिक्षा थी, न विद्या थी, न पिता की छाँह। न विधवा माँ की मान—मर्यादा और न परिवार की सुरक्षा रात के अँधेरों में घर की देहरी से बाहर पाँव रखा और हर कदम दूर होती चली गई पाशो अपनों और परायों से। आकाश में उड़ते पाखियों की डारों से अलग हुए पंछी की तरह।"<sup>2</sup>

उपन्यास में पाशों को माँ असमय विधवा हो जाती है। वह पति के गुजर जाने के बाद परिवार के लिए अपशंगुन और उन पर बोझ बन जाती है। हमारे इस पितृसत्तात्मक समाज में विधवा का कोई अस्तित्व नहीं है, उसे तिरस्कार और अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलता। उपन्यास में नानी आर मौसी भी विधवा हैं इसलिए वह अपने बेटे के सामने ज्यादा नहीं बोल पाती हैं इस तरह घर के सभी निर्णय बेटे और बहू ही लेते हैं। पाशों की माँ, प्रेम और सम्मान पाने की खातिर दूसरा विवाह कर लेते हैं लेकिन यह विवाह हमारे पितृसत्तात्मक समाज में कंपकपी मचा देता है। इस समाज में पुरुषों के लिए दूसरा विवाह करना सम्भव है लेकिन स्त्रियाँ दूसरा विवाह कर लें तो उन्हें हमेशा के लिए कलंकिनी कहकर यह समाज जीने नहीं देता और परिवार से जीवन

भर के लिए उसका नाता टूट जाता हैं। यहीं सब पाशो की माँ के साथ होता हैं। पाशो की माँ अपनी बटी को छोड़कर खोजो के यहाँ विवाह कर लेती हैं, जिससे उसका मायका छृट जाता हैं लेकिन पाशो को अपनी माँ से मिलने की इच्छा जीवित रहती हैं। इस तथ्य से वह अपनी नानी माँ को अवगत करवाती हैं जो उसके मनोबल को इस तरह से तोड़ती हैं—

“नानी, खोजों की हवेली.....”  
मुँह पर हाथ रख नानी ने घुड़की, दी  
“वहाँ का नाम न लेना लड़की, उस ओर नजर भी  
की तो लड़के जीता न छोड़ेंगे।”<sup>3</sup>

पाशो की माँ को इंसान होने के हक से वंचित किया जा रहा है। पुरुष के लिए दूसरा नियम और औरत के लिए दूसरा। पाशो की माँ के दबारा दूसरी जगह विवाह करने से उसे परिवार में प्रताड़ित होना पड़ता है। उसे बचपन में नानी, मामा, मामियों का खूब स्नेह मिलता हैं लेकिन यौवन की दहलीज पर कदम रखते ही वह घर भर की आँखा, में खटकती हैं। उसका रूप—यौवन उसके मामा—मामियों को चमता है उन्हें लगता हैं यह भी कहीं माँ की तरह भाग न जाए। वह कभी घर से बाहर निकलती तो नानी गुस्से में कहती,

“रब्ब तुझे सँभाले, अरी कपड़ा नीचे रखा करा !”  
कुएं से गागर भरकर लाती तो बड़ी मामी आँखें तरेरती—  
फर क्रोध से बाँह में अटकी गागर खींचकर कहती  
“पसार छूने लगी— न शर्म, न हया ! अरी, ओढ़नी  
अब तेरे गले तक से उठने लगी।”<sup>4</sup>

पितृसत्तात्मक व्यवस्था में शोषण किस तरह से किया जाता है, यह उसका बेहतरीन उदाहरण हैं। घर की स्त्रियाँ ने भी उसकी पीड़ा को नहीं समझा, कि वह जो ताने उसे दे रहीं हैं उसमें पाशो का क्या दोष है कृष्णा सोबती कहती हैं कि स्त्रियाँ स्त्रियों की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। पाशो की स्वतंत्रता पर रोक लगाया जाता है। उसे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। नानी उसे उलाहन देती हुए कहती हैं,

“अरे कुएँ में ढूब मरी थी तेरा बीज डालने वाली! अब तू सँभलकर साँस भर.....!”<sup>5</sup>

पाशो का नाम करीम के साथ जोड़ा जाता हैं। वह इस बात को मना करती हैं, इसका विरोध करती हैं लेकिन मामा—मामियों उस पर अविश्वास करते हैं। मामा उसे तिरस्कृत करते हुए कहते हैं, “नहीं की बच्ची! तेरा दिया चमकी का रुमाल सरीफे भर में दिखाता फिरता है। मौत आए तुझे, कहता है माँ शेखों के घर जा बैठी, अब लड़की इस दिल में रहेंगी।”<sup>6</sup> उसके मामा, मामी उसे मोहरा देने का पड़यंत्र रचते ह। इसकी भनक लगते ही पाशो अपनी जान बचाने के लिए माँ के पास भाग जाती हैं। “जान हथेली पर रख आधा कपाट सर काया, पैर उठा, हॉल पड़ते दिल से दबे पाँव कोठे पर जा चढ़ी।”<sup>7</sup>

पाशो को लगता हैं उसे माँ के आँचल में शरण मिल जायेगी और जीवन सुरक्षित रहेगा। पाशो अपने प्रति जागरूक थी इसलिए वह मामा और मामियों की चाल को समझकर घर से भाग निकलती हैं। इस संदर्भ में नासिरा शर्मा ने लिखा हैं कि, “स्वयं स्त्री को अपने प्रति जागरूकता लानी पड़ेगी और जब वह अपने प्रति जवाबदेह होगी तब वह दूसरी स्त्री के प्रति संवेदनशील होगी।”<sup>8</sup>

इसी जागरूकता की कमी उसकी नानी और मामियों में भी हैं जो अपनी ही पुत्री की शत्रु बन गयीं। उसकी मनः स्थिति को समझ नहीं पायी। पाशो अपनी माँ के पास पहुँच जाती हैं। लेकिन माँ और शेख दोनों समाज के हुक्मरानों के दबाव में उसे अपने पास नहीं रख पाते। इसलिए वह उसे अपने मित्र दीवान जी के यहाँ भिजवा देते हैं जो उम्र में पाशो से बहुत बड़े हैं। पाशो वहाँ उनकी पत्नी के रूप में रहने लगती हैं लेकिन वहाँ सिर्फ वह एक रखेल से ज्यादा कुछ नहीं। उसे एक बेटा होता हैं और कुछ दिन बाद दीवान की मृत्यु हो जाती हैं और पाशो का सुख—चैन सब खत्म हो जाता हैं। दीवान जी का मुँहबोला भाई बरकत पाशो के साथ बलात्कार करता हैं। वह उसे सम्पति, परिवार, जमीन जायदाद से बेदखल कर देता हैं। लेकिन पाशो इसका विरोध करती हैं। वह अपने को वस्तु मानने से इन्कार करती हैं। वह सामाजिक, पारिवारिक प्रताड़ना को स्वीकार करती हैं लेकिन उसे अपने मन पर हावी नहीं होने देती। वह अपनी नानी की दी हुई नसीहत को याद करके उसकी अवहेलना करती हैं, “सँभलकर री, एक बार का धिरका पाँव जिन्दगानी धूल में मिला देंगा।”<sup>9</sup> राजेन्द्र यादव ने लिखा हैं कि, “इस समाज में औरत को हमेशा उन्हीं अपराधों के लिए सजा दी गई हैं जिनकी जिम्मेदार वह खुद नहीं हैं: सौन्दर्य, शीलभंग और अवैध गर्भधारण या जायज गमधारण में भी पुत्री की माँ होना।”<sup>10</sup>

उपन्यास में पाशो एक संघर्षशील नारी का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अपने लिए केवल अपनी पहचान चाहती हैं। बरकत दीवान उससे उसका बच्चा छीन लेता हैं और उसे एक परिवार के हाथों बेच देता हैं जहाँ उसकी हैशियत एक नौकरानी की रहती हैं। उसकी हालत घर में नौकरानी और रीति म उन तीन भाइयों की सेज गरम करने तक ही सीमित रहती हैं। इस तरह की घरेलू हिसा स्त्री को कमजोर बना देती हैं लेकिन पाशो इस सामंती पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देती हैं। उसका अपने शरीर पर कोई वश नहीं था इसलिए दीवान, बरकत और मझले उसे जोर जबरदस्ती से पा लेते हैं परन्तु वह अपने मन को किसी को नहीं देती है। उसे विश्वास था कि एक दिक अपने परिवार से जरूर मिलेगी और वह मिलती भी हैं।

इस उपन्यास में पाशो पितृसत्ता का विरोध करती हुई दिखाई गयी हैं। ‘पाशो’ चीज से व्यक्ति’ और ‘व्यक्ति से व्यक्तित्व’ तक के पथ की ओर अग्रसर हैं उसका तन जरूर मैला हुआ लेकिन मन पूरी तरीके से स्वच्छ और निर्मल हैं इसमें लेखिका कृष्णा सोबती ने पाशो के माध्यम से नारी समस्याओं में आर्थिक परतंत्रता की समस्या, स्वावलम्बी न होने का महिलाओं पर कुपभाव, बेमेल

विवाह, अकेलेपन की समस्या, नारी शोषण की समस्या, विधवा नारी की समस्या, वृद्ध नारी समस्या तथा अवैध यौन सम्बंध की समस्या का चित्रण किया गया है। लेखिका कहती हैं कि स्त्री को जाति, धर्म और सम्प्रदाय में वर्गीकृत करके नहीं दखा जा सकता हैं। उसके जीवन की तमाम समस्याएं एक जैसी ही होती हैं। इस सन्दर्भ में कृष्ण सोबती ने बहुत पहले कभी इलाहाबाद की एक कथा गोष्ठी में भारतीय नारी के त्याग-तपस्या का कीर्तन करने वाले हिन्दी वालों के बीच गुस्से से कहा था कि "आप यूपी० वाले लोग क्या जाने की पंजाब की जिन्दगी क्या था और पंजाबी चरित्र क्या होता हैं आपके यहाँ तो पंजाबी औरत आई ही नहीं। लुटे-पिटे, सकुचाये-हारे शरणार्थी आए और उन्हें देखकर ही अपने तय कर लिया कि यही शायद पंजाब हैं। अपनी कुंताओं और फ्रस्ट्रेशन में आपने उन पर कुछ कहानियाँ लिख डालीं। मेहनत और स्वतंत्रता के बीच पली पंजाबी औरतें जब सीना तनाकर खड़ी होती हैं तो आप जसों के तो पसीने छूट जाएं"।<sup>11</sup>

### **सन्दर्भ :**

1. कृष्णा सोबती, 'डार से बिछुड़ी', फलैप
2. कृष्णा सोबती, 'डार से बिछुड़ी', पृ० XIII
3. कृष्णा सोबती, 'डार से बिछुड़ी', पृ० 20
4. कृष्णा सोबती, 'डार से बिछुड़ी', पृ० 16-17
5. कृष्णा सोबती, 'डार से बिछुड़ी', पृ० 17
6. कृष्णा सोबती, 'डार से बिछुड़ी', पृ० 23
7. कृष्णा सोबती, 'डार से बिछुड़ी', पृ० 28
8. नासिरा शर्मा, औरत के लिए औरत, पृ० 9
9. कृष्णा सोबती, 'डार से बिछुड़ी', पृ० 91
10. राजेन्द्र यादव, आदमी के निंगाह में औरत, पृ० 23
11. राजेन्द्र यादव, आदमी के निंगाह में औरत, पृ० 130

## हिन्दी समीक्षा की आधारभूमि : संस्कृत काव्यशास्त्र शशी देवी\*

\*शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, शिवली नेशनल पीठीजी० कालेज, आजमगढ़, उत्तरप्रदेश

**सारांश :** यह अध्ययन हिन्दी समीक्षा की आधारभूमि : संस्कृत काव्यशास्त्र को रेखांकित करता है। हिन्दी समीक्षा का जो स्वरूप आज दृष्टिगोचर होता है, उस स्वरूप के विकास में एक लम्बा समय लगा है। सच तो यह है कि हिन्दी समीक्षा का जन्म संस्कृति के काव्यशास्त्रीय कोख से हुआ है। दर्शन चिन्तन के प्रवाही भूमि में संस्कृत काव्यशास्त्र का विकास होता है। प्रस्तुत अध्ययन पूर्व के अध्ययनों से अलग है तथा अध्ययन विषय के ज्ञान एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण है।

**मुख्य शब्द :** संस्कृत काव्यशास्त्र, काव्य तत्त्व, रस सम्प्रदाय, अलंकार सम्प्रदाय, रीति सम्प्रदाय, वक्रोक्ति सम्प्रदाय, ध्वनि सम्प्रदाय आदि।

आचार्य बलदेव उपाध्याय ने संस्कृत काव्यशास्त्र की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए लिखा है— “अलंकारशास्त्र के ग्रंथों के अनुशीलन करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनमें अनेक सम्प्रदाय विद्यमान थे। अलंकारिकों के सामने प्रधान विषय था काव्य की आत्मा का विवेचन। वह कौन सी वस्तु है जिसकी सत्ता रहने पर काव्य में काव्य तत्त्व विद्यमान रहता है? वह कौन सा पदार्थ है जो काव्य के अगों में सबसे अधिक उपादेय है। कुछ लोग अलंकार को ही काव्य का प्राणभूत तत्त्व मानते हैं, कुछ लोग ध्वनि को। इस प्रकार भिन्न शताब्दियों में नये—नये सम्प्रदायों की उत्पत्ति हुई।”<sup>1</sup>

डॉ० नगेन्द्र रोतिकाव्य की भूमिका में लिखते हैं— ‘काव्यशास्त्र में क्रमशः अनेक वादों और सम्प्रदायों की प्रतिष्ठा हुई, जिनमें पाँच अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध हुए— रस सम्प्रदाय, अलंकार सम्प्रदाय, रीति सम्प्रदाय, वक्रोक्ति सम्प्रदाय और ध्वनि सम्प्रदाय।’<sup>2</sup> इस प्रकार हम यह देखते हैं कि काव्य की आत्मा की खोज में काव्य सम्प्रदायों का जन्म हुआ। काव्य सम्प्रदायों में काव्य सिद्धान्त निहित होते हैं। जैसे रस सम्प्रदाय में रस सिद्धान्त, अलंकार सम्प्रदाय में अलंकार सिद्धान्त। इन सम्प्रदायों के विवेचन में सिद्धान्तों की विवेचना होती है। काव्य के विश्लेषण के लिए जिन सिद्धान्तों की आवश्यकता होती है, वे सभी सिद्धान्त इन सम्प्रदायों में विद्यमान हैं। अतः आलोचना के सिद्धान्तों के संदर्भ में सम्प्रदायों का स्वरूप निरूपण अनिवार्य हो जाता है।

**रस सम्प्रदाय :** रस के प्रथम अधिष्ठाता भरत मुनि है। रस के विषय में उनका प्रसिद्ध सूत्र है— ‘विभावानुभाव व्यभिचारि संयागाद्रस निष्पत्तिः’ अर्थात् विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव का अर्थ है रति, करुणा। ये दो प्रकार के होते हैं—

- 1. आलम्बन :** जिनके आधार से भाव जागृत होते हैं, वे आलम्बन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नायक—नायिका आलम्बन के अन्तर्गत आते हैं।
- 2. उद्दीपन :** जो भावों को उद्दीप्त अर्थात् उत्तेजित करते हैं, वे उद्दीपन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बसन्त, उपवन, चाँदनी, आदि।

व्यभिचारी अस्थायी भाव हैं जो क्षण—क्षण में उठ—गिरकर स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का संयुक्त रूप में साक्षात्कार करके दर्शक के मन में एक स्पष्ट आनन्दमयी भावना का संचार होता है, यही रस या काव्यानंद है।

आगे चलकर विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रस के स्वरूप को इस प्रकार व्यक्त किया—

‘विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा।

रसतामेति रत्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम।’<sup>3</sup>

आचार्य विश्वनाथ भी विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के साथ स्थायी भाव से रस की उत्पत्ति बताते हैं।

भरतमुनि नाट्यशास्त्र में यह स्पष्ट कहते हैं— ‘नहि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते’<sup>4</sup> अर्थात् रस के बिना अर्थ की प्रवृत्ति नहीं होती। इस प्रकार रसानुभूति का सम्बन्ध सीधे संवेदन से होता है। रस भाव पक्ष का व्याख्याता है।

**अलंकार सम्प्रदाय (सिद्धान्त) :** अलंकार के स्वरूप के विषय में कहा गया है— ‘अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः’ अर्थात् जिसके द्वारा किसी की शोभा हाती है, वह अलंकार है। इस प्रकार शोभा का आधार अलंकार है। आचार्य दण्डी ने कहा था— ‘काव्य शोभाकरान् धर्मान् अलंकारन् प्रक्षते’ अर्थात् अलंकार काव्य—सौन्दर्य की सृष्टि करने वाले सृजनात्मक गुणों का धर्म है।’<sup>5</sup>

दूसरे शब्दों में अलंकार काव्य—सौन्दर्य का दर्शन है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अलंकार को इस प्रकार प्रकाशित किया है—

‘शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः।

रसादीनुपकुर्वन्तोऽलंकारास्तेऽऽगदादिवत्।।’<sup>6</sup>

शोभा को अतिशायित करने वाले रस, भाव आदि के उपकारक जो शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं, वे अंगद (बाजूबन्द) की तरह हैं।

अलंकार सिद्धान्त का अन्तिम मान्य रूप शोभा बढ़ाने वाला अस्थिर धर्म रहा, इस प्रकार अलंकार का सम्बन्ध भाषा सौन्दर्य से जुड़ता है।

**रीति सम्प्रदाय (सिद्धान्त)** : इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन थे, उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा की संज्ञा दी। इसके उद्भावक वामन ने “विशिष्ट पद रचना रीति: तथा विशेषों गुणात्मा कहा था। इसमें विशिष्ट पद रचना का अभिप्राय शब्दों की विशिष्ट व्यवस्था है।”<sup>7</sup> इसमें गुणों का विशेष महत्व है। आचार्य विश्वनाथ गुणों को रस की विशेषता उजागर करने वाले तत्त्व के रूप में देखते हैं, वे रीति को परिभाषित करते हुए कहते हैं— “पद संघटना रीति: अंगसंस्थाविशेषवत् उपकर्त्री रसादीनाम्।”<sup>8</sup> यह पद संघटना है। अंग संस्थान है। यह रस का सहयोग करती है, गुण को वे रस से जोड़ते हैं। इस प्रकार रीति का सम्बन्ध अभिव्यक्ति पर्स से स्थापित होता है।

**वक्रोक्ति सम्प्रदाय (सिद्धान्त)** : वक्रोक्ति सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कुन्तल हैं, जो वक्रोक्ति को काव्य का जीवित अर्थात् प्राण तत्त्व मानते हैं। आचार्य भामह ने इसे सभी अलंकारों का मूल माना था। पीठीवी काणे ने लिखा है— कि लोचन में भामह (1. 36) उद्दत किया गया है— ‘शब्दस्य हि वक्रता अभिधेयस्य च वक्रत लोकोत्तीर्णे रूपेणाव स्थानम्।’ वे इस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि— “भाषा सरणि की विशिष्टता है किन्तु वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा सिद्ध करने का प्रयत्न अतिचार है। इसका विचार अलंकार सम्प्रदाय से मिलता-जलता है।”<sup>9</sup>

वस्तु तथ्य यह है कि सभी परवर्ती आचार्यों ने इसे शब्दालंकार माना है, केवल वामन ने इसे अर्धालंकार माना है। कुन्तल काव्य को आह्लादकारी सालंकार शब्दार्थ मानते हैं, उनके कथन से यह स्पष्ट ध्वनित होता है—

सैशा सर्वत्र वक्रोक्ति अनयाऽर्थो विभाव्यते ।  
यत्नोऽस्या कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना ॥

(2 / 85 वक्रोक्ति जीवित)

इस प्रकार वक्रोक्ति अलंकार का अनिवार्य तत्त्व है तथा शब्द का विशिष्ट प्रयोग है। इस प्रकार वक्रोक्ति का सम्बन्ध भाषा तत्त्व से जुड़ता है।

**ध्वनि सम्प्रदाय (सिद्धान्त)** : भारतीय काव्यशास्त्रीय चिन्तन के क्षेत्र में ध्वनि सिद्धान्त का महत्वपूर्ण स्थान है। ध्वनि सिद्धान्त के प्रवर्तक आचार्य आनन्दवर्धन हैं। इनका समय नवीं भारी है। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ का नाम ‘ध्वन्यालोक’ है।

इसे स्वीकार करते हुए वे कहते हैं— ‘काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समानातपूर्वः।’ वास्तव में वैयाकरणों के स्फोटवाद से ध्वनि का सम्बन्ध है। ध्वनिकार से पूर्व रस, अलंकार, रीतिवादी आचार्य अपने—अपने सिद्धान्तों की पुष्टि कर चुके थे। इसकी नवीं शताब्दी के मध्य में ध्वन्यालोक की रचना हुई। ध्वनि स्वरूप इस प्रकार है— काव्य की आत्मा ध्वनि है, काव्य में मुख्यतः वाचार्थ का नहीं वरन् व्यंग्यार्थ का सौन्दर्य होता है। व्यंग्यार्थ की महत्ता के अनुपात में काव्य के तीन भेद होते हैं— उत्तम या ध्वनिकाव्य, मध्यम अथवा गुणी भूतव्यंग्य काव्य और अधम अर्थात् चित्रकाव्य। काव्य की विशिष्टता के अनुसार, काव्य के तीन भेद हैं— वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। इन तीनों में रस ध्वनि सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार ध्वनि के आचार्य भी रस को ही सर्वश्रेष्ठ काव्य तत्त्व मानते हैं। जहाँ रस नहीं होता वहाँ केवल वाग विकल्प होता है। आधुनिक विद्वान ध्वनि सिद्धान्त को रस का विस्तार मानते हैं।

आनन्दवर्धन के ‘ध्वन्यालोक’ पर अभिनव गुप्त ने ‘लोचन’ टीका लिखी। उन्होंने ध्वनि के विरुद्ध भ्रान्तियों और आक्षेपों को दूर कर दिया। उन्होंने ध्वनि एवं रस का समन्वय किया। ध्वनि सिद्धान्त का पूरा स्तम्भ ‘व्यंजना’ शपित के आधार पर खड़ा है। शब्द की तीन ध्वनियाँ मानी जाती हैं— अभिधा, लक्षण, व्यंजना। अर्थ शब्द स्फोट के द्वारा हाता है। किसी भी शब्द में पूर्व वर्णों के संस्कार अन्तिम वर्ण के उच्चारण के साथ संयुक्त होकर अर्थ का बोध करते हैं किन्तु यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि वाचार्थ ग्रहण करके काव्य के सौन्दर्य का बोध नहीं होता। वह केवल व्यंग्यार्थ द्वारा ही होता है, इसी प्रकार की व्यंजना ध्वनिकार ने ‘ध्वन्यालोक’ में प्रस्तुत किया है—

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीशु महाकवीनाम् ।  
यत्तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवादः गनासु ।”<sup>10</sup>

भाव है जिस प्रकार किसी सुन्दरी के अवयव और उनसे प्रस्फुटित होने वाला लावण्य भिन्न-भिन्न है, उसी प्रकार महाकवियों की वाणी से व्यंजित होने वाला प्रतीयमान अर्थ, शब्द और वाचार्थ से भिन्न होता है। युवतियों के लज्जा की भाति व्यंग्यार्थ अर्थ व्यंजित करता है।

कवि पन्त की निम्न पंक्तियों में वाचार्थ, व्यंग्यार्थ में संक्रमण को समझा जा सकता है—

धूलि के ढेरी में अनजान ।

ठिपे हैं मेरे मधुमय गान ॥

यहाँ धूलि की ढेरी का पद दलित जनता का उपेक्षित जीवन है जो कवि की मधुर गीतों का प्रेरणा स्रोत है। वस्तुतः ध्वनि सिद्धान्त के साथ ही रस सिद्धान्त का अन्वय हो जाता है। अभिनव गुप्त रस को व्यंग्य बताकर साधारणीकरण की व्याख्या करते हैं।

समीक्षा सिद्धान्तों का जन्म इर्हीं सम्प्रदायों की कोख से होता है। डॉ नगेन्द्र ‘रीतिकाव्य की भूमिका’ में लिखते हैं— ‘रस, अलंकार, रीति, ध्वनि और वक्रोक्ति पाँच पृथक सिद्धान्त नहीं हैं वरन् मूलतः केवल दो ही सिद्धान्त हैं— रस और रीति अथवा रस और अलंकार। एक केवल आत्मा को ही सम्पूर्ण महत्व देता है, दूसरा केवल शरीर को। अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ‘अलंकार’ या रीत के अन्तर्गत आते हैं तथा ध्वनि और रस, ‘रस’ के अन्तर्गत आते हैं। दूसरे शब्दों में रस आत्मा है। आत्मा विना शरीर के नहीं रह

सकता। इसी प्रकार भाव का सौन्दर्य निरपेक्ष कैसे हो सकता है, इस प्रकार भारतीय समीक्षा का सिद्धान्त, रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति दो आधारों पर प्रतिशिठत है। यहीं से काव्य के भाव तथा कलापक्ष का आधार निर्मित होता है।<sup>11</sup>

आचार्य शुक्ल जो रसवादी आलोचक हैं, भारतीय व्यावहारिक समीक्षा के जो सिद्धान्त घोषित करते हैं, वे इस प्रकार हैं—“शब्द—शक्ति, रस और अलंकार, ये विषय विभाग काव्य समीक्षा के लिए इतने उपयोगी हैं कि इनको अन्तर्भूत करके संसार की नयी—पुरानी सब प्रकार की कविताओं की बहुत ही सूख, मार्मिक और स्वच्छ आलोचना हो सकती है।”<sup>12</sup>

आचार्य शुक्ल यहाँ शब्द—शक्ति, रस तथा अलंकार की बात करते हैं। उसमें शब्द—शक्ति का सम्बन्ध ध्वनि शक्ति से है, रस तो व्यापक अर्थ में रस है। अलंकार के अन्तर्गत रीति, अलंकार वक्रोक्ति सम्मिलित है। जायसी ग्रन्थावली की भूमिका, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास तथा भ्रमर गीतसार में उनके समीक्षा के प्रयोग देखे जा सकते हैं।

#### सन्दर्भ :

1. उपाध्याय, आचार्य बलदेव, 'संस्कृत साहित्यशास्त्र', नन्द किशोर एण्ड संस, चौक, वाराणसी, सं0 1964 ₹0, पृ0 183
2. नगेन्द्र, डॉ, 'रीतिकाव्य की भूमिका', नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, छठा सं0 1969 ₹0, पृ0 32.
3. विश्वनाथ आचार्य, 'साहित्य दर्पण', 3 / 1, तृतीय परिच्छेद : सूत्र—1, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, सं0 1977, आवृत्ति 2009 ₹0
4. मुनि भरत, 'नाट्यशास्त्र', षष्ठ अध्याय, श्लोक—32, चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, सं0 2067 वि0
5. नगेन्द्र, डॉ, 'रीतिकाव्य की भूमिका', पृ0 86, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, छठा सं0 1969 ₹0
6. विश्वनाथ आचार्य, 'साहित्य दर्पण', 10 / 1, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, सं0 1977, आवृत्ति 2009 ₹0
7. काण, पी०वी०, 'संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास', पृ0 466, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, सं0 1969, आवृत्ति 1994 ₹0
8. विश्वनाथ आचार्य, 'साहित्य दर्पण', 9 / 1, परिच्छेद—नौ : सूत्र—1, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, सं0 1977, आवृत्ति 2009 ₹0
9. काणे पी०वी०, 'संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास', पृ0 472, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, सं0 1969, आवृत्ति 1994 ₹0
10. आनन्दवर्द्धन आचार्य, 'धन्यालोक', 1 / 4 मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, सं0 1989 ₹0
11. नगेन्द्र, डॉ, 'रीतिकाव्य की भूमिका', पृ0 128, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, छठा सं0 1969 ₹0
12. शुक्ल आचार्य रामचन्द्र, 'चिन्तामणि भाग—दो', पृ0 189, काव्य में अभिव्यञ्जनावाद, सरस्वतो मन्दिर, वाराणसी, सं0 2014 वि0

## **दलित कविता में हिन्दू संस्कृति का विरोध**

### **शिमला देवी\***

\*शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, शिवली नेशनल पी10जी10 कालेज, आजमगढ़, उठप्र०

**सारांश :** दलित कविता का आधारभूत दर्शन अम्बेडकर का दर्शन है। डॉ अम्बेडकर का विचार था कि सर्वां जातियों ने अपने स्वार्थ के लिए दलित वर्ग को अछूत करार दिया। इसके कारण दलित सामाजिक क्रियाकलापों में भागीदार न बन सका, वह समाज से तिरस्कृत रहा। यह अध्ययन दलित कविता में हिन्दू संस्कृति का विरोध को रेखांकित करता है। इस दृष्टि से यह अध्ययन विषय के ज्ञान एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण सूचना व संकेत देता है।

**मुख्य शब्द :** अछूत जातियाँ, दलित कविता, संस्कृत काव्यशास्त्र, मानवता, सम्यता आदि।

डॉ अम्बेडकर, अनटचेबल में कहते हैं कि— “भारत की अछूत जातियाँ विश्व की उपेक्षित मानवता की सबसे बड़ी मिसाल है। इनकी दुर्दान्त निर्योग्यताओं के अध्ययन तथा उनके समाधान की ओर भारतीय समाज वैज्ञानिकों का ध्यान न जाने की बात तो समझ में आती है क्योंकि वे उन वर्गों के हैं जो उनकी दुर्दशा के लिए उत्तरदायी रहे हैं और आज भी उनका शोषण कर रहे हैं।”<sup>1</sup> आगे वे कहते हैं—“ब्राह्मणों में यदि कोई क्रान्तिकारी समाज सुधारक पैदा हो जाय तो वह उस सम्यता के लिए निश्चित ही खतरा सिद्ध होगा, जिसकी रचना ही समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए की गई है। वे कहते हैं कि एक भुजा दूसरी भुजा को कभी चोट नहीं पहुँचाती वरन् वाह्य आक्रमण से उसकी रक्षा करती है।”<sup>2</sup> उपर की पंक्तियों से स्पष्ट है कि दलित पिछड़ेपन का कारण सर्वां की सांस्कृतिक विचारधारा थी। इस सांस्कृतिक विचारधारा में वर्ण-व्यवस्था का आधार था, जिसमें दलित को समाज से बहिष्कृत कर दिया था। इसके लिए ब्राह्मण पुरुष सूक्त की पंक्तियों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते थे—

“ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः।

ऊरु तदस्य यद्दैम्यः पदम्यां भूद्रोऽजायतः।।।”<sup>3</sup>

इस विराट् पुरुष के मुख से ब्राह्मण हुआ, दोनों बाहों से क्षत्रिय बनाया गया। दोनों जाधों से वैश्य बनाया गया और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। इस सूक्त के द्रष्टा नारायण ऋषि हैं, जो खुद ही सर्व हैं। विचारणीय तथ्य यह है कि किसी कवि की किसी उकित को सेद्वान्तिक वैशिकता (युनिविसलिटी) देना कहाँ का न्याय है।

डॉ अम्बेडकर ने अपना तर्क ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, सर्वां और अछूतों का कोई रंग या नस्ल का भेद नहीं है और न पेशे की मिन्ता, अछूतपन का आधार है। अछूत प्रारम्भ में छितरे हुए लोग थे जिन्होंने आगे चलकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बस्ती के लोगों द्वारा दिये गये शिकार, भोजन तथा मरे हुए पशुओं की मास जिनमें गाय भी समिलित है, का मांस खाने में उन्हें कोई परहेज नहीं था। आरम्भ में ब्राह्मण सहित अन्य सर्वां भी गोमांस खाते थे। बौद्धों को आध्यात्मिक पराजय देने के लिए ब्राह्मणों ने एक चाल चली, उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया। गोमांस भक्षण को उन्होंने महापाप कर्म करार दिया और उस पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये। वस्तुतः दलितों को अछूत घोषित कर उन्हें समाज से बहिष्कृत करने में सर्वां की एक चाल थी। जहाँ तक हिन्दू संस्कृति का प्रश्न है उसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो दलितों को उबरने नहीं दी, उनमें उल्लेखनीय हैं— कर्म का सिद्वान्त, पुनर्जन्म का सिद्वान्त, वर्ण व्यवस्था और धर्म के विधान। हिन्दू संस्कृति में यह माना गया है कि मनुष्य अपने कर्म बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म को यहाँ तीन रूपों में व्यक्त किया गया है— संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल उसको तुरन्त नहीं प्राप्त होता। उसके पिछले जन्म के कर्म संचित एवं प्रारब्ध के रूप में होते हैं। वह कर्म जो पिछले जन्मों में किया गया है, जिसका भोग प्रारम्भ नहीं है, वे संचित कर्म हैं। जिनका फल भोग जा रहा है वह प्रारब्ध कर्म है। वर्तमान में जो कर्म किया जा रहा है, वह क्रियमाण कर्म है। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में जो कुछ घटित होता है, वह केवल वर्तमान कर्म का परिणाम नहीं है। उसके पिछले कर्म के परिणाम उसे सुख व दुःख देते हैं। एक उदाहरण द्वारा इसे समझा जा सकता है— एक दलित जो जीवन भर कर्म करता है किन्तु उसको जैविक, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। एक ब्राह्मण जो केवल छोटी सी पूजा करा देता है, उसे पैसा, सम्मान सब कुछ मिलता है। हिन्दू समाज में यह माना जाता है कि ब्राह्मण ने अच्छा कर्म किया है इसलिए वह सुखी है। दलित ने पिछले जन्म में बुरा कर्म किया है इसलिए उसका जीवन दुःखमय है। इस प्रकार कर्म सिद्वान्त के साथ पुनर्जन्म का सिद्वान्त भी जुड़ जाता है। मनुस्मृति में तो शूद्र के कर्म भी निश्चित कर दिये हैं। वह केवल सेवा कर सकता है, वह पाप योनि है। गीता के नवे अध्याय में लिखा गया है—

“मा हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः।।।”<sup>4</sup>


स्त्रियों वैश्यास्तथा भुद्रास्तेऽपि यान्ति परा गतिम्।।।”<sup>5</sup>

भगवान की शरण में जाने पर स्त्री, वैश्य तथा शूद्र जो पाप योनि के अन्तर्गत आते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पाप योनि का विशेष ध्यान आकर्षित करता है। अर्थात् इस समाज में कुछ लोग पाप योनि के हैं तथा कुछ लोग पुण्य योनि के हैं। फ्रायड कहते हैं कि सभी मानव जैविक वर्ग के अन्तर्गत हैं अर्थात् जाति या वर्ण के आधार पर कोई बड़ा-छोटा नहीं है।

मनुस्मृति तो शूद्रों के प्रति बहुत कठोर रुख अपनाती है। उन्हें समाज से अलग रखती है। शिक्षा के अधिकार से वंचित करती है। राधा कृष्णन ने इन्हीं बातों पर दुःखी होकर कहा था— “आधुनिक जीवन में पुराने सिद्वान्तों को पुनर्जीवित कर चलाना

समय की बर्बादी है। आज के युग में मनु के मार्गदर्शन मानने से अच्छा है कि मनु पैदा ही नहीं हुए थे।<sup>5</sup> इस प्रकार कर्म सिद्धान्त, पुनर्जन्म के सिद्धान्त का सम्बन्ध वर्ण व्यवस्था से जुड़ जाता है। वर्ण-व्यवस्था के सिद्धान्त ने दलितों को सबसे अधिक क्षति पहुंचायी है। डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने इस विषय पर गहराई से विचार किया है। उनका मानना है कि सृष्टि के आरम्भ में केवल एक जाति थी— मानव जाति। इसमें रंग के आधार पर दो वर्ण थे—गौर और श्याम। इन वर्णों में सामाजिक भेद स्पष्ट नहीं थे। कुछ समय बाद इनमें रंग के साथ सामाजिक भेद स्पष्ट हुए। बाद में यह वर्गों में विभक्त हो गया। वैदिक काल में तीन वर्गों की स्थापना हुई— ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन्हें द्विज कहा गया। इनमें कोई भेदभाव नहीं था। इनमें खान-पान था तथा शादी-विवाह के कठोर प्रतिवन्ध नहीं थे। कालान्तर में भेदभाव पैदा हुए।

कालान्तर में जो परिवर्तन हुए उससे भारतीय समाज की जो रचना हुई उसको वे इस प्रकार डायग्राम में प्रतिपादित करते हैं—



इसमें धर्म चतुर्फलकीय संरचना शीर्ष है। धर्म समाज में जाति, जजमानी और सामन्ती प्रशासन जो संरचना के आधार तत्त्वों का निमाण करते हैं, जो परिभाषित, संचालित और नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त धर्म सम्पूर्ण ढांचे को तार्किक आधार और वैचारिक औचित्य प्रदान करता है। सक्षेप में, धर्म परम्परात्मक सामाजिक संरचना धारण करता है। इस प्रकार परम्परात्मक सामाजिक संरचना में जिनका सम्बन्ध धर्म से है, वे ही दूसरे लोगों के लिए नियम निर्माण करते हैं। डॉ० अम्बेडकर का मानना है कि दलित पहले बौद्ध थे। उनके समक्ष ब्राह्मण धर्म बौना नजर आता था। पुष्यमित्र के काल में ब्राह्मण धर्म शवितशाली हुआ, उन्होंने शूद्रों के लिए कठोर नियम बनाये। दलित कवि का दर्शन डॉ० अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित है, इसलिए जो उसके लिए धातक है, उसकी आलोचना करता है। उसके विरोध में वह निम्नांकित सांस्कृतिक प्रतिमानों— ईश्वर, धर्म, पुनर्जन्म और वर्ण व्यवस्था जैसी लढ़ियादी विचारधारा का खण्डन करता है।

ओमप्रकाश वाल्मीकि कहते हु तुम्हारी कथित आत्मा सब जीवों में रहती है। जानवरों की आत्मा पर चुप्पी क्यों? क्या किसी व्यक्ति में जानवर की आत्मा नहीं आती या व्यक्ति की आत्मा का जानवर में प्रवेश निषेध है। ऐसी मान्यताएँ तुम्हें ही मुबारक हो—

“कोई वट वृक्ष ढूँढ़ कर  
भागवत का पाठ कर लो  
आत्मा तुष्टि के लिए  
कहीं अकाल मृत्यु के बाद  
भयभीत आत्मा  
भटकते—भटकते  
किसी कुरते या सुअर की मृत देह में  
प्रवेश न कर जाए।”<sup>7</sup>

किसी धार्मिक व्यक्ति को ये पक्षियाँ भले ही उटपटांग लगे, लेकिन किसी तार्किक समीक्षक को ये पक्षियाँ रास आयेंगी। कारण स्पष्ट है कि गीता म कहा गया है कि आत्मा सभी प्राणियों के भीतर निवास करती है। जब पशु और सबमें एक ही प्रकार की आत्मा है तब व्यवहार में पशु का तिरस्कार क्यों? आत्मा के प्रत्यय पर पुनर्जन्म प्रतिष्ठित है। यदि आत्मा के व्यावहारिक प्रतिष्ठा में भेद किया जाता है तब पुनर्जन्म की प्रतिष्ठा शका से धिर जाती है।

सामान्य रूप से हिन्दुओं में परम्परा है, कुछ भी होता है उसमें ईश्वर को जोड़कर उसकी भयावहता कम कर देते हैं। दलित कवि इस पर सवाल उठाता है। वह दिन रात काम करता है फिर भी न तो उसकी आवश्यकता पूरी होती है, न उसे सम्मान प्राप्त होता ह। दलित पीड़ा से परेशान है। तुम उसकी नियति बताते हो—

“नियति के बहाने,  
अच्छा प्रपञ्च रचा है तुमने  
जख्खों से पटे चेहरे  
अब पहचाने नहीं जाते।।”<sup>8</sup>

मनुष्य के सौभाग्य और दुर्भाग्य का कारण प्रथम दृष्टया वह स्वयं है दूसरे स्तर पर समाज के तथाकथित लोग हैं जो विकास में बाधा पहुंचाते हैं। इस बीच में ईश्वर कहाँ से आता है। दलित कवि धर्म की व्याख्या संस्कृति और ईश्वर के प्रतिमानों में करता है। सर्वण स्वयं को पवित्र तथा दलित को अपवित्र कहकर बहिष्कृत करते हैं तथा दलितों का शोषण करते हैं—

“मुर्दा संस्कृति की लाश पर  
मड़राती चील जश्न मनाएगी  
जिसके पंखों के साथे मैं  
संस्कृति का तकिया बनाकर  
शिकार गाह में अधलेटा आदमखोर

निकाल रहा है,  
दाँत में फंसे मांस के रेशे  
नुकीले खंजर से ॥”<sup>9</sup>

दलित हमेशा हासिये पर रहा, उसका शोषण हमेशा किया गया है। वास्तव में संस्कृति को गरिमा जिन बातों को लेकर गाई जाती है, व्यावहारिक जगत में वह उससे भिन्न है। सौहार्द, बंधुता, अहिंसा और प्रेम दलित के साथ कभी नहीं दिखाया गया।

जयप्रकाश कर्दम ‘गूंगा नहीं था मैं कविता संग्रह में कहते हैं। दुनिया में जो कुछ होता है वह ईश्वर की कृपा से होता है। इस अर्थ में सदियों से हमारे शोषण और अत्याचार का कारण ईश्वर है। इस प्रकार दलित कवि धर्म की आलोचना करता है।

कंवल भारती, ‘तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती’ में कहते हैं— जो धर्म, शास्त्र, महापुरुष असमानता सिखाते हैं, अस्पृश्यता, अलगाव, नफरत को न्यायोचित ठहराते हैं, मैं उन सबका विरोधी हूँ। वर्ण व्यवस्था का विरोध दलित कवि कठोरता के साथ करते हैं क्योंकि यही एक ऐसा अनुबंध है, जिसने दलित से उसका सब कुछ छीन लिया।

ओमप्रकाश बाल्मीकि तिरस्कार भरे शब्दों में वर्ण—व्यवस्था पर प्रहार करते हैं—

“वर्ण व्यवस्था को तुम कहते हो आदर्श,  
खुश हो जाते हो,  
साम्यवाद की हार पर  
जब टूटता है रूस  
तो तुम्हारा सीना 36 इंच का हो जाता है  
क्योंकि मार्क्सवादियों ने तुम्हें छिनाल बना दिया है  
तुम्हारी संस्कृति को ॥”<sup>10</sup>

वास्तव में वर्ण व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जो दलितों को पनपने नहीं दी। आज वर्ण व्यवस्था टृटकर जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गयी है। इस व्यवस्था में भी दलित को सम्मान नहीं मिल पाया। इससे खिन्न होकर बिहारी लाल हरित कहते हैं, भला कैसे एक हो सकते हैं, जहाँ जाति में भी जाति है। दलित कवियों ने वर्ण व्यवस्था के कारण अपने जीवन की तरह—तरह की पीड़िओं का वर्णन किया है। कभी उन्हें अछूत होने के कारण कुरुं की जगत पर घण्टों खड़ा रहना पड़ता था तब कोई उन्हें पानी पिलाता था।

आज भारत में प्रजातंत्र है। संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता तथा बन्धुता की कामना की गयी है, किन्तु व्यवहार में आज भी उसका शोषण होता है। उसके समस्त अवमानना के पीछे वे विचार थे जो धर्म के नाम पर व्यक्त किये गये थे। ऐसी संस्कृति से उसका विरोध स्वाभाविक है। सुशील कुमार शील की पंक्तियाँ इसका इजहार करती हैं—

“सदियों से तुम्हारो कौम  
नीच अपवित्र तिरस्कृत  
जिसे जन्मजात राजाओं ने  
अंधकूप में धक्केले  
श्रद्धा और संस्कारों के छल से  
किया निरन्तर शोषण  
परम्पराओं के इस कुशासन के खिलाफ  
पीढ़ी दर पीढ़ी मौन  
ठहरो! अब विद्रोह जरूरी है ॥”<sup>11</sup>

इस प्रकार दलित कवियों का हिन्दू संस्कृति के प्रति विद्रोह जारी है। प्रजातंत्र का दर्शन अद्वैतवाद है, जिसमें जनता ही सब कुछ है। दलित भी उस जनता का ही अंग है। वह पूरी आबादी का पांचवां भाग है। उसे न्याय दिलाना प्रजातंत्र व्यवस्था की जिम्मेदारी है। यद्यपि दलित को सिद्धान्त रूप में उसके अधिकार प्राप्त हैं, आव यकता है, सौहार्दता एवं बंधुता की।

#### सन्दर्भ :

1. सिंह, डॉ रामगोपाल, ‘डॉ भीमराव अन्डेलकर के सामाजिक विचार’, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, सं 1991 ई0, पृ० 12,
2. वही, पृ० 12
3. त्रिपाठी, डॉ विश्वम्भर नाथ, ‘वेदचयनम्, पुरुषसूक्त—12, विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक, वाराणसी, सं 1984 ई0
4. राधाकृष्णन डॉ (सम्पादित), ‘भगवद्गीता’, अध्याय—नौ, सरस्वती विहार शाहदरा, दिल्ली, सं 1982 ई0
5. मालवीय ओ०पी०, ‘मार्डन एसेज़’, पृ० 148, एशिया बुक कम्पनी, इलाहाबाद, सं 1974 ई0
6. सिंह, डॉ रामगोपाल, ‘डॉ भीमराव अन्डेलकर के सामाजिक विचार’, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, सं 1991 ई0, पृ० 77,
7. बाल्मीकि ओमप्रकाश, ‘बरस! बहुत हो चुका’, पृ० 12 वाणी प्रकाशन, दिल्ली, सं 1997 ई0
8. वही, पृ० 89
9. वही, पृ० 46
10. वही, पृ० 50
11. शील, सुशील कुमार, ‘नयी संस्कृति का भूमि’, पृ० 62, अमृत प्रकाशन, दिल्ली, सं 2004 ई0

## **भारत में गठबंधन सरकार की सार्थकता : बिहार के संदर्भ में**

**अवनीश कुमार पाण्डे\***

\*शोधार्थी, राजनीतिशास्त्र, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

**डॉ० अनिल कुमार सिंह\*\***

\*\*शोध-निदेशक, प्राचार्य, महाराष्ट्र प्रताप महाविद्यालय, मोहनियो

**सारांश :** भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पत्येक पाँच वर्ष की अवधि के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते हैं। इन चुनावों के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जो केन्द्र और राज्य स्तर पर सरकार का गठन करते हैं। भारतीय लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था का प्रावधान है, इसलिए कई बार किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। इससे राजनीति अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न की जाती है। पिछले कुछ दशकों से भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार का वर्चस्व रहा है। ऐसे में “गठबंधन सरकार” की विशेषताओं, उसकी सफलता और असफलता की सम्भावनाओं को जानना आवश्यक हो जाता है। इस दृष्टि से यह अध्ययन विषय के ज्ञान एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण सूचना व संकेत देता है।

**मुख्य शब्द :** लोकतांत्रिक देश, गठबंधन सरकार, लोकतंत्र, राजनीति दल, विचारधारा आदि।

**गठबंधन :** गठबंधन उस प्रक्रिया को कहा जाता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा दल किसी विशेष उद्देश्य की पुष्टि हेतु अस्थायी रूप से अल्पकाल के लिए जुड़ते हैं। राजनीति के संदर्भ में गठबंधन का आशय दो या दो से अधिक दलों का मेल है। “ए डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिक्स थॉट” रोजर स्कॉटन के अनुसार राजनीति के सम्बंध में गठबंधन को पारिभाषित करते हुए लिखा है : विभिन्न दलों या राजनीति पहचान रखने वाले प्रमुख व्यक्तियों का आपसी समझौता गठबंधन कहलाता है।

**गठबंधन की विशेषताएँ :** गठबंधन सरकार की विशेषताएँ यह होती है कि इसमें किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं होता। वह समान विचारधारा, उद्देश्य नीति, कार्यक्रम आदि रखनेवाली पार्टियों का समूह होता है। गठबंधन सरकार की सफलता अथवा असफलता उन सभी पार्टियों के पारस्परिक सहयोग एवं विचारधारा पर निर्भर करती है। साधारण गठबंधन सरकार की आवश्यकता तब अनुभव होती है, जब किसी भी एक राजनीति दल को स्पष्ट तथा अनिवार्य जनादेश नहीं मिलता। गठबंधन सरकार की सकल्पना विश्व स्तर पर व्यापक रूप से दिखाई पड़ती है। आज ब्रिटेन, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैण्ड, इण्डोनेशिया, आयरलैंड, इजराइल, जापान आदि सहित कई देशों में गठबंधन सरकार साझा कार्यक्रम बनाती है और उसका सामुहिक उत्तरदायित्व होता है। इस सरकार द्वारा लिए गए निर्णय उसके विभिन्न घटक राजनीतिक दलों के निर्णय माने जाते हैं, इसलिए कोई भी कार्य करने से पूर्व या कोई भी नीति निर्धारित करने से पूर्व सभी राजनीतिक दल विचार-विमर्श करते हैं। इससे देश की जनता के हित में अधिकारिक निर्णय लिए जाते हैं। गठबंधन सरकार का स्थायित्व संदेहास्पद होता है। क्योंकि हस्ते विभिन्न मतों को अपनाने वाले राजनीतिक दल समिलित होते हैं और सरकार में समिलित भी निहित स्वर्यवश हीं होते हैं। राजनीतिक दल सरकार की स्थापना के लिए गठबंधन प्रायः निर्वाचन के बाद ही करते हैं। किन्तु भी दो दलों का राजनीतिक मुद्दा निर्वाचन के दौरान एक समान नहीं होता है। वे गठबंधन तो मंत्रीमंडल के गठन के लिए करते हैं। गठबंधन के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों में नेतापद और मंत्रीपरिषद् के लिए तनाव उत्पन्न हो सकता है। सरकार के गठन के बाद गठबंधन में शामिल सभी राजनीतिक दल अपनी नीतियों को प्रभावी बनाने की कोशिश करेंगे और अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहेंगे। ऐसे में तो राजनीतिक दल शक्तिशाली होगा, वह सरकार पर हाथी हो जाएगा और अन्य दलों में वैमनस्यता की भावना आ जाएगी। ऐसे में संभव है कि क्षुब्धि राजनीतिक दल गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लें और सरकार गिर जाए।

**गठबंधन सरकार की परिस्थितियों :** गठबंधन प्रक्रिया की उत्पत्ति में समाज का मूलभूत परिवर्तन भी प्रमुख कारक है। जब कोई समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, तब वह ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न कर देता है कि गठबंधन अनिवार्य बन जाता है। फिर राजनीति तो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज होती है। आज कोई भी समाज रिश्वर नहीं है, भारत के परिपेक्ष में तो यह ध्रुव सत्य ही है आज की तारीख में। भारतीय समाज आज न केवल जाति, धर्म और अमीर—गरीब (आर्थिक) के आधार पर बंटा हुआ है, बल्कि वर्ग, जीवन शैली और पेशे के आधार पर बंट रहा है। यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विभाजन निर्वाचन को काफी हद तक प्रभावित करता है और किसी एक राजनीतिक दल के लिए बहुमत प्राप्त कर पाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि किसी एक राजनीतिक दल द्वारा इस विभाजन को पाट पाना दुष्कर होता है। फिर, जो राष्ट्रीय स्तर के दल होते हैं, वे क्षेत्रीय राजनीति में सक्रियता नहीं दखाते हैं। क्षेत्रिय स्तर पर व्यक्तिवाद हावी होता है या क्षेत्रिय दल प्रभावी होते हैं। ऐसे में मतदाता जो उनके हितों के अधिक अनुकूल सिद्ध होते हैं, उन्हें हीं अपना मत देना पसंद करते हैं। वे यह नहीं देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी दल को बहुमत मिलने जा रहा है या नहीं। इन परिस्थितियों में मत बंट जाता है और किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला पाता है जिससे गठबंधन अनिवार्य हो जाता है।

**गठबंधन सरकार राज्य में :** भारत में गठबंधन सरकार की व्यवस्था है। भारतीय लोकतंत्र बहुत हीं लचीला तथा परिवर्तनशील है। यहाँ स्वतंत्रता के कुछ वर्षों पश्चात् हीं गठबंधन सरकार की स्थापना वर्ष 1953 में राज्य स्तर पर हुई थी। इसके अन्तर्गत आन्ध्रप्रदेश में संयुक्त मंत्रिमंडल की स्थापना की गई थी हालांकि यह मंत्रिमंडल 13 महिने की छोटी सी अवधि में विघटित हो गया। इसके बाद वर्ष 1957 में उडिसा में राज्य में गठबंधन सरकार का गठन हुआ, लेकिन इसका कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही

वर्ष 1961 में इसका विघटन हो गया। 1967 में पश्चिम बंगाल में भी यहीं प्रयोग हुआ, जो असफल ही रहा। बाद में वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। 21 मार्च 1997 को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन वाली सरकार अस्तित्व में आई इस सरकार ने गठबंधन की राजनीति में एक नवीन प्रयोग किया, जिसके अनुसार गठबंधन को 6-6 महिने के लिए नेतृत्व का अवसर मिलना था, लेकिन यह प्रयोग भी सफल नहीं रहा। यद्यपि गठबंधन सरकारों की सफलता सदैव संदिग्ध बनी रहती है। फिर भी समयानुसार केरल, महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीर, पश्चिम बंगाल, पंजाब, झारखण्ड, नागालैंड तथा पंडुचेरी में गठबंधन सरकारें सत्तारत रही थी। वर्तमान समय में कर्नाटक में देखने को मिल रही है।

**गठबंधन सरकार की स्थापना केन्द्र में :** केन्द्र में गठबंधन की सरकार की प्रक्रिया काफी बाद शुरू हुई। आरंभिक दौर में तीन दशकों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति में कांग्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस पार्टी के प्रभाव से उस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर किसी राजनीतिक दल को उभरने का मौका नहीं मिल पाया। धीरे-धीरे जनता ने कांग्रेस का विकल्प ढुँढ़ा आरम्भ कर दिया, फलस्वरूप 1977 में पहली बार केन्द्र में सत्ता परिवर्तन हुआ। 1977 के आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और जनता पार्टी के नेतृत्व में केन्द्र में पहली बार गठबंधन की सरकार की स्थापना हुई। उस समय गठबंधन सरकार की स्थापना के किन्हीं भी दो राजनीतिक दलों का नीतिगत विचारधारा नहीं थी, लेकिन इन्दिरा गांधी द्वारा आपतकाल लागू किए जाने के विरोध में एकजुट हुए थे। और वह 14 जनवरी 1980 को ही विघटित हो गई थी। इसके बाद गठबंधन सरकार की स्थापना संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में 1989 में हुई। फिर 1990 और 1996 में क्रमशः जनता दल-नेशनल फ्रंट, समाजवादी जनता पार्टी-कांग्रेस और जनता दल-युनाईटेड फ्रंट के गठबंधन की सरकार अस्तित्व में आई, परन्तु ये सभी सरकारें निर्धारित समय पूरा करने में असफल रही। केन्द्र स्तर पर सबसे अधिक सफल गठबंधन एनडीए-19 मार्च 1998-22 मई 2004 और यूपीए 12-22 मई 2004-26 मई 2014 तक रहा है। वर्तमान में केन्द्र में एनडीए गठबंधन की सरकार सत्ता में है। भारत में दो राज्य ऐसे हैं जहाँ गठबंधन की सरकार को सबसे बड़ी सफलता मिली पश्चिम बंगाल और केरल। इस सफलता में पश्चिम बंगाल में गठबंधन का नेतृत्व मास्कर्वादी कम्यूनिस्ट पार्टी करती है तो केरल में कांग्रेस और साम्यवादी में से कोई एक इन राज्यों में पहले ही किया जाता रहा है जो बहुत हद तक समान है।

**गठबंधन सरकार के महत्वपूर्ण पहलू :** भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ एक बड़ा वर्ग अशिक्षित है वहाँ गठबंधन सरकार कितनी प्रासारित है। गठबंधन सरकार के अच्छे और बुरे, दोनों ही पक्ष हैं। भारतीय इतिहास पर नजर डाली जाएं तो भारत में कई बार बहुमत प्राप्त दलों ने हीं सत्ता संचालन किया है, लेकिन उनसे जनता को आशातित परिणाम नहीं मिले, इसलिए जनता ने विकल्पों की खोज की इस प्रक्रिया में किसी एक पार्टी द्वारा सरकार का गठन सम्भव नहीं हुआ। इससे सभी पार्टियों को भी यह समझ आ गया कि यदि वे जनता की आशाओं पर खरे नहीं उतरेंगे, उनकी उपेक्षा करेंगे, तो वह उसे दोबारा सत्ता में आने का अवसर हीं नहीं देंगे। इस प्रकार गठबंधन सरकारों ने सभी दलों पर राजनीतिक दबाव बनाया। गठबंधन सरकार किसी भी एक पार्टी की विचारधारा तथा कार्यशीली तानाशाही परिवर्तन नहीं हो पाती।

**गठबंधन सरकार के साकारात्मक पक्ष :** जैसे इसमें- क्षेत्रीय विभिन्नताओं तथा उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, निर्णय लेने में जनता को महत्व दिया जाता है, निर्णय लेने में बड़े वर्ग का ध्यान रखा जाता है, सिद्धान्तों को अधिक महत्व दिया जाता है। कोई भी निर्णय अच्छी तरह सोंच-समझकर लिया जाता है।

**गठबंधन सरकार के नकारात्मक पक्ष :** गठबंधन सरकार का स्थायित्व हमेशा संदेहास्पद होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न मतों को अपनाने वाले जनतीतिक दल समिलत होते हैं। जो अपने निहित स्वर्थविश्वासी हीं आपस में जुड़े होते हैं, ऐसे में कभी भी सरकार के गिरने का खतरा रहता है जैसे यूपीए-2 के शासनकाल में बार-बार उसे विभिन्न दलों से समर्थन वापस लेने की धमकी मिलती रहती है। गठबंधन की अस्थिरता के कारण यदि सरकार गिर जाती है, तो बहुत कम अवधि में पुनः चुनाव कराने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में धन का बहुत अपव्यय होता है, जिसका भार अप्रत्यक्ष रूप से जनता को उठाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त गठबंधन सरकार के लिए कोई भी निर्णय ले पाना बहुत कठिन होता है। क्योंकि उससे विभिन्न दलों की विचारधारा से सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। इससे समय की बर्बादी बहुत होती है। कई बार सरकार को बचाए रखने के लिए तुष्टिकरण की नीति भी अपनानी पड़ती है। जिससे भ्रष्टाचार तथा अनैतिकता को बढ़ावा मिलता है और योग्य व्यक्तियों को महत्व नहीं दिया जाता एक तो लोकतंत्र में विकास और फैसले लेने की प्रक्रिया वैसे हीं धीमी होती है।

**निष्कर्ष :** गठबंधन सरकार के जितने सकारात्मक पक्ष हैं, उतने हीं नकारात्मक पक्ष भी हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसकी सफलता पर संदेह बना रहता है और सरकार स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय लेने से पहले कई बार सोंचती है शायद भारतीय जनता भी इस ओर ध्यान केन्द्रित करने पर मजबूर हुई है, तभी तो उसने 16वीं लोकसभा के चुनावों में नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर खरी उतरेगी, ताकि जनता को फिर से गठबंधन वाली सरकार पर विचार न करना पड़े।

#### सन्दर्भ :

1. योगेश्चंद, जैन 2006, राजनीति के बढ़ते क्रम, अरिहन्त पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, पृ० सं० 7
2. रमेशकुमार 2012, प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन, आगरा, पृ० सं० 11
3. डॉ० किरण झा, 1998, भारतीय राज व्यवस्था, राखि प्रकाशन, मेरठ पृ० सं० 6
4. डॉ० वी.वी. तायल, 1998, भारतीय शासन और राजनीति, साहित्य प्रकाशन, आगरा, पृ० सं० 10
5. डॉ० कश्यप एवं गुरु, 2008 राजनीतिक कोष, बिहार विधान परिषद, पटना, पृ० सं० 255
6. एन.सी.साहनी, 1971, कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया, कलकत्ता, पृ० सं० 22
7. शर्मा एण्ड शर्मा, 2000, कम्पीटिशन सक्सेस रिव्यू इंदौर, पृ० सं० 46

## विद्यार्थियों में शैक्षिक शिथिलता : एक अध्ययन

डॉ शैलेन्द्र कुमार वर्मा\*

\*सह-आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तराखण्ड

**सारांश :** शिथिलता एक ऐसी प्रवृत्ति के रूप परिभाषित किया जा सकता है जिसमें किसी कार्य को भविष्य में किया जायेगा के रूप में टाल दिया जाता है। यह टालने की प्रवृत्ति किसी भी आयु लिंग एवं पेशे के व्यक्ति में पाया जा सकता है। विद्यार्थी चाहे वह विद्यालय स्तर का हो या कालेज या विश्वविद्यालय स्तर का हो, उनमें शैक्षणिक कार्यों को परवर्ती समय के लिए स्थगित करने का एक सामान्य व्यवहार देखने को मिलता है। इस प्रकार के व्यवहार को शैक्षिक शिथिलता कहते हैं। विभिन्न शोध अध्ययनों में यह देखने को मिला है कि शैक्षणिक शिथिलता के प्रति विद्यार्थियों में एक सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रस्तुत शोध पत्र में विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों में शैक्षिक शिथिलता का अध्ययन किया गया है।

**मुख्य शब्द :** शैक्षणिक शिथिलता, अधिगम, वर्णनात्मक शोध, मनोसामाजिक कारक, सोशल नेटवर्क आदि।

शिथिलता एक स्वनियामक समस्या है जिसकी विशेषता यह होती है कि इसमें काम को समय पर शुरू करने से परहेज करने की प्रवृत्ति होती है। इसमें आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में टालने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। (फेरारी 2010)। शैक्षिक शिथिलता को एक ऐसी प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें विद्यार्थी अपने शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को जानबूझ कर अनिश्चित समय के लिए टाल देता है। शैक्षणिक शिथिलता किसी शैक्षिक कार्य को आरम्भ करने या समय के अन्दर पूरा करने का जानबूझ कर स्थगन करना है। शैक्षिक शिथिलता उन समस्याओं में से एक है जो विद्यार्थियों द्वारा प्रभावी अधिगम और उनके शैक्षिक निष्पादन के विरोध में है (अजय और ओस्की, 2008)।

शैक्षिक शिथिलता में विद्यार्थी शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा उन सभी कार्यों में रुचि लेते हैं, जो उन्हें अधिक संतुष्टि प्रदान करती है जैसे सोशल नेटवर्क का अधिक से अधिक प्रयोग, टीवी देखना या दोस्तों के साथ समय बिताना। कलेरियाना (2013) के अनुसार, विद्यार्थियों में शिथिलता का स्तर अलग-अलग पाया जाता है। विभिन्न शोधों में यह पाया गया है कि 80 से 95 प्रतिशत विद्यार्थियों में सामान्य शैक्षिक कार्यों के प्रति शिथिलता पाया जाता है।

पूर्व के शोधों में शैक्षिक शिथिलता को कई परिफ्रेश्य में अध्ययन किया गया है। एम० (2013) ने अपने अध्ययन में पाया कि लड़कों में लड़कियों की तुलना में ज्यादा शिथिलता पाया जाता है। यूजीन और कुर्टका (2015) एवं ओजेर (2011) ने बताया कि जेन्डर एवं शिथिलतापूर्व व्यवहार में कोई सम्बन्ध नहीं है। टुफैन एवं गोक (2009) ने पुरुष की अपेक्षा महिला शिक्षकों में शिथिलता को अधिक पाया। रेमेरो एम० (2013) ने अपने अध्ययन में पाया कि कला वर्ग के विद्यार्थी में विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी की अपेक्षा शैक्षिक शिथिलता स्तर अधिक पाया गया। अकदीमर (2019) ने अपने अध्ययन में पाया कि विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों में अन्य वर्ग की अपेक्षा शैक्षिक शिथिलता अधिक पाया गया। सम्बन्धित साहित्यों के अध्ययनों के परिणामों में स्पष्ट हुआ कि शैक्षिक शिथिलता पर विज्ञान एवं कला वर्ग के चर का प्रभाव बराबर विरोधी है। जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन मुद्दों को लेकर और शोध की आवश्यकता है।

**उद्देश्य :** प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य है –

1. विद्यार्थियों की शैक्षिक शिथिलता का उसके लिंग के संदर्भ में तुलना करना।
2. विद्यार्थियों की शैक्षिक शिथिलता का उनके वर्ग (कला एवं विज्ञान) के संदर्भ में तुलना करना।

**परिकल्पना :** उद्देश्य के आधार पर निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है।

1. छात्रों एवं छात्राओं की शैक्षिक शिथिलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. विज्ञान एवं कला वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक शिथिलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

**अध्ययन विधि :**

1. प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक शोध के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।
2. अध्ययन का समग्र वाराणसी शहर के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के कक्षा 11 में पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थी हैं।
3. प्रतिदर्श के रूप में 20 विद्यालयों में से 200 विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया है। जिनमें कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है।
4. अध्ययन के लिए उपकरण के रूप में ए०क० कालिया और मंजू यादव द्वारा निर्मित अकादमिक विलम्ब मापनी (Academic Procrastination scale) का प्रयोग किया गया है।
5. प्राप्त आकड़ों का विश्लेषण मध्यमान मानक विचलन तथा टी-परीक्षण द्वारा किया गया है।

**आंकड़ों का विश्लेषण :** तालिका संख्या 01 से स्पष्ट है कि कुल 100 विद्यार्थियों में से 26 प्रतिशत विद्यार्थियों ने 66 या उससे अधिक का अंक प्राप्त किया और वे उच्च शैक्षिक शिथिलतास्तर के हैं, 357 विद्यार्थी मध्यम शैक्षिक शिथिलतास्तर के हैं और उनका प्राप्तांक 29 से 65 के बीच का है, वही 29 प्रतिशत विद्यार्थी में निम्न शैक्षिक शिथिलता स्तर प्राप्त हुआ एवं उनका प्राप्तांक 28 तक का है।

**प्रथम उद्देश्य :** विद्यार्थियों की शैक्षिक शिथिलता का उनके लिंग के संदर्भ में तुलना करना।

प्रस्तुत उद्देश्य की पूर्ति के लिए अकादमिक विलम्ब मापनी की सहायता से छात्रों एवं छात्राओं के शैक्षिक शिथिलता प्राप्तांकों की तुलना की गयी है। तथा आंकड़ों को अधोलिखित तालिका संख्या – 01 में प्रस्तुत किया गया है।

#### तालिका संख्या – 01

#### लिंग के आधार विद्यार्थियों की शैक्षिक शिथिलता

लिंग	N	मध्यमान	मानक विचलन	टी मूल्य	सार्थकता स्तर	
					0.05	0.01
छात्र	100	58.3	16.29			
छात्रायें	100	52.4	12.89	0.89	1.98	2.63

तालिका संख्या – 01 से स्पष्ट है कि छात्र एवं छात्राओं का अध्ययन क्रमशः 58.3 एवं 52.4 है एवं मानक विचलन क्रमशः 16.29 एवं 12.89 है तथा प्राप्त टी–मूल्य 0.89 है जो सार्थकता स्तर 0.05 एवं 0.01 के मान 1.98 एवं 2.63 से कम है। परिणामस्वरूप निर्मित प्रथम भौत्य परिकल्पना संख्या – 01 कि छात्र एवं छात्राओं के शैक्षिक शिथिलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है को स्वीकार किया जाता है।

**प्रथम उद्देश्य :** विद्यार्थियों की शैक्षिक शिथिलता की उनके वर्ग (कला एवं विज्ञान) के संदर्भ में तुलना करना।

प्रस्तुत उद्देश्य की पूर्ति के लिए अकादमिक विलम्ब मापनी की सहायता से छात्रों एवं छात्राओं के शैक्षिक शिथिलता प्राप्तांकों की तुलना की गयी है तथा आंकड़ों को अधोलिखित तालिका संख्या – 02 में प्रस्तुत किया गया है।

#### तालिका संख्या – 02

#### वर्ग (कला एवं विज्ञान) के आधार पर विद्यार्थियों की शैक्षिक शिथिलता

वर्ग	N	मध्यमान	मानक विचलन	टी मूल्य	सार्थकता स्तर	
					0.05	0.01
कला	70	59.04	12.09			
विज्ञान	130	55.03	12.69	1.86	1.98	2.63

तालिका संख्या – 02 से यह स्पष्ट हो रहा है कि कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का मध्यमान क्रमशः 59.04 एवं 55.3 है तथा मानक विचलन क्रमशः 12.09 एवं 12.69 है। प्राप्त टी–मूल्य 1.86 है जो 0.01 एवं 0.05 स्तर के मान से कम है। अतः परिणामस्वरूप निर्मित शब्द परिकल्पना संख्या – 02 कि कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक शिथिलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है, को स्वीकार किया जाता है।

**परिणाम :** उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट हो रहा है कि शैक्षिक शिथिलता एवं लिंग के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है। यह परिणाम पूर्व में किये गये कई शोध परिणामों से भिन्न आया है जिसमें पुरुषों में महिलाओं की तुलना में शैक्षिक शिथिलता अधिक पायी गयी है। (रोमेरो, 2013 युजीन एवं कुलकी, 2020) एवं महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कार्य शिथिलता अधिक पायी गयी है। (टुफैन एवं गोक, 2009)। यह अध्ययन कई अन्य अध्ययनों के समान परिणाम को प्रस्तुत करता है जिसमें लिंग के आधार पर शिथिलता में कोई अन्तर नहीं पाया गया है। (जौवर्ट, 2015, ओजोर, 2011 )

प्रस्तुत अध्ययन के एक अन्य निष्कर्ष में वर्ग के आधार पर कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों में शैक्षिक शिथिलता में कोई अन्तर नहीं प्राप्त हुआ है। यह परिणाम कई अन्य अध्ययनों के परिणामों के विपरीत आया है कला वर्ग के विद्यार्थियों में विज्ञान वर्ग की अपेक्षा शैक्षिक शिथिलता अधिक पाया गया है। (रोमेरो, 2013) एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों में अन्य वर्गों की अपेक्षा शैक्षिक शिथिलता अधिक पाया गया है। (अकदीमर, 2019.)

**निष्कर्ष :** शैक्षिक शिथिलता स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों की शैक्षिक सफलता की प्रमुख अवधारणाओं में से एक है। छात्रों की चिन्ता, अलगाव, हताशा, तनाव, असफलता का डर, आत्म विश्वास में कमी एवं अन्य मनोसामाजिक कारकों की व्याख्या करने में शैक्षिक शिथिलता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

#### सन्दर्भ :

1. एकैदमिर, ओ०८० (2019). एकैदमिक प्रोक्रास्टिनेशन विहैवियर ऑफ प्री सर्विस टीचर्स, वर्ल्ड जर्नल ऑफ ऐजुकेशन, 9,13 – 21
2. अजू, डी० (2019). विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की शिथिलता का अध्ययन लघु शोध प्रबंध, म०ग०० काशी विद्यापीठ, वाराणसी
3. गुप्ता, क०पी० (2018) : स्टैटिस्टिक्स, विवि प्रकाशन, वाराणसी, फेरारी, जे० आ०० (2010) : स्टिल प्रोक्रास्टिनेशन द नो रिगेट गाइड टू गेटिं इट, न्यूयार्क, जे० बिले एण्ड संस, इंक
4. जौवर्ट, सी०पी० (2015) : द रिलेशनशिप विटबीन प्रोक्रास्टिनेशन एण्ड अकाडमिक अचीवमेंट ऑफ हाईस्कूल लर्नर्स, यूर्निवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, अफ्रीका
5. कतैरियाना, एम० (2013) : पर्सनालिटी प्रोक्रास्टिनेशन एण्ड चॉटिंग इन स्टुडेन्स, इलैक्ट्रानिक जर्नल ऑफ रिसर्च इन एजुकेशनल साइकोलॉजी 11 (2) : 451 – 472
6. टूफैन, ई एण्ड गॉक, एम० (2009) : इन्वेर्टिगेशन ऑफ जनरल एण्ड एकैदमिक प्रोक्रास्टिनेशन टेन्डेन्सीज ऑफ म्यूजिक कैन्डीडेट्स, ८वां नेशनल म्यूजिक एजुकेशन सिम्पोजियम, ग्रीस

## प्रेमचंद और अम्बेडकर : दलित मुक्ति के संदर्भ में डॉ विनोद कुमार\*

\*सहायक प्रोफेसर, हिंदी विभाग, पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय, कोलकाता

**सारांश :** प्रस्तुत शोध पत्र में प्रेमचंद और अम्बेडकर : दलित मुक्ति के संदर्भ में अध्ययन किया गया है। इनके कथा साहित्य की मूल संवेदना समाज मुक्ति, राष्ट्र मुक्ति यानी स्वराज की परिकल्पना प्रेमचंद ने जो जीवन जिया उसे ही साहित्य में अभिव्यक्त किया। प्रेमचंद के कथा साहित्य में किसान से मजदूर बनने की प्रक्रिया का दिखाने का प्रयास किया गया है। इस दृष्टि से यह अध्ययन विषय के ज्ञान एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण सूचना व संकेत देता है।

**मुख्य शब्द :** दलित मुक्ति, संस्कृत साहित्य, राजनीतिक आंदोलन, स्वराज्य, वर्ण व्यवस्था आदि।

कहानी की भी अपनी कहानी है। एक समय कहानी कही और सुनी जाती थी, एक समय आया जब कहानी लिखी और पढ़ी जाने लगी और वह जीवन और समाज की चेतना का अंग बन गयी। संस्कृत साहित्य में कहानी को कथा के पर्याय के रूप में प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त आख्यान, उपाख्यान, वृत्त, आख्यायिका, इतिवृत्त, गाथा, पुराण, वार्ता आदि शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। 'कथा' शब्द ही अपनें में 'कहा' का रूप ग्रहण कर अवधी, भोजपुरी आदि में कहानी, कहानी पद में बदल जाता है। कहानी में कहने की विशेषता बराबर महत्वपूर्ण रही है। लोक और शिष्ट दोनों रूपों में उसका संबंध वाचिक परंपरा से अधिक रहा। यह रोचक बात है कि अपने नये मुदित्र रूप में कहानी का हिन्दी साहित्य में आर्विभाव बीसवीं शती के आरंभ में होता है साहित्यिक पत्रकारिता के उदय के साथ। सरस्वती ने हिन्दी कहानी को शिल्प और संवेदना की दृष्टि से सुदृढ़ता प्रदान की। प्रेमचंद की पहली हिन्दी कहानी 'सौत' का प्रकाशन सरस्वती के दिसम्बर 1915 ई. में हुआ। इससे पहले वे उर्दू में लिखते थे। 'जमाना' पत्रिका से वे अंतिम समय तक जुड़े रहे। इसके संपादक दयानारायण निगम इनके प्रिय मित्र थे। हंस, माधुरी, जागरण, चौंद आदि पत्रिकाओं में इनकी कहानियाँ प्रकाशित होती थी। प्रेमचंद ने 'हंस' का 'द्विवेदी अभिनंदनाक' निकाला था। वे द्विवेदी जी का सम्मान करते थे। 'उन्होंने (द्विवेदी जी ने) प्रेमचंद की 'पंचायत' कहानी छापते समय उसका नाम बदलकर 'पंच परमेश्वर' कर दिया था।'<sup>1</sup> द्विवेदी के व्यक्तित्व के संदर्भ में प्रेमचंद कहते हैं – 'वे हमारी गलतियों पर फटकारते थे, उन्हें प्रेमपूर्वक सुधार देते थे और हमारी सफलता पर हमें प्रेम के मोदक भी खिलाते थे। इन्होंने ठोक-ठोककर हमें सुधारा, पुचकार-पुचकार कर ठीक रास्ते पर चढ़ाया और उत्साह दे-देकर आगे बढ़ाया।'<sup>2</sup>

यह सच है कि सर्वाधिक पढ़े जाने वाले भारतीय कथाकार प्रेमचंद हैं। इनकी लगभग 300 कहानियाँ मानसरोवर के आठ खण्डों में संकलित हैं। प्रेमचंद का कथा संसार 1907 से 1936 के बीच फैला हुआ है। अर्थात् प्रेमचंद पराधीन भारत के कथाकार थे। इनके कथा साहित्य की मूल संवेदना समाज मुक्ति, राष्ट्र मुक्ति यानी स्वराज की परिकल्पना प्रेमचंद ने जो जीवन जिया उसे ही साहित्य में अभिव्यक्त किया। वे कहते हैं 'मेरी कोई बहुत बड़ी आकांक्षा नहीं है, बस एक ही आकांक्षा है स्वराज्य। हम आजाद हों और वह स्वराज्य मुझी भर लोगों का न हो, बल्कि वह स्वराज्य भारत की सारी जनता के लिए हो, खुशहाली लेकर के आए, उनका जीवन बेहतर हो।'<sup>3</sup> किसी भी जाति के लिए राजनीतिक गुलामी से बड़ी और कोई समस्या नहीं हो सकती। प्रेमचंद के रचनाकाल तक भारत लगभग डेढ़ सौ से भी अधिक वर्षों से ब्रिटिश औपनिवेशिक गुलामी झेल रहा था। भारत की यह राजनीतिक पराधीनता बहुत जटिल थी और इसके विरुद्ध चल रहा संघर्ष भी जटिल और अंतर्विरोधों से भरा हुआ था। भारतीय जनता का 80 प्रतिशत हिस्सा किसान और मजदूरों का है, जिसके दुश्मन मुझी भर जमीदार, साझकार, सरकारी अमले आदि हैं जो औपनिवेशिक सरकार के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अंग भी हैं। किसान और मजदूरों को आंदोलन में शामिल करने का अर्थ था बुर्जुआ वर्ग का सफाया, राजनीतिक आंदोलन के नेता इसके लिए तैयार न थे। परं प्रेमचंद किसानों और मजदूरों के ही रचनाकार थे। प्रेमचंद ने फरवरी 1919 के जमाना में लिखा था 'क्या यह शर्म की बात नहीं कि जिस देश में नब्बे फीसदी आबादी किसानों की हो उस देश में कोई किसान सभा, कोई किसानों की भलाई का आंदोलन, कोई खेती का विद्यालय, किसानों की भलाई का कोई व्यवस्थित प्रयत्न न हो।'<sup>4</sup> इसी आलेख में वे कहते हैं 'जनता को जड़ता की स्थिति में रखने का सारा दोष शिक्षित और संपन्न लोगों पर है। हमारे स्वराज्य के नेताओं में वकील और जमीदार ही सबसे ज्यादा हैं। ...कितने शर्म और अफसोस की बात है कि उन दोनों में से एक भी जनता का हमदर्द नहीं।'<sup>5</sup> इसी आलेख में वे लिखते हैं कि 'आने वाला जमाना किसानों और मजदूरों का है। दुनिया की रफतार इसका साफ सबूत दे रही है।'<sup>6</sup> यह आलेख और भी कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। 1931 ई. में प्रकाशित उनकी कहानी 'आहुति' में उन्होंने रूपमणि के माध्यम से कहा है 'अगर स्वराज्य आने पर भी सम्पत्ति का वही प्रभुत्व बना रहे और पढ़ा लिखा समाज यों ही स्वार्थान्त्र बना रहे तो मैं कहूँगी ऐसे स्वराज्य का न आना ही अच्छा। अग्रेजी महाजनों की धनलोलुपता और शिक्षितों का स्वहित ही आज हमें पीसे जा रहा है। जिन बुराइयों को दूर करने के लिए आज हम प्राणों को हथेली पर लिये हुए हैं, उन्हीं बुराइयों को क्या प्रजा इसलिए सिर चढ़ाएगी कि वे विदेशी नहीं स्वदेशी हैं?'<sup>7</sup> 'पुराना जमाना : नया जमाना' आलेख में वे कहते हैं 'कोई कारण नहीं है कि वह (भारतीय जनता) दूसरे देश के हाकिमों के मुकाबले में आपकी हुक्मत को ज्यादा पसंद करे। जो ऐयत अपने अत्याचारी और लालची जमीदार के मुँह में दबी हुई है, जिन अधिकार संपन्न लोगों के अत्याचार और बेगार से उसका हृदय छलनी हो रहा है उनको हाकिम के रूप में देखने की कोई इच्छा उसे नहीं हो सकती।'<sup>8</sup>

प्रेमचंद के कथा साहित्य में किसान से मजदूर बनने की प्रक्रिया को दिखाने का प्रयास किया गया है। 'पूस की रात' कहानी की पहली पंक्ति में ही प्रेमचंद ने व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है। इसी व्यवस्था के कारण हल्कू तमाम कट्ट झेलते हुए मजदूर बनता है। हल्कू अपनी स्त्री से कहता है "सहना आया है, लाओ, जो रूपये रखें हैं, मजूरी करके बड़ी मुश्किल से तीन रूपए जमा किये थे कि इससे कम्बल खरीदा जा सके, ठंड में फसल की रखवाली की जा सके।<sup>9</sup> किसान अपनी स्थिति को सुधारने के लिए सक्रिय है पर किसान को गुलाम बनाने की जमीदारी व्यवस्था भी उतनी ही सक्रिय है। किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि धीरे-धीरे जमीन और कृषि से उनकी रुचि हटने लगती है। प्रेमचंद किसानों की मनःस्थिति के विश्लेषक हैं। फसल बर्बाद होने पर जहाँ मुन्नी उदास है वहाँ हल्कू प्रसन्न है। उसने प्रसन्नता से कहा - "रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा।"<sup>10</sup> मजदूरों की विवशता को 'कफन' कहानी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। यह मूलतः भूख की कहानी है। 'कफन' प्रेमचंद की अन्तिम कहानी है, जो 'चाँद' के अप्रैल 1936 में प्रकाशित हुई थी। कुछ आलोचकों का मत है कि 'कफन' हिन्दी की मौलिक कहानी नहीं है, बल्कि उर्दू का तर्जुमा है। 'कफन' हिन्दी साहित्य जगत को एक मात्र कहानी है जिसका प्रकाशन की स्वर्ण जयन्ती 1986 में वर्ष भर मनाई गई। तत्कालीन भारत में श्रमिकों के श्रम का जैसा शोषण होता था 'कफन' कहानी में उसकी ओर संकेत करते हैं। वे कहते हैं "जिस समाज में रात-दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग, जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी।"<sup>11</sup> वह कौन सी मनोवृत्ति है जिसकी ओर प्रेमचंद ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वह मनोवृत्ति किसान से मजदूर बनने के दर्द से उपजी है। वास्तव में भारत में किसानों से जमीन हड्डपने की प्रक्रिया बहुत पुरानी है। जगल को साफ कर, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का काम यहाँ के मूल निवासी करते गये और बाहर से आए लोग युद्ध करके, छल-कपट करके उनकी जमीन को हड्डपते गये और उन्हें जंगल में भगाते गए। रामविलास शर्मा प्रेमचंद की कहानियों की समस्याओं का मूल कारण आर्थिक मानते हैं। वे कहते हैं "जमीन की कमी, लगान का बढ़ना, कर्ज का बोझ, स्त्रियों को काम न मिलना, मर्दों की बेकारी, एक का कमाना और दस को खिलाना।"<sup>12</sup> वास्तव में ये अर्थगत समस्याएँ वर्णित समस्याओं से पैदा हुई हैं।

वर्णगत समस्या जातिगत समस्या के अंतर्गत आती है। वर्तमान समय में यह दलित समस्या के रूप में जाना जाता है। यह समस्या देश की सर्वकालिक समस्याओं में से एक है। चातुर्थ वर्ण व्यवस्था के फलस्वरूप यह समस्या उत्पन्न हुई है। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि "इस देश का एक संविधान स्वतंत्र आर्यावर्त में मनु महाराज ने रचा था, और दूसरा देश के फिर से स्वाधीन होने पर डॉ. अबेडकर ने रचा। मनु के विधान में अबेडकर के लिए स्थान नहीं था, या नहीं जैसा था, अबेडकर के विधान में मनु के लिए पूरा स्थान है। इतिहास-चक्र की यह विलक्षण गति सारे समाज-दार्शनिकों को परेशान करने वाली है। और तब समझ में आता है कि हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या धारण करने के अर्थ में क्या की गई है। धर्म वस्तुतः वह है जो वर्ण व्यवस्था का स्वरूप मिलता है वह वैदिक काल से ही चला आया है। मनु ने लिखा भी है -

**"यः कश्चित्कस्य चिद्धर्मो मनुना परिकीर्तिः ।**

**ससर्वोभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हिसः ॥"**<sup>13</sup>

अर्थात् जिस वर्ण के लिए जो मनु ने कहा, वह संपूर्ण वेद में कहा है क्योंकि वेद सब विधाओं का भण्डार है। अर्थात् संपूर्ण वेद को जानकर ही यह रिस्ता त बनाई है। वैदिक काल में शूद्रों की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए डॉ. आनन्द वार्स्कर ने लिखा है कि प्राचीन काल में शूद्र की स्थिति न ग य एवं उसका जीवन निर्णयक था। उस समय शूद्रों का कर्तव्य था कि वे दास्य भाव से ब्राह्मणों की सेवा शुश्रूषा करते रहें। इस शुश्रूषा कार्य में बाधा न हो, तभी शूद्र अन्य काम करके अपनी आजीविका प्राप्त कर सकते थे। प्राचीन धर्मग्रन्थों में कर्म और विधा का संबंध शूद्रों के साथ हो ही नहीं सकता, यही बताया है क्योंकि धर्मग्रन्थों के अनुसार इस विषय में शूद्र का अधिकार ही नहीं है।<sup>14</sup> 'मनुस्मृति' सभी वर्णों के कर्मों का निर्धारण करती हुई शूद्रों को शिक्षा प्राप्ति के सामान्य और मानवीय अधिकारों से वंचित रखा। इस सर्वदर्भ में 'मनुस्मृति' के निम्न श्लोकों का देख सकते हैं -

**"अध्यापनमध्ययनं यजनं याजन तथा ।**

**दानं प्रतिग्रहं चैत, ब्राह्मणामकल्पयत् ॥ ।**

**प्रजानां रक्षणं दानं मिज्याध्ययनमेव च ।**

**विषयेऽतवप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ ।**

**पशुनां रक्षणं दानमिज्याध्ययमेव च ।**

**वाणिकपर्थं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ।**

**एकमेव तु शुद्रस्यप्रभुः कर्म समादिशत् ।**

**एतेषामेव वर्णनां शुश्रूषामन सूयया ॥"**<sup>15</sup>

अर्थात् ब्राह्मणों के पटकर्म पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना और लेना बताए हैं। प्रजा की रक्षा, दान देना, यज्ञ कराना, पढ़ाना और विषयों में न फँसनाये संक्षेप में क्षत्रिय के कर्म हैं। पशुओं का पोषण, दान देना, यज्ञ कराना, पढ़ाना, व्यापार करपा, व्याज लेना और खेती ये वैश्य के कर्म हैं। प्रभु ने शूद्रों का केवल एक ही कर्म बताया है कि इन तीनों वर्णों की निन्दा रहित 'जिसमें कोई निन्दा नहीं' सेवा करना। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि शेष तीनों वर्णों के लिए मनुस्मृतिकार पढ़ने और ब्राह्मणों के लिए पढ़ाने की भी व्यवस्था देता है, लेकिन शूद्र का कर्म केवल सेवा बताकर उसे शिक्षा, कृषि, व्यापार आदि मानवीय अधिकारों से वंचित कर देता है। और इतना ही नहीं प्रत्यूत वह शूद्र के कर्म को ब्राह्मण द्वारा नहीं, प्रभु द्वारा निर्धारित बताता है ताकि भविष्य में पढ़ लिखकर शूद्र वर्ग इस अपराध के लिए उसे अपराधी न समझे और भविष्य में उसकी संततियों को दण्ड न दे।

'वेद' व 'मनुस्मृति' ब्राह्मणवादी व्यवस्था का धर्मग्रन्थ ही नहीं बल्कि जीवन का आकर ग्रन्थ हैं दलित अर्थात् शूद्रों को किसी भी क्षेत्र में कार्य हतु अवकाश प्राप्त नहीं है। यह देखा जा सकता है कि बौद्ध तथा इस्लाम के आगमन से दलितों को भक्ति के लिए मार्ग मिल सका। वहीं अंग्रेजों के आगमन से ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा से परिचित होने का मौका मिला और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से थोड़ी मुक्ति भी मिली। इसी के फलस्वरूप अंबेडकर जैसे व्यक्ति के रूप में समाज के मुक्तिदाता भी मिले। अंबेडकर ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्ति के लिए अथक प्रयास किया। अंबेडकर ने कहा था कि अछूतों के लिए हिन्दू धर्म सही मायने में एक नक्क है। इस समाज का विचित्र धर्म है यहाँ पत्थर और पशु भी पूजे जाते हैं लेकिन शूद्र उससे भी बदतर जीवन जीते हैं। अंबेडकर जहाँ अपने समाज की मुक्ति और राष्ट्र की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे थे वहाँ पर गाँधी भी राष्ट्र और नए समाज निर्माण की कल्पना कर रहे थे। जहाँ गाँधी सक्रिय राजनीतिक नेतृत्वकर्ता थे वहाँ अंबेडकर दलित उद्घार के सक्रिय नेता थे। गाँधी का विचार था कि राष्ट्र मुक्ति के लिए गाँव की ओर चलो, वहीं पर अंबेडकर शहर की ओर चलो का नारा देते हैं। इसी दृष्टिकोण को लेकर प्रेमचंद साहित्य सृजन में लगे हुए थे। प्रेमचंद की कहानी में गाँव और शहर ही नहीं बल्कि दलित की पीड़ाओं का उल्लेख सद्गति, ठाकुर का कुआँ, दूध का दाम, कफन जैसी कहानी में देखने को मिलता है। डॉ. नामवर सिंह कहते हैं कि "प्रेमचंद की पहली रचना भी दलितों से सम्बद्ध है और अतिम रचना भी।" दूसरी ओर वे यह भी कहते हैं कि "प्रेमचंद के साहित्य में भले ही दलितों की समस्या पर लिखा गया हो, लेकिन ये तथ्य है कि प्रेमचंद दलित साहित्यकार नहीं थे।"<sup>16</sup> चिंतन के धरातल पर दलित मुक्ति की कामना राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानन्द, अंबेडकर, गाँधी और प्रेमचंद के वाढ़मय में देखने को मिलता है। 'सद्गति' कहानी में यह चिंतन काफी मुख्य हो उठा है। कहानी का शीर्षक भले सद्गति हो लेकिन उसमें दुख, दर्द और व्यथा को व्यक्त किया गया है। यहाँ शीर्षक सद्गति है समाज के भीतर एक ऐसी गाँठ है जिसे तोड़े बिना सामाजिक परिवर्तन असंभव है। भारतीय समाज में कहीं कुछ ऐसा बहुत गहरे फँसा हुआ पेंच है जो परिवर्तन की हर आवाज को निष्प्रभ और व्यर्थ कर देता है। सद्गति कहानी में दुखी लकड़ीकी जिस गाँठ को छीनने की कोशिश करता हुआ मर जाता है वह भारतीय समाज की अन्तर्निहित गाँठ का ही प्रतीक है। बुद्ध, कबीर, गाँधी, अंबेडकर के बाबजूद वह गाँठ बनी हुई है। प्रेमचंद का समूचा लेखन इस गाँठ पर प्रहार करता है। भारतीय समाज में यह गाँठ जस का तस बना हुआ।

'ठाकुर का कुआँ' में जोखू सामाजिक व्यवस्था के तीन वर्ग पर एक साथ उठाता है " ब्राह्मण देवता आशीर्वाद दंगे , ठाकुर लाठी मारेंगे साहू जी एक पाँच लेंगे" लेकिन पानी कोई न देगा।" जोखू का बदबूदार पानी पीना भारतीय समाज के बदबूदार मानसिकता का प्रतीक है। इस कहानी की पृष्ठभूमि चवदार तालाब सत्याग्रह से जोड़कर देखा जा सकता है। डॉ. अंबेडकर ने अपने सहयोगियों के साथ दिनांक 19–20 मार्च 1927 को महार के चवदार तालाब को मुक्त कराने हेतु सत्याग्रह में भाग लिये थे। यह सत्याग्रह केवल जल मुक्ति का नहीं बल्कि समाज मुक्ति का था। 'महाड म्यूनिसिपैलिटी ने चवदार को सार्वजनिक घोषित किया था, उस तालाब से पानी भरने की वजह से मारपीट हुई यह बात केवल पानी की सुविधा की दृष्टि से मामूली है, ऐसा शायद कहा जाए। 'भालाकार' की सलाह के अनुसार उसे नल लगाकर या दूसरे किसी उपाय से हल किया जा सकता है। किन्तु दूसरे दृष्टिको से यह समस्या मामूली नहीं है बल्कि बहुत बड़े सवाल से है।"<sup>17</sup> गंगी जब ठाकुर के कुआँ से पानी लाने जाती है तो अधेरे में छुप कर जाती है और पेड़ की ओट पर दुबक कर खड़ी रहती है कि कुआँ खाली हो और वह पानी ले गी। कुआँ खाली होने के बाद गंगी पानी लेने के लिए कुआँ के जगत पर चढ़ी और पानी लेने के लिए लोटा डोरी कुआँ में डाली ही थी कि ठाकुर के घर का दरवाजा खुल गया। गंगी के आतंक को रचनाकार ने इस प्रकार व्यक्त किया है—"एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुँह इससे अधिक भयानक न होगा।" ठाकुर शेर से भी अधिक भयावह है। ठाकुर मानव है और शेर जानवर। जानवर से डरना स्वाभाविक है क्योंकि वह नरभक्षी होता है, लेकिन मानव? शेर से भी अधिक डर मानव के लिए क्यों? वास्तव में निम्न वर्ग में यह डर एक दिन में उत्पन्न नहीं हुआ है। निम्न जाति में यह डर लम्बी प्रक्रिया के द्वारा गहरा जमाया गया है। इसके द्वारा मानव जाति को गुलाम बनाया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि 'ठाकुर का कुआँ' नाम कविता में कहते हैं —

"कुआँ ठाकुर का  
पानी ठाकुर का  
खेत खलिहान ठाकुर के  
गली मुहल्ले ठाकुर के  
फिर अपना क्या?  
गाँव?  
शहर?  
देश?"<sup>18</sup>

दलितों का गली—मुहल्ला, खेत—खलिहान, गाँव, शहर, देश कुछ भी नहीं है। क्योंकि वे गुलाम हैं। उन्हें अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया, बल्कि उनकी गुलामी तो भारतीय समाज द्वारा सदियों से प्रदत्त है। और अभी भी यह गुलामी देश में बरकरार है। इसलिए पुष्टिमित्र को जल समस्याओं पर आधारित विहार सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप 'रुकतापुर' लिखना पड़ा। दबंग वर्ग का पानी पर दबंगई अभी भी जारी है। बिहार के गाँव—गाँव का पानी अभी जहरीला हो गया है। और वाटर प्लांट मुखिया के दरवाजा पर ही लगता है। पुष्टिमित्र कहते हैं "दरअसल वह (वाटर) प्लांट मुखिया जी के दरवाजे पर बिठाया गया था, जो इस टोले से कम से कम डेढ़—दो किमी दूर था। हालाँकि लोग वहाँ भी जाकर पानी ले आते, मगर यह करना कर्तई आसान नहीं था। वहाँ जाने पर मुखिया जी टोका टोकी करने लगते थे। अक्सर झगड़े की रिथिति बन जाती थी। लोगों का कहना था कि दरअसल मुखिया जी चाहते ही नहीं हैं कि दूसरे टोले के लोग इस पानी का इस्तेमाल करें। वे इस फ्लोराइडमुक्त जल का इस्तेमाल खुद करना चाहते

हैं और अपने टोले के लोगों को करने देना चाहते हैं। रविदास टोले के लोगों का आरोप था कि वहाँ मुखिया जी की भैसों को भी उस फलोराइडमुक्त पानी से नहलाया जाता है मगर हमें पीने के लिए भी साफ पानी नहीं मिलता।" अर्थात् ये पानी की समस्या की अपेक्षा गुलामी की समस्या है। पानी की समस्या को तो सुलझाने के लिए नीति बनती है लेकिन समाज से गुलामी की प्रथा अभी भी समाप्त नहीं हुई है।

स्वाधीनता आंदोलन में हिन्दी साहित्य अधिक से अधिक प्रभावित गाँधी से हो रहे थे। यह स्वाभाविक था। कोई भी साहित्य अपने युग की गतिविधियों से रचनात्मक जर्ज ग्रहण कर समृद्ध होता है। गाँधी के समकालीन अंबेडकर अपने दलित समाज की मुक्ति हेतु आंदोलन कर रहे थे। 1925 से 1935 के बीच देश के अंदर दलित मुक्ति के व्यापक संघर्षकर्ता के रूप में डॉ. अंबेडकर का नाम उल्लेखनीय है। दलित आंदोलनों से प्रभावित होकर हिन्दी साहित्य में एकमात्र रचनाकार प्रेमचंद लिख रहे थे। मुख्य धारा के आलोचक प्रेमचंद पर गाँधी, मार्क्स, टोल्स्टॉय आदि के प्रभाव को स्वीकार करते हैं लेकिन प्रेमचंद पर अंबेडकर के प्रभाव के बाबजूद भी यह स्वीकार नहीं कर पाते।

#### **सन्दर्भ :**

1. शर्मा, रामविलास, प्रेमचंद और उनका युग, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, पांचवी आवृत्ति 2008, पृष्ठ – 180
2. वही, पृष्ठ – 180
3. सिंह, नामवर, प्रेमचंद और भारतीय समाज, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, दूसरी आवृत्ति मार्च 2011, पृष्ठ – 178
4. प्रेमचंद के विचार भाग–3, प्रेमचंद, प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, संस्करण–2008, पृष्ठ–246–247
5. वही, पृष्ठ – 246
6. वही, पृष्ठ – 247
7. प्रेमचंद रचनावली, पृष्ठ – 390
8. प्रेमचंद के विचार भाग–3, प्रेमचंद, प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, संस्करण–2008, पृष्ठ – 246
9. premchand-co-in] पूस की रात 10. वही
10. (<https://www-hindisamay.com>)
11. शर्मा, रामविलास, प्रेमचंद और उनका युग, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, पांचवी आवृत्ति 2008, पृष्ठ – 116
12. चतुर्वेदी, रामस्वरूप, हिन्दी साहित्य और सवेदना का विकास, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, छब्बीसवां संस्करण–2019, पृष्ठ – 17
13. सिंह, डॉ. एन. दलित साहित्य के प्रतिमान, वाणी प्रकाशन, आवृत्ति 2014, पृष्ठ – 54
14. वही, पृष्ठ – 56
15. सिंह, नामवर, प्रेमचंद और भारतीय समाज, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, दूसरी आवृत्ति मार्च 2011, पृष्ठ – 117
16. बाबासाहेब अंबेडकर ने कहा, सं. एल.जी. मेशाम, विमलकीर्ति, राधाकृष्ण नई दिल्ली, पहला संस्करण 2011, पृष्ठ – 97
17. दलित निर्वाचित कविताएँ – सं. कवल भारती, साहित्य उपक्रम, पुनर्मुद्रण–2012, पृष्ठ – 56
18. पाठ– पुनर्पुठ – 74वीं किस्त, पृष्ठ – 40

## भारतीय राजनीतिक चेतना का दस्तावेज़ : मैला आँचल

अर्जुन कुमार\*

\*हिन्दी विभाग, विश्ववार्षी, शास्त्रिनिकेतन, प० बंगल

**सारांश :** भारतीय राजनीतिक चेतना का दस्तावेज़ : 'मैला आँचल' उपन्यास में रचनाकार स्वराज आंदोलन से जुड़े व्यक्तित्वों की गतिविधियों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया रचनाकार बड़े ही सूक्ष्म स्तर पर यह दिखाने का सफल प्रयास करता है कि किस प्रकार संथालों को 'बाहरी' मानते हुए उनपर अत्याचार(हत्या) किए गए। इस हत्याकांड के बाद हुए मुकदमे में मिली जीत को भी स्वराज प्राप्ति से जोड़ते हैं और स्वराज उत्सव मनाते हैं। उपन्यास में भारतीय राजनीति के लगभग सभी पहलू कांग्रेसी आंदोलन, क्रांतिकारियों के आंदोलन, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिन्दू राज्य की पताका लहराने का सपना, देश- विभाजन, सांप्रदायिक दंगे आदि का छिटपुट ही सही लेकिन प्रभावी वर्णन मिलता है।

**मुख्य शब्द :** स्वराज आंदोलन, भारतीय राजनीति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट आदि।

'मैला आँचल' उपन्यास में रचनाकार स्वराज आंदोलन से जुड़े व्यक्तित्वों की गतिविधिया का विस्तारपूर्वक वर्णन करने के साथ कई बार, कई प्रसंगों में बावनदास के माध्यम से कहताते हैं - 'भारतमाता रो रही है' 'भारतमाता जार-बैजार रो रही है'; या फिर 'भारतमाता और भी जार-बैजार रो रही है'। पूरे उपन्यास का कथानक स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्ष पहले से लकर एक-दो वर्ष बाद के घटनाक्रम को समेटे हुए है। उपन्यास के कथानक का मूल क्षेत्र पूर्णिया जिले का मेरीगंज है; जहाँ की समस्याओं में भोजन, वस्त्र, आवास से लेकर स्वास्थ्य, अंधविश्वास आदि हैं वहीं स्वस्थ प्रेम और लोकोत्सव आदि के भी जीवंत चित्र हैं। देखा जाए तो ये सारे प्रश्न स्वराज के प्रश्नों के बीच से ही आते हैं। राजनीतिक पार्टीयाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् किस रूप में संपत्तिशाली वर्ग की पार्टी के रूप में बदल गई। साथ ही राजनीति में किस प्रकार से जाति-पाति, भ्रष्टाचार आदि हावी होता चला गया और किस प्रकार से इसमें अतिराष्ट्रवादी सांप्रदायिक लोगों का प्रवेश होता चला गया, जैसे गंभीर वैचारिक प्रश्नों को अपने सामान्य पात्रों के माध्यम से बहुत सूक्ष्मता के साथ सफलतापूर्वक उठाते और दर्शाते हैं। उपन्यास में भारतीय राजनीति के लगभग सभी पहलू कांग्रेसी आंदोलन, क्रांतिकारियों के आंदोलन, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिन्दू राज्य की पताका लहराने का सपना, देश- विभाजन, सांप्रदायिक दंगे आदि का छिटपुट ही सही लेकिन प्रभावी वर्णन मिलता है। मेरीगंज में कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, और काली टोपी वाले की चर्चा अनेक संदर्भों में हुई है। गाँधी के अनुयायी कांग्रेसियों की चर्चा उपन्यास में शुरुआत से अंत तक है। कांग्रेसी बालदेव, बावनदास, और चुन्नी गोसाई गाँधी के बताए मार्गों पर चलता हुआ जहाँ बावनदास देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देता है वहीं बालदेव और चुन्नी गोसाई के विचारों में समय के साथ विचलन होता है। एक समय में जो चुन्नी गोसाई गाँधी के भाषण को सुनकर कॉंग्रेस का चवन्नियाँ मेम्बर बना था अंततः सोशलिस्ट पार्टी में चला जाता है। वहीं बालदेव गाँधी जी की अहिंसा को तो पकड़े रहता है लेकिन सत्य से दूर होता जाता है, उसे खुद लगता है कि एक ही दिन में कई बार झूठ बोलना पड़ता है।

उपन्यास के अंत में रचनाकार ने स्वराज प्राप्ति के बाद का जो चित्र उकेरा है उससे साफ पता चलता है कि 'रेणु' स्वराज के वर्तमान स्वरूप से संतुष्ट नहीं हैं। वे विभिन्न घटनाक्रमों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि स्वतंत्रता के पहले तो शासक बाहरी अंग्रेज थे, इसलिए उनका लूटना-खोटना तो समझ में आता है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अपने देश के वे लोग जो चोरी, दलाली जैसे आपराधिक कृत्य करते थे वे ही स्वतंत्रता के बाद पार्टी के प्रमुख पदों पर आसीन हुए, कांग्रेस के मूल ध्येय देशसेवा से प्रभावित होकर चवन्नियाँ मेम्बर बना व्यक्ति जो जीवन भर स्वराज के लिए आंदोलन करते हुए जेल तक गए, उपेक्षित होते गए, और उनकी जगह अंग्रेजों के समय में भी प्रभुत्वशाली पदों पर रहे लोग या सौं- हजार देकर बने कॉंग्रेस के नए सदस्य जो समाज के कलाकित लेकिन प्रभुत्वशाली वर्ग के थे; पार्टी के न सिर्फ सदस्य हुये बल्कि महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हो गए। जाहिर है इसका परिणाम वही होना था जो हुआ। बड़े पदों पर जाकर न सिर्फ इन्होंने लूट-खोट बढ़ा दिया; बल्कि वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट और सच्चे देशभक्त लोगों की हत्या तक करने में नहीं हिचके। स्वतंत्र भारत में बावनदास की अपने परिचितों द्वारा हत्या इसी की एक झलक भर है।

रचनाकार बावनदास की हत्या के पूर्व जिस पृष्ठभूमि की विस्तार से चर्चा करता है वह भारतीय राजनीति और स्वाधीन भारत के क्रूर यथार्थ का कच्चा चिठ्ठा है। रचना में सच्चा देशभक्त बावनदास पचासों बैलगाड़ियों पर लड़े तस्करी का माल रोकने के लिए जब अकेले निकल पड़ता है तब उनके परिचित सहयोगी ही उसके शरीर पर से बैलगाड़ियों को चलवाकर उसकी हत्या करते हैं और उसकी लाश को नागर नदी में फेंक देते हैं। यह वह प्रसंग है जिसे देखकर लगता है कि 'रेणु' की पैठ भारतीय राजनीति में कितनी गहराई तक थी और भारतीय राजनीति की दिशा व दशा को वे किस रूप में देख रहे थे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वराज से जुड़े घटनाक्रमों का रचनाकार ने जिस रूप में वर्णन किया है वह विचलित कर देने वाला है। बावनदास अपने सहयोगी कांग्रेसी सदस्य बालदेव से बातचीत के क्रम में व्यथित हृदय से कहता है - 'सुराज मिल गया, अब क्या है। ...छोटनबाबू का राज है। एक कोरी, बेमान, बिलेक मारकेटी के साथ कच्चे होरी में धूमते रहते हैं। हाकिमों के यहाँ दाँत खिटकाते फिरते हैं। सब चौपट हो गया।' कहीं न कहीं इस तरह के प्रसंगों के माध्यम से रचनाकार आजाद देश की राजनीति की दिशा देखकर आशकित है रचनाकार जानता है की कलुषित व्यक्तित्व और व्यापारियों के राजनीति में आने से राजनीतिक

पार्टियों का ध्येय समाज सेवा नहीं रहकर व्यापार हो जाएगा। देश की वर्तमान स्थिति से जहाँ सुराजी बावनदास आहत है वही दूसरे सुराजी बालदेव को लगता है कि बावनदास को किसी ने बहका दिया है, आजाद देश को लेकर दो स्वराजियों का बिलकुल भिन्न-दृष्टिकोण कहीं न कहीं उस समय के जनमानस का आजाद देश को लेकर उनके भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण की ओर भी ईशारा है। बावनदास को देखकर लक्ष्मी चिंतित है— “एकदम सूखकर काँटा हो गए हैं। बाल इतना ज्यादा कैसे पक गया” इलक्ष्मी भीषण ठंड में एक खद्दड़ में जाड़ा काटते हुए देखकर जब कम्बल देना चाहती है बावनदास साफ मना कर देता है— “लक्ष्मी मानो सब कुछ समझ जाती है— धरती फाटे मेघ जल/कपड़ा फाटे डोर/ तन फाटे की औखदी/ मन फाटे नहीं ढौर...”<sup>2</sup>

जाति के ईर्द-गिर्द धूमती राजनीति में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात कभी आने के बजाए और बढ़ोतरी होने से सच्चा देशभक्त बावनदास न सिर्फ दुखी है बल्कि उसके बढ़ने के कारण को भी खूब जानता और समझता है। जातियों में विभक्त होते समाज से दुखी और कुछ न कर पाने की पीड़ा का बयान करते हुये वह कहता है— “यह पटनियाँ रोग है ... अब तो और धूमधाम से फैलेगा।” भूमिहार, रजपूत, कैथ, जादव, हरिजन, सब लड़ रहे हैं। ... अगले चुनाव में तिगुना मेले (एम.एल.ए.) चुने जाएँगे। किसका आदमी (यानि किस जाति का) ज्यादे चुना जाए, इसी की लड़ाई है।<sup>3</sup> जाति भारतीय राजनीति का ऐसा कड़वा सच है जिससे हम स्वतन्त्रता के इतने वर्ष बाद भी उबर नहीं पाए हैं जबकि रेणु इससे देश और मानवता को होने वाले नुकसान के रूप में साफ-साफ देख रहे थे, यही कारण है कि उपन्यास में वे अपने पात्रों के माध्यम से बार-बार जाति के प्रश्न को उठाते हैं; कभी वे गाँव की जाति-संरचना पर खुलकर बात करते दिखते हैं तो कभी विस्तार से जाति का नाम गिनाते दिखते हैं, कभी दो जातियों के मिलन को सुराज कहकर व्यंग्य करते दिखते हैं तो कभी क्रोधित होकर यह कहते दिखते हैं कि सब नेताओं को अपनी टोपी पर अपनी जाति भूमिहार, राजपूत, यादव... लिखवा लेना चाहिए, तो कभी हताश-निराश होते हुए लिखते हैं कि जाति बड़ी चीज है। गाँधी भक्त बावन दास की आजाद देश के भविष्य को लेकर नकारात्मक बातों को सुनते हुये जब बालदेव कहता है कि लगता है कि आपको किसी सोशलिस्ट ने भरमा दिया है तब बावन दास साफ-साफ कहता है— “सोसलिस? सोसलिस? क्या कहेगा सोसलिस हमको? सब पाटी समान। उस पाटी में भी जितने बड़े लोग हैं, मंतरी बनने के लिए मार कर रहे हैं। सब मेले (एम.एल.ए.) मंतरी होना चाहते हैं बालदेव! देश का काम, गरीबों का काम, चाहे मजूरों का काम, जो भी करते हैं, एक ही लोभ से। ... उस पाटी में बस एक जैपरगांशासबाबू हैं। हा-हा-हा। उनको भी कोई गोली मार देगा।”<sup>4</sup> राजनीति में गहरी रुचि रखने वाला यह रचनाकार अगर इस बात को दर्ज कर रहा है कि सब पार्टी एक जैसी है तो इससे न सिर्फ भारतीय राजनीति के प्रति उनकी निराशा व्यक्त होती है। राजनीति के प्रति अपने लगाव एवं जु़दाव को खुद स्वीकारते हुए वे कहते हैं— “मैं ‘होल टाईम’ राजनीति करने के पहले राजनीति करता था, यानि पार्टी में था, किसान-मजदूरों के बीच। किसानों की कई एक बड़ी लड़ाईयाँ लड़ी, मजदूर आंदोलनों के बीच सक्रिय भाग लेता रहा... राजनीतिक पार्टी का सदस्य न होकर भी आदमी राजनीति कर सकता है। मेरी रचनाएँ खासकर मैला आँचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे सभी राजनीतिक समस्याओं, विचारों के ही प्रतिफल हैं।”<sup>5</sup>

बहरहाल स्वतन्त्र देश की इस राजनीतिक दुर्दशा को देखकर जब उसका मन फट जाता है तो आजीवन देश सेवा के लिए समर्पित बावनदास देश सेवा के लिए अतिम प्रयास करने का संकल्प ले लेता है। सच्चा देशभक्त बावनदास एक खास मकसद से ट्रेन में बैठकर भारत/पाकिस्तान के बार्डर पर स्थित कलीमुद्दीपुर की ओर जा रहा है तस्करी या ऐसी ही कई देशविरोधी गतिविधियों को इस स्वतंत्र देश में देखकर उसे रोकने का अतिम प्रयास करने के पूर्व अपने आराध्य भगवान, महात्मा गाँधी और अपने माँ-पिता को याद करता है— “भगवान! महतमा जी! ...बापू! माँ! मुझे बुला लो अपने पास क्या करूँगा इस दुनिया में रहकर! ...धरम नहीं बचेगा।”<sup>6</sup> निष्कर्षात्मक निर्णय लेते हुए वह तस्करी के सामान से लड़े गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है— लेकिन हुआ क्या? “आखिरी गाड़ी जब गुजर गई तो हवलदार और रामबुझावन सिंह मिलकर, बावन की चित्थी-चित्थी लाश, लहू के कीचड़ में लथ-पथ लाश को उठाकर चलते हैं। ...नागर नदी के उस पार पाकिस्तान में फेंकना होगा। ....चार बजे भोर में पाकिस्तान पुलिस ने घाट-गश्त लगाने के समय देखा—लाश।

अरे यह तो उस पार के बौने की है। यहाँ कैसे आई? ओ... समझ गए।... उठाओ जी, ...बावन की ढंडी लाश झोली-झांडा के साथ फिर उठी।<sup>7</sup> आदमियत पर प्रश्न चिह्न खड़ा करते हुए रचनाकर की टिप्पणी है— “बावन ने दो आजाद देशों की, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की— ईमानदारी को, इसानियत को, बस दो डेंग में ही नाप लिया।”

क्या फर्क है अंग्रेजों की इंसानियत और हिन्दुस्तानियों/पाकिस्तानियों की इंसानियत में। क्या लेखक साफ-साफ यह नहीं कह रहा कि आजादी के पहले और बाद कुछ नहीं बदला।... सुराज उत्सव के अवसर पर लगाया गया नारा— ‘यह आजादी झूठी है’ अनायास था या लेखक का मतव्य? बहरहाल स्वतन्त्र देश की त्रासद स्थिति को देखकर विचलित लेखक, गाँधी की समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि देनेवालों पर बड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में टिप्पणी करता है— “दिल्ली में, राजघाट पर, बापू की समाधि पर रोज श्रद्धांजलियाँ अर्पित होती हैं। संसार के किसी भी कोने का, किसी भी देश का आदमी आता है, वहाँ पहुँचकर अपनी जिंदगी को सारथक समझता है।”<sup>8</sup> और इसके ठीक बाद वह गाँधी भक्त बावनदास का जिक्र करते हुए लिखता है— ‘कलीमुद्दीपुर में, नागर नदी के किनारे, चोरघड़ा के पास सौंहड़ के पेड़ की डाली से लटकती हुई खदर की झोली को किसी ने शायद टपा दिया है।... कौन लेगा? “मगर झोली का फीता अभी भी डाली में झूल रहा है। किसी दुखिया ने इसे चेथरिया पीर समझकर मनौती की है, अपने आँचल का एक खूंट फाइकर बाँध दिया है— “मनाकामना पूरी हो तो नया चेथरा बधाऊँगी।” बहुत बड़ी आशा और विश्वास के साथ वह गिरह बाँध रही है। ...दो चीथड़े।<sup>9</sup> क्या यह पूरे स्वतन्त्रता आंदोलन के मूल्यों का उससे जुड़े आन्दोलकारियों के हृदय का चिथड़ा-चिथड़ा होना नहीं है; और उपन्यास की अंतिम पक्की में भी लेखक चेथरिया पीर का जिक्र करते हुए लिखता है “कलीमुद्दीपुर घाट पर चेथरिया पीर में किसी ने मानत करके एक चीथरा और लटका दिया।”<sup>10</sup> क्या कहना चाहता है लेखक ...?

स्वतंत्र भारत में, रचना में वर्णित 'चेथरिया पीर' और इससे पहले की पूरी पृष्ठभूमि के सहज सामान्य अर्थ नहीं हैं ; यह व्यंजनार्थ है जिसकी गूँज और चोट पाठकों पर बहुत गहरी पड़ती है रचनाकार गाँधी या गाँधी के बहाने रचना में गाँधीभक्त बावनदास की स्वतंत्र भारत में हत्या के दर्द को बहुत गहराई से लेता है। और इस क्रम में पूरे तंत्र के भ्रष्ट होने का पर्दाफाश करते हुए हाल ही में मिले स्वतंत्रता के स्वरूप का विचलित करता यथार्थ पाठकों के सामने रखकर स्वतंत्र देश की सीमा, स्वराज कि सीमा को चिह्नित करने का साहसी प्रयास करता है, जिसमें वह सफल तो हुआ है तेकिन एक पाठक के लिए स्वतंत्र भारत की यह तस्वीर बहुत झकझोरनेवाली साबित होती है। गाँधीभक्त सुराजी बावनदास का चेथरिया पीर के रूप में लोक में स्वीकृत होना क्या यह गाँधीवाद के बचे रहने की ओर इशारा है या रचनाकार का गाँधी के प्रति आस्था—अनास्था के द्वद्व के बीच अंतःगाँधीवाद में आस्था ? या आजाद देश की व्यथा ? या बहुत कुछ और ?

देखा जाए तो रचना में 'स्वराज' का प्रश्न हरेक के लिए अलग—अलग महत्व रखता है; रचनाकार बड़े ही सूक्ष्म स्तर पर यह दिखाने का सफल प्रयास करता है कि किस प्रकार संथालों को 'बाहरी' मानते हुए उनपर अत्याचार(हत्या) किए गए। इस हत्याकांड के बाद हुए मुकदमें में मिली जीत को भी स्वराज प्राप्ति से जोड़ते हैं और स्वराज उत्सव मनाते हैं। गाँव जहाँ जातियों में पहले से ही विभक्त था, उसी जाति-विभक्त समाज में यह धारणा बैठा दी गयी थी कि ये आदिवासी 'बाहरी' हैं। मुख्यधारा का समाज मुकदमें में मिली जीत को 'सुराजी—जीत' मानते हुए सुराजी—जीत, गायन—वादन का आयोजन भी करते हैं क्योंकि आदिवासीयों की जमीन को हड्डप कर दें अपने नाम करवा लेते हैं। जिस तहसीलदार साहब ने लगभग सभी जातियों के लोगों का आजीवन शोषण किया वे सभी शोषित जातियां बाहरी आदिवासी के नाम पर, उन्हें लूटने—मारने के लिए एक हो जाते हैं।

ध्यान देने की बात है कि मेरीगज में आजादी के आंदोलन के समय भी अंग्रेज मलेटरी नहीं आए थे.... आ कब और किस वजह से रहे हैं लगभग स्वतंत्रता आंदोलन के समय और गाँव के लोगों के बीच हुए आपसी खूनी संघर्ष में। बाहरी अंग्रेजों से खनी संघर्ष में नहीं, भारत के मूलनिवासी को ही बाहरी कह कर उन्हें अपने अधिकारों से वंचित करने के लिए हुए खूनी संघर्ष में। इसलिए रचनाकार ही स्पष्ट शब्दों में चुभने वाला प्रश्न कर रहा है कि "कौन कहता था कि अँगरेज बहादुर का अब राज नहीं रहेगा ?" रचनाकार के इस प्रश्न में ही सटीक उत्तर 'भी छिपा हुआ है कि स्वराज अभी भी यूटोपिया है; जैक की जगह जॉन या जनार्दन का ही शासन रहेगा। अंग्रेज शासन का वास्तविक लाभ जैसे पहले भी तहसीलदार जैसे लोग उठा रहे थे; आजादी के बाद तो पूरा तंत्र ही इन्हीं जैसे लोगों के हाथ में होगा। साथ ही साफ—साफ यह भी कह रहा है कि बननेवाले स्वराज में आदिवासीयों का स्थान नहीं जैसा होगा ? हिन्दू राष्ट्र की संकल्पना को लिए हुए हरगोरी सिंह आदिवासी या वंचित समाज को लक्षित करते हुए कहता भी है— हिन्दू राज कायम करने के लिए गाँव में ही लोहा लेना होगा।

विषयवस्तु को देखें तो रचनाकार बार—बार किसी न किसी बहाने राजनीति के वर्तमान स्वरूप और भविष्य के बनते—बिगड़ते स्वरूप पर विभिन्न प्रकार के प्रसंगों के माध्यम से अपनी बात साफ— साफ रखता है। बिलकुल सामान्य से दिखने वाले प्रसंगों में अपने पात्रों के माध्यम से कभी वह गाँधी के विचारों को बहुत सामान्य ढंग से रखता दिखता है तो कभी सोशलिस्ट पार्टी के सिद्धान्तों/व्यवहारों पर अपने पात्रों के माध्यम से चर्चा करता दिखता है। तो कभी मेरीगंज में जहाँ एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है वहाँ मुस्लिमों के प्रति काली टोपी वाले हिंदुओं द्वारा जो नफरती वातावरण तैयार किया जा रहा है उसके प्रभाव की चर्चा करता है। रचनाकार ने दिखाया है कि काली टोपी वालों का अंग्रेजों पर क्रोध उस रूप में नहीं है जितना अंग्रेजों के पूर्व के मुस्लिम शासकों और आदिवासी या अन्य पिछड़े समुदाय पर।

बहरहाल क्षेत्र में दो पार्टी के होने से दोनों के बीच झगड़े भी होते हैं। कॉम्प्रेस और सोशलिस्ट के इन झगड़ों में रचनाकार अपने पात्रों के माध्यम से टिप्पणी करता है — "दो भैंस की लड़ाई में दूब के सिर आफत। इसी सच्चाई को रचनाकार देख रहा है कि पार्टी आपस में लड़—झगड़ रही है, सब पार्टी सिर्फ श्रेय लेने के लिए हो—हल्ला कर रही है। क्षेत्र में जहाँ कॉम्प्रेस पार्टी और गाँधी के सिद्धान्तों और उनके चरणों की चर्चा हो रही है 'कि यदि घर का एक—एक व्यक्ति चरखा चलाने लगे तो गाँव से गरीबी दूर हो जाएगी। तो वहीं सोशलिस्ट पार्टी का प्रचार—प्रसार नए युवा जोश— खरोश के साथ कर रहे हैं उन्होंने अपने कार्म पर लिखा है — " जो जोतेगा सो बोएगा। जो बोएगा सो काटेगा। जो काटेगा वह बाँटेगा।" रचनाकार इशारा करता है युगों से पीड़ित, दलित और उपेक्षित लोगों को कालीचरण की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है, कोई घाव पर ठंडा लेप कर रहा हो। सोशलिस्ट पार्टी के नौजवान होली के अवसर पर खुले तौर पर कॉम्प्रेस के चाल—चरित्र को उघाड़ते हुये गाते हैं — ....

'चर्खा कातो, खद्धड़ पहनो, रहे हाथ में झोली

दिन दहाड़े करो डकैती बोल सुराजी बोली...

जोगी जी सर... र र....'

तो वही कॉम्प्रेसी भी अपने नेताओं की प्रशंसा में फाग गा रहे हैं।

राजनीति का प्रभाव इतना गहरा गया है कि पर्व—त्योहारों पर भी इसका अच्छा—बुरा रंग दिखने लगा है घोर अभाव और दरिद्रता में जी रहे लोगों के लिए राजनीति मनोरंजन/मजाक का माध्यम बन गया है।

गाँधीभक्त बावनदास गाँव की बदहाली का हाल बताने जब पूर्णिया की हालत देखकर उसे सदमा लगता है — 'जुलुम हो रहा है... कचहरी में जिले भर के किसान पेट बँधकर पड़े हुए हैं। अपील करनी है ...खोलो पैसा, देखो तमाशा। क्या कहते हो ? पैसा नहीं है! तो हो चुकी अपील। पास में नगदनारायण हो तो नगदी कराने जाओ। कानून और कचहरी कंपौड में पलनेवाले कीट—पतंगे भी पैसा माँगते हैं। जिला कॉम्प्रेस के सभापति का चुनाव होनेवाला है। पैसे का तमाशा कोई यहाँ आकर देखे! इसलिए बावनदास के बहाने मेरे जैसे पाठकों को भी लगता है कि 'भारतमाता और भी जार—बेजार रो रही है। इस तरह के गंभीर विचारणीय प्रसंगों के माध्यम से रचनाकार स्वराज प्राप्ति की असफलता के कारणों को न सिर्फ सामने लाता है

बल्कि स्वराज पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। बावनदास द्वारा बार—बार यह कहना कि “भारतमाता और भी जार—बेजार रो रही है।”

उपन्यास में अपने बहुसंख्यक और समाज के विविध वर्गों से सम्बन्धित पात्रों के माध्यम से पूरी रचना हमें एक ही साथ बार—बार झकझोरती है, गुदगुदाती है, बेचैन करती है, और सोचने को मजबूर करती है, उत्साही डॉक्टर निराश है, उत्साही कालीचरण को जेल हो जाता है, उसके पार्टी के लोग ही अपनी पार्टी का होने से इंकार कर देते हैं। स्वतंत्र देश में बावनदास की हत्या कर दी जाती है, बालदेव अपने गाँव और अपनी जाति में लौट जाना चाहता है? कहा जा सकता है कि अपनी खूबियों और खामियों के साथ ‘मैला आँचल’ समस्त भारतीय राजनीतिक घेतना का ज्वलंत और प्रामाणिक दस्तावेज़ है।

#### **सन्दर्भ :**

1. रेणु फणीश्वरनाथ, मैला आँचल, राजकमल, दिल्ली, 2002, पृष्ठ सं. 289
2. वही, पृष्ठ सं. 290
3. वही, पृष्ठ सं. 290
4. वही, पृष्ठ सं. 290
5. रेणु रचनावली खंड-4 राजकमल, दूसरा संस्कर, 1999, पृष्ठ-431
6. रेणु फणीश्वरनाथ, मैला आँचल, राजकमल, दिल्ली, 2002, पृष्ठ स. 296—298
7. वही, पृष्ठ सं. 304
8. वही, पृष्ठ सं. 304
9. वही, पृष्ठ सं. 312
10. वही, पृष्ठ सं. 112
11. वही, पृष्ठ सं. 112

## बेरोजगारी एवं युवा आक्रोश

डॉ मिथिलेश कुमार चौबे\*

\*एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, गायत्री विद्यापीठ पी०जी० कालेज, रिसिया-बहराइच, उ०प्र०

**सारांश :** आज के युग में यदि किसी देश की कोई विकट समस्या है तो वह है— बेरोजगारी। आज विश्व के अनेक देशों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या केवल औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों में भी नहीं है बल्कि सम्पन्न देश भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं। विश्व की हर आकार प्रकार की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या विद्यमान रहती है। हालाँकि अर्थव्यवस्था के दशाओं के अनुरूप प्रत्येक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रवृत्ति भिन्न होती है। वर्तमान समय में भारत में इसका बड़ा भयंकर रूप है। कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को कार्य न मिल पाने की दशा, 'बेरोजगारी' के रूप में परिभाषित की जाती है।

**मुख्य शब्द :** भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक नियोजन, शिक्षित बेरोजगारी, मानवीय संसाधनों, औद्योगिक क्षेत्र, भूमण्डलीकरण, आदि।

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए कृषि पर ही आश्रित है, ऐसे में वर्ष के उस समय में जब कृषि सम्बन्धित कोई कार्य नहीं रहता है तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, इस प्रकार की बेरोजगारी मौसमी प्रकार की होती है। वहीं शहरों में यह देखा जाता है कि बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर चुके लोगों को यह तो रोजगार नहीं मिलता या फिर उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें रोजगार नहीं मिलता। इस प्रकार की 'बेरोजगारी' 'शिक्षित बेरोजगारी' कहलाती है, जिसको लेकर युवा वर्ग में आक्रोश रहता है। भारत में अगर देखा जाए तो हर प्रकार की बेरोजगारी व्याप्त है, जो कि हम भारतीय के लिए चिन्ता का विशय है।

बेरोजगारी के मूल कारणों में सबसे बड़ा कारण भारत की विशाल जनसंख्या है। आजादी के बाद से ही भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है जिसके परिणामस्वरूप पहले से ही अतिरिक्त श्रम बल का दबाव झेल रही अर्थव्यवस्था पर प्रतिवर्श भार बढ़ता ही गया तथा बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि होती गयी। हम सभी जानते हैं कि परिवार नियोजन के कई कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रयासों के बाद भी भारत की जनसंख्या में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं देखने को मिली है और बेरोजगारी नियंत्रण के सारे प्रयास निष्कल सिद्ध हुए हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों की भरपूर उपस्थिति होने के बावजूद इनका समुचित दोहन न कर पाने के कारण अपेक्षित विकास नहीं कर पायी है। भारत में बेरोजगारी की समस्या का इतना विस्तार होने में यह पक्ष भी महत्वपूर्ण रहा है। ज्ञातव्य है कि भारतीय उद्योगों, नवीन रोजगारों के सृजन की गति अत्यन्त धीमी रही है। पूंजी का अभाव, तकनीकी पिछ़ापन, कच्चे माल की कमी आदि के कारण अविकसित रहा औद्योगिक क्षेत्र, बेरोजगारों को पर्याप्त संख्या में रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाया। भारतीय शिक्षा नीतियों में दूरदृष्टि के अभाव के कारण हमने रोजगार उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना ही युवाओं को शिक्षित करके डिग्री देना जारी रखा। इसके साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में भी कमी रही। युवाओं को रोजगार परख शिक्षा न दिये जाने के कारण डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भी युवा वर्ग व्यवहारिक रोजगार परक ज्ञान से अनभिज्ञ तथा बेरोजगार रहा। रोजगार प्रदान करने के लिए सरकारी नीतियों को लागू करने में ढील के चलते इन नीतियों के माध्यम से कभी भी अपेक्षित मात्रा में रोजगार उत्पन्न नहीं किये जा सके।

**एम०एस० स्वामीनाथन** के अनुसार, 'भूमण्डलीकरण से प्रभावित लोगों के लिए रोजगारविहीन विकास, आनंदविहिन विकास है।' विकास और रोजगार के सम्बन्ध में स्वामीनाथन जी ने जो कहा वह भारतीय सन्दर्भ में आज भी प्रासंगिक है। 'बेरोजगार इस देश के अभिशाप है और इसके बने रहने तक यकीनन हमारा विकास आनंदविहीन और फीका है।'

अंग्रेजी शासनकाल में कुटीर उद्योग धंधों का पूर्णतया हास हो गया। इस प्रकार जो कृषक कृषि से अतिरिक्त समय में कुटीर उद्योगों में लगा जाता था, वह बेकार रहने लगा। अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में प्रति एकड़ भूमि पर होने वाला कृषि उत्पादन आज भी बहुत कम है। इसका कारण वैज्ञानिक साधनों का अभाव अधिकांश किसानों द्वारा परम्परागत पद्धति से खेती करना है। हमारे यहाँ आज भी बहुत कम कृषक अच्छे बीजों, खादों एवं उन्नत उपकरणों की सुविधाओं को प्राप्त कर पाते हैं। इससे उत्पादन कम हो जाता है। भारत में कृषि उद्योग अव्यवस्थित एवं असंगठित होने के कारण कृषि का स्तर ऊंचा नहीं हो पाता है। कृषि उद्योग संगठित न होने के कारण एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में नहीं देखा जाता है। फलस्वरूप बहुत से व्यक्ति भले ही बेकार रहे लेकिन वे कृषि की जोखिम को उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस प्रवृत्ति ने लाखों ऐसे नवयुवकों को बेरोजगार बना दिया है, जिनके माता-पिता के पास पर्याप्त कृषि योग्य भूमि है।

योजनाबद्ध आर्थिक विकास तथा बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना से स्वचालित यांत्रिककृत मशीनों को बढ़ावा मिला है। इन उद्योगों में श्रम वहन तकनीक का कम प्रयोग किया जाता है, तथा इन उद्योगों द्वारा अच्छी किस्म के वस्तुयें कम लागत पर उत्पन्न किया जाता है, जिससे लघु एवं कुटीर उद्योग लगातार कम हो रहे हैं। रुदिवादिता तथा पारिवारिक मोह के कारण भारतीय श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है, अगतिशीलता का दूसरा पहलू यह है कि श्रमिक भाषा, रीतिरिवाज और संस्कृति में भिन्नता, घर से दूरी की बाधा आदि के कारण अन्य जगहों पर कार्य करने के इच्छुक नहीं होते हैं। अतः पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में यह भी एक बाधा है।

स्वतंत्रता के उपरान्त देश में आर्थिक नियोजन अपनाया गया, जिससे अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के साथ-साथ बेरोजगारी दूर की जा सके। लेकिन देश में 13 पंचवर्षीय योजनाओं के लागू होने के बाद भी बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि ही हई है, इसका मुख्य कारण ट्रूटिपूर्ण नियोजन है। हम भारतीयों के लिए यह शुभ संकेत है कि महिलायें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों से कंधा से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं, लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व बहुत कम महिलायें नौकरी करती थीं। हर क्षेत्र में महिलाओं के नौकरी करने के कारण भी पुरुषों में बेरोजगारी का अनुपात बढ़ा है। भारत में नये-नये अनेक उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता में उसके कार्य को करने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण अधिकांश युवक बेरोजगार हैं।

औद्योगिक विकास भारत में अपेक्षाकृत धीमा रहा है, जिससे उद्योगों में रोजगार सृजन तीव्र गति नहीं हो पाया है, जबकि दूसरी ओर कृषि विकास की दर निरन्तर घटती जा रही है, इससे दोहरी मार पड़ रही है। क्योंकि कृषि विकास दर के धीमा पड़ने से कृषि क्षेत्र में लगे लोग भी बेरोजगार हो रहे हैं।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जहाँ बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार की समस्या को सदैव प्राथमिकता दी गयी है, वहीं बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम लागू किये गये हैं। 1978-79 में 'एकीकृत ग्रामीण विकास योजना' लायी गयी। जिसमें ग्रामीण निर्धनों को सब्सिडी एवं बैंक लोन के माध्यम से आर्थिक सहायता सुनिश्चित करायी गयी। 1979 में 'जवाहर रोजगार योजना' विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या के उन्मूलन पर केन्द्रित थी। 1999 में 'जवाहर ग्राम समुद्धि योजना' का नाम दिया गया। ऐसा नहीं की सरकार द्वारा देशमें बेरोजगारी दूर करने की पहल नहीं की गयी हो। सबसे महत्वपूर्ण पहल तो 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम' (NREGA) के रूप में वर्ष 2005 में की गयी, जिसे 02 अक्टूबर 2009 को नया नाम "महत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम" (मनरेगा) दिया गया। ऐसा पहली बार था जब भारतीय संसद में 100 दिनों का निश्चित रोजगार देने व ऐसा न होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। आज इसी अधिनियम के तहत विभिन्न राज्यों की सरकारें अपने-अपने राज्यों में पंजीकृत बेरोजगारों को भत्ता दे रही हैं। जैसे पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा आदि इसके अतिरिक्त 2011 में प्रारम्भ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना तो जुलाई 2015 में 'कौशल भारत अभियान' का सूत्रपात किया गया। वहीं वर्ष 2014 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 35 वर्ष के युवकों के कौशल विकास और उनमें उत्पादक क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का श्रीगणेश किया गया। रोजगार की दृष्टि से वर्ष 2016 में सरकार द्वारा शुरू की गयी 'स्टार्ट अप इण्डिया' एवं "स्टैण्ड अप इण्डिया" अत्याधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इनमें उद्यमशीलता को प्रोत्साहित कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया है।

बेरोजगारी की समस्या बढ़ने के फलस्वरूप अनेक प्रकार की समस्यायें पैदा हुई हैं। समाज व अर्थव्यवस्था पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ते दिख रहे हैं। इस समस्या में अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन की कमी और कार्य करने योग्य युवाओं के मनोबल में भी कमी लाने का कार्य किया है। बेरोजगार व्यक्तियों के गैर कानूनी गतिविधियों में सम्मिलित होकर राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट पहुंचाने का खतरा बना रहता है। वहीं रोजगार न मिलने पर कुछ भी कार्य करने की विवशता के चलते लोग शोषण का भी शिकार हो जाते हैं तथा बेरोजगारी बढ़ने पर युवाओं में सरकारी नीतियों के प्रति आक्रोश उपजने लगता है। यह आक्रोश आगे चलकर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक संघर्षों को जन्म देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बेरोजगारी ने देश में अनेक प्रकार की विसंगतियों व विद्युतियों को जन्म दिया है। "बेरोजगारी बढ़ने से देश में अनेक प्रकार की समस्यायें पैदा हुई हैं, युवा तनाव एवं युवा असंतोष बढ़ा है, जो हिंसा और अराजकता के रूप में आये दिन सामन आ रहा है। बेरोजगारी से परेशान युवकों को आत्महत्या तक करते देखा जा रहा है।"

भारत युवा श्रम बल धारण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश है। यदि हमारे देश के युवाओं के कौशल को विकसित कर उनकी उर्जा को अर्थव्यवस्था तथा राष्ट्र के विकास में योगदान करने वाले अन्य क्षेत्रों में लगाया जाए तो देश एक सम्पूर्ण महाशक्ति बनने का लक्ष्य अधिक तीव्रता से प्राप्त कर लेगा। आज आवश्यकता केवल इस युवा उर्जा के कुशल उपयोग की है।

## सन्दर्भ :

1. पीगू, प्र०० ए०सी०, (1913), अनइम्लॉयमेन्ट, पृ० 17
2. फेयरचाइल्ड, एच०पी०, डिक्शनरी ऑफ साइशियालॉजी, पृ० 327
3. मदान, जी०आर०, सोशल चेन्ज एण्ड सोशल प्रोलेस्स इन इण्डियन सोशायटी पृ० 226
4. शिक्षकों की भूमिका तथा जिम्मेदारी, 1981, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
5. नेशनल सैम्पल सर्वे रिपोर्ट इण्डिया, 1991, कोटेड इन इण्डिया, पृ० 200
6. उच्च शिक्षा में गिरावट, मनोरमा इयर बुक, 1995, पृ० 18-19

## समगतिशील विकास और तृतीय विश्व

डॉ० अशोक कुमार सिंह चन्देल\*

\*एसोसिएट प्रोफेसर, राजा विज्ञान, वै०वी०पी०जी० कालेज, गोरखपाल, उ०प्र०

**सारांश :** समगतिशील विकास (Sustainable Development) शब्द का उपयोग सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त “विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग द्वारा 1987 में प्रकाशित अपने अन्तिम रिपोर्ट में अपनी अवधारणा हम सबका भविष्य (Our Common future) के सन्दर्भ में किया था। आयोग ने इस शब्द को, विकास या प्रगति जो आगामी पीढ़ी के लिए उनकी आवश्यकताओं को बिना प्रमाणित किये वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कर सके, के रूप में परिभाषित किया।

**मुख्य शब्द :** समगतिशील विकास, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग, तृतीय विश्व, पश्चिमी माडल, विकासशील राष्ट्र आदि।

तृतीय विश्व की अवधारणा विकास स्तर पर निर्धारित हुआ। वे राष्ट्र जो नवस्तंत्र थे तथा उनका राजनीतिक एवं आर्थिक विकास नहीं हो पाया था/है। राष्ट्रीय सम्प्रभुता के साथ प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्ण स्वामित्व व उनके इच्छित उपयोग के अधिकार के रूप में ऐसे राष्ट्रों के हित संगठित हुए। तृतीय विश्व शक्ति संघर्ष एवं विकास के ‘माडल’ को अपनाने की चुनौती की उपज है। राष्ट्रीयहितों के स्तर पर यद्यपि विरोधाभाष हो सकता है पर आज अतिमारकता के युग में किसी को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता। अगर महाशक्ति राष्ट्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, तो तृतीय विश्व विकास के पश्चिमी माडल के स्थान पर जीवन धारण करने योग्य विकास के अपने स्वरूप को बनाये रखने के लिए एकजुट होते जा रहे हैं, भले ही उन्हें गरीब, अविकसित या विकासशील राष्ट्र की संज्ञा दी जाय। तीसरी दुनिया में नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की भूमिका देखे तो परम्परागत मुद्दों के स्थान पर श्रम मानक एवं पर्यावरण दो ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ दोनों में सर्वाधिक मतभेद है।

संयुक्त राष्ट्र के आरम्भिक वर्षों में पर्यावरणीय चिन्ताएँ अन्तर्राष्ट्रीय एजेण्डा सूची में आयी थी। प्रारम्भ में इस संगठन ने प्राकृतिक संसाधनों की खोज एवं उनके उपयोग पर जोर दिया, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहा कि विकासशील देश अपने स्वयं के प्राकृतिक संसाधनों पर नियन्त्रण बनाये रखने में समर्थ है। 1960 के दशक में समुद्री प्रदूषण विशेष कर तैल के विष्वराव से सम्बन्धित समझौते हुए थे, लेकिन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के बढ़ते प्रभाव के कारण 1970 के दशक से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस ग्रह की परिस्थितिकी एवं मनुष्य समाज पर विकास के प्रभाव पर उत्तरोत्तर चिन्ता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय चिन्ताओं का प्रमुख पैरवी कार्य और समगतिशील विकास का मुख्य प्रतिपादक रहा है।

तृतीय विश्व के देश लगभग 40 छोटे द्वीप वाले तथा राज्य क्षेत्र अनेक अलाभकर स्थितियों के शिकार हैं, इनमें संसाधनों का सीमित क्षेत्र, आर्थिक अलगाव, भूमि एवं समुद्री पर्यावरण का क्षय तथा समुद्र स्तर के मौसम परिवर्तन के कारण होने वाली सम्भावित वृद्धि शामिल है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने ऐसे राष्ट्रों के टिकाऊ विकास पर एक वैश्विक सम्मेलन (बारबेड्स 1994) आयोजित किया। इस सम्मेलन ने राज्यों की आर्थिक एवं परिस्थितिकीय कमज़ोरियों को प्रमुखता तथा कार्यवाही के लिए एक कार्यक्रम बनाया, जिसमें इन राज्यों के टिकाऊ विकास के समर्थन के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनायी जाने वाली नीतियाँ, कार्यवाहियाँ एवं उपाय निर्धारित किये गये थे।

1995 में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय वनों के टिकाऊ विकास के लिए 100 कार्यानुभुव विशिष्ट प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए वनों के निमित्त ‘अन्तःस्वरकारी फोरम’ का गठन किया। मरुथलीयकरण का खतरा धरती की एक चौथाई भूमि पर है। मरुस्थलीयकरण का अनुभव कर रहे देशों, विशेषतया अफ्रीकी देशों में, इसके विरुद्ध संघर्ष सम्बन्धी कर्येशन के लिए 172 देश सहमत हैं। मछली पकड़ने से सम्बन्धित एक समझौता है जिस पर 60 से अधिक समुद्री देशों ने हस्ताक्षर किया है जिसमें जैव विविधता प्रदूषण तथा जरूरत से ज्यादा मछुवाही पर प्रतिवध लगाने की बात कही गयी है।

समुद्री पर्यावरण को सुरक्षित रखने के सन्दर्भ में रियो सम्मेलन (1992) के घोषणा-पत्र की स्वीकारोरिक्त विकासशील गरीब राष्ट्रों से ही सम्बन्धित थीं। जिसमें विकास के सम्प्रभु अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार है कि विकास एवं पर्यावरण का तालमेल बना रहे ताकि वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों पर इसका कोई प्रभाव न पड़ने पाये, सभी राज्य और सम्पूर्ण जनता विश्व से गरीबी समाप्त करने के आवश्यक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परस्पर सहयोग कर स्थायी विकास के लाभों को पाने के लिए सक्रिय होंगे, क्योंकि यह एक अनिवार्य आवश्यकता है।

पर्यावरण एवं विकास में सन्तुलन बनाये रखने के लिए विकासशील तथा अत्यधिक अविकसित देशों की विशेष स्थिति एवं आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए तथा पर्यावरण की दृष्टि से अधिक संकटग्रस्त देशों को आर्थिक स्तर पर भी विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी और विकास एवं पर्यावरण संगठन के सभी क्रियाकलाप सभी देशों के हितों और आवश्यकताओं की लक्ष्य करके ही सम्पादित एवं संचालित होंगे। एजेण्डा-21 में पर्यावरणीय खर्चों के लिए 350 खरब पाउण्ड प्रतिवर्ष के खर्च का अनुमान पेश किया इसमें से 70 खरब पाउण्ड विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को अनुदान स्वरूप दिया जाना चाहिए था। परन्तु मात्र 6 खरब पाउण्ड की सहायता ही सुनिश्चित हो सकी।

रियो-सम्मेलन में पर्यावरण असन्तुलन को नियन्त्रण में लाने के मुद्दों पर विचार-विमर्श के दौरान विश्व विरादरी प्रमुख रूप से उत्तरी-दक्षिणी गुटों में बँटी नजर आयी। इस बटवारे का आधार है-उत्तर की सम्पन्नता और दक्षिण की विपन्नता, दक्षिण गुट तृतीय विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा था, का कहना था कि उत्तर ने (विकसित देशों ने) अपने विकास एवं समृद्धि के लिए

पर्यावरण का असन्तुलित शोषण किया है, तथा दुनिया को प्रदूषित किया लै इसलिए पर्यावरण पुनः सन्तुलित करने तथा प्रदूषण दूर करने के उपायों पर आने वाले खर्चों को भी उठाना चाहिए। बात किसी हद तक सही भी है। यदि सिर्फ अमेरिका और भारत का ही तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो पता चलता है कि अमेरिका भारत की तुलना में पर्यावरण असन्तुलन के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। जैसे—भारत में दुनिया की सोलह प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है तथा इसकी ऊर्जा खपत विश्व की कुल खपत का मात्र 3% करता है जबकि अमेरिका 22% उत्पर्जन करता है और आकड़े एकत्रित किये जाय तो यह स्पष्ट जो जायेगा कि पर्यावरण असन्तुलन के लिए जितने सम्पन्न देश जिम्मेदार है उतने, गरीब, अविकसित अथवा विकासशील देश नहीं।

नयी विश्व व्यवस्था (New world Order) के जिन मुद्दों को स्थान दिया जा रहा है वे मानवीय, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ये मुख्यतः समग्रतीशील विकास (Sustainable Development) से सम्बन्धित मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों में प्रमुख हैं— मानव अधिकार, विकास का अधिकार, विश्व व्यापार, पर्यावरण संरक्षण, उत्तर दक्षिण संवाद, नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था (NIEO) की माँग, गरीबी उन्मूलन, टिकाऊ विकास प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण आदि।

उत्तर-दक्षिण संवाद का जो विवादास्पद पहलू है वह पर्यावरणीय मुद्दे ही है यह बात पृथ्वी सम्मेलन में प्रमाणित हो चुकी है, गीन हाऊस गैस उत्पर्जन, वन, जनसंख्या, तकनीकी हस्तान्तरण, आर्थिक क्षतिपूर्ति, पर्यावरण विनाश जैसे मुद्दों पर तृतीय देशों का रुख एकदम स्पष्ट था, सम्मेलन का कुल मिलाकर प्रभाव रहा है गरीब देश पर्यावरण को दृष्टि करने के परिणामों से सजग हो उठे। उनकी चिन्ता अब यह है कि पर्यावरण के नाम पर भावी विकास के नाम पर अमीर देशों का दबदबा न बढ़ जाय। वस्तुतः उत्तर-दक्षिण विभाजन का मुख्य आधार अमीर देशों से गरीब देशों को धन व पर्यावरण प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण था। पाश्चात्य प्रायोजित विकास की अवधारणा गरीबी की एक लम्बी छाया का सर्जक है। क्योंटो सम्झि (2004 के एजेन्डों को आज भी बहुत आगे नहीं बढ़ाया जा सका है।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग के जितने भी प्रयास हुए हैं उनमें— अंकटाड सम्मेलन, G-77 गुटनिरपेक्ष सम्मेलन एशियान, बिस्टेक आदि तत्कालीन दक्षिण आयोग के अध्यक्ष का पद सम्भाले रहे वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने विकसित राष्ट्रों के रवैये पर कहा संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास सम्मेलन को रियो—2012 के नाम से भी जाना जाता है रियो—20 (पुर्तगाली उच्चारण या पृथ्वी सम्मेलन—2012) पिछले 20 वर्षों में 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के बाद हो प्रगति को याद करने का सम्मेलन था जो 20 वर्ष बाद उसी शहर में हुआ। यह सतत विकास पर तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो दस दिनों तक चला, इसमें 192 सदाय देशों ने भाग लिया।

इस रियो+20 के तीन अन्य आरम्भ—सतत विकास हेतु एक नई राजनैतिक प्रतिवहता स्थापित करना पिछली निर्वारत प्रतिष्ठाताओं की कार्यबद्ध करने में आनेवाली समस्याओं का आकलन और नई समस्याओं की सम्बोधित करना। इस सम्मेलन की बाद—एक गैर—बाह्य प्रपत्र “भविष्य जो हम चाहते हैं जारी किया गया। जिसमें सतत विकास को बढ़ावा देने वाले लर्यों का उल्लेख किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य हुमुठी संस्थाओं तथा वैश्विक स्तर पर लागू किया जा सकता है। एजेंडा—21 मेरा से अभिप्राय शाखी रादी से है। Future we want/ जिसमें विकासित देशों पर यह दायित्व देने की पहल की गयी कि अधिक दोहन के कारण संरक्षण की भी जिम्मेदारी लें। तभी तथ्यों विकासशील देशों पर दबाव देने की नीति से संतत विकास की राह का बेज़ा ही होनी। सहयोग के लिए विकसित देशों की तलीय लिख का सहयोग करना होगा। था “अन्तर्राष्ट्रीय वित्तिय संस्थाओं और ऋणदाता राज्यों द्वारा लागू की गयी नीतियों पर तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को निराशा का ही अनुभव हुआ है।” सतत विकास आयोग—पृथ्वी एक आयोग बना जो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक परिषद के अधीन गठित किया गया है और वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है।

आज पर्यावरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास की आवश्यकता सबसे अधिक महसूस की जा रही है। स्टाक होम सम्मेलन ने पर्यावरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास की नींव डाली, और अगर उन पर अमल होने लगे तो राष्ट्रों के मध्य सहयोग बढ़े।

उपरोक्त दोनों अवधारणाएँ विकास के विभिन्न पारूपों पर आधारित हैं। ये राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को भी इंगित करती हैं। कॉप—15 में जी—77 के प्रतिनिधियों का एक स्वर में विकसित देशों की नीतियों एवं नीतय पर असहमत व्यक्त करना तथा मालदीप में समुद्र के अन्दर कैबिनेट की बैठक ऐसी दो घटनाएँ हैं, जिसके माध्यम से यह जाना जा सकता है कि सिर्फ विकसित देश पर्यावरण के नाम पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को परिभाषित नहीं करेंगे, अब आवश्यकता है जब पर्यावरण से जुड़े समस्त मुद्दों पर ‘राष्ट्रों की राजनीति’ के स्थान पर “जारी रहने वाली राजनीति” (Sustainable Politics) को स्थापित किया जाय। क्योंकि चन्द्रमा मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं है और न ही शुक्र व मंगल ग्रह। हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम जो कुछ कर सकते हैं पृथ्वी को स्वच्छ बनाने के लिए करें, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ हमें रहना है।

#### सन्दर्भ :

1. महेन्द्र कुमार, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धान्तिक पक्ष, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा—21
2. पुष्टेश पंत, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, लक्ष्मी नारायण एण्ड सन्स, दिल्ली
3. त्रिपाठी, डॉ० दयाशंकर, पर्यावरण अध्ययन, मोतीलाल, बनारसी दास, दिल्ली
4. तलेसरा एवं पंचाली, मानवाधिकार एवं शिक्षा, अंकुर प्रकाशन, उदयपुर
5. इण्डिया ट्रॅडे, जून 2010

## राष्ट्रीय जनसंख्या नीति : बिहार के विशेष सन्दर्भ में डॉ ललित कुमार\*

\*असिंग्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय रजा पीठीजी कॉलेज, रामपुर, उत्तर प्रदेश

**सारांश :** किसी भी राज्य में जनसंख्या सम्बन्धी गतिविधियाँ वृहद् राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुरूप निर्मित एवं क्रियान्वित की जाती हैं। 15 फरवरी, 2000 को डॉ० एम० एस० स्यामीनाथन की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की। इसके अलावा तत्कालीन उद्देश्यों में गर्भ निरोध की जरूरतों को पूरा करना, स्वास्थ्य सम्बन्धी ढाँचे की व्यवस्था करना, तथा प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समुचित सेवा प्रणाली की स्थापना करना विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

**मुख्य शब्द :** राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, परिवार कल्याण कार्यक्रम, प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, आर्थिक विकास आदि।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मध्यावधि उद्देश्य 2010 तक जनन क्षमता दर को प्रतिस्थापन स्तर तक लाना तथा दीर्घकालिक उद्देश्य 2045 तक स्थिर जनसंख्या को प्राप्त करना है। इन सभी नीतिगत उद्देश्यों को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं—

1. प्रजनन नियन्त्रण एवं गर्भ निरोध के लिए विभिन्न शिकायतों के विषय में जानकारी और सेवाओं की आम जनता पहुँच को संभव बनाना।
2. प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को घर-घर तक पहुँचाना।
3. परिवार कल्याण कार्यक्रम को जन-केन्द्रित का रूप देन का प्रयास करना।
4. एडस एवं अन्य संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकना तथा उसी के लिए समुचित प्रवध्य कराना।
5. 14 वर्ष की आयु तक स्कूली शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाना।
6. मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को 30 से कम करना।
7. लड़कियों की विवाह को आयु 18 वर्ष निर्धारित करना।
8. छोटे परिवार को प्रात्साहन देना जिससे कुल जनन क्षमता दर प्रतिस्थापन स्तर पर आ जाए।
9. जन्म-मरण, विवाह और गर्भ का शत-प्रतिशत पंजीयन करना।

**राजस्व विभाजन की वित्तीय संकट :** अखण्ड बिहार में दक्षिणी क्षेत्र राज्य के कुल राजस्व में 38.76 प्रतिशत योगदान देता था। यदि सिर्फ केंद्रीय करों का मूल्यांकन किया जाए तो हम पाते हैं कि बिहार में कुल केंद्रीय कर दक्षिणी क्षेत्र यानि झारखण्ड राज्य का योगदान 48.39 प्रतिशत था। बिहार के अन्य भागों से 4335 करोड़ रुपये प्राप्त होता था। बिहार में व्यावसायिक करों से कुल 1719 करोड़ रुपये प्राप्त होते थे जिसमें राज्य के उत्तरी एवं मध्य क्षेत्र से 777 करोड़ रुपये तथा दक्षिणी क्षेत्र से 942 करोड़ रुपये प्राप्त होते थे। उत्पाद शुल्क के रूप में राज्य को 233 करोड़ रुपये प्राप्त होता थाय जिसमें 154 करोड़ रुपये दक्षिणी क्षेत्र से प्राप्त होता था। इसी तरह दक्षिणी क्षेत्र रो जल संसाधन से 43.68 तथा परिवाहन से 38.73 राजस्व राज्य को मिलता था। वर्तमान में विभाजन के बाद बिहार को आर्थिक तंगी से ज़माना पढ़ रहा है। यह आर्थिक तंगी दो मुख्य कारणों से है एक तो नेताओं के द्वारा राज्य के आर्थिक और अन्य विकासात्मक कार्यों को सही सामंजस्य से नहीं करना तथा दूसरा बिहार में योजनातार्गत कार्यों की कमी व केन्द्र द्वारा आवंटित राशि का खर्च नहीं होना।

**दक्षिणी बिहार का आर्थिक विकास :** दक्षिण बिहार यानि नवोदित झारखण्ड राज्य के लोगों का मानना था कि एक पृथक राज्य के रूप में इसका आर्थिक विकास काफी तीव्र गति से संभव है। वास्तविकता यह है कि अखण्ड बिहार के दक्षिणी क्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक हुआ था। विभाजन के बाद शेष बिहार के क्षेत्र पूर्णलप्त से अब विकास एवं गरीबी के भौंवर में फैस हो रहे हैं। विभाजन पूर्व बिहार सरकार ने पतरातु, बोकारो आदि स्थानों पर बढ़े ताप ऊर्जा गृहों का निर्माण किया। निजी कम्पनियाँ इससे प्रभावित होकर बिहार में भारी निवेश किया। प्रति व्यक्ति आय के वितरण में यह असंतुलन झारखण्ड क्षेत्र (दक्षिणी क्षेत्र) में उच्च मूल्य उत्पादन तथा निवेश की अधिक मात्रा का सूचक है। एक अन्य प्रधान कारण है कि इस क्षेत्र में जनसंख्या का निम्न घनत्व। उत्तर बिहार में जनसंख्या सघनता केरल के बाद सबसे अधिक है तथा यह राष्ट्रीय औसत से तीन गुनी है। खनिज संपदा में औद्योगिक निर्माण से विहीन यह क्षेत्र साल में 4-6 माह प्रकृति का प्रकोष्ठ भाजक बना रहता है। यदि विभाजन पश्चात शेष बिहार के आर्थिक विकास का उचित प्रयास नहीं किया जाता है तब इस बिहार की बदहाली पूरे देश के विकास के मार्ग में बाधक बन जाएगी।

बिहार का जब से विभाजन हुआ तब से बिहार की परिसंपत्ति का दोनों राज्यों के बीच बँटवारा असमंजस की स्थिति में है। इससे उल्लेखनीय है बिहार राज्य विद्युत निगम, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा अन्य लोक संस्थाएँ जिनकी अधिकांश इकाईयाँ झारखण्ड राज्य में स्थापित हैं। इसी के साथ प्रशासनिक एवं तकनीकी कर्मचारियों के कैडर बँटवारे के प्रस्ताव असमंजस की स्थिति में थाय लेकिन केन्द्र के निर्देश पर कुछ कर्मचारियों (राजपत्रित और अराजपत्रित) का कैडर विभाजन हुआ है।

**बिहार में विकास की संभावनाएँ :** वर्तमान बिहार में आय के स्त्रोत का मुख्य साधन झारखण्ड राज्य में चला गया है। अतः बिहार को पिछड़ेपन से निकालने के लिए आर्थिक पैकेज मिलने पर राज्य की आर्थिक पक्ष मजबूत होने की संभावना है और साथ-ही-साथ राज्य को भी आय के स्त्रोत उत्पन्न करने होंगे ताकि केन्द्र के अनुकूल सहायता न मिलने पर निराश न होना पढ़े। विभाजन के बाद राज्य की स्थिति इस प्रकार पाते हैं '—

1. वर्तमान बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी०० है और कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 10,38,04,637 करोड़ है।
2. वर्तमान बिहार में विभाजन पश्चात सिर्फ 21 प्रतिशत है तथा कुल खनिज सम्पदा का मूल्य 6 प्रतिशत ही शेष है। राज्य में ऊर्जा का स्त्रोत कोयला, लौह अयस्क, धात्विक अयस्क आदि साधनों से पूरी तरह वर्धित हो गया है।
3. वर्तमान बिहार में उद्योग जो बचे हैं, यथा कपड़ा और चीनी भीलें। कुछ तो बंद हो गए हैं और कुछ जीर्णशीर्ण अवस्था में चालू हैं। विभाजन के कारण लगभग सभी बड़े एवं संगठित उद्योग नवोदित झारखण्ड राज्य में चले गए हैं। सभी उद्योग जो राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते थे वह झारखण्ड राज्य में जाने के कारण बिहार में औद्योगिक रोजगार, आय संवर्द्धन एवं शहरीकरण की स्थिति में गिरावट आई है।
4. अखण्ड बिहार में शहरीकरण का दर 13.15 प्रतिशत था। विभाजन पश्चात घटकर 10.75 प्रतिशत हो गया है। शहरीकरण विकास का महत्वपूर्ण सूचक है। निम्न शहरीकरण का अर्थ है राज्य में प्राथमिक एवं असंगतित क्षेत्र की बहुलता तथा मूल्य संवर्द्धन में कमी।
5. विभाजन के बाद वर्तमान बिहार अधिसंरचना की भी स्थिति में नहीं है। यातायात संरचना में शेष बिहार में उपलब्ध राजमार्ग की 64 प्रतिशत, राज्य उच्च मार्ग का 70 प्रतिशत तथा ग्रामीण पथ का 63 प्रतिशत ही बिहार में है ये जोकि जनसंख्या की अपेक्षा नवोदित झारखण्ड राज्य से काफी कम है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में बिहार की स्थिति दयनीय है क्योंकि विद्युत उत्पादन की लगभग सभी इकाई झारखण्ड राज्य में चले गए हैं। लेकिन कुछ वर्षों बाद बिहार भी विद्युत उत्पादन में सक्रिय हो जाएगा। बिहार सरकार ने पनविजली परियोजना मार्च, 2004 ई० में स्थापित की है जिसका नाम बिहार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन है। राज्य में अब 70 प्रतिशत सरकारी अस्पताल रह गया है।
6. वर्तमान बिहार में विभाजन के बाद व्यावसायिक निवेश की स्थिति बैंक साख-जमा अनुपात से ज्ञात होता है। अखण्ड बिहार में साख-जमा अनुपात 24.7 प्रतिशत था। विभाजन के बाद शेष बिहार का साख-जमा अनुपात घटकर 2 प्रतिशत हो गया है।
7. वर्तमान बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में मानसून के आगमन के बाद बाढ़ का प्रकोप हो जाता है। जिससे इस क्षेत्र की खेती समाप्त हो जाती है। बिहार के पिछड़ेपन में बाढ़ भी मुख्य कारण है। बिहार में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र 16 प्रतिशत है। देश में बाढ़ से होनेवाली क्षति का कुल 57.6 प्रतिशत शेष बिहार में ही है।
8. बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है ओर कृषि ही आजीविका का मुख्य साधन है। लेकिन यहाँ भूमि के वितरण में काफी असमानता है। यहाँ औसत जोत की इकाई देश के औसत जोत से काफी कम है। निम्न प्रति व्यक्ति जोत की इकाई के अलावा बिहार में 80 प्रतिशत भू-संसाधन सिर्फ 20 प्रतिशत मजदूर एवं उच्च वर्गीय किसानों के पास है। इसके दूसरी ओर 80 प्रति जल जनसंख्या कृषि एवं संबंधित कार्यों पर आग्रित हैं। जबतक कृषि अत्यादन, विपणन, भंडारण में क्रमबद्ध तरीके से सुधार नहीं होगा तब तक उच्च विकासी संभव नहीं है।
9. नियोजित झारखण्ड राज्य में लगभग सारे उद्योग चले जाने से औद्योगिक उत्पादन की आकारात्मक स्थिति तथा कृषि प्रगति का मुख्य बाधक तत्व बिहार में भौतिक एवं वित्तीय अधिसंरचना की स्थिति जर्जर कर दी है। इन सभी भौतिक एवं सामाजिक अधिसंरचनाओं के बिना विकास की उच्च दर प्राप्त करना संभव नहीं है।
10. बिहार विभाजन के बाद लगभग खनिज सम्पदा के झारखण्ड में चले जाने से राज्य सरकार को नए रूप से खनिज सम्पदा का भू-गर्भ में पता लगाने तथा औद्योगिक विकास की प्राथमिकताओं पर विचार कर कार्य करना होगा।
11. राज्य में कुठीर एवं लघु उद्योगों की विपणन व्यवस्था दयनीय स्थिति में है। किला विपणन व्यवस्था की संरचना को मजबूत बनाए अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराये जा सकते हैं। रोजगार एवं आय संवर्द्धन विपणन व्यवस्था की कृशलता पर निर्भर होगा।

बिहार के सदाशीर्ण विकास के लिए वर्तमान राज्य सरकार व चुनाव के बाद आनेवाले सरकार को दृढ़ इच्छाशक्ति से विकासात्मक कार्य करना होगा। इस सदाशीर्ण विकास में राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों को धर्य व ईमानदारी पूर्वक योजनार्तगत तरीकों से कार्य करना होगा। इसमें संचार व मीडिया भी सहयोग करें। केन्द्र सरकार को बिहार में आर्थिक पैकेज विशेष रूप से देना होगा ताकि बिहार देश के अन्य राज्यों की तरह विकास की सीढ़ी चढ़ सके।

#### सन्दर्भ :

1. कुरुक्षेत्र, फरवरी 2007, ग्रामीण विकास को समर्पित, पृ० 12
2. मैनुअल ऑन आइआरडीपी. एण्ड एलाइड प्रोग्राम्स, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1996, पृ० 8
3. अहसन, कमर, "बिहार एक परिचय" नेशनल पब्लिकेशन, खजानी रोड, पटना, 2011, पृ० 171, बहादुर, राफेश, "बिहार का अर्थव्यवस्था", नेशनल पब्लिकेशन, खजानी रोड, पटना, 2008, पृ० 595
4. सिंह, प० नारायण, "बिहार दिग्दर्शन", राज्य दिग्दर्शिका सीरीज, नई दिल्ली, पृ०— 213

## ग्रामीण समुदाय में जाति एवं वर्ग संघर्ष

डॉ मकरन्द जायसवाल\*

\*एसो० प्रो० (समाजशास्त्र), के०वी०पी०जी० कालेज, मीरजापुर, उ०प्र०

**सारांश :** मनुष्य अपने उत्पत्ति आरभ से आज तक समाज में समानता लाने और विभिन्नता को समाज करने का प्रयास कर रहा है, किन्तु आज तक ऐसे समाज की स्थापना सम्भव नहीं हो सकी, क्योंकि प्रकृति से लेकर सामाजिक संरचना तक विभिन्न प्रकार की विषमताएँ स्वतः जन्म ले लेती हैं, जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके साथ-साथ चलती है। प्राचीन समय से लेकर आज तक समाज के इतिहास में कोई भी ऐसा युग नहीं आया, जिसमें किसी भी समुदाय के सभी व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक स्थितियाँ एक समान हो, आज तो नगरीय या ग्रामीण समुदायों में विभिन्न व्यक्तियों के बीच अनेक आधारों पर विभाजन स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है।

**मुख्य शब्द :** ग्रामीण समुदाय, सामाजिक संरचना, ग्रामीण समाज, निम्न जातियाँ, सामाजिक व्यवस्था, वर्ग संघर्ष आदि।

भारतीय समाज हजारों वर्षों से ऊँच-नीच के ढांचे में जकड़ा रहा है। शायद ही कोई ऐसा ग्रामीण समाज होगा जिसकी सामाजिक संरचना के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में कोई न कोई निम्न वर्ग न हो। भारतीय जनमानस पर जाति व्यवस्था से पनपी ऊँच-नीच की विचारधारा का गहरा प्रभाव है। हालांकि ग्रामीण समाजों में कई निम्न जातियाँ होती हैं, फिर भी उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक स्थिति में बहुत हुद तक समरूपा पाई जाती है। इसलिए उन्हें निम्न वर्ग नाम दिया जाना समयोचित समझा जाता है। हमारे यहाँ समाज में जाति विशेष के सामाजिक रूतबे से व्यक्ति का सामाजिक दर्जा ही तय नहीं होता रहा है, बल्कि व्यक्ति को उपलब्ध होने वाले आर्थिक-भौतिक साधन, शैक्षणिक-अवसर, व्यक्ति कौशल भी उनकी जाति पर निर्भर करते रहे हैं। यहीं वजह है कि तथाकथित उच्च जातियाँ हर तरह से सम्पन्न हैं तथा निम्न जातियाँ दरिद्र। फिलहाल परिस्थितियाँ कुछ बदल रही हैं। अब परिवर्तनशील कृषक संरचना के संदर्भ में निम्नजातियों के व्यवहार बदल रही हैं और वे एक वर्ग के रूप में संगठित होकर पूरे समाज की संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तन की दिशा को अन्वेषित कर रही हैं। यों तो निम्न वर्ग ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था का प्रधान अंग होता है, किन्तु यह भी सत्य है कि उसका उच्च वर्ग भी सामाजिक व्यवस्था के सभी पक्षों से प्रभावी ढंग से सम्बन्धित रहता है और उन्हें प्रभावित करता रहता है। कभी-कभी तो अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए निम्न वर्ग को उच्च वर्ग से संघर्ष करना पड़ता है। सामाजिक दृष्टि से निम्न वर्ग को उक्त स्थिति के कारण समाजशास्त्रियों के लिए उनका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है।

सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन से निम्न वर्ग का जागरूक होना, तत्परश्चात् परम्परागत ग्रामीण समाज व्यवस्था का अस्तव्यस्त होना, ग्रामीण समाज में संघर्ष की शुरूआत कही जायगी। गाँवों में सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप निम्न वर्ग में एक विशेष चेतना आई है। निम्न वर्ग के लोग अपने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक महत्व को समझने लगे हैं। वे उच्च वर्ग के इशारे पर चलना नहीं चाहते। कभी उच्च वर्ग के निर्णय तथा आदेश मान्य होते थे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। इसका मुख्य कारण सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन कहा जायगा। परम्परागत सामाजिक मूल्यों के अनुसार, उच्च वर्ग को ग्रामीण समाज व्यवस्था में विशेषाधिकार हासिल था। आधुनिक समाज में मानवीय आधार पर निम्न वर्ग को विशेषाधिकार दिये जा रहे हैं। चाहे शिक्षा हो या नौकरी, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक प्रत्येक जगह निम्न वर्ग के हित को प्रधानता दी जा रही है। इस प्रकार पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नये मानवीय मूल्यों के प्रतिस्थापित हो जाने से दानों वर्गों के बीच खाई बन गई है। वह खाई दिनोंदिन गहरी होती दिखाई दे रही है। यहाँ यह कहना सही जान पड़ता है कि हमारा ग्रामीण 'वर्ग संघर्ष' मूलतः हित संघर्ष है जो कि सामाजिक परिवर्तन से गतिशील हुआ है।

**अध्ययन क्षेत्र तथा पद्धति :** उक्त संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन में भारतीय ग्रामीण वर्ग संघर्ष के वास्तविक रूप को जानने का प्रयास किया गया है। अध्ययन के लिए ऐसे गांवों का चुना उचित समझा गया जहाँ विगत वर्षों में वर्ग-संघर्ष की घटनाएँ हुई थी, और तनाव की स्थिति बनी हुई थी। तीव्र संघर्ष के गुणों से युक्त मीरजापुर जनपद के बोरी, बरहपुर, रेहानी, बिसौरी, चादेपुर, बलरामपुर, चौबेपुर, घुट्ठा, पड़रछा, भगतौली, तिवारीपुर और भैसा गांवों का अध्ययन करने का निर्णय किया गया। तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार तथा अवलोकन दोनों विधियों का उपयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के सभी गांवों में निम्न वर्ग से सम्बन्धित चमार तथा मुसहर जातियों के 812 तथा उच्च वर्ग के (ब्राह्मण 237, क्षत्रिय 349) 586 परिवार हैं। अतः कुल 812 निम्नवर्गी परिवारों के मुखियों से साक्षात्कार किया गया। चूंकि अध्ययन क्षेत्र के सभी निम्न वर्गी परिवारों को अध्ययन में समिलित कर लिया गया। इसलिए निर्दर्शन की कोई समस्या नहीं उपस्थित हुई। तथ्य संकलन के दौरान विषय के वास्तविक स्वरूप को समझने के उद्देश्य से अवलोकन पद्धति का विशेष आश्रय लिया गया क्योंकि केवल साक्षात्कार अनुसूचि के माध्यम से शोधकर्ता निर्धारित दायरे में सिमट जाता और उत्तरदाताओं से घनिष्ठता नहीं कायम कर पाता। इस प्रकार अध्ययन में प्रयुक्त तथ्यों का मुख्य आधार अवलोकन पद्धति है।

**वर्ग संघर्ष के कारक :** यद्यपि परिवर्तनीशील ग्रामीण समाज में अनेक कारकों ने वर्ग संघर्ष को उभाड़ा है, फिर भी जैसा देखने में आ रहा है कि निम्न तथा उच्च वर्ग का संघर्ष मुख्यतया आर्थिक व सामाजिक कारकों का परिणाम है। आर्थिक कारकों में मजदूरी काम के घट्टे, काम की स्थितियों तथा क्रम की अदायगी एवं बेगारी को लिया गया है। इसी प्रकार सामाजिक कारकों के

अन्तर्गत नार काटने, मृतक पशुओं को हटाने, धूर से खाद निकालने तथा जूठे पतलों को हटाने के कार्य को रखा गया है। हमारे समाज में बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से बड़ी जातियाँ कतराती हैं। उन कार्यों को अपवित्र माना जाता है। उन कार्मों को अचूत कही जाने वाली जातियाँ सम्पन्न करती थीं, लेकिन अब परित्याग कर रही हैं। इसका मुख्य कारण प्रतिष्ठा है। अब निम्न वर्ग के लोग आर्थिक नुकसान उठाकर भी प्रतिश्टा की रक्षा करने का संकल्प ले चुके हैं। उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण से यह जाहिर होता है कि वर्ग संघर्ष को विस्तृत रूप और स्तर देने में जहाँ कोई एक या अधिक कारण तत्कालीन आधार पर प्रधान महत्व के होते हैं वहाँ अनेक दूसरे कारण भी उससे सम्बन्धित होते हैं। खुले संघर्ष में जो कारण सर्वप्रथम उभरकर सामने आते हैं या जिनके कारण संघर्ष का प्रारम्भ होता है उसी को प्रधान माना जाता है। बाकी उन कारणों को गौण समझा जाता है जो संघर्ष के मुद्दे तो हैं, परन्तु वे किसी विशेष संघर्ष का प्रत्यक्ष कारण नहीं होते। इस प्रकार, उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ग संघर्ष के कारणों में आपसी सम्बन्ध होता है।

निम्न वर्ग बनाम उच्च वर्ग—संघर्ष का वास्तविक स्वरूप प्रत्येक गाँव में अलग—अलग परिस्थितियों में संघर्ष हुआ है। किस ग्राम में संघर्ष के लिए कौन से कारक प्रधान और कौन स गौण रूप में उत्तरदायी थे, इसकी जानकारी सारणी 1 से हो जायेगी। सारणी-1 के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आते हैं—

1. निम्न वर्ग की दृष्टि में उनकी एक प्रमुख मजदूरी में वृद्धि से सम्बन्धित है। परम्परागत मजदूरी के दर की पर्याप्तता तथा उसके भुगतान के गलत तरीकों के खिलाफ उनमें तीव्र भावना पैदा हो चुकी है। अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत बलरामपुर, धुट्ठा, पड़रछा तथा भैसा गाँवों में हुए संघर्ष प्रधानतया मजदूरी की समस्या की देन थे।
2. मजदूरी के बाद दूसरी आर्थिक समस्या काम के घट्टों से सम्बन्धित है। निम्नवर्गीय कृषि श्रमिकों से निर्धारित अवधि से ज्यादा समय तक काम लेने तथा उसके बदले में अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान न करने से उनमें असंताष बढ़ रहा है जो प्रत्यक्ष संघर्ष का रूप लेने लगा है। उदाहरणार्थ प्रधानतः तथा अंशतः पड़रछा और भैसा गाँवों में निम्न बनाम उच्च वर्ग के संघर्ष इसी असंतोष के कारण हुए।

### सारणी – 1 संघर्ष के कारक

क्रमांक	ग्राम	मजदूरी	काम के घट्टे	आर्थिक कारक			सामाजिक कारक			
				काम की स्थिति	ऋण की अदायगी	नार काटना	मृतक पशुओं को हटाना	धूर से खाद फेंकना	जूठा पतल परवा हटाना	बच्चों की शिक्षा
1.	बौरी	—	—	—	—	प्रधान	गौण	—	गौण	—
2.	बरहपुर	गौण	—	—	—	—	—	प्रधान	—	गौण
3.	रेहारी	—	—	प्रधान	गौण	—	—	—	—	—
4.	बिसारी	—	प्रधान	—	गौण	—	—	—	—	—
5.	चांदपुर	—	—	गौण	—	—	—	प्रधान	—	गौण
6.	बलरामपुर	प्रधान	—	—	गौण	—	—	—	—	—
7.	चौबेपुर	—	—	—	—	—	—	गौण	प्रधान	—
8.	धुट्ठा	प्रधान	—	—	—	—	—	गौण	—	—
9.	पड़रछा	प्रधान	गौण	—	—	—	—	—	—	—
10.	भगतौली	—	—	—	प्रधान	गौण	—	—	—	गौण
11.	तिवारीपुर	—	—	—	—	—	—	—	गौण	प्रधान
12.	भैसा	प्रधान	गौण	—	—	—	—	—	—	—

3. काम की बुरी स्थितियाँ भी संघर्ष का कारण बनती हैं। रेहारी गाँव की घटना इसका प्रमाण है। वहाँ के एक निम्नवर्गीय कृषि श्रमिक द्वारा गर्मी के लू तथा धूप से तपती दोपहरी में उच्च जातीय रोजगारदाता के इच्छानुसार फसल की मर्जाई न करने के कारण उसकी एक दिन की मजदूरी काट ली गई। विरोध करने पर उसे मारा—पीटा गया और बल—प्रयोग से झूठा प्रोनोट लिखवा लिया गया। निम्न (चमार) तथा उच्चवर्गीय (ब्राह्मण+क्षत्रिय) लोगों के बीच संघर्ष हुआ।
4. ऋण की अदायगी एवं बेगारी भी वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक निम्नवर्गीय कृषि श्रमिकों के लिए धरोहर के रूप में ऋणग्रस्तता तथा बेगारी छोड़ जाते हैं। हमने देखा है कि भगतौली बलरामपुर व बिसारी गाँव के तीन निम्नवर्गीय कृषि श्रमिक ऋण अदायगी के बावजूद उच्चवर्गीय जर्मीदारों के चंगुल में फंसे रहे। अन्ततः वहाँ के सभी निम्नवर्गीय (मुसहर+चमार) श्रमिकों को इस आर्थिक समस्या से छुटकारा के लिए कानून तथा संघर्ष का सहारा लेना पड़ा। बेगार—प्रथा के कायम रहने से निम्न वर्ग के लोग वर्ग व्यवस्था के प्रति विद्रोही बन जाते हैं।
5. अचूत मजदूरों द्वारा धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से अपवित्र माने जाने वाले कार्यों के परित्याग करने की प्रवृत्ति भी वर्ग संघर्ष की स्थिति को जन्म देती है। हमारे अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित बीरी तथा भगतौली गाँवों में नार काटने, चाँदपुर, बौरी व धुट्ठा में मृतक पशुओं को हटाने, बरहपुर, चौबेपुर एवं तिवारीपुर में धूर से खाद फेंकने तथा चौबेपुर व बीरी में जूठा पतल—पुरवा हटाने की घटनाओं को लेकर निम्नवर्गीय (चमार+मुसहर) लोगों ने उच्च वर्ग (ब्राह्मण+क्षत्रिय) के जुल्म को सहा और संघर्ष किया लेकिन समाज द्वारा अपवित्र समझे जाने वाले कार्यों को पुनः नहीं किया।

6. बच्चों की शिक्षा को लेकर भी निम्न वर्गों को उच्च वर्ग से संघर्ष करना पड़ रहा है। भारतीय समाज में परम्परा से निम्न जातीय लोगों को शिक्षा से बचाया गया। आन्द्रे बेतेइ ने अपने श्रीपुरम् के अध्ययन में भी यह इंगित किया है कि ब्रिटिश शासन से पहले शिक्षा पर और विशेषकर संस्कृत शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था। कुछ बहादुर और व्यवसायी जातियाँ शिक्षा हासिल करती थीं लेकिन वह मुख्यतया उद्यम तथा युद्ध से सम्बन्धित होती थीं। उस समय मध्यम तथा निम्न जातियों के लिए शिक्षा के बिल्कुल अवसर नहीं थे। सर्वर्णों की यह धारणा थी कि एक अनपढ़ चमार ही उपयुक्त चमार है। हमने पाया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में यह धारणा आज भी मौजूद है। अध्ययन क्षेत्र में बरहपुर, चाँदपुर व भगतौली गाँवों के सर्वर्ण अध्यापकों ने इसी मानसिकता के चलते निम्न जातीय बच्चों को तंग किया। फलस्वरूप निम्नवर्गीय चमारों ने संघर्ष का रास्ता अपनाया।

**निष्कर्ष :** तथ्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि ग्रामीण वर्ग संघर्ष परम्परागत, सामाजिक, आर्थिक, विषमता पर आधारित मूल्यों की देन हैं। परिवर्तनशील समाज में उच्च वर्ग उसे त्यागना नहीं चाहता और निम्न वर्ग उसे हितकर नहीं समझता। इससे ग्रामीण समाज में सामाजिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है और वर्ग संघर्ष की समस्या को जन्म देती है। तथ्यों से यह संकेत मिलता है कि निम्न वर्गों की संघर्षात्मक सहभागिता स्वयं पैदा नहीं हुई है बल्कि उसका विकास सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में विषमता के बढ़ने से हुआ है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इसमें गति लाने में वामपंथी राजनीतिक दलों तथा नक्सली आन्दोलनों ने सहयोग किया है। सुधारवादी शिक्षा, कानूनी व्यवस्था तथा आरक्षण की नीतियों ने भी परोक्ष रूप से इसको बल दिया है।

हम देखते हैं कि ग्रामीण वर्ग संघर्ष से परम्परागत आपसी सदभाव एवं एकता का लोप हो रहा है। अध्ययन क्षेत्र में पहले ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जातियों के सम्मान की अनेक पहचानें थीं। त्यौहारों का सामूहिक रूप से मनाया जाता था परन्तु आज ऐसी बात नहीं है। इसके लिए सुझाव के तौर पर यह कहना समायोजित होगा कि उच्चवर्गीय लोग अब अपनी पूर्वाग्रही मानसिकता तथा अहम भावना को त्याग कर निम्न वर्ग को उचित मानवीय महत्व दें। इससे दोनों वर्गों का लाभ होगा तथा सामाजिक एकता को बल मिलेगा। समाज सुधारक भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञों तथा राजनीतिक दलों द्वारा भ्रमित किये गये ग्रामीणों के मनःस्थिति को बदलने में उनका विशेष योगदान हो सकता है।

#### सन्दर्भ :

1. इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइन्सेस, खण्ड 3-4, पृष्ठ 538।
2. डाहरेनडार्फ, आर०, क्लास एण्ड क्लास कनफिलक्ट इन इण्डस्ट्रियल सोसाइटीज, स्टेनफोर्ड, 1959।
3. बाटोमोर, टी०बी०, सोशियोलॉजी ऐज सोशल क्रिटिसिज्म, एस० चन्द एण्ड क० लि�०, नई दिल्ली, 1979।
4. मिल्स, सी० राइट, हाइट कालर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 1951।
5. प्रसाद, नर्मदेश्वर, मानव व्यवहार तथा सामाजिक व्यवस्था, विहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना 1973।
6. घोष, श्याम सुन्दर, भारतीय मध्यवर्ग, विहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 1972, पृष्ठ 95।

## सतत् विकास : एक बेहतर भविष्य का आधार

### डॉ० बिनायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह\*

\*एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र, सेण्ट ऐण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

**सारांश :** सतत् विकास एक प्रकार से समाज, पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था का संतुलित एकीकरण है। सतत् विकास इस तरह से होता है कि यह व्यापक संभावित क्षेत्रों, देशों और यहां तक कि आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचाया है। दूसरे शब्दों में कहा जाये, तो हमें निर्णय करते समय समाज, पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था पर उसके सम्भावित प्रभावों का विचार कर लेना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे निर्णय एवं कार्य दूसरों को प्रभावित करते हैं तथा हमारे कार्यों का भविष्य पर भी प्रभाव पड़ता है। आर्थिक और औद्योगिक विकास इस तरह से होना चाहिए जिससे पर्यावरण को कोई भी ऐसी क्षति न हो जिसकी भरपाई न की जा सके। संक्षेप में "सतत् विकास ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किये बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है।"

**मुख्य शब्द :** पर्यावरण संरक्षण, परिस्थितिकी तंत्र, सतत् विकास लक्ष्य, नवीनीकरण संसाधन, जनसंख्या विस्फोट आदि।

सतत् विकास से आशय उस विकास से है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृति संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो। हम यदि ऐसा नहीं करेंगे, तो भावी पीढ़ीयों प्राकृतिक संसाधनों से वंचित हो जायेंगी। यह सच है कि विकास अन्यकालिक आर्थिक लाभों के बजाय दीर्घकालिक निर्वहनीय संवृद्धि के लिए इस तरह होना चाहिए कि भावी पीढ़ियों के लिए जीवन की गुणवत्ता बनी रहे। भारतीयों के लिए पर्यावरण संरक्षण जो सतत् विकास का अभिन्न अंग है, कोई नई अवधारणा नहीं है। भारत में प्रकृति और वन्यजीवों का संरक्षण अगाध आस्था की बात है जो हमारे दैनिक जीवन में प्रतिविम्बित होता है और पौराणिक गाथाओं, लोककथाओं, धर्मों कलाओं और संस्कृति में वर्णित है।

वर्तमान समय में आर्थिक विकास की जिन नीतियों को हमने अपना रखा है तथा जिन पर आगे बढ़ते हुए हम प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन कर रहे हैं उससे भावी पीढ़ियों का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। इसलिए सतत् विकास को महत्व दिया जा रहा है। ताकि प्राकृतिक संसाधनों का समतामूलक उपयोग सुनिश्चित हो और भावी पीढ़ियों का भविष्य सुखद व सुरक्षित रहे। सतत् विकास ही वह माध्यम है जिसके जरिये हम प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए सहेज कर रख सकते हैं।

**ट्रांस्फार्मिंग आवर वर्ल्ड :** द 2030 एजेंडा फार स्टेनेबल डेवलपमेंट के संकल्प को जिसे सतत् विकास लक्ष्यों के नाम से भी जाना जाता है, भारत सहित 193 देशों ने सितम्बर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में स्वीकार किया गया था और इसे एक जनवरी, 2016 को लागू किया गया। सतत् विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सबके लिए समान, न्यायसंगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना और विकास के तीनों पहलों, अर्थात् सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के बाद, जो 2000 से 2015 तक के लिए निर्धारित किए गए थे, विकसित इन नए लक्ष्यों का उद्देश्य विकास के अधूरे कार्य को पूरा करना और ऐसे विश्व की संकल्पना को मूर्त रूप देना है, जिसमें चुनौतियाँ कम और आशाएँ अधिक हैं।

भारत लम्बे अवधि से सतत् विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और इसके मूलभूत सिद्धांतों को अपनी विभिन्न विकास नीतियों में शामिल करता आ रहा है। हाल के विश्वव्यापी आर्थिक संकट के बावजूद विकास की अच्छी दर बनाए रखने में हम सफल रहे हैं। प० दीन दयाल उपाध्याय ने सबसे निर्धन वर्ग के कल्याण को प्रमुखता दी। इसलिए 2030 के हमारे सतत् विकास एजेंडे में निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य न केवल हमारा नैतिक दौर्योग्य है, बल्कि शांतिपूर्ण, न्यायप्रिय और चिरस्थायी विश्व को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी भी है। भारत के विकास सम्बन्धी अनेक लक्ष्यों को सतत् विकास लक्ष्यों में शामिल किया गया है। हमारी सरकार द्वारा कार्यान्वयित किए जा रहे अनेक कार्यक्रम सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं जिनमें मेक इण्डिया, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी-बच्चाओं, बेटी-पढ़ाओं, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डिजिटल इण्डिया, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, स्किल इण्डिया और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शामिल हैं। इसके अलावा अधिक बजट आवंटनों से बुनियादी सुविधाओं के विकास और गरीबी समाप्त करने से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सतत् विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय संसद विभिन्न हित धारकों के साथ गहन विचार विमर्श कर रही है। अध्यक्षीय शोध कदम (अशोक), जो हाल ही में स्थापित किया गया एक मंच है जो सतत् विकास लक्ष्यों से सम्बन्धित मुद्दों पर हमारे सांसदों द्वारा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श को सुविधाजनक बनाता है। इसके अलावा नीति आयोग ने अन्य संगठनों के सहयोग से विशेष सतत् विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर परामर्श श्रृंखलाएं आयोजित की हैं। ताकि विशेषज्ञों, विद्वानों, संस्थाओं, सिविल सोसाइटीयों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और केन्द्रीय मंत्रालयों सहित राज्यों और अन्य हित धारकों के साथ गहन विचार विमर्श किया जा सके।

सतत् विकास कोई मुश्किल काम नहीं है वशर्त इसके लिए हम स्वयं को प्रकृति का हिस्सा माने और परिस्थितीय दृष्टिकोण को अपनाएँ। कृच्छा-मोटे उपाय करके हम सतत् विकास को प्रोत्साहित कर भावी पीढ़ी के भविष्य को सुखद व सुरक्षित तो रख ही सकते हैं साथ ही वर्तमान पीढ़ी को भी अनेक दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं।

इन उपायों को हम यहां बिन्दुवार प्रस्तुत कर रहे हैं:-

1. विकास के लिए उस प्रोग्रामीकी को विकसित किया जाए, जो कि ऊर्जा दक्ष, कम जोखिम वाली, मानवीय और पर्यावरण के अनुकूल हो।
2. जनसंख्या विस्फोट और शहरीकरण की प्रकृति पर अंकुश लगाया जाए।
3. पर्यावरण संरक्षण के लिए कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग में सावधानी बरती जाए तथा उनका अनियंत्रित प्रयोग न किया जाए।
4. ऊर्जा संरक्षण के लिए जहां सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग को सुनिश्चित किया जाए वहीं कचरे अपशिष्टों व अनुपयोगी चीजों का पुनर्नयन करके और इन्हें दोबारा इस्तेमाल में लाकर प्राकृतिक संसाधनों की बचत की जाए। यह बचत भावी पीढ़ियों के काम आयेगी।
5. सतत विकास के लिए जनसंख्या परिमाण और परिस्थितिकी तंत्र की उत्पादक क्षमता के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए।
6. परिस्थितिकी संतुलन में वनों की भूमिका सार्वाधिक महत्वपूर्ण है, अतएव वनों को नष्ट होने से बचाया जाए।
7. विकसित देशों से विकासशील देशों को तकनीक हस्तांतरण के समय उनके पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को रोकने की पूरी व्यवस्था की जाए।
8. पर्यावरणीय क्षति रोकने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कानून बनाए जाएं और इनका कार्यान्वयन पूरी पारदर्शिता और सख्ती के साथ किया जाए।
9. सतत विकास के लिए शिक्षा और जागरूकता भी आवश्यक है, ताकि लोग पर्यावरण और प्रकृति के महत्व को समझकर उसके अनुरूप आचरण करें। हमें पर्यावरणीय शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करना होगा। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि सतत विकास पर प्रभावी जनसत का निर्माण पर्यावरणविदों, प्रकृति प्रेमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाए।
10. सतत विकास के लिए हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को अक्षुण्ण रखना होगा, यह तभी सम्भव है, जब प्रकृति के प्रति हमारा रवैया दोस्ताना हो। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम प्रकृति से जितना ले उससे कहीं ज्यादा उसे लौटाएं भी। विडम्बना यह रही कि पर्यावरण के प्रति हमारा समकालीन व्यवहार नित्रवत नहीं रहा, जिसके दुखद परिणाम सामने आने शुरू हुए।
11. सतत विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि जल्द से जल्द प्रदूषण जनित अकुशलताओं को दूर किया जाए। उक्त उपायों को अमलीजामा पहना कर हम सतत विकास यानी उस विकास की अवधारणा को साकार कर सकते हैं, जिसमें भावी पीढ़ियों की जरूरतों को कोई क्षति न पहुँचें और हम एक बेहतर भविष्य (स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ्य और शांतिपूर्ण गरिमामय जीवन) का आधार रख सकें। स्मरण रहे सतत विकास ही वह विकास है, जो पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए सामाजिक तथा आर्थिक विकास में संतुलन कायम रख सकता है। यह विकास की वह विद्या है जो कि मानव और पर्यावरण की आपसी निर्भरता को संतुष्ट करती है। इसी में हमारी भावी पीढ़ियों के हित संरक्षित है।

#### सन्दर्भ :

1. कार्टर नील, (2003), द पॉलिटिक्स ऑफ इनवायरमेंट, कॉब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस
2. तिवारी, डॉ दीनानाथ, (2019), पर्यावरण सतत विकास एवं जीवन, प्रभात पब्लिकेशन, नई दिल्ली
3. सिंह, निशांत, (2006), सामाजिक न्याय और सतत विकास, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली
4. वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, (1987), आवर कॉमन पर्यूचर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

## कविता का सामाजिक सरोकार

### डॉ अरविन्द सिंह\*

\*एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश

**सारांश :** समाज और साहित्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है। समाज के लिए श्रेष्ठ और उत्कृष्ट साहित्य का होना अत्यावश्यक है। श्रेष्ठ कवि अनुभव तथा अभियक्ति में अन्तर के बावजूद एक स्तर पर एक दूसरे का संसर्पण करने लगते हैं। इसके बिना साहित्य का तो अरित्तत्व ही सम्भव नहीं है। सभ्य समाज के बिना व्यापक अर्थों में यदि साहित्य का अर्थ लिया जाये तो सम्पूर्ण संसार में उपलब्ध शास्त्र विज्ञान, राजनीति, पत्र-पत्रिकायें आदि साहित्य के अन्तर्गत समाहित होते नजर आते हैं। यदि साहित्य की निर्माण प्रक्रिया पर भी ध्यान दें तो हमें सरलता से ज्ञात होगा कि साहित्य जगत का स्फटा लेखक अथवा कवि होता है। इस दृष्टि से यह अध्ययन विषय के लिये महत्वपूर्ण ज्ञान एवं समाज के लिए सामाजिक सरोकार रखता है।

**मुख्य शब्द :** मान्यताओं, विश्वासों, परम्पराओं, सामाजिक द्वंद्व, परम्परा, संस्कृति और सभ्यता आदि।

कविता कवि और समाज की आभ्यातरिक प्रतिध्वनि होती है। कवि और समाज पर क्या बीता यानी व्यष्टि से लेकर समर्पित सारी अनुभूतियों भावों, विचारों का ताना-बाना ही कविता है।<sup>1</sup> कविता का संबंध सीधे समाज से जुड़ता है। समाज में हम बनते हैं, विगड़ते हैं और अपनी मानवीय संवेदनाओं का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हैं।

कविता का एक सामाजिक संदर्भ भी होता है। आज की परिवर्तन आ रहा है और उस परिवर्तन के रास्ते विकास के नये मार्ग खुल रहे हैं, उन मार्गों में आने वाली रुकावटों को जो जीवन की वास्तविकता से जोड़ती है लेकिन समाज में वह भार की भाँति लदी हुई है। ऐसी मान्यताओं, ऐसे विश्वासों, ऐसी परम्पराओं, ऐसी नीतियों, रीतियों, रुद्धिगत विचारों, जीवन के विविध संघर्षों को रचनाकार यथार्थ के रूप में प्रस्तुत करता है। कवि अपने युग का प्रतिनिधित्व करता है। कवि मानवता का वह चेतन तंत्र है जिस पर प्रत्येक भावना अपनी तरंग उत्पन्न करती है। समाज एक ऐसी इकाई है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या वर्ग की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं, उस पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक धर्म व उसकी परम्पराओं का समान रूप से अधिकार होता है। कविता सामाजिक विष्य है, तो रचनाकार विष्यकार होता है, जो समाज की अनेक प्रकार की अच्छाइयों एवं बुराइयों को उस विष्य में प्रदर्शित करता है। इससे अलग कविता की परिकल्पना भी समव नहीं। जन जीवन से जुड़ी कविता समाज को झकझोरती है और अपना मुकाम तलाश लेती है। कवि धूमिल कहते हैं—

कविता व्यक्तित्व बनाने की/ चरित्र चमकाने की/ खाने-कमाने की/ कोई चीज है/ ना भाई ना/ कविता भाषा  
में/ आदमी होने की तमीज है। —(धूमिल)

कविता सामाजिक द्वंद्व के साथ ही साथ जनसामान्य की समस्याओं एवं विषय होता है। उसकी काव्य भूमि इतनीविषम दिखाई पड़ती है कि भूमि में समतल की अभ्यस्त आँखें अक्सर धोखा खा जाती हैं। कविता देखने में अत्यन्त कोमल एवं सरस प्रतीत होती है, लेकिन समूचे समाज में असरकारक होती है। कवि सामान्य जीवन की छोटी से छोटी वस्तु पर भी कविता करता है। विद्वानों ने कवि एवं रचनाकारोंके बारे में कुछ ऐसा ही विचार व्यक्त किया है—“साधारण मानव विचारशील एवं संवेदनशील होता है। किन्तु वह अपनी अनुभूति को छंदोबद्ध करके संवेद्य नहीं बना सकता जैसा कि कवि काव्यसर्जन के द्वारा कर सकता है। इसका कारण यही है कि प्रत्येक व्यक्ति में काव्य रचना के हेतुओं का उतना विकास नहीं हो पाता जितना कवि कर्म के लिए अपेक्षित है जो कवि काव्य रचना के हेतु कहे जाने वाले साधनों में जितना अधिक सम्पन्न होता है। उसकी कविता उतनी ही अधिक समर्थ होती है।”<sup>2</sup> कविता में भाषा और अर्थ का आपसी संबंध सामाजिक जीवन की आधार शिला पर टिका होता है। भाषा और मनोभाव की जिस पवित्र आत्मीयता से कविता रची जाती है, वे संबंध सूत्र जीवन से लगातार टूट रहे हैं। अदम साहब के शब्दों में—

तुम्हारे फाइलों में,/ गाँव का मौसम गुलाबी है।/ मगर ये आँकड़े झूठे हैं,/ ये दावा किताबी है।/ अमीरी और गरीबी में,/ मरी है होड़ सी देखो/ मगर जुम्मन के घर में,/ आज भी फूटी रकाबी है।—(अदम गोडवी)

**वस्तुतः** कविता व्यवस्था के प्रतिरोध में खड़ी होती है। सामाजिक जीवन की विसंगतियाँव्यक्ति के साथ जुड़ी होती हैं, जो बड़ी मार्मिक एवं वेदनापूर्ण होती है। व्यक्ति या प्राणी अपने जीवन की विविध प्रकार के कार्यों को करते हुये अन्तोगत्वा मृत्यु की ओर अग्रसर है, यह तो सारी दुनियाँ का सार्वपौर्मिक सत्य और जगत का शाश्वत नियम है। कवि दुःखान्त एवं मार्मिक शैली के माध्यम से सामाजिक जीवन के क्रिया कलापों को लेकर अंत में मार्मिक वातावरण को रखता है, जिससे समाज एवं पाठक भावक हो सके। सामाजिक दुःखान्त से आधारमूल काव्यवस्तु के चयन में ऐसी विशेषता अनिवार्य है जिससे पाठकों की सहानुभूति को अर्जित कर सके। सम्पूर्ण तथ्यों, सामाजिक मान्यताओं, बुराइयों, वर्ग संघर्षों आदि सभी समस्याओं को लेकर समाज का नवीनतम चित्र उतारना तथा उसे सामाजिक यथार्थ की कसौटी पर रखना और पाठकों को प्रभावित करता है तथा उनकी सहानुभूति बटोरता है। ऐसे पात्रों का चयन एवं उनका वातावरण, दुःखान्त इस कारण नहीं अपने उस गुण के कारण है, जो मानवता में हमारे विश्वास को दृढ़ करें या उसकी रक्षा के लिए संघर्ष की प्रेरणा दे। समाज से अलग कविता की परिकल्पना नहीं की जा सकती और जीवन से अलग होने पर कविता शब्दों का आड़म्बर मात्र रह जाती है।

क्या आजादी तीन  
थके हुए रंगों का नाम है।  
जिन्हें एक पहिया ढोता है,  
या इसका कोई खास मतलब होता है।

वस्तुतः रचनाकार अनुभव समग्रता में जीवन और जगत के धरातल पर इस परम् अनुभव को अभिव्यक्त करता है। अपने विराट अखण्डित अनुभूत सत्य को समाज तक सम्प्रेषित करने की प्रक्रिया में उसे भाषण की पारम्परित अर्थवत्ता एवं साधारणीकरण की प्रतीकात्मकता का सहारा लेना पड़ता है। प्रचलित अवधारणाओं, संस्कारों तथा मान्यताओं का बहुत सूक्ष्म प्रभाव उसके मानस पर रहता है। अभिव्यक्ति के स्तर पर सामाजिकों की कोटियां भी उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होती। इसलिये सर्जन धर्मा कवि इन कोटियों तथा स्तरों से गुजर कर अनुभव की समग्रता को रूपायित करता है। अनुभव के धरातल पर अपने बोध की क्षमता तथा अपनी मानसिक तथा भौतिक अवधारणाओं के प्रति जागरूक रहकर रचनात्मक प्रेरणा के स्रोत के पूर्ण अनुभव क्षेत्र में वह प्रवृत्त होता है। जिससे उसकी रचनात्मक विश्वजनिता तथा सार्थकता स्वतः सिद्ध होती है। कवि हृदय की संवेदनों के अधिष्ठान का परिचय प्राप्त करने के लिये दार्शनिक की ही भाँति सतत प्रयत्नशील है। इस तथ्य के अनुसार दार्शनिक और कवि दोनों एक ही मार्ग के यात्री हैं और दोनों का गन्तव्य तथा अभीष्ट आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। कवि भवानी प्रसाद मिश्र का कहना है कि काव्य की रचना क्रिया में शब्द चयन की सहजता और सार्थकता काव्य शास्त्रीय नियमों की मुहताज नहीं। वह तो कवि की अटपटी वाणी में भी गरिमा पा लेती है—

शब्द टप—टप टपकते हैं फूल से  
सही हो जाते हैं मेरी भूल से

या  
चतुर मुझे कुछ भी,  
कभी नहीं भाया  
न आदमी  
न औरत  
न कविता  
सामान्य को ही सदा

असामान्य मानकर छाती से लगाया। —(भवानी प्रसाद मिश्र)

कवि अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता है। भावनायें उसकी लेखनी के माध्यम से काव्य में समाज के रंग— मंच पर आ जाती हैं। कविता, नाटक, कहानी आदि के रूपमें समाज उन्हें सुनता है, देखता है, गुनता है तथा उससे प्रभावित भी होता है। साहित्य निर्माण की उक्त प्रक्रिया पर ध्यान देने पर हमें यह ज्ञात हो जाता है कि समाज कवि तथा लेखक के माध्यम से अपने आप को साहित्य में प्रतिफलित करता है। 'कवि तब उत्पन्न होते हैं जब समाज प्रगति पर होता है।' कलाकार उस समय भी आते हैं जब समाज के पाँव बंध जाते हैं और 6वीं सदी के बाद भारत के पाँव बंध गये और नयी—नयी भूमियों की ओर बढ़ने की उसमें प्रेरणा नहीं रही। तब से लेकर 16वीं सदी तक विद्या के सभी अंगों को छोड़कर इस देश के पंडित मुख्यतः या तो काव्यशास्त्र की रचना करते रहे अथवा मनुष्य को बाँधने के लिए ऐसे धर्मशास्त्र बनाते रहे जिनके कारण आगे चलकर भारतीय समाज बिलकुल भीरु हो गया।<sup>1,3</sup> साहित्य समाज की विकास प्रक्रिया से तटस्थ नहीं रह सकता। मनुष्य का सामाजिक अस्तित्व ही उसकी चेतना का निर्माण करता है। किसी भी समाज के मनुष्य की सौन्दर्यात्मक प्रवृत्ति उसके समूचे ऐतिहासिक विकास का परिणाम होती है और साहित्य का इतिहास समाज के इतिहास से अलग न होकर उसका अंग होता है। साहित्य के स्थायी मूल्यों को मनुष्य ने अपने सुदीर्घ विकासक्रम और जीवन संघर्ष के बीच पाया है।<sup>4</sup> सामाजिक जीवन में कविता मनुष्य को ऊर्जावान बनाती है। कवि उन्हीं सामाजिक मूल्यों को अपनी अन्तर—चेतना में ढाल कर उसे स्वरूप प्रदान करता है। जीवन की आपाधापी, उठा पटक, लूट खसोट की यह पीड़ा उसकी अपनी सामाजिक दशा से उपजी है। मनुष्य होने के कारण जो सहज मनोभाव है, उसे छोड़ कर हम कदापि मानव नहीं हो सकते। कवि 'दिनकर' के शब्दों में—

रोटी दो मत गीत उन्हें दो,  
जिनको भूख लगी है।  
मूखों में दर्शन उछालना  
छल है दगा ठगी है।  
रोटी और वसन जीवन के  
ये सोपान प्रथम है।  
नवयुग के चिन्तकों तुम्हे  
इसमें भी कोई ग्रम है।—(दिनकर)

कवि उस वर्ग के जीवन के द्वंद्व का चित्रण करता है जो रोज कमा और खा रहा है। उसे आराम करने तक के लिए वक्त नहीं निकलता। इस वर्ग ने कोमलता को नहीं देखा, यह तो केवल कठोरता ही देखता चला आया। इसने कभी अपना जीवन अपनी स्वतंत्रता के साथ नहीं बिता पाया। स्वतंत्रता से तात्पर्य है, स्वेच्छा से। उसे सामाजिक जीवन की समस्याओं ने इतना अधिक घेर रखा है कि पूँजीपति वर्ग उसे सहूलियत नहीं दे पाता, उसका शोषण करता है, इस द्वंद्व के चलते वह अपने कार्य में

धुटन महसूस करता है, जहाँ उसको अधिक परिश्रम पूर्ण जीवन का निर्वाह करना पड़ता है। योग्य रचनाकार अपने साहित्य में समाज के विभिन्न तथ्यों को उद्घाटित करता है तथा समाज को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों आदि से लड़ने के लिए जागृति प्रदान करता है। कवि की रचना में किसान, मजदूर, निम्न वर्ग के लोग, शोषित व पीड़ित महिलाओं आदिकों व्यापक सहानुभूति मिलती है। उसकी रचनासमाज की विसंगतियों के प्रति विद्रोह के रूप में उभरकर स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। कविजहाँ भी अन्याय और अत्याचार देखते हैं वहीं अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी वाणी को अभिव्यक्त करते हैं। प्रगतिशील रचना की मान्य प्रवृत्तियाँ रचनाओं में सबसे मुख्य हैं। रचना और जीवन के सम्बन्धों की नये सिरे से हुई पड़ताल में जो प्रश्न सबसे प्रमुख बनकर सामने आये हैं उनके जवाब खोजने के क्रम में साहित्य एक अद्भुत उदाहरण बन गया है। साहित्य और जीवन के रिश्तों से लगाकर सम्भेषणीयता के सवालों का वैसा सटीक जवाब अन्यत्र दुलभ है। इसी क्रम में नए रचनाकारों के लिए हमारे युग के बड़े से बड़े साहित्यकार और उनका साहित्य नवी रचनाशीलता का प्रेरणा स्रोत है। उनके साहित्य में सामान्य जन की भावनओं को बड़ी सहृदयता से रखा गया है। 'काव्य की गति कल कल निनादिनी पृष्ठ सलिला – भासीरथी की अबाध धारा के सदृश है जो सभी विज्ञ सहृदय जनों को नित्य नूतन परिवेश धारण कर आलहादित करती है। इसीलिए उसकी गति, विधि, उद्गम और स्रोत आदि से अभिन्न होने के लिए सूक्ष्म पर्यवेक्षण तथा प्रबुद्ध चिन्तन की नितान्त आवश्यकता होती है'<sup>6</sup> कवि या रचनाकारका मुख्य उद्देश्य समाज की स्थिति का यथार्थ चित्रण करना है, न कि समाज का फोटो उतारना। वह समाज के उन अन्तर्विरोधी एवं विषमतापूर्ण परिस्थितियों का चित्रण करता है जो तत्कालीन सामाजिक विसंगतियों पर प्रकाश डाल सके।

समाज और साहित्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है। समाज के लिए श्रेष्ठ और उत्कृष्ट साहित्य का होना अत्यावश्यक है। श्रेष्ठ कवि अनुभव तथा अभिव्यक्ति में अन्तर के बावजूद एक स्तर पर एक दूसरे का संस्पर्श करने लगते हैं। इसके बिना साहित्य का तो अस्तित्व ही सम्भव नहीं है। सभ्य समाज के बिना व्यापक अर्थों में यदि साहित्य का अर्थ लिया जाये तो सम्पूर्ण संसार में उपलब्ध शास्त्र विज्ञान, राजनीति, पत्र-पत्रिकायें आदि साहित्य के अन्तर्गत समाहित होते नजर आते हैं। यदि साहित्य की निर्माण प्रक्रिया पर भी ध्यान दें तो हमें सरलता से ज्ञात होगा कि साहित्य जगत का स्तष्टा लेखक अथवा कवि होता है। रचनाकार जैसा चाहता है, वैसा ही निर्माण करता है। वह अपनी इच्छा को फलीभूत करता है—

“अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति ।  
यथास्मै रोचते विश्वतथेदं परिवलपति ॥”<sup>7</sup>

अर्थात् 'कवि ही इस अपार काव्य रूपी संसार का प्रजापति है। उसे जैसा अच्छा लगता है वह वैसी ही कल्पना कर लेता है।' 'कवि या लेखक अपने समाज का अंग होता है। वह इसमें उत्पन्नहोता है। इसी में बढ़ता है, इसी में उसकी शिक्षा-दीक्षा होती है। समाज की वह रीढ़होता है। परम्परायें संस्कृति और सभ्यता उसके रग-रग में व्याप्त होती है। अपने समाज में उठता बैठता है और चलता-फिरता है। परम्पराएँ, संस्कृति, सभ्यता पर अपना नियन्त्रण रखता है। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद भी भारतवासियों को अपने देश पर अधिकार करने का हक तो कभी मिला ही नहीं। समाज में बड़े व्यक्तियों के द्वारा निम्न वर्ग के व्यक्तियों के प्रति मन में गुलामी, परनिर्भरता, अस्थिर चरित्र का रोपण किया जाता रहा है। जिसका परिणाम अत्यन्त धातककारी सिद्ध हुआ। इसीलिये समाज के व्यक्तियों की विचारधारा पूर्णतः भारतीय न हो सकता। समाज की विषमता ने ही निम्न वर्गीय लोगों के मस्तिष्क पर ऐसी अमिट छाप छोड़ दी जिसका निवारण किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। सताई जा रही अबला, दलित, लाचार, सियासत में भरे पाखंड, भ्रष्टाचार, हड्डों के पार गुरवत और अमीरीही कवि की लेखनी के लिये आधार काफी है। कविता जीवन और समाज की वास्तविक स्थितियों के बीच अपना आकार बनाती है। कवि जीवन के हर कोने से अपनी विषयवस्तु ग्रहण करता है। सत्ता और राजनीति के खेल से जनता को आगाह करता है। अतः कविता सामाजिक जीवन की जटिल वास्तविकताओं की ओर संकेत करती है—

कविता व्या है/ कोई पहनावा है/ कुर्ता पैजामा है/ ना भाई ना/ कविता शब्दों की अदालत में/ कठघरे में खड़े  
एक बेगुनाह आदमी का हलफनामा है॥ (धूमिल)

#### सन्दर्भ :

- वर्मा, डॉ प्रेम प्रकाश, (1999), सीमित दायरे, आनंद निकुञ्ज प्रकाशन, बर्रा, कानपुर, भूमिका
- शर्मा, डॉ कृष्ण देव, (1952), भारतीय काव्यशास्त्र, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, पृ० 145
- दिनकर, (2010), काव्य की भूमिका, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, पृ० 3
- वर्मा, धनञ्जय, (2019), निराला—काव्य पुनर्मूल्यांकन, पहले पहल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, भौपाल, मध्य प्रदेश, पृ० 24
- शर्मा, डॉ कृष्णदेव, भारतीय काव्यशास्त्र, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, भूमिका(1952)
- शर्मा, डॉ कृष्णदेव, (2016), समीक्षा सिद्धान्त, पृ० 262
- धूमिल, (1977), कल सुनना मुझे, युगबोध प्रकाशन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
- धूमिल, (2009), संसद से सङ्केत तक, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली

## कौटिल्य एवं सुशासन : एक अध्ययन

सुधीर कुमार यादव\*

\*शोध छात्र, राजनीति विज्ञान, गणपत सहाय पी0जी0 कॉलेज, सुलतानपुर

**सारांश :** यह अध्ययन कौटिल्य एवं सुशासन : एक अध्ययन को रेखांकित करता है। कौटिल्य ने ही सर्वप्रथम राजनीतिशास्त्र को व्यवस्थित और धर्म से स्वतन्त्र कर उसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया। उनके सुशासन सम्बन्धी मानदण्ड आज भी कमोबेश रूप में उतने ही प्रासांगिक हैं। यह शोध पत्र विवरणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है। जो पूर्व के अध्ययनों से अलग है तथा अध्ययन विषय एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं।

**मुख्य शब्द :** भारतीय ज्ञान, परम्परा, सुशासन, राजनीतिक चिन्तन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि।

भारतीय ज्ञान की गौरवशाली परम्परा में कौटिल्य का स्थान अद्वितीय है और उन्हें कूटनीति तथा शासन कला का महान प्रतिपादक माना जाता है। कौटिल्य को सुशासन पर विस्तृत रूप से विचार करने वाला पहला विचारक होने का गौरव प्राप्त है। प्राचीन भारतीय विचारक कौटिल्य का नाम 'अर्थशास्त्र' के प्रणेता' के रूप में प्रसिद्ध है। विशाखदत्त ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'मुद्राराज्ञस' में चाणक्य को 'कौटिल्य' तथा 'विश्वगुप्त' नामों से भी पुकारा है जिससे यह संकेत मिलता है कि ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम थे। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि राजनीति पर जो महान ग्रन्थ 'कौटिल्य' के अर्थशास्त्र' के नाम से प्रसिद्ध है, उसके रचयिता सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधानमन्त्री एवं विद्यात राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ही थे।

कौटिल्य ने अपने प्रतिष्ठित ग्रन्थ 'अर्थशास्त्र' के माध्यम से राजनीतिशास्त्र को जो व्यवस्थित और विकसित रूप प्रदान किया है, उस कारण उन्हें प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्रियों में सर्वोच्च एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कौटिल्य ने ही सर्वप्रथम राजनीतिशास्त्र को व्यवस्थित और धर्म से स्वतन्त्र कर उसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया। कौटिल्य ने राज्य में सुशासन स्थापित करने हेतु विभिन्न मानदण्डों को प्रस्तुत किया है, जिनमें से महत्वपूर्ण मानदण्डों का निम्नवत् अवलोकन किया जा सकता है—कौटिल्य ने राज्य के सात अंग माने हैं, जिनको वह प्रकृति की संज्ञा देते हैं। राज्य के सात अंगों के कारण ही राज्य की प्रकृति के सम्बन्ध में कौटिल्य का सिद्धान्त 'साप्तांग सिद्धान्त' कहलाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण के पहले अध्याय में राज्य के सात अंगों स्वामी, अमात्य, जनपद दुर्ग, कोश, दण्ड तथा मित्र का उल्लेख किया है।

प्राचीन भारत के अधिकांश राजनीतिक चिन्तन की तरह कौटिल्य के चिन्तन में भी राज्य की संकल्पना राजतन्त्र के रूप में की गयी है। राज्य के सात अंगों में राजा का स्थान सर्वप्रथम है। राजा की महत्वपूर्ण रिस्ति को दृष्टि में रखते हुए ही कौटिल्य ने उसे 'स्वामी' का नाम दिया है। 'स्वामी' से उनका अर्थ आदेश देने वाले या शासन करने वाले से है। कौटिल्य अपने राजा को राज्य का केवल एक शासक ही नहीं देखना चाहते बल्कि वह तो उसे 'राजिं' के रूप में देखना चाहते हैं।

अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण के प्रथम अध्याय में राजा के गुणों पर विचार करते हुए कहा गया है कि राजा को महाकुलीन, दैवबुद्धि सम्पन्न, कृतज्ञ, उच्चाभिलाषी और दृढ़बुद्धि गुण सम्पन्न परिवार वाला तथा शास्त्र बुद्धि से युक्त होना चाहिए। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि एक अच्छे शासक को पूर्णतया शिक्षित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना चाहिए तथा लोगों की भलाई के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये सिद्धान्त कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, जो आज भी परीक्षण में खरे उत्तरते हैं और सुशासन के लिए आवश्यक शर्त माने जाते हैं<sup>2</sup>

कौटिल्य के अनुसार राजा का प्रथम कर्तव्य प्रजा का कल्याण करना है। उसे एक उत्तम पिता के समान प्रजा को पुत्रवत् समझना चाहिए तथा उसके कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा प्रजा के प्रति कर्तव्य निभाने को बाध्य है। प्रजा को भी राजा के प्रति अपना कर्तव्य निभाने को तत्पर रहना चाहिए। अगर राजा प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगा तो वह अपने अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि—“प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही उसका हित है, राजा का अपना प्रिय या सुख कुछ नहीं है। प्रजा का सुख ही उसका सुख है”<sup>3</sup>

राजा को सामाजिक कल्याण सम्बन्धी कार्यों का भी सम्पादन करना चाहिए। कौटिल्य ने विवाह, विवाह-विच्छेद, वेश्यावृत्ति, शाराब, जुआ, गोहत्या ऋण, सूदखांडी, दास प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। कौटिल्य के अनुसार एक अच्छे शासक से महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, पीड़ितों एवं असहाय लोगों की सहायता की आशा की जाती है। शासक अपनी प्रतिबद्धताओं से बँधा होता है और उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए<sup>4</sup>

अमात्य राज्य का दूसरा अंग है जो शासन संचालन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के अनुसार अमात्य का अर्थ मंत्री तथा प्रशासनिक अधिकारी दोनों से है। कौटिल्य ने इसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि “एक पहिए की गाढ़ी की भाँति राज काज भी बिना सहायता-सहयोग से नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए राजा को चाहिए कि वह सुयोग्य अमात्यों की नियुक्ति कर उनके परामर्शों को हृदयगम करे।” कौटिल्य का कथन है कि राजा को चाहिए कि वह अपने निष्ठावान तथा योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य पद पर नियुक्त करे तथा अपने सम्बन्धियों, सहपाठियों एवं सिफारिशी व्यक्तियों को अमात्य न बनावे, यदि वे इसकी पात्रता नहीं रखते हैं। कौटिल्य का मत है कि अमात्यों के चरित्र की परीक्षा के बाद ही उनकी नियुक्ति होनी चाहिए।

राज्य के प्रत्येक कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है इसलिए राज्य का महत्वपूर्ण आधार कोश है। राजा का प्रथम कर्तव्य है कि वह कोश की वृद्धि करे। धन के अभाव में राज्य का कुशलतापूर्वक संचालन सम्भव नहीं है। युद्ध के लिए भी कोश की आवश्यकता होती है। इस सन्दर्भ में कौटिल्य ने कराधान के कई मूलभूत सिद्धान्तों की चर्चा की है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की कर लगाने की शक्ति सीमित होनी चाहिए, करों को धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए, कर का स्तर तार्किक और उचित होना चाहिए। आदर्श रूप में, सरकार को करों का संग्रह मध्यमक्षी की तरह से करना चाहिए जैसे वह फूलों से शहद के लिए रस की एक निरिंचत मात्रा छूसती है, जिससे दोनों का अस्तित्व बना रहे<sup>5</sup>

कौटिल्य के अनुसार दंड का अर्थ सेना है। सेना राज्य की सुरक्षा का प्रतीक है। कौटिल्य का मत है कि जिस राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है उसके मित्र तो मित्र बने ही रहते हैं किन्तु शत्रु तक भी मित्र बन जाते हैं। सैनिकों को अनुशासित, प्रशिक्षित, वीर, स्वाभिमानी, युद्धकुशल तथा राष्ट्रप्रेमी होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा का यह कर्तव्य है कि वह सैनिकों को अच्छा वेतन दे तथा उनके परिवारों की सुख-सुविधा पर पूरा ध्यान देकर उन्हें सन्तुष्ट तथा प्रसन्न रखें। ऐसा करने से सैनिक राजा की आज्ञा का पालन कर सकेंगे और युद्ध में शत्रुओं का डटकर मुकाबला भी कर सकेंगे। राजा राज्य में विधि का स्रोत है। वह धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज्य शासन के अधार पर कानून का निर्माण करता है। वह किसी भी मामले के निर्णय में अपनों मनमानी नहीं करता है। समाज और सामाजिक व्यवहार दंड पर ही निर्भर करते हैं। इस सम्बन्ध में राजा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दण्ड न तो आवश्यकता और औचित्य से अधिक हो और न ही कम। यथोचित दण्ड देने वाला राजा ही पूज्य होता है<sup>6</sup> यदि दण्ड का उचित प्रयोग नहीं होता है तो बलवान मनुष्य निर्बलों को वैसे ही खा जाते हैं जैसे बड़ी मछली छोटी को। इससे स्पष्ट है कि राज्य में उचित दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए।

कौटिल्य के अनुसार सुशासन के लिए यह आवश्यक है कि भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को दण्डित करने के लिए निवारक एवं दण्डात्मक उपाय होने चाहिए। कौटिल्य ने चेतावनी दी है कि राजकीय कर्मचारियों के आचरण के मामले में विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार की सम्भावना को व्यक्त करने के लिए उन्होंने जो दण्डान्त दिए हैं, उनमें इनकी अनोखी सूझा-बूझा झलकती है। उन्होंने लिखा है कि कोई व्यक्ति अपनी जिहवा पर रखे हुए शहद के स्वाद के प्रति उदासीन रहे, ऐसा सम्भव नहीं है। कौटिल्य के अनुसार भ्रष्ट लोगों की पहचान करना हमेशा की समस्या रही है। उन्होंने यह भी लिखा है कि पानी में चलने फिरने वाली मछली कब, कैसे और कितना पानी पो जाती है, यह पता लगाना बहुत मुश्किल है, ठीक उसी प्रकार से राजस्व प्रशासन में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह असम्भव है कि वह धन के गबन में लिप्त न रहे। वास्तव में आकाश में उड़ते हुए पक्षी का स्थान निर्धारित करना आसान हो सकता है, अपेक्षाकृत कर्मचारियों के धन के गबन के तौर-तरीकों को जानने में।<sup>7</sup> तात्पर्य यह है कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी भावित का प्रयोग करते समय कितना स्वार्थ-साधन कर लेंगे, यह जानना अत्यन्त कठिन है। अतः राजा को इनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखनी चाहिए। वर्तमान समय में सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली इस तथ्य की पुष्टि पूरी तरह से करता है।

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के सप्तम् अधिकरण में विदेश नीति अथवा विदेशी राज्यों के प्रति व्यवहार के सम्बन्ध में शाङ्गुण्य नीति अर्थात् छह लक्षणों (सन्धि, विग्रह, यान, आसन, सश्रय, द्वैधीभाव) वाली नीति का प्रतिपादन विस्तृत रूप में किया है। कौटिल्य के अनुसार देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार इस शाङ्गुण्य नीति में परिवर्तन किया जा सकता है। सभी नीतियों का मुख्य उददेश्य शत्रु की तुलना में अपने को शक्तिशाली बनाकर राज्य का विस्तार करना है। इन छह नीतियों के अतिरिक्त कौटिल्य ने चार महत्वपूर्ण उपायों-साम, दाम, दण्ड एवं भेद का उल्लेख किया है जो कि वैदेशिक नीति के सफल संचालन के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। ये उपाय वर्तमान वैशिक परिदृश्य में विदेश नीति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

प्राचीन भारतीय राजनीति में राजदूत व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण के पन्द्रहवें अध्याय में दूत व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डाला है। कौटिल्य ने राजदूत को राजा का मुख माना है, क्योंकि राज्य में राजा जो व्यवस्था और नीति-नियम निर्धारित करता है, विदेश में राजा का वही कार्य राजदूत करता है। राजदूत विदेशी मामलों में राजा का प्रतिनिधित्व करता है। राजदूत गुप्तचर का कार्य भी करते थे। विदेश में सन्धियों के पालन का अवलोकन करना, गुप्त सूचनाएं प्राप्त करके अपने राजा के पास भेजना तथा वहां फूट डालकर राज्य को शक्तिहीन करने का कठिनतम् कार्य भी राजदूत के उत्तरदायित्व का अंग था।<sup>7</sup> कौटिल्य ने राजदूत को अवध्य माना है अर्थात् किसी भी परिस्थिति में राजदूत का वध नहीं होना चाहिए, यह बात आज भी प्रासंगिक है।

**निष्कर्षः** हम कह सकते हैं कि कौटिल्य का सम्पूर्ण राजनीतिक चिन्तन सुशासन का समर्पित था। भारतीय राजनीतिक विचारधारा में कौटिल्य अपनी विशेषताओं और प्रभावों के कारण असाधारण महत्व रखते हैं। उनके सुशासन सम्बन्धी मानदण्ड आज भी कमोबेश रूप में उतने ही प्रासंगिक हैं। उनके सुझावों को अमल में लाकर शासन-प्रशासन को उत्तरदायी एवं संवेदनशील बनाया जा सकता है तथा सुशासन स्थापित किया जा सकता है।

#### सन्दर्भ :

1. गावा, डॉ० ओम प्रकाश, भारतीय राजनीति विचारक, मयूर पेपरबैक्स, नोएडा, 2017, पृ० 37
2. अरोरा, रमेश के० एण्ड शर्मा, राजीव, गुड गवर्नेन्स : स्टीमुली एण्ड स्ट्रेटजीस, आलेख पब्लिशर्स, जयपुर, 2010, पृ० 33
3. गोयल, डॉ० एस०एल०, गुड गवर्नेन्स : एन हन्टीग्रल एप्रोच दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2007, पृ० 14
4. अरोरा, रमेश के०एण्ड शर्मा, राजीव, गुड गवर्नेन्स एण्ड पॉलिटिक्स : एन हिंडियन परसेप्रिटर, रिसर्च इण्डिया प्रेस, नई दिल्ली, 2010, पृ० 34
5. रेडडी, जी० गोपाल, गुड गवर्नेन्स एण्ड पॉलिटिक्स : एन हिंडियन परसेप्रिटर, रिसर्च इण्डिया प्रेस, नई दिल्ली, 2012, पृ० 20
6. बर्थोवाल, सी०पी०, गुड गवर्नेन्स इन इण्डिया, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2003 पृ० 35
7. गावा, डॉ० ओम प्रकाश, भारतीय राजनीति विचारक, मयूर पेपरबैक्स, नोएडा, 2017, पृ० 57

## कुमाऊंनी लोक गीतों में बिम्ब-सौन्दर्य

डॉ० अनिता जोशी\*

\*एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, दोषापानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड

**सारांश :** कुमाऊंनी लोक साहित्य अत्यंत समृद्ध है, जिसमें लोकगीतों का अपना वैशिष्ट्य है। माधुर्य से ओत-प्रोत ये लोकगीत प्रकृति के उद्गार हैं। इन लोकगीतों में परिवेश एवं दैनिक जीवन की यथार्थ अनुभूतियों का सुंदर एवं सटीक चित्रण बिम्बों द्वारा निर्दर्शित किया गया है। न्योली, जोड़, चौचरी, झोड़ा, भगनौल, छपेली, मंगलगीत, फाग, होली, कोई भी लोकगीत क्यों न हो, बिम्बों द्वारा कुमाऊंनी संस्कृति के जीवंत चित्र साकार हो उठे हैं।

**मुख्य शब्द :** लोकगीत, बिम्ब, ऐन्द्रिय, आस्थाद्य, नादात्मक, संलिंग, लोक साहित्य, आद्य बिम्ब आदि।

कुमाऊंनी लोक साहित्य की परंपरा उन्नीसवीं भारी से आज तक अनवरत रूप से चली आ रही है। यहाँ का लोक साहित्य अत्यंत समृद्ध है, जिसमें लोकगीतों का अपना वैशिष्ट्य महत्व है। ये लोकगीत यहाँ के महाकाव्य हैं, जिनके माध्यम से यहाँ के रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा, प्रथा-परंपरा, लोक-विश्वास तथा धार्मिक जीवन के साथ-साथ सामाजिक-राजनीतिक इतिहास का ज्ञान भी प्राप्त होता है। प्र०० केशव दत्त रुवाली जी ने लोकगीत को परिभाशित करते हुए लिखा – “लोकगीत लोक का अपना ऐसा गीत है, जो परंपरा में पड़कर समय-समय पर परिवर्तित होता रहता है। इन गीतों में लोक-संस्कृति के विविध रूपों के साथ-साथ जनपदीय बोलियों के अध्ययन की सामग्री भी उपलब्ध होती है। यद्यपि लोक मनुष्यों का ही समूह है, तथापि समूचा जन-समूह नहीं अपितु व्यक्ति-विशेष ही ऐसी व्यक्तिहीन गीत-रचना करता है कि समस्त लोक का व्यक्तित्व ही उसमें उभर आता है और समूचा लोक उसे अपनी चौज़ कहने लगता है।”<sup>१</sup>

माधुर्य से ओत-प्रोत ये लोकगीत प्रकृति के उदगार हैं। हिमालय क्षेत्र में वसे कुमाऊँ के लोकगीतों का अपना वैशिष्ट्य है। जिसे राहुल सांस्कृत्यायन जी ने इन शब्दों में निस्तृत किया – “लोकगीत सभी के सुंदर होते हैं, पर हिमालय के केन्द्र में वह अपनी प्रकृति की तरह ही अति सुंदर हैं, इनमें यहाँ की हर ऋतु की ज्ञांकी देखने को मिलती है।”<sup>२</sup> इन लोकगीतों में परिवेश एवं दैनिक जीवन की यथार्थ अनुभूतियों का सुंदर एवं सटीक चित्रण बिम्बों द्वारा निर्दर्शित किया गया है।

काव्य में “ बिम्ब ” शब्द का प्रयोग ‘IMAGE’ के लिए किया जाता है। कवि-कर्म समग्रतः बिम्ब-विधान ही है, कवि के मानस में जो भाव या विचार होते हैं, वे तो सर्वथा अप्रत्यक्ष, अप्रकट एवं अमूर्त होते हैं। उसी रूप में उनको प्रस्तुत करना संभव नहीं है, अतः कवि शब्दों के माध्यम से उनका बिम्ब प्रस्तुत करता है। काव्य में बिम्ब की महत्त्व को रूपायित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा : – “कविता में अर्थग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिम्ब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिम्ब-ग्रहण निर्दिश्ट, गोचर और मूर्त विशय का ही हो सकता है।”<sup>३</sup> जीवंतता कविता की सर्जनात्मक प्रतिभा का प्रमाण होती है और कविता में यह जीवंतता बिम्ब के माध्यम से आती है।

प्रसिद्ध बिम्बवादी कवि ‘एजरा पाउण्ड’ ने बिम्ब के संबंध में कहा है – “बिम्ब वह है जो काल की तात्कालिकता में बौद्धिक एवं भावात्मकसंसृष्टि की उत्पत्ति करता है।”<sup>४</sup> हिंदी के प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह ने बिम्ब को परिभाशित करते हुए लिखा: – “बिम्ब वह शब्द-चित्र है जो कल्पना के द्वारा ऐन्द्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है।”<sup>५</sup>

कुमाऊँ के घर आँगन, खेत, खिलिहान, पनघट, चौपाल, रास्ते, या जंगल कही भी लोकगीत की स्वर लहरियां सुनाई पड़ सकती है और इन लोकगीतों में आए बिम्बों द्वारा कुमाऊंनी संस्कृति का निर्दर्शन हो जाता है। न्योली, जोड़, चौचरी, झोड़ा, भगनौल, छपेली, मंगलगीत, फाग, होली, कोई भी लोकगीत क्यों न हो, बिम्बों द्वारा कुमाऊंनी संस्कृति के जीवंत चित्र साकार हो उठते हैं। जहाँ एक ओर इन लोकगीतों में दृश्यात्मक बिम्ब साकार होते हैं, वही नादात्मक बिम्बों का चित्रण ध्वन्यात्मक रसानुभूति की सृष्टि करता है। एक ओर जहाँ ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों की संस्कृति के माध्यम से ग्राम्य-जीवन से संबंधित बिम्बों का चित्रण होता है, वही प्राकृतिक बिम्बों द्वारा कुमाऊँ के मनो-मुग्धकारी दृश्यों का चित्रण साकार हो उठा है।

**कुमाऊंनी लोकगीतों में बिम्ब विधान :**

**१. दृश्यात्मक बिम्ब :** जहाँ वर्ण्य विषय का साक्षात् बिम्ब उपस्थित हो, वहाँ दृश्यात्मक बिम्ब होता है। इनका स्वरूप सबसे अधिक स्पष्ट होता है, क्याकि इसके आयाम अधिक मूर्त होते हैं। ‘न्योली’ में इस बिंब का सौन्दर्य इस प्रकार उभर कर आया है।

“चमचम चमकँछी, त्यार नाकै की फुलि।

धार में धेकालि भैछे, जनि दिशा खुलि।

नक में नथुली छाजी, धपेली में डार,

झम्कनी पैदल हिट, ओ मेरी चकोर।”<sup>६</sup>

यहाँ नायिका क सौन्दर्य वर्णन द्वारा दृश्यात्मकता साकार हो उठी है। प्रेम की मनः स्थिति तथा सौन्दर्य-दर्शन में कवि के उपमान इतने स्पष्ट हैं कि उनका बिम्ब चक्षुओं के समक्ष मूर्त रूप में प्रतिबिम्बित हो जाता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका के सौन्दर्य को चित्रित करते हुए कहता है:

ठेकि ताला छाँछ,  
त्यार मुख दीठ पड़ी, द्यो जसी खराँछ।  
हेलसि को घोल  
चुव जसी मसिणी छै, पुप जसी गोल ।<sup>7</sup>  
बुरांश के पुष्प की सुंदरता का चित्रण करते हुए कवि ने दृश्य बिंब का अत्यंत सुंदर एवं सजीव चित्र प्रस्तुत किया:-  
पारा भीड़ा बुरुँशी फुलै छै,  
मैं जै कुनूँ भेरि हीलै ऐरै छै।<sup>8</sup>

2.आस्वाद बिंब : इन्हें रस संवेद्य बिंब भी कहा जाता है। इन विम्बों का हृदय पर मार्मिक प्रभाव पड़ता है। सौन्दर्य के आस्वाद की अभिव्यक्ति और व्याख्या दोनों ही आस्वाद परक विम्बों की कोटि में आते हैं। इनका प्रयोग स्वभावतः सरल होता है। लोक कवि ने इसका चित्रण इन पंक्तियों में किया है:-

रहट की तान, ओ गीता त्वैके खाण पडल  
मङ्गुवा रोटी, सिणु को साग, ओ गीता त्वैके खाण पडल ।<sup>9</sup>  
आस्वादपरक विम्बों का वर्णन कवि ने निम्न लोकगीत में इस प्रकार प्रस्तुत किया:-  
सीकारा माँछी को सीकारा,  
खै लियो बौजू मन की इच्छा जो।  
बासमती को भात द्योरो, बासेनी है रैछो  
उरदे की दाल उरदैन है रैछ।  
दाख दाड़िम द्योरो खटैना है रैछ।  
लाखी को सीकारा लखेनो है रैछ  
माँछी को सीकारा मछैनो है रैछ।<sup>10</sup>

3.घ्रातव्य विम्ब : विभिन्न गंधों के संयोग से निर्मित होने के कारण घ्रातव्य विम्ब का सौन्दर्य निर्दर्शित होता है।

भीनी—भीनी गंध तेरी सुनैली  
डैली राई रैतुवा संग रैना।  
पकवानों को स्वाद तेर्जै करंछै  
एसै रौनी सर्वथा उच्चवंशा।<sup>11</sup>

4.नादात्मक बिंब : ध्वनि व्यापार से निर्मित विम्ब का चित्रण नादात्मक विम्ब के सौन्दर्य को सजीव करता है। ये सुन्दर एवं मार्मिक होते हैं। यथा:-

#### ढोल की कसण

नाचि लिह्यो, हसि लिह्यो, द्वी दीन बचण<sup>12</sup>

इसी प्रकार ध्वनि, लय तुक आदि से निर्मित बांसुरी की धुन एवं हृदयगत भावों को चित्रित करते हुए कवि कहता है:-  
बांसुरी को रुद्धघुड़ विणै को कौकार  
आंसुदाली नै फिर नूँ हिया को दोकार।<sup>13</sup>

न्यौली मे हुड़के की ध्वनि से निर्मित विम्ब के आधार पर नादात्मक सौन्दर्य साकार हो उठता है:-  
बाजीछा हुड़की न्यौली ई—ई—ई, बाजीछा हुड़की ई

त्यार—स्यार बैठी ठौर अ—अ—अ दुडुमा धुड़की—ई  
दुडुमा—धुड़की न्यौली ई—ई—ई दुडुमा—धुड़की—ई।<sup>14</sup>

5.संशिलष्ट ऐन्द्रिय विम्ब : अनेक विम्बों को एकत्रित कर परस्पर संबद्ध रूप में चित्रित करना ही संशिलष्ट विम्ब है। शम्भुनाथ तिवारी के शब्दों में — ‘चेतन बुद्धि के विम्ब विवेक द्वारा नियोजित होने से संशिलष्ट हो सकते हैं।’<sup>15</sup> वस्तुतः अनेक विम्बों को परस्पर संबद्ध रूप से चित्रित कर देना ही संशिलष्ट विम्ब है। इसका एक उदाहरण दृश्यत्व है जहाँ ‘संख, घट, सबद सुणाइयों’ में नाद विम्ब तथा ‘अंगना सु चौक पुरइयो, कामिनी दियो जगइयो’ में दृश्य विम्ब का चित्रण कर संशिलष्ट ऐन्द्रिय विम्ब उपस्थित हुआ है:-

‘जब कि महाराज देश में आए,  
देश में धूम मचैछ मथुरा के बोल वासी  
बढ़इया चौक लै आइए, संख घट भाब्द सुणाइयों  
अंगना सु चौक पुरइयो, हो मथुरा के हो वासी  
कामिनी दियो जगइयो, बहिनियां रोचन न्यइयों  
बिरामन वेद पढ़इयो।  
तमोलिन बीड़ा ले अइयो, मालिन फूल ले आइयो।  
बजणियां बाजो बजइयो, हो मथुरा के हो वासी।<sup>16</sup>

**६. वस्तुपरक विष्व :** इन्हें यथार्थ विष्व भी कहते हैं। यथार्थ विष्व विधान में भावों विचारों एवं अनुभूति का काव्य दृष्टि से यथातथ्य चित्रण होता है। इसमें स्थूल चित्रण की प्रधानता होती है। जैसे— ग्राम्य जीवन के विष्व, नगरीय जीवन के विष्व, आद्य विष्व, प्राकृतिक विष्व, भावात्मक विष्व आदि।

(क) **ग्राम्य जीवन के विष्व :** कुमाऊंनी लोकगीतों में ग्राम्य जीवन का चित्रण करते हुए कवि ग्राम्य जीवन का सुंदर चित्रण विष्वों द्वारा करता है।

(हे.....ऐण्णऐ.....)झुङ्गै की घान  
रहट की तान  
घोइनी लुकुड़ी रैगे  
खैचीनू कमान, काँ उसा मानिख रैगे,  
काँ उसो इमान।<sup>17</sup>

(ख) **नगरीय जीवन के विष्व :** इसी प्रकार ग्रामीण महिला की आधुनिक फैशन के प्रतिरूपियों को प्रदर्शित करते हुए कवि ने नगरीय जीवन के विष्व की झलक स्पष्ट करते हुए लिखा—

ओ परुवा बौज्यू चपल के लाछा यश,  
पटपटा नि हूँ नै, चपल के लाछा यश,  
ओ परुली इजा मं कश करूँ मैं कश,  
धन त्यारो मिजाता, मैं कश करूँ मैं कश।  
ओ परुवा बौज्यू आंगणि के लाछा यश  
चमचम नि करन आंगणि के लाछा यश  
धन तेरों मिजाता मैं कश करूँ मैं कश।<sup>18</sup>

(ग) **प्राकृतिक विष्व :** प्राकृतिक उपकरणों द्वारा विष्व निर्माण प्राकृतिक विष्व कहलाते हैं। हिमालय की प्राकृतिक सुन्दरता का चित्रण करते हुए कवि ने प्राकृतिक विष्व का सुन्दर वर्णन इस प्रकार किया है—

दैरि वे हिमाले दैरि  
खेल दैरि—दैरि  
काकड़ी का क्यर दैरि  
द्वी दिनैं दुनिया मज  
क्ये त्यर के म्यर दैरि  
मनुवों क माण दैरि  
मरि जाण दुनियौ लै  
के जय लिजाण दैरि।<sup>19</sup>

इसी प्रकार संध्या का चित्रण लोकगीतकार ने धीर—धीरे बहती हुई गंगा के समान किया है तथा संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण अत्यंत सुरम्य प्रतीत हो रहा है। यथा :—

सांझ पड़ी सांझ वाली पांया चलनि ऐन,  
आस—पास मौत्यू हार बीच चालीन गंगा।  
लछमि पुछ छिन अपना स्वामी नराइन  
इनु घरि काहि बधाई, इनु घर आनंद बधाई।  
रामीचन्द घरै, लछिमन घरै, सांझ को दिनो जगायो।  
अगर चदन को दियडा, कपूर सारी बाती रे।  
जाग हो दियडा इनु घर सलच्छणी राती ए।<sup>20</sup>

(घ) **आद्य विष्व :** आद्य विष्वों का संबंध सामूहिक अवचेतन से है। इन विष्वों का व्यवस्थित विवेचन फायड के प्रसिद्ध शिष्ट युग ने किया है। डॉ नगेन्द्र के शब्दों में—“आदिम अनुभूतियों के संस्कार रूप में आज भी मानव जाति के अवचेतन मन में विद्यमान हैं और अनेक प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं।”<sup>21</sup> आदिम विष्वों की अभिव्यक्ति आदिम जातियों की विद्या, प्राचीन कथा या परियों की कहानी आदि के माध्यम से होती है। पौराणिक एवं धार्मिक आत्माओं का वर्णन करने से पूर्व विभिन्न देवताओं श्रद्धेय वस्तुओं का स्मरण किया जाता है। आख्यान भूरु होने से पूर्व पंचदेवों की स्तुति वर्णन में आद्य विष्व का सुन्दर उदारहण निम्न लोकगीत में प्रस्तुत हुआ है—

देना होया देना होय पंच देवा  
देना होया देना होया भूमि भूग्याल  
शिव जी में हरेल चढौल  
पार्वती में फूला।<sup>22</sup>

उपर्युक्त लोकगीत में देवताओं की स्तुति का वर्णन किया गया है।

(ङ) **भावात्मक विष्व :** मानस विष्वों को भावात्मक बिंब कहा जाता है। भाव विष्वों में अनुभूति की तीव्रता होती है तथा दृश्यात्मकता अपेक्षा कृत कम होती है। यथा—

चल ठाड़ि जो हैरों बाट,  
मेरो पिया निरमोइयों कदि आवै है।  
कैसो बदरा ऊनाँनू हो ऊनाँनू  
कैसो बरसनहार  
मेरो निरमोइयो पिया कदि आवै है।<sup>23</sup>

होली के पर्व पर विरहिणी प्रिया अपने प्रवासी प्रिय के आने की प्रतीक्षा में खड़ी है और मन के भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि न जाने निर्माही पिया कब आयेगे।

सुनारै का दुकान में, चेहरदार चाँदि।  
तेरि माया ले बेड़ि राख्यू सरप की भाँति।  
द्वी माया सालि का चॉल ये भाणा की भाणा।  
मन पापी उड़न लाम्यो यो डाणा वी डाणा।<sup>24</sup>

उपर्युक्त लोकगीत में गीतकार के मन की अनुभूति की तीव्रता का चित्रण किया है। माया को सर्प की बेड़ियाँ के समान बताया है तथा भावात्मक अनुभूति का चित्रण हुआ है।

**निष्कर्षरूप :** कुमाऊंनी लोकगीतों में विभिन्न प्रकार के विष्वों का सजीव एवं हृदयस्पर्शी चित्रण मिलता है। कहीं दृश्य विष्व का सौन्दर्य दिखता है तो कहीं श्रव्य विष्व की छटा बिखरी नजर आती है। कहीं प्राकृतिक चित्रण में प्राकृतिक विष्व का सौन्दर्य विद्यमान दिखता है तो कहीं पर ग्राम्य जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हुए ग्राम्य जीवन के विष्वों का सौन्दर्य दिखाई पड़ता है। इस प्रकार विष्व योजना के कारण इन लोकगीतों में कुमाऊंनी संस्कृति जीवंत हो उठी है।

#### सन्दर्भ :

1. रुवाली, प्र०० केशवदत्त, कुमाऊंनी भाषा और संस्कृति, पृ० 134
2. चातक, डॉ० गोविन्द, गढ़वाल के लोकगीत (आमुख)
3. शुक्ल, आचार्य रामचन्द्र, चिन्तामणि (भाग 1), पृ० 116
4. Imagism –S.K Coffman उद्धृत आधुनिक हिन्दी कविता में विष्व विधान, पृ०सं० 24
5. सिंह, केदारनाथ, आधुनिक हिन्दी कविता में विष्व विधान, पृ०सं० 23
6. पोखरिया, डॉ० देवसिंह, कुमाऊंनी लोकगीत एवं लोकगाथाएं, पृ०सं० 05
7. वही, पृ० सं० 11
8. भट्ट, डॉ० पुष्पलता कुमाऊंनी लोकसाहित्य, पृ०सं० 48
9. पोखरिया, डॉ० देवसिंह, कुमाऊंनी लोकगीत एवं लोकगाथाएं, पृ०सं० 19
10. वही, पृ० सं० 54
11. कुमाऊंनी लोकसाहित्य और कुमाऊंनी साहित्य—डॉ०देवसिंह पोखरिया, पृ०सं० 145
12. कुमाऊंनी लोकगीत एवं लोकगाथाएं— डॉ०देवसिंह पोखरिया, पृ०सं० 6
13. वही, पृ० सं० 13
14. कुमाऊंनी लोकसाहित्य, संस्कृति, भाशा एवं साहित्य,डॉ० पुश्पलता भट्ट,पृ०सं० 268
15. प्रयोगावाद और नई कविता – भांभुनाथ तिवारी, पृ०सं० 208
16. कुमाऊंनी लोकगीतों का समाज गास्त्रीय अध्ययन— डॉ० इला साह, , पृ०सं० 78–79
17. कुमाऊंनी लोकगीत एवं लोकगाथाएं— डॉ०देवसिंह पोखरिया, पृ०सं० 38
18. कुमाऊंनी लोकगीतों का समाज गास्त्रीय अध्ययन— डॉ० इला साह, , पृ०सं० 98
19. कुमाऊंनी लोकसाहित्य— डॉ० पुश्पलता भट्ट,पृ०सं० 136
20. कुमाऊंनी लोकगीतों का समाज गास्त्रीय अध्ययन— डॉ० इला साह, , पृ०सं० 77
21. काव्य विष्व — डॉ० नगेन्द्र, पृ०सं० 14
22. कुमाऊंनी लोकगीतों का समाज गास्त्रीय अध्ययन— डॉ० इला साह, , पृ०सं० 61
23. कुमाऊंनी लोकगीत एवं लोकगाथाएं— डॉ०देवसिंह पोखरिया, पृ०सं० 57
24. वही, पृ० सं० 37

## पर्यावरण एवं प्रदूषण एवं कानून

डॉ अर्चना राजे\*

\*असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, सी०एम०पी० कालेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

**सारांश :** पर्यावरण का संतुलन पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन के लिए अति आवश्यक है। पर्यावरण का असंतुलन मानवता के लिए गंभीर खतरा है। मानवीय इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्रकृति का अंधाधुंध दोहन, जनसंख्या विस्फोट एवं शिक्षा का अभाव पर्यावरण असंतुलन का प्रमुख कारण है। प्रदूषण को रोकने के लिए भारत की केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने विभिन्न कानूनों की स्थापना की है जिसके तहत नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों को बताया गया है, तथा नियम का उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान है।

**मुख्य शब्द :** असंतुलन, पर्यावरण दोहन, अनुपलब्धता पर्यावरण, जनसंख्या-विस्फोट, पर्यावरण प्रदूषण, आदि।

पृथ्वी का पर्यावरण एक जटिल समीकरण है। प्रकृति के निर्माण असंख्य तत्वों के सम्मेलन से हुआ और प्रत्येक रचना एक दूसरे पर आश्रित है। सभी तत्व एक निश्चित एवं सीमित मात्रा में उपस्थित हैं और किसी भी सरचना को पूर्ण होने में एक दूसरे के पूरक है। किसी एक की अनुपस्थिति अथवा अनुपलब्धता पर्यावरण का संतुलन बिगड़ देगी। पर्यावरण के अन्तर्गत समस्त जीव मण्डल, सजीव एवं निर्जीव का एक दूसरे से केवल प्रत्यक्ष ही नहीं अपितु अप्रत्यक्ष एवं जटिल संबंध होता है। परस्पर निर्भरता के कारण है किसी प्राणी की सम्प्रभुता अन्य असंख्य प्राणियों के अस्तित्व पर निर्भर करती है। मनुष्य एवं सजीव पेड़-पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, पेड़-पौधे मिट्टी, वायु, जल एवं सूर्य के प्रकाश से अपना अस्तित्व बनाते हैं, पेड़-पौधों के अवयन मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। पृथ्वी का कोई भी जीव, पेड़-पौधे यहाँ तक कि कोई भी जल स्रोत एवं वायु स्रोत स्वयं में स्वतन्त्र नहीं है। परस्पर निर्भरता को अलावा पर्यावरण का दूसरा कारक सीमित क्षमता है। प्रत्येक प्राणी एवं द्रव्य की संख्या एवं उसका अनुपात सीमित है। पेड़-पौधे एक निश्चित मात्रा में सूर्य की किरणें ग्रहण करते हैं एवं एक निर्धारित सीमा तक ऑक्सीजन पैदा करते हैं। इसके उपभोक्ता जीव-उत्पादन की सीमा के अन्तर्गत हैं, तब ठीक है कि इन्हें उत्पादन की सीमा से उपभोग की मात्रा बढ़ जाएगा तो असंतुलन पैदा हो जाएगा।

पर्यावरण में सभी तत्वों की और जीवों की एक दूसरे पर निर्भरता ने ही संबंधों को जटिल बना दिया है। कोई भी तत्व शाश्वत नहीं है और वह स्वतन्त्र नहीं है। अर्थात् पर्यावरण में दृश्य एवं अदृश्य तत्व का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। यदि एक प्रमाणित होता है तो उसका असर दूसरे पर होना निश्चित है। विकास की प्रक्रिया में जो पर्यावरण हास हुआ है और प्रकृति में असंतुलन हुआ है, उससे हम सभी भिज़ रहे हैं। पिछले पांच दशकों में विश्व की बढ़ती जनसंख्या, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण तथा तकनीकीकरण के कारण पर्यावरण का छास सतत हो रहा है। अतः पर्यावरण का बचाव एवं उसका संरक्षण अति महत्वपूर्ण हो गया है। भारत ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व ही पर्यावरण के बिंदुओं स्वरूप से प्रभावित है। पर्यावरण प्रदूषण एक राष्ट्र की नहीं वरन् पूरे विश्व की समस्या है। विकासशील एवं विकसित देश इस समस्या से अधिक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या अधिक है, आर्थिक अभाव एवं संसाधन की कमी है एवं अशिक्षा इसका प्रधान कारण है आम जनता ने प्रशासन से राहत प्राप्त करने का प्रयास किया किन्तु प्रशासन प्रगति के नाम पर स्वयं ही इसका दोहक रहा और कुछ करने में असमर्थ रहा। किन्तु कानून ने इस पर राहत दी। विद्वान् न्यायधीशों एवं विधिवेत्ताओं ने आम नागरिकों के हित के लिए जहाँ भी कानून में कुछ मिला, उसी से जनता को लाभान्वित किया। भारत के संवेदनानिक अनुच्छेदों का जनता के हितार्थ उपयोग किया।

पर्यावरण में कानून की आवश्यकता नागरिकों के रोजमरा के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तथा प्रदूषण को रोकने एवं उसके प्रसार को आगे रोकने और विकृत पर्यावरण को सुधारने के लिए महसूस हुई। अतः पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण निषेध अनेक कानून विगत वर्षों में पारित हुए। स्वतन्त्रता प्रगति के पश्चात् भारतीय संविधान में पर्यावरण संबंधी 40वाँ संविधान संशोधन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इसके अनुसार अनुच्छेद 48 ए के अन्तर्गत सरकार देकर के पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51ए(जी) सम्मिलित हुआ इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और उनका सुधार करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। भारत सरकार द्वारा सन् 1980 में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई।

### कानूनी स्थिति(Legal Status) :

**1. सामान्य कानून (Common Laws) :** इस कानून के अंतर्गत किसी भी कार्य के विरुद्ध जो किसी संपत्ति या व्यक्ति की हानि का कारण बना हो, प्रभावित पक्ष क्षतिपूर्ति या निशेधाज्ञा या दोनों का दावा कर सकता है।

**2. विशेष विधान (Specific Legislations) :** जल एवं वायु प्रदूषण।

**संवेदनानिक प्रावधान (Constitutional Provisions) :** भारतीय संविधान में पर्यावरण के लिए विशेष प्रावधान है। भारतीय संविधान समाजवादी समाज के मूलभूत सिद्धान्त पर आधारित है। इसका उद्देश्य है, सभी व्यक्ति को जीवनयापन की मूलभूत सुविधा मुहैया करना और गरिमामय एवं समृद्धिशाली जीवन जीने का अवसर प्रदान करना जिसके लिए वर्तमान प्रावधान उपयोगी है।

### 3. प्रदूषण नियंत्रण कानून (Pollution Control Legislation) : भारत में प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के रोकथाम के लिए निम्न कानून निर्मित किए गए हैं—

**जल प्रदूषण अधिनियम (The Water Prevention and Control of Pollution Amendment Act) :** जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जल प्रदूषण अधिनियम बनाया गया है। विभिन्न बोर्डों का गठन करके जल प्रदूषण को नियन्त्रित किया गया है। इस अधिनियम में बोर्ड को अधिकार एवं कर्तव्य का उल्लेख है। जो जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण करते हैं। अधिनियम द्वारा बोर्डों को अधिकारी एवं कर्तव्य प्रदत्त किए गए हैं। प्रदूषण से तात्पर्य जल का अशुद्धिकरण अथवा उसमें भौतिक, रासायनिक या जीव विज्ञानी परिवर्तन करना है अथवा सीवेज (Sewage)या कोई अन्य औद्योगिक, कृषि या किसी अन्य न्यायसंगत कार्य के लिए अयोग्य या पशु—पक्षी अथवा जलीय वनस्पति के लिए अयोग्य कर दें।

1. सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है।
2. बोर्ड की मीटिंग 3 मास में कम—से—कम एक बार होगी।
3. केंद्र विशेष कार्यों के लिए कमेटी बना सकता है, जिसमें बोर्ड तथा बाह्य दोनों प्रकार के व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं।
4. जल प्रदूषण विशेषज्ञों की ट्रेनिंग।
5. जल प्रदूषण सम्बन्धी जानकारी संचार माध्यमों द्वारा जनसाधारण को प्रदान करना।
6. संबंधित तकनीकी व सांख्यिकी सूचना एकत्र, एकीकृत एवं प्रकाशित करना।
7. सरकार की सहायता से जल गुणवत्ता का मानक तय करना तथा समय—समय पर उन्हें पुनरीक्षित करना।
8. जल प्रदूषण रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाना।

### राज्य बोर्ड के कार्य :

1. राज्य सरकार के जल प्रदूषण रोकने के कार्यक्रम का संचालन।
2. राज्य सरकार को जल प्रदूषण संबंधी सलाह देना।
3. जल प्रदूषण संबंध राज्य स्तर पर सूचनाएं एकत्र, एकीकृत एवं प्रकाशित करना।
4. जल प्रदूषण रोकने के लिए अनुसंधान कराना।
5. विशेषज्ञों की ट्रेनिंग में केंद्रीय बोर्ड की सहायता करना।
6. सीवेज तथा उत्सर्गों का उपचार की दृष्टि से निरीक्षण करना।
7. जल प्रदूषण के मानक स्थापित एवं पुनरीक्षित करना।
8. जल उपचार के कारगर व सस्ते तरीके निकालना।
9. सीवेज तथा उत्सर्ग के उपयोग व प्रयोग निकालना।
10. सीवेज एवं उत्सर्ग हटाने के उचित तरीके निकालना।
11. उपचार के मानक स्थापित
12. सरकार को उन उद्योगों की जानकारी देना, जो हानिकारक उत्सर्ग बाहर उड़ रहे हों।

बोर्ड के सदस्य, अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति किसी भी उद्योग से उत्सर्ग जल का नमूना ले सकते हैं। बोर्ड के सदस्य, अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति किसी भी उद्योग का निरीक्षण कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की जानबूझकर कोई विशेषकत नशीला पदार्थ किसी जल धारा में निर्गत करने का अधिकार नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने पर तीन मास की कैद तथा जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। कंपनियों तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है।

**पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986(Environment Protection Act, 1986) :** इसके लिए केन्द्र सरकार ने अधिनियम 1986 पारित किया है, इसके प्रावधान निम्नलिखित हैं—‘पर्यावरण’ से तात्पर्य जल, वायु भूमि का अंतर्संबंध मनुष्य, जीव, वनस्पति, सूक्ष्मजीवी तथा वन—संपदा से है। ‘पर्यावरण’ प्रदूषण से तात्पर्य किसी ठोस द्रव अथवा गैसीय पदार्थ से है, जो इतनी साध्रता में हो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हो। केंद्र सरकार के पर्यावरण संरक्षण संबंधी।

1. पर्यावरण संरक्षण कार्य में राज्य सरकारों के कार्यों को नियमित करना।
2. पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का आयोजन एवं निष्पादन करना।
3. पर्यावरण गुणता के मानक निर्धारित करना।
4. विभिन्न प्रदूषण स्रोतों से निर्गत होने वाले प्रदूषकों की अधिकतम प्रदूषणकारी सीमा निर्धारित करना।
5. उन क्षेत्रों का निर्धारण करना, जिनमें सुरक्षा उपयोग के साथ विभिन्न औद्योगिक संस्थान स्थापित किए जा सकते हैं।
6. पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के कारगर सुरक्षात्मक तरीके निर्धारित करना।
7. घातक सामग्री को उठाने—रखने की सुरक्षात्मक कार्यविधि का निर्धारण।
8. औद्योगिक प्रक्रियाओं, सामग्री आदि का पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से निरीक्षण।
9. पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए शोध कार्य करना।
10. उद्योग संस्थानों, उपकरणों, मशीनरी, औद्योगिक प्रक्रियाओं आदि का निरीक्षण।
11. पर्यावरण प्रदूषण, शोध प्रयोगशालाओं की स्थापना/मान्यता प्रदान करना।
12. पर्यावरण प्रदूषण संबंधी सूचना एकत्र, एकीकृत एवं प्रकाशित करना।
13. मैनुअल, गाइड बुक, कोड आदि तैयार करना।
14. पर्यावरण संरक्षण संबंधी अन्य समुचित कार्य।

4. पर्यावरण प्रदूषक उद्योगों को रोकने का आदेश देने के लिए सरकार सक्षम है।
5. केंद्र सरकार निम्न के मानक स्थापित करने के लिए सक्षम है।
  1. वायु जल तथा मृदा के मानक।
  2. विभिन्न प्रदूषकों का अधिकतम अनुमन्य सांदर्भ।
  3. घातक पदार्थों के उताने, रखने के नियम।
  4. विभिन्न स्थानों पर घातक पदार्थों के प्रयोग पर रोक।
  5. विभिन्न स्थानों पर उद्योग-धधे लगाने पर रोक।
  6. दुर्घटना की रोकथाम की कार्यविधि।
  7. कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कार्य या उद्योग स्थापित नहीं कर सकता, जिससे निर्गत होने वाला प्रदूषक अनुमन्य से अधिक हो।
  8. सरकारी संस्थानों का निरीक्षण करने, नमूने लेने तथा उद्योग कार्य रोकने के लिए सक्षम है।
  9. नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना व 5 वर्षों की कैद का प्रावधान है।
  10. कंपनियों तथा सरकारी संस्थानों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है।

**भारतीय वन अधिनियम, 1927 (Indian Forest Act, 1927) :** पर्यावरण की सुरक्षा हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927 तथा वन संरक्षण नियम 1981 में बनाया गया जिसकी वजह से वनों की कटाई एवं उसके क्षारण पर काफी लगाम लगा है। जो कि धरती पर हरियाली एवं जीवन के लिए आवश्यक है।

इसके नियम इस प्रकार हैं :

1. सन् 1927 में पारित मूल अधिनियम में वन—पशु अधिकारी, वन संपदा, नदी, वृक्ष, लकड़ी इत्यादि की अधिकृत परिभाषा है।
2. सन् 1927 के अधिनियम के अनुसार सुरक्षित वन घोषित करने का अधिकार राज्य सरकारों को है।
3. सुरक्षित वनों के अंदर किसी जाति के किसी वृक्ष को राज्य सरकार सुरक्षित घोषित कर सकती है।
4. सुरक्षित वनों के नियमों का निर्धारण भी राज्य सरकारें कर सकती हैं, जो निम्न क्षेत्रों में होंगे—
  1. वृक्ष तथा लकड़ी काटने संबंधी।
  2. सहवर्ती ग्रामों के वासियों को वन के भीतर उपलब्ध वन—संपदा को अपने उपयोग के लिए देने संबंधी।
  3. सहवर्ती वनों के भीतर खेती करने संबंधी।
  4. अग्निकांड संबंधी।
  5. घास काटने संबंधी।
  6. वनों के प्रबंधन संबंधी।
5. वृक्षों को नुकसान पहुंचाने पर छह मास की कैद या /500 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।
6. राज्य सरकारें उद्धोषण द्वारा किसी भी वन का नियंत्रण सुरक्षा की दृष्टि से अपने हाथ में ले सकती हैं।
7. पालित पशुओं (Cattles) द्वारा वन सीमा का उल्लंघन (Trespass) करने पर मालिक पर आर्थिक जुर्माना किया जा सकता है तथा पशु को रोक पर रखा भी जा सकता है।

**वन संरक्षण अधिनियम, 1980(Forest Conservation Act, 1980) :** इस अधिनियम में सन् 1980 में संशोधन किया गया था। इसके अनुसार—राज्य सरकारें सुरक्षित वनों को असुरक्षित अथवा किसी अन्य वन को सुरक्षित घोषित कर सकती है। सुरक्षित वनों के कुछ भाग आवश्यकता होने पर चाय, कॉफी, मसालों, रबर आदि के उत्पादन के लिए प्रयोग कराए जा सकते हैं। केंद्र सरकार एडवाइजरी कमेटी (Advisory Committees) द्वारा सकती है, जो केंद्र सरकार के वनों के संबंध में नियम बना सकती है। केंद्र सरकारें वन संबंधी नियम बना सकती है।

**वन संरक्षण नियम, 1980 (Forest Conservation Rules, 1980) :** वन संरक्षण के नियम केन्द्र सरकार द्वारा 1981 में बनाया गया और लागू किया गया। इसके अनुसार एडवाइजरी कमेटी में निम्न सदस्य होंगे, वनों का महानिरीक्षक—अध्यक्ष, अतिरिक्त वन महानिरीक्षक—सदस्य, सयुक्त कमिशनर मृदा संरक्षण—सदस्य

उपर्युक्त नियम, अधिनियमों की सहायता से प्रदूषण नियंत्रण में मदद हो रही है तथा कोई भी सरकारी, गैर सरकारी संस्थान अथवा व्यक्ति पर्यावरण के विपरीत कोई भी कार्य करने से स्वयं को विरत रखता है।

**सन्दर्भ :**

1. सविन्द्र सिंह, पर्यावरण भूगोल, 2015, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद
2. डी०डी० बसु, भारत का संविधान, 2004, 19<sup>th</sup> ed, New Delhi : Prentice-Hall of India.
3. Pollution control Lawseries:PCLS/02/2021, pollution control Acts, Rules& Notification Issued Thereunder, CPCB, Central Pollution Control board (Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India), Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032, website: <http://www.epch-nic.in>, April,2021
4. Khetrapal, B. S. Indian Forest Act,1927, Forest (Conservation) Adhiniyam1980, Forest (Conservation) rules 2003, edition 2015, Bare Act, Puja Law House, Indore Khetrapal Publication, Indore.
5. Dutta, Ritwick, Yadav Bhupender, Supreme Court on Forest Conservation, Research Team: Rahul Chaudhry, Shibani Ghosh, Third Edition, 2011 Universal Law Publishing Co. New Delhi-India.

## पर्यावरण सुरक्षा के प्राचीन उपाय : एक अध्ययन

डॉ सरला शर्मा\*

\*एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, आई.ओ.पी. बृन्दावन, मथुरा, उत्तराखण्ड

**सारांश :** पर्यावरण शब्द जीवों की अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाली समस्त भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिस्थितियों का योग है। हमारे चारों ओर जो भी प्राकृतिक और मनुष्य द्वारा बनायी गयी वस्तुएँ हैं, वे सब मिलकर पर्यावरण बनाती हैं। सभी जीवित वस्तुएँ अपने पर्यावरण से निरंतर प्रभावित होती हैं तथा वह स्वयं उसे प्रभावित करती रहती है।

**मुख्य शब्द :** पर्यावरणीय संतुलन, पर्यावरण संरक्षण, अर्थवेद, लाक्षागृह, परिस्थितिकी आदि।

प्रकृति पर्यावरणीय संतुलन व स्थिरता को कायम रखने के लिए स्वतः प्रयत्नशील रहती है। जमीन में खोदा गया गड्ढा धीरे-धीरे स्वतः भर जाता है। वनों में वृक्ष तथा वनस्पतियाँ स्वतः उगती रहती हैं, तथा धरा को हरीतिमा से आच्छादित रखने की प्रवृत्ति रखती है। किन्तु वृक्ष तथा वनस्पतियाँ विनाश की गति तीव्र होने पर प्रकृति को अपनी क्षतिपूर्ति का समय नहीं मिल पाता है। परिणामस्वरूप परिस्थितिकी का स्थायित्व तथा सन्तुलन विगड़ जाता है।

पर्यावरण प्रकृति का ही पर्याय माना जाता है। मनुष्य और उसके जीविकोपार्जन के लिए पर्यावरण आवश्यक कारक है। पर्यावरण संरक्षण में विशेषतः प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और उनके उचित उपयोग की बात दृष्टिगोचर होती है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो संसाधन असीमित हैं उन्हें ढंग से उपयोग कर प्रदूषण से बचें तथा जो संसाधन सीमित हैं उनका प्रयोग हमें सावधानीपूर्वक और अल्पमात्रा में करने का प्रयास करना चाहिए। हमें सभी तत्वों पर समान दृष्टि रखकर अपने कार्य का सम्पादन करना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप कम से कम पर्यावरण को क्षति पहुँच सके।

मनुष्य पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है। मानव की समस्त क्रियाएँ पर्यावरण को कहीं न कहीं प्रभावित करती रहती है। प्राचीन काल से ही मानव धार्मिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, राजनीतिक क्रिया और सांस्कृतिक क्रिया के परिणामस्वरूप पर्यावरण को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। धार्मिक क्रियाओं के अन्तर्गत एक तरफ प्रदूषण की वृद्धि तो दूसरी तरफ उनको रोकने के उपाय बनाये गये थे, जिससे उनका सन्तुलन बना रहे।

विकासोन्मुख मानव के क्रिया-कलाओं ने प्राणियों तथा पर्यावरण के मध्यर सम्बन्धों को विषाक्त कर दिया है। वास्तव में विकास तथा पर्यावरण संरक्षण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विकास की प्रक्रिया को भी नहीं रोका जा सकता है क्योंकि मानव प्रकृति से ही विकासशील प्राणी है। मानव सम्यता का विकास भी हो तथा पर्यावरण की गुणवत्ता भी संरक्षित रहे, इसके लिए मानव को प्रकृति के संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से विदोहन करते हुए संसाधनों के पुनर्चक्रण के उपाय करने होंगे।

पर्यावरण की सुरक्षा आज एक विश्व समस्या बन गयी है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वैज्ञानिक उपाय खोजे जा रहे हैं। रथान-रथान पर वैज्ञानिक गोष्ठियाँ से हो रही हैं और विश्व सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं। जून 1992 में रियो में 'पृथ्वी सम्मेलन' हुआ जिसमें सभी देशों ने विश्व में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण सम्बावित विनाश पर चिन्ता व्यक्त की। इस सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा के लिए अनेक उपयोगी प्रस्ताव पारित किये गये। किंतु विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों आदि के अध्ययन से विदित होता है कि प्राचीन ऋषि पर्यावरण के प्रति सचेत थे और उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के उपायों का उल्लेख ग्रन्थों में किया।

**मृदा संरक्षण :** पर्यावरण के शोधन में मृदा का पर्याप्त योगदान है। मृदा अन्न, औषधियों एवं वनस्पतियों को जन्म देती है तथा रत्नगर्भ है। प्राणियों में खाद्य श्रृंखला का संचालन अन्न व वनस्पतियों द्वारा ही होता है। इसीलिए अर्थवेद में भूमि को माता कहा गया है—

**माता भूमि: पुत्रो अहं पृथिव्या: ।<sup>1</sup>**

वन, पर्वत, नदी, सागर आदि धारित यह पृथ्वी चारों प्रकार की सृष्टियों का आधार है। बिना पृथ्वी के अस्तित्व के न तो सृष्टि की कल्पना ही की जा सकती है और न ही पर्यावरण की। धैर्य व सहनशीलता के लिए पृथ्वी की उपमा दी जाती है। वेद के एक मंत्र में भूमि को विश्व का भरण-पोषण करने वाली, धनों की खान, सब की प्रतिष्ठा, सुवर्ण से युक्त तथा जगत् को बसाने वाली बताया गया है—

**विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी ।<sup>2</sup>**

सामवेद में पृथ्वी को रत्नों का भण्डार बताया गया है—

**दधाति रत्नं स्वदयो रपीध्यम ।<sup>3</sup>**

यजुर्वेद में उल्लेख है कि वैदिक ऋषि लोगों ने मृदा को उर्वर बनाने तथा उसे हिंसित (प्रदूषित) न करने की शिक्षा दी गई है—

**पृथिवी रुद्रं प्रथिवी मा हिंसा ।<sup>4</sup>**

मृदा के ये विशेषण पर्यावरण की दृष्टि से भी सार्थक कहे जा सकते हैं, क्योंकि विश्व का भरण-पोषण पर्यावरण की अनुकूलता पर ही निर्भर है। साथ ही प्रदूषण निवारण तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक उपयोगी वृक्षों, वनस्पतियों एवं औषधियों को उत्पन्न करने वाली पृथ्वी ही है। इसीलिए वेद में उसे औषधियों की माता कहा गया है—

### विश्वस्वं मातरमोषधीनाम्<sup>5</sup>

अथर्ववेद के 12वें अध्याय का प्रथम सूक्त 'भूमि सूक्त' कहलाता है, जिसके 63वें मंत्रों में पृथ्वी विशेषताओं का चित्रण है। वहाँ एक मंत्र में पृथ्वी को सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि—

'हे भूमि, मैं तेरे वृक्षों को इस प्रकार काटू कि वे पुनः शीघ्र अंकुरित हो जाये। ह विमृग्वरि (विशेष रूप से शोधन करने वाली) मैं तेरे मर्मस्थल पर प्रहार न करुँ—'

**यत् ते भूमे विश्वनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु।**

**मा ते मर्म विमृग्वरि मा ते हृदयमर्पितम्।<sup>6</sup>**

यहाँ यह सूचित किया गया है कि वृक्ष वनस्पतियों को समूल नष्ट करना ही एक प्रकार से पृथ्वी के मर्म पर प्रहार है। साथ ही इस मंत्र में 'विमृग्वरि' सम्बोधन पृथ्वी की प्रदूषण निवारता की ओर संकेत किया गया है। पृथ्वी 'विमृग्वरि' (शुद्ध करने वाली) विशेष अन्य मन्त्रों में भी दिया गया है। पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में वेद के पृथ्वी सूक्त का वैज्ञानिक अध्ययन एवं विवेचन अत्यन्त अपेक्षित है। पृथ्वी की शोधकता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि एक लम्बे समय से भारत में शौचादि के बाद हाथ माजने तथा बर्तनों को साफ करने व कच्चे घरों को लीपने के लिए मिठी (विशेषतः पीली मिठी) का प्रयोग किया जाता है।

महाभारत में पृथ्वी की विधिवत स्तुति की गयी है। पृथ्वी की संरक्षण की बात तत्कालीन तथ्यों से परिलक्षित होती है। लाक्षागृह से जीवित बच जाने पर जब पाण्डवों को पुनः खाण्डवप्रस्थ प्राप्त हुआ तो उन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की पूजा की। पृथ्वी का अतिशय उपभोग अनुचित है। यदि मानव धर्म मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तो निश्चित रूप से धर्मच्युत माना जायेगा। यहाँ पृथ्वी दान को सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है।<sup>7</sup> यहाँ भी वेदों के समान पृथ्वी को माँ स्त्रीकार किया गया है।<sup>8</sup>

**यस्य भूमिः प्रमाङ्गत्तरिक्षमुतोदरम्।**

**दिवं यश्चक्रं मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय बाह्मणे नमः।<sup>10</sup>**

पृथ्वी के महत्व को जानते हुए ही ऋषियों ने पृथ्वी सूक्त की रचना की है। वे जानते थे कि यह पृथ्वी ही है जो वर्षा के जल को संरक्षित रख सकती है। अतः उन्होंने पृथ्वी से प्रार्थना की कि वह जल का अपने अन्दर गर्भाधान कराये—

**भूम्यै पर्जन्यपत्न्यै नमोऽस्तु वर्षामिदसे।<sup>11</sup>**

इस प्रकार यदि हम सूक्ष्म अन्वेषण करें तो पायेंगे कि वेदों में वर्णित समस्त पृथ्वी सम्बन्धित सूक्त पृथ्वी के महत्व को प्रतिपादित कर रहे हैं तथा बता रहे हैं कि यह पृथ्वी ही है जो समस्त चराचर जगत की आश्रय स्थली है। अतः हमें उसका हर स्तर पर संरक्षण करना चाहिए। प्राकृतिक तत्वों को क्षति पहुँचाने वाले तथा अपनी मनमानी करने वाले मनुष्यों को पृथ्वी उसी प्रकार दण्डित करती है जिस प्रकार अश्व अपनी थकान मिटाने के लिए अपनी देह पर लगी धूल को झाड़ देता है—

**अश्व इव रजो दुधुवे वि तान् जनान्**

**य आक्षियन् पृथिवीं यादजायत**

**मन्द्राग्रेत्वरी भुवनस्य गोपा**

**वनस्पतीना गृभिरोषधीनाम्।।<sup>12</sup>**

**वस्तुतः** देखा जाय तो रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति को चूस लेना, कीटनाशक दवाओं के अनुचित प्रयोग एवं उद्योग-धन्यों के टोस तथा जलीय दूषित पदार्थों की भूमि में निकासी तथा मल-मूत्र, कूड़ा-करकट आदि के अनियंत्रित विसर्जन से पृथिवी को दूषित करना पृथ्वी की हिंसा है। जिसका निषेध वेद ने किया है। इसके अतिरिक्त भूमि के अनुचित कटान तथा पर्यावरण एवं मैदानी क्षेत्रों में नदी तटों पर वन और वृक्षों के काटे जाने से पृथ्वी की दृढ़ता कम होती है, जिस पर प्रतिवन्ध लगाने का संकेत वेद ने किया है। पृथ्वी की दृढ़ता वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण पर ही निर्भर है।

**सन्दर्भ :**

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. अथर्ववेद 12/1/12        | 8. महाभारत, आदि पर्व 206/51   |
| 2. अथर्ववेद 12/1/6         | 9. महाभारत, अनुशासन पर्व 62/3 |
| 3. सामवेद 10/31            | 10. अथर्ववेद 11/6/15          |
| 4. यजुर्वेद 13/14          | 11. अथर्ववेद 10/7/32          |
| 5. अथर्ववेद 12/1/17        | 12. अथर्ववेद 12/1/42          |
| 6. अथर्ववेद 12/1/35        |                               |
| 7. अथर्ववेद 12/1/29 तथा 37 |                               |

## ग्रामीण उद्यमी महिलाओं पर पश्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण का प्रभाव

डॉ मुकेश सिंह राठौर\*

\*एसोडी प्रोफेसर अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, डी०एन०पी०जी० कॉलेज, फतेहगढ़, फरलखाबाद, उ०प्र०

**सारांश :** पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने ग्रामीण उद्यमी महिलाओं को काफी हद तक प्रभावित किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व समाज सुधार आन्दोलनों, महिला आन्दोलनों एवं राष्ट्रीय आन्दोलनों ने स्त्री समानता की इतनो मजबूत नीव डाली थी जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वैधानिक व्यवस्थाओं एवं अधिनियमों में ठोस निर्माण कार्य किया गया। देश में ऐसे अनेक क्रान्तिकारी नियम हुए जिन्होंने महिलाओं की परिस्थिति को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावित किया। प्रस्तुत अध्ययन पूर्व के अध्ययनों से अलग है तथा अध्ययन विषय एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण है।

**मुख्य शब्द :** समाज सुधार आन्दोलन, महिला आन्दोलन, राष्ट्रीय आन्दोलन, सामाजिक-धार्मिक कुरीतियों आदि।

मानव को सविधान से प्राप्त मौलिक अधिकारों में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में अधिकार प्रदान किये गये। इन प्राप्तियों ने स्त्रियों की जागरूकता धार्मिक आदर्शों के प्रति क्षोभ, शैक्षणिक महत्वाकांक्षा, राष्ट्र संघर्ष के अनुभव के माध्यम से स्त्रियों को हिन्दू आदर्शों का पुनर्विचार करने के बाध्य किया। पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव था कि सामाजिक-धार्मिक कुरीतियों जैसे—बाल विवाह, अन्तर्विवाह, बहिर्विवाह, विवाह पुनर्विवाह पर प्रतिवंध आदि शिथिलता आयी और विलम्ब विवाह, बहिर्विवाह प्रतिवंध, अन्तर्जातीय विवाह, पुनर्विवाह को प्रोत्साहन तथा पदा प्रथा आदि अनेक ऐसे परिवर्तन हुए जिसने ग्रामीण महिलाओं की स्थिति के सुधार में अहम भूमिका अदा की। सन् 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम (दि चाइल्ड मेरेज रेस्ट्रेन्ट एकट,) बनाकर सेवानीतिक रूप से बाल विवाह पर रोक लगा दी गयी। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी माता-पिता अपनी पुत्री का विवाह 15 वर्ष से कम आयु में नहीं कर सकते।

भारत सरकार ने इसमें संशोधन करके इसे 18 वर्ष तथा लड़के की आयु 21 वर्ष अनिवार्य मानी है। इसी तरह विशेष विवाह अधिनियम (1954), हिन्दू विवाह अधिनियम, (1955) तथा दहेज निरोधक अधिनियम, (1986) आदि अनेक ऐसे नियम व कानून बनाये गये जिसका उद्देश्य किसी न किसी रूप में महिलाओं की स्थिति में सुधार से संबंधित ही था। अतः ये सारे परिवर्तन पश्चिमीकरण के कारण ही हुए हैं। इसका परिणाम यह है कि ग्रामीण महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे निकल गयी। अब वे केवल पति पर आश्रित नहीं हैं, अपितु स्वयं जीविकोपार्जन कर रही हैं। वर्तमान में कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है, जिसमें महिलाएं सेवारत नहीं हैं। प्रधानमन्त्री, राज्यपाल, मंत्री, पुलिस अधिकारी, इंजीनियर, वकील, बैंक अधिकारी, प्रोफेसर तथा राजनीतिक दलों की अध्यक्ष आदि सभी कछु हैं। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में भी तृतीय श्रेणी से लेकर उच्च पदों पर इनकी संख्या बहुत अधिक है। इसके कई कारण हैं। बढ़ती हुई शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं, बढ़ती हुई महंगाई का अधिक दबाव, उन्नति रहन-सहन आदि की आकांक्षा आदि।

स्त्रियों को शिक्षा देने में भी पर्याप्त सुधार हुए हैं। जिसे निम्नांकित श्रेणी से समझा जा सकता है—

### तालिका-1

भारत में प्रति हजार जनसंख्या साक्षरता<sup>1</sup>

वर्ष	पुरुष	स्त्री	कुल व्यक्ति
1901	98	07	54
1911	106	11	59
1921	122	18	72
1931	156	29	95
1941	249	73	161
1951	250	79	167
1961	344	130	240
1971	395	187	295
1981	469	248	362
1991	641	393	522
2001	759	542	564

उपरोक्त ऑकड़ों से स्पष्ट होता है कि प्रति हजार जनसंख्या साक्षरता में निरन्तर वृद्धि हुई है। सन् 1901 में प्रति हजार 54 व्यक्ति शिक्षित थे, जिनमें 98 पुरुष थे और केवल 07 स्त्रियां थीं, जो सन् 2001 में बढ़ता हुआ क्रमशः 759 तथा 542 हो गया और कुल प्रति हजार जनसंख्या साक्षरता 564 हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुष साक्षरता में वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत सरकार सहित अन्य राज्यों के द्वारा महिलाओं को बहुत अधिक सुविधाएं प्रदान की गयी। इस प्रकार पश्चिमीकरण और आधुनिकरण की प्रक्रिया ने महिलाओं को काफी सीमा तक प्रभावित किया है। आज नारी शिक्षा का

तेजी से विकास हो रहा है। स्त्रियों नौकरी, व्यवसाय, प्रशासन आदि सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान बढ़ रही हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ स्त्रियों सेवारत न हो।

**उद्यमी महिलाओं की दोहरी भूमिका :** वर्तमान स्थिति को स्त्रियों के लिए संक्रमण काल कहा जा सकता है, जबकि स्त्रियों की परंपरागत भूमिका में नवीन परिवर्तन हो रहे हैं और अभी भी आधुनिक भूमिका ग्रहण नहीं कर सकी हैं। ऐसी परिस्थिति में निश्चय ही दोनों भूमिकाओं को अपनाने के कारण स्त्रियों अनेक स्तर पर विभिन्न दृष्टिपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर रही हैं। घर व बाहर की जिम्मेदारी दोनों को ही कुशलतापूर्व निभाना एवं दानों में सामंजस्य बिठाना नारी के लिए चुनौती भरा कार्य है। जब स्त्रियों ने स्वेच्छा से मातृत्व तथा नौकरी के दोहरे दायित्व को अंगीकार किया है, उनकी समस्या है कि वे दोनों में समन्वय लायें।

उद्यमी महिलाओं के लिए दोहरी भूमिका तब और अधिक संघर्षमय हो जाती है, जब वह विवाहित हो। विवाह और नौकरी के लक्ष्यों को एक साथ स्वीकार करने में अनेक कठिनाईयाँ आती हैं, दोनों लक्ष्यों को एक साथ पूरा करने में कुछ विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। विवाह के लक्ष्य की प्राप्ति आत्म त्याग एवं सहयोग माँगती है, जबकि अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आत्मोन्नति तथा प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता होती है। कार्यकारी महिलाओं से परिवार के सदस्य भी विभिन्न प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं। इन अपेक्षाओं पर खरा उत्तरना भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए मजबूरी है, क्योंकि ऐसा न होने पर उस समाज की अवहेलना का शिकार होना पड़ेगा। इस प्रकार घर और समाज की कसौटी पर खरी उत्तरते हुए जब नारी कार्य के लिए बाहर कदम निकालती है तब इन दोनों में टकराव उत्पन्न होता है। धनोपार्जन के लिए जब कोई भी कार्य किसी संस्था, उद्योग अथवा कार्यालय में किया जायेगा तब उसके नियम कानून के अनुसार कार्य करना ही पड़ेगा, किये जाने वाले कार्य के प्रति भी नारी की जिम्मेदारी होती है।

नारी की बदलती हुई स्थिति के प्रति समाज का रुख बदल रहा है और यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार भी नारी उत्थान के लिए विभिन्न गतिविधियों को अपना रही है। उद्यमी महिलाओं के सामने परिवार एवं बाहर विभिन्न स्तरों पर विभिन्न समस्याएं आती हैं, उनमें किस तरह सामंजस्य बैठाया जा सकता है, इसका प्रस्तुत सदर्भ में विश्लेषण समाचीन होता है।

सर्वप्रथम उद्यमी महिलाओं को सामंजस्य अपने पति के साथ बैठाने की आवश्यकता होती है। यदि पत्नी आर्थिक कारणों से कार्य करती है तो यह पति में अपने असफल होने की भावना पड़ जाती है, जिससे आपसी संबंध में सहजता नहीं रह पाती है, लेकिन यदि कार्य अपनी इच्छा से अपनी शिक्षा के उपयोग से किया जा रहा है तो संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा। इसके अतिरिक्त पति, पत्नी की परिवर्तित स्थिति पर विचार करना और परिस्थितियों के अनुकूल ही अपने में परिवर्तन लाना भी आवश्यक है। पत्नी द्वारा अपनी कार्योंजित भूमिका में अत्यधिक दिलचस्पी दिखाने तथा इस पर अधिक गर्व करने से भी संबंधों में कटुता आ जाती है। ऐसा होने पर पत्नी न केवल अपने घर व पति की अवहेलना करती है अपितु उसको यह लगने लगता है कि नौकरी के साथ-साथ पत्नी एवं मॉकी की भूमिका के दायित्वों व कर्तव्यों का पालन करना एक बोझ है। यही दृष्टिकोण उसे पति के इस अनुरोध का कि उसे एक मॉकी, पत्नी व गृहणी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, विरोधी बना देती है। पति-पत्नी के संबंधों की यह सहजता ही महिला को घर में अपने अन्य कर्तव्यों के निर्वाह में सफलता प्रदान करती है। ऐसा नहीं है कि उद्यमी महिलाओं को केवल घर में ही सामंजस्य बिठाना पड़ता है, लेकिन इतना अवश्य है कि यदि महिला के घर का वातावरण शान्त, सहज है तो वह नौकरी के क्षेत्र में भी सामंजस्य बना सकने में समर्थ होती है।

अभी भी हमारे भारतीय समाज में पुरुष स्त्री को अपने से निम्न दर्जे का ही मानता है और इसका दम्भ पूर्ण व्यवहार स्त्रियों को नौकरी के क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्र ऐसे बना दिये गये जिसमें स्त्रियों के लिए कार्य करना प्रतिष्ठा की बात थी, जबकि बाकी के कार्यों में कार्य करना स्त्रियों के लिए उचित नहीं समझा गया। अब स्त्रियाँ आफिस कार्यों की नौकरियों में बहुत अधिक आने लगी हैं और नये कार्य करने वाली महिलाएं पुराने प्रतिष्ठित कार्य करने वालों की अपेक्षा अधिक संघर्षपूर्ण स्थितियों का समान करती हैं।

डॉ प्रमिला कपूर ने कहा है कि “आफिस के कार्य करने वाली स्त्रियों के लिए वैयाहिक समस्याएं अधिक होती हैं, बजाय उन स्त्रियों के जो अध्ययन कार्य में हैं या डॉक्टर आदि हैं”<sup>1</sup>

इतनी सब समस्याओं के होते हुए भी उद्यमी महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। स्त्रियों विभिन्न प्रकार से सामंजस्य स्थापित करके भी कार्य पर जा रही हैं। यह प्रसन्नता की बात है<sup>2</sup>

#### सन्दर्भ :

1. चयनित समाजार्थिक सांख्यिकी भारत, 2001
2. डॉ प्रमिला कपूर, भारतीय कामकाजी नारी
3. स्पारिका, अंक 3, नारी चेतना, नारी सेवा संस्थान, वाराणसी, पृ.38.

## **राष्ट्रीय आजीविका मिशन एवं महिला सशक्तीकरण** **रोमी मौर्या\***

\*शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, राजा श्रीकृष्णदत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर, उत्तराखण्ड

### **डॉ० अभय प्रताप सिंह\*\***

\*\*एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, राजा श्रीकृष्णदत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर, उत्तराखण्ड

**सारांश :** ग्रामीण भारत की परिकल्पना ऐसी संपत्ति के तौर पर की गई है जिसमें अर्थिक विकास को बढ़ाने की अत्यधिक सम्भावना है और जो सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में भी सक्षम है। सरकार ने हाल में ग्रामीण-महिलाओं की बेहतरी के लिए कई योजनाओं संचालित की जा रही हैं। इनके सशक्तीकरण के लिए इनकी अहम भूमिका है, ताकि आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा किया जा सके। भारत सरकार की अधिकतर योजनाओं और कार्यक्रमों के केंद्र में महिला-सशक्तीकरण ही है। इन योजनाओं का उद्देश्य रोजगार से जुड़े अलग-अलग तरह के अवसर प्रदान कर ग्रामीण-महिलाओं की स्थिति बेहतर करना है। राष्ट्रीय-ग्रामीण-आजीविका-मिशन के जरिए ग्रामीण रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र बेहतर हुआ है और भारत में महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित हुआ है। इन उपायों से शिक्षा, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, स्वारक्ष्य संबंधी सुविधाओं और आजीविका से जुड़े अलग-अलग अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। शोधपत्र पुस्तकालीय एवं विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित है। इसकी प्रकृति मात्रात्मक है।

**मुख्य शब्द :** ग्रामीण भारत, महिला सशक्तीकरण, आजीविका, स्वयं सहायता समूह आदि।

**प्रस्तावना :** ग्रामीण भारत में बदलाव की जो लहर चल रही है, उसका श्रेय सूचना क्रांति और वित्तीय समावेशन को जाता है। ग्रामीण-महिलाओं को इन योजनाओं से भरपूर लाभ हुआ है। राष्ट्रीय-ग्रामीण-आजीविका-मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं ने अपनी सामूहिक शक्ति को पहचाना है और एक सफल 'उद्यमी' के रूप में अपने परचम लहरा रही हैं। अगर इसी तरह महिलाएं एकजुट होकर आगे बढ़ती रहीं तो वह दिन दूर नहीं जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में ग्रामीण भारत की ये महिलाएं अपनी पैठ जमा लेंगी। इसके लिए बस जरूरत है उन्हें सही मार्गदर्शन और कौशल प्रशिक्षण की। ग्रामीण भारत की परिकल्पना ऐसी संपत्ति के तौर पर की गई है जिसमें अर्थिक विकास को बढ़ाने की अत्यधिक सम्भावना है और जो सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में भी सक्षम है। सरकार ने हाल में ग्रामीण-महिलाओं की बेहतरी के लिए कई योजनाओं संचालित की जा रही हैं। इनके सशक्तीकरण के लिए इनकी अहम भूमिका है, ताकि आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा किया जा सके।

**राष्ट्रीय आजीविका मिशन एवं महिला सशक्तीकरण :** भारत सरकार की अधिकतर योजनाओं और कार्यक्रमों के केंद्र में महिला-सशक्तीकरण ही है। इन योजनाओं का उद्देश्य रोजगार से जुड़े अलग-अलग तरह के अवसर प्रदान कर ग्रामीण-महिलाओं की स्थिति बेहतर करना है। राष्ट्रीय-ग्रामीण-आजीविका-मिशन के जरिए ग्रामीण रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र बेहतर हुआ है और भारत में महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित हुआ है। इन उपायों से शिक्षा, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, स्वारक्ष्य संबंधी सुविधाओं और आजीविका से जुड़े अलग-अलग अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र में शुरू की गई इन योजनाओं से आर्थिक गतिविधियों में ग्रामीण-महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और उनका जीवन-स्तर बेहतर हुआ है। अतः अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने, गरीबी हटाने, जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने और 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल के लिए ग्रामीण-महिलाओं का सशक्तीकरण काफी अहम है।

महिला सशक्तीकरण एक प्रक्रिया है जागरूकता पैदा करने की और सहभागिता, निर्णय प्रक्रिया में शक्ति और निर्णय की क्षमता में विकास करने की। महिला सशक्तीकरण एक चेतनशील, लगातार तथा व्यापार स्तर पर महिलाओं के आत्मविश्वास एवं क्षमता में निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियाओं में वृद्धि करने वाली प्रक्रिया है। सशक्तीकरण महिलाओं को लोकतांत्रिक विकास प्रक्रियाओं में भागीदारी हेतु समर्थ बनाती है। यह प्रक्रिया महिलाओं को शक्तिहीनता और गुलामी से मुक्त करती है और उनके अंदर लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रियाओं में सहभागिता हेतु अति महत्वपूर्ण क्षमता का विकास करती है।

सशक्तीकरण का अर्थ मुख्य रूप से उसकी जड़ों में ही समिलित है, जिसका तात्पर्य 'शक्ति और सत्ता' को देना है। वास्तव में सशक्तीकरण एक संकेत है, शक्ति के देने और उत्थान की तथा सभी को समान अवसर देने की।<sup>1</sup> सशक्तीकरण व्यवहारिक रूप में असमानता के अस्तित्व, शक्ति के संबंधों को नारीयता के आधार पर शक्ति के साधनों पर नियंत्रण की प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए चुनौती देता है।

सेकुलर (1993)<sup>2</sup> सशक्तीकरण को एक व्यापक सिद्धान्त मानते हैं जो वैयक्तिक तौर पर गोपनीय है, किन्तु यह सामूहिक विकास कार्यों एवं राजनैतिक और संवैधानिक क्रियाओं में जागरूकता के माध्यम से लोगों को चेतनशील और विकसित बनाता है। कोनजर और कानूनगो (1988)<sup>3</sup> यह अनुभव करते हैं कि सशक्तीकरण आत्म क्षमता की भावना के उत्थान की प्रक्रिया है। भट्ट (1989)<sup>4</sup> का दृष्टिकोण है कि महिला सशक्तीकरण संघर्ष और विकास की एक रणनीति है। पेंगी (1989)<sup>5</sup> का मूल्यांकन यह है कि महिला सशक्तीकरण राजनैतिक गतिविधियों में व्यक्तिगत बाधाओं और सामूहिक ध्रुवीकरण को चुनौती देकर समाज में समान शक्ति संबंधों की स्थापना पर जोर देता है। एडन और बोस (1990)<sup>6</sup> का दृष्टिकोण यह है कि सशक्तीकरण महिलाओं और पुरुषों के बीच में घरेलू और सामाजिक स्तर पर शक्ति संबंधों की पुनर्संरचना है। किलर और भिडवे (1991)<sup>7</sup>

सशक्तीकरण के तत्त्वों से परिचय कराते हैं। जिसमें वे आत्म-सफलता में वृद्धि, स्वेच्छा का अधिकार और स्रोतों पर नियंत्रण की संवैधानिक प्रक्रिया के रूप में सशक्तीकरण की व्याख्या करते हैं। कालमैन (1992)<sup>9</sup> के अनुसार सशक्तीकरण घरेलू स्तर से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने की पूर्व स्थिति है।

**यूनीसेफ (1993)** सशक्तीकरण को कल्याण, समान अवसर, आत्मविवेक, सहभागिता और नियंत्रण की समानता के संदर्भ में पारिभाषित करता है। हेलन (1993)<sup>9</sup> सशक्तीकरण को आर्थिक स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। सिंह (1993)<sup>10</sup> का मूल्यांकन यह है कि महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य कुछ करने का अवसर प्रदान करने और स्रोतों के ऊपर नियंत्रण से है। सेकुलर और हाशमी सशक्तीकरण (1993)<sup>11</sup> की पहचान उसके कुछ खामोश तत्त्वों के माध्यम से करते हैं, जिसमें वे आत्म चिंतन, भविष्य की ओर दृष्टि, गतिशीलता और दूरदृष्टि, आर्थिक सुरक्षा, घरेलू स्तर पर निर्णय प्रक्रियाओं में सहभागिता की स्थिति, सार्वजनिक क्षेत्र म प्रभावी रूप से सक्रिय होने की क्षमता आर असंगठित क्षेत्रों में सहभागिता को सम्मिलित करते हैं। **वटलीवाला (1994)**<sup>12</sup> सशक्तीकरण को पारिभाषित करते हुए कहते हैं कि यह शक्ति संबंधों के अस्तित्व और शक्ति के स्रोतों के ऊपर नियंत्रण को चुनौती देने वाली प्रक्रिया है। **लीला दूबे (1994)**<sup>13</sup> सशक्तीकरण के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए व्याख्यापित करते हैं कि यह स्वायत्त, निर्णय बनाने की शक्ति के विपरीत एक वैकल्पिक शक्ति है, जो कि पुरुषों की प्रभुसत्ता से स्वतंत्र है। **यू.एन.डी.पी. (1994)** सशक्तीकरण को महिलाओं के दिए जाने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संवैधानिक अधिकारों के रूप में पारिभाषित करता है। **होलोकोम (1995)**<sup>14</sup> का दृष्टिकोण यह है कि सशक्तीकरण एक प्रक्रिया है, महिलाओं की सहभागिता की, नियंत्रण में हिस्सेदारी की, कुछ करने के संवैधानिक अधिकार की और निर्णय प्रक्रिया में उनके प्रभाव की। **कार्ल (1995)**<sup>15</sup> सशक्तीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जो सामूहिक जागरूकता के विकास में, क्षमता विकास में, कौशल विकास में, सहभागिता और नियंत्रण में तथा निर्णय प्रक्रिया की शक्ति में और लिंग समानता के लक्ष्य तक पहुँचने की क्रिया में सम्मिलित है। **कार और अन्य (1996)**<sup>16</sup> में यह दृष्टिकोण देते हैं कि सशक्तीकरण महिलाओं के लिए आर्थिक बढ़त और शक्ति की सौदेबाजी है। **राव (1996)**<sup>17</sup> ने निम्न तत्त्वों के आधार पर सशक्तीकरण की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यह महिलाओं की शारीरिक और सामाजिक दशाओं में सुधार, निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में समान अवसर, स्रोतों पर नियंत्रण और उस बढ़त को बनाये रखने की प्रक्रिया है। **आंद्रे बिताई (1999)**<sup>18</sup> सशक्तीकरण को सामाजिक रूपान्तरण के एक तत्व के रूप में अति महत्वपूर्ण क्रिया मनाते हैं और उसे पारिभाषित करते हुए कहते हैं कि सशक्तीकरण एक संस्करण की प्रक्रिया है, जो कि सत्ता प्रतिष्ठानों में पदक्रम में विभाजित करने पर जोर देता है तथा उसमें महिलाओं की समानता पर जोर देकर एक आधारभूत समाज की रचना पर जोर देता है।

**माइकल फूको**<sup>19</sup> के अनुसार शक्ति और कुछ नहीं बल्कि ज्ञान है। अर्थात् दूसरे शब्दों में जिसके पास शक्ति है उसके पास ज्ञान भी है। वे अपनी व्याख्या को सशक्तीकरण के संदर्भ में निम्न बिंदुओं द्वारा व्याख्यायिक करते हैं –

1. शक्ति को सीखा नहीं जाता, न ही रखा जाता है या जिसको एक व्यक्ति ग्रहण करता है या छोड़ देता है बल्कि शक्ति का प्रयोग अनेकानेक दृष्टिकोणों से किया जाता है।
2. शक्ति संबंधों को आर्थिक, प्रक्रियाओं, ज्ञान के संबंधों एवं लैंगिक संबंधों के रूप में देखा जा सकता है।
3. शक्ति नीचे से ऊपर की ओर जाती है अर्थात् शासक एवं शासित के बीच एक पक्षीय विरोध ही शक्ति संबंधों का प्रमुख आधार नहीं है। इस अर्थ में बहुआयामी संबंधों को ध्यान में रखकर परिवार, सीमित समूहों और संस्थाओं आदि के उत्पादन में संबंधों को समझना होगा।
4. शक्ति संबंध उद्देश्यपूर्ण एवं अविषयपरक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। भारतीय संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि यहाँ शक्ति संबंधों को आर्थिक प्रक्रियाओं, ज्ञान और लैंगिक संबंधों के स्रोतों में निहित पाया गया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये उनकी गरीबी दूर करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने 3 जून, 2011 में आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरतर विकास करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुँच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है। इसके लिए मंत्रालय को विश्व बैंक से आर्थिक सहायता मिलती है।

इस मिशन ने स्वयं सहायता समूह तथा संघीय संस्थानों के माध्यम से देश के 600 जिलों, 6000 प्रखंडों, 25 लाख ग्राम पंचायतों और छह लाख गांवों के 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों (बीपीएल) को दायरे में लाने का और 8 से 10 साल की अवधि में उन्हें आजीविका के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहयोग देने का संकल्प किया है, जो एक कार्यक्रम के माध्यम से पूरा होगा। इसके अतिरिक्त गरीब जनता को अपने अधिकारों और जनसेवाओं का लाभ उठाने में, तरह-तरह के जोखिम उठाने में और सशक्तिकरण के बेहतर सामाजिक संकेतकों को समझने में मदद मिलेगी। आजीविका-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इस बात में विश्वास रखता है कि गरीबों की सहज क्षमताओं का सदृप्योग हो और देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में उनका योगदान हो, जिसके लिए उनकी सूचना, ज्ञान, कौशल, संसाधन, वित्त तथा सामूहिकीकरण से जुड़कर क्षमताएं विकसित की जाएं।

**उत्पत्ति :** 1999 के बाद से अच्छी तरह से, एक दशक के लिए लागू की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.एच.जी.), ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम, संचालित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2010–11 के बाद से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया है। आय सुजन परिसंपत्तियों के माध्यम से ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों को स्थायी आय प्रदान करने के उद्देश्य एस.जी.एस.वाई.– आर्थिक गतिविधियों के रूप में इतनी गरीबी से बाहर उन्हें लाने के लिए।

स्वयं सहायता समूहों के असमान भौगोलिक प्रसार, स्वयं सहायता समूहों और पर्याप्त बैंकिंग क्षेत्र प्रतिक्रिया की कमी से सदस्यों के बीच उच्च संघर्षण दर, कार्यक्रम प्रदशन बाधा थी। इसके अलावा, कई राज्यों में उचित वितरण प्रणाली और ग्रामीण

गरीबों के बीच में कौशल प्रशिक्षण और इमारत संसाधन अवशोषण क्षमता के लिए समर्पित प्रयासों की कमी का संकेत है, पूरी तरह से एसजीएसवाई के तहत प्राप्त धन का निवेश करने में सक्षम नहीं थे। लागू करने, संरचनाओं की क्षमता और कार्यक्रम की आवश्यकताओं के बीच एक काफी बेमेल हुई थी। एस.एच.जी. महासंघों के रूप में सामूहिक संरथाओं की अनुपस्थिति उत्पादकता वृद्धि, विपणन लिंकेज और जोखिम प्रबंधन के लिए उच्च आदेश का समर्थन सेवाओं तक पहुँचने से गरीबों को रोका।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने के लिए (प्रो० राधाकृष्ण की अध्यक्षता में) एस.जी.एस.वाई. के तहत ऋण से संबंधित मुद्दों पर एक समिति गठित की है कि इस संदर्भ में है। समिति की चार परस्पर संबंधित कार्यों को शामिल किया है, ग्रामीण गरीबी को खत्म करने के लिए एक 'आजीविका दृष्टिकोण' की गोद लेने की सिफारिश की है :

1. कार्यात्मक रूप से प्रभावी एस.एच.जी. और उनके महासंघों में सभी गरीब परिवारों को जुटाना।
2. बैंक ऋण और अन्य वित्तीय, तकनीकी और विपणन सेवाओं के लिए उनके उपयोगों को बढ़ाने।
3. लाभकारी और टिकाऊ आजीविका के विकास के लिए उनकी क्षमताओं और कौशल का निर्माण करना चाहिए।
4. इस्टर्टम परिणामों के साथ गरीबों को सामाजिक और आर्थिक समर्थन, सेवाओं के कुशल प्रसव के लिए विभिन्न योजनाओं द्वारा सहायता।

सरकार समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया और गरीबी कम करने के लिए अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित किया और गति प्रदान किया, 2015 तक सहस्राब्द विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में एसजीएसवाई. का पुनर्गठन किया। एन.आर.एल.एम. के लिए कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क ९ दिसंबर, 2010 को मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था और यह मिशन औपचारिक रूप से ३ जून 2011 को शुरू किया गया था।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सुनिश्चित करेगा कि राज्य सभी की सहभागिता की पद्धतियाँ अपनाएं जहा पर प्रत्येक निर्धारित ग्रामीण गरीब परिवार से कम से कम एक सदस्य, विशेषकर महिला को समयबद्ध तरीके से एस.एच.जी. के तहत लाया गया है। मिशन कामकाजी रूप से प्रभावी और स्व-प्रबंधन वाले संस्थानों में सभी निर्धारित बी.पी.एल. परिवारों के सामाजिक समावेश, सामाजिक एकजुटता के लिए विशेष रणनीति अपनाएगा, जिसमें खासकर अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन मजदूर, प्रवासी मजदूर, अक्षम अलग-थलग पड़े समुदाय तथा अशांत क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों जैसे— संवेदनशील क्षेत्र वाले वर्गों को शामिल करने पर विशेष बल होगा। सहभागिता के साथ संवेदनशीलता का आकलन करने वाली पद्धति और गरीबी का स्तर पता लगाने वाली पद्धति के जरिए बी.पी.एल. परिवारों में सबसे गरीब, सबसे कमजोर लोगों की पहचान किया गया। निर्धारित परिवारों से महिला और पुरुषों दोनों को आजीविका के मुद्दों पर ध्यान दना व गरीब लोगों से जुड़कर संगठनों, किसान संगठन, उत्पादक सहकारी संस्थाएं से जोड़ा गया। इन लोगों को समुदाय के कुशल व्यक्तियों (सी.आर.पी.) के समर्थन वाले, उच्चस्तरीय संस्थानों में भेजा गया, जो समावेश तथा एकजुटता की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में लक्षित समूह के शामिल किए जाने समुदाय के स्तर पर, गरीबों की भागीदारी की पहचान, एक अच्छी तरह से परिभाषित और पारदर्शी और न्यायसंगत प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया जाता है। रंज प्रक्रिया के माध्यम से गरीब के रूप में पहचान सभी घरों एन.आर.एल.एम. लक्षित समूह है और इस कार्यक्रम के तहत सभी लाभ के लिए पात्र है।

**उपसंहार :** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्थिर और उसके तीन स्तरों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करना है— 'भेद्यता कमी' को मजबूत बनाने, बढ़ाने और मौजूदा आजीविका विकल्पों के विस्तार और कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में नए अवसरों के दोहन के माध्यम से 'आजीविका बढ़ाने', 'रोजगार'— बाहर रोजगार के लिए कौशल निर्माण और उद्यमों— स्वरोजगार और एन.आर.एल.एम. को बढ़ावा देता है और इन चारों ओर गरीब के टिकाऊ आजीविका और गरीब के अन्य प्रमुख आजीविका की दिशा में सामुदायिक समर्थन करता है। सामुदायिक अपने सदस्यों के व्यक्तिगत सदस्यों, परिवारों को उनके स्वयं-सहायता-समूहों और महासंघों के माध्यम से आजीविका ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी, बाजार सूचना, जोखिम प्रबंधन उत्पादों और ऋण सहायता के लिए पहुँच प्रदान करते हैं।

## सन्दर्भ :

1. गिरी, एस. मोहिनी, इमेन्सिपेशन एण्ड एम्पावरमेण्ट ऑफ विमेन, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, 2000
2. स्कूलर, एस.आर. एण्ड हसलेनस, एस.एम., डिफाइनिंग एण्ड स्टडीइंग इम्पावरमेण्ट ऑफ वूमेन : ए रिसर्च नोट फ्राम बंगलादेश, जेएसआई वर्किंग पेपर नं. ३, अर्लगटन, वी.ए. 1993.
3. कोनजर, जे.ए. एण्ड कानूरगो, आर.एन., द इम्पॉवरमेण्ट प्रासेस : इनटीग्रेटिंग थोरी एण्ड प्रेविट्स एकादमी ऑफ मैनेजरमेण्ट रिव्यू, १३ (३), 1988, पृ. 471-482.
4. भट्ट, ई. टूवर्ड्स इम्पॉवरमेण्ट वर्ल्ड डबलपरमेण्ट, १७ (७), 1989, पृ. 1059-1065.
5. पेगो, ए. द इम्पावरमेण्ट ऑफ वूमेन इन आर. गिलीन, एफरगूरन : द वूमेन एण्ड इण्टरनेशनल डबलपरमेण्ट, एनुवर बोल्डर, वेस्टएराइव प्रेस, 1989.
6. इल्सन, डी. एण्ड बोस, के, मेन बायस इन द डबलपरमेण्ट प्रासेस, न्यूयार्क, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस, 1991.
7. केलर, बी. एण्ड मैब्ले, डी. पॉलिसी एण्ड प्लानिंग फॉर द इम्पावरमेण्ट ऑफ जैमियियास वूमेन फारमर्स, कनेडियन जर्नल ऑफ डबलपरमेण्ट, 1991, पृ. 75-88.
8. कोलमेन, एल., टूवर्ड इम्पावरमेण्ट वूमेन एण्ड पॉवरमेण्ट पॉलिटिक्स इन इण्डिया, यू.के. बार्ड वेस्टइण्डिया प्रेस कं., ऑक्सफोर्ड, 1992.

9. हेलन, ओ., डेडिकेटेड लाइब्रेरी: युमेन आर्गनाइजिंग फॉर ए फेरर वर्ल्ड, यूके., ॲक्सफोर्ड, 1993.
10. सिंह, समर आर., रूपेट्रस ॲफ ए स्ट्रींग : युमेन्स वेज वर्क एण्ड इम्पावरमेंट एमग फिमेल टी प्लानटेशन वर्कर्स ॲफ श्रीलंका, द जर्नल ॲफ ड्वलपमेंट एरियोस, 27 (3), अप्रैल, 1993, पृ. 329-340.
11. स्पूलर, एस.आर. एण्ड हसलेनस, एस.एम., डिफाइनिंग एण्ड स्टडीइंग इम्पावरमेंट ॲफ यूमेन : ए रिसर्च नोट फ्राम बंगलादेश, जेएसआई वर्किंग पेपर नं. 3, अर्लगाटन, 1993.
12. बाटलीवाला, श्री लाथा, द मिनिंग ॲफ वेमेन्स इम्पावरमेंट : न्यू कॉन्सोट्रस फ्राम एक्शन इन सेन, गीता एण्ड अदर्स, पापुलेशन पॉलिसिस रिवनसिडर्ड, हेरार्ड सिरीज ॲफ पापुलेशन एण्ड इण्टरनेशनल हेल्थ, कैम्ब्रिज मॉस, 1994.
13. दुबे, लीला, (1994) : विसबिल्टी एण्ड पॉवर : ऐसेस ॲन युमेन इन सोसाइटी एण्ड ड्वल्पमेंट, न्यू दिल्ली, ॲक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
14. होल कॉम्ब, एस., मैनेजिंग टू इम्पॉवर : द जर्मन बैंकस एक्सपीरियन्स आफ पोरेसटी एलेशन, लन्दन, जेड बुक्स लि., 1995.
15. कालं, एम., युमेन एन इम्पावरमेंट: पार्टिसिपेशन एण्ड डिसिजन मैकिंग, लन्दन, जेड बुक्स लि., 1995.
16. कार, एम.एम. एण्ड आर. जब्बावाला, स्पीकिंग आरट: युमेन्स इकोनॉमिक इम्पावरमेंट इन साउथ एशिया, आगा खान फाउन्डेशन एण्ड यूनिफेम, लन्दन, आईटी. पब्लिकेशन, 1996.
17. राव, एन., इम्पावरमेंट थू आर्गनाइजेशन यूमेन वर्कर्स इन द इनफॉरमल सेक्टर, इण्डियन जर्नल ॲफ जेण्डर स्टडीस, 13 (2), 1996, पृ. 171-197.
18. आन्द्रे, बेताई, इम्पावरमेंट, एकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल विकल्पी, मार्च, 1999, पृ. 589-97.
19. माइकल फूको, बीअन्ड स्ट्रक्चरलिज़िम, ब्रिंगटन. 1976.

## खेल में मानसिक रूप से स्वास्थ्यता एवं अस्वास्थ्यता का चिकित्सीय महत्व डॉ अनिल कुमार मिश्र\*

\*एसोप्रो, शारीरिक शिक्षा खेल एवं योग विज्ञान संस्थान, डॉ राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तरप्रदेश

**सारांश :** भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर केन्द्रित अधिनियम मेंटल हेल्थ ऐक्ट 1987 शिजोफेनिया वायपोलर और अन्य किस्म के विकारों से जूँझ रहे मरीजों के इलाज एवं देखभाल के लिए बना है। मगर इसका दायरा बेहद सीमित है और वह आत्महत्या की प्रवृत्ति अल्कोहलिज्म, परिवार या समुदाय हिंसा, चिंता एवं तनाव से उपजी स्वास्थ्य विसंगतियों को ही संबोधित करने में नाकामी है। यह अध्ययन खेल में मानसिक रूप से स्वास्थ्यता एवं अस्वास्थ्यता का चिकित्सीय महत्व को रेखांकित करता है। इस दृष्टि से यह अध्ययन विषय एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण है एवं विषय के ज्ञान को वृहद आयाम प्रदान करता है।

**मुख्य शब्द :** मानसिक स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मानसिक अस्वास्थ्यता, आध्यात्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, योग शिक्षा आदि।

हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव आये हैं वह भी मध्यम वर्ग और उसकी उच्च आकांक्षाओं में हो रहे बदलावों की ही चिन्हित करते हैं जिसमें दो ही विकल्प हैं। वह या तो बेहतर करे या बरबाद हो जाये। विशेषज्ञों, डाक्टरों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी इस बात पर सहमति है कि तनाव, अवसाद और अन्ततः आत्महत्या की प्रवृत्ति से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। इसमें प्रमुख रूप से निम्न विधा कारगर हो सकती है—खेल चिकित्सा, संगीत चिकित्सा, योग चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा, नैतिक शिक्षा आदि।

**मानसिक स्वास्थ्य की चिकित्सा :** विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को इस रूप में पारिभाषित किया है— “स्वस्थ रहने का आशय सिर्फ वीमारियों की गैर मजूदगी ही नहीं है जिसमें व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के साथ साथ स्वयं को सामाजिक रूप से भी जिम्मेदार नागरिक साबित करता है। अतः उसके सामाजिक व्यवहारों की भी महत्वा है इसको नकारा नहीं जा सकता। मानसिक स्वास्थ्य के इर्द गिर्द जो सामाजिक वर्जना का भाव होता है उसने भी समस्या को बढ़ाया है। गौरतलब है कि शरीर का शहंशाह आपका दिमाग है लेकिन अधिकतर लोग शारीरिक स्वास्थ्य पर ज्यादा और मानसिक स्वास्थ्य पर कम ध्यान देते हैं। इस सोच को बदलने की जरूरत है। सामाजिक समरसता, जीवन में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और सन्तुष्टि हासिल कर ही आप स्वस्थ व खुशनुमा जिन्दगी जी सकते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मेन्टल हेल्थ एटलस 2011 में कहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया के 70 प्रतिशत में मानसिक नीति बनाई गयी है किन्तु 32 फीसदी आबादी ही इसका फायदा उठा रही है क्योंकि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी आबादी भारत में रहती है। पर यहां मानसिक रोगों पर कोई नीति नहीं बनायी गयी है। मालूम हो कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर केन्द्रित अधिनियम मेंटल हेल्थ ऐक्ट 1987 शिजोफेनिया वायपोलर और अन्य किस्म के विकारों से जूँझ रहे मरीजों के इलाज एवं देखभाल के लिए बना है। मगर इसका दायरा बेहद सीमित है और वह आत्महत्या की प्रवृत्ति अल्कोहलिज्म, परिवार या समुदाय हिंसा, चिंता एवं तनाव से उपजी स्वास्थ्य विसंगतियों को ही संबोधित करने में नाकामी है।

**मानसिक रूप से स्वास्थ्यता एवं अस्वास्थ्यता में अन्तर :** हम सभी लोग जीवन में कभी—कभी निराशा, नुकसान और बदलाव के दौर में गुजरते हैं वस्तुतः ये सभी जीवन के उत्तार चढ़ावों के सामान्य नियम हैं। बहरहाल जीवन के ये प्रतिकूल घटनाएं दूँख, बेचैनी और तनाव का कारण बन सकती हैं लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ एवं अस्वस्थ लोगों के मध्य सिर्फ फर्क इतना है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति प्रतिकूल स्थितियों, संकटों एवं तनावों के दौर से उबरने में सक्षम होता है। विपरीत स्थितियों या बुरे वक्त में भी वह सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। इसके विपरीत मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते।

**मानसिक एवं भावनात्मक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण :** मानसिक एवं भावनात्मक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं—

1. जोश एवं खुशमिजाजी से जिन्दगी जीने का जज्बा।
2. आत्मसन्तुष्टि का भाव।
3. तनाव का ग्रबन्धन करन और जीवन की प्रतिकूल स्थितियों से उबरने की क्षमता।
4. विभिन्न कार्यों का सार्थक एवं उद्देश्यपूर्ण ढंग से निर्वाह करना।
5. नई बातों एवं जानकारियों को सीखने के लिए उत्सुक रहना और इसके साथ ही परिवर्तन के साथ साथ स्वयं को ढालने की क्षमता रखना।
6. काम करने, विश्वास करने तथा विभिन्न गतिविधियों के मध्य संतुलन स्थापित करना।
7. सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करने की योग्यता रखना और इन सम्बन्धों को समुचित रूप से बरकरार रखना।
8. आत्म विश्वास व आत्म सम्मान का भाव रखना।

अब ऐसे कौन से लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं जिससे मनुष्य को स्वयं में जागरूक हो जाना चाहिए कि कहीं न कहीं तनाव, कुण्ठा, अवसाद और अन्ततः आत्महत्या की प्रवृत्ति पनपने वाली है। क्योंकि जीवन के उत्तार चढ़ावों के दौरान दिनचर्या, आदतें, स्वभाव और व्यक्तित्व में नकारात्मक परिवर्तन आते हैं। इसमें प्रमुखता से सजग हो जाने की जरूरत है। ऐसे प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं—

**मानसिक अस्वस्थता के लक्षण :** 1. नकारात्मक या आत्मघाती विचार आना। 2. भयग्रस्त रहना जिस पर व्यक्ति का नियन्त्रण नहीं रहता। 3. आत्महत्या का विचार आना। 4. नींद न आना या नींद में लगातार बाधा पड़ना। 5. हताश या बेसहारा महसूस करना। 6. उन समस्याओं पर लगातार ध्यान केन्द्रित करना जो आपके कार्यक्षेत्र या पारिवारिक जीवन में अवरोध बनकर खड़ी हैं। 7. गम, गलत करने या फिर नकारात्मक भावनाओं से ध्यान हटाने के नाम पर ड्रग्स, धूम्रपान, मदिरापान करना और भूख से कहीं ज्यादा खाना।

इन सभी लक्षणों म से किन्हीं लक्षणों की पहचान कर लेने के बाद मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह आवश्यक हो जाती है क्योंकि रोगों की पहचान करना ही उसका बचाव भी है।

**मानसिक स्वास्थ्य, तनाव तथा अवसाद के नियन्त्रण हेतु सुझाव :** हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का सम्बन्ध मानसिक स्वास्थ्य एवं भावानात्मक स्वास्थ्य से भी है। इसको और बेहतर बनाने के लिए जीवन शैली में परिवर्तन और व्यवहार में परिवर्तन लाना आवश्यक होता है। कुछ सार्थक सुझाव मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव को दूर करने में लाभप्रद सिद्ध होंगे—

**व्यायाम :** व्यायाम करें यह जहां आपके शरीर को स्वस्थ रखने म सहायक है वहीं यह तनाव को कम करके आपके मूँड को खुशनुमा बनाने में भी सहायक है। इसके पीछे एम० राम० वैज्ञानिक का मत है कि एन्डारफिन एक ऐसा रसायन है जो दिमाग में उत्पन्न होता है। इस रसायन द्वारा हम कई बीमारियों से लड़ सकते हैं। यहां तक कि कैंसर और एड्स जसी जानलेवा बीमारी से भी। यह सभी दर्दों को दूर करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एन्डारफिन व्यक्तियों को खुश और स्वस्थ बनाता है। एन्डारफिन शरीर में लिम्फोसाइट्स नामक सफेद ब्लड सेल्स का उत्पादन करता है जो हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं। बहुत से शोधों से निष्कर्ष निकला है कि यह रसायन किसी लेवोरेट्र में नहीं बनाया जा सकता है। इसको ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न करने की कोशिश करना चाहिए और तनाव प्रबन्धन व सुख-शान्ति में भागीदार बनाना चाहिए। इसके कुछ आसान तरीके हो सकते हैं—

1. हंसना और मुर्खराना (हंसमुख मिजाज)।
2. प्रार्थना और ध्यान।
3. निस्वार्थ दूसरों के काम आना।
4. छ: सात घण्टे पर्याप्त नींद लेना।
5. संतुलित व पौष्टिक खाद्य पदार्थों को खान पान में स्थान देना।
6. शराब, धूम्रपान व अन्य मादक पदार्थों से दूर रहना।
7. ऐसा कार्य करना जिसका दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े।
8. संगीत सुनना, इससे मूँड खुशमिजाज होता है।
9. किसी रचनात्मक व सार्थक काम में स्वयं को व्यस्त रखना।
10. प्रियजन व दोस्तों से मिलने के लिए वक्त निकालना।

**आध्यात्मिक शिक्षा :** भारत वर्ष ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहां के ऋषियों मुनियों ने चिंतन की व्यक्ति पर जोर दिया है। आध्यात्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, योग शिक्षा आदि ये सभी चिकित्सीय स्वरूप लिए हुए हैं।

अवसाद से मुक्ति पाना सरल है। आप अपने को कर्ता, भोक्ता और परिणाम प्राप्तकर्ता मान लेंगे तो यह सोच अवसाद उत्पन्न करेगी। आशा के अनन्त आकाश में मुक्त विहार करने वाले नम्भरों की तरह आप को भी चिंता रहित होना चाहिए। यह चिंतन है कि आपके भोजन की व्यवस्था जितनी वर्तमान कर्म पर आधारित है अतनी ही आपके पूर्वकृत कर्म पर भी है। हर परिस्थिति में प्रत्येक माता अपनी संतान को दूध पिलाकर उसकी क्षुधापूर्ति करती है। नियति की यह अज्ञात व्यवस्था कर्मफलानुसार ईश्वर करता है अथवा प्रकृति करती है। जो बालक भूख लगने पर नहीं रोते, मुस्कराते रहते हैं उनको भी दूध पिलाने का काम उनके अभिभावक करते हैं। बेकारी तथा बेरोजगारी से पोषित प्रतिस्पर्द्धा के समय में जिनको नियुक्ति नहीं मिल पाता है उनको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए एवं निराशा एवं अवसादयुक्त नहीं होना चाहिए। जीवन की गति को क्रमशः शून्यता तक पहुंचाने में अवसाद के कारण को हटाया जा सकता है।

हमें आत्मचिन्तन करना चाहिए कि अपने प्रयत्नों को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। प्रकृति ने जो हमें दिया है वह इसलिए नहीं कि हम उसे नष्ट कर दें। सफल न होना हमारे प्रयत्नों की अपूर्णता का द्योतक है। यह सहर्ष करने का निमन्त्रण है और आगे जाने का संकेतक भी। यह मौन संदेश भी है कि आगे चलने पर तुम्हें वह मिलेगा जो ईश्वर देना चाहता है। और अधिक पाने के लिए तुम्हें जो मिला है वह सब कुछ नहीं है। अगर इतना तुम्हें मिलना था रेलें, बसें, वाहन नित नये क्यों? संसार ईश्वर का रूप है। मिथ्या नहीं, भ्रम नहीं, यथार्थ से पूर्णतः वास्तविक है। इसमें तुम्हारा जीवन सोदादेश है। नई आशा, आस्था, अस्मिता रखने पर तुम्हें अभीष्ट प्राप्त होगा। ऐसा न हो तो भगवान की यह सृष्टि किसलिए है? यह केवल तुम्हारे लिए है। दूसरे के लिए बाद में। इसका निर्धारित प्रयोजन है और निश्चित परिणाम है। तुम्हें सोचना है कि तुम्हें पंक के अवसाद से ही रगीन कमल के फूल बनकर प्रस्तुत होना है किसी की अपेक्षाओं का हेतु बनना है। दुर्लभ मानव जीवन को लक्ष्यपूर्ण बनाना है।

#### सन्दर्भ :

1. डी०एन० श्रीवास्तव, आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान, साहित्य प्रकाशन, आगरा।
2. शुक्ला, डा०एन०वी० स्पोर्ट्स मेडीसिन (2002), इण्डियन एसोसिएशन आफ स्पोर्ट्स एन्डोपोमेट्री, 32-टीचर्स फ्लैट, बी०एच०य०० वाराणसी।
3. टंडन, कमल नारायण, मादक दृव्य संदर्शनी (उपयोग, दुरुपयोग एवं प्रभाव), कलासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली

## भारत नेपाल सम्बन्धों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ० शिवचन्द्र सिंह रावत\*

\*असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, राजनामहाल गोपेश्वर, चमोली, उत्तराखण्ड

डॉ० एम०के० उनियाल\*\*

\*\*एसोसिएट प्रोफेसर, रक्षा एवं स्वातंत्र्यिक अध्ययन विभाग, रा०स्ना०महा० गोपेश्वर, चमोली, उत्तराखण्ड

**सारांश :** भारत और नेपाल के राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक सम्बन्ध हजारों वर्ष पुराने हैं और ऐसे में इन साझा संस्कृतियों, रुद्धियों एवं परम्पराओं को अलग किया जाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है फिर भी यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत और नेपाल ने अपने आपसी सम्बन्धों को लेकर बहुत उतार-चढ़ाव देखा है। अपनी आजादी के बाद से ही भारत ने नेपाल के प्रति सदैव उदारता का भाव रखा है, किन्तु फिर भी नेपाल ने अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा के कारण और विदेशी भावितयों द्वारा दिये जा रहे प्रलोभनों के वशीभूत होकर समय-समय पर भारत के प्रति असंतोष जाहिर किया है। इस दिशा में चीन और पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध नेपाल का उपयोग करने का भरसक प्रयास किया है। नेपाल के साथ अंग्रेजों द्वारा की गयी 1816 ई० की सिंगौली की संधि, 1950 ई० की भारत-नेपाल व्यापार तथा पारगमन संधि से लेकर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 3 तथा 4 अगस्त 2014 को नेपाल की सरकारी यात्रा करने तक अनेक उतार-चढ़ाव आये हैं।

**मुख्य शब्द :** निरंकश, साम्यवाद, माओवाद, व्यापार तथा पारगमन, अंतररक्ष्य राज्य आदि।

नेपाल भारत का एक ऐसा पड़ोसी राष्ट्र है, जिसके साथ सीमा पर कोई रोक-टोक नहीं है। इस सन्दर्भ में पुष्टेश पंत लिखते हैं कि “भारत और नेपाल इतने निकट और घनिष्ठ पड़ोसी देश हैं कि कई बार लोग नेपाल को विदेश मानने को तैयार ही नहीं होते।”<sup>11</sup> भारत-नेपाल के बीच लगभग 1800 किमी० लम्बी सीमा पर न कोई बाड़ है और न ही कोई अवरोध। सीमा को दर्शाने के लिए सिर्फ कंकरीट के स्तम्भ बने हुए हैं। दोनों देशों की सीमाएं एकदम से खुली हैं और दोनों देशों के नागरिकों के लिए आवागमन भी खुला हुआ है। नेपाल पूरब, पश्चिम और दक्षिण में भारत से तथा उत्तर में तिब्बत-चीन से जुड़ा हुआ है।

बदलते परिप्रेक्ष्य में भारत को अपने सामरिक हित को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी देश के प्रति नीति में सुरक्षा के तत्व को प्राथमिकता देना आवश्यक हो गया था। भारत की यह इच्छा थी कि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल, भूटान तथा सिक्किम की सरकारें, भारत विरोधी किसी भावित को इस क्षेत्र में न तो पनपने दें और न ही उससे निर्देशित हों। इसलिए इन देशों को अपनी सुरक्षा परिधि में लाने के उद्देश्य से भूटान के साथ 8 अगस्त 1949 को, नेपाल के साथ 31 जुलाई 1950 तथा सिक्किम के साथ 5 दिसंबर 1950 को सन्धियां की गयी। इसी परिप्रेक्ष्य में अपनी नीति को और स्पष्ट करते हुए 22 मार्च, 1949 को इंडियन काउन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेर्स, नई दिल्ली में नेहरू ने कहा था “हमारी विदेश नीति केवल पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं है, परन्तु पड़ोसी देश के एक दूसरे के लिए विशेष हित होते हैं इसलिए भारत को अपने पड़ोसी देशों से जो जमीन व समुद्र से जुड़े हुए हैं, जैसे चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, बर्मा, मलेशिया, इण्डोनेशिया व श्रीलंका के साथ सम्बन्धों को विशेष हितों के दृष्टिकोण से देखना होगा।” नेपाल से स्थापित विशेष सम्बन्ध में भारत का मूल उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना था। यद्यपि सन्धि करने के पीछे यह भावना भी थी कि बदले हुए परिप्रेक्ष्य में प्राचीन सम्बन्ध, आर्थिक आत्मनिर्भरता व परस्पर राजनैतिक हित पूर्व की भाँति संचालित होते रहे। भारत का उद्देश्य यह भी था कि नेपाल भारत की सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी में सम्मिलित हो जाये। इससे उत्तर की ओर से चीन के बढ़ते खतरे व शीतयद्धु के प्रभाव से भारत को सुरक्षित रखा जा सकता था।

भारत की आजादी के समय नेपाल में निरंकुश राजतंत्र था और महाराजा अपने समर्थ सबल-प्रधानमंत्री राणाओं के चंगुल में थे। राणाशाही से मुक्त होने की छटापटाहट नेपाल नरेश को भारत के करीब लायी। तब विशेष परिस्थितियों में भारत-नेपाल मैत्री संधि 31 जुलाई 1950 को संपन्न हुई<sup>2</sup> इस ऐतिहासिक संधि का नेपाल 1960 तक अनुकरण करता रहा परन्तु 26 अप्रैल 1960 को नेपाल ने चीन के साथ मैत्री एवं रक्षा समझौता कर लिया, जो इस संधि के विरुद्ध था। 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद भी नेपाल चीन से आर्थिक व सामरिक सहायता प्राप्त करता रहा। 1975 में नेपाल ने हठधर्मिता अपनाते हुए भारत से व्यापार व पारगमन पर अलग-अलग संधियों पर हस्ताक्षर किए जबकि पहले यह एक ही संधि में दोनों व्यवस्थाएं थी। उल्लेखनीय है कि 23 मार्च 1989 को दोनों देशों के बीच व्यापार एवं पारगमन संधि समाप्त होने के बाद विवाद पैदा हो गया था<sup>3</sup> 1988 के मध्य नेपाल ने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री कोइराला ने 1991 में भारत यात्रा के दौरान पुनः व्यापार तथा पारगमन संधि पर हस्ताक्षर करके तनाव कम किया। ज्ञातव्य है कि नेपाल ने सिक्किम के भारत में विलय का भी विरोध किया था।

8 अप्रैल 1990 को भाताद्वियों से चले आ रहे निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र स्थपित हुआ। महाराजा बीरेन्द्र ने जनता की इच्छा को स्वीकार करके निर्दलीय पंचायत व्यवस्था को समाप्त कर दिया और दलों पर आधारित संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की। नेपाल के आर्थिक विकास में भारत की प्रतिबद्धता को 1992 के पश्चात अनेक कार्यक्रमों के द्वारा व्यावहारिक रूप दिया गया। फिर भी नेपाल की राजनीति में धीरे-धीरे चीन समर्थित कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ता रहा जो कि नवम्बर 1994 के चुनावों में बढ़कर सत्ता तक पहुँच गया। कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारी के प्रधानमंत्री बनते ही भारत-नेपाल

संबंधों पर नये सिरे से विचार होना प्रारंभ हो गया और यह आशंका व्यक्त की जाने लगी कि भारत-नेपाल संबंध अब मधुर नहीं रहेंगे। नेपाल की प्रथम साम्यवादी सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी ने 1995 में भारत की यात्रा की तथा उन्होंने भारत-नेपाल संबंधों के लिए सभी क्षेत्रों की पुनर्समीक्षा का सुझाव दिया। इस यात्रा के द्वारा भारत तथा नेपाल के सम्बंधों के प्रति उत्पन्न कुछ ऐसी शंकाओं को दूर किया गया जो कि साम्यवादी सरकार के गठन के बाद उभरकर सामने आयी थी। भारत-नेपाल सम्बंधों में एक बहुत उत्तम स्तर तब आया जब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 6 फरवरी 1996 के दिन महाकाली सम्पर्क पर पर हस्ताक्षर किये। इस सम्पर्क द्वारा 2000 में गावाट की सामर्थ्य वाले पंचेश्वर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का 8 वर्षों में निर्माण करने तथा सराहा और टनकपुर जल भण्डारों का विकास करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। जून 1997 में भारत के प्रधानमंत्री गुजराल ने नेपाल की यात्रा की तो मैत्री सम्बंधों की प्रक्रिया को और बल प्राप्त हुआ। मार्च 1998 में भारत में बनी बी.जे.पी. सरकार ने भारत नेपाल सम्बंधों को विकसित करने की नीति अपनायी। अटल बिहारी वाजपेयी का पड़ोसी राष्ट्रों के सम्बंध में यह मानना रहा है कि 'मित्र बदले जा सकते हैं, परन्तु पड़ोसी नहीं।' अतः पड़ोस में केसी भी व्यवस्था हो उससे मधुर सम्बंध बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। अतः 1998 से 2004 तक के समय में भारत नेपाल संबंध मित्रतापूर्ण एवं सहयोगी बने रहे हैं।

2008 में नेपाल की राजनीति में वर्चस्य कायम करने के बाद माओवादियों का भारत और हिन्दू विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ। नेपाल के ब्रह्मदेव नगर मण्डी सीमा से भारत में घुसपैठ करने वाले माओवादियों ने भारत मुर्दाबाद और 'भारतीय सेनाओं नेपाल छोड़ो' जैसे नारे लगाये। भारत नेपाल सीमा विमानित करने के लिए लगाये गये खम्भों में अकिंत भारत भाव्य को खरोंच कर मिटा दिया गया। जेहादी कठमुल्लों और माओवादियों का यह प्रयास रहा है कि नेपाल को भारत से दूर कर चीन के करीब कर दिया जाय और उसे भारत के खिलाफ इस्लामी आतंकवाद के केन्द्र के रूप में उपयोग में लाया जाय।

भारत और नेपाल में सांस्कृतिक समानता होने के बावजूद भी समय-समय पर मतभेद उत्पन्न होते रहे हैं। चीन हमेशा से ही भारत नेपाल मधुर सम्बंधों में बाधक रहा है। चीन ने नेपाल को अपने प्रभाव में लेने के कई प्रयास किए परन्तु भारत ने नेपाल को निरन्तर आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर वहाँ सड़कों के निर्माण और पानी बिजली के विकास में सहायता और सहयोग देकर मित्रतापूर्ण सम्बंध बनाये रखने के लिए चेष्टा की है। भारत-नेपाल के सम्बंधों के निर्धारण में चीन हमेशा से ही निर्णायक कारण रहा है। बिना चीन की भूमिका के भारत-नेपाल के सम्बंधों के बारे में अध्ययन नहीं किया जा सकता है। 42 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या वाला नेपाल दुनियाँ के अल्प विकसित देशों में से एक है। 141577 वर्ग किमी क्षेत्रफल वाला नेपाल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक होने के बावजूद दक्षिण एशिया में इसका भूराजनीतिक महत्व है, क्योंकि इसकी सीमाएं एशिया के दो सबसे बड़े राष्ट्रों चीन और भारत के साथ लगी हुई हैं। चीन के साथ इसकी लगभग 1236 किमी<sup>2</sup> तथा भारत के साथ 1751 किमी<sup>2</sup> सीमा रेखा है, इस तरह नेपाल भारत और चीन दोनों के लिए महत्वपूर्ण स्त्रातजिक मूल्य रखता है। बीजिंग के अनुसार नेपाल चीन के आन्तरिक सुरक्षा धरे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह नहीं चाहता है कि कोई भी वैश्विक या क्षेत्रीय शक्ति इस सुरक्षा धरे को तोड़े। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत के अधिग्रहण से चीन के लिए नेपाल का स्त्रातजिक महत्व बढ़ गया है। बीजिंग के लिए नेपाल को तिब्बत मुद्दे पर उदासीन बनना तथा चीनी विद्रोही तिब्बती गतिविधियों के केन्द्र बनने से रोकना एवं शीतयुद्ध के बाद नेपाल में पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका की आर्थिक, राजनीतिक सहायता के रूप में उपरिधिति को रोकना भी एक महत्वपूर्ण उददेश्य बन गया। अमेरिका के प्रभाव को कम करना तथा अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ करना भी नेपाल के लिए महत्वपूर्ण हो गया चीन के लिए नेपाल का महत्व सिर्फ इतना है कि चीन नेपाल का उपयोग भारत पर दबाव बनाने के लिए करना चाहता है।

भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा पर स्थित नेपाल जैसे लघु राज्य को भारत जैसे बड़े देश को इसलिए गंभीरता से लेना पड़ा है, क्योंकि यह अपने भू-स्त्रातजिक अविस्थिति के कारण चीन तथा भारत के मध्य बफर राज्य का कार्य करता है। चीन द्वारा नियन्त्रित और संचालित नेपाल या भारत द्वारा नियन्त्रित एवं संचालित नेपाल एक-दूसरे के लिए सुरक्षा की दृष्टि से अनेक समस्याओं को जन्म दे सकता है। दूसरी तरफ नेपाल को भारत की आवश्यकता है क्योंकि नेपाल जो कि पूरी तरह थल सीमा से आबद्ध है, उसे अन्य देशों के साथ समुद्री व्यापार करने के लिए भारत पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए भारत नेपाल सम्बन्धों का मधुर होना नेपाल के लिए भी अनिवार्य आवश्यकता है। दक्षिण एशिया में भारत की विदेश नीति की सक्रियता का संकेत देने के लिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 3-4 अगस्त 2014 को नेपाल की सरकारी यात्रा की है। यह यात्रा भारत व नेपाल के सम्बन्धों को पटरी पर लाने में सहायता होगी। यात्रा के अन्त में 4 अगस्त 2014 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये जिसके मुख्य अंश इस प्रकार हैं-

1. दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने परस्पर सम्बन्धों को बढ़ाने तथा व्यापार, पारगमन, जल विद्युत भौतिक सम्पर्कता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए नये अवसरों को खोजने की आवश्यकता पर बल दिया।
2. दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था प्रकट की और भान्ति और विकास के साझा दृष्टिकोण को रेखांकित किया।
3. बदली हुई परिस्थितियों के बहुआयामी व गहरे सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के विदेश सचिवों को 1950 की मत्री सम्पर्क के एक नये मसौदे को तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है।
4. भारत द्वारा नेपाल को एक बिलियन डालर के सर्ते ऋण की घोशणा की गयी है। जिसका प्रयोग नेपाल द्वारा आधारभूत ढाँचे के विकास ऊर्जा योजनाओं को लागू करने में किया जायेगा।
5. संयुक्त वक्तव्य में भारत ने नेपाल की कई विकास परियोजनाओं में वित्तीय व तकनीकी सहयोग देने पर सहमति व्यक्त की है।

6. दोनों नेताओं ने भारत—नेपाल सीमा के विवादास्पद बिन्दुओं के स्थाई समाधान हेतु सहमति व्यक्त की है।
7. दोनों नेताओं ने सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया है।
8. दो नये समझौतों को अन्तिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की गई है, इनमें एक समझौता प्रोजेक्ट डेवलपमेण्ट के बारे में है तथा दूसरा समझौता ऊर्जा के व्यापार से सम्बन्धित है।

नेपाल ने इस यात्रा के दौरान अपने यहाँ हो रहे व्यापार घटे का मामला भी उठाया। भारत का मत है कि नेपाल में जल विद्युत का उत्पादन बढ़ाया जाये जिससे भारत—नेपाल से जल विद्युत का आयात कर सके और नेपाल के व्यापार घटे को कम किया जा सके। भारत—नेपाल में रिस्थरता, विकास तथा लोकतंत्र की स्थापना का समर्थक है। एक तरफ वर्तमान में नेपाल के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में माओवादियों के बढ़ते प्रभाव के कारण चीन का प्रभाव बढ़ा है तो दूसरी तरफ नेपाल की पहली संविधान सभा नेपाल के नये संविधान का निर्माण नहीं कर सकी है और इसे भंग कर नवम्बर 2013 में संविधान सभा के पुनः चुनाव कराये गये, जिसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न होने के कारण सरकारों में कई बार बदलाव हुआ है। और आज तक नये संविधान का निर्माण अधर में लटका हुआ है। नेपाल की यह राजनीतिक अस्थिरता भारत व नेपाल के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।

उक्त विश्लेषण एवं अध्ययन के आधार पर भारत नेपाल सम्बंधों के द्वुलम्बुल रवैये को देखते हुए दोनों देशों को एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता एवं अखण्डता का सम्मान करना चाहिए, जिससे दोनों देशों को एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तथा एक दूसरे की भूमि से एक दूसरे के विरुद्ध चलने वाली राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर भी अंकुश लगाना चाहिए। आई.एस.आई. के प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए दोनों देशों को संयुक्त कार्य बल गठित करना चाहिए तथा इसके विरुद्ध स्थानीय लोगों की सहायता लेते हुए लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ायी जानी चाहिए। नेपाल में चीनी प्रभाव को कम करने के लिए भारत को नेपाल के साथ विवादित मुद्दों को हल करने का प्रयास तेज करना चाहिए।

#### **सन्दर्भ :**

1. पंत पुष्पेश एवं जैन, पाल, भारतीय विदेश नीति, नये आयाम, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 2000, पृ०—167
2. सिंह, लल्लनजी, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, 2017, पृ०—676
3. पंत पुष्पेश एवं जैन, पाल, पूर्वोक्त, पृ०—170
4. तिवारी, एन०क०, भारतीय विदेश नीति, साहित्य भवन, पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रा०लि०, आगरा, 2004, प० 99

## हिमालयी पर्यावरण एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में गडरियों की भूमिका

डॉ० एम०क० उनियाल\*

\*एसोसिएट प्रोफेसर, रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग, राजनामहाठ गोपेश्वर, चमोली, उत्तराखण्ड

डॉ० शिवचन्द्र सिंह रावत\*\*

\*\*असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, राजनामहाठ गोपेश्वर, चमोली, उत्तराखण्ड

**सारांश :** हिमालयी क्षेत्र में भेड़-बकरी पालने वाले गडरियों का राष्ट्रीय सुरक्षा में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बुग्यालों में भेड़ पालक ये गडरिये केवल अपनी भेड़-बकरियों को ही नहीं रखते, बल्कि वहाँ से जड़ी-बूटियों को भी इकट्ठा करते हैं। यहीं नहीं कई स्थानों पर ये गडरिये सीमा की चौकसी में भी मदद करते हैं। हिमालयी क्षेत्र में भेड़-बकरी पालने वाले ये गडरिये भारत-तिब्बत सीमा पर सैनिकों के लिए विभिन्न तरह से लाभकारी होते हैं। सीमा पर छ: महीने पश्चात्तरण करते समय, ये केवल पशुचारण ही नहीं करते, अपितु सीमा की निगरानी में भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं।

**मुख्य शब्द :** राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरणीय अनुकूलता, द्वितीय रक्षा पवित्र आदि।

राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ व्यापक रूप में केवल सीमा सुरक्षा से ही नहीं है, अपितु राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्तर्गत राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा भी सम्मिलित है। विभिन्न विद्वानों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की इसी व्यापक अवधारणा को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है— सामान्यतः राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिप्राय है—‘राष्ट्र’ की एकता, अखण्डता, सम्प्रभुता, नागरिकों के जीवन एवं उनकी सम्पत्ति की रक्षा करना, जिसको सशस्त्र सेनाओं से पूरा किया जाता है। अर्थात् सुरक्षा का अर्थ है, उन मूल्यों की किसी भी प्रकार से रक्षा करना जो पहले अर्जित किये गये हैं।<sup>1</sup> इसी तरह सुरक्षा को व्यापक अर्थ में परिभाषित करते हुए जे०ए० मौजूदा श्रीवास्तव लिखते हैं कि ‘सुरक्षा एक व्यापक शब्दावली है जिसका सम्बन्ध प्रादेशिक अखण्डता एवं राजनीतिक प्रभुसत्ता की रक्षा करने के साथ-साथ वाहय आक्रमणों से राष्ट्रीय एवं आतंरिक मान्यताओं (सांस्कृतिक, राजनीतिक संस्थाओं, विश्वास एवं मूल्य की रक्षा) तथा नागरिकों के जीवन एवं उनकी संपत्ति की रक्षा करने से है।<sup>2</sup> इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ केवल सीमा सुरक्षा नहीं है, किन्तु यह भी सत्य है कि सीमा की सुरक्षा के द्वारा ही राष्ट्र की राजनीतिक या आर्थिक सुरक्षा संभव है तथा राष्ट्र की सुरक्षा के रूप में हिमालय का महत्व सदियों से बना रहा है।

हिमालय अपनी उत्पत्ति व निर्माण काल से ही भारत का भाल ही नहीं, बल्कि इसकी सुरक्षा दीवार के रूप में भी निरन्तर प्राहरी का कार्य करता आ रहा है। इसकी विस्तृत हिमश्रृंखलाओं ने सदियों से भारत की विदेशी आक्रमणों से रक्षा की है, किन्तु अब हिमालय अगम्य नहीं है। अब आधुनिक युद्ध प्रणाली में उच्चतम युद्ध तकनीकी व वायु सेना के कारण हिमालय को पार करना पहले की तुलना में आसान हो गया है। फिर भी केवल किसी क्षेत्र विशेष पर अधिकार करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, अपितु उस क्षेत्र में बसने वाले जनमानस को इसमें अहम भूमिका होती है। इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे क्षेत्रों में वहीं जनमानस निवास कर सकता है जो इसके लिए अनुकूलित हो। यही कारण है कि हिमालय की जलवायु व पर्यावरण ने भी भारत की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिमालय की बर्फीली हवाओं में जीवनयापन करना सहज नहीं है, यही कारण है कि इन हिमालयी क्षेत्रों में वे लोग आसानी से जीवनयापन नहीं कर सकते, जिन्हें इसके हिम शिखरों में जीवनयापन का लम्बा अनुभव न हो।

हिमालयी क्षेत्र में भेड़-बकरी पालने वाले गडरिये भी भारत-तिब्बत सीमा पर सैनिकों के लिए विभिन्न तरह से लाभकारी होते हैं। सीमा पर छ: महीने पशुचारण करते समय ये केवल पशुचारण ही नहीं करते, अपितु सीमा की निगरानी में भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं। तिब्बत से भारत के सम्बन्ध प्राचीन काल से रहे हैं, किन्तु चीन द्वारा तिब्बत पर अधिकार करने से भारत-तिब्बत सीमा पर सुरक्षा की गंभीर समस्या है। चीन निरंतर अपना क्षेत्रीय विस्तार करना चाहता है। इसके लिए उसने तिब्बत में रेलमार्ग बिछाकर जहाँ अपने आवागमन को मजबूत किया है, वहीं उसने इस क्षेत्र में अपना सूचना तंत्र का भी जाल बिछाया है। उसने तिब्बत के ताकलाकोट क्षेत्र से लिपुलेख (उत्तराखण्ड) तक 37 किमी० पक्की सड़क बना ली है, जिससे उसकी भारतीय क्षेत्रों तक सीधी पहुँच हो गयी है।<sup>4</sup> ऐसे में सीमातः क्षेत्रों में बसे जनमानस की सुरक्षा में और भी महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। साथ ही इन सीमावर्ती क्षेत्रों में जब चीन द्वारा जनमानस की सुरक्षा में अभी तक पर्याप्त सूचना तंत्र विकसित नहीं किया गया है। भारत द्वारा पहले तो सभी सीमातः गाँवों तक नेटवर्क उपलब्ध नहीं कराया गया है और जहाँ यह सुविधा है भी वहाँ नेटवर्क की बड़ी समस्या रहती है। ऐसी स्थिति में गडरियों की भूमिका और भी बढ़ जाती है।

गडरिये इन हिमालयी क्षेत्रों के पर्यावरण में रहने के अभ्यस्त होते हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। साथ ही तूफानी हवाएँ भी यहाँ रहना मुश्किल कर देती हैं, किन्तु ये गडरिये इन क्षेत्रों के मौसम के इतने जानकार होते हैं कि उन्हें पहले ही अनुमान हो जाता है कि कब किस प्रकार से मौसम में बदलाव होने वाला है। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बदलने का पूर्वानुमान लगाने में गडरिये बड़े अनुभवी होते हैं। भेड़-बकरियों के बारे कहा जाता है कि जब वे पहाड़ की कदराओं की ओट लेना या आड़ ढूँढ़ना आरम्भ कर देते हैं तो समझ लीजिए कि वर्षा आने वाली है या तीव्र गति से मौसम खराब होने वाला है। इसी तरह विभिन्न तरीकों से गडरिये मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। गडरिये हिमालयी पर्यावरण के इतने जानकार होते हैं कि इन्हें

ठंड नहीं लगती है। जैसे— नमक वाली चाय पीना, चाय में धी का प्रयोग करना, थुनर नामक वृक्ष की छाल से बने पेय का प्रयोग करना आदि। रहने के लिए संकरे स्थानों का प्रयोग करना, जिसमें हवा कम स्थान घेरती है तथा इससे ठंड भी कम लगती है।

**हिमालयी पर्यावरण में अनुकूलित गड़रिये व राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी भूमिका :** भारत के हिमालयी क्षेत्र में स्थित सभी राज्यों में भेड़पालन एक प्रमुख व्यवसाय है। भेड़पालक गड़रिये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अपनी भेड़-बकरी ही नहीं पालते हैं, बल्कि वे यहाँ सीमा पर निराशानी करने में भी अपना सहयोग देते हैं। भेड़पालकों एवं अन्य पशुचारकों की राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका को निम्नवत् समझा जा सकता है—

**खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग :** सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले पशुचारकों से सेना को कई प्रकार से सहायता मिलती है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण सहयोग सेना को शत्रु सेना की खुफिया जानकारी है। क्योंकि ये गड़रिये या पशुचारक कई वर्षों से निश्चित क्षेत्र में पशुचारण करते रहते हैं, इस कारण वे उस क्षेत्र के चप्पे-चप्पे से परिचित हो जाते हैं। उन्हें इन क्षेत्रों में आने-जाने के मार्ग, जल स्रोत, कदराओं, गुफाओं आदि की भी गहन जानकारी होती है। यह जानकारी जब सेना को उपलब्ध हो जाती है तो उनका सीमा की रक्षा का कार्य और भी आसान हो जाता है। पशुचारकों को ज्ञात होता है कि किस निश्चित स्थान से शत्रु सेना की अक्सर घुसपैठ होती है। अतः वे यह जानकारी सेना को देकर उन स्थानों की मोर्चाबंदी करके सीमा को सुरक्षित कर सकते हैं। सेना के सदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि सीमा पर कुछ समय के अंतराल के बाद सैनिकों की तैनाती बदलती रहती है। जब नये सैनिक अपनी तैनाती पर आते हैं तो उस समय वे नये होने के कारण उस स्थान से सर्वथा अपरिचित रहते हैं। ऐसी स्थिति में गड़रिये उन्हें आवश्यक जानकारी देकर उस स्थान से परिचित कराते हैं।

यह भी ज्ञातव्य है कि भारत-तिब्बत सीमा पर तैनात भारत-तिब्बत सीमा सुरक्षा बल को सीमांत क्षेत्र के गढ़रिये कई बार महत्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध करा चुके हैं, जिससे समय-समय पर सीमा पर होने वाली घुसपैठ को रोका गया है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018 में जुलाई महीने में जब चीन द्वारा बाड़ाहोती क्षेत्र में घुसपैठ की गयी तो चीनी सैनिकों ने इशारों से भेड़ पालकों को भी पीछे हटने को कहा था। इस सन्दर्भ में दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक जागरण' में दिनांक 28 जुलाई 2018 को छपी खबर के अनुसार, जब डोकलाम में चीनी गतिविधियों की चर्चा चल रही थी तो इसी बीच चीन ने जनपद चमोली से सटी सीमा पर 'भी घुसपैठ की थी। तीन से दस जुलाई के बीच चीनी सैनिक पाँच बार बाड़ाहोती क्षेत्र में घुसे। इस दौरान उन्होंने वहाँ मौजूद भेड़ पालकों को बापस जाने का इशारा किया। हालांकि चमोली के प्रशासन ने ऐसी घटना की जानकारी से इंकार किया, लेकिन वह जरूर कहा कि बाड़ाहोती क्षेत्र में गुरुवार शाम को प्रशासन की टीम रवाना की गयी है। उन्होंने इसे नियमित गश्त बताया। दैनिक पत्र में लिखा गया है कि 'सूत्रों के अनुसार, घुसपैठ की शुरुआत तीन जुलाई को हुई थी। इसके बाद छः और सात जुलाई को चीनी सैनिक करीब 200 मीटर भीतर तक भारतीय सीमा में घुस आये। अग्रिम चौकी पर तैनात जवानों के विरोध के बाद वे बापस लौट गये। बताया जा रहा है कि इसके बाद आठ जुलाई को दो दजन से अधिक सैनिक होतीगाड़ क्षेत्र में चार किमी<sup>10</sup> भीतर तक आ धमके और कुछ देर में लौट गये। इसके बाद दस जुलाई को बाड़ाहोती के तंजुला क्षेत्र में चीनी सैनिकों को फिर देखा गया। इस बार उन्होंने वहाँ मौजूद भेड़ पालकों को इशारे से लौटने को कहा। इस तरह भारतीय सीमा से लगे बाड़ाहोती क्षेत्र में घुसपैठ का यह पहला मामला नहीं है। वर्ष 2017 जुलाई में भी ऐसी घटना सामने आयी थी। तब दो सौ चीनी सैनिक करीब दो घंटे तक भारतीय सीमा में रहे थे। इससे पहले वर्ष 2014 में भी चीन का विमान देखा गया था। जुलाई 2016 में क्षेत्र के निरीक्षण को गयी राजस्व टीम से चीनी सेना का सामना हुआ था। इनकी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी गयी थी। वर्ष 2015 में चीनी सैनिकों द्वारा चरवाहों के खाद्यान्न नष्ट करने की घटना भी सामने आयी थी।<sup>11</sup>

**सीमांत क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं का ज्ञान :** अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण भारत के लिए उसकी भौगोलिक सीमा की रक्षा के लिए थल सेना की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी भौगोलिक सीमाएँ सदियों से हिमालय द्वारा सुरक्षित रही हैं, किन्तु जैसे-जैसे विज्ञान ने नये-नये हथियारों का आविष्कार किया, हिमालय की चोटियाँ अजेय नहीं रही। ऐसी स्थिति में हिमालयी क्षेत्रों में तैनात सेना के साथ ही इन क्षेत्रों के निवासियों की भूमिका भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गयी। ये सीमांत निवासी विभिन्न लोपों में राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देते हैं। हिमालयी उच्च क्षेत्रों में सीमांत क्षेत्रों के पशुचारक ग्रीष्म ऋतु में अपने पशुओं के साथ इन क्षेत्रों में विचरण करते रहते हैं। इनमें से भी विशेषकर भेड़पालक गड़रिये अपनी भेड़-बकरियों के साथ अपने पड़ाव बदलते रहते हैं, जिस कारण उन्हें इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति का गहन ज्ञान हो जाता है। इस ज्ञान को जब वे सीमा पर तैनात सैनिकों को बांटते हैं तो सैनिकों के लिए भी सीमा की रक्षा करना आसान हो जाता है तथा वे सीमा की गहन जानकारियों से अवगत होते हैं, जिससे उन्हें सीमा पर गश्त करने, अपने को उस मौसम के अनुकूल बनाने, जल स्रोत का ज्ञान, बदलते मौसम की जानकारी आदि प्राप्त होती है। इन सब जानकारियों से सैनिक न केवल अपने को उस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं के अनुकूल ढालने में सक्षम होते हैं, बल्कि इससे उन्हें सीमा की रक्षा करने में भी सहयोग मिलता है।

**सैनिकों के लिए मित्र एवं पथ प्रदर्शक की भूमिका :** स्थानीय भेड़पालक एवं पशुचारक सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए मित्र एवं पथ प्रदर्शन करने में भी योगदान देते हैं। भेड़पालक स्थानीय लोग सीमा की भौगोलिक स्थिति, आवागमन के मार्ग, गुफा, कंदरा, ऊँचे पर्वत व ढालों आदि से अच्छी तरह परिचित होता है। अतः आवश्यकता पड़ने पर ये सैनिकों का मार्गदर्शन करने में सहायक होते हैं। कई बार सैनिक भारी बर्फवारी या रास्ते भटकने के कारण मुसीबत में फँस जाते हैं, ऐसी स्थिति में ये भेड़पालक ही उनके मार्गदर्शक होते हैं। यद्यपि वर्तमान में उच्च तकनीकी नवशो द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है, किन्तु बदलते मौसम, भारी बर्फवारी, घने कुहरे में ये सब तकनीकी ज्ञान उतनी मदद नहीं आता जितना तत्काल मौजूद इसान का अपना अनुभव व उसकी अपनी जानकारी, जो मार्गदर्शक के रूप में स्वयं रास्ता दिखाता है। इस तरह ये भेड़पालक सैनिकों के लिए एक गाइड बनकर उन्हें क्षेत्रीय विशेषताओं से परिचित कराते हैं। कठिन समय में ये गड़रिये मार्गदर्शक के अतिरिक्त स्वयं सैनिकों की प्रत्यक्ष मदद भी करते हैं, जिससे सीमा पर तैनात सैनिकों को तत्काल आसानी से इनकी सहायता उपलब्ध हो जाती है।

**युद्ध के समय द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में सहायक :** भेड़पालकों की उपर्युक्त उपयोगिता के अतिरिक्त उनका एक अन्य महत्वपूर्ण सहयोग सेना के लिए द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में सहयोगी होना है। युद्ध के समय जब सेना सीमा पर युद्ध करती है तब उन्हें ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है, जो उनके लिए आवश्यक रसद, युद्ध सामग्री आदि जुटाने में मदद कर सकें। उन्हें क्षेत्र की उचित जानकारी दे सके। उनके लिए आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध करायें। इन सब प्रकार की सहायता के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जो सम्बन्धित क्षेत्र से परिचित हों, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने के अन्यस्त हों तथा कठिन परिस्थितियों में जीवन जी सकें। ऐसी स्थिति में ये भेड़पालक ही हर परिस्थिति में खरे उतरते हैं तथा सेना के लिए द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं। वर्ष 1999 में जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल में घुसपैठ की थी तो तब इन क्षेत्रों में रहने वाले भेड़पालकों ने ही सेना को खबर दी थी कि सीमा पर किस तरह पाकिस्तानी सैनिकों ने घुसपैठ कर अंदर तक प्रवेश किया है साथ ही इन भेड़पालकों की सहायता से ही पाकिस्तानी सैनिकों के बारे में अन्य जानकारियाँ प्राप्त हुई थी।<sup>6</sup>

अतः इन हिमालयी क्षेत्रों में भारत सरकार तथा सुरक्षा बलों को चाहिए कि वे सीमा पर वसे सीमावासियों को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायें। सरकार को चाहिए कि गढ़रियों को समय-समय पर उनकी सेवाओं के लिए उन्हें प्रोत्साहित करे। इस हेतु उन्हें प्रोत्साहन के तार पर प्रोत्साहन राशि दी जाय और मौसमानुकूल उनकी आवश्यकतानुसार वस्तुओं के रूप में या अन्य उनकी अन्य जरूरतों को पूरा करने हेतु उन्हें कैन्टीन की सुविधा दी जाय। इन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाय। शिक्षा हेतु सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाय, जिससे इन क्षेत्रों के निवासियों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पलायन न करना पड़े।

#### सन्दर्भ :

1. सिंह लल्लनजी, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, 2013, पृ०-०१
2. श्रीवास्तव, जे०ए०, राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा, चन्द्रप्रकाश एन्ड कंपनी, हापुड़, फैजाबाद, 2008-०९, पृ०-०१
3. मामोरिया, चतुर्भुज, भारत का भूगोल, साहित्य भवन, पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा, 2004, पृ०-१७
4. चौहान, भारती, तिब्बत में चीन के नापाक इरादे एवं भारतीय सुरक्षा, हिमालय परिदृश्य, संपादक-सुरेन्द्र सिंह कुँवर, श्रीनगर, गढ़वाल, वो०-१, 2015, पृ०-१२
5. दैनिक जागरण, दैनिक समाचार पत्र, 28 जुलाई 2018, देहरादून गढ़वाल संस्करण, पृ०-०१
6. उनियाल, ए०के०, उत्तराखण्ड के सीमांत क्षेत्रों से पलायन का राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव, हिमालय परिदृश्य, गढ़वाल, 2015, पृ०-१७
7. उनियाल, ए०के०, सेमवाल, जी०के० एवं रावत, ए०ए०, राष्ट्रीय सुरक्षा के परिपेक्ष्य में गढ़वाल हिमालय के सीमांत जिला चमोली का स्त्रातेजिक महत्व, सुरक्षा परिदृश्य, मेरठ, 2011, पृ०-१३४

## समकालीन व आधुनिक कला : एक अध्ययन

### डॉ सारिका बाला\*

\*एसोप्रो, विभागाध्यक्ष, वित्रकला विभाग, आचार्य नरेंद्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय, हर्ष नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश

**सारांश :** समकालीन कला शब्द, कला को संदर्भित करता है – अर्थात्, पैटिंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, स्थापना, प्रदर्शन और वीडियो कला – जो आज निर्मित है। हालांकि यह सरल प्रतीत होता है, इस परिभाषा के आसपास के विवरण अक्सर थोड़े अस्पष्ट होते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों की “आज” की व्याख्या व्यापक और बेतहाशा भिन्न हो सकती है। इसलिए, शैली के सटीक प्रारंभिक बिंदु पर अभी भी बहस चल रही है यहांकि, कई कला इतिहासकार 1960 के दशक के अंत या 1970 के दशक की शुरुआत (आधुनिक कला, या आधुनिकतावाद का अंत) को एक पर्याप्त अनुमान मानते हैं।

**मुख्य शब्द :** समकालीन कला, आधुनिक कला, रचनात्मक, विचारधारा, राष्ट्रीयता आदि।

समकालीन कला आज की कला है, जो 20 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या 21 वीं सदी में निर्मित है। समकालीन कलाकार विश्व स्तर पर प्रभावित, सांस्कृतिक रूप से विविध और तकनीकी रूप से आगे बढ़ने वाली दुनिया में काम करते हैं। उनकी कला सामग्री, विधियाँ, अवधारणाओं और विषयों का एक गतिशील संयोजन है जो 20 वीं शताब्दी में पहले से ही अच्छी तरह से चल रही सीमाओं की चुनौती को जारी रखती है। विविध और उदार, समग्र रूप से समकालीन कला को एक समान, संगठित सिद्धांत, विचारधारा, या “—वाद” की कमी से अलग किया जाता है। समकालीन कला एक सांस्कृतिक संवाद का हिस्सा है जो व्यक्तिगत और सांस्कृतिक पहचान, परिवार, समुदाय और राष्ट्रीयता जैसे बड़े प्रासांगिक ढांचे से संबंधित है।

स्थानीय भाषा में, आधुनिक और समकालीन पर्यायवाची है, जिसके परिणामस्वरूप गैर-विशेषज्ञों द्वारा आधुनिक कला और समकालीन कला की शर्तों का कुछ संगम और भ्रम होता है। समकालीन कला क्या है? इस पाठ्यक्रम में, आप पिछले दशक से कला पर ध्यान देने के साथ, 1980 और वर्तमान के बीच बनाई गई 70 से अधिक कला कार्यों के माध्यम से इस प्रश्न पर विचार करेंगे। आप दुनिया भर के कलाकारों, वास्तुकारों और डिजाइनरों से उनकी रचनात्मक प्रक्रियाओं, सामग्रियों और प्रेरणा के बारे में सीधे सुनेंगे।

**पांच विषय आपके मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं :** टेलीविजन से इंटरनेट तक भीड़िया, क्षेत्र और पारगमन, सामग्री और निर्माण, एजेसी और शक्ति। आप 3-डी-मुद्रित ग्लास और फाइबर मूर्तियाँ, एक कारखाने और एक संग्रहालय में प्रदर्शन, चित्रित चित्रों के साथ–साथ कृत्रिम बुद्धि से बने—और टेलीविजन और वीडियो गेम में हस्तक्षेप देखेंगे। और भी बहुत कुछ, सभी आधुनिक कला संग्रहालय के संग्रह से लिए गए हैं। जैसे कलाकार हमें अपने स्टूडियो में, अपने आस-पड़ोस में आमंत्रित करते हैं, और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के साथ प्रयोग करने के लिए आते हैं। न केवल आप इस बात की गहरी समझ विकसित करेंगे कि कलाकार आज कैसे काम करते हैं, आप हमारे समय के ज्वलत मुहों और प्रश्नों के लिए उनके कई दृष्टिकोणों का भी पता लगाएंगे। इस कोर्स को करने से, आप जहां भी मिलते हैं, समकालीन कला को देखने और अपने स्वयं के जीवन या रचनात्मक अभ्यास से संबंध बनाने के लिए आत्मविश्वास प्राप्त करेंगे। समकालीन कला इस विचार की घोषणा कर रही है कि कला के वास्तविक कार्यों का निर्माण नहीं किया जा सकता है यदि कुछ नियम हैं जो का पालन करना होगा, और कलाकार के पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने का कोई सौकान्य नहीं है यदि वह पारंपरिकता से मुक्त महसूस नहीं करता है। समकालीन कला के बारे में बोलते हुए, लोगों का मतलब आमतौर पर कला और कलात्मक तकनीकों की वस्तुओं से होता है जिनका उपयोग वीसवीं शताब्दी के मध्य में किया जाने लगा। समकालीन कला को उस क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जिसका शास्त्रीय कला के लिए विशिष्ट रचना नियमों से कोई मजबूत संबंध नहीं है। समकालीन कला की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक विविधता के लिए प्रयास है यह इसके फ्रेम के भीतर, उन सभी तरीकों का उपयोग करना संभव हो जाता है जिनकी कल्पना संदेश को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। कई मामलों में, समकालीन कला की वस्तुएं राजनीतिक नेताओं द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण बयानों जैसे कि टॉमहॉक को खोदने या एक नई राजनीतिक या आर्थिक दिशा चुनने के फैसले के खिलाफ कलाकार के विरोध को आवाज देने का तरीका प्रस्तुत करती हैं। हमारे समकालीनों द्वारा बनाई गई कला की वस्तुएं आधुनिक समाज को उसके वास्तविक रंगों में दर्शाती हैं।

अक्सर ऐसा होता है कि समकालीन कलाकार मानवता की कई बीमारियों को अतिरंजित तरीके से दिखाते हैं या चित्रित समस्या को बेतुकेपन की हड तक ले जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकालना संभव है कि समकालीन कला केवल वस्तुओं के निर्माण से अधिक कुछ है जो दर्शकों की आखों को अच्छी लगती है। इसके विपरीत, इसमें अक्सर हमारे समाज की तत्काल समस्याओं को दृश्य छावियों में बदलना शामिल होता है जो सक्षम हैं लोगों को उन चीजों पर ध्यान देने के लिए, जिन्हें वे आमतौर पर बहुत कम महत्व देते हैं, और लोगों को अधिक जागरूक बनाने के लिए ऐसा दृष्टिकोण मानवीय अज्ञानता से संघर्ष करने के लिए एक प्रभावी उपकरण प्रतीत होता है। समकालीन कला समुदाय कई प्रसिद्ध कलाकारों से भरा है जो अपनी शैली विकसित कर रहे हैं ये वे इतने अलग हैं कि वे कला के प्रति अपने जुनून से ही एकजुट प्रतीत होते हैं। 7 इस समुदाय का हिस्सा होने के नाते, चीन से ऐ वेईवेई और संयुक्त राज्य अमेरिका के रिचर्ड प्रिस उन कलाकारों की संख्या से संबंधित हैं जिनके काम से अलग–अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं।

कला अक्सर केवल सौदर्य (काम की नजर) के बजाय विचारों और चिंताओं के बारे में होती है। कलाकार विचारों और सामग्रियों के साथ प्रयोग करने के विभिन्न तरीके आजमाते हैं। समकालीन कलाकार जो कुछ भी सोचते हैं उसका उपयोग करते हैं जो उनके विचार को सबसे उचित रूप से दर्शाता है। आजकल कलाकारों के पास उपयोग करने के लिए कई अलग-अलग तरीके और सामग्रियां हैं। कुछ पैटिंग और ड्राइंग का उपयोग करते हैं लेकिन फोटोग्राफी, मूर्तिकला, फ़िल्म, न्यू मीडिया, लाइव प्रदर्शन, प्रकाश, ध्वनि और स्थापना भी हैं। इसलिए समकालीन कला बहुत विविध है। यह आम तौर पर आधुनिक कला आंदोलन के बाद निर्मित कला को आज तक परिभाषित करता है। हालाँकि, आधुनिक कलाकृति केवल एक विशिष्ट समय-सीमा के दौरान निर्मित कला नहीं है। कला की इस शैली का अपना दृष्टिकोण या शैली है जो इसे दूसरों से अलग करती है। फिर भी, कला की इस शैली को परिभाषित करना मुश्किल है क्योंकि इसमें ऐसी विविधता शामिल है। कुछ लोगों का तर्क है कि आधुनिक कला का मूल दृष्टिकोण और लक्ष्य स्वयं कलाकृति की प्रकृति को चुनौती देना है। यह दर्शकों को यह सवाल भी करवा सकता है कि कला को परिभाषित करने वाला क्या है। इसलिए, कला की यह शैली विशेष रूप से एक समान नहीं है, और कला की किसी भी अन्य शैली को तुलना में इसका सटीक वर्णन करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अतिरिक्त, कई प्रमुख कारण हैं कि क्यों समकालीन कला समाज के लिए महत्वपूर्ण है, उदाहरण के लिए यह स्वयं को व्यक्त करने का एक साधन है क्योंकि यह सामाजिक और सांस्कृतिक टिप्पणी प्रदान करने का तरीका है।

समकालीन कला पर विचार करते समय, किसी एक सामान्य शैली को परिभाषित करना या उसका वर्णन करना कठिन हो सकता है। कलाकार अपने काम को कई तरह से करते हैं। अवधारणाओं, विषयों और विषय-वस्तु की एक विस्तृत शृंखला को व्यक्त करने के लिए मीडिया और सामग्रियों की एक विस्तृत शृंखला का उपयोग किया जा सकता है। जबकि अतीत के कलाकार अक्सर धर्म, पौराणिक कथाओं और उनके भुगतान करने वाले संरक्षकों की मांगों से प्रभावित होते थे आज के कलाकार बहुत अधिक प्रेरित हो सकते हैं और काम अक्सर उनके स्वयं के हितों या स्वयं की अभिव्यक्तियों से बढ़ता है। अक्सर काम वर्तमान राजनीतिक माहौल और लोकप्रिय प्रवृत्तियों सहित अपनी संस्कृति को प्रतिविवित कर सकता है। हालांकि, व्यापक रूप से यात्रा करने और उनकी तत्काल दुनिया में जो देखा जाता है उससे कहीं अधिक एकीकृत करने की क्षमता के साथ, कला अपने विषयों में तेजी से वैशिक और विविध है।

कला के अन्य विद्यालयों के विपरीत, कला के इस स्कूल में उद्देश्य का एक भी दृष्टिकोण नहीं है। इसके बजाय, यह बहुआयामी है। टुकड़े अक्सर कलाकार के प्रतिविवित होते हैं और इसलिए दृष्टिकोण की एक महान विविधता को दर्शाते हैं। यह समकालीन कला को वर्तमान जीवन की एक जटिल परीक्षा बनाता है। जिन सामान्य विषयों की जांच की जा सकती है उनमें शामिल हैं: पहचान, शरीर, प्रौद्योगिकी, वैश्वीकरण, प्रवास, समाज, संस्कृति, स्मृति, समय बीतने, और सामाजिक-राजनीतिक संस्थानों की कलात्मक आलोचना।

**समकालीन कला का इतिहास क्या है? :** समकालीन कला शूल में आधुनिकता के साथ विकसित हुई है। अब इसे उस स्कूल से भिन्न के रूप में देखा जाता है। 1910 में, रोजर फ्राई और उनके सहयोगियों ने समकालीन कला समाज की स्थापना की। उस समय, यह केवल एक निजी समाज था जहाँ सार्वजनिक संग्रहालयों के लिए कलाकृतियाँ खरीदी जा सकती थीं। 1930 के दशक के दौरान समान शब्दावली के साथ अधिक संस्थानों की स्थापना की गई थी। क्षेत्र के विद्वानों ने आधुनिक कला को एक विशिष्ट शैली के रूप में प्रतिष्ठित किया जो एक विशिष्ट समय-अवधि के साथ संरचित होती थी। इसके विपरीत, समकालीन शैली समय के साथ आगे बढ़ती रहती है, जो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों और परिणामों को जोड़ती है।

“आधुनिक कला” शब्द की कोई सटीक परिभाषा नहीं है: यह एक लोचदार शब्द है, जो विभिन्न अर्थों को समायोजित कर सकता है। यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हम समय के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और जिसे आज “आधुनिक चित्रकला” या “आधुनिक मूर्तिकला” माना जाता है, वह पचास वर्षों के समय में आधुनिक नहीं निर्मित कार्य है। यह “आधुनिक युग” पुनर्जागरण से प्रेरित अकादमिक कला द्वारा वर्चस्व की लंबी अवधि के बाद, लिलित कला के यूरोपीय अकादमियों के नेटवर्क द्वारा प्रचारित किया गया। और इसके बाद “समकालीन कला” (1970 के बाद) आती है, जिसे अधिक उन्नत कला भी “उत्तर आधुनिक कला” कहा जाता है। यह कालक्रम कई कला समीक्षकों और संस्थानों के दृष्टिकोण से मेल खाता है, लेकिन सभी नहीं। उदाहरण के लिए, लंदन में टेट मॉर्डन और पेरिस में पोम्पीडू सेंटर में मुसी नेशनल डीआर्ट मॉर्डन दोनों, ‘‘मॉर्डन आर्ट’’ के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में 1900 लेते हैं। इसके अलावा, न तो वे, न ही न्यूयॉर्क में आधुनिक कला संग्रहालय, “आधुनिकतावादी” और “उत्तर आधुनिकतावादी” कार्यों के बीच कोई अंतर करते हैं: इसके बजाय, वे दोनों को “आधुनिक कला” के चरणों के रूप में देखते हैं।

संयोग से, कला के इतिहास को समझने की कोशिश करते समय यह पहचाना महत्वपूर्ण है कि कला रातोंरात नहीं बदलती है, बल्कि समाज में होने वाले व्यापक (और धीमी) परिवर्तनों को दर्शाती है। यह कलाकार के दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, 1958 की शुरुआत में निर्मित कला का एक काम निश्चित रूप से “उत्तर-आधुनिकतावादी” हो सकता है (यदि कलाकार के पास एक बहुत ही उन्नत दृष्टिकोण है—एक अच्छा उदाहरण यवेस क्लेन का नोव्यू रियलिज्म है) य जबकि एक अन्य काम, जिसे 1980 में एक रुक्किवादी कलाकार द्वारा बनाया गया था, को “समकालीन कला” के उदाहरण के बजाय “आधुनिक कला” के समय की वापसी के रूप में देखा जा सकता है। यास्तव में, यह कहना शायद सच है कि कला के कई अलग-अलग पहल—अर्थात् सौदर्यशास्त्र के कई सेट, कुछ अति आधुनिक, कछ पराने जमाने—किसी भी समय सह-अस्तित्व में हो सकते हैं। साथ ही, यह याद रखने योग्य है कि इनमें से कई शब्द (जैसे “आधुनिक कला”) का आविष्कार केवल घटना के बाद, दृष्टि के सुविधाजनक बिंदु से किया गया है।

आधुनिक कला कई चित्रकारों, मूर्तिकारों, फोटोग्राफरों, कलाकारों और लेखकों के बीच विचारों के एक विकसित समूह का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्होंने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कला निर्माण के लिए नए दृष्टिकोण की मांग की। यद्यपि आधुनिक कला की शुरुआत हुई, फिर भी 1850 के आसपास यथार्थवाद के आगमन के साथ, कला के दृष्टिकोण और शैलियों को 20 वीं शताब्दी में परिभाषित और पुनर्परिभाषित किया गया। प्रत्येक नई शैली के अभ्यासकर्ता एक ऐसी दृश्य भाषा विकसित करने के लिए दृढ़ थे जो उस समय की मूल और प्रतिनिधि दोनों थी।

आधुनिक युग 19वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ आया, जो विश्व इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक था। शहरी क्षेत्रों में आंतरिक दहन इंजन, मशीन से चलने वाली बड़ी फैकिरियों और विजली उत्पादन जैसी तकनीकों के आविष्कार और व्यापक उपलब्धता के साथ, राजमर्दी की जिंदगी की गति और गुणवत्ता में भारी बदलाव आया है। बहुत से लोग ग्रामीण खेतों से शहर के केंद्रों में काम की तलाश में चले गए, देश में परिवार और गांव से जीवन के केंद्र को विस्तारित शहरी महानगरों में स्थानांतरित कर दिया। इन विकासों के साथ, चित्रकार इन नए दृश्य परिदृश्यों की ओर आकर्षित हुए, जो अब सभी प्रकार के आधुनिक चरमे और फैशन से भरे हुए हैं।

दृश्य कला से निकटता से संबंधित एक प्रमुख तकनीकी विकास फोटोग्राफी था। फोटोग्राफिक तकनीक तेजी से उन्नत हुई, और कुछ दशकों के भीतर एक तस्वीर किसी भी दृश्य को पूर्ण सटीकता के साथ पुनः पेश कर सकती है। जैसे-जैसे तकनीक विकसित हुई, फोटोग्राफी आम जनता के लिए तेजी से सुलभ हो गई। तस्वीर ने अवधारणात्मक रूप से किसी विषय का प्रतिनिधित्व करने के शास्त्रीय कलात्मक तरीकों के लिए एक गंभीर खतरा पेश किया, क्योंकि न तो मूर्तिकला और न ही पेंटिंग फोटोग्राफी के समान विस्तार को पकड़ सकती है। फोटोग्राफी की सटीकता के परिणामस्वरूप, कलाकारों को अभिव्यक्ति के नए तरीके खोजने के लिए बाध्य किया गया, जिससे कला में नए प्रतिमानों का जन्म हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में, कई यूरोपीय चित्रकारों ने अवलोकन के सरल कार्य के साथ प्रयोग करना शुरू किया। गुस्ताव कोर्टबेट और हेनरी फैटिन-लाटौर जैसे चित्रकारों और शैली के चित्रकारों सहित पूरे महाद्वीप के कलाकारों ने इस विषय का एक आदर्श प्रस्तुतीकरण बनाने के बजाय लोगों और स्थितियों को निष्पक्ष रूप से, खामियों और सभी को चित्रित करने के उद्देश्य से काम किया। कला के प्रति इस क्रांतिकारी दृष्टिकोण में यथार्थवाद के रूप में जानी जाने वाली कला का व्यापक स्कूल शामिल होगा। इसके अलावा 19वीं सदी की शुरुआत में, रोमान्टिक्स ने उस परिदृश्य को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया, जो जरूरी नहीं कि वह वस्तुनिष्ठ रूप से अस्तित्व में था, बल्कि जैसा कि उन्होंने इसे देखा और महसूस किया। कैम्पर डेविड फ्रेडरिक और जेएमडब्ल्यू द्वारा चित्रित परिदृश्य। टर्नर नाटकीय प्रतिनिधित्व हैं जो प्रकृति में उस विशेष दृश्य को देखने पर कलाकार को प्रभावित करने वाले उदात्त की भावना को पकड़ते हैं। एक जगह के साथ भावना का यह प्रतिनिधित्व आधुनिक कलाकार के अभिनव और अद्वितीय परिप्रेक्ष्य को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। जबकि आधुनिक कला पुनर्जागरण या शास्त्रीय कला काल की तुलना में अधिक हाल की है, यह किसी भी तरह से वर्तमान नहीं है। समकालीन कला कला के वर्तमान कार्यों का वर्णन करती है। आमतौर पर, जो अभी भी जीवित हैं और कलाकृतियां बना रहे हैं या जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है या सेवानिवृत्त हुए हैं। आधुनिक कला मुख्य रूप से ड्राइंग या पेंटिंग है।

आधुनिक कला कला को संदर्भित करती है जो 1880 के दशक में शुरू हुई थी। समकालीन कला अभी भी जीवित और कलाकृतियां बनाने वाले कलाकारों के कार्यों का वर्णन करती है। आधुनिक कला अपने मूल (रोमांटिक विरोधी) से क्रांतिकारी है, जबकि समकालीन कला कलाकारों द्वारा प्रयोग की स्वतंत्रता और परिमाण के लिए क्रांतिकारी है। आधुनिक कला अधिक आत्म-अभिव्यंजक है, जबकि समकालीन कला समाज पर ध्यान देती है, इस प्रकार इसके सामाजिक प्रभाव के लिए जाना जाता है। आधुनिक कला मुख्य रूप से कैनवस पर बनाई गई है, जबकि समकालीन कला हर उस माध्यम पर है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं— बीड़ियों कला, तकनीक-सक्षम कलाकृतियाँ, वस्तु डिजाइन, चित्रमय कलाएँ आधुनिक कला चुने हुए विषयों के व्यक्तिप्रकर प्रतिनिधित्व पर केंद्रित है, जबकि समकालीन कला दुनिया के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर एक मजबूत स्टैंड लेती है।

## सन्दर्भ :

1. विनोद भारद्वाज, समकालीन भरतियाकला एक अतरंग अध्ययन
2. डॉ रवि सखलकर, आधुनिक चित्र कला का इतिहास,
3. डा० मुल्कराज आनन्दः द हिन्द व्यू आफ आर्ट, पृ० 3-5
4. स्टेला क्रारिश : द आर्ट आफ इण्डिया, पृ० 10
5. मोतीचन्द्र : स्टडीज इन ऑल अली इण्डियन पेन्टिंग, पृ० 39

## सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दर्शन में रहस्यवाद

डॉ० दीनानाथ सिंह\*

\*एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, मेरठ कॉलेज, मेरठ, उत्तराखण्ड

**सारांश :** प्रस्तुत शोध निबंध में राधाकृष्णन के दर्शन में रहस्यवादी पक्षों को स्पष्ट किया गया है। उनके लिए 'दर्शन' वास्तव में धर्मदर्शन का पर्याय है। धर्म आत्मतिक यथार्थ की जीवंत अनुभूति है। दर्शन को अनिवार्य रूप से धर्म से अनुप्राणित होना चाहिए। इस शोध निबंध का उद्देश्य भारतीय धर्म और दर्शन के सारतत्वों को उद्घाटित करना है। राधाकृष्णन ने हमारे प्राचीन परंपरागत दार्शनिक तत्त्वों को पश्चिमी दर्शन की आधुनिक सार्वभौमिक शैली में प्रस्तुत किया। यद्यपि वे रहस्यवादी दार्शनिक नहीं थे, किंतु अनुभूतिजन्य ज्ञान की प्रस्तुति में रहस्यवादी झलक मिलनी स्वाभाविक है।

**मुख्य शब्द :** धार्मिक अनुभूति, प्रातिभ ज्ञान, विषय-विषयी अखंड, अविभाज्य, रहस्यानुभव, तात्त्विक, सांस्कृतिक आदि।

आधुनिक भारत के संसदीय दार्शनिकों में सबसे प्रतिष्ठित नाम डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन का माना जाता है। गुलाम भारत में जो ईसाई धर्म प्रचारक आए वे किसी न किसी रूप में काट और हेगेल के प्रत्ययवादी दर्शन से प्रभावित थे। इन प्रचारक-शिक्षकों के प्रभाव में भारतीय चिंतकों ने प्रत्ययवाद को दर्शन का चरमोत्कर्ष माना। उसी समय भारत में जो विश्वदृष्टि उत्पन्न हुई, वह अद्वैत वेदांत को सबसे उत्तम दर्शन मानती थी। उसके पीछे का कारण पाश्चात्य जगत् में विवेकानंद का प्रवचन और उन्हें वहाँ मिलने वाला सम्मान था इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि वीसवीं सदी के अधिकांश दार्शनिक अद्वैत वेदांत से और काट या हेगेल के प्रत्ययवाद से प्रभावित हुए। राधाकृष्णन सारी दुनिया में भारतीय संस्कृति व दर्शन के व्याख्याता के रूप में एक आध्यात्मिक प्रत्ययवादी दार्शनिक माने जाते हैं।

राधाकृष्णन के लिए दर्शन और धर्म दोनों पृथक नहीं हैं, दोनों एक हैं। 'दर्शन', 'धर्म-दर्शन' का पर्याय है। यह कथन कम से कम उनके 'एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ' ग्रंथ के लिए अवश्य सत्य है। यद्यपि उनके 'फ्रेमेंट्स ऑफ ए कन्फेशन' ग्रंथ में दर्शन को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ है, किंतु तब भी यह धर्म में ही मूलित है। 'धर्म आत्मतिक यथार्थ की अनुभूति है अथवा उसे जीवंत संपर्क है'।<sup>1</sup> यह समग्र मानव का समग्र यथार्थ के साथ सम्बन्ध है।<sup>2</sup> यह नितात व्यक्तिगत और आभ्यासित तत्त्व है, जो सब मूल्यों तथा अनुभवों को संग्रहित करता है।<sup>3</sup> दर्शन को आवश्यक रूप से धार्मिक अनुभव में मूलित (निहित) होना चाहिए, उसे अनिवार्यतः धार्मिक अनुभूतियों का व्यवस्थापक तथा विवेचक होना चाहिए। सभी देशों और कालों में रहस्यवादियों ने स्वयं की रहस्यानुभूतियों में आत्मतिक यथार्थ (न्यूजपउंजमसल त्ससंपंजल) के साथ अपरोक्ष सम्पर्क का दावा किया है। रहस्यानुभूति के पक्ष में अर्थात् उसकी सच्चाई के बारे में उपलब्ध प्रमाणों को देखते हुए इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। डॉ० राधाकृष्णन् कहते हैं कि 'धार्मिक अनुभव में विषय और विषयी का भेद स्पष्टतः नहीं किया जा सकता, यह एक अखंड, अविभाज्य चतन-स्थिति है जिसमें न केवल मानव-स्वभाव का एक अथवा दूसरा पक्ष, प्रत्युत संपूर्ण अस्तित्व ही अपनी उपलब्धि करता है।' यह अनुभव एक प्रकार के असंदिग्धता के बोध से युक्त होता है, जो स्वतः प्रमाण जैसा होता है। इस स्थिति में "सामान्य जीवन का तनाव तिरोहित हो जाता है और उसका स्थान आंतरिक शांति, शक्ति तथा आनंदभाव ले लते हैं।"<sup>4</sup> धार्मिक अनुभूतियाँ स्वतः स्फूर्त होती हैं। इनके लिए यत्न नहीं करना पड़ता है। जब तक यह अनुभूति रहती है, व्यक्ति समाधि में अस्खलित ध्यान वाला रहता है। साधक ऐसी स्थिति में सदैव के लिए नहीं रह सकता है। इस स्थिति में उसका आना-जाना लगा रहता है।<sup>5</sup> रहस्यानुभवी बहुधा यह अनुभव करता है कि उसका अनुभव अवर्णनीय जैसा है। किंतु फिर भी वह मूक तो रह नहीं सकता। ज्यों ही वह इसके बाहर आता है, वह इसे प्रतीकों में व्यक्त करना चाहता है, "यद्यपि बुद्धि और भाषा इसे समुचित रूप से व्यक्त नहीं कर सकते।"<sup>6</sup> रहस्यानुभवी अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए कुछ उपमाएँ और उत्प्रेक्षाओं का सहारा लेता है। किंतु ये उपमाएँ और संकेतांक अपना कर्ड निश्चित अर्थ नहीं धारण करते। प्रसंग के अनुसार, इनके अर्थ बदलते रहते हैं। ये प्रतीक अथवा संकेत उस परंपरा तथा संस्कृति से प्राप्त होते हैं, जिनमें रहस्यानुभवी शिक्षित या दीक्षित होता है। अतएव हमें रहस्यानुभवी की उकित्यों का शब्दार्थ (अभिधार्थ) ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें उसके अनुभव के वस्तुतत्व (Content) तथा उस वस्तुतत्व की रहस्यानुभवी द्वारा की गई व्याख्या में सदैव अंतर करना चाहिए कि वह व्यक्ति अथवा आत्मा अपने से भिन्न किसी महत्शक्ति अदृश्य आत्मा से सम्पर्क में है, यह एक तथ्य ह, किंतु इस शक्ति को किसी ऐतिहासिक व्यक्ति, जैसे बूद्ध अथवा ईसा कहना असंगत है। अर्थात् किसी अदृश्य सत्ता अथवा सार्वभौम आत्मा के सरल आंतरिक अनुभूति को वाद्यतः प्राप्त किसी क्रांतिकारी रहस्योदयाटन के साथ जोड़ना, घालमेल करने के बराबर है। यह व्यक्तिगत निर्णय को श्रेणी में आता है, जो केवल व्याख्या है न कि वस्तुपरक सत्य।

राधाकृष्णन बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहते हैं— "बुद्ध अपने अनुभव का विवरण देते हैं, उसकी व्याख्या नहीं देते, यद्यपि अन्ततः कोई भी अनुभव बिना व्याख्या के घटित नहीं होता। प्रश्न केवल मात्रा-भेद का है।"<sup>7</sup> राधाकृष्णन की बातें यहाँ रहस्यात्मक होने लगती हैं क्योंकि यह निर्णय करना कठिन है कि केवल विवरण क्या है और केवल व्याख्या क्या है? राधाकृष्णन के अनुसार रहस्यानुभूति एक प्रकार का प्रतिभान (Intuition) है, जिसके माध्यम से रहस्यानुभवी साक्षात् रूप से ईश्वर अथवा विश्व के मूल तत्त्व की अनुभूति करता है। प्रतिभान से हमें एक ऐसा अखंड ज्ञान सुलभ होता है जो इन्द्रियानुभव अथवा बौद्धिक विश्लेषणात्मक ज्ञान से भिन्न तथा उत्कृष्टतर होता है। प्रतिभान तब सक्रिय होता है जब हमारा चेतन मन, जो केवल ऊपरी है, क्रियाहीन हो जाता है।

बौद्धिक ज्ञान सृजनात्मक नहीं होता, जबकि प्रतिभान सृजनात्मक है। बुद्धि विषय-विषयी के द्वेष को उत्पन्न करती है।<sup>10</sup> प्रतिभान निस्संशयात्मक ज्ञान प्रदान करता है, जो विषय-विषयी के परे अभेदमूलक अनुभूति है। इस ज्ञान में विषय-विषयी-ज्ञान एक है। प्रतिभान केवल रहस्यानुभवी में होता है, ऐसी बात नहीं है। यह फैकल्टी यद्यपि सभी में विद्यमान होती है, किंतु बहुत कम व्यक्तियों जैसे— प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, सृजनशील कलाकारों, नैतिक व्यक्तियों, कवियों, संतों, दार्शनिकों एवं रहस्यानुभवियों में अत्यधिक प्रबुद्ध रूप में व्यक्त होती है। वैज्ञानिक खोज, सौदर्यानुभूति, काव्य—रचना, कलाकृति निर्माण आदि प्रथम स्तर की अभिव्यक्तियाँ प्रतिभान के द्वारा ही होती हैं। यह स्वतः स्फूर्त है। हिंदू दर्शन में प्रतिभा शब्द मनुष्य की सृजनात्मकत शक्ति का द्योतक है और 'आर्षज्ञान' पद ऋषियों की धार्मिक अनुभूति के लिए प्रयुक्त होता है।<sup>11</sup>

राधाकृष्णन के अनुसार, हमारे जीवन का धार्मिक पक्ष अन्य अनेक पक्षों का समावेश करता है और पुनः हम केवल प्रतिभान के द्वारा ही विश्व तथा आत्मा संबंधी निस्संदिग्ध और प्रागानुभविक सत्यों पर पहुँचते हैं, जो बुद्धि अथवा तर्क से नहीं प्राप्त किए जा सकते और न ही वे उनसे प्रमाणित ही किए जा सकते हैं।

डॉ० राधाकृष्णन मानते थे कि देश और काल की परिधि से ऊपर सभी रहस्यानुभवी एक ही जीवंत तात्त्विक सत्ता की अनुभूति करते हैं। अनुभूति के धरातल पर सभी एक भावभूमि पर होते हैं, किंतु अवधेतन रूप से इस अनुभूतिजन्य ज्ञान की उस परम्परागत पदावली में व्याख्या कर ली जाती है जिस परंपरा में द्रष्टा का पालन-पोषण हुआ होता है। व्यक्ति द्वारा स्वीकृत व्याख्या की यह संरचना संस्कृति और व्यापक पारंपरिक उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होता है।<sup>12</sup> राधाकृष्णन इसे धार्मिक अनुभूति में 'आस्था' का नाम देते थे। उनका स्वयं का विश्वास था कि धार्मिक अनुभूति ही मानव को पूर्ण आध्यात्मिक जीवन जीने की तृप्ति देती है। धार्मिक अनुभूति को वे साधारण अनुभवों से अलग मानते थे। इसमें साधारण अनुभवों के सारे लक्षण विद्यमान हैं, फिर भी इसमें कुछ ऐसी विशिष्टता है जिसके कारण यह उनसे भिन्न है। राधाकृष्णन यह मानते थे कि धार्मिक अनुभूति एक उच्चतम अनुभूति है, जो दुर्लभ है, किंतु इसके मृदुल रूपों के उदाहरण सामान्य जीवन में भी उपलब्ध हैं। जैसे सौदर्यानुभूति, जिसकी अनुभूति साधारण मनुष्यों को भी होती है। इसी प्रकार कुछ सर्वथा नए ज्ञान, किसी विशिष्ट कविता का आस्वाद अथवा किसी महान उद्देश्य के समक्ष आत्मोत्सर्ग आदि उसी रहस्यात्मक अनुभूति के साक्ष्य हैं।<sup>13</sup>

ऐसा प्रतीत होता है, राधाकृष्णन धार्मिक अनुभूति के प्रतिपादन में पूर्णरूपेण रहस्यवादी हो जाते हैं। वे कुछ बातें विना पर्याप्त आधार को मानकर चलते हैं, जैसे अनुभूति सर्वत्र एक है केवल इसकी अभिव्यक्तियों में अंतर है, कि अभिव्यक्तियों में अंतर केवल परंपरा, पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक भेद के कारण होता है, कि इन सब अवस्थाओं में प्रतिभान सक्रिय होता है, कि इनमें से कुछ अभिव्यक्तियाँ दूसरी अभिव्यक्तियों से अधिक सफल होती हैं।

यहाँ ध्यातव्य है कि राधाकृष्णन की यह भी धारणा है कि दर्शन का एकमात्र कार्य रहस्यानुभूतियों की अभिव्यक्तियों का व्यवस्थापन होना चाहिए। किंतु राधाकृष्णन की ओर से यह मान लिया जाए कि उचित दार्शनिक विचार धार्मिक अनुभूति पर ही आधारित हों और यदि दर्शन को धार्मिक अनुभव पर स्थापित करना और किसी प्रकार संभव न हो, सिवाय उसकी अभिव्यक्तियों पर स्थापित करने के, तो यह स्पष्ट है कि यह निर्णय करने के लिए कि एक अभिव्यक्ति दूसरी से किस प्रकार अधिक सफल है। कोई वाह्य निष्कर्ष उपलब्ध नहीं हो सकता है। हमारे विचार से डॉ० राधाकृष्णन इस सदर्भ में गोल—गोल घूम रहे हैं। अथवा यह संभव है, जैसा कि सच मालूम होता है कि राधाकृष्णन के लिए दार्शनिक कल्पनाएँ, जिनका आधार भी प्रतिभान ही है, स्वतंत्र हैं, यद्यपि उन्हें आवश्यक रूप से रहस्यानुभवियों के प्रकथनों का प्रतिपोषक होना चाहिए। किंतु दर्शन मनुष्य की वैचारिक जिज्ञासा को पूरा करने के लिए उसका अतिक्रम भी कर सकता है। अन्यथा हम दार्शनिकों के सांस्थानिक—रचना (सिस्टम—बिल्डिंग) के उपक्रम को औचित्यपूर्ण किस प्रकार ठहरा सकते हैं?

जैसा कि हमें अवगत है कि राधाकृष्णन के अनुसार, दार्शनिक संरचनाओं की यह आवश्यक माँग है कि उसे वैज्ञानिक और तार्किक परिणति के सुसंगत होना चाहिए। राधाकृष्णन स्वयं स्वीकार करते थे कि प्रतिभानात्मक अनुभूतियाँ युक्त्यानुकूल होती हैं, यद्यपि वे तर्कातीत होती हैं।<sup>14</sup>

राधाकृष्ण की मानें तो युक्त्यानुकूल और तर्कानुकूल में अंतर करना चाहिए, हमारे लिए यह समझना कठिन है यह कि विचारणा (बौद्धिक ज्ञान) एकांगी होती है किंतु प्रतिभाव समग्र ज्ञान देता है यह कि बुद्धि प्रतिभान के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। दूसरे ओर वे एक बात और भी कहते हैं कि धार्मिक प्रतिभानात्मक ज्ञान का वैज्ञानिक ज्ञान से अविरोध होना चाहिए। किंतु यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि विरोध का अभाव प्रतिपोषकता को कदापि लागू नहीं करता। अतः प्रतिभानात्मक ज्ञान तथा वैज्ञानिक ज्ञान अविरोधी होकर भी तर्कतः स्वतंत्र हो सकते हैं। यहाँ राधाकृष्णन के इस कथन में चक्रक दोष प्रतीत होता है कि दर्शन धार्मिक अनुभूति पर आधारित होना चाहिए और धार्मिक प्रतिभान तथा वैज्ञानिक ज्ञान अथवा तार्किक ज्ञान में सामंजस्य होना चाहिए। क्योंकि इनमें से किसी के भी संभव होने के लिए क्या दोनों को परस्पर स्वतंत्र नहीं होना चाहिए।

जहाँ तक प्रातिभ ज्ञान का प्रश्न है उसकी सृजनशीलता और अखंडता को विषय-विषयी भेद से स्वतंत्र न मानते हुए स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे विचार से राधाकृष्णन वेदातिक ज्ञान की मांग को पूरा करते हैं तथा आधुनिक तर्क और विज्ञान की मांग को पूरा करने का सिर्फ दिखावा करते हैं। अन्यथा उन्हें यह कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि धार्मिक अनुभूति अन्य प्रतिभावनात्मक अनुभूतियों से भिन्न प्रकार की होती है।

#### सन्दर्भ :

1. राधाकृष्णन एस०,एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, जॉर्ज एलन एंड अनविन लिमिटेड, लंदन, 1947, पृ० 88
2. वहीं, पृ० 91
3. वहीं, पृ० 95
4. आ०व्यूला०, पृ० 95

5. वहीं, पृ० 92
6. वहीं, पृ० 93
7. वहीं, पृ० 95
8. वहीं, पृ० 97
9. वहीं, पृ० 100
10. वहीं, पृ० 45
11. वहीं, पृ० 200
12. वहीं, पृ० 99
13. राधाकृष्णन, इस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, एस०, कलरेंडन प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 1939, पृ० 61
14. आठ्यूला०, पृ० 147

## भारत में बाल अपराध निवारण के सम्बन्ध में सांविधिक प्राविधान

### डॉ छोटे लाल बाजपेयी\*

\*एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, बी. एस. एन. वी. पी. जी. कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

**सारांश :** बालकों के कल्याणार्थ भारत में सर्वप्रथम सन् 1850 ई. में “अप्रैन्टिसेज एक्ट” पारित किया गया, जो यद्यपि मूलतः बाल अपराधिता से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित नहीं था वरन् इसमें नियोजकों तथा ऐसे युवकों के सम्बन्धों का प्रावधान पारित किया गया था, जो प्रशिक्षा के रूप में नियोजकों के यहाँ कोई कारोबार सीखते थे, तथापि इस अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान थे, जिनसे भविष्य में रखापित होने वाले बाल न्यायालयों तथा संस्थाओं का परिदर्शन किया जा सकता था। उदाहरणस्वरूप, इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधीश को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वे बालक जो किसी प्रकार के अपराध में पकड़े जायें उनमें से 10 से 18 वर्षायु की आयु समूह के बालकों को प्रशिक्षा के रूप में रखने की आज्ञा प्रदान कर सकते थे।

**मुख्य शब्द :** बाल न्यायालयों, बाल व किशोर अपराधियों, परिवीक्षा, रिफार्मेंटरी स्कूल्स आदि।

सन् 1876 ई. में “अप्रैन्टिसेज एक्ट” को “रिफार्मेंटरी स्कूल एक्ट” (जिसका संशोधन 1897 ई0 में किया गया) द्वारा बदल दिया गया। इस अधिनियम में बाल व किशोर अपराधियों के मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक पृथक संगठन की व्यवस्था की गई और न्यायालयों को यह अधिकार प्रदान किया गया कि यदि वे उचित समझें तो बाल व किशोर अपराधियों को कारागार भेजने के स्थान पर तीन से सात वर्ष तक के लिए सुधार विद्यालयों (रिफार्मेंटरी स्कूल्स) में नजरबंद कर सकते हैं। इस अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत “रिफार्मेंटरी स्कूल्स” के अधीक्षकों को यह अधिकार दिया गया कि वे “विजिटर्स कमेटी” की अनुमति से 14 वर्ष की आयु वाले संवार्सी बालकों को लायसेंस के अन्तर्गत किसी प्रतिष्ठान तथा विश्वासपात्र व्यक्ति अथवा सरकारी या नगरपालिका के अधिकारी के साथ रहने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। पुनः सन् 1884 ई. के अधिनियम तथा सन् 1898 ई. में संशोधित दण्ड प्रक्रिया की धारा 29/399 एवं 562 के अन्तर्गत 21 वर्ष से कम आयु के बालकों के मामले में निपटारे की व्यवस्था की गई।

बाल अपराधिता के सन्दर्भ में सन् 1997 ई. में पारित रिफार्मेंटरी स्कूल अधिनियम एक प्रमुख विधान है जिसके अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के अनुसार कारावास अथवा निर्वासन से दण्डनीय 15 वर्ष से कम आयु के बाल अपराधियों को सामान्य कारागारों में न रखकर सुधार विद्यालयों में रखने की व्यवस्था की गई। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 561(1) में इस बात की विशेष व्यवस्था की गई है कि 21 वर्ष से कम आयु के बालकों को किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कारावास की सजा न देकर अच्छे आचरण के लिए परिवीक्षा पर मुक्त किया जा सकता है। सन् 1973 की दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी 16 वर्ष से कम आयु के ऐसे बाल अपराधियों के लिए प्रशिक्षण, उपचार एवं पुनर्वास की विशेष व्यवस्था की गई है, जिनका अपराध मृत्यु अथवा आजीवन कारावास के लिए दण्डनीय नहीं है।

सन् 1920 ई. तथा उसके बाद भारत में बाल अधिनियम के रूप में अनेकों विधान पारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत बाल न्यायालयों तथा अन्य संस्थाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई है। सन् 1920, 1922 तथा 1924 में क्रमशः मद्रास, बंगाल एवं बम्बई में ऐसे अधिनियम परित किये गये थे। इन तीन राज्यों के अधिनियमों के पश्चात् सन् 1936 में कोचिन में 1928 में मध्य प्रदेश में, 1931 में बीकानेर में, 1934 में मैसूर में, 1945 में द्रावनकोर में, 1951 में हैदराबाद में, 1949 में पूर्वी पंजाब में तथा 1952 में उत्तरप्रदेश में बाल अधिनियम पारित किये गये।<sup>1</sup>

भारत सरकार ने सन् 1960 में केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए एक केन्द्रीय बाल अधिनियम पारित किया जो बाल अपराध समस्या के समाधान के क्षेत्र में एक महान् योगदान है और सम्प्रति उससे सम्पूर्ण भारत में इस क्षेत्र में एकरूपता लाने हेतु बाल न्याय अधिनियम, 1986 पारित किया है, जो कि बाल समस्या के निदान के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम के अन्तर्गत उपेक्षित एवं अपराधी बालकों के कल्याणार्थ बाल कल्याण बोर्ड, बाल न्यायालय, बाल गृह, विशेष विद्यालय, सम्प्रेक्षण गृह, उत्तर संरक्षण संगठन, प्रतिप्रेरण गृह, प्रमाणित विद्यालय अथवा अनुमोदित सुधारात्मक विद्यालय तथा बोर्स्टल संस्थाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई है। विवेचनागत अध्ययन की सुगमता हेतु यहाँ यन संस्थाओं व संगठनों पर प्रकाश डालना समीचीन प्रतीत होता है।

(क) **बाल कल्याण बोर्ड :** बाल अधिनियम 1986 की धारा 4 में केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को उपेक्षित बालकों के सम्बन्ध में बाल कल्याण बोर्ड के गठन का अधिकार प्रदान किया गया है। यह बोर्ड एक अध्यक्ष और ऐसे सदस्यों से मिलकर बनता है, जिन्हें नियुक्त करना प्रशासक उचित समझें और उनमें कम से कम एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। इस बोर्ड का प्रत्येक सदस्य दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 (1898 की धारा 5) द्वारा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियों से संयुक्त रहता है और बोर्ड ऐसे मजिस्ट्रेटों की न्यायीठ के रूप में कार्य करता है।

बोर्ड के सदस्यों में मतभेद होने की स्थिति में बहुसंख्यक मत प्रभावी होता है, परन्तु जब बहुसंख्यक मत का अभाव रहता है तब अध्यक्ष का मत प्रभावी होता है। किसी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता, जब तक वह प्रशासन की राय में बाल मनोविज्ञान तथा बाल कल्याण का विशेष ज्ञान न रखता हो। यदि किसी प्रदेश में बोर्ड का गठन

नहीं हो पाया है तो वहाँ बोर्ड का कार्य केवल जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित किया जा सकेगा।

(ख) बाल न्यायालय : बाल अपराधियों के सुधार के क्षेत्र में बाल न्यायालय की स्थापना एक अद्वितीय उपाय है। सिद्धान्ततः बाल न्यायालय सामान्य न्यायालयों से भिन्न होता है। बाल न्यायालय वह न्यायालय है, जिसमें अपराधी बालकों व किशोरों के संदर्भ में उनके व्यवहार तथा जीवन की दशाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार न्याय करने का प्रयास किया जाता है कि उनमें अंतर्विष्ट आपराधिक अभिवृत्ति समाप्त हो जाये तथा उनमें सामाजिक नियमों व आदर्शों के अनूकूल जीवन व्यतीत करने की इच्छा उत्पन्न हो सके। बाल न्यायालय इस मान्यता पर आधारित होते हैं कि राज्य बालकों का संरक्षक है। इसके न्यायाधीश बाल मनोविज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में दीक्षित होते हैं, जिनका उद्देश्य बाल अपराधियों को दण्ड देना नहीं, बल्कि उनको सुधारना है। बाल न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली सामान्य न्यायालय से सर्वथा भिन्न होती है<sup>2</sup>

**सुधार एवं पुनर्वास की प्रमुख संस्थाएं :**

1. पालन या पोषण गृह : दस वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए जो बाल अपचारी हों या बेघर हों, अनाथ हों।
2. रिमाण्ड गृह या अवलोकन गृह : न्यायिक अभिरक्षा या पुलिस अभिरक्षा के दौरान किशोर अपचारी को पुलिस स्टेशन या जेल के स्थान पर रिमाण्ड होम्स या अवलोकन गृहों में रखा जाता है।
3. किशोर या बाल न्यायालय : प्रथम बाल न्यायालय कोलकाता में 1922 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में किशोर न्याय अधिनियम 2000(संशोधन 2006) द्वारा देशभर में प्रत्येक जिले में किशोर न्यायालय बोर्ड गठित किये जा चुके हैं। इनमें प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट एवं दो अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से एक महिला का होना आवश्यक है।
4. सुधार स्कूल या सर्टिफाइड स्कूल्स : निरोध आदेश या बाल न्यायालय द्वारा अभिरक्षा के आदेशों के बाद 18 वर्ष की आयु तक (3 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवधि तक) किशोर अपराधी को यहाँ रखा जाता है। इन्हें 18 वर्ष की आयु के बाद बोर्टर्स्टल स्कूल में स्थानान्तरित कर दिया जाता है, यह जेल प्रशासन के नियंत्रण में काम करते हैं।
5. बार्टर्स्टल स्कूल : 16 से 21 वर्ष की उम्र के बाल अपचारियों के लिए ब्रिटेन के बोर्टर्स्टल नामक स्थान से 1902 में शुरूआत। इसे भारत में 1920 में अपनाया गया। सर्वप्रथम तमिलनाडु में जेल डी.जी. के नियंत्रण एवं निगरानी में संचालित स्कूल।
6. परिवीक्षा हॉस्टल : प्रोबेशन अधिनियम 1958 के तहत संचालित आवासीय व्यवस्था। शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं अनुशासन परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख सुविधाओं की व्यवस्था मिलती है।
7. पैरोल या कारावास अवकाश : जेल में अच्छे आचरण के आधार पर मुक्ति की यह अद्वैत्याधिक प्रक्रिया है।
8. उत्तर संरक्षण सेवाएं : किशोर अपराधियों को व्यवसाय या कैरियर में स्थापित करने हेतु प्रयास किए जाते हैं। इसमें इनका फोलोअप किया जाता है।

किशोर अपराध या अपचारिता को सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से मर्टन, फ्रैडरिक, थ्रेसर विलफोर्ड शॉ, हैनरी मैके, जार्ज राबर्ट मीड, अल्बर्ट कोहेन एवं क्लोर्वाई ओहलिन जैसे समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन का विषय बनाया<sup>3</sup>

**किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम—2000 :** इस कानून में नवीन संशोधन 2006 (22 अगस्त 2006 से लागू) में किए गए हैं। सर्वप्रथम सन् 1960 में बाल अधिनियम पारित किया गया। तत्पश्चात् सन् 1986 में किशोर न्याय अधिनियम बनाया गया। अन्ततः सन् 2000 में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 पारित किया गया है।

इस अधिनियम का विस्तार जम्मू-काश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर है। इसे 30 दिसम्बर 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा 1 अप्रैल 2001 से यह लागू किया गया गया है। किशोर न्याय कानून में अपचारियों के लिए अधिकतम तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। दिल्ली गैंग रेप कसे के बाद किशोर अपचारियों की उम्र 18 से घटाकर 16 करने पर विमर्श एवं बहस चल रही है। इस बीच किशोर न्याय अधिनियम (संशोधन) 2014 द्वारा गंभीर अपराधों में संलिप्त 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोर—अपचारियों पर सामान्य अदालतों में मुकदमा चलाने का फैसला जुवेनाइल जरिस्टस बोर्ड पर छोड़ दिया गया है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 की मुख्य विशेषताएं निम्नांकित हैं –

- इस अधिनियम में किशोर की आयु के सम्बन्ध में पुरुष एवं स्त्री के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है। दोनों के लिए आयु 18 (अठारह) वर्ष नियत है।
- इसमें किशोर एवं बालकों के लिए अभियुक्त या अपराधी शब्द का उपयाग नहीं कर संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक एवं विधि विवादित किशोर शब्द का उपयोग किया गया है।
- धारा 2(घ) में 'देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक' की सुरक्षा एवं पुनर्वास हेतु विशेष व्यवस्था की गई है। इसमें ऐसे किशोरों एवं बालकों को समिलित किया गया है, जो –

1. निरश्रित है, आवारा या यतीम है।
2. मानसिक या शारीरिक रूप से रोगग्रस्त हैं।
3. जिसके माता-पिता बालक पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं या
4. जिनके माता-पिता नहीं हैं।
5. जो लैंगिक दुरुपयोग अथवा अवैध कार्यों के शिकार हो रहे हैं।
6. जिनका अभिलाषों में दुरुपयोग किया जा रहा है अथवा

7. जो किसी सशस्त्र संघर्ष, युद्ध अथवा दैवीय या प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं।
- अधिनियम की धारा 63 में विशेष किशोर पुलिस यूनिट की स्थापना की गई है।
  - किशोरों की जमानत के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध किए गए हैं। सामान्यतः किशोरों को जमानत पर छोड़ दिए जाने का प्रावधान है।
  - किशोरों के कल्याण के लिए धारा 29 के अन्तर्गत बालक कल्याण समिति का गठन किया गया है।
  - किशोरों एवं बालकों के लिए पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण की व्यवस्था की गई है। (धारा 40)
  - ऐसे किशोरों एवं बालकों के दत्तकग्रहण का प्रावधान किया गया है। (धारा 41)
  - इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही में समिलित बालकों किशोरों के नाम एवं पते प्रकाशित नहीं किए जा सकेंगे। (धारा 21)
  - किशोरों एवं बालकों का शोषण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंड की व्यवस्था की गई है।
  - बालकों एवं किशोरों के सुधार, उपचार एवं पुनर्वास के लिए।
1. संप्रेक्षण गृह, 2. विशेष गृह, 3. बालक गृह, 4. आश्रय गृह, पश्चातवर्ती देखरेख संगठन, इत्यादि की स्थापना की गई है।

**लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो) 2012 :** हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 (3) में बालकों के लिए विशेष उपबंध करने का प्रावधान है। इसलिए बालकों को लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न एवं अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने एवं अपराधों पर विचारण हेतु विशेष न्यायालय की स्थापना करने के उद्देश्य से पॉक्सा कानून को लागू किया गया है।<sup>4</sup>

**निष्कर्ष :** नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का बड़ा भाग गन्दी बस्तियों में रहता है। यदि थेशर, शांति और मैके, कोहेन व क्लोवार्ड और ओहलिन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों में जो उन्होंने अपराध के वातावरण और पड़ोस के प्रभाव से सीखने के विषय में प्रतिपादित किए थे उनमें कोई औचित्य है तो यह आवश्यक है कि सरकार उन क्षेत्रों में बच्चों के कल्याण तथा समुदाय जीवन में उनके एकीकरण के उपाय करें।

कार्य प्रणाली में अपर्याप्त परिवार, संरचनात्मक रूप से अपूर्ण या भंग परिवार, निर्धन परिवार, अनैतिक परिवार और अनुशासनहीन परिवार की बाल अपराध की वृद्धि में कारणों से हम परिचीत हैं। जब तक ये असंगठित परिवार पुनर्संगठित न किये जायें तो संवेगात्मक रूप से विघटित व कुण्ठा से भरे बच्चों को अपराधियों के साथ सम्बन्ध विकसित करने के साथ संगठित अपराधों में उन्मूखता पर काबू पाना मूमकिन प्रतीत नहीं होता है। अपराध निरोध तथा नियंत्रण विषयक सभी पक्षों के सम्बन्ध में स्वस्थ सार्वजनिक नीति के लिए नियोजन तथा आनुभविक विधि द्वारा मूल्यांकन दोनों की आवश्यकता है। इसके लिए सरकारी एजेन्सियों, शैक्षिक संस्थाओं, पुलिस, न्यायपालिका, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के बीच तालमेल की आवश्यकता है।

बाल आपराधियों का संगठित अपराधों में उन्मूखता के पीछे निर्धनता, दोषपूर्ण परिवार, तनाव, मूल्य संघर्ष के अलावे शारीरिक अपंगता, व्यक्तित्व संदर्भ, भय, मानसिक अपसामान्यताएं व रोग, विघटित पड़ोस, मित्र मण्डली जैसे प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं। सामान्य शैक्षणिक सुधार, अभिभावकीय शिक्षा, विद्यालय के उपरान्त अवकाश का सदुपयोग, लोकजीवन का समुन्नयन, लैंगिक समस्याओं का समुचित विवेचन, समाजीकरण पर यथेष्ट बल, समुचित रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, बाल निर्देशन गृह आदि से जो समान्य जनजीवन समुन्नत होता है, उससे पर्यावरण में वांछित सुधार आ सकता है और तदनुसार बाल अपराध में भी कमी हो सकती है अथवा इस अपराध के प्रस्फुटन का आधार मिटाया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप बाल अपराधियों का संगठित अपराध में उन्मूखता का स्वतः उन्मूलन होता जायेगा।

#### सन्दर्भ :

1. सिंह, श्यामधर: अपराधशास्त्र के सिद्धांत, प्रकाशक, सपना अशोक प्रकाशन, रामपुर, रामनगर, वाराणसी, 2008 पृ०-331
2. आईविड, 2008, पृ०-332.
3. शर्मा, जी. एल: सामाजिक मुदद, प्रकाशक, रावत पब्लिकेशन्स, जवाहर नगर, जयपुर, 2015, पृ० 454-455.
4. आईविड, 2015, पृ० 455-456.

## आपदा और प्रबन्धन

### डॉ आरती कनौजिया\*

\*एसो० प्रो०, शिक्षाशास्त्र विभाग, शशि भूषण वालिक विद्यालय डिग्री कालेज, लखनऊ, उ०प्र०

**सारांश :** मानव समाज के लिए आपदा शब्द नया नहीं है परन्तु वर्तमान में इसके घटित होने की संख्या व तीव्रता में वृद्धि हुई है। इसका कारण है— तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, तीव्र व अनियोजित शहरीकरण, अनियोजित भूमि का उपयोग, ग्लोबल वार्मिंग, औद्योगीकरण, बदली जीवनशैली तथा आतंकवाद जिसके कारण मानवजनित आपदाओं को बढ़ावा मिला है और प्रकृति ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है।

**मुख्य शब्द :** आपदा, प्रबन्धन, ग्लोबल वार्मिंग, औद्योगीकरण, वैश्विक स्तर, जलवायु-परिवर्तन आदि।

साल 2010 सबसे गर्म साल रहा तो पिछले कुछ सालों में यूरोप व अमेरिकी देशों में अत्यधिक बर्फबारी हो रही है। यह सब मौसम के सामान्य चक्र में गडबड़ी से हो रहा है। हमने अपनी हरकतों से प्रकृति का संतुलन गडबड़ा दिया है। वैश्विक स्तर पर इस जलवायु-परिवर्तन के जिन्ह से लड़ने का मंच राजनैतिक अखाड़े में बदल चुका है। कानकुन सम्मेलन इसका उदाहरण है। अपने भविष्य को सुरक्षित करने की जंग अब हमें ही लड़नी होगी। अपनी जीवन-शैली में परिवर्तन करना होगा। जिससे यूरोप जैसे हालात यहाँ न पैदा होने पाये।

आइसलैंड के ज्यालामुखी से निकले राख और धूँए के गुबार ने पूरे यूरोप को जाम कर दिया। दुनियाँ के दुसरे हिस्से भी इससे प्रभावित हुए। ऐसे ही कई ज्यालामुखी दुनियाँ में सक्रिय हैं। हाल ही में चीन, हैती समेत कई जगह आये बड़ी भूकंपों ने मानवता को हिला कर रख दिया। पिछले दो दशकों में दुनियाँ में आने वाली प्राकृतिक-आपदाओं की संख्या में चार गुना बढ़ातरी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि वायुमंडल के बढ़ते तापमान को भारी प्रभाव गतिविधियों के बदलाव के साथ जोड़ा जा सकता है। ग्लोशियरों के पिधलने और समुद्र-तल बढ़ने से महासागरों के अथाह जल भंडार के वितरण में खिसकाव हुआ है। इसमें धरती पर जारी दबाव और बढ़ा है। इस दबाव के बदलाव से धरती में दरार और भूकंपीय खिसकाव की समावना रहती है।

**प्राकृतिक आपदा का कहर :**

वर्ष	1970	1980	1990	1996-02
आपदाओं की संख्या	1110	1987	2742	2935
मारे गये लोग(लाख)में	19-6	8-0	7-9	5-3
प्रभावित लोग(करोड़)में	74	145	196	250
नुकसान (अरब रुपये)	6550	10200	31450	32750

- वर्तमान में सालाना औसतन आने वाली प्राकृतिक आपदाएँ—500
- 1980 के दशक में प्रारम्भ में सालाना आने वाली प्राकृतिक आपदा—120 2006 में आयी मौसम सम्बन्धी प्राकृतिक आपदाओं की संख्या— 240
- 1980 में आई मौसम संबंधी प्राकृतिक आपदा— 60

वर्तमान ज्ञान व सूचना क्रान्ति के युग में उक्त आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता परन्तु इसके प्रभावों को नियंत्रित अवश्य किया जा सकता है। लोगों को पहले से ही इसकी सच्चना प्रदान आपदाओं से निपटने हेतु शिक्षा व प्रशिक्षण देकर जान-माल की हानि को काफी कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें ये जानना होगा कि ये क्यों होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है।

**आपदा :** कोई दुर्घटना जिसमें जान-माल के साथ सामाजिक संरचनाओं या सार्वजनिक सम्पत्तियों की अत्यधिक हानि हो तथा जिसकी भरपाई करने में बहुत अधिक समय व संसाधन लगते हैं, उसे आपदा कहते हैं। जैसे—बाढ़, भूकंप, सूखा, ओलावृष्टि आदि। **दुर्घटना :** कोई भी ऐसी घटना जिसमें जान माल की क्षति होती है। कोई दुर्घटना छोटी या बड़ी हो सकती है। सामान्यता दुर्घटन मानवीय भूल का परिणाम होती है उसे नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे—रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना आदि।

**आपदाओं के प्रकार :**

**प्राकृतिक आपदा :** वे आपदाएँ प्राकृतिक श्रेणी में आती जिन पर मानव का कोई वश नहीं होता। जैसे— बाढ़ या भूकंप  
**मानवजनित आपदा :** वे आपदाएँ मानवजनित कहलाती हैं जो जो मानवीय चूक के कारण घटित होती है। जैसे— आग्निकाण्ड या साम्रदायिक दंगे।

यदि हम ध्यान दे तो ज्ञात होगा कि ऐसो आपदाओं की संख्या अधिक है जिनके मूल में मानवीय कारण होते हैं, जो कि है— अग्निकाण्ड, औद्योगिक दुर्घटनाएँ, आतंकवाद, रासायनिक हथियारों से विनाश, परमाणु दुर्घटना, युद्ध आदि। बाढ़ में भी एक ऐसी आपदा है जिसके घटित होने में मानवीय कारक होते हैं, जैसे— वनों का कटाव, विकास हेतु बांधों का निर्माण, नदियों से छेड़ छाड़ आदि।

आपदाओं का सामाजिक विकास पर प्रभाव : 1. मानव जीवन की हानि 2. मानसिक या भावात्मक क्षति 3. घर का नष्ट हो जाना 4. फसलों की क्षति 5. आजीविका की क्षति 6. निजी सम्पत्तियों का नुकसान 7. सार्वजागिक सम्पत्तियों की क्षति 8. उद्योग-धंधों को नुकसान 9. परिवहन और संचार सेवाओं पर प्रभाव

**आपदा प्रबन्धन :** विश्व के देशों में विनाशकारी आपदाओं के घटित होने के बाद यह सोच विकसित होने लगी कि अव्ययाधी आपदाएँ, घटित हो तो उनसे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए ठोस राजनीति हो। इसके लिए विस्तरीय तैयारी करने पर बल दिया जाने लगा—आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद। आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद किये जाने वाले कार्यों की तैयारी को आपदा प्रबन्धन या आपदा जोखिम प्रबन्धन या आपदा जोखिम न्यूनीकरण कहते हैं। इस तैयारी या आरभिक प्रयास के कारण आपदा के समय होने वाले जान—माल व सामाजिक सम्पत्तियों के नुकसान को कम किया जा सकता है साथ ही विकास की गति भी बनी रहती है।

आपदा प्रबन्धन निम्नलिखित विधियों से किया जा सकता है:

1. **सूचना के प्रबन्धन :** आपदा आने के पूर्व जनता को चेतावनी देने व प्रशासन को सूचना देने का तंत्र विकसित करना, आपदा के समय जनता एवं प्रशासन को सूचना देना व सहयोग राहत आदि की मांग करना व आपदा के बाद जनता के बीच विश्वास व धैर्य पैदा करने वाली जानकारी देना, सूचना के प्रबन्धन के अन्तर्गत आता है। सूचना का आदान-प्रदान करना अत्यन्त दक्षता विषय है अतः इसमें प्रशिक्षित होना आवश्यक है।
  2. **संसाधनों का प्रबंधन :** विभिन्न आपदाओं के समय कौन-कौन से लोग और वस्तु जोखिम में हो सकती है, इनकी पहचान कर लेना व जोखिम को कम करने में सहायक संसाधनों की व्यवस्था करके (या स्थानीय स्तर पर उनका निर्माण करके) तथा उनका प्रयोग करना सीखना, संसाधनों का प्रबंधन कहलाता है। जैसे— रस्सी का उपयोग वाहन को बॉधने, स्ट्रेचर बनाने, सीमांकन करने आदि में हो सकता है।
  3. **प्रशिक्षण व पूर्वाभ्यास :** आपदा के समय जरी संसाधनों के प्रयोग में प्रशिक्षण लेकर प्राथमिक चिकित्सा करने के बारे में जानकारी प्राप्त करके, खोज व बचाव विधियों में प्रशिक्षण लेकर हम आपदा से हाने वाली जानहानि को कम कर सकते हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को आपदा के समय या बाद में क्या करना है इसकी जिम्मेदारी तय करके तथा इसके कार्यों व जिम्मेदारियों को निभाने का पूर्वाभ्यास (Mock Drill) करके हम आपदा से निपटने में पूरी तहर तैयार हो सकते हैं।

**आपदा प्रबन्धन योजना हेतु आवश्यक बिन्दु :** भारत में वर्ष 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम पारित हुआ। जिससे आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। पहले जहाँ आपदा घाटने के बाद राहत और पनर्वास पर जोर दिया जाता था। वहीं अब आपदा आने से पूर्व ही जोखिम में कमी लाने और तैयारियों पर बल दिया जाता है। केन्द्र सरकार अब डी एम एक्ट के आदेशानुसार, आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करते हैं। (धारा-37) राज्य सरकारों को विकास योजना, आपदा से बचाव, क्षमता का विकास आदि हेतु धनराशि का आवंटन करना होता। इसके अतिरिक्त कछ अन्य बिन्दओं पर भी हमें विचार करना होगा।

1. पंचायती राज का सशक्तीकरण करना। सविधान के 73वें 74 वें संशोधन में माना गया कि ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन में प्रत्यक्ष भूमिका निभा सकती है। यह एक ऐसी स्थानीय ईकाई है, जिसकी आम जनता से सीधे सम्पर्क रहता है। पंचायत लोगों के सुझाव व सहायता से मानवीय आपदाओं को नियंत्रित कर सकती है। 2. युवा शक्ति को जागृत व प्रशिक्षित करना होगा। जिससे वे अपने परिवार व समुदाय को इनका सामना करने हेतु जागृत कर सके। 3. आपदा प्रबन्धन योजना बनाते समय विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं का समझना और उसके अनुरूप बचाव की विधि अपनाना आवश्यक है। इसके लिए खोज व बचाव दल के सदस्यों को प्रशिक्षित करना चाहिए। 4. आपदा प्रबन्धन योजना बनाते समय महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। महिलायें घर में रहने के कारण किसी आपदा जैसे आग या भूकम्प में अधिक जोखिम में होती हैं। अतः उनके विचार व सहयोग महत्वपूर्ण होते हैं। 5. विद्यालयों व महाविद्यालयों में विद्वार्थियों को आपदा-प्रबन्धन हेतु प्रशिक्षित करना। 6. गैर सरकारी संगठन विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में संगलन रहते हैं उन्हें भी आपदा प्रबन्धन हेतु प्रशिक्षित करना। 7. कारपोरेट सेक्टर को भी अपने सामाजिक दायित्वों को समझाते हेतु इसमें समिलित करना। 8. राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों, उद्योगपतियों, विद्यालयों के प्राचार्य व प्रबन्धकों का आपदा प्रबन्धन हेतु जागृत करना। 9. पुलिस बल को प्राथमिक उपचार व प्रबन्धन हेतु प्रशिक्षित करना। 10. देश से गरीबी को कम करना क्यों कि आपदा में सबसे पहले जो ग्रसित होता है, वह है—गरीब। 11. हमें अपनी जीवनशैली में परिवर्तन करना होगा। पर्यावरण की सुरक्षा व आपदा से बचाव हेतु सज्जग होना होगा।

आपदाओं के बारे में जन चेतना, कुछ सामान्य जानकारियाँ क्या करें और क्या न करें आदि का ज्ञान और लोगों की छमताओं का सरलता से विकास, को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है जिससे आपदा से पूर्व ही जान-माल की हानि को कम किया जा सके।

संख्या १

1. योजना, विकास को समर्पित, दिसम्बर 2010
  2. समुदाय आधारित राहत, आयुक्त संगठन एवं जी० ओ० आई०
  3. आपदा प्रबन्धन, यू०न०ड०पी०, आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम,
  4. हिन्दुस्तानी बुक डिपो, विजय नगर, लखनऊ
  5. दैनिक जागरण, प्रकृति का बदला, 2 जनवरी 2011
  6. 2nd India Disaster Management Congress 4&6 Nov 2009, Vigyan Bhavan, New Delhi (Abstracts)

## गोंड जनजाति उत्पत्ति व विकास

### डॉ गौतम आनन्द सिंह\*

\*सहायक आचार्य, समाजशास्त्र, गोविन्द बल्लभ पंत पीठीजी कालेज, प्रतापगंज, जौनपुर, उत्तरप्रदेश

**सारांश :** मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जनजाति की सूची में आने वाले 'गोंड' प्रदेश की लगभग आधी आवादी हैं। गोंड अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पायी जाती है। भारत को सर्वाधिक प्रमुख जनजातियों में से एक है, गोंड जनजाति। इस जनजाति को बाहुल्य देश कहा जाता है। यदि इसे जनजातियों का संकुल भी कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय प्राचीन इतिहास के अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि यह जनजातियाँ भारत की विशेषतम धरोहर हैं। इस कारण इस जनजाति का अध्ययन करना आवश्यक प्रतीत होता है।

**मुख्य शब्द :** गोंड जनजाति, पर्वतीय क्षेत्र, प्रतीकात्मक शब्द, भारतीय प्राचीन इतिहास, कोयतोर समूह आदि।

सर्वप्रथम गोंड शब्द की व्युत्पत्ति पर मतभेद है। कुछ विद्वानों के मतानुसार गोंडों को 'गोंड' अन्य विभिन्न जाति के लोग कहा जाता है, परन्तु ये स्वयं को कोयतोर कहते हैं। हिसलपकी राय के मतानुसार, 'गोंड' या 'गुण्ड' शब्द कोड या कुण्ड का विकृत रूप है। कोड शब्द की उत्पत्ति तेलगू के कोंड शब्द से व्युत्पन्न हुई है, जिसका अभिप्राय पर्यंत होता है। चूंकि ये लोग पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए उन्हें गोंड की संज्ञा दी जाती है। अनेक विद्वान इस उत्पत्ति को नहीं स्वीकारते हैं। अन्यान्य शब्द जैसे गैंडा (जंगल) गरिया (पत्थरों के प्रति रूप में पूजे जाने वाले देवी-देवताओं और गुड़ा) सुअरवाड़ा या सूकरबलि ये तीनों ऐसे प्रतीकात्मक शब्द हैं, जो जंगल के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं या उनकी बलि देते हैं, अर्थात् गुण्डधारी हैं और इसी कारण वे गोंड कहलाते हैं।<sup>1</sup>

'रसेल एवं हीरालाल' के मतानुसार, गोंड और उसकी उपजातियाँ स्वयं की पहचान कोय या कोयताल शब्द से करती हैं, जिसका अभिप्राय 'मनुष्य' या पर्वतवासी मनुष्य है। 'टोलेमी' ने गोंडों को गोंड लोई कहा है। 'हिस्लोप' ने गोंडों तथा कोड दोनों को एक माना है, जो कि पहाड़ के पर्यायवाची शब्द से बने हैं। इसी प्रकार 'कनिधम' ने गोंड को गोंड देश से सम्बन्धित बतलाया है। इनके जन्म के विषय में भी अनेक कियदंतियाँ प्रचलित हैं, जिससे इनकी उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त होता है।

**आर.पी. मिश्रा** (1978) ने कोयतोर का अर्थ वनमानुष या बन्दर की संतान बताया है। उन्होंने यह इस आधार पर स्थापित किया कि सम्पूर्ण गोंड या कोयतोर समूह अपने को बन्दरों की संतान मानते हैं। उनके अनुसार अधिकांश आदिम जनजातियों में बन्दर को अपना आदि जनक मानने की धारणा पायी जाती है। यह उत्पत्ति संदेहास्पद है।<sup>2</sup>

मध्य प्रान्त के साहित्य में हर स्थान पर इनके लिये स्थानीय हिन्दुओं ने 'आदिवासी' नाम दिया है। भारत में सरकारी अधिकारियों ने धीरे-धीरे सभी 'कोयतोर' लोगों को गोंड प्रजाति कहना आरम्भ कर दिया। बस्तर के सभी कोयतोर अधिकारिक रूप से गोंड के रूप में ही वर्गीकृत किये गये। वहाँ गोंड शब्द बेहद प्रचलित है। उपजातियों के विषय में कहा जाता है कि गोंड लोगों की बारह से अधिक उपजातियाँ या समूह हैं, जो कि मध्यप्रदेश और उसकी सीमावर्ती प्रदेशों में पाये जाते हैं। यद्यपि गोंड जनजातियों का विस्तार सम्में पूर्वी मध्यप्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक था, किन्तु कोयतोर लोग मध्यप्रदेश की सीमा रेखा के बाहर समीपवर्ती प्रदेशों उड़ीसा और आंध्र के कछेक हिस्सों तक ही सीमित हैं। दक्षिणी सीमा क्रमशः उत्तर की ओर खिसकती रही और 1931 में यह कृष्ण नदी के उत्तरी तट पर पहुँच गयी। मध्यप्रदेश की जनजातियों में संख्या और विस्तार क्षेत्र की दृष्टि से गोंडों का क्रम प्रथम है। यदि बस्तर के सभी गोंडों (मुढिया, भारिया सहित) को सम्मिलित कर लिया जाये तो इनकी संख्या 15 लाख से अधिक है।

गोंड जनजाति के इतिहास का जहाँ तक प्रश्न है, 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी गजेटियर' में गोंड जनजाति का प्राचीन जन्म स्थान या उदगम दक्षिण भारत में स्थित चाँदा मेठा माना जाता है। वर्तमान में गोंड जनजाति का जन्म स्थान मध्य प्रदेश प्रान्त को माना जाता है।<sup>3</sup> गोंड जनजातियों के इतिहास एवं साहित्य बड़े ही रोचक एवं प्रज्वलित हैं। जनजाति अध्ययन के इतिहास से स्पष्ट होता है कि यह जनजातियाँ प्राचीन काल से ही राज्य करती थीं। इनके शासनकाल में प्रजा बेहद सुखी रहती थीं तथा शासकों ने जनहितार्थ अन्यान्य कार्य किये व सिक्के भी चलाये। 14वीं शताब्दी में इनके शासन काल के प्रमाण हैं। इनके चार राज्य प्रमुख थे। बैतूल में खेड़ला, छिन्दवाड़ा में देवगढ़, जबलपुर में गढ़ामण्डला व माँडक के पास चाँदा राज्य थे, जो बाद में मराठा राज्य के अधीनस्थ हो गये। यह जनजातियाँ अपने राज्यों के पतन के साथ स्वयं को भी लुट करती गयीं तथा पर्वतों व घने बनों में छिपकर जीवन गुजारने लगीं। तभी से इन्हें वनवासी या अरण्यवासी की संज्ञा दी जाने लगी और वह इसी कारण सभ्य जातियों से भी दूर हो गयीं तथा अपना जीवन व्यतीत करने लगीं। गोंड जनजातियों पर मराठों ने आधिपत्य किया अंततः मराठा राज्य अंग्रेजों के अधीनस्थ हो गये तथा सम्पूर्ण भारत पर अंग्रेजी शासन हो गया। इस सभ्य तक यह जनजातियाँ सभ्य जाति सम्पर्क से पूर्णतः अछूती थीं अंतः प्रकृति के सम्पर्क में रहकर स्वतंत्र रूप से अपने लघु समाज में जीवन व्यतीत कर रही थीं।

समयान्तराल परिवर्तन आना स्वाभाविक प्रक्रिया होता है। चूंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जिसका होना अवश्यम्भवी है, परिवर्तन से जनजाति जीवन भी बदल नहीं सका। गोंड जनजाति जीवन परिवर्तन का प्रमुख कारण अंग्रेजी शासन का भारत पर आधिपत्य होना कहा जा सकता है। अंग्रेजी ने सम्पूर्ण भारत को स्वयं के तरीके से निर्मित करना प्रारम्भ किया। परिणाम के तौर पर सभ्य जातियाँ तो प्रभावित हुई हैं, साथ ही साथ जनजाति क्षेत्र जो सभ्यता के सम्पर्क से दूर अपना जीवन व्यतीत करते थे,

उनमें भी हलचल मच गयी, अंग्रेजों ने वन्य क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रम निर्मित करवाने प्रारम्भ कर दिये। जनजातियों को वन्य क्षेत्र त्यागने को मजबूर कर दिया। तभी से जनजातियाँ वन्य क्षेत्रों से निकल कर गाँवों में आकर बसने लगी तथा यहीं से जनजातियाँ सभ्य जाति के सम्पर्क में आना प्रारम्भ हो गयी।

मध्यप्रदेश में गोंड जनजाति की जनसंख्या एवं भौगोलिक क्षेत्र विस्तृत है। मध्यप्रदेश भारत के बड़े राज्यों में से एक माना गया है। इस राज्य में अनुसूचित जनजाति का बाहुल्य पाया जाता है। इस राज्य में कुल 46 जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें गोंड जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। 1981 की जनगणना के आधार पर गोंड जनजाति की कुल जनसंख्या 53,49,883 है<sup>4</sup> मध्यप्रदेश में गोंड जनजाति की जनसंख्या लगभग एक करोड़ है<sup>5</sup>

रसेल एवं हीरालाल ने अपने अध्ययन में कहा है कि गोंड जनजाति दो पट्टियों यानि दो भागों में विभक्त है –

1. प्रथम पट्टी के क्षेत्र तथा
2. द्वितीय पट्टी के क्षेत्र, जिन्हें हम भौगोलिक क्षेत्र भी कह सकते हैं।

प्रथम पट्टी का क्षेत्र गोंड जनजाति भारत के मध्य भाग तथा सतपुड़ा के घने वनों में, जो कि मुख्यतः छिन्दबाड़ा, बेतूल, होशंगाबाद, सिवनी, छपारा, जबलपुर, मण्डला एवं उसके अन्तर्गत सम्मिलित अन्य क्षेत्रों में फैली हुई है। यह प्रथम पट्टी सागर जिले के उत्तर में स्थित है। उसका क्षेत्रफल लगभग 20,000 वर्ग मील का क्षेत्र घेरता है<sup>6</sup>

द्वितीय पट्टी के क्षेत्र में गोदावरी नदी, छत्तीसगढ़ का मैदान कांकेर, बस्तर, दुर्ग, भण्डारा, चाँदा क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसे गोंडवाना देश के नाम से जाना जाता है। दुर्ग छत्तीसगढ़ का ही हिस्सा है, जो 20° 32' और 22° 43' अंश उत्तर क्षेत्र 80° 43' एवं 82° 22' पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ है। जिसका क्षेत्रफल 4000 वर्ग मील में फैला हुआ है। इसके पश्चात् गोंड जनजाति के लोग परिचम में भी निवास करने लगे हैं।<sup>7</sup>

गोंड जनजातियाँ नदियों, पर्वत शृंखलाओं व समतल मैदान, ऊँची-नीची सतहों पर निवास करने लगी हैं। भण्डारा जिले में 4000 वर्ग मील तक एवं पुराने खेंगागढ़, नंदराज्य जो कि चाँदामेठा के दक्षिण में अवस्थित है, गोंडों का मुख्य निवास क्षेत्र माना जाता है। 20° 40' तथा 21° 47' उत्तर में 79° 27' तथा 80° 40' पूर्व भण्डारा से लेकर नागपुर तक समतल मैदान में निवास करती थीं। इसके पश्चात् धीरे-धीरे सतपुड़ा के घने वनों व पर्वत शृंखलाओं की ओर बढ़ती गयी। बानगंगा, बाघ नदी के मध्य पुराना चीचागढ़ में मुख्य रूप से इनको जमीदारी फैलने लगी। दक्षिण क्षेत्र में बढ़ते हुए सतपुड़ा पर्वत से छिन्दबाड़ा और तामियाँ की पर्वत शृंखलाओं में फैल गयी<sup>8</sup>।

‘ईस्ट इण्डिया कम्पनी गेजेटियर’ में भी गोंड जनजाति का मुख्य निवास स्थान चाँदामेठा ही बतलाया गया है। मध्यप्रदेश के मध्यवर्ती भाग को गोंड जनजाति का पुराना घर माना जाता है। जिसमें सर्वाधिक गोंड जनजाति की जनसंख्या निवास करती है। मध्यभारत के मध्य क्षेत्र में 17° 47' एवं 24° 27' तथा 75° 57' एवं 84° 24' पूर्व में जिनका कुल क्षेत्रफल 1,31,052 वर्ग मील में फैला हुआ है<sup>9</sup>। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इनका विभाजन हो गया। गोंड जनजातियाँ मध्यप्रदेश में सतपुड़ा के घने वनों में पर्वत मालाओं तथा नर्मदा नदी के किनारे एवं नर्मदा नदी धाटी में रहते हुए अपना जीवन यापन करती हैं। गोंड जनजाति के व्यक्ति शारीरिक विशेषताओं की दृष्टि से मिश्रित लोग हैं। सर.सी.एस. वैकटाचार्य के मतानुसार गोंड जनजाति दक्षिण के प्राक द्रविड़ लोग हैं तथा दक्षिण भारत से मध्य भारत आये हैं। केष्टन फोरसाइथ का विश्वास है कि इनमें हिन्दुओं के रक्त का मिश्रण निश्चित रूप से हुआ है।<sup>10</sup>

मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों में थोड़ी बहुत मात्रा में जनजाति जनसंख्या निवास करती है, परन्तु 20 या 21 जिले जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से तथा भाषा की दृष्टि से केवल 13 जिले ही विशेष महत्वपूर्ण हैं, अर्थात् इन 13 जिलों की जनजाति जनता का ही महत्वपूर्ण भाग आज भी जनजाति भाषाएँ बोलता है। इन 13 जिलों में केवल दो जिले आते हैं, जिसमें बैतूल ही ऐसा जिला है जिसमें 80 प्रतिशत से भी अधिक जनजाति जनसंख्या जनजातीय भाषाओं को व्यवहार में लेती है, किन्तु जहाँ तक कुल जनसंख्या में जनजातीय भाषा, भाषियों के प्रतिशत का सम्बन्ध है, उसमें महत्वपूर्ण भाषा गोंडी है। मध्यप्रदेश में दर्विड़ भाषा समूह की प्रमुख भाषाएँ गोंडी तथा कुरुख हैं। परन्तु धीरे-धीरे गोंडी ने गोंडी भाषा का प्रयोग करना कम कर दिया है तथा हिन्दी भाषा को अपना लिया है।

उपरोक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि ये लोग वर्तमान में सभ्य जातियों के सम्पर्क में आने से परिवर्तित होकर उनकी मूल भाषा को छोड़कर क्षेत्रीय या हिन्दी भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। यह लोग हिन्दी, गोंडी एवं मिश्रित भाषा का प्रयोग करते जा रहे हैं।

गोंड जनजाति में सामान्यतः चावल एवं कुटकी का भोजन अधिक प्रचलित है। इसके अतिरिक्त ये जनजाति अन्यान्य प्रकार के मोटे अनाजों का प्रयोग करती है। इनमें प्रमुख आहार में मैंस, मछली, जंगली कंदमूल तथा फल इत्यादि सम्मिलित हैं। गोंड जनजाति में परधान उपजाति में मैंस का सर्वाधिक मात्रा में सेवन किया जाता है तथा ये लोग महुँआ के फूल तथा उससे शराब बनाने का कार्य करते हैं। गोंड जनजाति में चावल का एक उत्तम द्रव्य तैयार किया जाता है, इसको पेज कहते हैं। जिसे इन लोगों में अत्यधिक चाव से खाते हैं। गोंड जनजाति में पर्व, उत्सव इत्यादि में शराब का सेवक अति आवश्यक माना जाता है। गोंड जनजाति के लोग प्रायः सूती वस्त्र धारण करते हैं। पशुओं से ऊन प्राप्त कर वे कम्बल तैयार करते हैं। स्त्रियाँ मूँगा और नकली मोतियों से बने आभूषण गले एवं हाथों में धारण करती हैं। कान में एल्युमीनियम की बालियाँ पहनती हैं। इस जनजाति की युवतियों में मुँह तथा हाथ-पैर में गुदवाने का भी रिवाज है। इस जनजाति की उपजाति परधान व ढोलसा, गोदने का कार्य करते हैं। गोदने के लिये एक सुई का उपयोग किया जाता है, उसके पश्चात् ऊपर से नील या शोरवा लगा दिया जाता है। गोंड जनजाति की युवतियों के केश विन्यास का असाधारण शौक पाया जाता है। वे अपने जूँडे कलात्मक और बड़ी सफाई के साथ तैयार करती हैं। इसके लिए सफेद बौंस के कंधों का प्रयोग किया जाता है, प्रत्येक युवती के पास चार कंधे का होना मामूली बात

होती है। ये कंधे इन युवतियों को उनके साथियों द्वारा उपहार स्वरूप प्रदान किये जाते हैं। गोंड जनजाति के लोग विभिन्न पर्व एवं त्यौहारों और खुशी के मौके पर नाच-गाना करते हैं। नाचना और गाना इन जनजातियों की परम्परा में है। प्रकृति के सानिध्य ने जनजातियों को नृत्य एवं संगीत की प्रेरणा दी है। नाचते-गाते जनजाति युवक-युवती, गाने बजाने में पारंगत होते हैं, विवाह-पर्व, या त्यौहार नये लोगों के नृत्य और संगीत सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। युवक-युवतियाँ इनमें उत्साह से भाग लेते हैं और अपने बड़े-बूढ़ों का अनुसरण करके कलाएँ सीखते हैं। इन लोगों को कोई नृत्य-गीत या वाद्य बजाना सिखाता नहीं है, बल्कि किशोरावस्था में ये युवक स्वस्फूर्ति के साथ इन कलाओं को सिखते हैं। कुछ ही समय में कला की परम्परागत धारा में जु़ड़ जाते हैं। वयोवृद्ध व्यक्ति युवकों के इन कार्यों की सदैव प्रशंसा करते हैं एवं प्रोत्साहन देते हैं। सहजता से देखा जा सकता है कि नृत्य करते समय सात-आठ वर्ष के छाटे बच्चों की कमर में टिमकी बांध दी जाती है। बच्चे ही नृत्य कला को यथावत् आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इनके नृत्यों में करमा, सैला, भड़ौनी, विरहा, कहरवा, सजनी, सुआ, दीवानी और नृत्य इत्यादि हैं। भड़ौनी तथा सैला इनका प्रमुख नृत्य हैं तथा इन दो नृत्यों का गोंड जनजाति में विशेष महत्व पाया जाता है।

भड़ौनी नृत्य के कई नाम प्रचलित हैं। विवाह के अवसर पर किये जाने वाले नृत्यों में अत्यधिक प्रिय भड़ौनी नृत्य है। यह नृत्य समूह में किया जाता है। इस नृत्य में बीस से लेकर पचास-साठ तक पुरुष नर्तक और वादक हिस्सा लेते हैं। जितने अधिक ढोल होते हैं, उससे दोगुनी संख्या में टिमकियाँ होती हैं। इस नृत्य में दस ढोल वादक हों तो बीस टिमकी वादक होते हैं, शेष नर्तक हाथ में लकड़ी लिये हुए नाचते हैं। ढोल वादकों के पैर समानान्तर गति में धीरे-धीरे घूमते हैं। धेरे के बीच के नर्तक तेज गति से पैर कमर और हाथों को गति देकर नाचते तथा बीच-बीच में किलकरियाँ भारते हैं। चरम सीमा पर नृत्य और वाद्य थ्रम जाते हैं। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। एक पुरुष धेरे के बीचोबीच ढोलक बजाता है। महिलाओं के आमने-सामने दो दल होते हैं। सैला नृत्य में किशोरियों की अधिक भागीदारी होती है। विवाह के अवसर पर रात भर नृत्य करने पर भी युवतियाँ थकती नहीं हैं। युवतियों के हाथों में मंजीरा या चिटकुला रहता है। ढोलक की लय पर सैला गीत और नृत्य चलता रहता है।

### सन्दर्भ :

1. तिवारी, शिवकुमार एवं शर्मा, अभिकमण (1998), मध्यप्रदेश जनजातियाँ, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृ. 74
2. मिश्रा, आर.पी. (1978), मध्यप्रदेश की जनजातियाँ एवं समाज व्यवस्था, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृ. 75
3. रसेल, आर.वाई. इस्ट इण्डिया कम्पनी गजेटियर, पृ. 861.
4. मध्यप्रदेश की जनजातियाँ, तालिका नं. 43, मध्यप्रदेश गोंड जनजाति का विवरण, 1987, पृ. 84.
5. प्रतियोगिता दर्पण, लेख – जनजाति जनसंख्या विश्लेषण, जुलाई, 1995.
6. रसेल एण्ड हीरालाल, द्राइब्स एण्ड कास्ट ऑफ दि सेण्ट्रल प्रोवान्स, वाल्यूम –1, पृ. 8.
7. रसेल, आर.वाई. इस्ट इण्डिया कम्पनी गजेटियर, पृ. 861.
8. रसेल एण्ड हीरालाल, द्राइब्स एण्ड कास्ट ऑफ दि सेण्ट्रल प्रोवान्स, वाल्यूम –1, पृ. 1.
9. रसेल एण्ड हीरालाल, द्राइब्स एण्ड कास्ट ऑफ दि सेण्ट्रल प्रोवान्स, वाल्यूम –1, पृ. 1.
10. तिवारी, शिवकुमार एवं शर्मा, अभिकमण (1998), मध्यप्रदेश जनजातियाँ, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृ. 76.

## राष्ट्र निर्माण में शोध की भूमिका

रत्नेश कुमार\*

\*शोध छात्र, समाजशास्त्र, टी.डी.पी.जी. कॉलेज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश

**सारांश :** अनन्त काल से समाज में परिवर्तन लाने में शोध की महत्ती भूमिका रही है। हालांकि यह वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं के व्यक्तिगत प्रयासों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हम सभी में शोध की भावना को आरम्भ से ही पोषित करना होगा और युवाओं को सीखने की रटने वाली पद्धति के स्थान पर कुछ भिन्न सोचने के बारे में बताया और पढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। साथ ही माता-पिता और सामाजिक स्तर पर भी बहुत पैमाने पर सोच बदलनी होगी। विभिन्न पक्षों द्वारा सामूहिक स्तर पर प्रयास करने से परिवर्तन देखने को मिल सकता है।

**मुख्य शब्द :** शोध संस्थान, शिक्षा प्रणाली, विकास, उत्पाद विकास, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आदि।

भारत में उत्पाद विकास की क्षमता और संख्यातित सम्भावनाएं हैं। 'मेक इन इण्डिया' अभियान में विनिर्माण के साथ रचना और उत्पाद विकास, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा(आईपीआर) सूझन और संरक्षण महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इससे न केवल भारत की एक बड़ी आबादी को रोजगार मिलेगा अपितु खपत के लिए आयात पर निर्भरता भी कम होगी और आयात पर होने वाले व्यय में कमी आयेगी तथा राष्ट्र आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होगा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही आई.आई.टी.एम. जैसे शोध संस्थानों को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है। राष्ट्र निर्माण में शोध की भूमिका निम्न संदर्भों में दृष्टिपात होती है जिसके फलस्वरूप किसी भी राष्ट्र की उन्नति तीव्र गति से वैश्विक समुदाय के पटल पर अपनी अभिट छाप प्रस्तुत करते ही ये सन्दर्भ निम्न क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देकर किया जा सकता है।

**शैक्षिक प्रणाली में गुणवत्ता पूर्ण शोध की भूमिका :**

(क) विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु 28 दिसम्बर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अस्तित्व में आया और 1956 अधिनियम के तहत इसे एक वैज्ञानिक निकाय बना दिया गया।

(ख) वर्ष 1972 में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का गठन हुआ जो ऐतिहासिक शोध कार्यों को समीक्षा करती है तथा इतिहास के वैज्ञानिक लेखन को बढ़ावा देती है।

(ग) वर्ष 1965 में स्थापित भारतीय उच्चतर अनुसंधान परिषद मानविकी समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतर शोध के लिए आवासीय सुविधायुक्त केन्द्र है। जो सरकार या अन्य संगठन व्यक्तियों को शोध सम्बन्धी परामर्श देती है।

इस प्रकार ये संस्थाएं उच्च शिक्षा के स्तर पर शोध कार्यों को बढ़ावा देने हेतु कार्य करती हैं। परन्तु भारत के निर्माण हेतु वैश्विक मानविकों के अनुरूप विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए जिससे वहां शिक्षा व शोध की गुणवत्ता बनी रहे। चाहे वह उच्च शिक्षण संस्थान सरकारी हो या व्यक्तिगत सभी में विश्वस्तरीय एक समान शोधयुक्त शिक्षण प्रणाली होनी चाहिए। तथापि वर्तमान वैश्विक महामारी के दौरान शिक्षण व्यवस्था बेपटरी हो गयी है। जिसे व्यवस्थित करने हेतु तथा भविष्य में ऐसी महामारी के दौरान शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु तकनीकों के प्रयोग पर बल देने की आवश्यकता है। अतः नवीन तकनीक की प्राप्त हेतु शोध की महत्ती भूमिका है। जिससे न्यूनतम खर्च पर सुगमता से नगरीय ही नहीं अपितु ग्रामीण एवं सुदूर वर्तीय क्षेत्रों के भी छात्र-छात्राओं तक ऐसे माध्यम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए जिससे सभी शिक्षक तथा शिक्षार्थी ज्ञान से लाभान्वित हो सके तभी एक सशक्त भारत का निर्माण हो सकता है।

**आर्थिक प्रणाली में गुणवत्ता पूर्ण शोध की भूमिका :** भारत में विकसित उत्पादों का घरेलू स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक भेजने या पहुँचाने हेतु शोध प्रक्रिया द्वारा इसको और उन्नत करने का प्रयास करना। जैसे-भारत में उत्पन्न किसी भी उत्पाद को कम लागत पर कैसे तैयार किया जाए? 'मेक इन इण्डिया' जैसे अभियान को जमीनी स्तर पर उतार कर उसके माध्यम से युवाओं को छोटे-मोटे उद्योगों हेतु निषुण बनाना जिससे भारत भी वैश्विक स्तर पर बाजार का निर्माण कर अपने यहाँ निर्मित वस्तुओं, उपकरणों का बहुत पैमाने पर निर्यात कर अपनी आर्थिक क्षमता में वृद्धि कर सके। इसके लिए युवाओं को नवीन तकनीकी ज्ञान के लिए प्रेरित करने के साथ यह शोध करने की आवश्यकता है कि हम कैसे कम मूल्यों पर अच्छी एवं मजबूत वस्तुओं या उपकरणों का निर्माण एवं वैश्विक स्तर पर अपना विश्वास प्रबल कर सकें।

**तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध की भूमिका :** तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध कार्यों में भारत की वास्तविक स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ नहीं है अपितु इसके कि भारत स्वतन्त्रता से लेकर अब तक किये गये प्रयासों में कुछ सुधार अवश्य देखने को मिले हैं, परन्तु यह संतोषजनक नहीं है। यद्यपि अंतरिक्ष क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो भारत आज भी तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकसित देशों की तुलना में अत्यधिक पीछे है। अतः इस क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं की गुणवत्ता और शोध कार्य को बढ़ावा देने हेतु अत्यधिक प्रयोगशालाओं की स्थापना सहित अन्य ढाचागत सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विचार करना चाहिए तथा विश्व के अन्य देशों अमेरिका, जापान, रूस आदि से तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी शोध ज्ञान को प्राप्त करते हुए भारतीय तकनीकी संस्थानों में विद्यार्थियों को शोध की महत्ता समझाते हुए अनुसंधानिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु बल देने की आवश्यकता है।

किसी भी राष्ट्र को सुरक्षित रखने हेतु उसके सीमाओं का मजबूत होना आवश्यक है। इसके लिए सैन्य बल के साथ तकनीकी अस्त्र-शस्त्र का होना परम आवश्यक है। जिसके पास जितने अधिक मारक क्षमता वाले हथियार होंगे वह राष्ट्र उतना ही सशक्त होगा। अतः भारत रक्षा तकनीक के क्षेत्र में भी नित नए अनुसंधान के माध्यम से नवीन उपकरणों की शोध में लगा हुआ है बावजूद इसके भारत सैन्य शक्ति और रक्षा उपकरणों में बहुत पीछे है जिसके कारण चीन, पाकिस्तान जैसे राज्य प्रायः भारत की सीमाओं पर प्रतिघात करते रहते हैं। जिसका प्रमुख कारण भारत के पास आधुनिक तकनीकी हथियारों का अभाव है। अतः राष्ट्र की सीमाओं को शत्रु राष्ट्र से बचाने हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को नवीन तकनीक से पूर्ण रक्षा उपकरणों के भी निर्माण की आवश्यकता है। जिसे शोध क्षेत्र में बढ़ावा देकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जिससे हमारा राष्ट्र सुरक्षित एवं संरक्षित हो सके।

**चिकित्सा के क्षेत्र में शोध की भूमिका :** वर्तमान वैशिक परिदृश्य में आज सम्पूर्ण विश्व समुदाय एक ऐसी महामारी से द्वंद कर रहा है जिसका समाधान लम्बे समयान्तराल तक विश्व के समक्ष उपलब्ध होने की सम्भावना परिलक्षित नहीं होती है। यह महामारी कोरोना नामक वायरस के कारण उत्पन्न हुई है। जिसका वैज्ञानिक नाम बीटा-19 (ब्यतवद टपतने क्षेत्र-2019) है। जिसकी वैक्सीन खोज कर पाना सम्पूर्ण वैशिक समुदाय के लिए चुनौती बना हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि आज भी चिकित्सा के क्षेत्र में वैशिक रस्तर पर शोध की कमी है। जिसके सन्दर्भ में निम्न प्रयास किए जाने चाहिए:-

(क) सभी चिकित्सा संस्थानों तथा चिकित्सकीय अनुसंधान केन्द्रों में भविष्य में उत्पन्न हो सकने वाले चुनौती से निपटने के लिए विषय से हटकर भी कुछ अनुसंधान करनेकी आवश्यकता है जिससे कि आगामी किसी नयी बीमारी की सम्भावना को भी समय रहते नियन्त्रित किया जा सके।

(ख) कारोना वायरस महामारी से उत्पन्न समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए इसके संदर्भ में जिस भी वस्तु की आवश्यकता (जैसे पी.पी.ई. किट, वेटिलेटर, एन-95 मॉस्क इत्यादि) पड़ रही है अपी यह भारत के पास अपर्याप्त मात्रा में है। इन उपकरणों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने हेतु शोध की आवश्यकता है। जिससे हम चिकित्सा सुविधा में उत्पन्न होने वाले उपकरणों का निर्माण कर इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकें। तथापि आज भी भारत में चिकित्सा उपकरणों का मंहगे और बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है। जिससे हमारी आर्थिक क्षति भी होती है। अतः चिकित्सा एवं चिकित्कीय उपकरणों पर आत्मनिर्भरता हेतु पर्याप्त शोध की आवश्यकता है।

(ग) यद्यपि सरकार ने चिकित्सकीय व्यवस्था में सुधार एवं उपकरणों हेतु 15 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। जिसमें कोविड वैक्सीन के शोध हेतु 100 करोड़ रुपये की पृथक व्यवस्था की गयी है।

**कृषि के क्षेत्र में शोध की भूमिका :** भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी वर्तमान में भारतीय किसान कृषि से विमुख हो रहे हैं जिसका कारण किसानों का उनके परिश्रम के अनुरूप लाभ न होना है। किसानों का ध्यान कृषि की ओर आकृष्ट कराने हेतु उन्नतशील बीजों एवं फसलों की आवश्यकता है। जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु तथा इन फसलों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के साथ-साथ नवीन कृषि उपकरणों के निर्माण पर भी बल देने की आवश्यकता है। जिससे कि किसान कम समय में फसलों के उत्पादन में जोताई-बोआई व फसलों की कटाई हेतु नवीन तकनीकों का उपयोग कर अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। साथ ही उत्पादित फसलों एवं अनाजों के रख-रखाव हेतु भी ऐसे तकनीकी भण्डारण के निर्माण की आवश्यकता है जिससे किसान फसलों को लम्बे समय तक सुरक्षित रख सके। इसके लिए नवीन तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी जो शोध के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। इस ओर भारत सरकार ने भी प्रयास शुरू किये हैं तथा किसानों की आय दोगुनी करने हेतु वर्ष 2022 का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब हम शोध के माध्यम से किसी नवीन उपकरणों का निर्माण एवं प्रयोग करें।

**निष्कर्ष :** वर्तमान परिदृश्य में भारत में शोध की भूमिका तीव्र गति से बढ़ रही है। शिक्षा, चिकित्सा, तकनीक, रक्षा उपकरण तथा कृषि क्षेत्र आदि में नवीन ज्ञान को लाने तथा शोध की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। शोध कार्य को बढ़ावा देने हेतु धन की आवश्यकता पड़ती है। अतः धन की कमी शोध कार्य के आड़े न आने पाए इसके लिए भारत सरकार ने उपरोक्त क्षेत्रों में अधिकाधिक धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ शोध की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु निगरानी तन्त्रों की भी व्यवस्था की है। इसी प्रकार वर्तमान भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का सृजन कर शोध की गुणवत्ता पूर्ण प्रणाली और नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिससे एक सशक्त भारत का निर्माण ही नहीं अपितु भारत विश्व गुरु भी बने ऐसी संकल्पना के साथ भारत निर्माण में शोध या अनुसंधान की भूमिका महत्वपूर्ण है।

#### सन्दर्भ :

1. आर्थिक सर्वेक्षण 2019–2020
2. आर्थिक पैकेज–2020
3. <https://hi-m-wikipedia.org>
4. <http://ichr-ac-in/>
5. [www-mhrd-gov-in](http://www-mhrd-gov-in)
6. <https://HYPERLINK^https://www-ugc-ac-in/^//HYPERLINK>
7. <https://www-ugc-ac-in/^//www-ugc-ac-in>

## **व्यवसायिक असंगठित श्रमिक : एक सामान्य परिचय, आजमगढ़ के अहिरौला विकास खण्ड के विशेष संदर्भ में सतीश कुमार उपाध्याय\***

\*शोधछात्र, जवाहर लाल नेहरू स्मारक पी0जी० कालेज, बाराबंकी, उ0प्र०

**डॉ हेमन्त कुमार सिंह\*\***

\*\*शोध पर्यवेक्षक, जवाहर लाल नेहरू स्मारक पी0जी० कालेज, बाराबंकी, उ0प्र०

**सारांश :** प्रस्तुत लेख शोधार्थी की मौलिक अभिव्यक्ति है, जिसके उद्घाटन में प्राथमिक एवं द्वितीयक श्रोतों का प्रयोग किया गया है। शोधार्थी ने व्यवसायिक असंगठित श्रमिक के अर्थ, विशेषताएं एवं समस्याओं को चिन्हित किया है और आजमगढ़ के अहिरौला विकास खण्ड के असंगठित श्रमिकों की स्थिति को रेखांकित किया गया है। यह लेख शोधार्थी के शोध प्रबन्ध के प्रथम अध्याय की मूल भावना है।

**मुख्य शब्द :** श्रमिक, असंगठित श्रमिक, श्रमिक बल, अर्थव्यवस्था के विकास, श्रम संगठन आदि।

प्रत्येक देश का विकास प्रकृति प्रदत्त संसाधन एवं सम्बन्धित देश की मानवीय श्रम शक्ति पर निर्भर करता है ये दोनों अवयव ही विकास की आधारशिला हैं। मानवीय श्रमिक साधन का प्रकृत प्रदत्त साधन के अनुरूप में जितना उपयोग किया जायेगा उतना ही एक देश संवृद्ध एवं विकसित होगा। नेशनल सैपल सर्वे ऑफिस (एन०एस०एस०ओ०) के अनुसार वर्ष 2017–18 में भारत देशमें श्रमिक बल की सहभागिता 49.80 प्रतिशतरही। पेरियार्डिक लेबर फोर्स सर्वे (पी०एल०एफ०एस०) के अनुसार 2005 से 2018 तक श्रमिक बल की सहभागिता का औसत 53.90 प्रतिशतथा। इस दौरान सर्वाधिक 2005 में 63.70 प्रतिशत तथा न्यूनतम 2018 में 49.80 प्रतिशत रहा। इन श्रमिकों में 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित थे। भूमि, श्रम, पूँजी और संगठन प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था के विकास के उपकरण हैं जिसमें मानव श्रम का सर्वाधिक महत्व है। भारत जैसे विशाल देश में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के विकास में श्रमिक शक्ति को ही महत्व प्रदान किया गया है। श्रमिक किसे कहा जाय यह विद्वानों के बीच चर्चा का विषय रहा है इस संदर्भ में अनेकों परिभाषाएं एवं दृष्टिकोण प्रचलित हैं।

प्राचीन काल से श्रम के सन्दर्भ में दो प्रमुख दृष्टिकोण प्रचलित रहे हैं जिसे वस्तुपरक एवं सहभागिता के रूप में वि लेशित किया गया है। वस्तुपरक दृष्टिमें श्रम को वस्तु के रूप में खरीद तथा बेचा जा सकता है। पूँजीवादी समाजों की अर्थव्यवस्था में यह धारणा व्यापक स्तर पर प्रचलित रही जहाँ श्रमिकों को कम पारिश्रमिक देकर पूँजीपति अधिक लाभ अर्जित करता है। सहभागिता की दृष्टि उन समाजों की अर्थव्यवस्था में रही जो अल्पविकसित या विकासशील थे। जिसके अन्तर्गत श्रमिकों को निम्न या आर्थिकरूप से कमजोर माना जाता था और संवृद्धजन जिनकी सहायता करना अपना कर्तव्य मानते थे। श्रम का सम्बन्ध मानव द्वारा किये गये समस्त शारीरिक एवं बौद्धिक या मासिक कार्यों से है जो सामान्यतः धन या अर्थ प्राप्ति के लिए किया जाता है जिसके द्वारा किया जाता है, उसे श्रमिक कहते हैं। मार्शल अल्फ्रेड ने श्रम को आनन्द या सुख की अपेक्षा पूर्व आर्थिक लाभ के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार श्रम की अवधारणा प्रत्यक्षरूप से आर्थिक होते हुए भी अनेक सन्दर्भों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक नीतिगत, मनोवैज्ञानिक आयामों को अपने अन्दर समेटे हुए हैं।

पश्चिमी सभ्यता के देशों में औद्योगिक कान्ति के फलस्वरूप मॉग-पूर्टि के सिद्धान्त के रूप में श्रम को देखा जाने लगा जिससे श्रमिकों को वस्तुरूप संसाधन के स्वरूप देखा गया। इस अवधारणा का प्रतिरोध अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 26वीं बैठक में किया गया जहाँ फिलेडेलफिया घोषणा-पत्र में यह कहा गया कि—“श्रम कोई वस्तु नहीं है अतएव इसे मॉग-पूर्टि के सिद्धान्त के रूप में खरीद-फरोखा की वस्तु नहीं माना जा सकता।” व्यापक अर्थ में श्रम को श्रमशक्ति (लेबर फोर्स) की भी संज्ञा दी जाती है जिससे अभिप्राय उन समस्त व्यक्तियों से है जो रोजगार में लगे हैं और वे भी जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं। इस प्रकार श्रमशक्ति वह है जो विभिन्न प्रकार के श्रम का समूह है। श्रम का तात्पर्य समिति अथ में भी किया जाता है जिसे ‘कुशलश्रम’ कहा जाता है जिसका अभिप्राय है ऐसे कर्मकार, दस्तकार एवं तकनीकविद् जो पारिश्रमिक या मजदूरी पर कार्य करते हैं, इन्हीं सन्दर्भों म प्र० थॉमस कहते हैं कि—“श्रम मनुष्य का वह शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्न है जो पारिश्रमिक प्राप्त करने की आशा से किया जाता है।” अतः मुनष्य का ऐसा प्रयत्न जो आर्थिक उद्देश्य के प्रति लक्षित होता है श्रम है।

समय के क्रम में देशकी अर्थव्यवस्था को गति देने वाले सबसे महत्वपूर्ण साधन मानव श्रम को अनेक आधारों पर अनेक वर्गीकरण किये गये इसी क्रम में श्रमिकों का संगठित एवं असंगठित स्वरूप आधुनिक देशों की अर्थ प्रणाली की पहचान है। शोधार्थी के अध्ययन विषय का क्षेत्र व्यवसायिक क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों का समाजशास्त्रीय अध्ययन है। जिसके आलोक में शोधार्थी श्रमिकों के असंगठित स्वरूप में ही सीमित है। ऐसे श्रमिक जो कृषि से अलग अन्य क्षेत्रों में अपनी सेवा देते हैं वे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कहलाते हैं व्यापक अर्थ में ऐसे श्रमिक जिनका अपने हितों की रक्षा हेतु कोई औपचारिक संगठन न हो, जो अपनो मजदूरी एवं सेवा सम्बन्धी भार्तों का निर्धारण व्यवितरण करार या समझौतों के आधार पर करते हो, सरकार द्वारा बनाये नियम-कानून का अभाव हो, जो व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अन्तर्गत न आते हो, जो निम्न जीवन जीने के लिए बाध्य हो, जिनका योजनाबद्ध तरीके से समाज में भोशण होता हो ये सभी असंगठित व्यवसायिक क्षेत्र के श्रमिक के रूप से जाने जाते हैं।

जिसके अन्तर्गत प्रवासी श्रमिक, बंधुआ श्रमिक, फेरी लगाने वाले, मध्यान भोजन श्रमिक, सिर पर बोझा ढोने वाले, ईट-भट्टा मजदूर, मोची, कचरा बिनने वाले, घरेलू नौकर, धोबी, रिक्षा चालक, भूमिहीन मजदूर, स्वलेखा कर्मी, खेती मजदूर, निर्माण कर्मी, बीड़ी मजदूर, हथकरघा, मजदूर, चमड़ा कर्मी दुकानों पर कार्य करने वाले, मिल (राइस, तेल, गुड़, दाल) मजदूर, सड़क खड़न्जा निर्माण में लगे मजदूर, दिहाड़ी, मजदूर आदि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के उदहरण हैं।

**राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग** ने ग्रामीण श्रमिकों को असंठित श्रमिक के रूप में निम्नलिखित प्रकार से पारिमार्जित किया है—वह व्यक्ति जो गॉव में रह रहा है जो कृषि कार्य एवं गैर कृषि कार्य में लगा हुआ है। वर्ष भर शारीरिक श्रम करना पड़ता है जिसके बदले में वह पारिश्रमिक या मजदूरी प्राप्त करता है जो पूर्णतः या आंशिक नगद रूप में या वस्तु के रूप में या दोनों ही रूप में हो सकती है। इसके अतिरिक्त वे व्यक्ति जो किसी के द्वारा नियुक्त तो नहीं होते हैं स्वयं अपने से बहुत कम क्षेत्र में कृषक का कार्य करते हैं। या वे लोग जो गॉव में उत्पादन की एक इकाई होते हैं, असंगठित ग्रामीण श्रमिक कहलाते हैं।

भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है जो निम्न है –  
**श्रेणी 2.** रोजगार की प्रकृति श्रेणी 3. विशेष रूप से पीड़ित श्रेणी 4. सेवा श्रेणी

उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत जो श्रमिक वर्ग आता है उसे तालिका से निम्नरूप में स्पष्ट किया जा सकता है—

क्रम	श्रेणी का नाम	मजदूरों की पहचान
1.	व्यवसायिक श्रेणी के असंगठित श्रमिक	सीमांत किसान, भूमिहीन खेतिहार मजदूर, पशुपालक, बीड़ी बनाने वाले, ग्रह एवं भवन निर्माण श्रमिक, बुनकर आदि।
2.	रोजगार की प्रकृति श्रेणी के असंगठित श्रमिक	बंधुआ मजदूर, प्रवासी मजदूर, दैनिक मजदूर
3.	विशेष रूप से पीड़ित श्रेणी के असंगठित श्रमिक	सफाई कर्मी, सिर पर मैला ढोने वाले
4.	सेवा श्रेणी के असंगठित श्रमिक	घरेलू कामगार, महिलाएँ, नाई, सब्जी आर फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता।

इस प्रकार असंगठित श्रमिक क्षेत्र भारतीय श्रम व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है जिसके सम्बन्ध में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग और नेशनल कमीशन आन रुरल लेबर के अध्ययनों से निम्नलिखित तथ्य प्राप्त है। 1. वर्तमान में लगभग 50 करोड़ श्रमिक हैं जिसमें से 90 प्रतिशतसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। 2. भारत का असंगठित क्षेत्र मूलतः ग्रामीण समाज से निर्भित होता है जबकि भाहरों में अधिकार खुदरा कारोबार, थोक कारोबार, विनिर्माण उद्योग, परिवहन भण्डारण और निर्माण उद्योग में काम करते हैं ये ऐसे लोग हैं जो फसल कटाई बुलाई के समय गॉव चले जाते हैं। 3. जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में श्रमशक्ति भी बढ़ रही है और प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों में रोजगार के कम अवसर से आकस्मिक श्रमिकों की संख्या वृद्धि प्रवास को जन्म दे रही है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के स्थानान्तरण का पक्ष है। 4. सामान्यतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग असंगठित श्रमिक के रूप में जाने जाते थे किन्तु अब व्यक्ति की आर्थिक दशा में सामान्य एवं पिछड़ी जातियों को भी असंगठित श्रमिकों के रूप में विकसित किया है। 5. काम की कमी, कम मजदूरी, महाजन और सूदखोरों के चंगुल में फंसकर असंगठित श्रमिक आत्महत्या को विवश हो जाते हैं। उत्तर भारत के अनेक राज्य इसका उदाहरण है।

उपरोक्त तथ्य असंगठित श्रमिकों की सामान्य अभिलक्षण को दर्शाते हैं किन्तु कुछ विशिष्ट दशाएँ भी इस क्षेत्र के मानक लक्षण हैं जो इसकी आंतरिक विशेषता को दर्शाते हैं जो रोजगार की स्थितियों और शर्तों कार्य सुरक्षा श्रमिक भेदभाव, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि इत्यादि स्थितियों की दौतक हैं जो निम्न है—

1. **अनियमित श्रमिक,** के रूप में असंगठित क्षेत्र का यह आंतरिक अभिलक्षण है जहाँ मजदूर कुछ समय के लिए रखे जाते हैं, क्योंकि स्थायी रोजगार के रूप में सरकारी नियम के अनुसार 180 दिन निरन्तर कार्य करने से उसे स्थायी मजदूर माना जाना चाहिए। इस कानून से बचने के लिए मालिक मजदूर की सेवा को रोक देते हैं, इन मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिये जाते सिवाय न्यूनतम वेतन के, इनकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती कभी भी काम से हटाया जा सकता है। यही अनियमित श्रमिक का भाव है, जिससे असंगठित क्षेत्र श्रेणी के श्रमिक प्रभावित होते हैं।
2. **ठेका पर मजदूर,** असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक स्वरूप है इसमें मालिक सीधे-सीधे मजदूर नहीं रखते बल्कि ठेकेदारों के जरिए नियुक्त करते हैं जो स्थायी श्रमिकों के समान ही कार्य करते हैं किन्तु सुविधाओं से वंचित रहते हैं। ठेका मजदूर अपने ठेकेदार द्वारा नियुक्त होते हैं और उनसे ही मजदूरी प्राप्त करते हैं, शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में यह प्रवृत्ति बहुतायत देखी जाती है।
3. **असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की कार्य सुरक्षा** के संदर्भ में उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता या नगण्य होता है, इनको वेतन कम मिलता है और काम की शर्ते तथा स्थितियों अनियंत्रित होती है। इस क्षेत्र के उद्योग छोटे आकार के होते हैं जहाँ बहुत कम श्रमिक नियुक्त होते हैं जिस कारण वे फैक्ट्री एक्ट से बच जाते हैं, किन्तु न्यूनतम मजदूरी नियम, ठेका मजदूर नियंत्रण तथा उन्मूलन अधिनियम आदि कुछ नियमों के दायरे में जरूर आते हैं किन्तु ये सब कागज पर ही होते हैं वास्तविकता में तो श्रमिक को ज्ञात ही नहीं होता।
4. **महिला एवं बाल असंगठित श्रमिकों को कम वेतन :** असंगठित क्षेत्र में अत्यधिक संख्या में महिला एवं बाल श्रम है क्योंकि महिलाओं के लिए संगठित क्षेत्र में अवसर कम है इस कारण असंगठित क्षेत्र में इनकी अधिकता है जिस कारण कम वेतन पर काम करने के लिए ये दोनों वर्ग बाध्य होते हैं जिससे मालिका का फायदा ज्यादा होता है श्रमिकों का कम।


5. कम वेतन वाले रोजगार का विस्तार असंगठित क्षेत्र का आंतरिक लक्षण है क्योंकि की श्रम सस्ता होता है जिससे लागत कम आती है इस कारण यह क्षेत्र तेजी से फैलता है इसमें रोजगार के अवसर भी ज्यादा है विद्वानों का अनुमान है कि असंगठित क्षेत्र का कुल उत्पादन राष्ट्रीय आय का 2/3 है।

6. असंगठित क्षेत्र की एक विशेषता यह है कि इसमें अकुशल मजदूर भी रोजगार प्राप्त कर लेते हैं।

उपरोक्त विशेषताएँ असंगठित व्यवसायिक क्षेत्र के श्रमिकों की विशेषताएँ हैं जिससे अनेक समस्याएँ जन्म लेती हैं जैसे—1. बदलती हुई जटिल आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था 2. सामाजिक आर्थिक समस्याएँ 3. असंगठित श्रमिक कानूनों की नगण्यता 4. जोखिम भरे उद्योगों में सुरक्षा उपायों का न होना 5. अधिक बेकारी 6. अत्यधिक गृह खर्च 7. प्रवास या स्थानान्तरण की प्रवृत्ति 8. ऋणग्रस्तता की स्थिति 9. कार्य घटे के अनुरूप पारिश्रमिक का न होना 10. जरजर आवासीय व्यवस्था 11. अस्थायी रोजगार की स्थिति 12. बचत का न होना 13. अंधविश्वास का प्रभाव एवं भाग्यवादिता।

**अहिरौला विकास खण्ड में व्यवसायिक असंगठित श्रमिक :** अहिरौला विकास खण्ड का विस्तार दो तहसीलों बुढ़नपुर एवं फूलपुर में है जहाँ पर अनेक प्रकार के व्यवसाय, लघु उद्योग में हजारों श्रमिक असंगठित रूप से कार्य कर रहे हैं। जिसमें—ईट उद्योग, 1. शौचालय एवं गमला सीमेंट उद्योग 2. दोना पत्तल उद्योग 3. बीड़ी उद्योग 4. अगरबत्ती उद्योग 5. नमकीन उद्योग 6. राईस मिल 7. मसाला उद्योग 8. देशी गुण उद्योग 9. ब्रेड एवं डबल रोटी (ब्रेकरी) उद्योग 10. देशी कोल्हू सरसों तेल उद्योग 11. पोल्ट्री उद्योग । उपरोक्त के अतिरिक्त, डेरी उद्योग, कोल्ड स्टोर, बटाई पर खेती करने वाले, मण्डी के पल्लोदार, कटाई-बुआई के मजदूर, घर एवं भवन निर्माण के मजदूर इत्यादि इन क्षेत्रों में श्रमिक अपनी सेवा दे रहे हैं। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आजमगढ़ जिले के असंगठित मजदूरों की कार्य-दशाएँ एवं सुख-सुविधाओं के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं किन्तु अधिकांश श्रमिक इस लाभ से बचित रहे हैं परिणामस्वरूप श्रमिकों का भोशण का शिकार होना पड़ा है। जहाँ पर देखा गया की रोजगार सीमित है और जो है भी तो उसके लिए पारिश्रमिक कम मिलता है। साल के अनेक महीने बेकार रह कर बिताते हैं। जहाँ तक कल्याण सम्बन्धी सुविधाओं तथा सामाजिक सुरक्षा का सम्बन्ध है। इस परिप्रेक्ष्य में भी व्यवसायिक असंगठित श्रमिक बचित रहे हैं। यदि इन सुविधाओं की मांग किसी श्रमिक के द्वारा की जाती है तो उन्हें उनके रोजगार से भी बेदखल कर दिया जाता है। अशिक्षा और अकुशलता भी इन श्रमिकों की इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है। बेरोजगारी की समस्या से बचाव के लिए इस क्षेत्र के श्रमिक ठेकेदारों के चंगल में फस जाते हैं जिससे ठेकेदार इनका भोशण करते हैं। देश के आजाद होने के पश्चात भारत सरकार ने अनेक प्रयास अर्थव्यवस्था को मजबूर करने के लिए जिससे आजमगढ़ के अहिरौला विकास खण्ड के श्रमिक भी प्रभावित हुए परिणाम स्वरूपरोजगार के कम अवसर ही पैदा हुए वर्ष में जब वे खाली होते थेतो सामान्यतः खेती में लग जाते थे। इन कारणों से असंगठित श्रमिकों का जीवन स्तर निर्वाह के स्तर पर बना रहा और परिणामतः निर्धनता, गरीबी व बेरोजगारी के वातावरण में जीवन गुजरने को मजबूर होना पड़ा जिस कारण वे अशिक्षा, ऋणग्रस्तता, बिमारी निम्न सामाजिक, आर्थिक जीवन, अंधवि वास का शिकार हो गये जिससे वैयक्तिक-पारिवारिक पृष्ठभूमि कमजोर हो गयी। पलायन की स्थिति ने व्यवसायिक असंगठित श्रमिकों को एकजुट नहीं होने दिया और जहाँ भी ये रोजगार करने गये वहाँ पर अपनी जातीय पहचान, क्षेत्रीय पहचान, राजनैतिक छद्म विचार, भाशा बोली की विविधता, कुप्रथा, नशाखोरी इत्यादि प्रवृत्तियों ने इन्हें असंगठित ही बनाये रखा।

आजमगढ़ के असंगठित श्रमिक अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों से विवस होकर अपने आस-पास के जिलों में रोजगार की तलाश में जाते हैं जिसे निम्न रेखाचित्र से स्पष्ट किया जा सकता है।



मजदूर अपने परिवार को भी लेकर जाया करत है। चूंकि ये किसी कार्य विशेष में दक्ष नहीं होते इस कारण इन्हें अकुशल श्रमिक का ही कार्य मिलता है जिससे ये न तो संगठित हो पाते हैं और न ही आर्थिक रूप से सशक्त। इस रूप में आजमगढ़ के अहिरौला विकास खण्ड के व्यवसायिक असंगठित श्रमिक जीवन के दंशों को सहते हुए जीवनयापन कर रहे हैं।

#### सन्दर्भ :

1. पाण्डेय, बालेश्वर (1975), "लेबर वेलफेर इन इंडिया", उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ
2. बबीश, जे. (1959), "यूनियन एण्ड यूनियन लीडरशिप," हार्पर एण्ड रॉ, न्यूयॉर्क
3. बाकर, एच०एण्ड फ्रेस. (1954), "सेन्ट्रलाइजेशन एण्ड ली सेन्ट्रललाइजेशन इन इण्डस्ट्रीयल रिलेशन" प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, अमेरिका
4. बर्क, जे०ए०, (1963), "इन्डस्ट्रीयल पार्टिशिपेशन थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस", लिवरपूल यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन
5. त्यागी, बी०पी० (1994), "आर्थिक श्रम और समाज कल्याण", नाथ पब्लिकेशन जयपुर
6. सिन्हा एवं सिंह, (1985), "श्रमशास्त्र की भूमिका", एस० चंद एण्ड कंपनी, रामनगर, नई दिल्ली
7. बघेल, डॉ० पी०एस०, (2012), "ओट्योगिक समाजशास्त्र", विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली

## राजनीति के क्षेत्र में गाँधी जी का उदय : उज्जवल भविष्य की ओर

**डॉ० माधुरी दुबे\***

\*अध्यक्ष एवं एसो० प्र००, राजनीति विज्ञान विभाग, बद्री विशाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फर्रुखाबाद, उ०प्र०

**सारांश :** भारत भूमि देव भूमि कहलाती है और समय—समय पर यहाँ पीर—पैगम्बर, फकीर औलिया, साधु—सन्तों और देवताओं के अवतार होते रहे हैं। इस भूमि पर अवतरित होने वाली महान विभूतियों ने सदा ही विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ी है और विश्व जनों को प्रभावित किया है जब भी संसार के लोग भटके हैं, जब भी दुनियाँ में अधंकार छाया है जब भी अत्याचार बढ़ा है, तब—तब भारत भूमि में किसी महान आत्मा ने जन्म लिया है फिर चाहें वे बुद्ध हों, संत कबीर हो या स्वामी रामकृष्ण परमहंस। 1889 ईस्टी में जब पूरा संसार उबल रहा था लगभग आधा विश्व गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ छटपटा रहा था। जिसमें देवभूमि कहा जाने वाला भारत वर्ष भी सम्मिलित था, तब 2 अक्टूबर के दिन भारत भूमि पर भी एक महान आत्मा ने जन्म लिया। वे थे मोहनदास करमचन्द्र गाँधी।

**मुख्य शब्द :** भारतीय राजनीति, देवभूमि, नैतिक चेतना, रंगभेद, सांस्कृतिक विरासत आदि।

भारतीय राजनीति के क्षेत्र में गाँधी का उदय एक ऐसी घटना है जिसके बिना भारत की अस्मिता की पहचान भी सम्भव नहीं है। आधुनिक भारत की संरचना में यदि उनकी कोई भूमिका न होती तो भारत आज किस स्थिति में होता, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर कई प्रकार से दिया जा सकता है। स्वतंत्रता तो भारत का जन्मसिद्ध अधिकार था उसकी प्राप्ति तो अवश्य होनी थी, किन्तु क्या 1947 में जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई वह गाँधी की भूमिका के बिना सम्भव था। लगभग सन् 1950 से लेकर अपने देहावास तक वे भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व नैतिक चेतना के केन्द्र बिन्दु बने रहे। राजनीतिक में उनकी क्या विशिष्ट उपलब्धि थीं जो उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती है आज इस शोध पत्र के माध्यम से इन प्रश्नों पर धृष्टिपात करने का प्रयास करेंगे।

**गाँधी जी का भारत आगमन :** महात्मा गाँधी के राजनैतिक जीवन का प्रारम्भ 1893 को माना जाना चाहिए जब वे एक भारतीय केस की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुँचे, वहाँ उन्होंने रंगभेद का जो अन्याय देखा उसके आवाज उठाई, कई यातनायें सहने के बावजूद भी वे संघर्षरत रहे और उन्होंने एक महान सफलता तब हासिल की जब उन्होंने एक बिल को जिसके द्वारा रिहा करवा दिया, वही उन्होंने, नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, इसी स्थाप्ति के माध्यम से उन्होंने कई अन्यायपूर्ण कानूनों की खिलाफ की, वे 1914 तक अफ्रीका में रहे और 1915 में भारत वापस आ गये। जिस समय गाँधी जी भारत आये उस समय तक वे गोपाल कृष्ण गोखले, बालगंगाधर तिलक व श्रीमती एनी वेसेन्ट से भलीभांति परिचित थे। भारत में उनका नाम सामान्य लोगों के लिए अज्ञान नहीं रहा था। इस तरह गाँधी जी जब लौटे वे अनजाने सहायक बनी। भारत क्रान्ति के प्रारम्भिक दौर में था और इस पर पहले से ही विचार विमर्श चल रहा था कि कैसे आगे बढ़ा जाये। क्रान्तिकारी युवक बैचैन होते जा रहे थे क्योंकि वे ब्रिटिश शासन पर हिसात्मक कार्यवाही करना चाहते थे। वे अंग्रेजों को उन्हीं साधनों द्वारा भारत से भाग देना चाहते थे जिसका उपयोग उन लोगों ने भारत को अपने अधीन करने में किया था। दूसरी ओर ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध नहीं थे कि भारतीय प्रशासन के निकट सहयोगी बने। इन दोनों के मध्य कुछ ऐसे लोग थे जो पूरी तरह क्रान्तिकारियों के आदर्श पर चलना चाहते थे परन्तु उनके तरीकों पर नहीं क्योंकि अंग्रेज पूरी तरह हथियारबन्द थे और देश इतना विशाल था कि पूरे देश में एक साथ सफलतापूर्वक स्वतंत्रता संगम नहीं छेड़ा जा सकता है। उन्हें सम्भवतः 1857 की घटनाओं की चिन्ता थी। वे हिंसा और वार्ता के बीच का मध्यमार्ग अपनाना चाहते थे, जो अंग्रेजों को मजबूर कर देगा कि भारत को स्वशासन दे दें।

**गोखले का गाँधी जी को आश्वासन :** जहाँ तक स्वतंत्रता का सम्भव था वे कान्तिकारियों के साथ थे, परन्तु वे उनके स्वतंत्रता प्राप्ति के साधन को भारतीय नहीं मानते थे क्योंकि भारतीय सम्यता हिंसा की अनुमति नहीं देती। गाँधी जी क्रान्तिकारियों को राह से भटका हुआ मानते थे, क्योंकि वे भारतीय संस्कृति व सम्यता की शक्ति को नहीं पहचानते थे, इस तरह वे स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ नहीं समझते थे। गाँधी का विश्वास था कि प्रतिवेदन तभी वांछित परिणाम दे सकते थे। जब वे दमनकारी द्वारा प्रयोग की जा रही शक्ति से कहीं अधिक उत्तम भावित द्वारा समर्पित हों। वह सत्य और अहिंसा है जिसका प्रयोग भारतीय अन्त्काल से करते आ रहे हैं। गाँधी जी बर्वई से पूरा गये और गोखले से मिले। गोखले ने गाँधी जी को उनके क्रियाकलापों में सहयोग का वचन दिया। देशवासियों व उनकी समस्याओं, उनकी ताकतों व कमजोरियों व उनकी आवश्यकताओं व आंकाक्षाओं को प्रत्यक्षतः देखने व समझने की दृष्टि से उन्होंने देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। गाँधी जी का दूसरा पड़ाव बोलपुर का शान्ति निकेतन था। यहाँ वह टैगोर व अपने कुछ साथियों से मिलने गये। यहाँ पर उन्हें गोखले की मृत्यु का समाचार मिला। गाँधी जी ने भ्रमण के दौरान अनेक सभायें सम्बोधित की लोगों से मिले और जीवन यथार्थताओं का दर्शन किया। गाँधी जी गोखले को अपना गुरु मानते थे। गाँधी जी ने अहमदाबाद के निकट कोचरव में एक आश्रम की स्थापना करने का निश्चय किया, क्योंकि उन्हें वहाँ के व्यापारियों से आर्थिक सहायता को आशा थी। उन्होंने 25 पुरुष व महिलाओं के साथ कोचरव में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। वे परस्पर मिलकर रहते खाते और काम करते थे, 'हमारा सिद्धान्त सत्य के प्रति निश्चाता से है और सत्य के आग्रह की खोज हमारा कार्य है'। आश्रमवासियों को निम्न आठ प्रतिज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। 1 सत्य, 2 अहिंसा, 3 ब्रह्मचर्य, 4 स्वाद पर नियन्त्रण, 5 चोरी न करने की प्रतिज्ञा, 6 सम्पत्ति न रखने की प्रतिज्ञा, 7 स्वदेशी प्रयोग, 8 निर्भीकता। आश्रम में पहला संकट तब आया जब एक अछूत परिवार को इसमें प्रवेश लेने के लिए आमन्त्रित किया। गाँधी जी ने दस सामाजिक

बुराई से लड़ने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति आश्रम को अछूतों की बस्ती में ले जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को कर्म से जाना जाना चाहिए न कि उसके धर्म या जाति से। उसी वर्ष 1915 में गाँधी जी ने आश्रम में खादी में कार्यक्रम लागू किया हमारे सामने उद्देश्य था कि हम अपने हाथों से बनाये वस्त्रों को धारण करें। अतः हमने भारतीय सन्त से मील में बने कपड़ों का परित्याग कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति को बुनना व कातना सीखाना पड़ा। आश्रम में चर्खे का एक विकसित रूप शीघ्र ही बना लिया गया और खादी बनाने हेतु इसका प्रयोग किया जाने लगा। सितम्बर में कांग्रेस के बम्बई सत्र में सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने भारत के लिये पूर्ण स्वराज्य की मांग की।

**हिन्दू मुस्लिम सम्बंधों में सुधार :** मुस्लिम समुदाय में एक नया नेतृत्व उभरा मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफकर खान व मोहम्मद अली जिन्ना केवल नरम मिजाज के ही नहीं थे। बल्कि वे मात्रभूमि के लिए अपने हिन्दू भाइयों के साथ मिलकर लड़ना भी चाहते थे। भारतीयों ने ब्रिटिश राज के प्रति स्वामीभक्ति को बढ़ावा भिलकर लड़ना भी चाहते थे। भारतीयों ने ब्रिटिश राज के प्रति स्वामीभक्ति को बढ़ावा देने, मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने तथा भारत के लिए एक समूचित स्वराज पद्धति की प्राप्ति हेतु मुस्लिम लीग ने एक नया संविधान बनाया। वर्ष 1915 में बम्बई की कांग्रेस ने हिन्दू भाइयों को एक ही मच पर देखा गया। गाँधी जी ने अपने राजनिति एव स्वदेशी सम्बन्धी विचार से मद्रास में व्यक्त किये और आग्रह किया कि जब तक स्वदेशी को नहीं अपनाया जाता, किसानों का गरीबी में पिसना जारी रहेगा। स्वदेशी एकमात्र सिद्धान्त है जो नम्रता और प्रेम के लिए सर्वथा संगत है।

**गाँधी जी का मध्यम मार्ग:** गाँधी जी ने एनी वेसेन्ट व तिलक के बीच का मार्ग छुना। सरकार ने तिलक को उनके राष्ट्रीय विचारों हेतु दण्डित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच एक सम्मानित हिन्दू मुस्लिम समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता नाम दिया। लखनऊ समझौते में मुसलमानों को राज्यों में उनकी आबादी स कहीं अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। लखनऊ कांग्रेस में 2300 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। 1916 में हिन्दू मुस्लिम भाईचारा एक नई ऊँचाई पर पहुँच गया। फिलहाल गाँधी जी एक दूसरे भाव में थे। जो कुछ राजनितिक क्षेत्र में चल रहा था, सम्भवतः उस पर उनकी नजर थी, परन्तु उनका सारा जोर भारतीय राजनिति के भविष्य को एक नयी दिशा व अर्थ देना था। ये कालेज इलाहाबाद में गाँधी जी ने कहा था 'प्रत्येक मानव को जीवित रहने का अधिकार है, अतः उसे अपने लिए भोजन वस्त्र व घर खोजने की चिन्ता रहती है। परन्तु दस सीधे सादे कार्य के लिए हमें अर्थशास्त्रियों व उनके नियमों की आवश्यकता नहीं है। विश्व के सुसंगठित समाज में किसी देश के संगठित समाज की कसाई, उसमें करोड़पत्रियों का विद्यमान होना नहीं, बल्कि जनसमूह में व्याप्त मुख्यभारी है। अतीत और वर्तमान दोनों से उदाहरण देते हुए गाँधी जी ने कहा, 'यदि हम खुरदरी धरती पर चलने से डरते नहीं तो हम अपने लक्ष्य के समीप आ जाते हैं और यह सिद्ध कर पाते हैं कि बहुत अधिक धन सम्पत्ति का होना वास्तविक प्रगति में बाधक है। ब्रिटिश संरक्षण में हमने बहुत कुछ सीखा है' परन्तु मेरा यह विश्वास है कि हम सावधान नहीं हैं। हमें यह बताया होगा, 'यदि हम अपने शानदार अतीत की डीग मारने के बजाय, अपने जीवन में प्राचीन नैतिक गौरव उतारें तब हमारा जीवन अतीत का साक्षी बनेगा। यदि हम उसकी नकल मात्र इसलिए करते हैं कि वह हमें भासक देती है तो वे और हम दोनों अद्योगति को प्राप्त होंगे। पुरी तरह प्रयोग में न लाने के कारण हम आदर्शों से डरे नहीं। हमारा देश सच्चे अर्थों में तभी आध्यात्मिक देश होगा जब हम सौं से अधिक सत्य का प्रदर्शन करेंगे। धन और भावित के प्रदर्शन की जगह निर्भयता अपनायेंगे तथा आत्मप्रेम के स्थान पर महत्वर दान व त्याग की भावना से युक्त होंगे। यदि हम अपने धरों, महलों और मंदिरों में धन की महिमा नहीं नैतिकता की महिमा का प्रदर्शन करेंगे तब हम किसी प्रकार के विरोधी शत्रु से बिना भारी सेना का बोझ उठाये मिट सकेंगे। भारत की समस्याओं को प्रत्यक्ष देखने के लिये देशभर में भ्रमण करते हुए गाँधी जी दक्षिण अफ्रिका में छोड़ दिये गये अनुबन्ध पक्ष से श्रमिकों को भूले नहीं थे। जनवरी 1920 को प्रतिबन्धित श्रम पद्धति के विरुद्ध गाँधी जी ने जो मुकदमा 1894 में दायर किया था, वह उनके हस्तक्षेप से भारत में समाप्त हुआ।

**चम्पारण सत्याग्रह :** चम्पारण में नील की खेती 18 वीं भारतीय के अतिम चौथाई भाग से प्रारम्भ की गयी थी। गरीब किसानों द्वारा पट्टे पर खेती की जाती रही बाद में यूरोपियों ने नील व ईख की खेती भारतीयों से ले ली। गाँधी जी ने चम्पारण के कुछ गांव की भ्रमण किया और किसानों को दयनीय दशा में रहते देखा उन्होंने चम्पारण के किसानों के मुक्ति दिलाने हेतु संघर्ष करने का निश्चय किया। गाँधी जी ने कहा सत्याग्रह एक मात्र साधन है परन्तु जब तक इस परिप्रेक्ष्य में किसान तैयार नहीं होते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानीय नेता होने चाहिए जो स्थानीय बोलियों को समझकर अन्य लोगों के मध्य इतने विश्वसनीय थे कि वे सब उनका अनुसरण करने पर सहमत हो गये। इस तरह चम्पारण का संघर्ष शुरू हुआ।

गाँधी जी ने कभी समझौता नहीं किया चाहे वे धार्मिक सिद्धान्त हो, सामाजिक सिद्धान्त हो राजनैतिक सिद्धान्त हो उनक समस्त राजनैतिक जीवन की कहानी उनके सत्य के प्रयोगों पर आधारित है।

#### सन्दर्भ :

1. जोशी, डॉ एम० सी०, गांधी, नेहरू अम्बेडकर ज्ञान भारती पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, विश्वविद्यालय मार्ग इलाहाबाद
2. डॉ भट्टाचार्य, गांधी दर्शन, कालेज बुक डिपो, जयपुर
3. धरम बारिया, "महात्मा गांधी" मनोज पब्लिकेशन्स, डिल्लीमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली
4. कुमार, जैनेन्द्र, "अकाल पुरुष गांधी" पूर्वादय प्रकाशन, दिल्ली
5. वर्मा, केशव देव, गांधी, नेहरू टैगोर' प्रकाशन अरविन्द बुक हाउस, गौड़ा रास्ता, जयपुर-3
6. मोहनदास करमचन्द गांधी, 'सत्य के प्रयोग' साक्षी प्रकाशन, दिल्ली।
7. गांधी जी, 'मेरे सपनों का भारत' नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद-14

## **अभ्यास—संख्या के आधार पर संप्रत्यय अधिगम के तार्किक नियमों की जटिलता का तुलनात्मक अध्ययन**

**डॉ० अशोक कुमार\***

\*मनोवैज्ञानिक, डी०झ०आई०सी०, गुना, म०प्र०

**सारांश :** सम्प्रत्यय चिंतन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, सम्प्रत्यय एक ऐसे प्रतीक को कहा जाता है जिससे वस्तुओं की सामान्य विशेषताओं का पता चलता है। सम्प्रत्यय अधिगम के द्वारा ही हम सम्पूर्ण जगत से संबंध स्थापित करते हैं। सम्प्रत्यय अधिगम के अभाव में मानव द्वारा की जाने वाली चिन्तन प्रक्रिया, समस्या समाधान, निर्णय प्रक्रिया, स्मृति संचय आदि संभव नहीं हैं। मनोविज्ञान में सम्प्रत्यय अधिगम से संबंधित अध्ययनों का इतिहास अति प्राचीन है किन्तु इसके विषय में प्रायोगिक अध्ययनों और सार्थक परिणामों का अभाव है, सम्प्रत्यय अधिगम की प्रक्रिया मुख्य रूप से चार तार्किक नियमों संयोजक, वियोजक, प्रतिबंधक और अन्योन्य प्रतिबंधक की सहायता से होता है। इन नियमों में कुछ नियमों को सरल तथा कुछ नियमों को कठिन माना जाता है। और आज भी इनकी जटिलता पर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। प्रस्तुत अध्ययन में सम्प्रत्यय अधिगम के तार्किक नियमों की जटिलता को समझने का प्रयास किया गया है। परिणामों से स्पष्ट होता है कि प्रतिबंधक नियम का अधिगम सबसे सरल है अर्थात् इसकी जटिलता सबसे कम है, इससे जटिल संयोजक फिर वियोजक नियम जटिल हैं तथा अन्योन्य प्रतिबंधक नियम की जटिलता सबसे अधिक है और इसका अधिगम करने में प्रयोज्य सबसे अधिक अभ्यास—संख्या लगाते हैं।

**मुख्य शब्द :** तार्किक नियम, अभ्यास—संख्या, धनात्मक संवर्ग अवधान, ऋणात्मक संवर्ग अवधान आदि।

**प्रस्तावना :** प्रस्तुत प्रायोगात्मक शोधकार्य एक आधारीय शोधकार्य है इसमें सम्प्रत्यय अधिगम के चारों तार्किक नियमों की जटिलता का अवलोकन करने का प्रयास किया गया है। सम्प्रत्यय समस्त संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का एक प्रमुख पक्ष है सम्प्रत्यय एक ऐसे प्रतीक को कहा जाता है जिससे वस्तुओं की सामान्य विशेषताओं के समच्चय का पता चलता है, मनोविज्ञान में सम्प्रत्यय अधिगम को एक प्रक्रिया के रूप में लिया गया है जो विभिन्न वस्तुओं परिस्थितियाँ तथा घटनाओं के बीच समानताओं का प्रतिनिधित्व करती है। सम्प्रत्यय को भिन्न-भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने-अपने ढंग से परिभाषित किया है, कुछ प्रमुख परिभाषाएँ हैं जो सम्प्रत्यय को वैज्ञानिक अर्थ में परिभाषित करती हैं। हुल्स, इगेथ एवं डीज (1980) के अनुसार कुछ नियमों द्वारा गुणों का आपस में मिलना ही सम्प्रत्यय कहलाता है इसी क्रम में सम्प्रत्यय को परिभाषित करते हुये बैरोन (2005) कहते हैं कि “सम्प्रत्यय उन वस्तुओं, घटनाओं, अनुभूतियों या विचारों जो एक से अधिक अर्थ में एक दूसरे से समान होते हैं के लिये एक तरह की मानसिक श्रेणी होती है।” अतः स्पष्ट है कि सम्प्रत्यय कोई एक नाम एक अवधारणा या एक मानसिक श्रेणी है जा हमारे परिवेश या हमारे संसार के संबंध में चिन्तन करने का आधार बनती है।

सम्प्रत्यय अधिगम मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसके द्वारा ही मानव अपने वातावरण को एक व्यापक एवं संगठित रूप देता है, सम्प्रत्यय अधिगम प्रक्रिया में वस्तुओं और घटनाओं को कुछ स्पष्ट उद्दीपक विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभक्त किया जाता है ऐसे बहुत से सम्प्रत्यय हैं जिन्हे हम अपने दैनिक जीवन में सामान्य नामों से जानते हैं जैसे घर, स्कूल, रंग, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि। हन्ट (1962) सम्प्रत्यय अधिगम को नामों के उपयोग का अधिगम मानते हैं। प्रायोगात्मक रूप से जब सम्प्रत्यय अधिगम को समझने का प्रयास किया जाता है तो उसके लिये प्रयोज्य के सामने उद्दीपक सामग्री प्रस्तुत की जाती है, यह उद्दीपक सामग्री विभिन्न गुणों और विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट रूप से निर्धारित होती है, उद्दीपक सामग्री की उन विशेषताओं को जिनके आधार पर सम्प्रत्यय अधिगम करना है। प्रासांगिक विशेषताएँ या प्रासांगिक विमाये अथवा धनात्मक गुण कहते हैं और सम्प्रत्यय अधिगम करते समय जिन विशेषताओं की उपेक्षा की जाती है उनको अप्रासांगिक विशेषताएँ, अप्रासांगिक विमाय अथवा ऋणात्मक गुण कहा जाता है। जब प्रयोज्य सम्प्रत्यय अधिगम करता है तो उद्दीपक सामग्री को दो वर्गों में बांटता है एक वर्ग प्रासांगिक विशेषताओं या धनात्मक गुणों वाला होता है तथा दूसरा वर्ग अप्रासांगिक विशेषताओं या ऋणात्मक गुण वाला होता है। संबंधित अध्ययन में संवर्ग अवधान की बात की गई है जो उपरोक्त वर्गों से ही संबंधित है अर्थात् प्रासांगिक विशेषताओं या धनात्मक गुण वाले वर्ग को धनात्मक—संवर्ग और अप्रासांगिक विशेषताओं या ऋणात्मक गुणों वाले वर्ग को ऋणात्मक—संवर्ग कहा है। जब प्रयोज्य उद्दीपक सामग्री से संप्रत्यय अधिगम करता है तो प्रयोगकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिये जाते हैं कि प्रयोज्य किस विशेष संवर्ग पर अवधान केन्द्रित करते हुये सम्प्रत्यय अधिगम करना है इस प्रकार संवर्ग अवधान के तीन प्रकार हो सकते हैं।

- धनात्मक—संवर्ग अवधान :** धनात्मक—संवर्ग अवधान से तात्पर्य संप्रत्यय अधिगम करते समय जब प्रयोज्य केवल प्रासांगिक विशेषताओं या धनात्मक संवर्ग में आने वाले उद्दीपकों पर अवधान केन्द्रित करता है।
- ऋणात्मक—संवर्ग अवधान :** ऋणात्मक—संवर्ग अवधान में प्रयोज्य अप्रासांगिक विशेषताओं या ऋणात्मक—संवर्ग पर अवधान केन्द्रित करके सम्प्रत्यय अधिगम करता है।

**3. धनात्मक –ऋणात्मक सर्वंग अवधान :** जब प्रयोज्य उद्दीपक सामग्री की प्रासांगिक व अप्रासांगिक दोनों विशेषताओं को समझते हुये सामग्री का वर्गीकरण धनात्मक–सर्वंग और ऋणात्मक–सर्वंग पर एक साथ अवधान केन्द्रित करते हुये सम्प्रत्यय अधिगम करता है तो उसे धनात्मक –ऋणात्मक सर्वंग अवधान कहते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में चारों तार्किक नियमों को उपरोक्त तीनों संवर्ग अवधान के आधार पर सम्प्रत्यय अधिगम प्रक्रिया का अवलोकन किया गया। सम्प्रत्यय अधिगम के मुख्य चार तार्किक नियम हैं जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नानुसार है—

1. **संयोजक तार्किक नियम :** यह नियम बताता है कि किसी उद्दीपक समूह में पाये जाने वाली विभिन्न विशेषताओं में से दो या दो से अधिक विशेषताओं को जोड़कर संप्रत्यय अधिगम किया जा सकता है।
2. **वियोजक तार्किक नियम :** यह नियम बताता है कि उद्दीपकों की कई विशेषताओं या गुणों के बावजूद भी कोई एक विशेषता ऐसी होती है जिसके आधार पर संप्रत्यय अधिगम किया जा सकता है।
3. **प्रतिबंधक तार्किक नियम :** यह संप्रत्यय अधिगम का ऐसा नियम है जो अगर–तब की शर्त या प्रतिबंधता पर आधारित होता है। अतः इस नियम के अनुसार संप्रत्यय अधिगम तब होता है जब उसमें आने वाली शर्त पूरी हो।
4. **अन्योन्य प्रतिबंधक तार्किक नियम :** यह नियम दोहरी शर्त पर आधारित होता है अगर और सिर्फ अगर इसके आधार पर संप्रत्यय अधिगम होता है।

संबंधित क्षेत्र में हुये शोध परिणामों के आधार पर स्पष्ट है कि सभी तार्किक नियम अपनी जटिलता क्रम के क्रमशः संयोजक, वियोजक, प्रतिबंधक व अन्योन्य प्रतिबंध में हैं किन्तु जब इन तार्किक नियमों के अधिगम का अवलोकन अभ्यास–संख्या के आधार पर किया गया तो इनकी जटिलता का कम पूर्व परिणामों से भिन्न प्रदर्शित होता है।

**संबंधित साहित्य :** संप्रत्यय अधिगम का अध्ययन मनोविज्ञान से पहले दर्शन शास्त्र में प्रांरभ हुआ किन्तु जैसे ही मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग विषय के रूप में आया तो संप्रत्यय अधिगम का प्रायोगिक अध्ययन की शुरुआत हुई। हल (1920) ने सर्वप्रथम युग्म–सहचर्य विधि का उपयोग कर इस क्षेत्र में अध्ययनों की नीव डाली इनके अध्ययन में सामग्री के रूप में चीनी भाषा से लिये गये अक्षरों को उनकी विशेषताओं सहित निर्धक पदों के साथ सहचर्य कर युग्म रूप में प्रयोज्य के समक्ष प्रस्तुत किया। गोल्डस्टाइन (1930) ने अपने अध्ययनों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उद्दीपक सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया तथा प्रयोज्यों को निर्देश दिये कि आपको समानता के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करना है। परिणाम में ज्ञात हुआ कि सामान्य बुद्धि के प्रयोज्यों ने अमूर्त संबंधों के आधार पर तथा निम्न बुद्धि के प्रयोज्यों ने मूर्त संबंधों के आधार पर उद्दीपकों का वर्गीकरण किया। निष्कर्ष के रूप में यह स्पष्ट हुआ कि बौद्धिक स्तर संप्रत्यय अधिगम को निर्धारित करने में सहायक होता है। स्मोक (1933) ने धनात्मक तथा ऋणात्मक उदाहरणों के आधार पर अपने प्रयोग किये किन्तु इनके प्रायोगिक प्रदर्शन द्वारा मनोवैज्ञानिक पूर्ण सहमत नहीं थे क्योंकि इससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि प्रयोज्य प्रत्येक उदाहरण द्वारा क्या प्राप्त करेगा और उनको यह सुन्नाव प्राप्त हुये कि ऐसा प्रायोगिक अभिकल्प तैयार किया जाए जिनमें प्रयोज्यों को पहले से यह पता हो कि कौन सा धनात्मक उदाहरण है और कौन सा ऋणात्मक उदाहरण है। हाइडब्रीडर (1948) ने स्वाभाविक उद्दीपक सामग्री का उपयोग कर संप्रत्यय अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन किया, प्रयोग की विशिष्टता यह थी कि प्रयोज्यों को सही या गलत पूर्वानुमानों पर प्रतिपूर्ति दी गई। हॉवलैण्ड एवं वाइस (1953) के अध्ययन के परिणामों से ज्ञात हुआ कि यदि प्रयोज्यों को धनात्मक एवं ऋणात्मक उदाहरणों द्वारा एक समान ढंग की सूचनाएं सीखने को दी जायें तो प्रयोज्य धनात्मक उदाहरणों वाली सूचनाओं को 100 प्रतिशत् सीख लेता है तथा ऋणात्मक उदाहरणों वाली सूचनाओं को मात्र 17 प्रतिशत् ही सीख पाता है। ब्रुनर, गुडनाउ एवं अस्टीन (1956) इन मनोवैज्ञानिकों द्वारा किये गये अध्ययनों का संप्रत्यय अधिगम में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने अपने प्रयोग में कृत्रिम सामग्री का उपयोग किया, प्रयोग सामग्री विभिन्न विमाओं, 03 रूप, 03 रंग, 03 सीमा रेखाओं तथा 03 संख्या के आधार पर कुल 81 कार्डों का प्रयोग किया इनके परिणामों में सर्वप्रथम संयोजक व वियोजक नियम में अंतर किया और बताया कि वियोजक नियम का अधिगम करना कठिन है। फाईवर्ग एवं टुलविंग (1961) ने सैद्धांतिक रूप से यह अनुमान लगाया कि धनात्मक उदाहरणों के द्वारा प्रयोज्य शायद इसलिये अधिक सीख लेते हैं क्योंकि सामान्य जीवन में ऋणात्मक उदाहरण कम होते हैं। रेसल (1962) ने संप्रत्यय अधिगम के कई विकल्पों का वर्णन किया जिनमें बताया कि सम्प्रत्यय निर्माण के समय प्रयोज्य सभी संभावित परिकल्पनाओं की जाँच एक साथ करता है, प्रत्येक प्रयोग में वह गलत परिकल्पनाओं का धीरे-धीरे परित्याग करते हुये समस्या के अन्तिम समाधान पर पहुँचता है।

बॉर्न एवं जेनिंग्स (1963) के अनुसार संप्रत्यय अधिगम प्रक्रिया में उदाहरणों की संख्या जितनी अधिक होगी अधिगम उतना ही कठिन होगा क्योंकि अधिक उदाहरणों को स्मृति में संग्रहित करना आसान नहीं होगा और इनको सीखने में अभ्यास–संख्या और समय दोनों अधिक लगेंगे।

हेगुड एवं ब्रुनर (1965) इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर तार्किक नियमों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया और बताया कि सम्प्रत्यय अधिगम के चार मौलिक नियम होते हैं। संयोजक (Conjunction), वियोजक (Disjunction), प्रतिबंधक (Conditional) और अन्योन्य प्रतिबंधक (Biconditional)।

किल्स्कर एवं परमेश्वर (1967) ने 16 से 20 वर्ष के 120 स्नातक कक्षाओं के छात्रों द्वारा संप्रत्यय निर्माण में अप्रासांगिक उद्दीपकों के प्रभाव का अध्ययन किया। प्रायोगिक सामग्री के रूप में 24 कार्डों पर ज्यामितीय आकृतियां बनाई, परिणाम से ज्ञात हुआ कि जैसे–जैसे अप्रासांगिक कारकों की मात्रा में वृद्धि होती गई सम्प्रत्यय अधिगम कठिन होता गया। हंट एवं हावलेण्ड (1960) ने भी अपने अध्ययनों में इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त किये हैं।

कोनेट एवं ट्रावासो (1964) का मत है कि प्रयोज्य में सम्प्रत्ययों के धनात्मक लक्षणों पर ध्यान केन्द्रित करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। ये प्रासांगिक विमा होती है। जबकि निषेधात्मक कम ध्यान केन्द्रित करते हैं।

**प्रक्रिया विन्यास :** अध्ययन में हाई स्कूल कक्षाओं (9 वीं एवं 10 वीं) में अध्ययनरत छात्रों जिनकी आयु 15 से 16 वर्ष है को शामिल किया गया। यादृच्छिक रूप से 360 छात्रों का चयन किया गया। इन प्रयोज्यों को सम्प्रत्यय अधिगम के चार तार्किक नियमों (संयोजक, वियोजक, प्रतिबंधक व अन्योन्य प्रतिबंधक) और संवर्ग अवधान के तीन प्रकारों (धनात्मक, ऋणात्मक व धनात्मक-ऋणात्मक संवर्ग अवधान) के आधार पर सम्प्रत्यय अधिगम के प्रक्रिया का अवलोकन किया। प्रयोज्यों के चयन एवं तार्किक नियमों के चयन और संवर्ग अवधान का चयन तीनों में यादृच्छिक विधि का पालन किया गया। अतः 360 प्रयोज्यों को  $4 \times 3$  शोध अभिकल्प के आधार पर 12 प्रायोगिक अवस्थाओं में बांटा गया। प्रत्येक प्रायोगिक अवस्था में 30-30 प्रयोज्यों को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार क्रमशः संयोजक, वियोजक, प्रतिबंधक और अन्योन्य प्रतिबंधक नियम को तीनों प्रकार के संवर्ग अवधान के अनुसार सम्प्रत्यय अधिगम कराया गया। और अधिगम प्रक्रिया में किये गये निष्पादन को अंकित किया गया। प्रयोज्यों द्वारा सम्प्रत्यय अधिगम की प्रक्रिया का अवलोकन अभ्यास संख्या के आधार पर किया गया।

**प्रदत्त संग्रह की सामग्री :** प्रयोग में उद्दीपक सामग्री के रूप में 16 कार्डों का उपयोग किया गया है। जो चार विमाओं— संख्या (Number), आकार (Size), रंग (Colour) और आकृति (Shape) के आधार पर एक दूसरे से अलग हैं। इन विमाओं के दो मूल्य हैं, जो इस प्रकार हैं। संख्या— एक व दो, आकार— छोटा व बड़ा, रंग— लाल व हरा और आकृति— वृत्त व वर्ग।

**सारणी क्र.01 : उद्दीपक कार्डों की सूची**

कार्ड सं.	कार्ड का नाम
1.	एक छोटा लाल वृत्त
2.	दो छोटे लाल वृत्त
3.	एक बड़ा लाल वृत्त
4.	दो बड़े लाल वृत्त
5.	एक छोटा लाल वर्ग
6.	दो छोटे लाल वर्ग
7.	एक बड़ा लाल वर्ग
8.	दो बड़े लाल वर्ग
9.	एक छोटा हरा वृत्त
10.	दो छोटे हरे वृत्त
11.	एक बड़ा हरा वृत्त
12.	दो बड़े हरे वृत्त
13.	एक छोटा हरा वर्ग
14.	दो छोटे हरे वर्ग
15.	एक बड़ा हरा वर्ग
16.	दो बड़े हरे वर्ग

उपरोक्त उद्दीपक सामग्री के आधार पर प्रयोज्यों को सम्प्रत्यय अधिगम कराने से पूर्व दो प्रकार के निर्देश दिये गये। जिनका पालन करते हुये प्रयोज्यों ने सम्प्रत्यय अधिगम किया।

**सामान्य निर्देश :** ‘‘मैं आपकी सहायता से एक सामान्य प्रयोग करना चाहता हूँ जिसमें आपको कुछ कार्डों को दो भागों में वर्गीकृत करना है। ये 16 कार्ड हैं इन कार्डों पर लाल और हरे रंग के वृत्त और वर्ग बने हुये हैं जो आकार में छोटे व बड़े हैं आर इनकी संख्या भी एक या दो है। इन कार्डों को आपको केवल लाल रंग और वृत्त, इन विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना है। सभी कार्ड आपके सामने एक साथ प्रस्तुत करूँगा, आपको एक-एक कार्ड का चयन करते हुये दो समूह बनाने हैं। आपके द्वारा चयन किये गये कार्ड के पश्चात् मैं आपको सूचित करता जाऊँगा कि आपके द्वारा चयन किया गया कार्ड सही है अथवा गलत।’’

**विशिष्ट निर्देश :** ‘‘इन कार्डों के आधार पर मैं आपको एक नियम सिखाना चाहता हूँ। जब उस नियम के आधार पर इन कार्डों को दो समूह में वर्गीकृत करोगे तो एक समूह महत्वपूर्ण होगा एवं दूसरा सामान्य होगा।’’ प्रक्रिया विन्यास में स्पष्ट है कि सम्प्रत्यय का अधिगम तीन संवर्ग अवधान के आधार पर करना है। प्रत्येक संवर्ग अवधान के अनुसार सम्प्रत्यय अधिगम करने के लिये तीन प्रकार के निर्देश दिये गये हैं।

“आपको अपना ध्यान केवल महत्वपूर्ण समूह (धनात्मक संवर्ग अवधान) पर केंद्रित करते हुये कार्डों का वर्गीकरण करना है।”

“आपको अपना ध्यान केवल सामान्य समूह (ऋणात्मक संवर्ग अवधान) पर केंद्रित करते हुये कार्डों का वर्गीकरण करना है।”

“आपको अपना ध्यान दोनों समूह (धनात्मक-ऋणात्मक संवर्ग अवधान) पर केंद्रित करते हुये कार्डों का वर्गीकरण करना है।”

उपरोक्त सामान्य एवं विशिष्ट निर्देशों का पालन करते हुये प्रयोज्यों द्वारा सम्प्रत्यय अधिगम को प्रक्रिया की गई और इस प्रक्रिया का निष्पादन अभ्यास संख्या के रूप में अंकित किया गया है।


**प्रदत्त संग्रहण :** सभी 16 उद्दीपक कार्डों को प्रयोज्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया और प्रयोज्य की प्रत्येक प्रक्रिया के पश्चात् प्रतिपृष्ठि दी गई कि प्रयोज्य ने सही कार्ड का चयन किया है या गलत का। और प्रत्येक प्रयास को अंकित किया गया। जब 16 कार्डों पर प्रक्रिया पूर्ण हो गई और सम्प्रत्यय अधिगम नहीं हुआ तो पुनः 16 कार्डों को यादृच्छिक रूप से प्रयोज्यों के सामने प्रस्तुत किया गया। यह प्रक्रिया प्रयोज्य द्वारा सम्प्रत्यय अधिगम करने तक कई बार दोहराई गई। प्रयोज्य की प्रतिक्रिया की अभ्यास-संख्या के रूप में प्राप्त किया। जिसके आधार पर तार्किक नियमों की जटिलता का अध्ययन किया गया। सम्प्रत्यय अधिगम को चारों तार्किक नियमों को तीनों संवर्ग अवधान के आधार पर अधिगम करते हुये 30-30 के प्रयोज्यों के 12 समूह बने और कुल 360 प्रयोज्यों पर प्रयोग किया गया।

**प्रदत्त विश्लेषण :** चारों तार्किक नियमों के आधार पर सम्प्रत्यय अधिगम की प्रक्रिया का अवलोकन प्रयोज्यों द्वारा लगी अभ्यास-संख्या के रूप में किया प्रयोग से प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण करने पर अभ्यास संख्या के योग और औसत से स्पष्ट होता है कि किस तार्किक नियम के अधिगम में अभ्यास संख्या अधिक लगी तथा किस में कम। जो निम्नलिखित सारणी में स्पष्ट प्रदर्शित है:-

**सारणी क्र. : 06— विभिन्न तार्किक नियम में लगने वाले अभ्यास संख्या का योग एवं औसत**

क्र.	तार्किक नियम	योग	औसत
01	संयोजक	7168	79.64
02	वियोजक	7232	80.35
03	प्रतिबंधक	6928	76.97
04	अन्योन्य प्रतिबंधक	8016	89.06

**ग्राफ क्र. 01:- तार्किक नियमों के अधिगम में लगे अभ्यास संख्या के औसत की तुलना**



**परिणाम :** प्रस्तुत अध्ययन के प्रदत्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रतिबंध तार्किक नियम की जटिलता का स्वरूप सबसे सरल है, इससे जटिल संयोजक है व संयोजक से जटिल वियोजक तार्किक नियम है। और अन्योन्य प्रतिबंधक तार्किक नियम की जटिलता सबसे अधिक है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रयोज्यों द्वारा प्रतिबंधक नियम के अधिगम में अभ्यास संख्या के प्रयास सबसे कम लगे उसके पश्चात् संयोजक फिर वियोजक और अन्योन्य प्रतिबंधक में सबसे अधिक अभ्यास संख्या प्रयासों के द्वारा सम्प्रत्यय अधिगम किया गया।

**निष्कर्ष :** सम्प्रत्यय अधिगम से जुड़े पूर्व अध्ययनों के परिणाम बताते हैं कि सम्प्रत्यय अधिगम के तार्किक नियमों की जटिलता का स्वरूप कमशः संयोजक, वियोजक, प्रतिबंधक एवं अन्योन्य प्रतिबंधक है। किन्तु प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम पूर्व के परिणामों से भिन्न अवलोकित किये गये। अतः स्पष्ट होता है कि प्रतिबंधक नियम की जटिलता सबसे कम है। इसके पश्चात् कमशः संयोजक एवं वियोजक नियमों की जटिलता है तथा अन्योन्य प्रतिबंधक सबसे जटिल तार्किक नियम है। अध्ययन के परिणामों के आधार चिन्तन एवं शिक्षण कार्य की विभिन्न गतिविधियों में सम्प्रत्यय अधिगम सरलता से कराया जा सकता है।

#### सन्दर्भ :

1. अजीमुर्हमान एवं जावेद अशरफ (1994), मनोविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास, दिल्ली, मोतीलाल बनारसीदास
2. श्रीवास्तव, बीना, आनंद वर्षा व आनंद वानी (2003), संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास
3. त्रिपाठी, जयगोपाल (2009), मनोविज्ञान एवं शिक्षा में शोध पद्धतियाँ, आगरा: एच.पी. भार्गव बुक हाउस
4. सिंह, अरुण कुमार (2013), मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, दिल्ली, मोतीलाल बनारसीदास
5. सिंह, अरुण कुमार (2015), उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान, दिल्ली, मोतीलाल बनारसीदास

## ग्रामीण महिलाओं में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता का अध्ययन

डॉ० अमृता श्रीवास्तवा\*

\*एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, डी०ए०वी०पी०जी० कॉलेज, गोरखपुर, उ०प्र०

**सारांश :** बढ़ती हुई जनसंख्या प्रभाव न केवल किसी परिवार के सीमित संसाधनों पर पड़ता है, बल्कि हमारे समाज व देश को भी इसका बोझ उठाना पड़ता है। वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पर्यावरण-प्रदूषण, निर्धनता, अशिक्षा आदि ऐसी मूलभूत समस्याएँ हैं, जो अनेक विसंगतियों को जन्म दे रही हैं। ग्रामीण महिलाओं में परिवार नियोजन के लिये राज्य स्तर पर कई प्रयास किये जा रहे हैं। परिवार नियोजन का मुख्य उददेश्य मानव की संख्या को कम या अधिक या रिश्वर रखना होता है। इससे परिवार का आकार छोटा एवं स्वस्थ होता है तथा जीवन स्तर को अच्छा बनाने में सहायक होता है। सामाजिक-सांस्कृतिक जैसी अनेक बाधाएँ परिवार नियोजन कार्यक्रम में आती हैं।

**मुख्य शब्द :** परिवार नियोजन, समाजीकरण, जनसंख्या वृद्धि, गर्भनिरोधक आदि।

परिवार नियोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, परिवार एवं नियोजन। परिवार मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में एक आधारभूत और सर्वाधारी सामाजिक संस्था है। संस्कृति के सभी स्तरों में, चाहे उन्हें उच्च कहा जाय या निम्न, किसी न किसी प्रकार का परिवारिक संगठन अनिवार्यतः पाया जाता है (गुडसेल, 1934: 183)। यदि हम इतिहास पर दृष्टिपात करें तो पायेंगे कि परिवार आदिम युग में अपने आप में पूर्ण सामाजिक इकाई थी जो धीरे-धीरे विशेष उददेश्य की पूर्ति के निमित्त छोटे आकार का एक सामाजिक संगठन बन गया। जो परिवार में जन्म लेते हैं उनके लिये यह एक सम्पूर्ण समुदाय या जगत है, मगर जैसे-जैसे वे बड़े होकर बालिग होते जाते हैं वैसे-वैसे उनके लिये परिवार का दायरा संकुचित होता जाता है। अन्य सामाजिक संगठनों की अपेक्षा परिवार एक विराट सामाजिक प्रक्रिया है (कपाडिया, 1955:161)। मैकाइवर एवं पेज (1950:228) के अनुसार परिवार पर्याप्ति निश्चित यौन सम्बन्धों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन-पालन की व्यवस्था करता है। बर्गस तथा लाक (19497) ने परिवार को ऐसे व्यक्तियों का समूह कहा है जो विवाह, रक्त या गोद लेने के बच्चों से जुड़े हुये हैं, एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं और पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन अपने-अपने क्रमशः सामाजिक कार्य, अन्तःक्रिया एवं अन्तःसंचार करते हैं तथा एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। डेविस (1946:397) के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से सम्बद्धित है तथा जो परस्पर नातेदार हैं। मरडॉक (1949:27) ने परिवार को एक ऐसा सामाजिक समूह माना है जिसके लक्षण सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन हैं उनमें दो लिंगों के बालिग शामिल हैं जिनमें कम से कम दो व्यक्तियों में स्त्रीकृत यौन सम्बन्ध होता है और जिन बालिग व्यक्तियों में यौन सम्बन्ध होता है उनके अपने या गोद लिये हुये एक या एक से अधिक बच्चे होते हैं। आगवर्न और निमकॉफ (1967:459) के अनुसार "परिवार बच्चों अथवा बिना बच्चों वाले पति-पत्नी या किसी पुरुष अथवा स्त्री के साथ ही रहने वाले बच्चों की लगभग स्थायी समिति है।"

श्यामाचरण दूबे (1977-10) के अनुसार परिवार का उद्देश्य यौन सम्बन्धों का नियमन करना, सन्तानोत्पत्ति, सन्तानों का पालन-पोषण, शिक्षण व सामाजीकरण करना तथा उन्ह आर्थिक सामाजिक व मानसिक संरक्षण प्रदान करना है। इन प्रकार्यों की पूर्ति के लिये परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों एवं कर्तव्यों से बँधे होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार जैविकीय सम्बन्धों पर आधारित एक सामाजिक समूह है। जिसमें माता-पिता और बच्चे होते हैं, जिनका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिये सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, यौन सन्तुष्टि और प्रजनन सामाजीकरण व शिक्षण आदि सुविधायें जुटाना है (देसाई, 1964)।

परिवार नियोजन एक व्यापक शब्द है, जिसका अर्थ अपने साधनों के अनुरूप सोच-समझकर स्वेच्छा से परिवार का परिसीमन करना है। जनसंख्या नियोजन का मुख्य लक्ष्य न सिर्फ मानव की संख्या को कम, अधिक या रिश्वर रखना होता है, अपितु विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या के बड़े भाग के लोगों की गुणवत्ता में वृद्धि का प्रयास करना होता है (अग्रवाल, 1978)। परिवार नियोजन के अन्तर्गत अवाधित गर्भ को रोकने, बन्ध्याकरण करने एवं ऐसे कृत्रिम साधनों को अपनाने की सलाह दी जाती है। जिससे संताने न हों।

परिवार नियोजन का तात्पर्य ऐसे परिवारों का निर्माण करना है, जो आकार में छोटा एवं स्वस्थ हो तथा जीवन स्तर को ऊँचा उठाने अथवा बनाये रखने में सहायक हो (लाल, 1997)। शर्मा (1998) के अनुसार, परिवार नियोजन का अर्थ व्यक्ति तथा दम्पत्तियों द्वारा उनकी इच्छानुसार बालकों की प्राप्ति हेतु योजना बनाना है। इसे उत्तरदायी पितृत्व कहा गया है। पार्क (1985) के अनुसार, परिवार नियोजन जीवन की एक राह है, जो कि पारिवारिक समूह के स्वास्थ्य एवं कल्याण में वृद्धि करती है तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान करती है।

व्यापक अर्थ में, परिवार नियोजन का अभिप्राय अविवेकपूर्ण मातृत्व पर रोक लगाना तथा सन्तानहीन को मातृत्व लाभ दिलाना है। कर्व (1951) के शब्दों में— व्यापक अर्थ में, परिवार नियोजन एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति की उन्नति, परिवार की भलाई, समाज का सुधार तथा राष्ट्र की उन्नति करना है।"

परिवार नियोजन एक जीवन दर्शन है और व्यवहार में लाई जाने वाली एक पद्धति है, जो ज्ञान एवं अभिवृत्ति तथा महत्वपूर्ण निर्णय के आधार पर दम्पत्तियों एवं व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से अपनायी जाती है तथा इसका लक्ष्य परिवार के स्वास्थ्य एवं सुख का सम्बद्धन करना है और इस प्रकार देश के सामाजिक विकास में प्रभावी योगदान देना है। परिवार नियोजन में निरोधक

तत्वों के साथ सन्तानोत्पत्ति के प्रयास भी शामिल हैं। परिवार नियोजन वह प्रक्रिया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चों का जन्म इच्छा से हो, चूंक से नहीं, सोच समझकर हो, संयोग से नहीं।

कम अंतर वाले जन्मों को रोकने से, परिवार नियोजन सालाना 2 लाख से अधिक शिशुओं और बच्चों की जान बचा सकता है (रस्तेन, 2005:23)। जन्मों के बीच सही अंतर न होने से समय से पहले जन्म और जन्म के समय कम बजन, और गर्भावधि आयु के हिसाब से छोटे जन्मों के अवसरों में वृद्धि हो जाती है। जन्म या गर्भपात या गर्भ समापन के बाद बहुत जल्द गर्भधारण करने वाली महिलाओं को एनीमिया, समय से पहले झिल्ली फटने, गर्भपात या गर्भ समापन का अनुभव होने की अधिक संभावना होती है, और उन्हें मातृ मृत्यु का उच्च जोखिम भी रहता है। क्या छोटा जन्म अंतराल माँ या बच्चे के लिए प्रतिकूल पोषण परिणामों के साथ जुड़ा हुआ है इस शोध से मिले प्रमाण, बताते हैं कि जन्म अंतराल बढ़ाने का पाँच साल से कम के बच्चों में अवरुद्ध विकास और कम बजन पर एक सकारात्मक प्रभाव होता है। जल्दी जल्दी गर्भधारण और स्तनपान से माँ की पोषण की स्थिति खराब हो जाती है क्योंकि माँ को पहले की गर्भावस्था के शारीरिक तनाव से उबरन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता और उससे पहले उसे अगला तनाव हो जाता है। इससे मातृ पोषक भंडार में कमी होती रहती है, साथ ही प्रतिकूल प्रसवकालीन परिणामों का जोखिम बढ़ जाता है।

परिणामस्वरूप गर्भावस्था के प्रतिकूल परिणाम जन्मों में सही अंतराल न रख पाने से योगदान दे सकते हैं। बांग्लादेश से एक अध्ययन में पाया गया कि गैर जीवित जन्म, गर्भपात या शायद मृत प्रसव के साथ कम अंतराल की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि महिलाएं अपने हाल के अनचाहे भ्रूण या बच्चे के गम को जल्द से जल्द भरना चाहती हैं (रहमान, व अन्य, 2002)।

जन्म में अंतर रखने के निर्धारकों की जाँच करने वाले अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जल्दी विवाह, पिछले बच्चे का जीवित रहना, और ज्ञान और गर्भनिरोधकों का उपयोग महत्वपूर्ण कारक हैं। यह भी ज्ञात है कि कई महिलाएं जन्म में अंतर रखने के लिए अपने प्रजनन लक्ष्यों में पीछे रह जाती हैं और लक्षित समय से पहले गर्भवती हो जाती हैं। ‘गर्भनिरोधक के लिए अपूरित आवश्यकता’ की अवधारणा का संबंध महिलाओं के अनुपात से है जो गर्भवती नहीं होना चाहती लेकिन गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल नहीं कर रही है। अंतर रखने के तरीकों के लिए अपूरित आवश्यकता, जिसका संबंध अगले जन्म को स्थगित करने के इच्छुक होने के बावजूद गर्भनिरोधक का इस्तेमाल न करने से है, 2000–2009 के दौरान उप सहारा अफ्रीका में 17 प्रतिशत से मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में 4 प्रतिशत के साथ काफी अलग अलग था। दक्षिण एशिया में, अंतर रखने के लिए अपूरित आवश्यकता 8 प्रतिशत थी (वर्ड बैंक, 2010)।

स्वतन्त्रता के पश्चात भारत की जनता के जीवन स्तर को उन्नत करने के गम्भीर प्रयास प्रारम्भ हुए हैं। जीवन—स्तर करने व जनस्वास्थ्य में सुधार करने के महत्वपूर्ण कदमों में एक कदम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना है। सरकार जनसंख्या नियंत्रण करने के कई प्रयास कर रही है, जैसे—गर्भनिरोधक साधनों तक लोगों की पहुँच बढ़ाकर, गर्भ निरोधक उपायों के अपनाने पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराकर, परिवार नियोजन के प्रति जन जागरूकता का व्यापक प्रचार-प्रसार करके, जगह—जगह परिवार नियोजन कैम्पों का आयोजन करके, सीमित परिवार के लिए प्रेरणामूलक विज्ञापन, गर्भनिरोधक सामग्री की आपूर्ति, नसबन्दी हेतु नगद राशि के रूप में प्रोत्साहन आदि।

गर्भनिरोधक कारबाई तरीकों का इस्तेमाल होने की साथ जन्म के बीच अंतर की अपूरित आवश्यकता भी मौजूद है। जैसा कि दुनिया को अन्य भागों में देखा गया है, कई भारतीय महिलाएं जो अगली गर्भावस्था को स्थगित करना चाहती हैं। उसके साथ साथ गर्भनिरोधक विधि का उपयोग नहीं कर रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2007) (एन.एफ.एच.एस.0-4 को ऑफ़डे डाले) को अनुसार भारत म लगभग 6.2 प्रतिशत महिलाओं की जन्म के बीच अंतर रखने के लिए अपूरित आवश्यकता थी। हालांकि, जन्म के बीच अंतर रखने के लिए अपूरित आवश्यकता युवा महिलाओं को बीच काफी अधिक थी, 15–10 आय वर्ग और 20–24 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए क्रमशः 25 प्रतिशत और 14.9 प्रतिशत थी। कुल मिलाकर परिवार नियोजन और अंतर रखने के लिए अपूरित आवश्यकता भी उच्च स्तरीय आर्थिक समूहों की तुलना में (3.3 प्रतिशत) सबसे निम्न आर्थिक समूहों की महिलाओं के बीच सबसे ज्यादा (7.7 प्रतिशत) है। एन.एफ.एच.एस.-3 के अनुसार, भारत में 15–19 आयु समूह की विवाहित महिलाओं में से वर्तमान में केवल 13 प्रतिशत किसी भी गर्भनिरोधक का उपयोग कर रही है (2005–06), और उनमें से केवल आधी (6.9 प्रतिशत) ने गर्भनिरोधक का आधुनिक तरीका इस्तेमाल किया है। इस आयु वर्ग के जन्म के बीच अंतर रखने के लिए अपूरित आवश्यकता 25.1 प्रतिशत थी, और इस आयु वर्ग में गर्भनिरोध की केवल 32.4 प्रतिशत माँग को पूरा किया गया।

कई सामलों में पति प्रजनन क्षमता और गर्भनिरोधक इस्तेमाल करने के फैसलों को नियंत्रित करते हैं। युवा महिला के गर्भनिरोधक इस्तेमाल करने के निर्णय में सास भी एक प्रमुख भूमिका निभाती है (सिंह व अन्य, 1988)। उत्तर प्रदेश में किए गए एक अध्ययन में, प्रजनन आयु की 56 प्रतिशत महिलाओं ने स्वास्थ्य देखभाल निर्णय को अपनी सास और 15 प्रतिशत ने पति के लिए विलम्बित किया (स्टीफेन्सन व सू, 2002)। इसके अलावा, पति या ससुराल वालों का दबाव भी गर्भनिरोधक इस्तेमाल बंद करने का कारण बन सकता है (गण्डोत्रा, 1990)।

उपर्युक्त कोशिशों के बावजूद जनसंख्या वृद्धि दर में अपेक्षित कमी नहीं आयी है। जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में कमी, उपभोग की वस्तुओं की अत्यधिक माँग होने से महँगाई में वृद्धि, गन्दी बस्तियों एवं प्रवास की समस्या, बेरोजगारी, सभी को संतुलित भोजन की उपलब्धता की कमी से व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक विकास का न होना, गरीबी एवं भूखमरी, निम्न जीवन स्तर, पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन, अपराध एवं संवेदनहीनता इत्यादि जैसी विकास समस्याओं को पल्लवित एवं पोषित किया है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता में अनेक सामाजिक—सांस्कृतिक बाधाएं चिह्नित की गयी हैं, जिनमें प्रजनन क्षमता को साबित करने के लिए जल्दी से जल्दी बच्चा पैदा करने का सामाजिक दबाव, गर्भनिरोधकों पर जानकारी की कमी, निर्णय लेने

की शक्ति का अभाव, प्रजनन क्षमता को सामाजिक स्थिति के संकेत के रूप में देखा जाना, गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल से भविष्य में प्रजनन क्षमता प्रभावित होने का डर आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार के ज्यादा मामलों में, गर्भनिरोध के प्राकृतिक या कृत्रिम तरीके को अपनाना, व्यक्तिगत या पारिवारिक निर्णय होता है, इसका राज्य नीति या सामाजिक तौर पर होने वाले अनुमोदनों से कोई सरोकार नहीं होता है। फिर भी सरकार की सक्रियता इसमें अत्यावश्यक है। परिवार नियोजन के लिए भारत के पास सहयोगी नीति माहौल है। ये नीतियाँ कार्यरत हैं और गर्भनिरोधक सेवाओं के लिए मांग भी मौजूद है। जब तक नव युवक—युवतियाँ परिवार नियोजन की विधियाँ नहीं अपनाती और बच्चों के जन्म से पर्याप्त अंतर नहीं रखती तब तक जनसंख्या वृद्धि के कारण देश का विकास पिछड़ता चला जाएगा।

**सारस्वत (2009)** के अनुसार परिवार नियोजन पर अधिक ध्यान देने में मातृ व बाल स्वास्थ्य सेवाओं तथा सामान्य जन सेवाओं की उपेक्षा ने इस प्रवृत्ति को बढ़ाने में जितना योगदान दिया है उतना ही परिवार नियोजन के उद्देश्य को अन्तिमयः पराजित करने में। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि परिवार नियोजन नीति उत्पादकता नियंत्रण पर अधिक बल देती है तथा इस बात पर कोई जोर नहीं दिया जाता है कि महिलाओं—पुरुषों द्वारा स्वयं पर अधिक नियंत्रण रखा जा सके तथा उन्हें इस निर्णय हेतु सजग करें कि उन्हें सतान चाहिए या नहीं अथवा कितनी संख्या में बच्चे चाहिए।

**अंतराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (2010)** द्वारा किये गये अध्ययन से यह पता चलता है कि बिहार, झारखण्ड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कुछ उत्तर पूर्व राज्यों में दंपत्ति संरक्षण दर 52 से 62 प्रतिशत तक है। जब तक नव युवक—युवतियाँ परिवार नियोजन की विधियाँ नहीं अपनातीं और बच्चा के जन्म से पर्याप्त अंतर नहीं रखती तब तक जनसंख्या वृद्धि के कारण देश का विकास पिछड़ता चला जाएगा। यदि इसी प्रकार जनसंख्या में वृद्धि होती रही तो इसके परिणामस्वरूप आहार का अभाव, पानी की कमी, अज्ञानता तथा निरक्षरता, वातावरण में प्रदूषण, भीड़—भाड़ आवास सम्बन्धी तथा बेरोजगारी जैसी समस्यायें पैदा हो सकती हैं। इससे लोग गरीब हो जाते हैं और रहन—सहन का स्तर भी घट जाता है।

**वर्मा (2011)** ने अपने अध्ययन में पाया कि 25.1 प्रतिशत 15–19 वर्षीय महिलाओं की गर्भनिरोधन आवश्यकताएं अपूरित थीं, और इस आयु की केवल 32.4 प्रतिशत महिलाओं की आवश्यकताएं पूरी की जा सकीं। 15–19 वर्ष की केवल 13 प्रतिशत विवाहित महिलाएं गर्भनिरोधकों का उपयोग करती हैं, और उनमें से केवल आधी (6.9 प्रतिशत) आधुनिक गर्भ निरोधकों का प्रयोग कर रही हैं।

#### सन्दर्भ :

1. देसाई, ए०आर० (1986), भारत में शहरी परिवार और परिवार नियोजन, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विविठ।
2. रस्तैन, एस०ओ० (2005), इफेक्ट्स ऑफ़ प्रिसीडिंग बर्थ इंटरवल्स आन नियोनेटल, इन्फैट एण्ड अण्डरफाइव ईयर्स मॉर्टिली एण्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस इन डेवलपिंग कंट्रीज़: इवीडेंस फ्राम दि डेमोग्राफिक एण्ड हेल्थ सर्वेज, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ गाइनिकोलॉजी एण्ड अस्ट्रेटिक्स, वा०—८९, नं०—१, पृ० ७—२४
3. रहमान, एम०, एच०एच० अख्तर चौधरी एमई० खान, एच०आर० यूसुफ व आर०डब्ल्यू० राय (2002), अब्स्ट्रेट्रिक डेल्स इन बांग्लादेश, 1996—97, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ गाइनिकोलॉजी एण्ड अस्ट्रेटिक्स वा०—८६, नं०—२, पृ० 161—69.
4. पवमा, अंजू (2011), जनसंख्या, विकास तथा मानव अधिकार, योजना, वर्ष—५५, अंक—७, जुलाई, पृ० 37—38
5. सारस्वत, ऋतु (2009), ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि बनाम विकास, कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मन्त्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, अक्टूबर
6. सिंह, कौ०, एस० ब्लूम एवं ए० सू—ओ०ग (1988), हस्बैंड्स इप्रोडक्टिव हेल्थ नालिज, एटीटचूड एण्ड विहैवियर इन उत्तर प्रदेश, इण्डिया, स्टीज इन फेमली प्लानिंग, वा०—२८, पृ० 388—99.
7. स्टीफेसन, टी० व ए०एस० सू (2002), कर्स्टेकचुअल इनफलूएंश आन रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेस इन उत्तर प्रदेश, इण्डिया, स्टीज इन फेमली प्लानिंग, वा०—३३, पृ० 309—69.
8. जनसंख्या—कुछ गलत धारणाएँ, परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, भारत, 201
9. फैमिली वेलफेयर ईयर बुक, 2014, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण—४ (2015—16), आई०आई०पी०एस०, मुम्बई।
10. वर्ल्ड बैंक (2010), अनमेट नीड फार कंट्रासेशन, वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन, डी०सी०, विश्व स्वास्थ्य संगठन (2006), रिपोर्ट ऑफ़ टेक्निकल कंसल्टेशन आन वर्थ स्पेसिंग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिनेवा।

## सूरदास और श्रीमद्भागवत की हरिलीला

### डॉ मिथलेश कुमारी\*

\*एसोड प्रोफेसर व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, के.ए.(पी.जी.) कॉलेज, कासगंज, उत्तरप्रदेश

**सारांश :** हरिलीला रसमयी है और लीलारस ही आनन्द है, इसलिए कवि अपनी स्वयंभू स्थिति में जब शब्द का प्रयोग करता है, तो उसका भी सृजन बोध रसमय होता है। सूरदास की काव्य विशेषता यही है कि वह समाधि में होते हुए, उन समस्त लीला परम्पराओं के उत्तराधिकारी दायित्व को भी निभाता है, जो उनकी पूर्ववर्ती परम्परा से उनको मिला है। साथ ही वह उसमें अपनी कुशल सर्जक बुद्धि और मार्मिक शिल्पी मन के आधार पर बहुत कुछ नया मौलिक जोड़ते भी हैं। वह समस्त वैष्णव धर्म की परम्परा के सीधे उत्तराधिकारी हैं और उस समस्त उत्तराधिकार के साथ अपनी धार्मिक आस्था में पूष्टिमार्गीय है। वल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित हैं, पारलौकिक आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु हैं लेकिन इन सबके साथ अपनी सौन्दर्य दृष्टि और संरचनात्मक प्रतिभा में यहीं नितान्त मौलिक हैं।

**मुख्य शब्द :** भारतीय वाडमय, आध्यात्मिक ज्ञान, हरिलीला, सृजन बोध, वैष्णव धर्म आदि।

श्रीमद्भागवत भारतीय वाडमय का मुकुटमणि है। इस कलिकाल में 'श्रीमद्भागवत' हिन्दू समाज का सर्वाधिक आदरणीय पुराण है। इसका मुख्य वर्ण्य विषय भावित योग है, जिसमें कृष्ण को देवो का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है—हरि की लीला कहत न आवै। / कोटि ब्रह्माण छनहिं मैं नासै, छनहीं मैं उपजावै।'

सूरदास भगवत लीला के भाव भरे उन्मुक्त गायक थे सो नित्य नई—नई पद रचना कर अपने प्रभु गोवर्धन नाथ जी के समुख गाया करते थे। नित्य सबरे से सम्भ्या तक गाए जाने वाले रागों में ललित रसों का रंग भरकर अपनी वाणी की तूलिका से चित्रित कर अपने को धन्य किया करते थे।

सूरसागर का प्रतिपाद्य हरिलीला गान है। सूर ने भी श्रीमद्भागवत को अपना आदर्श मानकर दशम स्कन्धीय लीला का गान किया है। यह पुराण भगवान का स्वरूप है। श्रीमद्भागवत के स्कन्ध श्रीहरि के श्रीअंग के ही विभिन्न अवयव हैं। निर्गुण सन्तों के अनुसार हृदयस्थित भगवान जो कार्य करते हैं, वह कार्य भक्तों के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण करता है।

महाकवि सूरदास जी ने सूरसागर का प्रयोजन विशुद्ध लीला को ही माना है। आचार्य वल्लभ के प्रति उनका अटूट विश्वास और अडिग आस्था है। आचार्य वल्लभ ने भाव की महता का प्रतिपादन करते हुए, अपुनाभ्य के अन्तर्गत अनेक स्थानों पर उद्घत किया गया है—“केवलेन हि भावने गोप्यो गावः खगाः मृगाः । / येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धाः मामीयुरंजसा ॥ / यन्न योगेन सांख्येन दान व्रत तपोऽध्वरैः । व्याख्या स्वाध्याय सन्यासैः प्राप्नुयाद्यत्नवानपि ॥”<sup>2</sup>

सूर ने इसी भाव को स्पष्ट किया है—“सूर धन्य तिनके पितु माता भाव भजन है जाके ॥” साथ ही भाव की महता भी बताते हैं—“भाव अधीन रहों सब ही के, और न काहू नेंक उरों । / सूर स्याम तब कही प्रकट ही, जहाँ भाव तहँ तें न टरों ॥”<sup>3</sup>

आकाश आदि (आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु) पञ्च महाभूत, पञ्च तन्मात्राएं (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध), महत्व आदि की उत्पत्ति तो सर्ग—लीला ही है। विभिन्न चर और अचर सृष्टियों का निर्माण 'विसर्म' लीला है। विनाश से सृष्टि को सुरक्षित रखकर मर्यादा में रखना—स्थान लीला है। सुरक्षित सृष्टि में भूत मात्र पर अनुकम्पा पोषण है। मन्वन्तरों के स्वामियों का धमानुष्ठान मन्वन्तर लीला है। कर्म—वास ऊति—लीला है। भगवदवतारों की कथा ईश कथा है। अपनी उपाधियों सहित जीव का भगवान में लीन होना 'निरोध' है। कल्पित कर्तृत्व से मुक्त होकर जीव का स्व—स्वरूप में अवस्थित होना 'मुक्ति' है, एवं सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय जिससे और जिसमें होते हैं, यह परब्रह्म ही एकमात्र 'आश्रय' है। श्रीमद्भागवत महापुराण में अन्य—व्यतिरेक—पद्धति से चराचरात्मक ब्रह्माण्ड के जन्म—प्रलय आदि के एक—मात्र कारण परम सत्य स्वरूप ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। श्रीकृष्ण की पावन लीलावाला दशम स्कन्ध निरोध लीला का स्कन्ध है। निराध सिद्धि हो जाने पर केवल मुक्ति ही शेष रह जाती है, जो भवित—मार्ग से सहज प्राप्य है और अन्त में केवल आप 'आश्रय' के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रह जाता।

सागर का नितान्त लक्ष्य निरोध लीला है। सागर के अन्य स्कन्ध श्रीमद्भागवत की भाँति सर्गादि लीलाओं की सम्पूर्ति करते हैं। 'सागरः मैं उपक्रम का एकदम अभाव है। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध में तो कभी कोई दूसरा प्रसंग उठा ले चलते हैं, उन्हें इतना अवश्य विदित है कि प्रथम स्कन्ध में पाण्डव—चर्चा है और उसी सन्दर्भ में परीक्षित अभिसात्त होकर भगवत श्रवण करने के लिए शुकदेव जी को भारण में जाता है। सागर का द्वितीय स्कन्ध केवल एक ही प्रसंग में भगवत का स्पर्श करता है कि भगवान के द्वारा ब्रह्माजी को चतुश्लोकी सुनाई गयी। तृतीय स्कन्ध में भी आशिक ही मेल खाता है। यही दशा अन्य स्कन्धों की भी है। सूर ने भागवत के कतिपय स्कन्धों के प्रसंगों का फुटकर केवल ब्रजीकरण किया है। अतः भागवतानुसारी सर्ग—लीलाएं यथाक्रम सागर में ब्रजलीला बन गयी हैं।

'सागर' शुद्ध हरि लीला—गान है। अतः उसमें श्रीकृष्ण—लीलाक्रम ही है। यहाँ भागवती शिल्प अथवा भागवती प्रवृत्ति को ढूँढ़ना उचित नहीं है। केवल दशम स्कन्धीय वस्तुगत साम्य होने पर भी सूर ने 'सागर' में कविजन—सुलभस्वातन्त्र्य का भरपूर उपयोग किया है। यही कारण है कि कतिपय कृष्ण—लीला—प्रसंग, राधा—माधव केवल प्रसंग, राधा विवाह, तदुपरान्त मिलन—विरह के अनेक प्रयोग सूर की भागवती चिंतना है। भागवती चिंतना सूत्र सूर को सुबोधिनी स मिले थे। आचार्य वल्लभ ने भले ही कहीं—कहीं उन पर 'पुराणान्तर—भाषितम्' कहकर प्रामाणिकता की छाप लगा दी है। पर है वे किन्हीं न पूर्व परम्पराओं पर

ही आश्रित। सूर अपने उन सभी मौलिक कहे जाने वाले प्रसंगों के लिए श्रीवल्लभ के माध्यम से उनसब परम्पराओं, पुराणों एवं साम्प्रदायिक स्तोत्र-साहित्य के ऋणी हैं। यद्यपि सूर अपने 'सागर' के दशम स्कन्ध के बहुत अंशों में भागवतानुसारी और पुराणान्तर के साथ श्रीवल्लभ स्तोत्र साहित्य के भी ऋणी हैं तथापि स्वकीय अभिव्यक्तियों में वे अत्यन्त मौलिक और कवि जन सुलभ स्यातन्त्र क पूरे-पूरे शोक्ता और नियोक्ता भी रहे हैं।

सागर में जो कुछ भागवतानुसारी या पुराणान्तर भाषित है, वह महाप्रभु वल्लभ का प्रसाद है। सम्प्रदाय में गोस्वामी विट्ठलनाथजी तो संयोग-श्रृंगार के पोषक और महाप्रभुजी विप्रयोग के पोषक हैं। गो. विट्ठलनाथजी महाप्रभु वल्लभ और चैतन्य के राधा-भाव-भावित आवेश के प्रत्यक्ष द्रष्टा और साक्षी रहे थे। सम्पूर्ण मधुर कृतित्व का प्रसाद-रूप वरदान गो. विट्ठलनाथ जी ने महाकवि सूर को अवश्य दिया है। सूर स्वयं राधा-भाव भावित हो गये थे और भ्रमरगीत में तो वे राधा की प्रत्यक्षचर्चा करने में असमर्थ से हो गये। उनकी राधा जो 'लरिकाई की संगिनी' थीं, कृष्ण-वियोग में अति मलिन रहने लगीं और हरिके श्रम-जल से भीगी साड़ी के सतत स्पर्श के लोभ से उसे धूलाती भी नहीं थीं। आगे चलकर उद्घवका विरह—संदेह सुनकर वही राधा तीव्र विशम ज्वर पोड़ित हो जाती हैं। वे सुखकर अस्थि-पंजर-मात्र रह गयी हैं—बिनु माधौ राधा—तन सजनी, सब विपरीत भई। /गयी छपाई छपाकर की छवि, रही कलंकमई।/आँच लगै च्यौनो सोनो सौं, यौं तनु धातु छई।/कदली दल—सी पीठि मनोहर, मानो उलटि लई।।<sup>5</sup>

जीवन की बाजी हार जाने वाली राधा की मनोदशा का चित्रण सूर—जैसा भुक्त भोगी ही कर सका है और इतने पर भी वह तृप्त नहीं हो पाया है। सूर ने विशेष रूप से अपनी कवि-प्रतिभा का गहन परिचय दिया—मुरली, रास राधा—विवाह, पनघट—लीला, दान—लीला, मान—लीला एवं भ्रमरगीत आदि में। रास और मुरली के दो ही प्रसंग गोकुल—लीला के शीर्षस्थ प्रसंग हैं। मथुरा—लीला अथवा राज—लीला में न तो मुरली की चर्चा है न रास की। पनघट लीला गोपिकाओं की चरम रूपासवित का निर्दर्शन कराने वाला अत्यन्त उत्कृष्ट प्रसंग है<sup>6</sup> कृष्ण के दिव्य सौन्दर्य की सुधा का पान किन—किन विधियों, चष्टाओं, युक्तियों से किया जाता है, इन सबका मनोहर व्यौरा ही पनघट लीला है। पनघट—लीला के माध्यम से भगवान की तीव्र रूप माधुरी की ही तो गहन चर्चा की गयी है। इस लीला के मूल में अन्य सूर की दृष्टि श्रीकृष्ण रूपसूधा के पान में निरत हो गयी है। पनघट—लीला के एक हो चित्रोपम पद में ब्रज की प्रकृति—माधुरी, श्रीकृष्ण की रूप—माधुरी और गौपी की भाव—माधुरी के सौन्दर्य की त्रिवेणी प्रवाहित कर दी है।

सूर ने रास—प्रसंग में 'मुरली' तथा भ्रमरगीत में 'कुञ्जा' का सप्तनी भाव दिखाया है। रास—परिपाक की दृष्टि से यह सप्तनी भाव—योजना सर की एकदम मौलिक कल्पना है, जो उनके कृष्ण—प्रेम को लौकिक धरातल पर लाकर सर्वानुभूतिगम्य बनाती है। वेणु अथवा मुरली की चर्चा वेणु—गीत, युगलगीत तथा रास—लीला में हुई है। आचार्य श्री ने काम—बीज का उद्गम—स्थान श्रीमद्भागवत के आधार पर वशी को माना है<sup>7</sup> अतः वेणु—गीत, युगल—गीत तथा रास—लीला में सम्मिलित होन वाली गोपिकाएं भगवान कृष्ण में प्रियतम भावासक्त हैं। चीर—हरण वाली कुमारिकाओं का मनहरण करनेवाली काम—बीज की तान उस शारदीय रमणीय प्रकृति में छेड़ी गयी है, जिसकी पूरी कल्पना सूर के अन्तर में प्रत्यक्षगोचर थी। रास और मुरली के प्रसंग सूर तथा अन्य सभी अष्टछापियों को प्रिय रहे हैं। रास—लीला का विकास निकुंज में प्रिया—प्रियतम का चिर विरह भक्त ह्वदयों को नित्य—लीला—धाम है। 'सूरसारावली' सूरसागर का सार है। सागर और सारावली का प्रयोजन हरि लीला गान है क्योंकि 'ता दिन ते हरि लीला गाई'। यह दिन दीक्षा का दिन है। जब गऊघाट पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने ब्रह्म सम्बन्ध कराया था, उसी हरिलीला का सार ही सारावली है, जिस लीला तत्व को गुरुदेव वल्लभ ने सुनाया था। श्रीकृष्ण का अनेकों अवतारों में प्रकट होकर मनुष्यों क साथ तरह—तरह की लीलाएं करना ही 'सारावली' कार का प्रयोजन रहा है जिसका वर्णन 'सारावली' के अनेकों पद—बन्धों में किया गया, जा इस प्रकार है—'ये अनेक अवतार कृष्ण के को करि सके बखान।/सोई सूरदास ने वरने जो कहे व्यास पुरान।।'<sup>8</sup>

सूरदास जी पृथ्वी पर व्याप्त सभी चीजों को (यहाँ तक कि धूल को भी) कृष्णमय ही देखना चाहते हैं। जिसकी वर्णन उन्होंने 'सारावली' में इस प्रकार किया है—'तब हरि कहो जन्म मेरे, बहु बेद न पावै पार।/भुव की रज नम के सब तारे तितने हैं अवतार।।'<sup>9</sup> इस प्रकार सूरदास जी श्री वल्लभाचार्यकृत 'पुरुषोत्तम सहस्रनाम' के अनुरूप ही 'सारावली' की रचना करना चाहते थे। उनकी रचना का लक्ष्य श्रीकृष्ण को सर्वत्र देखना ही है। 'जित—जित देखो तुम परिपूर्न आदि अनन्त अखण्ड। लीला प्रकट देव पुरुषोत्तम व्यापक कोटि ब्रह्मण्ड।।' सूरदास जी श्रीहरि की अनन्त लीलाओं एवं उनके आध्यात्मिक चरित्र को प्रत्येक जन—जन तक पहुँचाना चाहते थे, क्योंकि भक्त की अपने आराध्य के प्रति आस्था होती ही है साथ ही वह यह भी चाहता है उसके आराध्य को अधिक से अधिक लोग समझे, उसके आलम्बनधर्म को समझकर महत्ता एवं मान्यता को शिरोधार्य करें। श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। सारावली का लक्ष्य है जन्ममरण के बन्धन से मुक्त होना और किर वापस भवसागर में न आना, इस प्रयोजन को लेकर सूर ने लिखा है—'सरस संवत्सर लीला गावैं जुगल चरन वित लावै। गरम बास बंदीखाने में सूर बहुरि नहिं आवै।।'

सूरसागर में जो हरिलीला गायी गयी है, वही संक्षेप में सूरसारावली में एक पृथक् शेली में लिखी गयी है। अतः सूर सारावली सूरसागर से भिन्न एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है। 'सारावली' और 'सूरसागर' भागवती समता को प्रकट करते हैं और साथ ही 'सारावली' के स्वतन्त्र अस्तित्व का समर्थन भी भागवत से होता है। 'सूरसागर' और 'सारावली' के कुछ साम्य के उदाहरण दृष्टव्य हैं—'निमिषारण आये बलजू जब सकल विप्र सिर नायो।/करी अवज्ञा कथा कहत द्विज अपने लोक पठायो।।'<sup>10</sup>/विनती करी बहुत विप्रन ने राम विप्र तुम मारेऽ।/तीरथ न्हाइ शुद्ध तन को करि हरि द्विज वचन विचारे।।<sup>10</sup>

सारावली के पदों में सागर के पद जैसा शैथिल्य नहीं है। सूरसागर में यह स्थल कथा की पूर्ति के लिए शीघ्रता में लिखा गया है। फिर भी भाव-साम्य दर्शनीय है : “रुक्मणि कहत कमल लौचन सों राधा हमें दिखायौ।/ जाके नित्य प्रशंसा तुम करि हम सबहिन कूँ सुनायौ।”<sup>11</sup> (सारावली) / कृति है रुक्मणि फिर इनमें की वृषभानु किशोरी। / नैंक हमें दिखरावहु अपने बालपन को जोरो। / जाके गुन गनि गुथत माल कबहु उतरे नहीं छोरी।।<sup>12</sup> (सूरसागर)

‘सूरसारावली’ की हरिलीला में विशय सम्बन्धी अद्भुत समता पाई जाती है, जो दोनों रचनाओं को एक ही कवि की कृतियाँ सिद्ध करती है।

‘सूरसारावली’ का ‘सूरसागर’ से सापेक्ष हरिलीला सम्बन्ध की पुष्टि ‘साहित्य लहरी’ के पदों द्वारा भी की जा सकती है। ‘साहित्य लहरी’ के पद भी इस बात की सप्रमाण पुरिट करते हैं ‘सारावली’ और ‘सूरसागर’ दोनों ही रचनाएं कवि सूर की हैं। ‘सूर-सारावली’ और ‘साहित्यलहरी’ का पद-साम्य द्रष्टव्य है—“सोकत कुज भवन में दोई।/ श्री वृषभानु कुमारि लाडिली नन्द नन्दन ब्रज भूषन सोई।।<sup>13</sup> (साहित्य लहरी) / ‘वृन्दावन हरि यहि विधि क्रीड़त सदा राधिका संग।/ भोर निसा कबहुँ नहिं जानत सदा रहत इक रंग।।<sup>14</sup> (सारावली)

‘सारावली’ के पदों में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है जो सूरसागर से अधिक हो और न किसी सिद्धान्त या तत्व का ही उनमें सार है, जो सूरसागरकार से कुछ विशेषता रखता हो। वस्तुतः सारावली में सूरसागर के ही विचारों का सार है।<sup>15</sup> ‘सारावली’ में सूरदास जी ने अपने पुष्टिमार्ग के सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण किया है। हरिलीला का रहस्य समझाया है। निकुजलीला और संवत्सर लीला का भी विवेचन किया है। हरिलीलाओं का वर्णन सूरसागर में नहीं किन्तु सूरसारावली में हुआ है। सूरसारावली सूर के रचनाधर्मी स्वरूप को भी उजागर करती है— “श्रीवल्लभ गुरु तत्व सुनायौ। लीलाभेद बतायौ।/ गुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रवीन।/ ता दिन ते हरिलीला गाई। एक लक्षपद बन्द।/ तको सार सूरसारावलि। गावत अति आनन्द।।” (सारावली)

सूरदास की हरिलीला सम्बन्धी, तीसरी प्रसिद्ध रचना साहित्य-लहरी है। लहरियाँ सागर की होती हैं। इसलिए ‘सागर’ से ही पसूत है। ‘साहित्य-लहरी’ के प्रथम संस्करण में साहित्य-लहरी की सर्जना का समय 109 वें पद इस प्रकार दिया गया है— पुनि पुनि रसनि के रस लेख। दसन गौरीनन्द को लिखि सुबल सम्बत पेख।।/ त्रितिय रिच्छ सुकर्मजोग विचारि सूर नवीन। नन्दनन्दनदास हित साहित्यलहरी कीन्ह।।

सूरदास के गोलोकवासी होते समय गा. विट्ठनाथ जी ने कहा था—“पुष्टि-मार्ग कौ जहाज जात है। जाय कछु लैनों हो सो लेउ।।” गोसाई जी के मुख से यह शब्द सुनते ही शोक-विभोर भक्तों की कुटी पर भीड़ लग गयी और उन्हें अनुभव होन लगा कि जिनकी आत्मा ने पुष्टिमार्गीय भाव-भावना को आत्मसात किया था, वह आज संसार से विदाई ले रहे हैं। गोसाई विट्ठलनाथ जी ने जब उनके मस्तक पर हाथ रखा तो मूर्खवस्था से थोड़े सचेत हुए और मुस्कराए। उस समय गोसाई जी ने उनसे पूछा कि सूरदास जी तुम्हारा मन कहाँ है? उन्होंने इस समय गाया—“खंजन नैन रूप-रस माते।/ अति से चारु चपल अनियारे, पल-पिंजरा न समाते।।/ चलि-चलि जात निकट स्वननि के, उलटि-उलटि तांटक-फंदा तै।/ ‘सूरदास’ अंजनगुण अटके, नतरु अबै उड़ि जाते।।<sup>16</sup>

सूरदास को आचार्य महाप्रभु ‘सागर’ कहा करते थे। नाभादास की ‘भक्तमाल’ के प्रसिद्ध टीकाकार ‘प्रियादास’ भी ‘सूरदास’ के इस नाम से परिचित थे। उन्होंने ‘भक्ति-रस बोधिनी’ में लिखा है—आये सूरसागर सो कही बड़े नागर हौ,/ कोऊ पद गावो, मेरी छाया न मिलाइये।।<sup>17</sup>

इस चरण में ‘सूरसागर’ नाम का प्रयोग ‘सूरदास’ के लिए ही किया गया है। इस नाम से सम्बन्ध में वार्ता प्रसंग में कहा गया है : “और सूरदास को जब श्री आचार्य जी देखते तब कहते जो—“आवौ सूर-सागर” सो ताकौ आशय यह है जो समुद्र में सगरे पदार्थ होते हैं, तैसे ही सूरदास ने सहस्रावधिपद किए हैं। तामे ज्ञान वैराग्य के न्यारे-न्यारे भक्ति-भेद अनेक भगवदअवतार सो तिन सबन की लीला को बरनन कियो है।।<sup>18</sup> इससे विदित होता है कि सूरदास का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने ‘सूरसागर’ रखा और यही नाम उनकी कृति का हो गया।

**भागवती लीला :** गुरुद्वार पर जब महाप्रभु वल्लभाचार्य से सूरदास को ब्रह्मसम्बन्ध प्राप्त हुआ, तब से उनके पद गायन में और गति आयी। आचार्य महाप्रभु ने उन्होंने श्रीमद्भागवत दशम स्कन्ध की अनुक्रमणिका सुनाकर भागवत लीलाओं का स्वतः स्फुरण करा दिया था। वार्ता में उल्लेख है कि श्री वल्लभाचार्य के शिष्य होने के पूर्व तक सूरदास विरह, विनय आदि के पदों को गायन किया करते थे। किंवदन्ती के अनुसार जब श्री आचार्य जी ने कृपापूर्वक सूरदास को नाम सुनाया, बाद में दशमस्कन्ध की अनुक्रमणिका सूरदास को सुनायी और सुवोधिनी का ज्ञान श्री आचार्य जी ने सूरदास के हृदय में स्थापित किया, तब से भागवत लीला और रास-विलास की जो झाँकी देखते थे, उसे अपने शब्दों में बाँधकर भगवान के सामने अर्पित कर देते थे। ऐसे पदों में उनकी भक्ति-भावना अनेक रूपों में दिखाई पड़ती है। उनके द्वारा कितने पदों का निर्माण हुआ, कौन जान सकता है—“तादिनते हरिलीला गाई एक लक्ष पद बन्द।।” “भरोसो दृढ़ इन चरनन केरो।।<sup>19</sup> लिखकर सूर ने ब्रजलीला में गुरु का महत्व प्रतिपादित किया है। इसका रहस्य यह है कि अन्तिम समय तक सूरदास जी ने अपने गुरुदेव श्रीवल्लभाचार्य के सम्बन्ध में एक भी पद का गान नहीं किया था। वे स्वकीय शुद्धद्वैत की भावना से हरि और गुरु में कोई भी भेद नहीं समझते थे।<sup>20</sup>

सूरसागर के रूप में श्रीमद्भागवत की सम्पूर्ण हरिलीला के समावेश की कल्पना काम कर रही थी। सम्भवतः उसी का प्रतिफलन “व्यास कह्यो सुकदेव सों श्री भागवत बखानि” के रूप में हुआ और सूरसागर का सारा ढाँचा स्कन्धात्मक कर दिया गया। स्कन्धात्मक सूरसागर से इस कल्पना की पुरिट होती है। सूरसागर के प्रथम स्कन्ध में—“श्री मुख चारि श्लोक दिय ब्रह्मा को समुझाइ।/ ब्रह्मा नारदसों कहे नारद व्यास सुनाइ।।/ व्यास कहे सुकदेवसो द्वादश स्कन्ध बनाइ।/ सूरदास सोई कहे पद भाषा करि गाइ।।<sup>21</sup>

'भागवत' की भाँति 'सूरसागर' की कथावस्तु भी द्वादश स्कन्धों में विभक्त है तथा स्थान-स्थान पर स्वयं कवि ने 'भागवत' के अनुसार लीला-वर्णन करने की सूचना दी है—“सूर कहो, क्यों कहि सकै जन्म—कर्म अवतार। / कहै कछुक गुरु—कृपा तैं, श्री भागवताऽनुसार।”<sup>22</sup> सूर इस तथ्य की परिपुष्टि भी करते हैं—“सुकदेव कह्यौ जाहि परकार। सर कह्यौ ताही अनुसार।”<sup>23</sup>

हरिलीला रसमयी है और लीलारस ही आनन्द है, इसलिए कवि अपनी स्वयंभू रिथ्रिति में जब शब्द का प्रयोग करता है, तो उसका भी सृजन बोध रसमय होता है। सूरदास की काव्य विशेषता यही है कि वह समाधि में होते हुए, उन समस्त लीला परम्पराओं के उत्तराधिकारी दायित्व को भी निभाता है। अपनी आस्था, अपनी दृष्टि और सम्पूर्ण रचना-प्रक्रिया को तात्त्विक दृष्टि देकर वल्लभ सम्प्रदाय की गूढ़ आध्यात्मिक अनुभूतियों को सूरदास ने व्यक्त किया है। अनुभूति की अतृप्ति सूरदास को भी है इस प्रकार अपनी नितान्त सौन्दर्यात्मक अनुभूति के क्षणों में भी वह उस आध्यात्मिक दृष्टि को भी साझीदार बनाकर चले हैं और भागवती हरिलीला का गान भी किया है।

#### सन्दर्भ :

1. सूरसागर दशम स्कन्ध, 482
2. सूरसागर, पृ० 1174 आदि
3. वही, 10-1103
4. तबतें इन सबहिन सचु पायौ। सूरसागर 4759
5. हरि त्रिलोकपति पूरन—कामी। घट—घट व्यापक अन्तरजामी। ब्रज—जुवतिन कौ हेत विचार्यौ। जमुनाकै जट खेल पसार्यौ॥। सूरसागर, 2017
6. दश्टा कुमुदन्तमखण्डमंडनं रमाननामं नवकुंकुमारुणाभ। वनं च तत्कोमलगोऽभिरजित जगौ कलं वादमदृशां मनोहरम्॥। श्रीमद्भागवत 10 / 29 / 3
7. वही, छन्द संख्या—353
8. वही, छन्द संख्या—609
9. सूरसारावली—छन्द 829
10. वही, छन्द संख्या—935
11. वही, छन्द — 719
12. सूरसागर, पद— 16, पृ० 591
13. साहित्य—लहरी, पद—64
14. सारावली, छन्द —1096
15. सर निर्णय, द्वितीय संस्करण, पृ० 111
16. सूरसागर, पद—67
17. भक्तमाल मूल छप्य सं० 81, 'भक्तिरस बोधिनी' टीका छन्द सं० 346 (सर्वेश्वर' वृन्दावन से प्रकाशित 'भक्तमाल', पृ० 534)
18. प्रचीन वार्ता रहस्य, सूरदास, पृ० 23
19. सूरसागर की भूमिका, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, विक्रम परिषद् वाराणसी, (सं० 1697 की वार्ता और भावप्रकाश, कौकरौली), पृ० 105
20. सूरसागर की भूमिका, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, विक्रम परिषद् वाराणसी, 3094
21. सूरसागर, सभा सं० पद—225
22. वही, स्कन्ध—2, पद—379
23. सूरसागर, स्कन्ध—3, पद—387

## नूरजहाँ बेगम का मुगल दरबार प्रभाव

### डॉ० सत्य नारायण सिंह\*

\*पूर्व शोध छात्र, इतिहास विभाग, आरओआरओपीओजी कॉलेज, अमेठी

**सारांश :** भारत का इतिहास महात्वाकांक्षी महिलाओं के कार्यों से भरा हुआ है। उन्होंने समय-समय पर भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्तों को प्रभावित किया है जहाँगीर के समय भी कई महिलाओं ने मुगल राजनीति को प्रभावित किया जिसके मानवाई, सलीमा बेगम और नूरजहाँ के नाम प्रमुख हैं। मुगल इतिहास में नूरजहाँ की तरह आकर्षक, समझदार और बुद्धिमान महिला कोई नहीं थी उसके प्रगतिशील विचारों का प्रभाव भावी पीढ़ियों पर पड़ा।

**मुख्य शब्द :** सांस्कृतिक, परिंश्या, अलगाव, सिंहासनारोहण, प्रगतिशील विचार आदि।

नूरजहाँ के पूर्वज परिंश्या के सफवी राजा के यहाँ उच्च पद पर थे। नूरजहाँ के पिता मिर्जा गियास बेग ने 1577 ई० में फारस से भारत के लिये प्रस्थान किया। उसके साथ उसकी गर्भवती पत्नी अस्मत बेगम थी। रास्ते में उन्होंने एक सुन्दर कन्या को जन्म दिया। मिर्जा गियास बेग के पास पहले से ही बहुत अधिक सामान था अतः उसके मन में विचार आया कि वह अपनी पुत्री को रेंगिस्तान में ही वही छोड़ दे।<sup>1</sup> मिर्जा गियास बेग को क्या पता था कि उसकी जो बच्ची खतरों और गरीबी के बीच पैदा हुई वह एक दिन भारत की साम्राज्ञी बनेगी। लेनपूल ने लिखा है कि – “मौं ने अपनी बच्ची को चूमा और अपने पति के हाथों में सोप दिया मिर्जा गियास बेग ने उसे पत्तियों से ढक दिया और भगवान के भरोसे छोड़ कर पुनः यात्रा प्रारम्भ की।<sup>2</sup> अभी वे कुछ ही कदम आगे गये थे अस्मत बेगम बच्ची से अलगाव सहन नहीं कर पा रही थी लेनपूल ने आगे लिखा है कि— बच्ची के राने की आवाज सुनकर दोनों लौट आये और पत्तियों को हटाकर देखा कि एक सांप उसके पास बैठा था उन्होंने बच्ची को वापस उठा लिया और उसको साथ लेकर यात्रा करने लगे।<sup>3</sup>

मिर्जा गियास बेग 1579 ई० में अपने परिवार के साथ अकबर के दरबार में अफगान सरदार मलिक मसूद के साथ फतेहपुर सिकरी पहुँचा<sup>4</sup> 11 मार्च 1579 ई० को नौरोज का उत्सव और अकबर के सिंहासनारोहण का 24 वाँ वर्षा था। अकबर को कीमती धातुओं और महँगी वस्तुओं से तौला गया मिर्जा गियास बेग ने भी अशिर्कियों से भरी चाँदी की पेटी भेट की। अकबर उससे बहुत प्रभावित हुआ टोडरमल को आदेश दिया कि मिर्जा गियास बेग को कोई जिम्मेदारी का कार्य सौंपे।<sup>5</sup> मिर्जा गियास बेग ने अपनी बच्ची का नाम मेहरुन्निशा रखा जिसका अर्थ होता है— ‘औरतों का सूरज’। उसके भाग्य से उसे आगरा, काबुल और फतेहपुर में शाही सम्मान प्राप्त हुआ। मेहरुन्निशा बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की थी उसे मौलवी द्वारा धार्मिक शिक्षा दिलवायी, जब वह पन्द्रह वर्ष की थी तब उसने इतिहास फारसी की शिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ किया<sup>6</sup> वह सुन्दर कविताएँ, गीत और छन्द लिखती थी। वह पेट्टिंग करने में भी निपुण थी। उसने पहली पेट्टिंग 13 वर्ष की आयु में बनायी थी यह नौरोज उत्सव का चित्र था उसकी प्रशंसा मशहूर चित्रकार उस्ताद अब्दुल समद ने की थी। उसे संगीत बहुत बहुत प्रिय था वह तानसेन एवं अन्य संगीतज्ञों को सुनने जाया करती थी उसे प्रकृति से बहुत लगाव था वह अपनी सरलता और साहित्यिक योग्यता से सभी को प्रभावित करती थी।<sup>7</sup>

मेहरुन्निशा की माँ अस्मत बेगम उसे सिलाई, कढाई, नये परिधान बनाना तथा फारसी शैली के जरी के कार्यों को सिखाती थी<sup>8</sup> मिर्जा गियास बेग ने बादशाह अकबर की अनुमति से मेहरुन्निशा का विवाह फारसी नौजवान अलीकुली इस्ताजलु से 27 जून 1595 ई० को धूमधाम से सम्पन्न किया।<sup>9</sup> 1599 ई० में मेवाड़ अभियान के समय अलीकुली ने एक शेर को एक हथ से मार दिया था। इसी समय शहजादा शलीम से उसे ‘शेर अफगान’ की उपाधि प्रदान की थी।

9 अप्रैल 1607 ई० को शेर अफगान की हत्या के उपरान्त मेहरुन्निशा और उसकी पुत्र लाडली बेगम को आगरा पहुँचा दिया गया उसने हरम की लड़कियों को कुरान एवं साहित्य की शिक्षा देना प्रारम्भ कर दिया।<sup>10</sup> मुगल खानदान की महिलायें उसके कमरे में चारों तरफ से बैठकर सिलाई, कढाई, बुनाई तथा विभिन्न प्रकार की डिजाइन सीखा करती थी।<sup>11</sup> मेहरुन्निशा को जरी एवं किमखाब की कढाई में शीघ्र ही मशहूर कर दिया। वह सिल्क और कढाई पर पेट्टिंग भी करती थी और उसे मीना बाजार में महिलाओं को बेचा करती थी। मीना बाजार में ही जहाँगीर ने मेहरुन्निशा को देखा और उसपर आसक्त होगया। 25 मई 1611 ई० को जहाँगीर ने मेहरुन्निशा से विवाह कर लिया।<sup>12</sup> विवाह के समय मेहरुन्निशा की उम्र 34 वर्ष तथा जहाँगीर 42 वर्ष का था। विवाह के बाद जहाँगीर ने उसे ‘नूरमहल’ तथा पांच वर्ष बाद 1616 ई० में उसे ‘नूरजहाँ’ की उपाधि प्रदान की।<sup>13</sup> 1622 ई० में उसे ‘पादशाह बेगम’ या हरम की प्रथम महिला का खिताब प्रदान किया गया।

नूरजहाँ को भारतीय राजाओं और विदेशी व्यापारियों से भी ढेर सारे उपहार मिलते थे। जहाँगीर ने उसे सबसे बड़ी जागीर रामसर थी। उसे सूरत से आगरा मार्ग पर लगभग 2 लाख रुपये रुपये की वार्षिक आय होती थी।<sup>14</sup> नूरजहाँ के प्रभावशाली दिनों को दो भागों में बाँटा जा सकता है, पहला 1611 ई० से 1622 ई० तक जिसमें ‘नूरजहाँ गुट’ के सदस्य गियास बेग, आसफखाँ और खुर्रम नूरजहाँ की महात्वाकांक्षा पर नियन्त्रण रखे थे। किन्तु दूसरे काल (1622 ई० से 1627 ई०) में जहाँगीर पूरी तरह नूरजहाँ पर निर्भर था। नूरजहाँ ने राज्य की समस्त प्रशासनिक शक्तियों को अपने हाथों में केन्द्रित कर लिया। विदेशी इतिहासकारों पेट्रोडेला वेल, बर्नियर तथा मनूची ने भी नूरजहाँ के प्रभाव के विषय में लिखा है।

डॉ० सी० पन्त ने लिखा है कि 1611 ई० के बाद जहाँगीर का युग वास्तविक रूप से नूरजहाँ का युग था।<sup>15</sup> नूरजहाँ के विवाह के बाद उसके परिवार के सदस्यों का सम्मान एवं महत्व दाबार में बढ़ने लगा। उनकी शक्ति एवं अधिकार में अद्वितीय वृद्धि हुयी। जब नूरजहाँ को जहाँगीर की मुख्य पत्नी होने का दर्जा प्राप्त हुआ जो उसने अपने पिता को एतमाद उद्दौला की उपाधि दिलवाते हुये उसे प्रधानमन्त्री नियुक्त करवाया और अपनी माता अस्मत बेगम को हरम की प्रथम महिला होने का गौरव प्रदान किया।<sup>16</sup> उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिये अपने भाई आसफ खाँ की पुत्री अर्जुमन्द बानो बेगम का विवाह शहजादा खुर्रम से करवाया जो शाहजहाँ के नाम से बादशाह बना। इस विवाह से भले ही उसकी प्रति”ठा में वृद्धि हुयी हो किन्तु वह इस विवाह से खुश नहीं थी क्यों कि वह खुर्रम से अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह करना चाहती थी। खुर्रम अर्जुमन्द बानो बेगम से बहुत प्यार करता था अतः उसने नूरजहाँ के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।<sup>17</sup>

नूरजहाँ के विषय में सर टामस रो महोदय ने लिखा है कि नूर महल राजकीय कार्यों को देखने के लिये पूरी तरह से योग्य थी वह केवल प्रशासनिक नियन्त्रण ही नहीं स्थापित करती थी बल्कि व्यापार एवं वैदेशिक मामलों में भी स्वयं ही नियन्त्रण रखती थी।<sup>18</sup> राज्य का कोई भी कार्य बिना नूरजहाँ की सलाह लिये नहीं होता था जहाँगीर भी उसके निर्णयों का विरोध नहीं करता था। वस्तुतः नूरजहाँ के किसी भी कार्य को जहाँगीर ने मना नहीं किया अपितु उसके हाथ में सामृज्य की बागड़ोर द दी। शाही फरमान और नियुक्तियाँ तब तक वैध नहीं मानी जाती थी जब तक कि नूरजहाँ उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर देती थी।<sup>19</sup> नूरजहाँ का प्रभाव अब इतना बढ़ चुका था कि उसका नाम सिक्कों पर भी लिखा जाने लगा था। सिक्के सोने के होते थे जिन पर राशि चक्र बने होते थे।

नूरजहाँ ‘झरोखा दर्शन’ भी दिया करती थी वह जनता की समस्याओं को भी सुनती थी और उनका निस्तारण भी किया करती थी।<sup>20</sup> वैसे झरोखा दर्शन देने का अधिकार बादशाह का हुआ करता था। किन्तु जहाँगीर ने उसे यह अधिकार प्रदान किया था। शाही फरमान भी उसी की अनुमति एवं हस्ताक्षर से जारी किये जाते थे। उसने जागीर दारों के लिये भी अनेक नियम स्वयं बनाये थे और मनसवदारों की नियुक्तियाँ भी उसी के हस्ताक्षर से की जाती थी। वे उसी के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे।<sup>21</sup> उसने कुछ फरमान सन् 1617 ई० एवं 1618 ई० में जारी किये थे इन शाही फरमानों पर नूरजहाँ बेगम के नाम लिखे हुये हैं। जैसे—नवाब मोहम्मद उलिया या मोहम्मद उलिया आदि।<sup>22</sup>

नूरजहाँ केवल राजनीतिक हस्तक्षेप ही नहीं करती थी बल्कि वह एक योग्य एवं कुशल प्रशासक भी थी। उसे व्यक्तियों की अच्छी परख थी और किसी भी मामले का निस्तारण बहुत ही सूझबूझ से किया करती थी। कठोर पर्दा प्रथा भी उसे धूंघट के पीछे नहीं रख सकी वह दरबार में बिना पर्दा किये हुए जाया करती थी।

नूरजहाँ ने जहाँगीर के समय में सर्वोच्च सत्ता का लाभ लिया था किन्तु उसे भय था कि यदि खुर्रम बादशाह बना तो उसके सार अधिकार छिन जायेंगे। नूरजहाँ ने अपनी पुत्री का विवाह खुर्रम से करना चाहा किन्तु उसके मना करने पर उसने लाडली बेगम का विवाह शहरयार से कर दिया। नूरजहाँ अब मन ही मन खुर्रम से ईर्या करने लगी और अपने दामाद शहरयार की तरफ ध्यान केन्द्रित करने लगी। नूरजहाँ अब खुर्रम के स्थान पर शहरयार को बादशाह का उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास करने लगी क्योंकि उसके विवाह स्थान था कि यदि शहरयार बादशाह बनेगा तो वह शासन सत्ता का भरपूर लाभ उठा सकेगी और एक शासिका के रूप में कार्य करती रहेगी।

नूरजहाँ ने खुर्रम को दिल्ली से दूर रखने का प्रयास किया। उसनले पहले खुर्रम को दक्षिण अभियान पर रखा बाद में उसे कन्धार भेजने का प्रयास किया किन्तु खुर्रम जानता था कि यदि वह कन्धार चला जायेगा तो नूरजहाँ सम्राट पर दबाव डालकर शहरयार को उसका उत्तराधिकारी घोषित करवा देगी। वह जानता था कि यदि कन्धार जीतने में असफल हुआ तो उसकी वदनामी होगी।<sup>23</sup> सम्राट जहाँगीर ने प्रधानमंत्री एतमादउद्दौला की मृत्यु के बाद उसके शासन तथा दफतर से सम्बन्धित समस्त अधिकार नूरजहाँ को प्रदान कर दिये गये और आदेश दिया गया कि नूरजहाँ के नगाड़े और शहनाई बादशाह के बाद बजाय जायें। महावत खाँ जैसे अमीर किसी नारी को इतना ऊँचा पद दिये जाने से काफी नाराज थे। स्वयं खुर्रम भी असंतु<sup>24</sup> था और नूरजहाँ की इस प्रकार की पदोन्नति से काफी चिंतित था।

नूरजहाँ की महात्वाकाङ्क्षा को देखकर खुर्रम ने विद्रोह कर दिया किन्तु नूरजहाँ की सूझबूझ से विद्रोह को दबा दिया गया जिससे महावत खाँ जैसे सैन्य अधिकारी का बहुत बड़ा योगदान था। खुर्रम के विद्रोह के बाद नूरजहाँ ने महावत खाँ की शक्ति को कम करने का प्रयास किया किन्तु महावत खाँ ने इसे अपना अपमान समझते हुये विद्रोह करने का निश्चय किया। अपने सम्मान को बचाने के लिये महावत खाँ ने विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया वह करीब 5000 राजपूतों के साथ दरबार की ओर चल पड़ा।<sup>25</sup>

महावत खाँ ने बादशाह जहाँगीर को नजरबन्द कर लिया और नूरजहाँ के वैभव को पूरीतरह समाप्त करने में सफल हुआ। महावत खाँ की नजरबन्दी में यद्यपि सम्राट को आजादी थी किन्तु सम्राट और नूरजहाँ दोनों के लिये यह अपमान जनक था कि अपने एक मनसवदार की देख रेख में रहे। नूरजहाँ के कूटनीतिक प्रयास से महावत खाँ का ‘रोमांचकारी विज्ञव’ लगामग 100 दिनों के बाद समाप्त हो गया।

28 अक्टूबर 1627 ई० को कश्मीर से लौटते समय मार्ग मे राजौरी में जहाँगीर की मृत्यु हो गयी। पति की मृत्यु के बाद नूरजहाँ का साथ सभी ने छोड़ दिया जिस भाई आसफ खाँ की उसने अपनी मर्यादा के बाहर सहायता की थी उसने स्वर्गीय बादशाह के दफन की रस्म में किसी प्रकार की शिरकत नहीं की। उसने नूरजहाँ के निवास पर कड़ा पहरा लगा दिया। उसका किसी से मिलना अथवा पत्र व्यवहार बन्द था महावत खाँ को निर्देश दिया कि अपनी पूरी शक्ति शाहजहाँ के पक्ष में लगादे। नूरजहाँ ने अपने दामाद को बादशाह बनाने का असफल प्रयास किया। आसफ खाँ अमीरों की मदद से 6 फरवरी 1628 ई० को

बादशाह बनवाने में सफल रहा<sup>26</sup> शाहजहाँ ने नूरजहाँ बेगम को 2 लाख वार्षिक पेंशन प्रदान की और लाहौर में रहने की अनुमति प्रदान की जहाँ रहते हुये 1645 ई० में उसकी मृत्यु हो गयी।

#### सन्दर्भ :

1. नूरजहाँ एण्ड जहाँगीर—काउन्टर, एलफिन्स्टन एण्ड लेनपूल, कलकत्ता, 150, पृ० 5
2. वही, पृ० 6
3. वही पृ० 7-8,
4. हिस्ट्री ऑफ जहाँगीर—डॉ० बेनी प्रसाद सक्सेना, मद्रास, 1922, पृ० 157
5. मासिर—उल—उमरा— शाहनवाज खान, अनुवादक— एच बेवरीज और डॉ० बेनी प्रसाद सक्सेना, जिल्द—1 कलकत्ता 1941, पृ० 29
6. मुन्तखब—उल—लुवाब— खाफी खान, जिल्द—2, पृ० 832
7. वही, पृ० 832
8. हिस्ट्री ऑफ जहाँगीर—डॉ० बेनी प्रसाद सक्सेना, मद्रास 1922, पृ० 157
9. तुजुक—ए—जहाँगीर— बेवरीज एण्ड रोजर्स जिल्द—1 लन्दन 1919, नई दिल्ली, 1978, पृ० 113-114
10. हिस्ट्री ऑफ जहाँगीर— डॉ० बेनीप्रसाद सक्सेना, मद्रास 1922, पृ० 117
11. ट्रेवेल्स इन द मुगल एम्पायर—बर्नियर (1646-68) आक्सफोर्ड, 1934, पृ० 5
12. अर्ली ट्रेवेल्स इन इण्डिया—डब्ल्यू फास्टर, लन्दन 1921, पृ० 279
13. तुजुक—ए—जहाँगीर— जहाँगीर, अनुवादक—बेवरीज एण्ड रोजर्स, जिल्द—1 लन्दन, 1919, पृ० 319
14. जहाँगीरस इण्डिया— फ्रांसिस्को पेल्सट, अनुवादक डब्ल्यू०एच०मोरलेण्ड एण्ड पी०गेल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1925, रिप्रिट नई दिल्ली, 1972, पृ० 4
15. इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया अन्डर द मुगल्स—सी पन्त, दिल्ली 1990, पृ० 255
16. तुजुक—ए—जहाँगीरी— जहाँगीर, अनुवादक बेवरीज एण्ड रोजर्स, जिल्द—2 लन्दन, 1919, पृ० 266
17. जहाँगीरस इण्डिया— अनुवादक — मोरलैण्ड एण्ड गेल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, 1925, पृ० 50
18. दि एम्बेसी आफ सर टामस रो टू दि कोर्ट आफ ग्रेट मुगल—सम्पादक डब्ल्यू फास्टर, जिल्द—2 लंदन, 1899, पृ० 325
19. जहाँगीरस इण्डिया— फ्रांसिस्को पेल्सट, अनुवादक डब्ल्यू०एच०मोरलेण्ड एण्ड पी०गेल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1925, रिप्रिट नई दिल्ली, 1972, पृ० 53
20. हिस्ट्री ऑफ जहाँगीर— डॉ० बेनीप्रसाद सक्सेना, मद्रास, 1922, पृ० 193
21. मुगल फरमान्स—कै०पी०० श्रीवारत्न, जिल्द—1 लखनऊ, 1974, पृ० 24-26
22. वही — पृ० 29,30
23. हिस्ट्री ऑफ जहाँगीर— डॉ० बेनीप्रसाद सक्सेना, मद्रास, 1922, पृ० 117
24. राइज एण्ड फाल आफ ऑफ दि मुगल एम्पायर— डॉ० आर०पी० त्रिपाठी, इलाहाबाद, 1955, पृ० 309
25. फत—नामा—ए नूरजहाँ बेगम— मुल्लाकामी सिराजी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, पृ० 8
26. हिस्ट्री ऑफ जहाँगीर— डॉ० बेनीप्रसाद सक्सेना, मद्रास, 1922, पृ० 59

## विश्व व्यवस्था का सिद्धांत : इमैनुअल वालरस्टीन के विचारों के आधार पर समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ रजनीश\*

\*असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र), राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चुनार, मिर्जापुर, उत्तरप्रदेश

**सारांश :** यह अध्ययन विश्व व्यवस्था का सिद्धांत : इमैनुअल वालरस्टीन के विचारों के आधार पर समाजशास्त्रीय विश्लेषण को रखाकित करता है। यह शोध पत्र अन्वेषणात्मक एवं विवरणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है। इस शोधपत्र के माध्यम से विकसित और विकासशील देशों के बीच जो अंतर्विरोध है उसको उजागर करके कैसे विकासशील देश विकसित देशों से मुक्त हो उसको उपाय वालरस्टीन के माध्यम से समाधान के रूप में प्रस्तुत करने का एक संक्षिप्त प्रयास है। यह अध्ययन पूर्व के अध्ययनों से अलग है तथा अध्ययन विषय एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं।

**मुख्य शब्द :** विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, उपनिवेशवाद, विकासशील राष्ट्र, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था, वैश्विक आर्थिक प्रणाली आदि।

अमेरिकन समाजशास्त्री इमैनुअल वालरस्टीन ने अपनी पुस्तक "Modern World System" (1974–1989 Three Volumes) में विश्व व्यवस्था के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, आप पर मुख्य रूप से मार्क्सवादी दृष्टिकोण, फ्रांसीसी इतिहासकार फरनंद ब्राइडल के विचारों तथा अफ्रीका के उपनिवेशवाद और विकासशील राष्ट्रों की स्थिति का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। "विश्व व्यवस्था के सिद्धांत" के आधार पर ही वालरस्टीन ने आश्रितता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है जिसके अंतर्गत पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के विकसित देशों (केंद्र) तथा अल्प विकसित देशों (परिधि) के मध्य आर्थिक और राजनीतिक संबंधों की व्यवस्था को केंद्र-परिधि के सिद्धांत के रूप में विश्लेषित किया है—

वालरस्टीन ने आश्रितता को तीन रूपों में व्यक्त किया है — (1) केंद्र (2) परिधि एवं (3) अर्ध परिधि

**केंद्र :** केंद्र का अर्थ अर्थ विकसित देशों से लगाया जाता है जो कि अल्प विकसित देशों अर्थात् परिधि पर प्रभुत्व जमाते हैं।

**परिधि :** परिधि का अर्थ अल्पविकसित देशों से है जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के गरीब देश हैं।

**अर्ध परिधि :** अर्ध परिधि के देश वे देश हैं जो केंद्र और परिधि दोनों के मिश्रण होते हैं।

इमैनुवेल वालरस्टीन के विश्व व्यवस्था सिद्धांत के आधार पर आश्रितता के सिद्धांत का विश्लेषण वालरस्टीन ने अपनी पुस्तक "Modern World System" (1974) में विश्व व्यवस्था के सिद्धांत के द्वारा आश्रितता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है जिसके अंतर्गत केंद्र (विकसित देश) परिधि (अल्प विकसित देश) तथा अर्ध परिधि (केंद्र और परिधि का मिश्रण) के देशों की अर्थव्यवस्था (पूँजीवादी प्रणाली) का विश्लेषण है जिसे बिंदुवार विश्लेषित किया जा सकता है:

(1) **आश्रितता सिद्धांत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :** आश्रितता सिद्धांत के प्रमुख विचारों को ए.जी. फ्रैंक, वालरस्टीन पाल वरान, पाल स्वीजी, हैरी मेडगाफ और समीर अमीन हैं, वालरस्टीन ने आश्रितता के सिद्धांत को समझाने के लिए सर्वप्रथम इसके ऐतिहासिक कारणों का अध्ययन किया है—

1. **1450 ईस्वी से 1670 तक :** वालरस्टीन ने वैश्विक आर्थिक प्रणाली का उदगम 1450 ईस्वी से 1670 के मध्य घटनाक्रमों को माना है। इसीलिए उन्होंने इसे 'द लांग सिस्टीथ सेंचुरी' की संज्ञा दी है। वालरस्टीन का कहना है कि इस काल में पश्चिमी यूरोप में सामंती दौर था जहां सामंती प्रथा और कृषि दोनों में गिरावट प्रारंभ हुई।
2. **16 वीं सदी में यूरोप :** कृषि में गिरावट के फलस्वरूप 16वीं सदी में यूरोप में पूँजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था प्रारंभ हुई जिसमें नई उत्पादन प्रणाली विकसित हुई और पूँजीपतियों और उत्पादक को अत्यधिक लाभ हुआ और पूँजीवाद एक चतुर शक्ति के रूप में उभरा और यूरोपीय राज्य आर्थिक व्यवस्था के ताकतवर राज्य बनकर उभरे, जिसमें को इन यूरोपीय राज्यों में फ्रांस, इंग्लैंड और हालैंड 'केंद्र' की भूमिका में आए और इन्होंने ही अल्प विकसित देशों जैसे लैटिन अमेरिका और पूर्वी यूरोप से कच्चे माल, सस्ते मजदूर, सस्ते किसान प्राप्त करने लगे और इसी आधार पर विकसित देशों ने अल्पविकसित देशों का शाषण आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक आधार पर करने लगे। वालरस्टीन ने इन अल्पविकसित देशों को ही परिधि (छोर) की संज्ञा दी है।
3. **18 वीं सदी :** वालरस्टीन का कहना है कि यूरोपियन राज्य 18 वीं सदी तक आर्थिक रूप से और ताकतवर होते गए। साथ ही इन केंद्र के देशों न अल्प विकसित देशों का शोषण भी अधिक करते गए और धीरे-धीरे यूरोप में औद्योगिकरण, नगरीकरण और आधुनिकीकरण का विकास भी तीव्र गति से होता गया।
4. **19वीं एवं बीसवीं सदी :** का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक राष्ट्रों का उदय हुआ जबकि विकसित राष्ट्र (केंद्र) और शक्तिशाली हुए और गरीब देश एशिया, अफ्रीका और वालरस्टीन तीसरी दुनिया के देश (परिधि) विकसित राष्ट्रों पर और अधिक आश्रित होते गए। वालरस्टीन आगे कहते हैं कि 1970 के दशक तक अल्प विकसित देश राष्ट्र निर्माण, व्यापार, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मुख्यों पर भी विकसित राष्ट्रों पर निर्भर रहें। विश्व व्यवस्था की पूँजीवादी प्रणाली 20 वीं सदी में भी उसी गति से चल रही है जिसे खत्म करने की आवश्यकता है।

**वालरस्टीन और हापकिंस (2002) का तर्क है कि विकास की अवधि 1945 से 2025 तक विश्व संक्रमण काल में रहेगा जिसमें 6 मुख्य बातें होंगी –**

1. **अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था :** अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण दुनिया एक ग्लोबल संबद्धता के रूप में अपनी पहचान बनाएगी।
2. **उत्पादन में वृद्धि :** उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि होगी और अत्यधिक जनसंख्या वाले देशों में अपनी वस्तुओं के लिए बाजार तराशा जाएगा।
3. **श्रम शक्ति का महत्व :** विश्व व्यवस्था में श्रम शक्ति का महत्व भी बढ़ेगा और श्रम महंगा होगा परंतु गरीब देश श्रम बाजार के रूप में विकसित होंगे।
4. **मानव कल्याण मॉडल :** वालरस्टीन कहते हैं कि वैश्विक स्तर पर मानव कल्याण का मॉडल भी प्रस्तुत होगा।
5. **तकनीकी ज्ञान में वृद्धि :** जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा दुनिया में तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होगी।
6. **राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएँ :** समय के साथ राज्यों की जो राष्ट्रीय समस्या है वह भी अत्यधिक बढ़ेगी।

**2. पूँजीवादी विश्व व्यवस्था :** वालरस्टोन ने स्पष्ट किया है कि आधुनिक सामाजिक व्यवस्था पूँजीवादी विश्व व्यवस्था के रूप में है जिसका प्रमुख आधार आर्थिक प्रभुत्व पर आधारित है।

**3. केंद्र परिधि और अर्ध-परिधि के मध्य संबंधों का विश्लेषण :** विश्व व्यवस्था का सिद्धांत मुख्य रूप से केंद्र (विकसित देशों) आर परिधि (अल्प विकसित देशों) के मध्य आर्थिक और राजनीतिक संबंधों की व्यवस्था है जिसमें विकसित देशों पर अल्पविकसित देश आश्रित रहते हैं। वहीं पर अर्ध परिधि के देश हैं जो कि दोनों (केंद्र परिधि) का मिश्रण होते हैं तथा दोनों से जुड़कर आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं।

**4. विकसित देशों (केन्द्र) का औद्योगिक उत्पादन पर प्रभुत्व :** विकसित देशों का औद्योगिक उत्पादन पर प्रभुत्व रहता है तथा अल्प विकसित देशों से कच्चे माल, सस्ते मजदूर इनको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।

**5. पूँजीवाद का विकास राष्ट्र की अपेक्षा वैश्विक स्तर पर :** वालरस्टीन का कहना है कि विश्व व्यवस्था में पूँजीवाद का विकास राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा वैश्विक स्तर पर होता है वालरस्टीन का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी मुद्दे इससे प्रभावित होते हैं।

**6. राजनीति की अपेक्षा अर्थव्यवस्था को महत्व :** वालरस्टीन का कहना है कि विश्व व्यवस्था में राजनीति को कम महत्व दिया जाता है बल्कि अर्थव्यवस्था को विशेष महत्व दिया जाता है।

**7. सामाजिक विज्ञानों का समन्वय :** वालरस्टीन ने सामाजिक विज्ञानों को अलग-अलग विभागीकरण की आलोचना की है अर्थात् समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदि सभी विषयों को एक होना चाहिए।

**पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का अंत :** वालरस्टीन का कहना है कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की शोषणकारी नीति का अंत संभव है और इसका अंत चार कारणों से होगा—

1. **आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन :** वालरस्टीन का कहना है कि केंद्र और परिधि (छोर) के देशों में उत्पादन संबंधी फर्म के निर्णयों में अंतर्विरोध है इससे मांग और पूर्ति का असंतुलन बना हुआ है, जिसके कारण पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का अंत हो जाएगा।
2. **पूँजीपतियों की लाभ लेने (मुनाफा) की प्रवृत्ति :** वालरस्टोन का कहना है कि पूँजीपतियों में अधिशेष मूल्य या अतिरिक्त मूल्य के द्वारा मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति पाई जाती है जबकि अधिशेष मूल्य का पुनर्वितरण होना चाहिए।
3. **राज्यों द्वारा पूँजीपतियों को वैधता :** तीसरा अंतर्विरोध राज्यों द्वारा पूँजीपतियों को अत्यधिक महत्व प्रदान करना है वालरस्टीन का कहना है कि इसके कारण भी अर्थव्यवस्था का पतन होगा।
4. **वैश्विक प्रणाली और राज्यों के मध्य और सहयोग का अंतर्विरोध :** वालरस्टीन का कहना है कि वैश्विक प्रणाली और राज्यों के बीच अंतर्विरोध बढ़ गए हैं क्योंकि इनके मध्य असहयोग की भावना बढ़ी है, इन कारणों से भी पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का अंत निश्चित है।

**निष्कर्षत :** समाजशास्त्रीय अध्ययनों के आधार पर विश्लेषण कर सकते हैं कि आज वर्तमान में पूँजीवादी देश गरीब देशों का शोषण करने के लिए कोई न कोई तरीका अपना रहे हैं। इसलिए वालरस्टीन न कहा है कि 2025 तक दुनिया अपने संक्रमण काल में रहेगी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अमीर देश गरीब देशों पर प्रभुत्व बनाए रखेंगे। साथ ही उत्पादन में अत्यधिक बढ़ोत्तरी होगी और गरीब देशों से श्रम, अमीर देश सस्ते दरों में खरीदते रहेंगे। मानव कल्याण दिखावटी रूप में रहेगा और तकनीकी ज्ञान में भी बढ़ोत्तरी होगी। कहने का आशय है कि मार्क्सवादी विचारधारा अभी भी कमज़ोर ही रहेगी और आर्थिक व्यवस्था के सिद्धांत में पूँजीवादी देशों का वर्चस्व कायम रहेगा। इसलिए वालरस्टीन ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन के आधार पर कहा है कि जो पूँजीवादी अर्थव्यवस्था चल रही है वह मांग और पूर्ति के बीच असंतुलन के कारण खत्म हो जाएगी। साथ ही आज जिस प्रकार से पूँजीपतियों में लाभ लेने की लालसा बढ़ी है उससे भी उनका अंत सुनिश्चित है। साथ ही जिस प्रकार से सरकारें पूँजीपतियों को स्वयं के फायदे के चक्र में लाभ पहुंचा रही हैं, बाद में इन्हीं राज्य व सरकारों के लिए पूँजीपति सरदार बनेंगे जिससे पूँजीपतियों का अंत होगा। साथ ही वैश्विक स्तर पर भी विश्व की आर्थिक व्यवस्था में जिन अमीर देशों पर गरीब देश आश्रित हैं उनके बीच भी अंतर्विरोध बढ़ता जाएगा जिससे पूँजीवादी व्यवस्था निश्चित रूप से ध्वस्त होगी। इस शोधपत्र के माध्यम से विकसित और विकासशील देशों के बीच जो अंतर्विरोध है उसको उजागर करके कैसे विकासशील देश विकसित देशों से मुक्त हो उसका उपाय वालरस्टीन के माध्यम से समाधान के रूप में प्रस्तुत करने का एक संक्षिप्त प्रयास है।

**सन्दर्भ :**

1. वालरस्टीन, इमैनुएल. वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस : एन इंट्रोडक्शन डरम : डक यूनिवर्सिटी प्रेस, 2004
2. वालरस्टीन, इमैनुएल. द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनामी, न्यूयॉर्क कॉम्प्लिय यूनिवर्सिटी प्रेस, 1979
3. कैपिटलिस्ट एंड स्लेवरी, चौपल हिल, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना प्रेस 1944
4. पीटरसे, जे.एन. डेवलपमेंट थिअरी, लंदन. सेज पब्लिकेशन 2001
5. फ्रॅंक, आंद्रे. जी. कैपिटलिजम एंड अंडरडेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका हिस्टोरिकल स्टडीज ऑफ चिल्ली एंड ब्राजील, न्यूयॉर्क, 1967
6. रायिसन, विलियम. ग्लोबलाइजेशन एंड द सोशियोलॉजी ऑफ इमैनुएल वालरस्टीन क्रिटिकल अप्रेसल. सेज पब्लिकेशन, 2016
7. जेनजीलिंजर, नील. इमैनुएल वालरस्टीन सोशियोलॉजिस्ट विथ व्हू. द न्यूयॉर्क टाइम्स, 2019
8. कारलॉस, एमार्टिनेट वेला, वर्ल्ड सिस्टम थिअरी, पेपर प्रिपेयर्ड फार द रिसर्च सेमिनार इन इंजीनियरिंग सिस्टम, नवंबर, 2003

## डिजिटलीकरण का शिक्षा पर प्रभाव : एक अध्ययन

नीरज\*

\*असिंग्रो, शिक्षक—शिक्षा विभाग (बी० एड०) नागरिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंधुई, जौनपुर, उ०प्र०

**सारांश :** यह अध्ययन डिजिटलीकरण का शिक्षा पर प्रभाव को रेखांकित करता है। डिजिटलीकरण ने शिक्षा को सर्वव्यापी व सर्वसुलभ बनाने में सहायता की है। पहले जो चीजें हमारे लिए बहुत मुश्किल होती थीं आज वे आसान हो गई हैं। आज हम कहीं भी बैठे हुए कहीं पर भी क्लास अटैच कर सकते हैं। लैक्चर सुन सकते हैं। अपने विषय के किसी प्रोफेसर से अपनी शंकाओं का समाधान पूछ सकते हैं। शोध विद्यार्थी शोध करते समय ऑन-लाइब्रेरियों की सहायता से कहीं से भी अपने शोध से सम्बन्धित सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। यदि सारी लाइब्रेरियाँ ऑन-लाइन हो जाएं, तो आप कहीं पर बैठकर किसी भी दूसरी लाइब्रेरी की किताबों को पढ़ सकते हैं, अपने विषय से सम्बन्धित सामग्री को ढूँढ़ सकते हैं सिर्फ इतना ही नहीं नेट ने आज प्रौद्योगिक शिक्षा के प्रसार में भी सहायता की है। प्रौद्योगिक शिक्षा प्रसार किया गया है। यह शोध पत्र अन्येषणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है। इस अध्ययन में द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। यह शोध पत्र समाज के लिए प्रासारिक है।

**मुख्य शब्द :** डिजिटलीकरण, सेमीनार, कॉन्फ्रेन्स, साप्टवेयर व हार्डवेयर इंजीनियरों आदि।

डिजिटलीकरण ने आज शिक्षण को प्रभावी रोचक व आसान बना दिया है। हमारी शिक्षण-विधियों में बदलाव आया है। हम हाइटेक हो गए हैं। सेमीनार, कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से हम सीख रहे हैं, शिक्षा में प्रोजेक्टर L.S.D. का प्रयोग बढ़ा है, जिससे हमें अधिक आत्मविश्वास आया है। हमारे छात्र अधिक बेहतर तरीके से अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारे शिक्षकों ने भी अपनी विधियों में परिवर्तन किया है।

हमारे छात्र अधिक कार्यकुशल व दक्ष बन रहे हैं। अब हमारे विज्ञान के छात्र प्रैक्टिकलों को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। यदि कोई छात्र डॉक्टर है, तो वह अब जटिल ऑपरेशनों का करते हुए ऑन-लाइन देख सकता है और ज्यादा सीख सकता है। ऐसे ही विज्ञान के छात्र भी नेट की सहायता से प्रैक्टिकल करना सीख सकते हैं। हमारे M.B.A. व M.C.A. के प्रोफेशनल के लिए तो कम्प्यूटर वरदान हैं। यह उन्हें व्यवस्थित तरीके से शिक्षण करना सिखाता है। अतः हम कहते हैं कि डिजिटलीकरण ने छात्रों कार्यकुशलता में वृद्धि की है उन्हें नई-नई तकनीकें सिखाने में मदद की है शोध छात्रों के सारे काम आज कम्प्यूटर ही करता है चाहूँ डाटा का विश्लेषण हो या फिर रिजल्ट निकालना इस प्रकार हम देख रहे हैं कि नेट ने हमारे विद्यार्थियों की कार्य-कुशलता को बढ़ाया है।

**व्यवस्था बनाने में सहायता** नेट ने शिक्षण संस्थाने में व्यवस्था बनाने में भी सहायता की है। आजकल शिक्षण संस्थाओं का सारा हिसाब-किताब कम्प्यूटर पर ही किया जाता है साथ ही अच्छे शिक्षण संस्थाओं में तो नेट के माध्यम से सिलेबस का व्यवस्थित तरीके से पूरा कराया जाता है। लाइब्रेरी की सारी बुकों का लेखा-जोखा भी नेट पर उपलब्ध रहता है, टीचर्स के जब लैक्चर ऑन-लाइन होते हैं तो शिक्षण कार्य व्यवस्थित तरीके से होता है कक्षा में अनुशासनहीनता जैसी समस्याएं कम आती है।

ज्यादा जानने के लिए प्रेरित करना नेट ने छात्रों की रुचि पढ़ाई में बढ़ाई है, जिससे आज के छात्र अधिक सजग हो गए हैं। इसी प्रकार छात्रों के साथ-साथ अध्यापक भी सजग हुआ है। क्योंकि उसे भी छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देना है। इस प्रकार दोनों ही हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहेंगे जिससे कक्षा शिक्षण अधिक प्रभावी होगा।

**कैरियर चुनने में सहायता** देना आज नेट छात्रों को कैरियर चुनने में भी सहायता दे रहा है। नेट की सहायता से छात्रा आज सजग हैं कि कौन से विषय पढ़ने पर उनके पास कैरियर के कौन-कौन से विकल्प हैं साथ ही कौन सा पाठ्यक्रम या विषय किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में उपलब्ध है। आज यह सब जानकारी छात्र नेट के माध्यम से ले सकता है। अतः नेट छात्रों को कैरियर चुनने में भी सहायता दे रहा है तथा नेट यह भी बताता है कौन सी यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है या कौन सी फर्जी। जिससे हम धोखे से भी बच जाते हैं।

रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना नेट छात्रों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है। आजकल नेट पर आप अपना बायोडाटा डालकार अपने योग्य जॉब को चुन सकते हैं, आप यह भी जान सकते हैं कि आपको किस क्षेत्र में रोजगार की सम्भावनाएँ हैं। आजकल ऑन-लाइन इंटरव्यू का भी ट्रेंड चल पड़ा है। आप नेट पर बैठकर बारह की विदेशी कम्पनी में जॉब पा सकते हैं। नेट पर ही इंटरव्यू दे सकते हैं। अतः आज नेट ने हमारी मुश्किले कुछ आसान कर दी हैं। अब हम नेट पर बैठकर रोजगार की सीटों के बारे में जान सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

नेट पर रिजल्ट घोषित होना आज हम देख रहे हैं कि हमारी परीक्षाओं के रिजल्ट नेट पर उपलब्ध हैं। पहले अखबार में सिर्फ श्रेणी पता चलती थी। आज सारे रिजल्ट नेट पर आ रहे हैं तथा हमें नेट पर उसी समय हमारे सभी नम्बरों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। नेट पक्रिया ने हमारे लिए सहायित कर दी है कि अब नेट पर सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के रिजल्ट के बारे में भी जान सकते हैं। साथ ही आज कम समय में ही कम्प्यूटर रिजल्ट निकाल देता है। इससे हमारे समय की भी बचत होती है।

**डिजिटलीकरण पुस्तक के विकल्प के रूप में** पहले हमें किसी चीज की तलाश के लिए कई पुस्तकें खँगालनी पड़ती थीं। आज तो नेट पर वह सब मैटर आप देख सकते हैं। पेज पलटने के झंझट से मुक्ति आजकल नेट पर बैठकर आप पूरी पढ़ सकते हैं।

है साथ ही एक साथ ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। अतः आज पुस्तकों की अपेक्षा नेट पर पढ़ने का चलन चल गया है। CD में मैट्रियल लीजिए और नेट पर देख लीजिए। अतः नेट ने आज हमें एक साथ कई पुस्तकों साथ रखने के झंझट से भी मुक्ति दिला दी है।

**डिजिटलीकरण** एनसाइक्लोपीडिया के रूप में इंटरनेट पर इतनी सामग्री है कि वह एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह कार्य करता है। वह हमारी मुश्किलें कम करता है। हमें किसी देश की भौगोलिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक जैसी भी जानकारी चाहिए उपलब्ध है। वह एक बड़ी डिक्शनरी की तरह कार्य करता है। सम्भव है कि कुछ दिनों बाद हाथों के इशारों से चलने व वाले कम्प्यूटर आ जाएं तब आपको की बोर्ड दवाने या माउस –किलक करने से भी छुट्टी मिल जाएगी और आप हाथ के इशारों से कम्प्यूटर को कन्ट्रोल कर सकेंगे टच स्क्रीन वाले कम्प्यूटर व लैपटॉप तो आजकल प्रचलन में हैं ही। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कम्प्यूटर के क्षेत्र में रोज नए मॉडल आ रहे हैं तथा ज्ञान का विश्वकोष लगातार बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि डिजिटलीकरण ने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्ति ला दी है आज किताबों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शोध छात्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है email जैसे Address ने आज पत्रों को भेजना आसान कर दिया है। शिक्षण विधियों में बदलाव आया है। परम्परागत शिक्षण की जगह ई-शिक्षण ने ली है। हमारी लाइब्रेरियों हाइटेक हो गई है। हम दूर शिक्षण द्वारा पत्राचार माध्यमों द्वारा पढ़ रहे हैं। पत्राचार माध्यमों से डिग्री लेने में हम वलास में नहीं जाते पर साइबर स्पेस में जाकर कलास अटैन्ड कर सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा में बढ़ोत्तरी हुई है। भारत में अधिक जागरूकता आई है। हमारे बच्चों के लिए कम्प्यूटर सीखना जरुरी हो गया है तथा इसे आजकल एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया है। नेट ने हमारे प्रोफेशनल वर्ग को रोजगार के रूप में आई टी का एक नया फील्ड दिया है। साफ्टवेयर व हार्डवेयर इंजीनियरों की माँग न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत अधिक है। हमारे विद्यार्थी अपने शोध क्षेत्रों में तेजी से आगे में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नेट उनकी सहायता कर रहा है हमारे विद्यार्थी नेट के द्वारा जॉब सर्च करते हैं नेट पर ही आजकल इंटरव्यू भी लिए जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नेट के आने के बाद हमने हर क्षेत्र में एक क्रान्ति देखी है, जहाँ दुनियाँ आज छोटे से गाँव के रूप में तबदील हो गई है हमारे यहाँ के विद्यार्थियों के सपने विदेशी यूनिवर्सिटीयों से डिग्री हासिल करना आज आसान बन गया है हमारे युवा हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं। कारण नेट ने मनुष्य की कार्यक्षमता की बढ़ाया है, उसे बहुत कुछ सिखाया है, नेट ही है जिसने मनुष्य को नए—नए सपने दिखाए हैं और पूरा करने का रास्ता भी सुझाया है।

**डिजिटलीकरण कुछ नकारात्मक पहलू** डिजिटलीकरण ने जहाँ आज मानव के जीवन को सुविधाजनक बना दिया है वहीं इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। डिजिटलीकरण पर मान लिया ज्ञान का अथाह सागर है, लेकिन उसे ढूँढ़ना कभी—कभी बहुत मुश्किल होता है। कई बारे सर्च करने में ही कई घट्टों गुजर जाते हैं और कुछ भी हासिल नहीं होता। साथ ही कई बार आप कई घण्टे एक ही साइट को खोलने में लगा देते हैं। साथ ही हमारे बच्चे आज ज्ञान को याद करना भूलते जा रहे हैं, क्योंकि अब कक्षा जैसा रियोजन नहीं कराया जाता, हमने कम्प्यूटर पर अपनी निर्भरता ज्यादा बाढ़ा ली है और कई बार तो किशोर नेट पर चैटिंग करते हुए गलत राहों पर चल पड़ते हैं नेट पर कुछ साइट्स ऐसी भी हैं जो हमारे युवाओं को गलत राह की ओर मोड़ रही हैं। जिससे वे कई बार अपने लिए परेशानियाँ खड़ी कर लेते हैं और अपने कैरियर में गलत राहों की ओर मुड़ जाते हैं। आतंकवादियों की दास्तान ऐसी ही है, हमारे कई युवा प्रोफेशनल धन के लालच में इस तरह की गतिविधियों से जुँड़ जाते हैं जो समाज को हानि पहुँचाए। यदि हम इन नकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रखें तो निश्चय ही हम नेट स बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। भारत शौकिक दृष्टि से और उन्नत होगा संस्कृत व हिन्दी जैसी भाषा कम्प्यूटर की मुख्य भाषाए होंगी तथा हम शिक्षा के सर्वव्यापीकरण व सार्वभौमीकरण को लागू कर पाएंगे।

#### सन्दर्भ :

1. सिंह, बाकेलाल 1985; शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त, मौर्य पब्लिकेशन सेण्टर, जौनपुर, पृ07
2. गुप्ता, एस० पी० एवं गुप्ता, अलका, 2003; 'उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
3. सिंह, राधाकृष्ण 2010 ; शिक्षा के बदलते मापदण्ड, विहार पब्लिकेशन, पटना, विहार, पृ० 241–242
4. शुक्ल, परशुराम 2006; भारत में सामाजिक परिवर्तन, पोइंटर पब्लिशर्स, जयपुर, राजस्थान, पृ० 172
5. मगल, एस०क०, 2011 ; 'शिक्षा मनोविज्ञान', पी० एच० आई० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली

## वाराणसी नगर के मुस्लिम आवास और स्वच्छता सम्बन्धी आदत

डॉ० अमजद अली सिद्दीकी\*

\*असि० प्रो०, समाजशास्त्र विभाग, मोहम्मद हसन पी० जी० कॉलेज, जौनपुर, उ०प्र०

**सारांश :** यह अध्ययन में वाराणसी नगर के मुस्लिम आवास और स्वच्छता सम्बन्धी आदत को स्पष्ट किया गया है। मानव समूह के स्वास्थ्य की जड़ें उसके पर्यावरण में छिपी हुयी हैं जिसके द्वारा न केवल उन कीटाणुओं का विकास होता है जो मनुष्य को व्याधिग्रस्त करते हैं अपितु उन उपचारों और चिकित्सा पद्धतियों का भी निर्धारण होता है जिसके द्वारा मनुष्य व्याधिमुक्त होता है। मनुष्य किस प्रकार जीवन व्यतीत करता है, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यह कि वह किस स्थान पर निवास करता है। इस अध्ययन में द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। यह शोध पत्र अन्वेषणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है। यह शोध पत्र अध्ययन विषय एवं समाज के लिए प्रासंगिक है।

**मुख्य शब्द :** व्यक्तिगत स्वास्थ्य, औपचारिक स्वास्थ्य सहिता, संस्कृति, सांस्कारिक विचारों, सांस्कृतिक जीवन आदि।

मानव समूह के निकटतम भौतिक पर्यावरण का स्वास्थ्य और रोग से अत्यधिक संबंध है। सामान्य रूप से मनुष्य प्रजनन की प्रक्रिया की तुलना में अपने पर्यावरण की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपज है। व्यक्ति के स्वास्थ्य का निर्धारण उनकी प्रजाति द्वारा नहीं अपितु जीवन की दशाओं द्वारा होती है।<sup>1</sup> रोग मानव को अपने पर्यावरण के साथ असफल अभियोजन है।<sup>2</sup> मानव सम्यता का विकास पर्यावरण के साथ अनुकूल और अभियोजन से प्रारम्भ होता है। संस्कृति और सम्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य ने अपने पर्यावरण को अपनी आवश्यकतानुसार प्रयोग करते हुए परिवर्तित किया है। पर्यावरण का सामान्य विशेषताओं के अनुरूप मानव संस्कृति और सम्यता ने नवीन स्वरूप और दिशा को प्राप्त किया है। पर्यावरण मानव को सामाजिक मूल्य भी बन गया है पर्यावरण का तात्पर्य उन सभी बाह्य दशाओं और प्रभावों के समग्रता से है, जिसके द्वारा प्राणी का जीवन और विकास, मानवीय व्यवहार और समाज प्रभावित होता है।<sup>3</sup> भौतिक पर्यावरण के अन्तर्गत जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, जलवायु, ऋतु, आवास तथा गन्दी वस्तुओं के विसर्जन की सुविधाओं तथा विकिरण आदि सम्मिलित है। सामाजिक पर्यावरण के अन्तर्गत-सांस्कृतिक मूल्य, प्रथायें, आदत, विश्वास, अभिवृत्तिया, नैतिकता, धर्म शिक्षा, व्यवसाय, रहन-सहन का स्तर, सामुदायिक जीवन, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि तथा सामाजिक और राजनीतिक संगठन आदि सम्मिलित हैं।<sup>4</sup> उनके द्वारा व्यक्ति के स्वास्थ्य के दशाओं, जीवन अवधि तथा रोग का निर्धारण होता है। वस्तुतः व्यक्ति का स्वास्थ्य ही परिस्थितिकीय पर्यावरण का समग्र रूप है। प्रथम व्यक्ति का आंतरिक पर्यावरण तथा द्वितीय बाह्य पर्यावरण जिसमें व्यक्ति निवास करता है। इन दोनों पर्यावरणों की परस्पर अंतक्रिया तथा समन्वय द्वारा व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति का निर्धारण होता है।<sup>5</sup> मानव समूह के स्वास्थ्य की जड़ें उसके पर्यावरण में छिपी हुयी हैं जिसके द्वारा न केवल उन कीटाणुओं का विकास होता है जो मनुष्य को व्याधिग्रस्त करते हैं अपितु उन उपचारों और चिकित्सा पद्धतियों का भी निर्धारण होता है जिसके द्वारा मनुष्य व्याधिमुक्त होता है। मनुष्य किस प्रकार जीवन व्यतीत करता है, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यह कि वह किस स्थान पर निवास करता है।<sup>6</sup>

पर्यावरण के साथ मानव समूह के अभियोजन की प्रक्रिया के समर्जनकारी और असमर्जनकारी पहलू का स्वास्थ्य और चिकित्सा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान है। सांस्कृतिक प्रतिमान यह निर्धारित करते हैं कि पर्यावरण के साथ व्यक्ति का अभियोजन उसके स्वास्थ्य की दशाओं को किस प्रकार प्रभावित करेगा।<sup>7</sup> सदियों से मलेरिया रोग मानव के लिए विनाशकारी रोग हो गया है। इसमें इतिहास के निर्माण की धारा को बदल दिया है। ग्रीक एवं रोमन साम्राज्यों के पतन में इसका योगदान रहा है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आदि के भूखड़ों की प्राकृतिक सम्पत्ति का पूरा लाभ आज तक इस रोग के कारण नहीं उठाया जा सका है। इस प्रकार इसने इतिहास निर्माण को प्रभावित किया है।

आज भी मलेरिया से करोड़ों व्यक्ति मर जाते हैं। अकेले भारत वर्ष में 10 लाख मनुष्य इसके शिकार हो जाते हैं। यह महामारी की तरह फैलता है। मृत्यु से बच जाने वाले रोगी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। बच्चों का मानसिक बौद्धिक एवं शारीरिक विकास कम ही जाती हैं पूरे समाज की प्रगति पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। 19 वीं सदी के मध्य तक लोग समझते रहे कि मलेरिया रोग नम हवा के कारण होता है। इस लिए इसका नाम मलेरिया रखा गया। बाद में यह ज्ञात हुआ कि मच्छर काटने से यह रोग फैलता है। इस रोग में बार-बार दौरा आता है, रक्त धीणता बढ़ जाती है। रक्त पतला और शरीर कमज़ोर हो जाता है।

आदिम समाज के सन्दर्भ में स्वास्थ्य सम्बन्धी विश्वास एवं व्यवहार एवं कारकों का निकटतम भौतिक पर्यावरण और आवासीय दशा से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहा है।<sup>8</sup> रोग के कारणों का आदिम व्यक्ति ने प्राकृतिक शक्तियों के प्रकोप में ढूँढ़ा। काज़ी एयाज ने लिखा है कि कंधी, चंद बालों और खुजर के खोखले आदि में अप्राकृतिक शक्तियों या आत्माएं निवास करती हैं यह एक तरह की बीमारी है। जिसमें आपको रोग होना ताजुब नहीं, जिस तरह दूसरी बीमारियाँ आप को होती थीं वैसे ही अप्राकृतिक शक्तियाँ या आत्माएं आप पर असर करती थीं।<sup>9</sup> अतः आदि मनुष्य के स्वास्थ्य, रोग और उपचार संबंधी विश्वास एवं व्यवहार पर्यावरण से उसके प्रत्यक्ष संबंध की उपज रहे हैं।<sup>10</sup>

समकालीन भारतीय नगरीय समुदाय में निकटतम पर्यावरण और गह स्वच्छता का बोध अत्यन्त निम्न रहा है। अशिक्षित, अज्ञानता परम्परागत मान्यतायें और निम्न या दयनीय आर्थिक स्थिति इसके प्रमुख कारण रहे हैं। कार्वें<sup>11</sup> के अनुसार जो व्यक्ति भोजन और वस्त्र कठिनाई से एकत्र पर पाते हैं उसके लिए पर्यावरण संबंधी स्वच्छता की कल्पना करना कठिन है। इसी के अनुरूप उसकी स्वच्छता का अवसर उन्नत होता जाता है। आदिम में अपनी निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण गृह

स्वच्छता और पर्यावरण सम्बन्धी स्वच्छता के संबंध में सामान्य भारतीय नगरीय, ग्रामीण व्यक्ति की तुलना में कही अधिक पिछड़ा है।

वर्तमान अध्ययन में यह ज्ञात करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि वाराणसी नगर मुस्लिम सूचनादाता अपने निकटतम पर्यावरण और गृह स्वच्छता के सम्बन्ध में किसी मात्रा में जागरूक है तथा उसकी परम्परागत सामाजिक मान्यतायें, रहन- सहन की दशायें और आर्थिक स्तर किस प्रकार उनके निकटतम भौतिक पर्यावरण की स्वच्छता को दृष्टि करने से योगदान देता है।

#### **सन्दर्भ :**

1. "Man is in general more the product of his environment than his genetic endowment. The health of the people is determined not by their race but by the conditions of their life. Dubos, R.: *Man and his Environment*, pan American Health organization Scientific publication, No.131, Washington, D.C., 1966
2. May, J.M.: "The Ecology of Human Disease," Environments of Man ed. J.B. Bresler Addison-Wesley Publishing company, Massachusetts, 1968, pp. 75-80
3. "The Environment is defined as the aggregate of all external conditions and influences affecting the life and development of an organism, human behaviour or society." Leavel, H.R. and E.G. Clark: *Primitive medicine for the Doctor in his community*, McGraw-Hill, New York, 1965.
4. Park, J.E.: *Textbook of preventive and Social Medicine*, 'B.B.Publisher, Jabalpur, 1971, p.22
5. Park, J.E.: *Ibid.*, 1980, p.163
6. Suchman, E.A. : *The Adaptive Disease as Socio-environmental Health Problems*, Handbook of Medical Sociology(ed.) Freeman, et al., Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1963, p.123.
7. Lievan, R.W.: *Medical Anthropology*, 'Hand book of Social and Cultural Anthropology (ed.) J.J. Honigmann, Rand McNally and Co.Chicago, 1973, p.1035.
8. May, J.: *The Ecology of Human Disease*, Annals of the New York Academy of Sciences, 84, No.17, p.789-94.
9. Allama, IBN-AL-YAGEEN-I-ZAUJE, Tib-Inabuye, Bombay 1994, p.243.
10. Goerke, L.S. and E.L. Stebbins: *Mustard's Introduction to Public Health*, Macmillan, New York, 1968, p.5.
11. Karve : *Social and Cultural Factors in Environmental Sanitation in Rural India (A Report on the Conference Held in New Delhi on 10-11, Sept.1956)*, Ministry of Health, Govt. of India, 1957.

## **सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के परिपक्ष्य में अध्यापक-शिक्षा** **डॉ० ऋषिकेश विश्वकर्मा\***

\*सहायक आयार्य, बी०ए७ विभाग, केंद्रीय आर० टी० एस० पी० जी० कॉलेज, बालेंद्रपुरी, झुमरी खास, गोरखपुर, उ०प्र०

**सारांश :** ज्ञान व्यक्ति विशेष के लिए उर्जा, पूँजी सभा राष्ट्र के लिए अपार सम्पदा है। बढ़ते ज्ञान भण्डार को आत्मसात करने के लिए हमें विकसित तकनीकी के ज्ञान एवं उपयोग की आवश्यकता है। हमें ज्ञान को ग्रहण करने की ही नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्ति के ढंग को भी सीखने की जरूरत है जो सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा ही सम्भव है। ज्ञान अनुभव तथा जानकारी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभव तथा जानकारी प्राप्त करना कभी-कभी बहुत कठिन तो कभी-कभी असम्भव भी होता है। इसी कारण अप्रत्यक्ष ढंग से ज्ञान प्राप्ति का सहारा लेना पड़ता है जैसे किसी व्यक्ति से पूछकर, किताबों से, पत्र-पत्रिकाओं से पढ़कर, चित्र, फोटोग्राफी तथा फिल्म देखकर या रेडियो टेप सुनकर। इन स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर हम किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार के बारे में जानने, समझने का प्रयास करते हैं। सूचना प्राप्ति और उसको ठीक तरह से नियन्त्रित एवं व्यवस्थित करने की इसी विधा को सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी औजारों, उपकरणों तथा अनुप्रयोग के आधार से युक्त एक ऐसी तकनीकी है जो सूचना के संग्रहण, भण्डारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, उपयोग, स्थानान्तरण संश्लेषण एवं विश्लेषण, आत्मसातीकरण आदि के विश्वसनीय एवं यथार्थ संपादन में सहायक सिद्ध होते हुए उपयोगकर्ता को अपना ज्ञानवर्धन करने तथा उसके संप्रेषण और उसके द्वारा अपनी निर्णय और समस्या-समाधान योग्यता में वृद्धि करने में यथेष्ट सहायक सिद्ध होती है।

**मुख्य शब्द :** सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी, वैश्वीकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अध्यापक शिक्षा आदि।

सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के बढ़ते प्रभाव से जीवन का हर क्षेत्र समाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सभी उससे प्रभावित हैं। कौशल एवं ज्ञान की नवीन प्रवृत्तियों जन्म ले रही है। इस परिपक्ष्य में शिक्षा, शिक्षण एवं अधिगम की नवीन संकल्पनाएं लोकप्रिय बनती जा रही हैं। आज शिक्षक-केन्द्रित शिक्षण व्यवस्था के स्थान पर विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण अधिगम व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण बनती जा रही हैं शिक्षक एवं विद्यार्थी की सहभागिता पर बल दिया जा रहा है। अनेक अध्ययन यह दर्शाते हैं कि स्थायी एवं प्रभावी अधिगम के लिए विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बदलते परिवेश में नवीन दक्षताओं में प्रवीण ऐसे शिक्षकों की तैयारी सुनिश्चित करनी होगी जो सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोगी अनुप्रयोग को अपने शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं में केवल जांडे ही नहीं बल्कि उनके माध्यम से शिक्षा एवं शिक्षण की प्रक्रियाओं तथा व्यवस्थाओं में सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्धन के मूल्य, युक्तियों एवं रणनीति को प्रभावी स्वरूप दे सके।

**वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की चर्चातिरियाँ :**

**गुणवत्तापूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा :** वैश्वीकरण के इस दौर में विश्व सन्दर्भ में जीवन के हर क्षेत्र में एक नई आकृति, दिशा एवं गति प्राप्त हो रही है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था भी इससे अछूती नहीं है। प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की संस्थाओं का विकास जिस द्वारा नवीन विद्यार्थी की सहभागिता पर बल दिया जा रहा है। अनेक अध्ययन यह दर्शाते हैं कि स्थायी एवं प्रभावी अधिगम के लिए विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बदलते परिवेश में नवीन दक्षताओं में प्रवीण ऐसे शिक्षकों की तैयारी सुनिश्चित करनी होगी जो सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोगी अनुप्रयोग को अपने शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं में केवल जांडे ही नहीं बल्कि उनके माध्यम से शिक्षा एवं शिक्षण की प्रक्रियाओं तथा व्यवस्थाओं में सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्धन के मूल्य, युक्तियों एवं रणनीति को प्रभावी स्वरूप दे सके।

**नवीन प्रत्याशाएं एवं आकांक्षाएं :** अध्यापक शिक्षा समाज एवं राष्ट्र के चरित्र, उसकी संस्कृति एवं लोकाचार से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है। सूचना प्रौद्योगिकी के परिवेश में संवैधानिक लक्ष्यों, राज्य की नीतियों के निर्देशक, सिद्धांतों, सामाजिक-आर्थिक समस्याओं, नई प्रत्याशाओं एवं आकांक्षाओं के उभरते नये क्षितिज, नूतन ज्ञान के ज्यामितिक विकास की तौरपरगति भारतीय समाज को नालेज सुपरपावर के रूप में अपनी पहचान बनाने के संकल्पों के आलोक में भावी शिक्षा व्यवस्था से अत्यधिक अपेक्षा है। इस क्षेत्र में अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों को एक नये परिपक्ष्य में रखते हुए उसे सार्थक भूमिका निभानी पड़ेगी उससे शिक्षा की प्रक्रियाओं में व्याप्त दोष पर रोक लग सके।

**प्रभावी शिक्षा व्यवस्था का अभाव :** स्वतंत्रता प्राप्ति के 62 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश में एक सशक्त, कल्पनाशील एवं प्रभावी शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पायी है जिसका कारण रहा कि स्वतंत्रतापूर्व जो शिक्षा व्यवस्था थी उसे हम उसी रूप में स्वीकार कर लिए। सामान्य शिक्षा व्यवस्था में जिस प्रकार के दोष विद्यमान हैं उसी प्रकार के दोष अध्यापक-शिक्षा में भी देखे जा सकते हैं। हमारी शिक्षा जनआकांक्षाओं एवं समाज की आवश्यकताओं से जुड़ नहीं पायी है। लोगों में अपेक्षित दायित्व मूल्य बोध विकसित नहीं कर पायी है, स्वावलम्बन के स्थान पर परावलम्बन की ओर ले जा रही है। जीवन कौशलों एवं मूल्यों के सम्बर्धन से विमुख कर जीवनयापन के लिए नौकरी दिलाने के पाठ्यक्रमों को आवश्यक महत्व दे रही है। ज्ञान, अभिवृति, मौलिक चिन्तन एवं सीखने की ओर अग्रसर करने के स्थान पर सूचना प्रधान शिक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था की ओर आकर्षित हो रही है। हमारी शिक्षा व्यवस्था की सार्थकता सन्देह के घेरे में आ गई है। अध्यापक शिक्षा को इससे अलग नहीं किया जा सकता है।

**अध्यापक शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य :** अध्यापक शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य को लेकर कई महत्वपूर्ण विचार उठते हैं जैसे- अध्यापक शिक्षा की संस्थाओं में अपेक्षित स्तर का दायित्व एवं दिशा बांध है अथवा नहीं, उनके पाठ्यक्रमों से कुशल प्रतिबद्ध एवं आस्थावान शिक्षक हम तैयार कर पा रहे हैं अथवा नहीं, उनमें आयोजित क्रिया-कलाप देश की वर्तमान आवश्यकताओं एवं उनकी सांस्कृतिक धरोहर के अनुरूप संस्कार एवं मूल्य विकसित कर रहे हैं अथवा नहीं, आज जीवन के लगभग सभी क्षेत्र में विकास के

नये पैमाने बन रहे हैं किन्तु अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में यह लागू होता है अथवा नहीं। इन बातों पर ध्यान देकर इनके कारणों का पता लगाने को आवश्यकता है।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर शैक्षिक राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सन्दर्भों में तेजी से हो रहे बदलाव के फलस्वरूप अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। पाठ्यक्रम को ज्ञान के नये कौशलों के विकास से सम्बन्धित आवश्यकताओं, अभिवृत्तियों, जीवन कौशलों एवं जीवन मूल्यों पर आधारित करने तथा अधिगम की सामर्थ्य विकसित कर सकने की सम्भावनाओं से परिपूर्ण बनाने की संस्तुति शिक्षा के सभी स्तर पर हुई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अपने दास्तावेज गुणवत्तापूर्ण अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम परिप्रेक्ष्य (1998) में यह स्वीकार किया है कि स्वदेशी संकल्पना के तहत अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम को नया रूप देने की आवश्यकता है। जैसे अध्यापक शिक्षा की ऐसी राष्ट्रीय प्रणाली विकसित करना जो भारत की सांस्कृतिक अस्मिता, एकता एवं विविधता पर आधारित होने के साथ—साथ सामाजिक परिवर्तनों एवं निरन्तरता की शाश्वत धारा के अनुरूप हो। संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति एवं नई सामाजिक व्यवस्था के अभ्युदय में समर्थन देना, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी भूमिकाओं को निर्वाह कर सकने की सामर्थ्य रखने वाले व्यावसायिक दृष्टि से कुशल शिक्षक तैयार करना तथा अध्यापक शिक्षा के स्तर को समुन्नत करना, शिक्षकों की व्यावसायिक एवं सामाजिक प्रियोगिता को संवर्धित करना तथा उनमें प्रतिबद्धता की भावना विकसित करना। इस परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी चुनौती है एक व्यापक, गतिशील मूल्यों पर आधारित संवेदनशील उत्तरदायी वैश्वीकरण की विशेषताओं से निपटने की सामर्थ्य रखने वाली दूरदर्शी अध्यापक शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है।

सभी शिक्षा आयोग तथा शिक्षा समितियों ने ऐसी गुणवत्तापूर्ण अध्यापक शिक्षा पर बल दिया है जो शिक्षा व्यवस्थाओं की आवश्यकताओं का पूरा कर सके। माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) के अनुसार माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक पुनर्गठन के लिए अध्यापकों व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यक है। शिक्षा आयोग (1964–66) ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित विश्व में लोगों की सुरक्षा उनके कल्पणा एवं समृद्धि का निर्धारक शिक्षा को बनाया तथा स्पष्ट किया कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने की दृष्टि से अध्यापक शिक्षा अच्छा होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1996) ने इस बात पर बल दिया कि अध्यापक एक सतत प्रक्रिया है तथा शिक्षक प्रशिक्षण के सेवा पूर्ण एवं सेवाकालीन अंग एक पूरक है। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में केवल सेवा पूर्व व्यवस्था ही लागू है, प्रशिक्षण के लिए अवस्था नहीं दी गई है तथा सुविधाओं का भी अभाव है। स्तरहीन अध्यापक शिक्षा संस्थाएं बढ़ी हैं। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर गठित डायट तथा अन्य माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च अध्ययन संस्थाओं के अस्तित्व के आने के वैश्वीकरण समापूर्ण प्रशिक्षण में अपेक्षित गुणवत्ता का ऊर्ध्वान नहीं जुड़ पाया।

अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों मूल्यों पर आधारित रखने के लिए प्रारम्भ से विवाद का विषय रहा कि सिद्धांत एवं प्रायोगिक अंशों पर कितना समय दिया जाये। आज भी सिद्धांत को ही पढ़ाया जाता है जबकि प्रायोगिक पक्ष अत्यन्त दुर्बल एवं अप्रभावी रहता है। कई वर्षों से ऐसा लग रहा है कि अध्यापक शिक्षा के प्रायोगिक पक्ष का समय बढ़ा दिया जायेगा ताकि अध्यापक शिक्षा के महत्वपूर्ण पक्ष पर पूरी तक ध्यान दिया जा सके परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। सिद्धांत के नाम से पढ़ाए जाने वाले विषयों में सम्प्रत्यों के विकास के स्थान पर सूचना की हो वरीयता दी जाती है।

सूचना एवं प्रेषण तकनीकी के परिप्रेक्ष्यों में अध्यापक शिक्षा पर आज हमारे अन्य सम्मुख कुछ प्रश्न उठते हैं जैसे—भारतीय संस्कृति के शाश्वत जुड़े कुशल शिक्षकों की तैयारी जैसे की जाये ? अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयी व्यवस्थाओं के लिए तैयार की जाने वाली संस्थाओं में कैसे तालमेल लाया जाये? अध्यापक शिक्षा को कैसे व्यावसायिक दर्जा दिया जाये ? सभी अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को एक करना चाहिए। अध्यापक शिक्षा एक व्यापक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से अनेकानेक नेशनल और बहुआयमों प्रयास करना आवश्यक है।

#### सन्दर्भ :

1. भट्टाचार्य, जी.सी. (2010). अध्यापक शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा—2 20 (509–511) मंगल, एस.के. मंगल, उमा (2009), शिक्षा तकनीकी पीएचआई लॉन्ग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली पूर्व (847,850)
2. शर्मा, आर.ए. (2005), एजूकेशनल टेक्नालोजी, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा 2 पृ० (1–5)
3. शर्मा, आर.ए. (2005), शिक्षा के तकनीकी आधार, आर लाल बुक डिपो, मेरठ, पूर्व ( 521–523) शुक्ला, सी.एम. (2008), शैक्षिक तकनीकी के मूलत एवम् प्रबंध, धनपतराय पब्लिशिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली पूर्व (386–387)
4. पाण्डेय, के.पी. सूचना प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक शिक्षा की चुनौती— भारतीय सन्दर्भ, अन्येषिका इंडियन जरनल ऑफ टीचर एजूकेशन, नेशनल काउन्सिल फार टीचर एजूकेशन, न्यू 1 नम्बर 2 दिसम्बर 2004, पृ० (116–121) देलही वाल्यूम

## मैत्रेयी पुष्पा के 'झूला नट' उपन्यास में भारतीयता : एक अध्ययन मंजू यादव\*

\*नेट (हिन्दी) 78डी./9सी., छोटा बघाड़ा, प्रयागराज, उठप्र०

**सारांश :** 'झूला नट' उपन्यास भारतीय परिवार की ज्ञाकी प्रस्तुत करता है। भारतीय समाज में नये-पुराने के द्वन्द्व से व्यक्ति हमेशा से परेशान होता रहा है। परिवार में आपसी सम्बन्धों को बनाये रखने का प्रयास करते हुए भी झूला नट की तरह परिवार असन्तुलित हो जाता है। निम्नवर्गीय समाज में उसकी अपनी बिरादरी, रीति-रिवाज हैं किन्तु नवापन का अस्वीकार हम कैसे कर सकते हैं? व्यक्ति में नयी चेतना के आने से परिवार और समाज को प्रभावित तो किया है साथ में पुराने संस्कारों, रिवाजों के बीच टकराव पैदा हुआ है। मैत्रेयी पुष्पा ने शीलों पात्र के माध्यम से परम्परा और आधुनिक दोनों विचारों के संघर्ष को प्रस्तुत किया है। यह अध्ययन समाज के लिए महत्वपूर्ण सुचना व ज्ञान का संवाहक है।

**मुख्य शब्द :** निम्नवर्गीय समाज, भारतीय परिवार, उपन्यास, संस्कार, भारतीय आदर्श आदि।

"नर-नारी का पारस्परिक सम्बन्ध सदा से विवाद का विषय रहा है। नारी गृहस्थी-जीवन का प्रतीक है। जब-जब प्रकृति का उत्थान हुआ, नारी और गृहस्थ दोनों की पद-मर्यादा में वृद्धि हुई। नारी की मर्यादा यहाँ सदैव दबी रही। समाज में प्रतिष्ठा उसकी थी जो वैयक्तिक मुक्ति के लिए वैराग्य ले लेते थे। नारी वैरागियों के किसी काम की चीज नहीं थी। अतएव सभी संत उसे पाप की खान बताते थे।" भारतीय समाज में आज भी नारी का आदर्श सीता या सावित्री हो सकती है और उसी के रास्ते पर चलना पत्रिवता धर्म है। शीलों का ऐसा नसीब कहाँ जो भारतीय आदर्श पत्नी का स्थान पा सके? समाज में विवाह के लिए नौकरी करने वाला युवक मिलना गौरव की बात मानी जाती है। जहाँ पिता तय कर गये थे वही रिश्ता मातृभवित के कारण विवाह में सम्पन्न होता है। बहू के आने से घर की रौनक बढ़ती है, किन्तु जिसे अपनाना है वहीं तुकराकर चला जाता है। प्रारम्भ से ही विवेकशील स्त्री की अपेक्षा सौदर्यमयी स्त्री पुरुष की अभीष्ट रही है। अगर पत्नी शीलों आधुनिक विचारों वाली, पढ़ी-लिखी, खूबसूरत, गौर वर्णवाली होती तो पति उसे करने के लिए लालायित रहता है। शीलों में शहर के नजरिये से देखने वाला सौदर्य तथा थानेदार के रोब और रुतबे के हिसाब से सुमेर कों कभी नजर नहीं आया इसलिए उसे आसानी से छोड़ दिया। सुमेर के इस व्यवहार से ही अन्य घटनाएँ जन्म लेती हैं।

भारतीय समाज में माँ का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है किन्तु माँ जब सास का रूप लेती है तो घर में ही नहीं समाज में भी उनका अलग स्थान बन जाता है। माँ सास है इसलिए सामाजिक दर्जे में शीलों से ऊपर है। किन्तु शीलों उसे अपने पर हाथी नहीं होने देती शीलों के साथ होता अन्याय माँ के लिए असहनीय है तभी तो सास का रूप छोड़कर माँ बन जाती है। स्त्री को एक ही जन्म में कितने सारे पात्रों का अभिनय करना पड़ता है। जीवन में उसे अपने चहरे पर कितने ही मोहरे लगाकर जीना पड़ता है। सास कभी माँ तो कभी सास के रूप में, शीलों तो कभी बहू पत्नी तो कभी-कभी माँ के रूप में अपने सम्बन्धों को निभाती है। भारतीय समाज में भाभी का स्थान माँ के समान होता है किन्तु बालकिशन को देवर से पति का स्थान लेना पड़ा 'मनुष्य कितना पांग है उसे परिस्थितियाँ गुलाम बनाती हैं और उसे अपनी इशारों पर नचाती है।'

पुरुष की स्वार्थवृत्ति ने हमेशा स्त्री को बड़ी आसानी से बेबूकू बनाया है। सुमेर, शीलों को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं है, किन्तु सम्पत्ति के उत्तराधिकार को प्राप्त करना है। जहाँ समानाधिकार की चर्चा की जाती है वहाँ पत्नी के रहते पुरुष दूसरी औरत आसानी से कर लेता है किन्तु भारतीय स्त्री जब दूसरा पति ढूँढ़ती फिरे तो समाज को स्वीकार्य नहीं है। दारोगा का पति कानून का रखवाला हो कानून की धजियाँ उड़ाता है जो पत्नी को तलाक नहीं देता फिर भी दूसरी स्त्री रख सकता है। भारतीय परिवार का आदर्श 'रामायण' है जो पारिवारिक भावना का सर्वश्रेष्ठ अदाहरण है। सुमेर घर का बड़ा बेटा है किन्तु न तो उसे पत्नी, माँ और छोटे भाई की परवाह है। वह तो जिम्मेदारी से भागता है। बालकिशन का कहना ठीक ही है कि 'तुम्हारे पास नौकरी पेशा होने का लाइसेंस है? तुम कानून की हिफाजत इसलिए करते हो कि हमारे घर का कायदा तोड़ों तुमने वर्दी-बूट पहनकर हमारे घर को ही लूट लिया जानते हो कि हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच में हम तुम्हारे सामने खुद को बोलने के काबिल भी नहीं समझते, क्योंकि तुम्हारी जुबान हमें आती नहीं। हम तुम्हें प्यार करने में घबराते हैं कि कहीं कोई गलती न बन जाए। हम अपने-आप पर से भरोसा खो चुके हैं, इसलिए तुम कुचल रह हो।'<sup>1</sup> 'झूला नट' के सभी पात्रों में मानवीय मूल्यों का हास होता देखा जा सकता है। शीलों की सास देवर का हाथ देते हुए कहती है कि 'लो, यह आज से तेरा हुआ।'<sup>2</sup> कुछ समाज में पति के मौत के पश्चात देवर से भाभी का रिश्ता जोड़ दिया जाता है। यहाँ पति के रहते ही एक साहसिक निर्णय माँ ले सकती है। पुराने खयालात में जीने वाली माँ अपनी बहू की बेदना देख नहीं पाती और समस्या के समाधान के लिए समाज के बच्चनों को तोड़ती है। जहाँ अन्याय होता है वहाँ आवाज उठाना जरूरी है इसीलिए मैत्रेयी पुष्पा ने गाँव में ही रहने वाली नारी में चेतना जगाए है।

भारतीय समाज में जन्मी, पत्नी और बड़ी शीलों अपने अधिकार से आदृत सशक्त नारी का प्रतिनिधित्व करती है। आज की नारी बड़े पैमाने पर अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं और अधिकारी को हासिल भी कर रही है तो फिर शीलों क्यों पीछे रहें? डोली चढ़कर जाने वालों को भी हो जाए उसे ससुराल छोड़ना नहीं चाहिए। मैत्रेयी पुष्पा की विचारधारा गाँव में रहने वाले ऐसे लोगों के लिए है जिसे अधिकार से वंचित रखा है, उसे अधिकार दिलाना है। शीलों सुमेर से कहती है कि 'का है के

पति—पत्नी, बाबूजी वह अबोध मन का अच्छा है, सा, बस ..... तुम्हारी व्याहता होने के बाद भी .... पर छोड़ों उस बात को। बालकिशन तो ऐसे ही है हमारे लिए, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी औरत। बिन स्थानी मनमर्जी की सच मानों, बालकिशन भी इससे ज्यादा कुछ नहीं।<sup>4</sup> भारतीय नारीएक बार अपने मन में इष्टदेव के स्थान पर पति को रखती है, इसी स्थान पर दूसरा कैसे हो सकता है? पति—पत्नी का रिश्ता विश्वास की बुनियाद पर टिका है। जब वही विश्वास खत्म हो जाये तो फिर नारी दुश्मनी पर उतर आये यह स्वाभाविक ही है। शीलों का मक्सद सुमेर क पत्नी रहकर पैतृक का अधिकार प्राप्त करना, बालकिशन के साथ शैश्वा सगिनी बनती है किन्तु समाज में बनी 'बछिया' रिवाज को अस्वीकार कर सबको अपनी मुट्ठी में बांधकर रखनी हैं। यहाँ शीलों का आधुनिक नारी का रूप है जिसे अधिकार तो चाहिए किन्तु बन्धनों से मुक्त रहना है।

जब—जब मनुष्य पराजित होने लगता है तब—तब वह अपने—आपको आध्यात्मिकता से जोड़ देता है। "आदमियों का भरोसा टूट जाता है, तो मनुष्य अदृश्य देवता को पुकारता है, जो अपनी इच्छानुसार इष्टदेव मान लिए हैं। प्रार्थना से अच्छा कौन सा काम है?"<sup>5</sup> पति के द्वारा तिरस्कृत नारी चाहे किंतनी ही करुण पुकार कर ले प्रार्थना भी कार्य सिद्ध नहीं करती। शीलों का जीवन झूला नट की तरह हो जाता है न तो वह पति की बन पाती है और न ही घर छोड़कर जा पाती है। शीलों की स्थिति देखकर माँ के पास आश्वासन के शब्द तक नहीं है। बालकिशन माँ और शीलों के बीच असंतुलित हो जाता है। तो घर छोड़कर गेरुआ धारण कर साधु हो जाता है। वही मनुष्य संसार से पलायन करता है। जब तक जीवन में मोह, माया, वासना, विलास, राग—द्वेष खत्म नहीं होता मनुष्य का उद्धार नहीं होता। बालकिशन ने घर छोड़ा था किन्तु मनोवृत्ति तो वहीं की—वहीं थी। इतना ही नहीं उसे तो मंदिर में सीताजी की मूर्ति में भी शीलों दिखाई देती है। उसकी काम वासना ही उसे संसार में वापस लाती है।

मैत्रेयी पुष्पा ने ग्राम्य जीवन को जीने वाले लोग, उनके बनते—बिगड़ते आपसी सम्बन्ध, प्रेम, सपनों और काम के जूझते लोगों को बाणी दी है। ग्राम्य समाज की अपनी रीति—रस्म, मनौतियाँ—संकल्प, व्रत। उपवास, पंचायत आदि से एक भरा पूरा गाँव है। शीलों और बालकिशन के सम्बन्ध को लेकर पंचायत जुटती है किन्तु शीलों को उसकी परवाह नहीं है। शीलों बछिया का इन्कार करती है तो उसके घर को पंचायत विरादरी से बाहर कर देतो है। शीलों का पंचायत की बात न मानने के बहुत से कारण नजर आते हैं। जब पति ने छोड़ा तब कोई कुछ नहीं कहता, किन्तु समाज के बन्धनों को नारी तोड़े तो पितृ सत्ता धराशायी होने लगती है। नारी का स्वाभिमान, उसकी मर्यादा, उसकी सहिष्णुता तथा अपनी अस्मिता से जनतात्रिक अधिकारों के प्रति जागृत शीलों को अपनी लड़ाई उसे खुद लड़नी है।

भरतीय ग्रामीण—समाज में जहाँ शिक्षा का प्रचार—प्रसार अधिक नहीं है वहाँ श्रद्धा के स्थान पर अंधश्रद्धा अधिक होती है। भोले—भाले लोगों को आसानी से धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है। शीलों का यह विश्वास है कि उसके हाथ की छँड़ ऊँगलियों के कारण परित्यक्ता बनी है। जब उसे पता चलता है कि सुमेर ने नई पत्नी कर ली है तो वह गैँड़ा से छठी ऊँगली काट डालती है। छठी ऊँगली अपशकुन मानी जाती है किन्तु लेखिका का मक्सद ऊँगली का काटना ही दिखाना नहीं, वरन् सारी मर्यादाओं को काटकर फेंकना है। कितने ही बन्धन मर्यादा के नाम पर नारी पर थोप दिये जाते हैं। जिससे नारी कभी मुक्त नहीं हो पाती। शीलों, पति को पाने के लिए श्रद्धा से पूजा—पाठ, जप—तप करती है किन्तु पूजा—पाठ या जप—तप से पति तो प्राप्त नहीं होता पर उसे छोड़कर चला जाता है। धर्म के सारे बन्धन नारी पर ही लागू किए हैं। कोई पराया पुरुष स्त्री को स्पर्श भी करे तो वह अपवित्र हो जाती है किन्तु कोई पराई स्त्री के साथ पुरुष सम्बन्ध भी स्थापित करे तो भी वह पवित्र ही रहता है।

आधुनिकता के प्रभाव से शहर ही नहीं गाँव भी प्रभावित होता है। फैशन के कपड़े, इत्र, क्रीम—पाउडर का उपयोग होने लगा है। इतना ही नहीं बैंक में खाता खुलने लगे हैं तथा खेतों में भी अलग फसल बोने लगे हैं। मैत्रेयी पुष्पा का गाँव का लोगों को आधुनिकता से जोड़ने का एक मक्सद है। यही सच्चे साहित्यकार की पहचान है।

#### सन्दर्भ :

1. मैत्रेयी पुष्पा, झूला नट, पृ० 61
2. मैत्रेयी पुष्पा, झूला नट, पृ० 61
3. मैत्रेयी पुष्पा, झूला नट, पृ० 69
4. मैत्रेयी पुष्पा, झूला नट, पृ० 112
5. मैत्रेयी पुष्पा, झूला नट, पृ० 67

## अनेकान्त दर्शन

### डॉ० सुमन रघुवंशी\*

\*एसोसिएट प्रोफेसर, टीकाराम कन्या महाविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश

**सारांश :** जैन दर्शन का मूलभूत तत्त्व “अनेकान्तवाद” ही जैन दर्शन का मूल प्राण है। जैन दार्शनिकों ने प्रत्येक वस्तु के सत्-असत्, नित्य-अनित्य और सामान्य-विशेष आदि रूपों का वर्णन कर वस्तु को ‘अनेकान्त धर्मात्मक’ स्वीकार कर अनेकान्त दर्शन के रूप में एक स्वतन्त्र दर्शनकी परिभाषा की है। ‘अनेकान्त’ शब्द को और अधिक स्पष्ट करते हुये इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से सत् है परन्तु परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव से असत् है अर्थात् किसी भी वस्तु के सही ज्ञान के लिए, उस वस्तु के सभी पहलुओं पर दृष्टिपात दिया जाय। अतः अनेकान्त दर्शन के मूल में दो तत्त्व पूर्णता और यथार्थता है, जो पूर्ण है और पूर्ण होकर भी यथार्थ रूप से प्रतीत होता है, वही सत्य कहलाता है। इस सत्य को दर्शन द्वारा ही जाना जा सकता है।

**मुख्य शब्द :** जैन दर्शन, अनेकान्त, बौद्ध साहित्य, दर्शन, उपनिषद् आदि।

अनेकान्त – दृष्टि की उत्पत्ति का मूलधार भगवान महावीर से भी प्राचीन है, क्योंकि उपनिषदों और बौद्ध साहित्य में भी अनेकान्त सम्बन्धी विचार यत्र-तत्र विखरे हुये मिलते हैं। उपनिषदों में सृष्टि का मूल तत्त्व सत् है या असत्, इस पर पर्याप्त विचार किया गया है। इस समस्या के सन्दर्भ में दोनों प्रकार के मत उपलब्ध होते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद् में कहा गया है कि “प्रारम्भ में असत् ही था, उसी से सत् की उत्पत्ति हुई”। इसी विचारधारा का समर्थन छान्दोग्योपनिषद् में भी उपलब्ध होता है। उसमें कहा गया है कि “सर्वप्रथम असत् ही था उसमें सत् हुआ और सत् से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस “असत्वादी” विचारधारा के विपरीत “सत्वादी” विचारधारा के तत्त्व भी उपनिषदों में उपलब्ध होते हैं। छान्दोग्योपनिषद् में भी इस “सत्वादी” विचारधारा के समर्थन में कहा गया है कि “उसने सोचा मैं अनेक हो जाऊँ।” इसी तरह के वाक्य वृहदारण्यक उपनिषद् में भी मिलते हैं। उपनिषदों में “सत्वाद” और असत्वाद दोनों प्रकार की विचारधाराओं के बीज प्राप्त होते हैं।

उपनिषदों की भांति बौद्ध-पिटक-साहित्य में भी अनेक परस्पर विरोधी विचारधाराओं का वर्णन मिलता है। आत्मा और लोक नित्य है या अनित्य? आत्मा चेतन है या अचेतन? आदि मन्त्रव्य उस समय भी दार्शनिकों में विवादस्पद थे। ऐसे ही समय में कुछ बुद्धजीवी मनुष्यों ने महात्माबुद्ध के सम्मुख आत्मा की नित्यता-अनित्यता, चेतनता-अचेतनता आदि प्रश्नों को रखा था। महात्मा बुद्ध ने इन प्रश्नों का उत्तर “अव्याकृत” (अकथनीय) कह कर दिया था। तत्कालीन विचारक जिस प्रकार आत्मा और लोक की नित्यता-अनित्यता, चेतना-अचेतनता आदि के सन्दर्भ में निज मतों का पोषण कर रहे थे ठीक उसी प्रकार विश्व के मूलतत्त्व की एकता-अनेकता, नित्यता-अनित्यता, सदसदात्मकता आदि के विषय में भी मनीषीणण अपने-अपने मन्त्रव्य निरूपित कर रहे थे।

इसी समय महात्मा बुद्ध के समाकालीन भगवान महावीर ने उक्त प्रश्नों का उत्तर “अनेकान्तवाद” जैसे सुदृढ़ सिद्धान्त के माध्यम से दिया था। भगवान महावीर का मानना था कि विश्व का मूल तत्त्व एक ही है किन्तु वह अपने को अनेक रूपों में अभिव्यक्त करता है। जिस प्रकार मिट्टी से घड़ा, सकोरा, ईट, सुराही आदि बनाये जा सकते हैं परन्तु इन सबके मूल में मिट्टी ही सत् है उसी प्रकार यह विश्व यद्यपि विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है किन्तु इन सबके मूल में आत्म तत्त्व ही सत् है, जोकि अपने को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त करता है। भगवान महावीर ने इस तथ्य का उल्लेख करते हुए सूत्रकूतांग में कहा है कि “जिस प्रकार एक ही पृथ्वी-पिण्ड नाना रूपों में दिखलाई देती है उसी प्रकार एक ही आत्मा समस्त लोकों में विविध रूपों में दिखाई देती है।” इस प्रकार जैन-आगमों, उपनिषदों एवं बौद्ध-पिटक-साहित्य में अनेकान्त से सम्बन्धित तथ्यों का विवरण प्राप्त होता है। इस सन्दर्भ में प्रसिद्ध बौद्ध-विद्यापीठ के आचार्य भान्तरक्षित अपने “तत्त्वसंग्रह” ग्रन्थ में “अनेकान्तवाद” का परीक्षण करते हुए कहते हैं कि “विप्र-मीमांसक, निर्ग्रन्थ-जैन, कपिल-सांख्य इन तीनों का अनेकान्तवाद समानरूप से खण्डित हो जाता है।” इस कथन से प्रतीत होता है कि सातवीं-आठवीं सदी के बौद्ध विद्वान् अनेकान्तवाद को केवल जैन-दर्शनका ही सिद्धान्त नहीं मानते थे, किन्तु वह मीमांसक, जैन और सांख्य तीनों दर्शनों में अनेकान्तवाद को स्वीकार करते थे। इस तरह अनेकान्तवाद की उत्पत्ति का आधार जैन-दर्शन ही न होकर अन्य दर्शन भी है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि “अनेकान्तवाद” सिद्धान्त की उत्पत्ति भगवान महावीर से पूर्व हुई तो अवश्य थी, परन्तु उन्होंने अपने उपदेशों में अनेकान्तवाद का जितना स्पष्ट प्रतिपादन किया था, उतना उनके समकालीन या पूर्ववर्ती दर्शनप्रवर्तकों में से किसी ने भी नहीं किया। अतः “अनेकान्तवाद” सिद्धान्त की उत्पत्ति के मुख्य प्रवर्तक भगवान महावीर ही हैं। यहाँ पर यह कहना भी युक्ति संगत प्रतीत होता है कि महावीर से पूर्व पाश्वर्नाथ हुए थे, जिनके विचार आज उन्हीं के शब्दों में नहीं पाये जाते हैं किन्तु उन्होंने भी “अनेकान्त-दृष्टि” पर अवश्य प्रकाश डाला होगा तथा अनेकान्त को स्थिर करने में कुछ न कुछ योगदान अवश्य किया होगा।

जब किसी वस्तु या पदार्थ की उत्पत्ति होती है तो क्रमशः उसका विकास भी अवश्यम्भावी हो जाता है। इसी शाश्वत-सत्य का निर्वाह अनेकान्तवाद सिद्धान्त के साथ भी हुआ। यह सिद्धान्त विकसित होकर जैन आधार और विचार का आधार बन गया। जैनसाहित्य एवं दर्शन का अवलोकन करने का ज्ञात होता है कि “अनेकान्त-दृष्टि” का सिद्धान्त सत्य पर आधारित है। इस सन्दर्भ में पं० सुखलाल जी का कहना है कि “सभी महान् पुरुष को पसन्द करते हैं और सत्य की खोज तथा सत्य के ही

निरूपण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किन्तु सत्य—निरूपण की पद्धति सब की एक सी नहीं होती है। बुद्ध देव जिस भौली से सत्य का निरूपण करते हैं या शंकराचार्य उपनिषदों के आधार पर जिस प्रकार से सत्य का निरूपण करते हैं उससे भगवान महावीर की सत्य प्रकाशन की शैली भिन्न है। भगवान महावीर की सत्य प्रकाशन की शैली का ही दूसरा नाम “अनेकान्तवाद” है। उसके मूल में दो तत्त्व ‘पूर्णता’ और ‘यथार्थता’ हैं। जो पूर्ण है और पूर्ण होकर भी यथार्थ रूप से प्रतीत होता है, वही सत्य कहलाता है। इस सत्य को दर्शन के द्वारा ही जाना जा सकता है। दर्शन में प्रमेयों का जो वर्णन किया जाता है, वे हैं जागतिक पदार्थ। जागतिक पदार्थों में से किसी भी वस्तु को यदि हम निरीक्षण करते हैं तो वह अनेक रूपवाली प्रतीत होती है। प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। इसलिये वस्तु को “अनन्त धर्मात्मक” कहा गया है।

जन दार्शनिकों ने वस्तु की अनंधर्मता को “उत्पाद—व्यय—धौव्य” इस त्रिपदी के द्वारा व्यक्त किया है। जिनोपविष्ट यह त्रिपदी ही अनेकान्तवाद के विकास में सहायक हुई है। इसमें सत् सम्बन्धी दो विरोधी दृष्टिकोणों के मध्य समन्वय किया गया है। इस सम्बन्ध में सौभाग्यमल जैन एवं डॉ सागरमल जैन ने लिखा है कि “त्रिपदी ही जिन द्वारा वपित बीज है और अनेकान्तवाद उसी बीज से विकसित वट वृक्ष है। वैचारिक संघर्ष से श्रान्त मानव इसके नीचे आश्रय पा सकते हैं।” “त्रिपदी” ही वह आधारभूमि है, जिस पर “अनेकान्त” और स्याद्वाद” के भव्य प्रसादों का निर्माण जैनाचार्यों ने किया है। अनेकान्त—दृष्टि तो एक मूल है, इसके आश्रय से विभिन्न वादों तथा चर्चाओं का शाखा प्रशाखाओं के रूप में विस्तार हुआ है। इन वादों में से “नयवाद” तथा “सप्तभागीवाद” विशेष उल्लेखनीय है।

जैन मनीषीणों ने उक्त वादों को सत्य की कसौटी पर कसकर इनका विकास किया है। यही कारण है कि आज जैन—दर्शनके ‘अनेकान्त्वाद’ सिद्धान्त को लेकर ही एक अच्छा खासा पुस्तकालय बना हुआ है। पूर्व—पश्चिमी, उत्तर—दक्षिण भागों में प्रत्येक काल में उत्पन्न होने वाले अनेक छोटे—छोटे और प्रचंड दार्शनिकों में अनेक भाषाओं में “अनेकान्तवाद” पर विस्तृत और जटिल ग्रन्थों का सर्जन किया है। प्रारम्भ में जो साहित्य अनेकान्त—दृष्टि के अवलम्बन से निर्मित हुआ था, उसके स्थान पर तार्किक साहित्य मुख्यतः अनेकान्त—दृष्टि के माध्यम से रचा गया और वह शनैः—शनैः विकास को भी प्राप्त हुआ। इस तरह सम्प्रदाय की रक्षा और प्रचार की भावना से जो अनेकान्त—विषयक साहित्य का विकास हुआ है उसका वर्णन करने के लिये एक विशालकाय पुस्तकालय की आवश्यकता है। यह एक विदित तथ्य है कि आचार्य समन्तभद्र, सिद्धसेन दिवाकर, हरिभद्र, मुनिचन्द्रसूरि, यशोविजय जैसे प्रचन्ड विचारकों ने अनेकान्त—विषयक ग्रन्थों का प्रणयन किया तथा इस सिद्धान्त को विकास की चरम सीमा तक पहुँचाया है।

इस प्रकार ‘अनेकान्त्वाद’ सिद्धान्त जैन दर्शनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धान्त बन गया है। यही कारण है कि आज जब कोई अनेकान्तवाद का नाम लेता है तो जैनदर्शनस्थः ही मस्तिशक पटल पर आ जाता है और जब कोई जैन—दर्शनिका नाम लेना है तो अनेकान्तवाद ध्यान आ जाता है। पं० सुखलाल जी ने लिखा है कि “जैन विचारकों” ने जितना जोर और जितना पुरुषार्थ अनेकान्त दृष्टि के निरूपण में लगाया है, उसका शतांश भी किसी दर्शनके विद्वानों ने नहीं लगाया। उन्होंने स्पाद्वाद के निरूपण और समर्थन में बहुत बड़े—बड़े ग्रन्थ लिख डाले हैं। युक्तियों का आविर्भाव किया है और अनेकान्त के शास्त्र के बल से ही उन्होंने दूसरे दार्शनिक विद्वानों के साथ कुश्टी की है।

अनेकान्त्वाद के विकास के साथ दार्शनिकों ने “अनेकान्त” शब्द का अर्थ क्या है? इस पर पर्याप्त विचार करना प्रारम्भ कर दिया था। यदि हम “अनेकान्त” के शब्दिक अर्थ पर ध्यान दें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है “अनेक” और “अन्त”। जिसमें अनेक का अर्थ है— “एक से अधिक और ‘अन्त’ का अर्थ है— “धर्म या गुण”। इस आधार पर “अनेकान्त” भाव का अर्थ होगा “एक ही वस्तु का अनेक धर्मयुक्त होना”।

रचनाकारावतारिका में “अनेक” तथा “अन्त” शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है “न एकः अनेकः। अनेक चासौ अन्ति च इति अनेकान्तः”। अभ्यते—गम्यते — निश्चयते इति अन्तः धर्मः अर्थात् वस्तु में अनेक धर्मों के समूह को मानना अनेकान्त है। अष्टसहस्री में “अनेकान्त” का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि “वस्तु में न सर्वथा सत्त्व है और न सर्वथा असत्त्व, न सर्वथा नित्यत्व है और न सर्वथा अनित्यत्व। किन्तु किसी अपेक्षा से उसमें सत्त्व है तो किसी अपेक्षा से असत्त्व, किसी अपेक्षा से नित्यत्व है तो किसी अपेक्षा से अनित्यत्व आदि। सत्त्व, असत्त्व, नित्यत्व, आदि सर्वथा एकान्तों की अस्वीकृति अथवा प्रतिवाद का नाम ही अनेकान्त है।” ध्वला टीका में, अनेकान्त किसको कहते हैं? इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप कहा गया है “जच्चंतरत्त” अर्थात् जात्यन्तर भाव को अनेकान्त कहते हैं। अनेक धर्मों के एक रसात्मक मिश्रण से जो जात्यन्तर भाव उत्पन्न होता है, वही अनेकान्त शब्द का अर्थ है। सप्तभागी—तरंगीणी में अनेकान्त की परिभाषा इस प्रकार प्राप्त होती है—“अनेकेअन्ताः धर्मः सामान्य—विशेष पर्याप्यगुणा यस्येति सिद्धोऽनेकान्त। अर्थात् जिसके सामान्य— विशेष पर्याप्य व गुणरूप अनेक अन्त या धर्म है वह अनेकान्त रूप सिद्ध होता है।

न्यायावतार तथा वात्स्यायन न्यायभाष्य में भी “अन्त” भाव का अर्थ “अंश या “धर्म” के अर्थ रूप में ही किया गया है। इस प्रकार उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि “अन्त” शब्द का अर्थ सभी ग्रन्थकारों ने “अंश” या “धर्म” के अर्थ रूप में स्वीकार किया है।

“वाद शब्द का अर्थ है “प्रकटीकरण” या प्रभावना। जैनेद्रेसिद्धान्तकोश में “वाद” शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा गया है “व्यवहार में धर्म प्रभावना” अर्थात् व्यवहार में वस्तुओं की अनन्त धर्मता को प्रकट करना ही “वाद” है। किन्तु “वाद” शब्द के इस अर्थ का आशय यह नहीं है कि उसको कोई स्वतन्त्र अर्थ दिया गया है अपितु वह कथन या उल्लेख्यमत के ही अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर “अनेकान्तवाद” का अर्थ होगा “वस्तुओं की अनन्त धर्मता को प्रकट करना” अर्थात् विभिन्न अपेक्षाओं से एक ही वस्तु में अनेक धर्मों को स्वीकार करना। परन्तु अनेकान्तवाद का यह अर्थ समीचीन प्रतीत नहीं होता

है, क्योंकि अनेकान्तवाद केवल वस्तु की अनन्तधर्मता को ही सूचित नहीं करता, अपितु वह उसकी अनेकान्तिकता को भी सूचित करता है। अनेकान्तवाद मुख्यरूप से विरोधी प्रतीत होने वाले धर्मों का ही प्रतिपादन करता है। इस प्रकार अनेकान्तवाद के उक्त सन्दर्भ के आधार पर अनेकान्त का अर्थ अनेक + अन्त न होकर अन् + एकान्त अर्थात् “एकान्त का निषेध” है। जैन दर्शनका मानना है कि किसी भी वस्तु की सत्ता को उसके गुणों से निरपेक्ष नहीं माना जा सकता है, प्रत्येक वस्तु को निज अस्तित्व के लिये गुणों की भी अपेक्षा रहती है। श्री उपास्चाति ने भी लिखा है कि ”द्रव्य गुण—पर्याय वाला होता है।” अतः वस्तु को अपनी सत्ता बनाये रखने के लिये उसमें अनेक धर्मों का ज्ञात—अज्ञात, भावात्मक—अभावात्मक अवस्था में रहना नितान्त आवश्यक है।

इस लेख का वर्तमान परिपेक्ष्य में बहुत अधिक महत्व हो जाता है क्योंकि वस्तु को एक ही दृष्टि से न देखकर नाना रूपों में दृष्टक होती है। अतः किसी भी वस्तु या पदार्थ के उचित ज्ञान के लिए आवश्यक है कि वस्तु को नितान्त एकान्त रूप एवं नितान्त अन्त रूप में न समझकर, उस वस्तु को सही दृष्टिकोण देने के लिये, उसके सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अनेकान्तवाद वस्तु के विभिन्न रूपों की व्याख्या कर वस्तु को सुनिश्चित अपेक्षा से बाँधता है तथा यह ”एकान्तवाद का विरोध करता है।

#### **सन्दर्भ :**

1. तैत्यरीय उपनिषद्, 2 : 7
2. छान्दोग्य उपनिषद्, 6 : 2
3. पं. सुखलाल जी, 1974, अनेकान्त—दर्शन, भारत जैन महामण्डल, मुम्बई, पृ० 17
4. डॉसी, डॉ० राजेन्द्रलाल, 1982, अनेकान्तवाद एवं समीक्षात्मक अध्ययन, डॉ० गयाचरण त्रिपाठी, संपाठ, गंगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद, पृ० 48
5. जेनेन्द्र, सिद्धान्त, कोश, भाग—3, पृ० 541
6. यादव, डॉ० भिखारीलाल, 1989, स्थान्त्राद् और सप्तभंगी नय, आधुनिक व्याख्या, सागरमल जैन, संपाठ, पाश्वनाथ शोध संस्थान, वाराणसी, पृ० 46—47

## भारतीय दर्शन में 'आत्मा' की अवधारणा : एक विवेचन

डॉ० सुभाष चन्द्रा\*

\*एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊपुर-खीरी, उत्तर प्रदेश

**सारांश :** मनुष्य स्वभाव से ही चिन्तनशील है। जीवन और चिन्तन दोनों साथ-साथ चलते हैं। इस विराट ब्राह्मण्ड के असंख्य, अद्भुत पदार्थों के समक्ष जीवन की रिश्तति और सत्ता क्या है? मनुष्य का सोचना, विचारना, आनन्दित होना, दुःखी होना, पाप-पूण्य, जन्म-मरण आदि विभिन्न रूपों का रहस्य क्या है? इन्हीं जिज्ञासाओं को लेकर दर्शन का जन्म हुआ और इन्हीं पर उसमें चिन्तन किया गया है। चिन्तन या जिज्ञासा का अर्थ है ज्ञान की इच्छा। यही ज्ञानेच्छा मनुष्य को जीवन के प्रति, जगत के प्रति नये-नये विचारों, अनुसंधानों, आविष्कारों में प्रवृत्त करती है। इन क्रियाओं, प्रवृत्तियों से मनुष्य को नया ज्ञान मिलता है, नया दर्शन उपलब्ध होता है तथा सत् का साक्षात्कार होता है। दर्शन का जीवन और जगत से घनिष्ठ सम्बंध है। जीवन की सर्वागीणता के निर्माणक जो सूत्र, तन्तु या तत्त्व है, उन्हीं की व्याख्या करना दर्शन का ध्येय है। वास्तव में दर्शन जीवन और सत्ता के समग्र सत्य की खोज तथा उपलब्धि है। दर्शन शब्द 'दृश' धातु से बना है, जिसका अर्थ है— देखना या साक्षात् ज्ञान प्राप्त करना। 'दृश्यते अनेन इति दर्शनम्' अर्थात् जिसके द्वारा देखा जाय अथवा साक्षात् ज्ञान प्राप्त किया जाय वह दर्शन है।<sup>1</sup> दर्शन के इस अर्थ में भारतीय दर्शन अद्वितीय है। यहाँ दर्शन को 'विश्वदृशित'<sup>2</sup> कहा गया है जिसमें आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, नीति, धर्म और साधना सभी समाहित हैं।

**मुख्य शब्द :** भारतीय दर्शन, आत्मा, वेद, ऋग्वेद, आत्मविज्ञ, उपनिषद आदि।

मानव का जिज्ञासु मन आत्मतत्त्व को जानने का निरन्तर प्रयास करता है। भारतीय दर्शन में आत्मज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की संज्ञा दी गई है। आत्मनं विद्धि 'आत्मा को जानों' यह भारतीय दर्शन का उद्घोष है। आत्मतत्त्व स्वतःसिद्ध और स्वप्रकाश है। 'मैं हूँ' यह ज्ञान आलोचना या संशय का विशय नहीं है। वस्तुतः जीव का स्वरूप भूद्व आत्म चैतन्य ही है।<sup>3</sup> आत्मा शब्द 'अन्' श्वास लेना धातु से बना है। यह जीवन का श्वास है।<sup>4</sup> धीरे-धीरे इसके अर्थ का विस्तार होता गया और इससे जीवन, आत्म या व्यक्ति की मूल सत्ता का बोध होने लगा। आत्मा मनुष्य के जीवन का तत्त्व है। यह वह आत्मा है जो उसकी सत्ता में, प्राण में, प्रज्ञा में व्याप्त है और उससे परे भी है। आत्मा जगत के सारे पदार्थों में व्याप्त रहता है, सारे पदार्थों को अपने में ग्रहण कर लेता है, सारे पदार्थों का अनुभव करता है और इसकी सत्ता निरन्तर बनी रहती है, इसलिए इसे 'आत्मा' कहा जाता है।<sup>5</sup> अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना, या अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन करना ही 'आत्म दर्शन' या 'सम्यक् दर्शन' है।<sup>6</sup> वस्तुतः 'अपने आपको जानों' इस वाक्य से 'आत्म तत्त्व' को जानने की प्रेरणा मिलती है। प्राचीन काल से लेकर आज तक सभी चिन्तकों ने आत्मा के सम्बंध में अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं, जो भारतीय दर्शन की मूल्यान निधि है।

वेद भारतीय दर्शन के आदि ग्रन्थ हैं। वेदों के पश्चात् का सम्पूर्ण चिन्तन वेदों से प्रभावित रहा है। वेदों की अनेक श्रुतियाँ अद्वैतवाद का निरूपण करती हैं। वेदों के उस अद्वैत तत्त्व को आत्मा, स्वर्यसिद्ध, सर्वव्यापक और आनन्दमय आदि अनेक विभूतियों से युक्त कहा गया है।<sup>7</sup> ऋग्वेद में आत्मा को कभी विश्व की आधार भूत चेतन शक्ति के रूप में और कभी मनुष्य के प्राणतत्त्व के रूप में देखा गया है।<sup>8</sup> ऋग्वेद अजन्मे भागः अजोभागः की चर्चा करता है।<sup>9</sup> मनुष्य में एक अजन्मा और अमर तत्त्व है जो शरीर, मन एवं बुद्धि से भिन्न है। शरीर, मन और बुद्धि आत्म नहीं बल्कि उसके रूप हैं, बाह्य अभिव्यक्तियाँ हैं। मनुष्य का वास्तविक आत्म विशुद्ध अस्तित्व है, आत्मविज्ञ है। वह मन और बुद्धि के रूपों में प्रतिबद्ध नहीं है। जब हम आत्म को सभी वाहरी व्यापारों से मुक्त कर लेते हैं तो अंतर की गहराइयों से विचित्र और महान अनुभूति उत्पन्न होती है, जो आत्मज्ञान का चमत्कार है। जिस प्रकार विश्व की प्रेरणा और हलचल के नीचे ब्रह्म शास्त्र शान्त है, उसी प्रकार व्यक्ति की चेतन शक्तियों के नीचे मूलभूत सत्य मानव की अंतर्भूमि आत्मा है। एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति।<sup>10</sup> अर्थात् एक ही सत् है, विप्रजन उसे अनेक मानते हैं। इस एके वरवादी विचारधारा में आत्मा और ब्रह्म का ही तादात्म्य स्थापित किया गया है। ऋग्वेद में आत्मा की द्विव्यता का वर्णन करते हुए उसे 'अभय-ज्योति' के रूप में निरूपित किया गया है।<sup>11</sup> इसके अनन्तर ऋग्वेद के एक दूसरे मंत्र में इसी 'अभय-ज्योति' की प्राप्ति के लिए साधक ने प्रार्थना की है।<sup>12</sup> अर्थवेद में भी ब्रह्म की सर्वव्यापकता तथा आत्मा से अभिन्नता सम्बंधी विचार व्यक्त किये गये हैं।<sup>13</sup> वैदिक दर्शन में आत्मा स्वयं सिद्ध, आनन्दमय, अमर, सर्वश्रेष्ठ, सदैव युवा<sup>14</sup> और शास्त्रत रूप में निरूपित है।

उपनिषदों में आत्म तत्त्व का चिन्तन अत्यन्त स्पष्ट और विषद रूप में किया गया है। सभी उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के बीच तादात्म्य उपस्थित कर आत्मा और ब्रह्म को अभिन्न बताया गया है। वस्तुतः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। छान्दोग्य उपनिषद में कहा गया है 'शरीर में रहने वालों आत्मा वास्तव में ब्रह्म ही है और जैसे ही यह नश्वर बन्धन उत्तर जायेगा वैसे ही ब्रह्म में लीन हो जायेगा।<sup>14</sup> अतः सब कुछ आत्मा ही है। 'आत्मा एवं इदं सर्वम्<sup>15</sup> शुद्ध सत्ता अर्थात् उस एक परम तत्त्व को ब्रह्म, आत्मा, सत् के रूप में वर्णित किया गया है। आदि में आत्मा मात्र था।<sup>16</sup> आत्मा नित्य है। न वह जन्म लेता है और न मरता है। और न वह कभी विकार ग्रस्त होता है। वह न इन्द्रिय है, न मन है, न बुद्धि है और न प्राण है।<sup>17</sup> इसी प्रकार कठोपनिषद में एक सुन्दर रूपक द्वारा यह समझाया गया है कि 'यह शरीर रथ है, बुद्धि सारधि है, मन लगाम है, इन्द्रियाँ घोड़ हैं जो विषय रूपी मार्ग पर चलते हैं और आत्मा रथ का स्वामी है।'<sup>18</sup> आत्म ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान या परा विद्या है और सभी ज्ञान अपराविद्या है। आत्मा को जान लेने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है। आत्मा अजर, अमर है।<sup>19</sup> आत्मा और ब्रह्म एक ही है।<sup>20</sup> आत्मा जीवात्मा का यर्थात्

तत्व है। जीवात्मा पाँच कोपों से युक्त ह—यथा अन्यमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनन्दमय कोष। आत्मा इन सभी का अधिष्ठाता है, अंतर्यामी है<sup>21</sup>। अतः समस्त बाह्य वस्तुओं से इन्द्रियों को समेटकर आत्मकोद्वित करने से ही आत्मज्ञान हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय चिन्तन परम्परा में उपनिषदों के विचारकों ने यह स्थापित किया कि आत्मा हमारे अंतः स्थल में विद्यमान है। आत्मा पूर्ण है और यह मौलिक प्रकृति एवं उसकी समस्त घटनाओं के अन्दर सत्तात्मक रूप से व्याप्त है। वास्तव में उपनिषदा में वर्णित आत्म विचार अनेकता में एकता स्थापित करके जीवन की विभिन्न धाराओं को एक ही परम सत् में विलयित होने का प्रतिपदान करते हैं। उपनिषदों के आत्मा सम्बंधी विचारा का योगदान इस रूप में भी विशेष महत्वपूर्ण है कि इनमें समस्त मानवता के लिए समान रूप से 'श्रेय' (Highest Good) और 'प्रेर्य' (Highest Happiness) का निर्देशन किया गया है। निःसन्देह उपनिषदों में, जसा कि कहा जाता है, कोई एक दार्शनिक मत नहीं है बल्कि अनेक दार्शनिक सिद्धांतों के सकेत उनमें मिलते हैं। यदि सारांश रूप में कहा जाय तो वेदों के विषयगत अधिगमन को उपनिषदों में आत्मगत दृष्टि से सम्पूर्णित किया गया है। वैदिक ऋचायें 'एकम् सत्' की उस सर्वोच्च अवधारणा तक पहुँची थी, जिसकी अभिव्यक्ति दृश्य जगत में विभिन्न रूपों में होती है। उपनिषद भी अंततः इसी 'एकम् सत्' के सिद्धांत तक पहुँचते हैं किन्तु उपनिषदीय अधिगमन आत्मा के स्वभाव का दार्शनिक विश्लेषण करके उस तक पहुँचना है।

गीता को उपनिषदों का सार कहा गया है। गीता में सृष्टि के सम्बंध में विविध सिद्धांतों तथा तत्व के स्वरूप सम्बंधी मतों की विवेचना के साथ—साथ आत्मा के अमरत्व को भी प्रदर्शित किया गया है। गीता के सन्देश सार्वभौम है। गीता म कहा गया है कि पारमार्थिक दृष्टि से कोई मरता नहीं है। 'आत्मा' अजर, अमर, नित्य एवं सर्वव्यापक है। जर्जर पुराने शरीर को त्यागना 'मरण' है और नये शरीर को धारण करना 'जन्म' है। इस संसार में किसी का नाश नहीं होता, आत्मा का भी किसी प्रकार से नाश नहीं होता<sup>22</sup>। आत्मा की अमरता का उल्लेख करते हुए गीता में कहा गया है—

**'न जायते प्रियते व कदाचि  
नाय भूत्वा भविता वा न भूयः  
अजो नित्यः शाश्वतोऽयंपुराणोः  
न हन्यते हन्यमाने भारीरे।'**<sup>23</sup> अर्थात्

यह आत्मा किसी काल में न जन्मता है और न मरता है—

यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। इसी प्रकार गीता के एक अन्य श्लोक में कहा गया है— 'जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नये वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार शरीर का स्वामी आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नये शरीर को धारण करता है'<sup>24</sup>। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं और न ही इसे आग जला सकती है। इसे न जल गला सकता है और न ही वायु सुखा सकती है<sup>25</sup>। आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, रिथर और सनातन है<sup>26</sup>। इस प्रकार हम देखते हैं कि गीता में आत्मा को अजर, अमर तो कहा ही गया है, इसके साथ ही पुर्वजन्म को भी महत्व दिया गया है। गीता में ऐसा कहा गया है कि आत्मा का पुर्वजन्म मोक्ष पाने के लिए होता है। मोक्ष ही चरम लक्ष्य है। आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति कई जन्मों के पश्चात् होती है। जब तक आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक इसका जन्म होता रहता है। इसमें कर्मों का भी महत्व है, क्योंकि जन्म भी कर्मों के अनुसार होता है। मोक्ष मिलते ही आत्मा का पुनः पुनः जन्म लेना समाप्त हो जाता है।

भारतीय चिन्तन परम्परा में कहा जाता है कि जीवमात्र दुःख की निवृत्ति के लिए, आत्यन्तिक सुख को प्राप्ति के लिए या 'आत्मा' के दर्शन के लिए व्युक्त है। अतः सभी जीव 'आत्मा' की खोज में अपनी बुद्धि के अनुसार लगे रहते हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय दर्शन के प्रायः सभी दार्शनिक सम्प्रदाय आत्मा के नित्य एवं सर्वव्यापी अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, किन्तु चार्वाक दर्शन आत्मा के ऐसे किसी नित्य एवं सर्वव्यापी अस्तित्व की कड़ी आलोचना करता है और यह स्थापित करता है कि यह शरीर अवश्य ही चेतना सम्पन्न है किन्तु यह शरीर से नितान्त भिन्न कोई गुण या स्थायी तत्व नहीं है। चेतना शरीर को बनाने वाले चार भौतिक द्वयों—पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के संगठन से उत्पन्न गुण मात्र है। इस तरह मूलतः जड़त्व से अद्भुत होने के कारण चेतना या आत्मा ऐसी कोई विशेषता नहीं रखती कि हम उसे अतिरिक्त महत्व दें। इसीलिए चार्वाक सत्र में कहा गया है कि— 'चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः'<sup>27</sup> अर्थात् शरीर में ही चैतन्य है। शरीर के मरने पर न तो उसमें चैतन्य रहता है, और न क्रिया। श्रुतियां में भी कहा गया है— 'सा वा एष अन्न समयः पुरुषः'<sup>28</sup> मैं मोटा हँड़ मैं पतला हँड़ गौरवर्ण का हँड़ इत्यादि अनुभव से भी यही सिद्ध होता है कि 'शरीर ही आत्मा' है। चार्वाक चैतन्य को यथार्थ मानता है, क्योंकि चैतन्य का ज्ञान प्रत्यक्ष से प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष से बाह्य तथा आंतरिक जगत का ज्ञान होता है, इसीलिए चैतन्य प्रत्यक्ष का विशय है। परन्तु अन्य भारतीय दार्शनिकों की तरह चार्वाक चैतन्य को आत्मा का गुण नहीं मानता बल्कि यह प्रतिपादित करता है कि चैतन्य शरीर का गुण है। शरीर में ही चेतना का गुण रहता है। इसीलिए चार्वाक आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं मानता है। चेतन शरीर ही आत्मा है। चैतन्य विशिष्ट देह को चार्वाक ने आत्मा कहा है, अर्थात् आत्मा शरीर है और शरीर आत्मा है। आत्मा और देह के बीच अभेद मानने के फलस्वरूप चार्वाक के आत्मा सम्बंधी विचारों को देहात्मवाद<sup>29</sup> कहा जाता है।

जिस सत्ता को अन्य भारतीय दर्शनों में 'आत्मा' कहा गया है, उसी को जैन दर्शन में 'जीव' की संज्ञा दी गई है। वस्तुतः जीव और आत्मा एक ही सत्ता के दो भिन्न—भिन्न नाम हैं। जैन दर्शन चेतन द्वय को जीव या आत्मा कहता है। चैतन्य जीव का मूल लक्षण है 'चैतन्य लक्षणोः जीवः'<sup>30</sup> चैतन्य के अभाव में जीव की कल्पना करना सम्भव नहीं है। चैतन्य जीव में सर्वदा अनुभूति रहने के कारण जीव को प्रकाशमान माना जाता है। प्रत्येक जीव स्वरूप से अनन्तचतुष्टय सम्पन्न<sup>31</sup> अर्थात् अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य और अनन्त आनन्द से युक्त माना गया है। जीव नित्य है, जीव की यह विशेषता शरीर में नहीं पायी जाती है क्योंकि शरीर नाशवान है। जीव की अनेक विशेषतायें हैं। जीव ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। जीव की सभी क्रियायें उसके अपने किये कर्मों के फलस्वरूप हैं। स्वभाव से शुद्ध दृष्टि के अनुसार जीव में ज्ञान तथा दर्शन है। यह कर्ता है और अपने स्थूल शरीर

समान लम्बा—चौड़ा है। वह अपने कर्मों का भोक्ता है, सिद्ध है और गतिशील है<sup>32</sup> अविद्या के कारण कर्म जीव में प्रवेश करता है, और इसी कम के सम्बंध में जीव बन्धन में रहता है। बन्धन से मुक्त होने पर जीव का सम्यक् ज्ञान अभिव्यक्त होता है। सम्यक् ज्ञान से युक्त होने के कारण ही जीव मुक्ति अर्थात् मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसार होता है। आचार अनुशीलन एवं विशेष शक्ति के अनुग्रह से 'सम्यक् ज्ञान' को प्राप्त करता है। जैन मतानुसार जीव अनेक हैं। जीव की अनेकता में विश्वास करने के फलस्वरूप जैन दर्शन अनेकान्तवाद् का समर्थक है। जैनों ने जितने जीवों की चर्चा की है, सभी चेतन हैं। भिन्न-भिन्न कोटि के जीवों में चैतन्य की मात्रायें भिन्न-भिन्न हैं। कुछ जीवों में चेतना कम विकसित है, तो कुछ जीवों में चेतना अधिक विकसित होती है। सबसे अधिक विकसित चेतना मुक्त जीवों में होती है। इन्हें एक छोर पर रखा जा सकता है। सबसे कम विकसित चेतना स्थावर जीवों में होती है इसलिए इन्हें दूसरे छोर पर रखा जा सकता है। जैन दर्शन की दृष्टि से द्वय रूप में जीव अनन्त है किन्तु ज्ञान रूप से एक है। इसलिए द्वयरूप से प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा भिन्न-भिन्न है और ज्ञान रूप से एक है। इस प्रकार जैन सर्वात्मवाद<sup>(33)</sup> को मानते हैं। सारांशतः हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन में आत्मा को एक स्वतंत्र एवं नित्य सत्ता का स्थान मिला जिसके कारण जीव में अपने कल्याण की आशा पुनः जाग्रत हो उठी। मनुष्य को फिर विश्वास दुआ कि उसके कर्म ही उसका उत्थान और पतन कर सकते हैं तथा अविद्या आदि दोशों का नाश कर वह स्वयं ही पूर्ण मुक्त अथवा केवली ही सकता है। बौद्ध दर्शन आत्मा के विषय में 'अनात्मवाद' का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। बुद्ध का विचार था कि आत्मा कोई नित्य, कूटस्थ, अजर, अमर वस्तु नहीं है बल्कि विशिष्ट कारणों से स्वक्षयों के ही योग से उत्पन्न एक शक्ति है जो अन्य वाह्य भूतों की भौतिक क्षण-क्षण उत्पन्न और विलीन हो रही है। चित्त के क्षण-क्षण उत्पन्न और विलीन होने पर भी चित्त का प्रवाह जब तक शरीर में जारी रहता है तब तक शरीर सजीव कहा जाता है। आध्यात्म और शरीर के परिवर्तनों में बहुत कुछ समानता है। हमारा शरीर क्षण-क्षण बदल रहा है लेकिन सदृश्य परिवर्तन के कारण उसे एक कहा जाता है। मज्जिमनिकाय में बुद्ध ने कहा है कि 'भिक्षुओं रूप अनित्य है, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, रूप, आत्मा नहीं है। ये सभी पदार्थ अनात्मा हैं'<sup>34</sup> पुनः बुद्ध कहते हैं कि 'विश्व में कोई न स्थायी आत्मा है, और न आत्मा की तरह अन्य कोई वस्तु। पाँच ज्ञानेन्द्रियों के आधार रूप, मन और मन की वेदनायें, ये सब आत्मा या आत्मा के समान किसी चीज से सर्वथा शून्य हैं, स्थायी आत्मा में विश्वास करना भ्रामक है।'<sup>35</sup> इस प्रकार बुद्ध नित्य, अविनाशी, स्थायी और चिरन्तन आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मानना है कि संसार परिवर्तनशील है। मनुष्येतर जीव या अन्य कोई भी वस्तु परिवर्तन से रहित नहीं है। बुद्ध यह स्वीकार करते थे कि जीवन विभिन्न क्रमबद्ध और अव्यवस्थित अवस्थाओं का एक प्रवाह या संतान है<sup>36</sup> विभिन्न अवस्थाओं की संतति को ही जीवन कहते हैं। इस संतति के अन्दर किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। इसी तरह वर्तमान अवस्था आगामी अवस्था को उत्पन्न करती है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पूर्वापर कार्य-कारण सम्बंध रहता है।<sup>(37)</sup> मनुष्य केवल एक समष्टि का नाम है। जिस तरह चक्र, धूरी, नेमि आदि के समूह को रथ कहते हैं, उसी तरह बाह्य रूप युक्त शरीर, मानसिक अवस्थायें और रूप ही संज्ञा या विज्ञान के संघात को मनुष्य कहते हैं। संघात के अतिरिक्त आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है।<sup>(38)</sup> आत्मा कोई नित्य तत्त्व नहीं है। आत्मा चेतना का प्रवाह है। इस प्रवाह में हमें एकता का भ्रम होता है, किन्तु कोई स्थायी आत्मतत्त्व होता नहीं। बौद्ध दर्शन में भौतिक तथा मानसिक क्रियाओं का संघात आत्मा है। संघात का अर्थ 'स्कन्ध' है। बौद्ध दर्शन में 'नाम-रूप'-के 'पञ्च स्कन्ध' हैं<sup>39</sup> इन्होंने को आत्मा माना जाता है। पञ्च स्कन्ध इस प्रकार है— रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान।<sup>(40)</sup> रूप स्कन्ध में मनुष्य के भारीर के जो आकार, रंग आदि हैं वे सब रूप के अन्दर आते हैं। वेदना स्कन्ध में सुख-दुःख के बोध आते हैं। संज्ञा स्कन्ध में अनेक प्रकार के ज्ञान आते हैं। संस्कार स्कन्ध में पूर्व कर्मों के कारण जो प्रवृत्तियाँ पैदा होती हैं, वे संस्कार स्कन्ध हैं। विज्ञान स्कन्ध में चेतना की गणना की जाती है। इन पञ्च स्कन्धों के अतिरिक्त आत्मा नाम का कोई स्थायी तत्त्व नहीं है। बौद्ध दर्शन क्षणिक विज्ञान को ही आत्मा स्वीकार करते हैं।<sup>(41)</sup> बौद्ध दर्शन का आत्मा सम्बन्धी उपरोक्त सिद्धांत 'नैरात्मवाद' अथवा 'अनात्मवाद' कहलाता है, क्योंकि इसमें नित्य और स्थायी, जिसे सवेदनाओं आदि का अधिष्ठान माना जाता है, को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया है। 'नैरात्म' एक नकारात्मक निषेधमूलक शब्द है, जो हमें यह बताता है कि आत्मा नहीं है। किन्तु संघात सकारात्मक है, जो हमें यह बताता है कि 'आत्मा' वस्तुतः क्या है? यह बताता है कि पञ्च स्कन्धों वाला नाम-रूप संघात ही 'आत्मा' है। यद्यपि पुर्वजन्म और निर्वाण विचार के सन्दर्भ में बौद्ध दर्शन के अनात्मवादी विचार आलोचना के विषय है। परन्तु बौद्ध दर्शन में पुर्वजन्म और निर्वाण विचार के तरक संगत विवेचन से यह स्पष्ट है कि नित्य, कूटस्थ अजर-आत्मा के सिद्धांत को माने बिना भी पञ्च स्कन्ध तथा विज्ञान प्रवाह से मनुष्य जीवन, पुर्वजन्म और निर्माण की अवस्था को बुद्ध ने वर्णनातीत कह कर अनात्मवाद को स्थापित किया है।

आत्मा के सम्बन्ध में न्याय-वैशेषिक का मत वस्तुवादी है। व्यापक अर्थ में न्याय-वैशेषिक दर्शन में 'आत्मन' शब्द जीवात्मा और परमात्मा दोनों के लिए ही प्रयुक्त दुआ है। आत्मा एक ऐसा द्वय है जिसमें चेतना रहती है<sup>42</sup> जीवात्मा में सीमित चेतना रहती है, जबकि परमात्मा में यह असीमित है। जीवात्मा वह है जो शरीर धारण करे और शरीर में आने के बाद जिसमें चेतना का गुण उदय हो। यद्यपि चेतना को आत्मा धारण करती है किन्तु चेतना आत्मा का अनिवार्य गुण नहीं है। यह उसका आगन्तुक और आकस्मिक गुण है। आत्मा में बुद्धि या ज्ञान, सुख-दुःख राग-द्वेष, इच्छा, प्रयत्न आदि गुण के रूप में वर्तमान रहते हैं। ये जड़ जगत के गुण नहीं हैं, क्योंकि जड़ द्वयों के गुणों की तरह ये वाह्य इन्द्रियों से बोधगम्य नहीं हो सकते। अतः हमें मानना पड़ता है कि ये एक ऐसे द्वय के गुण हैं जो जड़ द्वयों से भिन्न है। भिन्न-भिन्न भारीरों में भिन्न-भिन्न आत्मा है, क्योंकि उनके अनुभव एक दूसरे से पृथक है। जीवात्मा अनक है। शरीर अलग-अलग तो शरीर को धारण करने वाली जीवात्मा भी अनेक है। आत्मा की न उत्पत्ति है, न नाश है, अतः यह नित्य है। यह विभु है, क्योंकि यह काल और दिक् दोनों ही दृश्यियों से बिल्कुल असीम है।<sup>43</sup> शरीर या इन्द्रियों को आत्मा नहीं कहा जा सकता है। शरीर आत्मा नहीं है, क्योंकि इसकी अपनी चेतना या ज्ञान नहीं है। अर्थात् आत्मा स्वप्रकाश या शुद्ध चैतन्य नहीं है। न्याय-वैशेषिक के अनुसार चैतन्य के लिए कोई आश्रय द्वय होना आवश्यक है। आत्मा ही वह द्वय है, और चैतन्य उसका गुण है। आत्मा ज्ञान नहीं बल्कि एक ज्ञाता है जो अहंकार का आश्रय तथा भोक्ता भी है।<sup>44</sup>

आत्मा के ज्ञान का साधन मनस् है। आत्मा को इच्छा, द्वेष आदि का ज्ञान मनस से होता है। मनस अन्तःकरण है। यद्यपि ज्ञान या चैतन्य आत्मा का एक गुण है फिर भी इसे आत्मा का स्वरूप नहीं कह सकते। आत्मा में चेतना का संचार तभी होता है जब इसका मनस् के साथ, मनस् का इन्द्रियों के साथ और इन्द्रियों का वाहय वस्तुओं के साथ सम्पर्क होता है। यदि ऐसा सम्पर्क नहीं हो तो आत्मा में चैतन्य का उदय नहीं हो सकता। अतः आत्मा जब शरीर मुक्त होता है, तब इसके ज्ञान का अभाव रहता है। न्याय—वैशेषिकों के अनुसार आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हो सकती है, आत्मा का ज्ञान या तो आप्त वचनों से होता है या उसके प्रत्यक्ष गुणों यथा—इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख—दुःख एवं बुद्धि के अनुमान के द्वारा होता है<sup>45</sup> न्याय—वैशेषिक के अनुसार आत्मा का यर्थात् ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का साधन है। शास्त्रों के श्रवण, मनन, निदिध्यासन एवं योगाभ्यास से आत्मा के प्रकृत स्वरूप का ज्ञान होता है<sup>46</sup> और यही मोक्ष की अवस्था या अपवर्ग है। इसमें आत्मा अपनी स्वभाविक अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार न्याय—वैशेषिक मत में आत्मा अनादि, अनन्त, और सर्वव्यापी, विमु है। आत्मा की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए न्याय—वैशेषिक दर्शन में कुछ युक्तियों का उपयोग हुआ है, जो आलोचना के विषय है।

भारतीय दर्शन परम्परा में जिस सत्ता को अधिकांशतः भारतीय दार्शनिकों ने 'आत्मा' कहा है, उसी सत्ता को सांख्य दर्शन में 'पुरुष' कहा गया ह। सामान्यतः पुरुष से हमारा तात्पर्य सशरीर व्यक्ति से होता है किन्तु सांख्य दर्शन में पुरुष का अर्थ 'शुद्ध आत्मा— है जो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि से सक्षम पृथक तत्व है। सांख्य ने पुरुष को शुद्ध चैतन्य माना है। चैतन्य आत्मा में सर्वदा विद्यमान रहता है। इसलिए चैतन्य को आत्मा का गुण नहीं बल्कि स्वभाव माना गया है। आत्मा स्वप्रकाश है। वह स्वयं तथा संसार की अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करती है। आत्मा अभौतिक है चेतना उसका स्वरूप लक्षण है। यद्यपि पुरुष (आत्मा) चेतनशील है, पर निष्क्रिय है। वह सदैव ज्ञाता है, वह ज्ञान का विषय नहीं बनता, वह केवल ज्ञाता है। वह साक्षी चैतन्य है। वह उदासीन है, और सुख—दुःख से प्रभावित नहीं होता। उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। वह अपरिणामी है। वह सर्वव्यापी तथा सनातन है। उसका न आदि है और न अन्त है। वह अजर—अमर, कूटस्थ नित्य है<sup>47</sup> सांख्य दर्शन में पुरुष की सत्ता सिद्ध करने हेतु कुछ तर्क दिए गये हैं। सांख्यकारिका में कहा गया है कि—

संघातपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविर्ययादिधिष्ठानात् ।

पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च ।<sup>48</sup>

अर्थात् संघात का अन्य के लिए त्रिगुण आदि विर्यय से, अधिष्ठान से, भोक्तृत्व हाने से और केवल्य या मोक्ष के लिए प्रवृत्ति होने से पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है। पुरुष का अस्तित्व प्रमाणित करने के साथ ही सांख्य दर्शन में पुरुष (आत्मा) की संख्या पर भी विचार किया गया है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष की संख्या अनेक है। जितने जीव हैं, उतनी ही आत्मायें हैं। सभी आत्माओं का स्वरूप चैतन्य है। गुण की दृष्टि से सभी आत्माये समान हैं, तथा परिणाम की दृष्टि से भिन्न—भिन्न है। सांख्य पुरुष अर्थात् आत्मा के सम्बन्ध में 'अनकवाद' का समर्थक है। वास्तव में सांख्य पुरुष को अनेक और प्रत्येक पुरुष को एक आध्यात्मिक इकाई मानता है। पुरुष की अनेकता को सिद्धि के लिए सांख्यकारिका में कहा गया है—

जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत् प्रवृत्तेश्च ।

पुरुष बहुत्वं सिद्ध त्रैगुण्यं विर्ययाच्चैव ।<sup>49</sup>

अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अलग होता और इन्द्रियों की क्रियाओं में भी भिन्नता होती ह, मृत्यु अलग—अलग होती है। यदि पुरुष अनेक न होकर एक होता, तो ये क्रियायें अलग नहीं हो पाती किन्तु ऐसा नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि पुरुष अनेक है। ठीक इसी प्रकार पुरुष की प्रवृत्ति में असमानता, स्वभाव की भिन्नता, गुणों की भिन्नता आदि से स्पष्ट ह कि पुरुष अनेक हैं। यद्यपि सांख्य के अनुसार मुक्त पुरुष में केवल संख्यागत भेद हैं तथा स्वरूपतः वे समान हैं। बद्ध पुरुषों में संख्यागत एवं गुणगत दोनों प्रकार के भेद हैं। किसी पुरुष में सत्त्वगुण का प्राधान्य है, किसी में रजोगुण का और किसी में तमोगुण का। अतः तीनों गुणों की प्रधानतः में शरीर के अधिष्ठाता पुरुष (आत्मा) में भेद सिद्ध होता है। अतः पुरुष की अनेकता सिद्ध है। पुरुष के अस्तित्व तथा उसकी अनेकता व स्वरूप को लेकर सांख्य दर्शन में गहन विमर्श किया गया और उसके पक्ष में सबल तर्क भी दिए गये हैं लेकिन सांख्य के आत्मा सम्बन्धी विचारों की आलोचना की जाती है और यह कहा जाता है कि सांख्य का द्वैतवाद अर्थात् प्रकृति एवं पुरुष की अवधारणा वस्तुतः अद्वैतवाद के लिए भूमि तैयार करती है।

सांख्य दर्शन के समान योग भी यह मानता है कि जीव स्वतंत्र पुरुष या आत्मा है। जीव स्वभावतः शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जीव का सम्बन्ध स्थूल और सूक्ष्म शरीर (इन्द्रियां, मन, अहंकार) से रहता है। अज्ञानवश जीव चित्त के साथ अपना तादाम्य स्थापित कर अपने को चित्त समझने लगता है तथा परिवर्तनशील चित्तवृत्तियों में प्रतिबिम्बित होने के कारण उसमें परिवर्तन का आभास होने लगता है<sup>50</sup> वास्तव में आत्मा में कोई विकार नहीं होता। चित्त में होने वाले विचारों में आत्मा का प्रकाश पड़ता है और अज्ञानवश आत्मा उन्हीं में स्वयं को देखने लगता है। इसीलिए सुख, दुःख का अनुभव करता है, यही आत्मा का बन्धन है। इसके लिए चित्तवृत्ति निरोध आवश्यक है। चित्तवृत्तियाँ जो आत्मा पर आवरण डाले रहती हैं, सहज ही आत्मा से दूर नहीं होती, इस हेतु मनुष्य को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रयत्न करना पड़ता है, यह प्रयत्न ही योग दर्शन में 'अष्टांग योग'<sup>51</sup> के नाम से जाना जाता है। अष्टांग योग के अनुशीलन से आत्मा को आत्म साक्षात्कार अर्थात् शुद्ध चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति होती है। आत्मसाक्षात्कार जीवन की पूर्णता है और यही मोक्ष या कैवल्य है। दाशनिक परम्परा में समान तंत्र की दृष्टि से देखे तो योग दर्शन ने सांख्य दर्शन की तत्त्वमीमांशा और ज्ञानमीमांशा को व्यवहारिक आयाम दिया है जिसका अनुसरण करके विवेक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और मुक्त हुआ जा सकता है।

मीमांसा दर्शन के आत्मा सम्बन्धी विचार न्याय वैशेषिक के आत्म—विचार से मिलते जुलते हैं। आत्मा को मीमांसा दर्शन में नित्य, अविनाशी द्वय माना गया है, जो चैतन्य गुण का आधार ह। चैतन्य आत्मा का आगन्तुक गुण है। अर्थात् चैतन्य आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है अपितु औपाधिक गुण है जो अवस्था विशेष में उत्पन्न हो जाता है। आत्मा स्वभावतः अचेतन है। आत्मा

का सम्पर्क जब मन इन्द्रियों से होता है तब आत्मा में चैतन्य का उदय होता है। मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनि ने आत्मा को बुद्धि और इन्द्रियों से पृथक् माना है<sup>52</sup> शब्द भी आत्मा को शरीर, प्राण, ज्ञानेन्द्रियों और बुद्धि से पृथक् एक नित्य पदार्थ मानता है<sup>53</sup> आत्मा 'स्वसंवेद्य' है। दूसरे उसे न देख सकते हैं और न दूसरों को उसे दिखाया जा सकता है। आत्मा 'आत्म ज्योति' है, वह 'स्वप्रकाश' है, नित्य है और अविनाशी है<sup>54</sup> आत्मा स्वभाव से नित्य एवं प्रति शरीरवर्ती है। भिन्न-भिन्न देहों में स्थित होने के कारण आत्मा कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता भी है। जितने जीव हैं, उतने ही आत्मा है, अर्थात् प्रत्येक जीव में पृथक्-पृथक् आत्मा है। जीवात्मा बन्धन में आते हैं और बन्धन से मोक्ष भी पा सकते हैं। आत्मा अनेक हैं। आत्मा के भोग, कर्म, सुख-दुःख धर्म-धर्म भी इसी कारण अलग-अलग हैं। मनस् आत्मा का अतःकरण है। आत्मा को विशेष गुणों की उपलब्धि मनस् के द्वारा होती है। सुख, दुःख, इच्छा, प्रयत्न, द्वेष, धर्म, अधर्म, संस्कार और बुद्धि आत्मा के विशेष गुण हैं। मोक्ष आत्मा के ज्ञान, सुख, दुःख इत्यादि अपने विशेष गुणों के उच्छेद की अवस्था है जिसमें आत्मा सब संसारिक गुणों से शून्य होकर एक नित्य और विभुद्वय के रूप में अवस्थित रहता है<sup>55</sup> आत्मा का ज्ञान कैसे होता है? इस सन्दर्भ में कुमारिल और प्रभाकर मीमांसकों में मदभेद है। प्रभाकर न्याय-वैशेषिक की तरह ज्ञान को आत्मा का गुण मानते हैं। आत्मा ज्ञाता है और ज्ञाता के रूप में ही वह प्रकाशित होती है। प्रत्येक ज्ञान में त्रिपुटी अर्थात् ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान को प्रकार्ता की क्षमता है। कुमारिल ज्ञान को आत्मा का परिणाम मानते हैं। उनका कथन है कि ज्यों ही आत्मा पर विचार किया जाता है, त्यों ही यह बोध होता है कि 'मैं हूँ'। इसे अहं-वित्ति कहा जाता है। इसके विषय के रूप में आत्मा का ज्ञान हो जाता है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि मीमांसक शरीर, मन, इन्द्रिय एवं बुद्धि से परे आत्मतत्त्व के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, जो शरीर के मृत्यु के बाद भी नहीं मरता, वह कर्मानुसार शरीर धारण करता है और तब तक इस ससार में बार-बार आता है जब तक कि उस मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है।

भारतीय दर्शनों में आत्मतत्त्व का विवेचन अनेक दृष्टियों से किया गया है। अद्वैत वेदान्त दर्शन में आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में जो मौलिक विचार भांकराचार्य ने प्रस्तुत किय हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शंकराचार्य ने आत्मा को ब्रह्म अर्थात् परम तत्व माना है। जीव देहस्थ आत्मा है। जीव के अन्दर रहने वाला पारमार्थिक तत्व आत्मा है। वही जीवन का आधारभूत चैतन्य है। आत्मा के अस्तित्व का निराकरण नहीं किया जा सकता है। जो निराकरण करने वाला है वह आत्मा ही है। सभी आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान रखते हैं, कोई यह नहीं कहता कि 'मैं नहीं हूँ'। जो भी आत्मा का निशेध करता है वह आत्मा (मैं) के भाव का कथन करता है। आत्मा सर्वदा वर्तमान रहता है<sup>56</sup> वेदान्त सूत्र की अपनी टीका में शंकराचार्य यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि क्या हमारे अनुभव में कोई वस्तु ऐसी है जिसे मूलभूत माना जा सके। वे अनुभव के अनेक कारकों को इस दृश्टिकोण से समीक्षा कर स्पष्ट करते हैं कि आत्मा हमारे चेतना के प्रवाह की पूर्व मान्यता है। वह सत्य और असत्य से पूर्व है, यथात् और भ्रम से पहले है, शुभ और अशुभ के परे है। ज्ञान के सभी प्रमाण आत्म-अनुभूति पर ही निर्भर है। आत्म अनुभूति स्वयं प्रमाणित है। वह स्वयं सिद्ध है<sup>57</sup> आत्मा ही सभी प्रणामों का आधार है। आत्मा प्रत्येक जीव में स्वतः प्रकाश है। प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है कि 'मैं हूँ'। मैं नहीं हूँ' ऐसा कोई अनुभव नहीं करता<sup>58</sup> इस प्रकार आत्मन् मूलभूत चेतना है। समस्त यथात् का अधिश्ठान है। वास्तव में शंकर का दर्शन स्वयसिद्ध आत्मा को लेकर शुरू होता है जो उपनिषदों के आत्मा या ब्रह्म सम्बन्धी विचारों पर आधारित है। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म में अभेद माना गया है। जिसे 'अहं ब्रह्मस्मि'<sup>59</sup>, 'तत्त्वमसि'<sup>60</sup> 'अयमात्मा ब्रह्म'<sup>61</sup> 'आत्मैवेदं सर्वम्'<sup>62</sup> 'सर्व खलिवदं ब्रह्म'<sup>63</sup>, 'नेह नानास्ति किंचनं'<sup>64</sup>, 'एक मेवाद्वितीयम्'<sup>65</sup>, तथा आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत<sup>66</sup> म व्यक्त किया गया है। ये सब उपनिषदों के महावाक्य आत्मा और ब्रह्म की एकता के प्रतिपादक है। आत्मा ब्रह्म स्वरूप होने के कारण उसी के समान 'सच्चिदानान्द' स्वरूप भी है। आत्मा नित्य, सार्वभौम और निर्विशेष चैतन्य है जो जीव को प्रकाशित करता है। प्रत्यय और वस्तुएँ स्वतः प्रकाश नहीं हैं। आत्मा उनका प्रकार एक है। वह बुद्धि नामक उपाधि में वर्तमान नित्य है और बुद्धि की वृत्तियों को प्रकार्ता त करता है। ज्ञाता और ज्ञेय का भद्र अविद्या जन्य है। जब अविद्या का नाश हो जाता है तब यह भेद भी तिरोहित हो जाता है। आत्मा ज्ञाता-ज्ञेय के भेद से शून्य स्वयं प्रकाश चैतन्य है<sup>67</sup> आत्मा एक, सनातन और परमार्थ है। वह जीव से भिन्न है लेकिन जीव उससे भिन्न नहीं है। आत्मा जीव का सत्य रूप है<sup>68</sup> आत्मा भोक्ता और कर्ता नहीं है। वह पाप-पुण्य से परे है। वह कर्मफल, सुख-दुःख, जन्म-मृत्यु से परे है। वह एक है, लेकिन अविद्या के कारण अनेक जीवों के रूप में दिखाई देता है। जन्म और मृत्यु आत्मा के नहीं होते हैं। आत्मा निष्क्रिय है<sup>69</sup> आत्मा देश, काल आर निमित्त से परे है। शंकराचार्य के अनुसार आत्मा शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, नित्य, अजर, अमर और अद्वैत है। आत्मा ब्रह्म है। वही एकमात्र तत्व है। जो तत्व अन्दर है, वही बाहर भी है। आत्मा नित्य चैतन्य है जो कि संसार का, व्यवहारिक जगत का आधार है। आत्मा का ही निर्विशेष ब्रह्म समझा, वही निरतिशय भूमाख्य ब्रह्म आत्मा है।<sup>70</sup> वास्तव में आत्मा परमात्मा है। पारमार्थिक दृष्टि से एक मात्र ब्रह्म सत्य है और आत्मा ब्रह्म ही है। शंकराचार्य कहते हैं कि दृष्टि (ज्ञान) ही आत्मा का स्वरूप है। दृष्टि से भिन्न दृष्टा (आत्मा) का स्वरूप नहीं है।<sup>71</sup> अनुभव, सवित, चित्, ज्ञान आदि आत्मा के ही नाम है। आत्मा का अस्तित्व साक्षत् अपरोक्षात् है,<sup>72</sup> आत्मा का अस्तित्व अखण्डनीय है।<sup>73</sup> आत्मा अनुभव एवं प्रमाणादि व्यवहार का आश्रय होने के कारण स्वयं सिद्ध है।<sup>74</sup> आत्मा सर्वलोक-प्रत्यक्ष है तथा सर्वविदित होने पर भी सूक्ष्म होने के कारण उसके विशेष रूप को अवगति नहीं होती है। आत्मा निष्प्रंपच है। आत्मा के बिना सभी वस्तुएँ अग्रहीत हैं अतएव आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा एक मात्र सत् है अतः आत्मा ब्रह्म है। यदि सारांश रूप में देखा जाय तो वेदान्त साहित्य में अनेक ऐसी युक्तियाँ मिलती हैं जिनसे आत्मा की ब्रह्मरूपता या ब्रह्माकारता सिद्ध होती है। इस प्रकार की युक्तियाँ असंख्य हैं। सर्वत्व, कूटस्थत्व, नित्यत्व, विभूत्य आदि हेतुओं के आधार पर ये युक्तियाँ दी गई जिनका बड़ा महत्व है। यही कारण है कि भांकराचार्य अपने अद्वैत वेदान्त दर्योन में आत्मज्ञान को अत्यन्त महत्व देते हैं और कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने से महान और कोई सफलता नहीं है। आत्मज्ञान ही मनुष्य को दुःखों से छुटकारा अर्थात् मोक्ष प्राप्त कराता है।

विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन आचार्य रामानुज ने किया है। रामानुज ने ब्रह्म को परम सत् माना है। यद्यपि ब्रह्म एक है फिर भी उसके तीन अंग हैं—ईश्वर, जड़ जगत और आत्मा। इन तीनों का अभिन्न सम्बन्ध है। रामानुज के अनुसार शरीर को

धारण करने वाला आत्मा है और शरीर तथा आत्मा को धारण करने वाला ईश्वर है। प्रत्येक मनुष्य अपनी क्रिया शक्ति तथा अपने विवेक द्वारा अपने को या तो शरीर समझता है या आत्मा अथवा ईश्वर। संसार का कारण रूप जो ब्रह्म है, वह अव्यक्त चेतन, अव्यक्त जड़ और ईश्वर इन तीनों पदार्थों की समस्ति हैं। ब्रह्म में निहित चित् ही जीवात्मा है। जीवात्मा चेतन द्वय है। जीवात्मा शरीर, मन, इन्द्रियों से भिन्न है। जीवात्मा ईश्वर पर आश्रित है। ईश्वर जीवात्मा का संचालक है। आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, वह नित्य है।<sup>1</sup> सृष्टि के पूर्व वह ईश्वर में निष्क्रिय अवस्था में रहती है। सृष्टि की रचना होने पर वह सक्रिय अवस्था में आ जाती है। निःसन्देह आत्मा ईश्वर पर पूर्णतः निर्भर है परन्तु ईश्वर जीवात्माओं को उसके संकल्प स्वतंत्रय से विचित नहीं करता। अपने शुभ और अशुभ के लिए जीव स्वयं कार्य करता है और अपने कार्यों के अनुरूप फल भी प्राप्त करता है। जीव की स्वतंत्र क्रियायें इंवर की इच्छा के आधीन हैं।<sup>2</sup> रामानुज के अनुसार चित् या चेतन जीव यद्यपि ईश्वर का विशेषण, प्रकार या गुण है तथापि वह स्वयं चेतन द्वय है। जीव एक नहीं अनेक है। जीव नित्य, जन्म-मरण रहित और अणु रूप है। वह शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, अहंकार और बुद्धि से विलक्षण है। वह स्वप्रकाश चेतन द्वय है और ज्ञानाश्रय है। साथ ही नित्य, स्वचेतन, ज्ञाता या दृष्टा है अतः ज्ञानस्वरूप है। वह स्वभाव से आनन्द रूप, परिवर्तन रहित, अविकारी और पूर्ण है। किन्तु अविद्या और कर्म के कारण वह बन्धन में पड़कर जन्म-मरण चक्र में घूमता है। शरीर, प्राण, इन्द्रिय, अंतःकरण आदि से वह संसारी दशा में तादाम्य स्थापित करके जन्म-मरण चक्र में फँसकर अनेक प्रकार के दुःख भोगता रहता है। विविध जीव स्वरूपता समान है। उनमें गुणगत भेद नहीं है, केवल मात्रा भेद है। जीव ज्ञाता कर्ता और भोक्ता है। जीव अणु है, किन्तु उसका ज्ञान विभु है। आत्मा स्वप्रकाशक ह, किन्तु वह पदार्थों को प्रकाशित नहीं कर सकता। ज्ञान स्वयं को आर पदार्थों को प्रकाशित करता है। आत्मा ही स्वयं को और पदार्थों को जानता है। जीवात्मा का ज्ञान बन्धन की अवस्था में कर्मों के कारण अवरुद्ध रहता है एवं उसका आनन्द भी सीमित रहता है। अतः संसारी जीव अल्पज्ञ और दुःखी होते हैं। मोक्ष में कर्मों का आत्मनिक क्षय हो जाने से जीव का ज्ञान और आनन्द ब्रह्म के समान नित्य, विभु तथा अखण्ड हो जाता है। जीव शुद्ध स्वसम्बद्ध 'अहं' है जो बद्धावस्था के 'अहंकार-ममकार' से भिन्न है। चित् चेतन द्वय है, तत्त्व है किन्तु ईश्वर पर सर्वदा आश्रित है। जीव विशेषण, गुण, प्रकार, शरीर, अंग, अंश, धार्य, नियाम्य और शेष है, ईश्वर विशेष, द्वय, प्रकारी, शरीरी, आत्मा, अंगी, अंशी, नियन्ता और शेषी हैं। रामानुज ने चित् या जीवात्मा के तीन प्रकार माने हैं। प्रथम नित्य-मुक्त जीव है जो कभी बद्ध नहीं रहे, जो अविद्या, कर्म और प्रकृति से सदा मुक्त हैं। द्वितीय श्रेणी में मुक्त जीव आते हैं, जो बन्धन से मुक्त हो चुके हैं। तृतीय प्रकार के जीव बद्ध जीव हैं जो अविद्या और कर्म के कारण जन्म-मरण रूपी संसार चक्र में घूम रहे हैं तथा विविध दुःख भोग रहे हैं। मोक्ष के लिए जीव को बन्धन एवं कर्म-फल का नाश करना आवश्यक है। ज्ञानकर्म-समुच्चय इसमें सहायक है। ज्ञान का उदय भगवत्कृपा, सदगुरु और शास्त्र-श्रवण से होता है। अज्ञान एवं बन्धन के हट जाने पर जीवों में इंवर के प्रति परम प्रेमस्वरूप भक्ति का उदय होता है। भक्ति के कारण शरीरवशान तक ईश्वर उपासना अविचिन्न बनी रहती है, और शरीर छूटते ही जीव मुक्त हो जाता है। मुक्ति का अर्थ जीवात्मा का ब्रह्म में होन होना नहीं है क्योंकि जीव अंश है, और ब्रह्म अंशी है। ईश्वर साक्षात्कार ही मोक्ष है। भक्ति और प्रपत्ति मोक्ष के साधन है।

आत्मा की अवधारणा के सन्दर्भ म समकालीन भारतीय चिन्तन पर पाश्चात्य दर्शन तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रभाव ह, तथापि इस चिन्तन मे प्राचीन भारतीय दार्शनिक चिन्तन परम्परा के मौलिक विचारों के साथ-साथ पुर्वजागरण की चेतना भी दृष्टिगोचर होती है। समकालीन भारतीय चिन्तकों ने आत्मा को नित्य, कूटस्थ, विभु स्थावर या मात्र चेतन नहीं माना है। बल्कि अधिकांश चिन्तक आत्मा को गत्यात्मक मानकर चलते हैं और सहमति व्यक्त करते हैं कि आत्मा भौतिक, आध्यात्मिक तथा दैविक शक्ति से सम्पन्न है। व्यक्ति के जीवन में अध्यात्मिक शक्ति छिपी रहती है। व्यक्ति अपनी आत्म भावित के आधार पर उच्चतर जीवन स्तर को प्राप्त करता है।

स्वामी दयानन्द के अनुसार जीवात्मा, अनादिं, नित्य एवं अमर है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख-दुःख ये जीवात्मा के गुण या लक्षण हैं। जीव स्वतंत्र कर्ता एवं भोक्ता है। जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करता है। पेढ़ पौधों से लेकर पशु और मनुष्य सभी में एक ही आत्मा है। व्यक्ति की आत्मा तथा विश्व पूर्णतया की ओर साथ-साथ बढ़ते हैं। इसी प्रकार रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी प्रत्येक जीव को स्वतंत्र माना है। मानव आत्मा असीम और समीम दोनों है। मानव का भौतिक शरीर समीम है और दैवी तत्त्व असीम है। मानव समीम से असीम की ओर जाना चाहता है। असीम अर्थात् परम आत्मा को प्राप्त करना ही उसका चरम लक्ष्य है। इसी प्रकार श्री अरविन्द ने आत्मतत्त्व को असीम तथा समीम माना है और दोनों को वस्तुतः एक स्वीकार किया है। असीम सच्चिदानन्द ही 'आत्माभिव्यक्ति' के लिए समीम में अभिव्यक्त होता है।

यर्थात् आत्मा नित्य शुद्ध चेतन, आत्मसंतुष्ट, निर्गुण, निराकार, देश काल से परे अपरिवर्तनशील है और ब्राह्म्य आत्मा परिवर्तनशील है। श्री अरविन्द के अनुसार आत्मा के दो पहलू हैं और उसका साक्षात्कार करने के परिणाम भी इन दो पहलुओं के अनुरूप है। एक है स्थिर, शान्त, स्वतंत्र, तटस्थ और उदासीन और दूसरा है गतिशील जो विश्वात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। इन दोनों अवस्थाओं का ज्ञान ही आत्मा का ज्ञान है। इसी क्रम में सर्वपल्ली राधाकृष्णन् के अनुसार सार्वभाव आत्मा निरपेक्ष है और उसे ईश्वर माना जाता है। मनुष्य में वह सीमित रूप में अभिव्यक्त होता है। जगत् आत्मा का ही क्रमिक विकास है। आत्मा जीवन है। स्वामी विवेकानन्द के अनुसार आत्मा नित्य मुक्त है। वह ब्रह्माण्ड की ही एक अनन्त सत्ता है अर्थात् आत्मा ब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म के तादाम्य की अवस्था ही मोक्ष है और इस मोक्ष की प्राप्ति आत्मज्ञान से होती है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि विवेकानन्द ने आत्मा के बारे में वेदान्त दर्शन के विचारों की ही व्याख्या की है तथा उसे आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान तथा जीवन के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करने का प्रयास किया ताकि दर्शन जीवन से जुड़ सके।

समकालीन भारतीय चिन्तन परम्परा में अभिनव स्वतंत्र चिन्तन और कर्म का बीजारोपण गाँधी युग से आरम्भ होता है। गाँधी चिन्तन में ही व्यक्ति के सत्य, अहिंसा, अभय, साहस तथा सत्याग्रह की प्राप्ति होती है। महात्मा गाँधी के अनुसार अंतरात्मा की आवाज उनके लिए सर्वोच्च निर्देशक रही है। अन्तरात्मा के द्वारा उन्होंने प्रबल से प्रबल विरोधों का सामना किया, और सत्य के

आग्रह पर डटे रहने की शक्ति पायी। गाँधी जी के अनुसार आत्म—साक्षात्कार ही ईश्वर का साक्षात्कार है, अतः यहीं परम लक्ष्य है। आत्म—साक्षात्कार अनुभूति का विशय है इसे मानव सेवा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अपने व्यक्तिगत 'अहं' को सामाजिक 'अहं' में मिला देने से ही आत्म—साक्षात्कार सम्भव है। जिसे जन सेवा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

बीसवीं शताब्दी के प्रथमार्थ में जितने भारतीय दार्शनिक हुए हैं वे सभी प्रायः निरपेक्ष प्रत्ययवाद के अनुसार केवल आत्मा ही एक मात्र वस्तु हो सकती है क्योंकि अन्य सभी वस्तुएँ आत्मा के तादाम्य द्वारा सम्बंधित हैं। जो कुछ सत् है, वह प्रत्ययाधीन है और प्रत्यागात्मा है। प्रत्यय से भिन्न या पृथक कोई वस्तु नहीं है। आत्मा समस्त प्रत्ययों का आधार है। निरपेक्ष तत्त्व आत्मा है। यह आत्मा ही परमतत्त्व है। यह समस्त ज्ञान, प्रमाण, भावना और इच्छा का आधार है। आत्मा स्वयं सिद्ध या स्वप्रकाश है। आत्मा का स्वभाव सच्चित् है। इसकी सत्ता और ज्ञान एक ही है।

कुछ समकालीन चिन्तक सच्चित् को आत्मा कहते हैं तो कुछ अनन्त। कुछ चिन्तक इसको अव्यक्त कहते हैं तो कुछ अनिर्वचनीय, असीम और ब्रह्म कहते हैं। किन्तु सभी चिन्तक मानते हैं कि 'आत्मा' ही एकमात्र और अद्वितीय सत्य है। आत्मा की अवधारणा के सन्दर्भ में समकालीन चिन्तकों में प्रोफेसर के०सी० भट्टाचार्य, प्रोफेसर ए०सी० मुकर्जी, प्रोफेसर धीरेन्द्र मोहन दत्त, डॉ० टी०आर०वी० मूर्ति, डॉ० एन०के० देवराज, डॉ० अनन्त गणेश आदि के मत विशेष उल्लेखनीय हैं। इसी क्रम में समकालीन भारतीय वैज्ञानिकों ने भी 'आत्मा—साक्षात्कार' के आदर्श एवं बौद्धिक प्रयास द्वारा 'आत्मबोध' प्राप्त करने का समर्थन किया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जगदीश चन्द्र बोस की यह खोज कि वनस्पति में भी जीवन अर्थात् जीव है। इस विचार से यह प्रमाणित होता है कि 'जीवतत्त्व' सर्वत्र व्याप्त है। विश्व के प्रमुख वैज्ञानिकों के विचार इसका समर्थन करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में प्रारम्भ से आज तक 'आत्मतत्त्व' भोग का विशय रहा है और भविष्य में भी रहेगा। हजारों वर्षों से दार्शनिकों, चिन्तकों ने आत्मा के सम्बंध में अपने—अपने विचार व्यक्त किये हैं, भले ही कुछ चिन्तकों ने आत्मा के अस्तित्व का निषेध किया हो पर आत्मा सिद्धान्त ने उनके विचार मंथन को अछूता नहीं छोड़ा है। आत्मा के अस्तित्व को मानने वाले विचारकों के लिए तो 'आत्मज्ञान' ही सर्वोच्च ज्ञान है, क्योंकि आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। आत्म साक्षात्कार करके मनुष्य वृहद् साक्षात्कार की अनुमति एवं परमपद् को प्राप्त करता है। परमपद् की प्राप्ति तथा दुःख की आत्मनिक निवृत्ति आत्मा के दर्शन से ही होती है, अतएव आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। यद्यपि परम पद तक पहुँचने के मार्ग में प्रत्यक्ष बिन्दु एक भिन्न स्तर है, जहाँ से एक भिन्न रूप में आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है, और वही एक अवधारणा बन जाती है। आवश्यक है कि आत्मा के विषय में भारतीय ऋषि, मुनियों चिन्तकों, दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने अब तक जो विचार एवं अनुभव प्राप्त किये हैं, उनका वृहद् रूप में विश्लेषण होना चाहिए।

#### सन्दर्भ :

1. मिश्र, डॉ० अर्जुन, (1989), दर्शन की मूल धारायें, म०प्र० हिन्दी अकादमी, भोपाल, पृ० ९
2. वर्मा, डॉ० सुरेन्द्र (1997), भारतीय दर्शन सम्प्रदाय और समस्यायें, म०प्र० हिन्दी अकादमी, भोपाल, पृ० ०६
3. शर्मा, चन्द्रधर, (1991), भारतीय दर्शन: आलोचन और अनुशीलन, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स, प्रा०लि०, दिल्ली, पृ० ०७
4. ऋग्येद, ७.८७.२
5. कठ् उपनिषद् पर शंकर भाव्य, २—१—१
6. गैराला, वाचस्पति, (2009), भारतीय दर्शन, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ० १६
7. दासगुप्त, ए०स०एन०, (1988), भारतीय दर्शन का इतिहास भाग—१, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ० ४५
8. ऋग्येद, १०.१६.४
9. ऋग्येद, १.१६४.४६
10. ऋग्येद, २.२७.११
11. ऋग्येद, २.२७.१४
12. स्कम्म सूक्त, काण्ड १०, ७वाँ तथा ८वाँ सूक्त एवं उच्चिष्ठ सूक्त—११.९, निरूक्त, ७.४.९
13. अथर्वेद, १०.८.४४
14. छान्दोग्य उपनिषद्, १.११.१४४
15. छान्दोग्य उपनिषद्, ७.२५.२
16. ऐतरेय, १.१
17. बृहदारण्यक उपनिषद्, १.४.१
18. कठोपनिषद्, १.३—४
19. बृहदारण्यक उपनिषद्, ४.५.६
20. बृहदारण्यक उपनिषद्, २.५.१९, १.४.१०, छान्दोग्य, उपनिषद्, ३.१४.१
21. तैत्तिरीय उपनिषद्, १.२.६
22. मिश्र, महामहोपाध्याय डॉ० उमेश, (2003), भारतीय दर्शन, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, पृ० ७१
23. गीता, २.२०
24. गीता, २.२२
25. गीता, २.२३
26. गीता, २.२४
27. कोशीतकि उपनिषद्, १.२
28. तैत्तिरीय उपनिषद्, २.१.१
29. सिन्हा, प्रो० हरेन्द्र प्रसाद, (1993) भारतीय दर्शन की रूपरेखा, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, पृ० ८८
30. शर्मा, चन्द्रधर, (1993), भारतीय दर्शन आलोचन और अनुशीलन, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, पृ० ४१
31. वही, पृ० ४१
32. द्व्य संग्रह गाथा—२
33. सिन्हा, जदुनाथ, (2000), भारतीय दर्शन, मोतीलाल, बनारसी, पब्लिशर्स, दिल्ली, प० ४८

- 34. मज्जिमनिकाय, (1991), अनु० महापण्डित राहुल सांस्कृत्यायन, भिशु जगदीश कश्यप, भारतीय बौद्ध शिक्षा परिषद, श्रावस्ती, 1.4.5, पृ० 140
- 35. मज्जिमनिकाय, 1.3.2, वही, पृ० 90
- 36. चट्टोपाध्याय, श्री सतीश चन्द्र दत्त, श्री धीरेन्द्र मोहन (1986), भारतीय दर्शन, पुस्तक भण्डार, पटना, पृ० 107
- 37. वही, पृ० 107
- 38. वही, पृ० 108
- 39. पाण्डय, संगम लाल, (1984), भारतीय दर्शन का सर्वेक्षण, नेशनल पब्लिसिंग हाउस, इलाहाबाद, पृ० 181
- 40. वर्मा, डा० सुरेन्द्र (1997), भारतीय दर्शन: सम्प्रदाय और समस्याये, वही, पृ० 50
- 41. वेदालंकार, आचार्य डा० जयदेव (2001), भारतीय दर्शन: तत्त्वमीमांशा और ज्ञानीमीशा के मौलिक सम्प्रत्य, न्यू भारती बुक कार्पोरेशन, दिल्ली, पृ० 410
- 42. वर्मा, डा० सुरेन्द्र (1997), भारतीय दर्शन: सम्प्रदाय और समस्याये, वही, पृ० 78
- 43. न्याय भाष्य, 1.1.10
- 44. न्याय सूत्र और भाष्य, 3.1.4
- 45. न्याय भाष्य, 1.1.9–10
- 46. सिन्हा, जदुनाथ, (2000), भारतीय दर्शन, मोतील बनारसी दास, दिल्ली, पृ० 139
- 47. सांख्यकारिका, 3, 11, 20
- 48. सांख्यकारिका, 17
- 49. सांख्यकारिका, 18
- 50. योगसूत्र, 116
- 51. योगसूत्र, 2.29–55
- 52. मीमांसा सूत्र, 1.4
- 53. शाबर भाष्य, 1.1.4
- 54. प्रकरणपंचिका, पृ० 146–47
- 55. न्याय सूत्र, 1.1.21–22
- 56. ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य, 1.1.4
- 57. वही, 2.3.7
- 58. वही, 1.1.1
- 59. वृहदारण्यक उपनिषद, 1.4.10
- 60. छान्दोग्य उपनिषद, 6.8.7
- 61. वृहदारण्यक उपनिषद, 2.5.19
- 62. छान्दोग्य उपनिषद, 6.9.7
- 63. वही, 3.4.1
- 64. वृहदारण्यक उपनिषद, 4.4.19
- 65. छान्दोग्य उपनिषद, 6.14.1
- 66. ऐतरेप, 2.1.1
- 67. प्रश्न शांकर भाष्य, 6.2
- 68. ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य, 1.3.19
- 69. वही, 1.1.4
- 70. केन शांकर भाष्य, 1.5
- 71. वृहदारण्यकोपनिषद भाष्य, 1.4.10
- 72. शारीरिकभाष्य, 1.1.1
- 73. वही, 1.1.4 और 2.3.7
- 74. शारीरिकभाष्य, 2.3.7
- 75. श्रीभाष्य, 1.1.1
- 76. वेदान्तसार, 1.1.2, 1.2.11, 1.3.6

## श्रीलाल शुक्ल उपन्यासों के विविध आयाम

अभय कुमार सिंह\*

\*ग्राम व पोर्ट-बेनी गौरा-कोयलसा, आजमगढ़, उत्तरप्रदेश

**सारांश :** यह अध्ययन श्रीलाल शुक्ल उपन्यासों के विविध आयाम को रेखांकित करता है। इस अध्ययन में द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। जो पूर्व के अध्ययन विषय अध्ययनों से अलग है एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस दृष्टि से यह शोध पत्र महत्वपूर्ण व मार्गदर्शक है। शुक्ल जी ने अपने उपन्यासों में जहाँ प्रेम-विवाह, उन्मुक्त यौन सम्बन्ध एवं पति-पत्नी के मध्य तनावपूर्ण सम्बन्ध की चर्चा की है, वहीं उनके उपन्यासों में दाम्पत्य का आदर्श रूप भी देखा जा सकता है। 'सीमाएँ टूटती हैं' उपन्यास में दाम्पत्य का आदर्श रूप दुर्गादास और राजनाथ के माध्यम से उजागर किया गया है। दुर्गादास अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह नहीं करता है। उनका बेटा राजनाथ और पुत्रवधू नीला आदर्श पति-पत्नी है। दोनों एक दूसरे के सुख-दुःख के सहभागी हैं।

**मुख्य शब्द :** अनमेल-विवाह, भ्रष्टाचार, बहुपत्नी विवाह, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा आदि।

'पहला पड़ाव' उपन्यास में परमात्मा जी और सावित्री का अनमेल विवाह है, फिर भी दोनों का सम्बन्ध मधुर है। पति से उत्तर में छोटी होते हुए भी सावित्री पति को जमीन जायदाद के सम्बन्ध में सलाह देती है।

**अनमेल-विवाह :** समाज में अनमेल विवाह होते रहते हैं, चाहे इसका कारण दहेज हो या गरीबी। शुक्ल जी ने भी प्रेमचंद जी की तरह अपने उपन्यासों में अनमेल विवाह का वर्णन किया है। सूनी 'घाटी का सूरज' उपन्यास में बड़े ठाकुर अपनी दूसरी शादी छोटुका से करते हैं। यह अनमेल विवाह का उदाहरण है। छोटुका अपने पति के प्रति वफादार नहीं है। वह गाँव के दो युवकों के साथ अनेतिक सम्बन्ध रखती है। ऐसा लगता है कि अनमेल विवाह में छोटुका को परपुरुष से सम्बन्ध बनाने के लिए विवश कर दिया है। ठाकुर राजेश्वर सिंह अपनी बेटी का विवाह रियासत के राजकुमार के साथ करते हैं, जिसकी पहले से दो पत्नियाँ हैं। ऐसे विवाह के कारण बेबी यौन-कुण्ठा से पीड़ित होकर शोफर फिलीप के साथ भाग जाती है। अन्त में बेबी मौन होकर इस विवाह को स्वीकार करती है। रचनाकार ने उक्त अनमेल और बहुपत्नी विवाह का चित्रण करके दाम्पत्य सम्बन्ध की विद्वपताओं को उजागर किया है।

**भ्रष्टाचार :** श्रीलाल शुक्ल जी भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत रहे। उन्होंने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को निकट से देखा है। उसे अपने उपन्यासों यथास्थान रेखांकित भी किया है। 'विस्मानपुर का संत' उपन्यास के कुँवर जयन्ती, प्रसाद, राव साहब, जयश्री का पति, आई०एस० अफिसर आदि उच्च मध्यवर्गीय पात्र हैं। वे लोग किसी न किसी बड़े पद पर हैं और उनका काम है सार्वजनिक सरकारी खजाने को लूटना। कुँवर जयन्ती प्रसाद राज्यपाल के पद से निवृत्त होकर विनोबा भावे के भूदान आन्दोलन के तहत स्थापित विस्मानपुर के सत बन बैठते हैं। उनके चरित्र पर राजेन्द्र यादव की टिप्पणी बड़ी सटीक है—“ठाकुर जयन्ती प्रसाद बड़े-बड़े पदों पर रहने के बाद अब गर्वनर हैं और कहीं राजदूत बनने की जुगाड़ में हैं, जमीदारी आर ऊँचे अफसरी अनुशासन के साथ उन्होंने जिन्दगी का हर सुख वैभव भोगा है— मगर नया नेतृत्व अब उन्हे रास नहीं आ रहा है। न मुख्यमंत्री उनकी बात सुनते हैं न प्रधानमंत्री। महत्वपूर्ण पदों पर उनके तिकड़ीमी साथियों ने कब्जा जमा लिया है, वे हैं कि—अभी तो मैं जवान हूँ कि डॉर छोड़ना नहीं चाहते, हारकर शहीद की तरह भूदानी आश्रम विस्मानपुर में पहुँच जाते हैं।”<sup>1</sup>

'आदमी का जहर' उपन्यास में जसवन्त सिंह और शान्ति प्रकाश के माध्यम से अद्यतन चुनाव प्रक्रिया के छलछदम का यथार्थ चित्रण है। जसवन्त सिंह एक होटल में क्लीस्की पीते हुए कहता है कि “आजकल तो चुनाव में मेरा रूपया पानी की तरह बह रहा है। पाँच-पाँच सौ रुपये की तो शाराब ही रोज खर्च हो रही है।”<sup>2</sup> जसवन्त सिंह और शान्ति प्रकाश की मिली भगत का परिणाम मलिना की हत्या है। शान्ति प्रकाश ने ही अजीत सिंह को जहर दिया। इसलिए शुक्ल जी ने सोच-समझकर उपन्यास का शीर्षक 'आदमी का जहर' रखा। आज अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जहर का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं सम्पत्ति का स्वार्थ है तो कहीं सत्ता का। कुल मिलाकर देखा जाय तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सामन्ती व्यवस्था से भी अधिक अराजकता और भ्रष्टाचार व्याप्त है। वास्तविकता यह है कि लोकतन्त्र के रक्षक-शान्तिप्रकाश और जसवन्त सिंह-लोकतन्त्र के भक्षक बन गये हैं।

प्रभावशाली लोग अपने सगे-सम्बन्धियों के लाभ के लिए विशेष रूप से चिन्तित रहते हैं और भ्रष्ट तरीके अपनाते हुए किसी भी सीमा तक जाने के लिये तैयार रहते हैं। 'मकान', उपन्यास में नगरपालिका के अधिकारी और नेता अपने रिश्तेदारों को नाजायज ढंग से सरकारी मकान दिलवाते हैं। 'अज्ञातवास' उपन्यास में सिंचाई विभाग का ओवरसियर भ्रष्ट है, और पैसा न मिलने के कारण किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं उपलब्ध करवाता है। किसान बसन्त का बेटा कहता है— नहीं, मेरा बाप तुम्हारे सामने गाए, ऐसा नहीं होगा। हमारे दो बीघे के हरे-भरे खेत। सामने से नहर बहती रही, पर उनमें एक बूँद भी पानी नहीं पहुँचा लहलहाती हुई ईख की फसलें लू में जलकर राख हो गई। इसलिए न ओवरसियर साहब, कि मेरा बाप तुम्हारी पूजा नहीं कर सकता था ?<sup>3</sup>

इसी तरह के अनेक उदाहरण हैं जो सिद्ध करते हैं भ्रष्टाचार जैसे प्रमुख क्षेत्र पर श्री शुक्ल जी ने खूब लेखनी चलाई है और उसकी परतों को उद्घाटित करने का प्रयास किया है।

**बदलता समय—बदलती सोचः जाति—वर्ण की ढहती दिवारें :** श्री शुक्ल जी के सभी उपन्यास 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध से लेकर 21 वीं सदी के प्रथम दशक के बीच लिखे गये हैं। इस अवधि में भारतीय समाज में जाति और वर्ण की दिवारें ढहती हुई दिखाई देती हैं। इसका कारण आधुनिक शिक्षा, संवैधानिक प्राविधान और हमारी संस्कृति की उदाहरता है। श्रीशुक्ल जी के उपन्यासों में समय के अनुरूप वर्ण एवं जाति की दिवार गिरती हुई देखी जा सकती है। सभी के विचारों में परिवर्तन को देखा जा सकता है।

'अज्ञातवास' उपन्यास में रजनीकान्त, प्रभा, गंगादत्त, विनायक आदि पत्नी की जाति का पता नहीं चलता। उनका परिवेश शहरी है। इसी के साथ आधुनिक शिक्षा के प्रभाव के परिणामस्वरूप दलित लोगों में जो बदलाव आया है, उसकी बहुत अच्छी झाँकी उपन्यासकार ने इस उपन्यास में प्रस्तुत की है। रजनीकान्त के यहाँ लोकगीत गाने के लिए बसन्त को बुलाया जाता है। रजनीकान्त और उनके मित्र शराब के नशे में गीत सुनने नहीं आते। बसन्त चला जाता है। इस पर ओवरसियर कहता है—"क्या बतवै मेमसाहब, बात यह है कि वह अब चमार नहीं रहा। उसका लड़का कुछ पढ़—लिख गया है न इसलिए वह चमार नहीं, अपने को लम्बदार समझने लगा है।"<sup>4</sup>

एक तरफ सर्वों के चेहरे—मोहरे आधुनिक हैं, किन्तु उनकी सोच हमारों साल पुरानी है, वहाँ दूसरी ओर दलितों में आत्मगौरव एवं आत्म—सम्मान का भाव बढ़ने लगा है। 'मकान' उपन्यास में नारायण बनर्जी के बूट से मेहतर का पोछा छू जाता है। और इसके बाद वह चाहते हुए भी मेहतर के साथ कुछ अभद्र व्यवहार नहीं कर पाता, क्योंकि सरकारी कानून उसके साथ है। इतना ही नहीं जो पहले मेहतरों का काम कर रहे थे उनकी अगली पीढ़ी यह पेशा छोड़ रही है। "अब हमारे निगम में सफाई—विभाग को एक चिन्ता सत्ता रही है। मेनहोल का यह काम करने वाले मेहतरों के बस अब दो—तीन परिवार बचे हैं। उनके बुजुर्ग ठरा पीकर अभी तक कुम्हीपाक में कूद रहे हैं, पर उनके जवान लड़के दूसरी जगहों पर नौकरी करने लग गये हैं। वे रेलवे में हैं या फौज में चले गये हैं। नगर निगम वाले चिन्तित हैं कि इन बुड़ों के मर जाने के बाद कुम्हीपाक में कौन जाएगा।"<sup>5</sup> शहरी समाज की तुलना में कस्बाई और ग्रामीण इलाके में वर्ण—जाति का स्वरूप भिन्न है, किन्तु समय के साथ उनमें भी परिवर्तन आ रहा है। शुक्ल जी ने इस परिवर्तन को अपने उपन्यासों में रेखांकित 'भी' किया है। "रागदरबारी" उपन्यास में शिवपालगंज के पास चमरही का आजादी के पहल वाला रूप देखिए— "एक जमाना था कि किसी भी बाबन—ठाकुर के निकलने पर वहाँ के लोग अपने दरवाजों पर उठकर खड़े हो जाते थे, हुक्कों को जल्दी—जल्दी जमीन पर रख दिया जाता था। चिलम फेंक दी जाती थी, मर्द हाथ जोड़कर 'पायलागी महाराज' का नारा लगाने लगते थे।"<sup>6</sup> किन्तु कुछ समय के अन्तराल के बाद जब वैद्य जी का बेटा रूपन वहाँ से गुजरा तो चमरही के एक आदमी ने पायलागी महाराज कहा तो साथ में यह भी कहा कि वे पुराने दिन अब चले गये।

सर्वों में भी जो जड़ नहीं है, वे समय परिवर्तन के साथ अपनी मानसिकता बदल रहे हैं। रागदरबारी उपन्यास में शिवपालगंज के वैद्य जी पुरानी विचारधारा के होने के बावजूद बदलते हुए समय और स्थितियों को देखते हुए बद्दी पहलवान और बेला के विवाह पर सहमत हो जाते हैं और गयादीन से कहते हैं— "जाति—पाँति के कारण ही हमारे देश की यह दुर्दशा हुई है। इसीलिए मैं अपने पुत्रों का अन्तर्जातीय विवाह करना चाहता हूँ। किसी न किसी को इस दिशा में आगे तो आना ही पड़ेगा।"<sup>7</sup>

'सूनी घाटी का सूरज' उपन्यास में एक असर्वण का बच्चा सर्वण बच्चे पर थूकता है। सर्वण बच्चा अपने साथियों से कहता है— "यह हमेशा हम पर थूकता है। इसको पहाड़ा पढ़ाया जाय। तब कुछ बाँमन और ठाकुरों के लड़के हरिराम को पकड़ लेते वह चमार का लड़का था। एक बन्दर के बच्चे की भाँति वह विविधाने लगता। उसकी आँखें बन्द करके दूसरे लड़के उसे सिर पर चपते मारते और हर चपत पर कहते 'दो के दो' दो दूनी चार 'दो तिया छह' बिना सामाजिक बदलाव के हरीराम में थूकने का साहस सम्भव नहीं था।

'पहला पड़ाव' उपन्यास में खान—पान के क्षेत्र में सर्वण—असर्वण के बीच की दूरी को मिटाने की कोशिश परमात्मा जी करते हैं। वे मजदूरों के साथ बैठकर चाय पीते हैं और नेता से पान मँगाकर बाँटते हुए कहते हैं कि— "देखो भाई, मुझे तो भाई—चारे से काम करना अच्छा लगता है। हम लोग पुराने जमीदार रहे हैं। अपने हलवाहे को भी काका कहते हैं। अकेले न चाय पियेंगे न पान खायेंगे।"<sup>8</sup> वैसे भी आजादी के बाद भारतीय समाज में जाति—पाँति, खान—पान, छूआ—छत की मान्यता शिथिल हुई है। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं।

इस प्रकार श्री शुक्ल जी के सभी उपन्यासों पर एक दृष्टि डालने पर यह स्पष्ट है कि समय के बदलते स्वरूप ने वर्ण और जाति की मान्यता को बुनियादी तौर पर बदल दिया है।

**नगरीकरण :** आजादी के बाद हमारे देश में नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। गावों से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं तथा शहरों का प्रभाव गावों पर भी पड़ रहा है। इस प्रवृत्ति और प्रभाव को शुक्ल जी ने अपने उपन्यासों में रेखांकित किया है। 'अज्ञातवास' उपन्यास का 'रजनीकान्त' शहरीकरण के प्रभाव का एक उदाहरण है। वह गाँव का रहने वाला है, किन्तु शहर में पढ़ाई और नौकरी के पश्चात वह शहर की संस्कृति में इतना रंग जाता है कि वह धीरे—धीरे गाँव और परिवार से विमुख हो जाता है। गाँव से शहर की ओर पलायन से शहरों में आवास, रोजगार, बिजली और पानी की समस्या उठ खड़ी हुई है। सरकार की पंचवर्षीय और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव से भ्रष्टाचार के बावजूद भी गावों और कस्तों में काफी बदलाव आया है। रागदरबारी उपन्यास में शिवपालगंज उसी का उदाहरण है। इसी उपन्यास में एक पात्र कहता है— "शहर में हर दिक्कत के आगे एक राह है और देहात में हर राह के आगे एक दिक्कत है।"<sup>9</sup>

शहरीकरण का एक परिणाम बहुमजिली इमारते हैं तो दूसरा झुग्गी झोपड़ियाँ। शहरीकरण का एक भाग लक—दक करते बाजार हैं। 'सीमाएं टूटी हैं उपन्यास में शहरीकरण के फलस्वरूप निर्मित हुए आधुनिक बाजारों, आर्कषक होटलों, स्कूलों, कालेजों तथा बढ़ती भीड़ का चित्रण मिलता है। इस बढ़ती भीड़ के साथ सामाजिक सम्बन्धों में खोखलापन आ गया है। इसके कारण

मानवीय सम्बन्धों और मूल्यों का विघटन हुआ है। “वे एक भरे—पूरे फैशनेबुल फिल्मी बाजार से गुजर रहे थे, जहाँ रंग—विरंगी रोशनियाँ थीं, पुरानी पर इत्मीनान देने वाली इमारतों के बीच नई—नई आठ—दस मंजिला इमारतें थीं, शौर था, संगीत था, मोटरों के तरल हार्न और स्कूटरों की किरकिराती हुई आवाजें थीं, ‘यूथ टाइम्स और ‘जूनियर स्टेटसुमैन’ पढ़ने वाले लड़के—लड़कियों का निरातंक—निश्चित सैलाब था, फर्जी सम्पन्नता, फर्जी मूल्यहीनता, फर्जी स्वच्छन्दता का सुव्यवस्थित और फेन और लहरों से भरा हुआ सुनियन्त्रित वातावरण था।”<sup>10</sup>

‘पहला पड़ाव’ उपन्यास में शाहरीकरण के चेहरे का दूसरा रूप यह है, “यह पूरा क्षेत्र गुम्टी संस्कृति वाला है। चौड़ी—चौड़ी सड़कों के किनारे—किनारे, नेता—अफसर, व्यापारी गिरोह के कुछ शानदार कुछ कम शानदार निवास गृह हैं। पर सड़क की पटरियों पर हर पचास मीटर के फासले पर लकड़ी की चलायमान गुमटियों में, या बाँसों पर टिके हुए तिरपाल के नीचे और कहीं—कहीं बिल्कुल नीले गगन के तले पान, बीड़ी, सब्जी, चाट, समोसा—जलेबी, चाय, सुराही और कुलहड़, स्फूटर और साइकिलों की मरम्मत; धोबीगिरि, नाईगिरि, बढ़ईगिरि, लुहारगिरि, कुम्हारगिरि आदि की दुकानें हैं”<sup>11</sup> ‘सूनी घाटी का सूरज’ उपन्यास में रामदास अब शहर पहुँचता है तो वहाँ की ध्वनियाँ उसे विचित्र लगती हैं—“चारों ओर बिखरे हुए से अमानवीय स्वर, पास के किसी बंगले से रेडियो से निकल रहा बायलिन का संगीत, किसी सड़क पर जाते हुए ताँगे के धोड़े की टाप दूर स्टेशन पर बजने वाले किसी इंजन की सीटी।”<sup>12</sup>

**सन्दर्भ :**

1. यादव, संपाठ राजेन्द्र, हस्स पत्रिका : मासिक 10
2. शुक्ल, श्रीलाल, आदमी का जहर, पृ० 121
3. शुक्ल, श्रीलाल, अज्ञातवास, पृ० 50
4. शुक्ल, श्रीलाल, अज्ञातवास, पृ० 49
5. शुक्ल, श्रीलाल, मकान, पृ० 107
6. शुक्ल, श्रीलाल, रागदरबारी, पृ० 259
7. शुक्ल, श्रीलाल, रागदरबारी, पृ० 21
8. शुक्ल, श्रीलाल, सूनी घाटी का सूरज, पृ० 21
9. शुक्ल, श्रीलाल, पहला पड़ाव, पृ० 19
10. शुक्ल, श्रीलाल, रागदरबारी, पृ० 297
11. शुक्ल, श्रीलाल, सीमाएं टूटत हैं, पृ० 148—149
12. शुक्ल, श्रीलाल, पहला पड़ाव, पृ० 44

## **A Strategy for the development of Higher Education in National Education Policy 2020**

**Dr. Kusum Sharma\***

\*Associate Professor and HOD, Department of Education (B.Ed.), Smt.B.D Jain Girls College, Agra (Dr. B.R.Ambedkar University),  
Agra, U.P.

**Abstract :** The **National Education Policy 2020** (NEP 2020), outlines the vision of India's new education system. NEP 2020 focuses on five pillars: Affordability, Accessibility, Quality, Equity, and Accountability – to ensure continual learning. The NEP 2020 was conceived to raise the Gross Enrolment Ratio (GER) from the current 26 percent to 50 percent by 2030 in the higher education space. One of the key thrust areas of NEP 2020 is to encourage high R&D investments from government and private sectors. NEP 2020 proposed wide range of changes in entire higher education system so as to make it more competitive in international arena. By 2040, all higher education institutions (HEIs) shall aim to become multidisciplinary institutions, each of which will aim to have 3,000 or more students. There shall, by 2030, be at least one large multidisciplinary HEI in or near every district. A holistic and multidisciplinary education would aim to develop all capacities of human beings - intellectual, aesthetic, social, physical, emotional, and moral in an integrated manner.

**Keywords :** Higher Education, Accessibility, Quality, Equity, Accountability etc.

Indian higher education system is one of the largest higher education systems in the world . As on 31st March, 2021 UGC listed 54 Central Universities, 425 State Public Universities, 375 State Private Universities, 3 Institutions established under State legislature Act and 125 Institutions Deemed to be Universities. Besides this there are 42343 colleges and 11779 stand alone institutions are part of this system. Colleges means any Institutions, whether known as such or by any other name which provides for a course of study for obtaining any qualification from a University and which, in accordance with the rules and regulations of such university, is recognised as competent to provide for such course of study and present students undergoing such course of study for the examination for the award of such qualification. These are the institutions established or maintained by or admitted to the privileges of the University. Colleges are generally two types (1) Affiliated colleges (2) Constituent Colleges. There are 307 affiliating Universities and they have 42343 colleges. There are 16 Universities, which have 500 or more colleges. Stand Alone Institutions are categorised into 7 categories - Diploma Level Technical Institutes such as Polytechnics, which are generally recognised by All India Council for Technical Education (AICTE) and administered by State Directorate of Technical Education; Diploma Level Teacher Training Institutes including District Institute of Education and Training (DIETs) recognised by National Council for Teacher Education (NCTE) and generally administered by State Council for Education Research and Training (SCERT); Diploma Level Nursing Institutes recognised by Indian Nursing Council (INC) and generally administered by State Nursing Council/Boards; PGDM (Post Graduate Diploma in Management) Institutes recognised by AICTE ;Institutes directly under the control of various Central Ministries ; Paramedical Institutes;and Hotel Management & Catering Institutes.

### **The major problems currently faced by the higher education system in India**

India's higher education system, although grew in numbers but it still lacks its effectiveness in terms of **Access, Equity, Relevance and Quality** The following problems are being faced the higher education system in India<sup>2</sup>:

- (a) A severely fragmented higher educational ecosystem;
- (b) Less emphasis on the development of cognitive skills and learning outcomes;
- (c) A rigid separation of disciplines, with early specialisation and streaming of students into narrow areas of study;
- (d) Limited access particularly in socio-economically disadvantaged areas, with few HEIs that teach in local languages
- (e) Limited teacher and institutional autonomy;
- (f) Inadequate mechanisms for merit-based career management and progression of faculty and institutional leaders;
- (g) Lesser emphasis on research at most universities and colleges, and lack of competitive peer-

- reviewed research funding across disciplines;
- (h) Sub-optimal governance and leadership of HEIs;
- (i) An ineffective regulatory system; and
- (j) Large affiliating universities resulting in low standards of undergraduate education.

Several scheme and programmes have been initiated to make the Indian higher education a world class system that provide higher level of access to all segments of the society, so as to make it more equitable. The Quality of education must fulfill the needs of economy and the society.

### **Institutional Restructuring and Consolidation**

- The main thrust of NEP 2020 regarding higher education is to end the fragmentation of higher education by transforming higher education institutions into large multidisciplinary universities, colleges, and HEI clusters/Knowledge Hubs, each of which will aim to have 3,000 or more students.
- It has been envisaged in the NEP 2020 that every college would develop into either an Autonomous degree-granting College, or a constituent college of a university - in the latter case, it would be fully a part of the university. With appropriate accreditations, Autonomous degree-granting Colleges could evolve into Research-intensive or Teaching-intensive Universities, if they so aspire.
- *By 2040, all higher education institutions (HEIs) shall aim to become multidisciplinary institutions* and shall aim to have larger student enrolments preferably in the thousands, for optimal use of infrastructure and resources, and for the creation of vibrant multidisciplinary communities. Since this process will take time, all HEIs will firstly plan to become multidisciplinary by 2030, and then gradually increase student strength to the desired levels.
- *There shall, by 2030, be at least one large multidisciplinary HEI in or near every district.*
- *The NEP 2020 aims to increase the Gross Enrolment Ratio in higher education including vocational education from 26.3% (2018) to 50% by 2035.*
- The new regulatory system envisioned by NEP 2020 will foster the overall culture of empowerment and autonomy to innovate, including by gradually phasing out the system of 'affiliated colleges' over a period of fifteen years through a system of graded autonomy, and to be carried out in a challenge mode.
- *The present complex nomenclature of HEIs in India such as 'deemed to be university', 'affiliating university', 'affiliating technical university', 'unitary university' shall be replaced simply by 'university' on fulfilling the criteria as per norms.*

### **Towards a More Holistic and Multidisciplinary Education**

- A holistic and multidisciplinary education would aim to develop all capacities of human beings - intellectual, aesthetic, social, physical, emotional, and moral in an integrated manner.
- *Even engineering institutions, such as IITs, will move towards more holistic and multidisciplinary education with more arts and humanities. Students of arts and humanities will aim to learn more science and all will make an effort to incorporate more vocational subjects and soft skills.*
- Departments in Languages, Literature, Music, Philosophy, Indology, Art, Dance, Theatre, Education, Mathematics, Statistics, Pure and Applied Sciences, Sociology, Economics, Sports, Translation and Interpretation, and other such subjects needed for a multidisciplinary, stimulating Indian education and environment will be established and strengthened at all HEIs.
- *Value-based education will include the development of humanistic, ethical, Constitutional, and universal human values of truth (satya), righteous conduct (dharma), peace (shanti), love (prem), nonviolence (ahimsa), scientific temper, citizenship values, and also life-skills; lessons in seva/service and participation in community service programmes will be considered an integral part of a holistic education.*
- **The structure and lengths of degree programmes shall be adjusted accordingly.** The *undergraduate degree will be of either 3 or 4-year duration, with multiple exit options within this period, with appropriate certifications, e.g.,*

- ❖ a certificate after completing 1 year in a discipline or field including vocational and professional areas
- ❖ or a diploma after 2 years of study
- ❖ or a Bachelor 's degree after a 3-year programme.
- ❖ The 4-year multidisciplinary Bachelor's programme, however, shall be the preferred option since it allows the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education in addition to a focus on the chosen major and minors as per the choices of the student.
- An Academic Bank of Credit (ABC) shall be established which would digitally store the academic credits earned from various recognized HEIs so that the degrees from an HEI can be awarded taking into account credits earned. The 4-year programme may also lead to a degree 'with Research' if the student completes a rigorous research project in their major area(s) of study as specified by the HEI.
- *HEIs will have the flexibility to offer different designs of Master's programmes:*
  - ❖ there may be a 2-year programme with the second year devoted entirely to research for those who have completed the 3-year Bachelor 's programme;
  - ❖ (b) for students completing a 4-year Bachelor 's programme with Research, there could be a 1-year Master's programme; and
  - ❖ (c) there may be an integrated 5-year Bachelor's/Master's programme.
  - ❖ Undertaking a Ph.D. shall require either a Master's degree or a 4-year Bachelor's degree with Research.
  - ❖ The M.Phil. programme shall be discontinued.

### **Transforming the Regulatory System of Higher Education**

- These four structures will be set up as four independent verticals within one umbrella institution, the **Higher Education Commission of India (HECI)**.
  - ❖ The first vertical of HECI will be the **National Higher Education Regulatory Council (NHERC)**. It will function as the common, single point regulator for the higher education sector including teacher education and *excluding medical and legal education*
  - ❖ The second vertical of HECI will, therefore, be a 'meta-accrediting body', called the **National Accreditation Council (NAC)**.
  - ❖ The third vertical of HECI will be the **Higher Education Grants Council (HEGC)**, which will carry out funding and financing of higher education based on transparent criteria, including the IDPs prepared by the institutions and the progress made on their implementation.
  - ❖ The fourth vertical of HECI will be the **General Education Council (GEC)**, which will frame expected learning outcomes for higher education programmes, also referred to as 'graduate attributes'.

**Conclusion :** With its focus on strengthening a student's practical knowledge and developing a scientific temper from a young age, NEP is on the right track. Ushering regional languages for Engineering education, conducting entrance exams like JEE Main & NEET in 13 languages are some of the initiatives that have worked well in the last year. We are excited to see the outcome of changes by NEP such as the introduction of Sign Language as one of the subjects, special focus on Artificial Intelligence, the Academic Credit Bank, and the Multiple Entry & Exit Options in IoEs, etc. If the entire education fraternity and the government continue to work in partnership with specific strategies in mind and a step-by-step approach, whilst evaluating and improving them from time to time, India will surely be able to match global standards of quality and value-based education.

### **References :**

1. Government of India, All India Survey of Higher Education 2019-20, Ministry of HRD, New Delhi, pp 8-10
2. Government of India, (2020). National Education Policy 2020, Ministry of HRD, New Delhi, p 33
3. Ibid. p 36-39
4. Bharadwaj, Sanjeev and Dev Manish, (2008). Commercialization and Privatization of Indian Higher Education System in relation to quality, in 'Education in Third World and India' (Ed.) Meenu Agarwal, Kanishka Publishers, Distributors, New Delhi, p 346
5. Government of India, (2020); National Education Policy 2020, Ministry of HRD, New Delhi, p46

## **Relation of Some Maternal Factors to Birth Weight of Offspring**

**Dr. Kiran Singh\***

\*Smt. B.D. Jain Girls P.G. College, Agra, U.P.

**Abstract :** The role of nutrition in pregnant women has assumed highest significance today. The conditions of the baby's health and well-being are laid right from the day the mother conceives. It is therefore obvious that a pregnant mother needs a nutritious and well balanced diet with more of nutrients like calories, protein, calcium, iron and vitamins. Not only the quantities but the quality of the food should be such that can be easily digested by the mother without causing any discomfort and disorders. Low birth rate of new born is associated with socio-economic status, miscellaneous maternal disease, short maternal structure maternal age below 18 years. The main reason for undertaking the present study was to investigate what is positive status of the mother and their impact on birth weight of baby. Initially 300 pregnant mothers from the rural and urban were selected for the study by corporate information of 218 pregnant mothers of rural area and 289 pregnant mothers of urban were available.

**Keywords :** Pregnant mother, Offspring, Infant, Foetal growth & Supine length etc.

**Introduction :** Mother and children constitute the most vulnerable segment of a population in India. The risk is connected with child bearing in the case of women. Maternal death rates are between 2 and 140 per 100000 live birth. Majority of low birth rate in our country is due to preventable causes like maternal anaemia and under nutrition maternal anthropometry and biochemical nutritional status which are good guide for the prediction of birth rate of the offspring. Mothers literacy nature of work (light, moderate & heavy), hours of work per day, period of work out of home during pregnancy, per capita income, type of house (pakka, semi-pakka and kachcha), duration of illness during pregnancy, number of antenatal visit during pregnancy, blood haemoglobin level, mothers attitude towards pregnancy (happy, unhappy & natural), amount spent on food per day, protein, calorie, calcium, iron and other nutrients consumption per day during pregnancy. Diet as a single factor has probably a profound influence on the health of the mother consumption of ill-balanced and inadequate diets leads to deterioration on the physical and mental strength development of anaemia and general weakness. A significant positive correlation between the quality of mothers diet and the birth weight of infants. Women produce healthy babies within a wide range of total weight gains as a result of oedema and that due to deposition of fat must be differentiative. A major considered a slow steady way weight gain to be a healthy sign in pregnancy about 9 to 11 kg weight gain during pregnancy has proved or a reasonable average.

The birth weight is also positively associated with socio-economic status their remain a large proportion of low birth weight deliveries for which no cause can be found. There is a belief that maternal nutritional inadequacy is primarily responsible for these evidence between poverty and low birth weight deliveries (Pachauri et. al. 1970).

**Review of Literature :** Chatterjee (1978) has quoted that poor socio-economic status is often associated with numerous other factors during pregnancy i.e. important for low birth weight e.g. malnutrition, infection, poor diet, poor weight gain etc. however if further asked to pin point the most important parameters from those constituting a good nutritional status show considerable differences weight gain, energy, iron and nutrients as estimated in diet are in blood both before and during pregnancy have important relationship with foetal growth. Ghosh et. al. (1977) reported that the mean birth weight among 6926 babies were 2829 gm. The birth weight have been obtained upto 72 hours after birth.

The incidence of low birth weight babies decreased by the mean birth weight increasing per capita income of the families and also mentioned that improved educational status of the mother was associated with a higher mean birth weight of the babies. A difference of about 430 gm was observed between the infant born to the tallest and shortest group of mothers. Severe maternal anaemia, (haemoglobin <6 gm%) increases the incidence of low birth weight babies but mild to moderate anaemia did not influence the birth weight of babies. Increased spacing has an important bearing on the health of the fetus. The mean birth weight is lowest among the

first born baby. The birth weight was higher in forth pregnancy though there was no significant differences from second to six pregnancy.

Robinson et. al. (1982) described that on a probability basis a mother who is well nourished prior to and during pregnancy is likely to have an uncomplicated pregnancy and to deliver a healthy infant. A poorly nourished mother is more likely to have complications during pregnancy and to have a small infant in poor physical condition.

Vulleiamy et. al. (1982) mentioned that low birth weight of the newborn is associated with poor socio-economic status, preeclampsia, smoking and alcoholism in pregnancy, multiple pregnancy, miscellaneous maternal diseases, primarily short maternal structure and maternal age below 18 years.

Ebrahim (1982) highlighted that the physical health of mother has an important bearing on the baby's health. It is an universal truth that mother from higher socio-economic groups have babies of large birth weight who usually attained a high standard in physical and intellectual development compared to baby born to mother from lower socio-economic levels.

Makhija et.al. (1983) reported that mean birth weight of male infants was 92 gms more than female infants. Literacy level of both parents, maternal age, parity, place of residence and antenatal care were found to have significant influence on the birth weight. Multiple regression showed that maternal age, maternal literacy and place of residence had minimal influence on the birth weight compared to other factors.

Bhatnagar et. al. (1983) reported that the age, parity, socio-economic status and literacy levels which could possibly influence the maternal weight were comparable in the two groups. The benefits of supplementary nutrition in the form of 300 calorie and 16 gms protein per day during pregnancy by demonstrating significant gain in maternal weight as compared to the women from the matched population. The birth weight and the progressive gain of weight by the babies of supplemented mother were also significantly better. Though by matching the study population for age, parity, social class, education and dietary intake it was possible to show that differential improvement due to supplementary nutrition on mothers and on birth weight the total improvement can not be attributed to nutrition alone, as several other health services factors may also play a contributory role in it. Previous bad obstetrics history and current obstetric problems were associated with marked fall in birth weight 2541 gms and 2451 gms respectively. Prepregnant maternal weight below 40 kg has greater impact on low birth weight in all the income groups.

Leela Raman (1989) mentioned that the birth weight of the infant is influenced by many maternal factors. The preliminary factors such as parity (primipara, para 4 and above). Maternal age (teenagers only primipara), maternal height (<145 cms) maternal weight (<40 kg.), weight gain (<6 kg.) and Hb level contribute to the risk of low birth weight in a slum community. These indicators also provide an insight into the poor nutritional status of the mothers.

Miguel Oxieri et. al. (1992) in their study correlated newborns weight with maternal age, parity, smoking habits, socio-economic status, height and pregnant weight. It was realized that the impact of these maternal variables on birth weight is minimal or more when controlling for prepregnant weight and weight increase during pregnancy except for smoking and even smoking was thought at one time to act indirectly by reducing appetite and thus food intake and weight increase.

**Methodology :** The study was conducted in urban (Sikraul ward) of Varanasi corporation U.P. were randomly and adjoining rural areas of Varanasi are Kashi Vidyapeeth block of the same district were purposely selected to fulfil the objectives of research, a door to door survey was conducted. Initially 300 mothers each from the rural and urban were included for the study. But complete information of 218 pregnant mothers of rural area and 289 pregnant mothers of urban were available. As such those mothers were only considered as sample respondent for the study.

The preliminary information was collected by personal meeting by several persons like doctors, social workers, researchers and various other person involved in the day to day care of the mother. All the possible questions relevant to the study and also to make it simple and easy to fill up the questionnaire in minimum time in a systematic manner. Subsequently the questionnaire was checked by the statistical and suitable modification were made i.e. general specific information about pregnant mother such as socio-economic, nutritional status, Hb level, anthropometric measurement illness, sedatives, nature and mode of delivery. A pre tested and pre designed questionnaire was administrated for recording of the data.

The dietary intake as mothers was recorded by using the 24 hours food recall method height was obtained with anthropometric rod weight was measured by weighing machine and mid arm circumference was measured with a fiber glass tape. Blood Hb of pregnant mothers was estimated by cyanmethemoglobin method. The data has been presented in the form of table and diagram whenever necessary. Tabulation of the data was done to make a comparison a each factor like maternal status and their impact on birth weight of baby. On the basis of frequency distribution cross table were also prepared.

**Result and Discussions :** The Age distribution of pregnant mothers was found in between 16 to 40 years. It was observed that majority of them belonging to both residential areas were in the age group of 25 to 30 years. Teenaged mothers delivered comparatively low birth weight baby w.r.t. higher aged mothers. The majority of the pregnant mothers 92.66% rural area and 81.66% of urban area belong to hindu religion whereas muslim respondents were 34% and 15.57% in rural and urban areas respectively.

Maternal education play a vital role to influence the birth weight of new born. Highly educated mothers take proper care during pregnancy. They take nutritive and adequate diet and follow the instructions given by the consultant medical personnels. The birth weight of babies belonging to literate mother was lowest ( $1655\pm288$  gms), while the birth weight for babies of intermediate education mothers found highest as  $2938\pm449$  gms ( $3193\pm476$  for rural and  $2916\pm443$  for urban). Majority of the respondent belonging to nuclear family types of house were pakka, semi pakka and kachcha in rural areas while in urban areas kachcha house were not present. In the present study 88.5% urban mothers and only 48.6% rural mothers were fully protected from titness. In addition 14.7% rural and 9.7% urban mothers were partially protected. The main occupation of the husband in rural areas were agriculture and labour, and in urban areas were service and businesses. The mean per capita monthly income of rural and urban families were found  $265.33\pm64.03$  and  $343.51\pm89.92$  rupees respectively. The birth weight of new born is positively associated with per capita income the mother of the poor families are unable to take nutritive diet during pregnancy as they can not afford these diet consequently. 38.53 rural and 16.95 urban pregnant mothers used some kind of addiction such as beeri, cigarette, betel pan parag, chewing tobacco khaini and tobacoo smoking. It was also screened out during survey that none of the mothers replied for alcoholic drinks. Majority of the rural deliveries are normal 72.02% while in urban area 77.51% were forcep assisted. Most of the deliveries of urban areas are conducted in private nursing homes and clinics and the attending surgeon commonly used forcep delivery to avoid any complication. The mean body weight of pregnant mother was found  $50.98\pm5.08$  kg. 20.64% rural and 10.73% urban mothers were less than 145 cm the supine length of new born is less than ( $40.7\pm4.3$  cm). When the maternal height is minimum less than 140 cm the supine length of new born is highest ( $50.8\pm3.2$  cm) when the maternal height is high (more than 160 cm) the supine length of new born increased a maternal height. The mid arm circumferences of overall pregnant mother was found  $23\pm2.7$  cm. The birth weight of new born  $1873\pm439$ ,  $2397\pm796$ ,  $3058\pm585$ ,  $3258\pm4.53$  rural and  $2253\pm583$ ,  $2701\pm517$ ,  $3074\pm282$ ,  $3419\pm507$  gm urban baby belonging to maternal mid arm circumferences less than 20, 20-23, 23-26 and more than 26 cm respectively. The birth weight of new born are positively correlated with maternal MAC.

Majority of the rural (50%) and urban (35.64%) mothers consumed 2000-2500 kilocalorie.

#### Mean Birth Height of the Newborns in Relation to Maternal Calorie intake and Residential Area

Calorie (kcal)	No.	Rural Mean $\pm$ SD	No.	Urban Mean $\pm$ SD	No.	Total Mean $\pm$ SD	Statistical Significance Between Rural and Urban	
							t	p
<1500	20	$1650\pm205$	3	$1777\pm289$	23	$1659\pm211$	0.39	>0.05 NS
1500-2000	34	$2065\pm465$	34	$2291\pm628$	68	$2178\pm561$	1.31	>0.05 NS
2000-2500	109	$2724\pm537$	103	$2895\pm480$	212	$2807\pm516$	2.45	<0.02
2500-3000	29	$3016\pm743$	72	$3029\pm440$	101	$3025\pm540$	0.09	>0.05 NS
>3000	26	$3512\pm467$	77	$3056\pm522$	103	$3171\pm544$	4.18	<0.001
Correlation coefficient (r)	Rural $+0.6686$			Urban $+0.4302$		Total $+0.5648$		
Statistical	$t=13.214$ , $p<0.001$			$t=8.074$ , $p<0.001$		$t=15.380$ , $p<0.001$		

significance			
Equation of Regression line (y=a+bx)	y=547.4358+0.9305x	y=1660.9097+0.4748x	y=1118.7391+0.6828x

Pregnant mothers who consumed <40 gm per day protein delivered babies weighted rural 1930±474 urban 2291 gm while mother consuming protein 50-55 gm per day produce babies mean weighted rural 3145 or urban 3074 calcium intake for the pregnant mother 100 mg per day only 50.92% rural and 48.79% urban mother were taking equal to or more than RDA. Mothers consuming less than 600 mg calcium per day dailyward babies mean weighted 1717 gm and 1959 gm rural and urban while the mothers consuming higher intake such as 600-800, 800-1000 or more than 1000 mg per day delivered babies mean weighted 2213, 3006, 2973 and 2816, 2911, 3032 gm rural and urban respectively.

Anaemia is important nutritional problem due to deficiency of iron. Pregnant mother having haemoglobin level 6-8, 8-10 gm give birth to the babies of mean weight 2346 gm. Vitamin A is essential for especially for vision it is very disappointing that the mean vitamin A intakes of rural and urban mothers were 611±60.4 mg and 622±63.1 mg respectively. The RDA of vitamin C of pregnant mothers was 40 mg Per day (ICMR 1981), while in the present sample only 13.3% rural and 21.1% urban mother fulfill this requirements. 6.9% rural pregnant mothers consumed folic acid less than 200 mg per day while 11.9% rural and 0.7% urban consumed 200-250 mg, 5.9% rural and 7.3% urban consumed 250-300 mg, 29.4% rural and 6.9% urban 300-350 mg, 21.6% rural and 49.1% urban 350-400 mg and 24.39% rural and 36% urban 400-450 mg per day. Majority of the mothers was taking lower than recommended folic acid through diet.

Nutrient intake o the rural expectant mother was slightly lagging to the urban mothers. The effect of the various factors on birth weight of the new born were maternal age, weight, MAC, Hb level, nutrient intake along with per capita income and sex of child. Birth weight of the babies belonging to teenage mothers was minimum and highest for the mothers belonging to 30 years. After this age the birth weight was found to be decreased. It has been observed that the weight and MAC of the mothers depend on the age and diet taken by her. The mothers consuming adequate and nutrition diet have normal weight and MAC. The birth weight of the baby was found positively correlated with maternal weight. The lowest birth weight was observed for the mothers belonging to Hb level less than 10 gms% while the mothers having 12 to 14 gm % delivered babies with the birth weight more than 2500 gms.

## References :

1. Annual Report (1989-1990), National Institute of National, Indian Council of Medical Research, Hyderabad.
2. Bhatnagar S, Dharamshaktan NS, Sundaram KR and Seth Vimlesh (1983). Effect of food supplementation in the last trimester of pregnancy and early post natal period on maternal weight and infant growth. Indian J. Medical Research 77 : 366-372.
3. Chatterjee Mridula (1978). A study of intra-uterine growth in relation to maternal nutritional status. Unpublished Ph.D. thesis (PSM) Banaras Hindu University.
4. Ebrahim GJ (1982). Child care in the Tropics ELBS edition.
5. Ghosh S, Hooja V, Mittal SK and Verma RK (1977). Indian pediatric 14 : 107-114.
6. Robinson CH and Lawser Mr (1982). Normal and therapeutic nutrition. 16<sup>th</sup> ed. p330-346.
7. Swaminathan MS (1985). Essential of food and nutrition vol I and ed. II, Bangalore Printing and Publishing Company.
8. Vijaylaxmi P (1982). Impact of iron and folic acid supplementation on expectant mothers and their off-spring. The Ind. J. Nutr. Dictet., 19 : 363.
9. Vulleianey DG and Livingstone Churchill (1982). Low birth weight, preterm, post term. Infants and twins 5<sup>th</sup> ed. P. 81-108.

## **Effect of Home Environment on Emotional Maturity of Adolescents**

**Priyanka Malik\***

\*Research Scholar, Department of Education, N.A.S. College, Meerut, U.P.

**Dr. Rachana Pathak\*\***

\*\*Associate Professor, Department of Education, N.A.S. College, Meerut, U.P.

**Abstract :** The present study aimed to investigate the effect of home environment on emotional maturity of adolescents. The sample consists of 400 students comprising 200 boys and 200 girls students of secondary schools. Two tools namely. Emotional Maturity Scale (EMS) Singh and Bhargava and home environment inventory by Karuna Shankar Mishra were administered for data collection. The result of the study shows significant interaction effect of home environment on overall emotional maturity and significant interaction effect exist of home environment and sex on overall emotional maturity.

**Keywords :** Environment inventory, Child's development, Emotional Maturity Scale, Home environment etc.

**Introduction :** Home environment is an essential factor which greatly influences the child from birth to death. The environment which has a vital role in child's development and creating a complete individual with moral values is the environment provided by his family. The first chapter of life of child is start from his home and the lesson given by his family .The fundamental unit of a human society is families which nourish the children personality and guide them for fulfilling their responsibilities in the society. Since family is the basic unit of society and family consists of parents and blood relatives which are essential for creating a responsible strong and caring adult with a positive frame of mind

Healthy parental relations and hygiene home environment helps in making an individual responsible and adaptable. The changes taking place in the society has highly affected the thought process of an individual and also has changed the lifestyles and indirect individuals perception about people. The rapid changes in the society has created pressures not only in adolescents but also in small children which is affecting their emotional maturity

Earlier studies has shown that there is a Significant relation between the intelligence of the student and his emotional maturity. An emotionally mature student is comparatively more intelligent than others. The rapid changes in the society and individuals home environment if it is conflicting weakens the mental and psychological health of an individual and generates complexity in his social and family relations

Keeping all the above in the mind, the investigator anticipated the need to explore how home environment affects the emotional maturity of a child.

**Statement of Problem :** Effect of home environment on emotional maturity of adolescents.

**Objectives :** To explore the effect of home environment on emotional maturity of secondary school students

**Hypothesis of the study :** There is no significant effect of home environment on emotional maturity of secondary school students.

### **Delimitations :**

1. Only secondary schools of Meerut district of Uttar Pradesh were selected for the sample.
2. Only students studying in class 9<sup>th</sup> and 10<sup>th</sup> in the secondary schools were selected for data collection.
3. Only CBSE affiliated schools are selected as a sample.

**Method Used :** Normative survey method of research was used by the researcher for the study.

**The Population:** The students studying in secondary schools affiliated to CBSE and situated in Meerut district of Uttar Pradesh constitute the population for the present study.

**Sample :** Total 400 students comprising male and females studying class 10<sup>th</sup> were sorted. Out of this pool finally 200 males and 200 females students were randomly selected for the sample of present study.

**Tools used:** 1. Emotional maturity scale by Dr. Yashvir Singh and Mahesh Bhargav. 2. Home environment Inventory by Kaurna Shankar Mishra.

### **Analysis and Interpretation of Data :**

**Table – 1:-** Showing results of Anova on overall Emotional Maturity of Different Group of Students.

Score of variation	Sum of Squares	Mean Sum of Squares	F	Significant level
H.E.	156463.263	156463.213	324.63	.01
Sex	81083.61	81083.61	158.33	.01
H.E. X Sex	631.39	631.29	1.39	NS

**Table – 2:-** Showing Mean value of Emotional Maturity of Home Environment (High and Low).

	Low	High
Mean	123.51	180.32

**Table – 3:-** Showing Mean score of overall Emotional Maturity of Variable Sex.

	Female	Male
Mean	173.42	153.73

In table -1 we can see the results of Anova of overall emotional maturity of difference group of students.

F-Ratio for overall emotional maturity of type of home environment is 324.63 which is significant at .01 level of significance. It mean high level of home environment students differ significant from low level of home environment student on overall emotional maturity. Same as table 2 show the mean score of high and low home environment 123.51 and 180.32 respectively. It clearly indicates that significant difference exist between high and low level of home environment on overall emotional maturity.

F-Ratio for overall emotional maturity of sex is 158.33 which is significant at .01 level of significance. It mean male student differ significantly from female students on overall emotional maturity. The mean score of male and female students are 173.92 and 153.73 respectively on emotional maturity. It clearly indicates that male and female students have significant difference on overall emotional maturity.

#### Conclusion :

- Significant interaction effect of home environment observed on overall emotional maturity.
- Significant interaction effect of home environment and sex exists on overall emotional maturity

#### References :

1. Naik, P.K (2015), Advanced Educational Psychology, Sharada Pustak Bhawan, Allahabad.
2. Garret, E. Henry, Statistics in Psychology and Education, Paragon International Publishers.
3. Kothari, C.R. Research methodology, New age international (p) limited publishers.
4. Mangal, S.K (2011), Education psychology, PHI learning PVT limited, New Delhi.
5. Singh Rashee (2011),"Emotional Maturity among Senior Adolescents in relation to their Self-Esteem, Home Environment and Mental Health".
6. Ross CE, Mirowsky J. Childcare and emotional adjustment to wives employment. J Health and Social Behavior 1988; 29: 127-136.
7. Ross CE, Mirowsky J, Huber J. Dividing work, sharing work, and in between: Marriage patterns and depression. American Sociology Review 1983; 48: 809-823.
8. Singh, Y and Bhargava, M, Manual for Emotional Maturity Scale (Ems), National Psychological Corporation, Agra, 1990.6.
9. Mishra, Karuna Shanker, Manual for Home Environment Inventory (HEI), National Psychological Corporation, Agra, 2012.

## **A Study on Evolution of Financial Inclusion in India**

**Prof. Vinod Kumar Pandey\***

\*Dean, HOD Department of Commerce, Nehru Gram Bharti Deemed to be University, Prayagraj, U.P.

**Vishnu Yadav\*\***

\*\*Research Scholar, Department of Commerce, Nehru Gram Bharti Deemed to be University, Prayagraj, U.P.

**Abstract :** The present paper aims at introducing the study of evolution of Financial Inclusion in India. Though this study play pivotal role among society to know about evolution of financial inclusion in phases, scope and importance and recent initiatives of government towards development of financial inclusion. So, this study benefitted society at large. The views of financial Inclusion by different body that serve betterment of society and their actions have been examined. The paper aims at finding evolution of Financial Inclusion in India with an attempt to review the importance, scope and recent initiatives of government towards development of financial inclusion in India.

**Keywords :** Financial Inclusion, RBI, FI, Financial Literacy, Poverty Alleviation etc.

**Introduction :** Financial Inclusion plays a significant role in the financial development of a country by means of expanding the financial structure and system. Government and RBI are making efforts to reach each corner of the economy for expanding services. The efforts made by the government in previous years came in shape in the early 2008 when the committee on financial inclusion finalized its report and explained inclusion as a vehicle for social transformation. By this time banking system recognized the importance of connecting unbanked people for banking business growth, which leads to inclusive growth. The comprehensive development of the country depends on the accessibility of finance to the needy and vulnerable group. By offering accessibility to finance, Government gives empowerment to vulnerable group.(Ministry of finance).

Financial system facilitates people in arranging for long term finances or for surprising contingencies. A banking customer may use financial services like credit facilities, Insurance policies, business loan to start a new venture or to expand business, investment in health and education policies, managing risk and in improving the standard of their living.

As per RBI, “Financial inclusion refers to the process of enabling access to various financial products and services required by vulnerable sections like economically weaker, underserved, underprivileged and below poverty at a nominal cost in a transparent and clear manner by mainstream Institutional players”.

### **Objectives :**

1. To study on evolution of financial Inclusion in India.
2. To Study on recent Initiatives of government towards financial Inclusion.
3. To Study scope and Importance of Financial Inclusion in India.

**Evolution of Financial Inclusion :** Evolution of Financial Inclusion will be divided in six phases from 1950 to 2020, which are as follows:-

**Phase - I (1950-70) :** This phase was conferred with banking sector consolidation and facilitation of Trade and industry. The second five year plan focused on commercialization and development of the industry that necessitated advancement of financial sector.

**Phase- II (1970-90) :** After nationalization of banks attention modified and shifted to channelize the credit flow to fragile sections of the society. During the tenure of these twenty years pressure was increased on banks.

**Phase - III (1990-2005) :** After the reforms in financial sector in 1990, the focus shifted to strengthen the institutions. Other projects were undertaken to liberalize the economy, de-regularize the previous norms and strengthen the banks. In India, the approach towards the financial inclusion project started in early 2000, which was focused on connecting with each household and individuals (RBI, 2010).

**Phase - IV (2005-2010) :** After considering the requirement of more financial services for the excluded section, “financial inclusion” was clearly prepared as a policy objective & propaganda was to provide the facilities of savings and deposits in terms of safety. At this point of retaining the wide objective of FI, GOI has constituted a number of committees, like Rangarajan Committee, 2006.

**Phase -V (2010-2015) :** This phase was referred to create a financial inclusion plan at national level. It was directed by the RBI to all the banks to prepare their three year plan in terms of coverage of the area for FI.

**Phase -VI (2015-2020) :** This phase was referred to create a financial inclusion plan at Global Level. It was directed by the RBI to all the banks to prepare their long term plan in terms of coverage of the area for FI.

**Recent Initiatives of Governments towards Financial Inclusion :** The most recent initiatives undertaken were setting up of MFIs, CSO, National Rural FI Plan, The FI Fund (FIF), The FI Technology Fund (FITF). Apart from that various other schemes started by government of India to encourage FI are:

- PMJDY, which gives an accidental insurance to the beneficiaries specifically for the poor section of the society.
- Swabhiman campaign has been started by the Indian government to boost awareness about FI.
- Payment of wages in MGNREGA through the Banking Correspondent (BC) model.
- Introduction of JAM trinity that merges Jan Dhan Scheme with the Aadhar card initiative and mobile banking.
- Direct transfer of subsidy on LPG, fertilizer and kerosene etc. to the beneficiaries through their bank accounts.

In the long run, the initiative of FI is guaranteed to increase the purchasing power of the rural people, which would strengthen the country's economy.

**Scope and Importance of Financial Inclusion in India :** In India, the scope of FI is much wider as it looks, FI is not only into the business of offering financial access to the weaker and susceptible section of the society but also encourage young entrepreneurs to come forward and perform without any financial barriers. FI is being viewed in a wider perspective. Only possessing a saving/ no frills account, isn't considered as a sign of FI. It aims to provide accessibility to various financial services like mortgage, savings, long period credit, short period credit, pension, insurance facility, cash transfers at an affordable value.

**The importance of FI can be revealed from the following :**

- Bring sustainable financial growth of every section of the society.
- Protecting the rural people from the local financial services/products lenders.
- FI makes it possible for the government to pass the benefits directly in the accounts of beneficiaries under the social security schemes like NREGA through bank. This may minimize corruption and transaction cost.
- It supplies various avenues for the poor people for saving in financial institute and further converts it into investment.
- FI provides the variety of deposits to the bank and facilitates financial institutes to better deal with assets liability mismatches and liquidity risks.

**Conclusion :** In last, It is important challenge for world's developing countries including India. The Government and its organizations are committed to eliminate poverty from nation. Financial inclusion is playing significant role in this approach. Government organizations are working on this with formal social NGOs. The role of Government and RBI is important to find golden output. Incorporation of technology in formal financial services gives a fast and corrective growth. In 2014, Government of India implemented it as a national program and thus productivity of financial inclusion increased drastically. Banks have been playing greater role for increasing the level of inclusion as the process of inclusion can help the banks in improving their performance along with benefits to the unbanked population. Banks have a key role for improving the level of inclusion in the states but strict monitoring is required to implement it successfully.

## References :

1. A, Thamotharan and Prabakaran, G (2013). Role of private sector banks in financial inclusion- Issues and challenges, *Asia Pacific Journal of research*, 2(10), pp. 127-141.
2. A, Ujjwal and Champatiray, Amulya K and Sadhu, Santadarshan and Mendiratta, Tanya(2015). Business Correspondent Model An Analysis of the Financial Viability of Customer Service Providers and Client Satisfaction, *IFMR Research*, pp. 1-64.
3. Abel, Sanderson and Mutandwa, Learnmore and Roux, Pierre Le (2018). AReview of Determinants of Financial Inclusion, *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8 (3), pp. 1-8.

4. Abimbola, Akeem and Olokoyo, Felicia O and Babalola, Oeyemi and Farouk Elemide (2018). Financial Inclusion as a Catalyst for Poverty Reduction in Nigeria, *International Journal of Scientific research and management*, 6(6), pp.481-490.
5. Abor, Y. J. and Issahaku, H. and Amidu, M. and Murinde, V. (2018). Financial inclusion and economic growth: What do we know? Centre for global finance. Working paper series, No. 11.
6. Babu, Raja (2015). Global Financial Inclusion: Challenges and Opportunities, *International Journal of Research and Development - A Management Review*, 4(2), pp. 50-52.
7. Baghla (2018).Financial Inclusion in India: Its need and future, *International Journal of Research and Analytical Reviews*, 5 (3), pp. 449z-453z.
8. Camara, Noelia and Tuesta, David (2017). Measuring financial inclusion: amultidimensional index, *CEMLA – IFC Satellite Seminar*, pp. 1-23.
9. Dangi, Neha and Kumar, Pawan (2013). Current Situation of Financial Inclusionin India and Its Future Visions, *International Journal of Management and SocialSciences Research*, 2 (8), pp. 155-166.
10. FAO (2019). Women"s access to rural finance: challenges and opportunities,*Food and agriculture organizations of the United Nations*, pp. 1-20.
11. Gaur, Priyanka (2019). A study of financial inclusion extent and coverage with reference to Faridabad district
12. Gupte, Rajani and Venkataramni, Bhama and Gupta, Deepak (2012).Computation of financial inclusion index for India, *International Conference on Emerging Economies – Prospects and Challenges*, 37, pp. 133-149.
13. Jain, Mamta and Rajauria, Awantika and Mathur, T N (2016). A Study of Financial Inclusion of Household Workers in Jaipur, *SUMEDHA Journal of Management*, 5 (2), pp. 94-111.
14. Joseph, Divya (2014). A study of financial inclusion and financial literacy, *IJBARR*, 2 (4), pp. 126-134.
15. Kaur, Loveleen (2017). Financial Inclusion: Issues, initiatives and progress in Indian context, *International Education & Research Journal*, 3 (6), pp. 105-107.

## **Why Children's Need Physical Education**

**Dr. Jitender pal\***

\*Assistant professor (Phy.Edu), MMH College Ghazibad, U.P.

**Abstract :** Physical Education helps in the development of the total personality of the child to its fullness and perfection in body, mind, and spirit. Physical Education and sports help children to improve physical fitness, interpersonal skills, self-confidence, self-esteem, and teamwork. It also helps in developing motor skills, reducing stress, and improving academic performance. Considering all these advantages of physical education and sports, the researcher concluded that physical education should be mandatory in every school, from preschool to elementary school. It should be in colleges and hostels too. Schools should set dedicated sports and physical education programs so students get exposure to physical activities and understand their importance. It would further help them be active throughout their lives.

**Keywords :** Physical Education, Importance of physical education, Physical Education Programs etc.

**Introduction :** For decades, physical education has been a compulsory subject in school curricula component. These days, however, a lot of schools have had to cut back on physical education due to financial constraints. Other schools have eliminated or shortened their requirements for physical education to raise the test scores of students by spending less time in the gymnasium and more time in the classroom. The main goal of physical education is to help children to develop healthy habits which will serve them in the long-term. In today technology frenzy world things become easy, we are enjoying the facilities like no other generation. Adults spend their whole day in air-cooled offices, they eat junk food, don't find time to exercise. It is going to be very tough for our generation.

Physical education is an integral part of the total education of every child in kindergarten through high school. Quality physical education programs are needed to increase the physical competence, health-related fitness, self-responsibility and enjoyment of physical activity for all students so that they can be physically active for a lifetime. Physical education programs can only provide these benefits if they are well-planned and well-implemented.

So let us see, why do children need physical education? Central Advisory Board of Physical Education and Recreation defines Physical education as an education through physical activities for the development of total personality of the child to its fullness and perfection in body, mind and spirit. The CBSE has decided to make health and physical education compulsory for students of classes IX to XII to ensure the holistic development of the child," reads the circular issued by the CBSE to all affiliated schools. According CBSE circular no.Acad-10/2018 dated 21.03.2018 regarding Mainstreaming Health and Physical Education in Schools, wherein schools were advised to reserve one period every day for Health and Physical Education especially for class IX to XII from session 2018-19 onwards.

**Improved Physical Fitness :** With physical education, children can improve their fitness, i.e. muscular strength, flexibility, muscular endurance, body composition, and cardiovascular endurance ultimately it will boost their confidence. It helps students to form good habits from an early age. Running, jogging, weight training, eating and sleeping on time these are few habits which will help them in the future.

**Skill Development :** Develops motor skills, which allow for safe, successful participation in physical activities.

**Regular, Healthful Physical Activity :** Our current generation is suffering from obesity from an early age. They also get spectacles at an early age. Obesity comes with related illnesses too. An obese children prone to diseases like diabetes, cardiovascular diseases, stress, blood pressure etc. Habits formed with physical education will make them fit from early childhood. It will encourage them to improve and maintain their health in the future. Physical education provides a wide-range of developmentally appropriate activities for all children.

**Support of Other Subject Areas :** Reinforces knowledge learned across the curriculum. Physical education and sportsserve as a lab for application of content in science, math and social studies.

**Interpersonal Skills & Teamwork :** Physical education and sports improve the interpersonal skills of children. these skills are very crucial at the job and in the relationship. P.E teaches how to communicate messages effectively and how to work together.

**Discipline :** One of the important aspects of physical education is discipline. It will help them to plan their studies, finances, and life in general. They will be able to allot time to studies and for fun too. Along with academics children should get time to be children; it is the best phase of human life.

**Stress Reduction :** Stress Education comes with exams, assignments, projects, homework and that can put a lot of stress on students. Along with they also have parent's expectations burden, financial worries. In today's time overuse social media make them suffer from social anxiety, In this case, physical education becomes a great outlet. It cuts them from all these worries and situations. Because of it, they will be able to focus more on studies and life in general. Physical activity becomes an outlet for releasing tension and anxiety.

**Anti-Depressant :** It is proven that physical activities help us to relieve stress. Though we know it's importance, we make all possible excuses to avoid it. P.E helps us to maintain a timely schedule of physical activities. Students become calmer and composed, and then they can focus more on their goals.

**Improved Self-Confidence and Self-Esteem :** With improved interpersonal skills, easy and calm composure, healthy habit one becomes more confident about themselves. P.E plays a great role in this too. Physical education instills a stronger sense of self-worth in children based on their mastery of skills and concepts in physical activity. They can become more confident, assertive, independent and self-controlled.

**Strengthened peer relationships :** Today's physical education classroom is different than the gym class of the past. Rather than pitting children against one another in athletic competitions, today's gym teacher creates a positive environment where students are encouraged to be active. This positive approach to physical education can help foster stronger peer relationships, even among kids/children who are not at the same level of physical fitness. Physical education can be a major force in helping children socialize with others successfully and provide opportunities to learn positive people skills. Especially during late childhood and adolescence, being able to participate in dances, games and sports is an important part of peer culture. From these activities children learn the basic skills they'll need in physical education, which makes new skills easier to learn.

**Experience Setting Goals :** Gives children the opportunity to set and strive for personal, achievable goals.

**Alternate Career Opportunity :** Every person is different, not all students will be great at academics and there no such rule too. Young people find themselves in trouble of choosing a career. Physical education can help them in this too. One might find their interest in sports and games. P.E is a good opportunity to scout for potential athletic talent too. Being in the right choice careers matter a lot. If one gets to do a thing which they love to do, their life will be happier. P.E. can help them to find that or at least narrow down the choices.

**Promote healthier lifestyles :** Physical education helps children make a habit of an active lifestyle. They learn a life-long concern for their personal health that makes them more productive adults.

**Improves academic performance :** Studies have shown that, when IQs are the same, children who have daily physical education classes tend to get higher grades than children who don't. Increases interest in learning. Regular physical activity makes children more alert and more receptive to learning new things.

**Conclusion :** Good health and physical fitness are essential elements that help students succeed in all other aspects of life including academic, social, physical and spiritual endeavors. This class utilizes a variety of activities and resources to provide students with the knowledge, skills, confidence and motivation to pursue a healthy, fit lifestyle. Students participate in daily physical activity, as well as daily practice of social skills such as sportsmanship, teamwork, cooperation, respect of diversity among classmates, and appropriate competitiveness. Body systems such as the muscular, skeletal, and cardio respiratory/vascular systems are studied, as well as some wellness topics such as nutrition, hygiene, goal setting, and disease prevention. There are real advantages of physical education and at present situation, children, as well as adults, need it the most.

Physical education should be mandatory in every school, from preschools, primary, elementary to middle school. It should be in colleges, hostels too. But we should not force them to do it, they should be made aware of its benefits. Physical education provides a number of important benefits that improve children's overall physical and mental health.

If schools set, a dedicated sports & physical education program so that children are exposed to physical activity from young & tender age, we can ensure that a huge number of children will be able to appreciate and understand the importance of physical education. This would further help them in being active throughout their lives and will encourage active participation in all forms of sports.

Yes, physical education is important for school going children — just as important as algebra and English.

**References :**

1. [www.teachhub.com/physical-education-school-valuable-children](http://www.teachhub.com/physical-education-school-valuable-children), Vol. 114, No. 11Promoting Physical Activity in Children and Youth
2. SumanTimalsina, Fundamental Movement Skills for Physical Literacy
3. Ajmer Singh, JagdishBains, Jagtar Singh Gill, Rachhpal Singh Brar, Essential of physical education -

## **Performance Variation in Children with Hearing Impairment on a Test of Basic Concepts**

**Shyam Sunder Mishra\***

\*Director and Head, Department of Special Education, Nehru Gram Bharati (Deemed to be University) Prayagraj, UP, India) & Research Scholar (Special Education, NGBDU, Prayagraj, UP, India

**Prof. K. K. Tiwari\*\***

\*\*Dean & Head, Faculty of Teacher Education, Nehru Gram Bharati (Deemed to be University) Prayagraj, UP, India) & Research Supervisor

**Abstract :** The term 'Basic Concepts' involves the child's ability to make relational judgments either among objects, people or situations or in reference to a standard. In general these are the concepts of time, space, direction, colour, quantity, smell, taste, etc. These concepts are not only essential for making comparisons but are also important as 'building blocks' for forming additional more complex concepts. An understanding of basic concepts is necessary for the young child to deal with the demands of everybody living and to build upon in later learning. In other words, basic concepts help the child to understand and later describe the relationship between and among objects, locations of objects and persons, characteristics of objects (dimensions, positions, movements, quantity and presence) and sequences of events. The aim of the present research study is to critically explore about the development of basic concepts among students having normal hearing and students having hearing impairment. It also further explores to study the impact of deafness in the development of basic concepts and the impact of students who are studying in different settings such as Inclusive and special school set up.

**Keywords :** Basic Concepts, Special and Inclusive Education, .Hearing Impairment, Degree of Hearing loss etc.

**Introduction :** Stott (1975) described that cognition as the capacity of a person to understand and function effectively in relation to the external environment. In a broader sense, it could be said that the cognition involves all the mental processes that results in knowing and building knowledge and concepts. Concepts help in developing an immediate understanding of new objects or ideas as one can relate them to a general class of similar objects and ideas with which the person is familiar. Without the ability to form the concepts it is almost impossible for any person to think. Concept has been defined in many ways.

**"Cognition is an individual's thought, Knowledge, Interpretation, Understandings or ideas about himself and his environment."** - **Hillgard (1975)**

Anglin (1977) defines concept as the mental structures which enable one to make classification. It can be defined as the relationship between, or the properties shared by the objects or ideas in a given group. It is mental structure used to categorized things that share characteristics.

Zintz (1970) says that 'concepts are personalized meanings held by an individual.' Woodruff (1961) believes that concepts are mental images of life accumulated from personal experiences from life itself.

More recently Coon (1995) defined concepts as an idea that represents a class of objects or events. These are powerful tools because they allow us to think more abstractly, free from distracting details. Burning and Roning (1995) felt that concepts are the structures by which meaningful categories are represented mentally. Particular objects or events are grouped together on the basis of perceived similarities. Those that fit in the category are exampled of instances of the concept. Those that do not are the non-examples. The similar features across examples of a concept are called 'attributes'. Features that are essential for defining concepts are called 'defining attributes'.

Concepts play vital role in an individual's life by manipulating his/her mental information in activities like reasoning, making decisions, solving problems language comprehension and communicating information to others, without which it virtually becomes impossible for one conceptualize. Johnson Liard and Wason (1977) gave emphasis on the development of concepts because without it each object or event would become unique and thinking and generalization would be impossible. In Sokal's (1977) view, concepts allow economy in memory. By grouping objects together into a concept, one can remember the attributes of a concept rather than each individual event or object.

According to Bruner, Goodnow and Austin (1956) concepts reduce the necessity of constant learning. They further add that, by concepts one knows how to react to an object and how to relate classes of objects and events.

**Development of Basic Concepts :** The knowledge about concepts acquisition comes from the fields of cognitive development and language acquisition. Many researchers have contributed to the understanding of cognitions among them are Burner (1962), Flavell (1963), Guilford (1967), Hunt (1961), Sigal and Hooper (1968) Vygotsky (1934, 1962), Gagne (1967) and Klausmeier (1971).

Piaget's (1896-1980I) work has motivated much of the work of these researchers. Piaget (op. cit.) turned all his energies towards studying the evaluation of children's thinking. His works from the universities of Paris and Geneva gave impetus for world-wide research on important factors influencing concept development. His particular line of thinking focused of how people think ( thought process) instead of, on what they think (content) Piaget's greatest strength lies in his description of how a person inherited capacities interact with his environment to produce an intellectually functioning child and adult. He emphasized that the young child does not pursue the word in the same way as does the adult, but goes through a sequential order of developmental stages in solving problems.

The factors which influence the children's concept development are intelligence type of experience opportunities of learning personality, sex and the conditions of sense organs. Because the sense organs are the channels through which sensory experiences pass to the brain, the conditions of the sense organs affect concept development. Unlike hearing babies, deaf infants rely on their visual channel to grasp information that surrounds them. They try to extract meaning from facial expressions, verbal clues, gestures and those activities that occur within their environment.

**Formal Assessment :** There are several tests which are available to assess the child at pre-school level, but only few of these have specific assessment of basic concepts as their major focus. Other tests focus on the pre-school and early school years and either specifically or along with other skills & objectives, includes the assessment of some basic concepts measured individually or in combination with other concepts. One of them is Boehm test of basic concepts (revised) (1971). The Boehm's test of basic concepts- Revised (Boehm-R) is designed to assess children's mastery of the basic concepts that are both fundamental to understanding verbal instruction and essential for early school achievement.

The purpose of Boehm's test of basic concepts is to identify:

- ◆ Individual children whose overall level of concept mastery is low and who therefore may need special attention and
- ◆ Individual concepts with which large number of children in a class may be unfamiliar.

**Review of Literature :** Researcher has utilized the Boehm's test of basic concepts for the assessment of special population including the blind, the educable mentally retarded, the learning disabled and also with the hearing impaired children.

Dickie (1980) compared the performance of severe and profound hearing impaired children, who were educated with the aural/oral (A/O) approach and total communication approach (TC) using Boehm's test of basic concepts. Results of this study indicated that the TC group performed significantly better than the A/O group, where age was not a significant variable. The difference showed that, there are receptive language differences between hearing impaired children taught with A/O approach as compared to those taught with TC approach.

Basic concepts understanding among hearing impaired children has also been studied by Davis (1974). He compared the Boehm's test of basic concepts performance of young hearing impaired children of normal intelligence to that of normal hearing children and found that the hearing impaired children fell increasingly behind their normal age peers. The degree of hearing loss was a significant factor in performance; the greater the hearing loss the greater the difficulty on Boehm's test of basic concepts. There was no consistent pattern of errors found, errors occurred across all types of concepts.

The concepts that were found to be most difficult for the normal hearing children. However, the ability of the hearing impaired children on basic concepts could possibly differ further, based on the type of school they attended i.e.,- regular school for the hearing children (Inclusive) or the special school for the hearing impaired children (segregated).

**Aims and objectives of the study :** The objectives of the present study was to assess the performance variations between the normal hearing children and hearing impaired children attending different educational set-ups (Inclusive & Special ) on the test of basic concepts.

**Brief Methodology :** Subjects ranging in age from 6-12 years were selected for this study, of which 100 subjects were normal hearing children studying in regular school, rest of the 100 subjects were hearing impaired. Out of them 50 H.I. subjects were studying in regular schools for the normal hearing (Inclusive) and 50 hearing impaired subjects were studying in special schools for hearing impaired (Special).

The study was carried out in the following stages:

1. Construction of test material.
2. Data collection on normal hearing and hearing impaired children.
3. Scoring and analysis of the data.

**Data collection on normal hearing and hearing impaired children :**

**Selection of Subjects :** A total sample of 200 children among which 100 were from various schools including Inclusive & Special school for the hearing impaired and 100 from students having normal hearing were selected for this study.

**Scoring & Analysis of the Data :** The test consisted of 50 basic relational concepts which are in the form of pictorial items/ plates. For each correct response a score of '1' was awarded, while for incorrect response no score was given. For each correct response the maximum score given. Maximum obtainable score was 50. After scoring was completed for all the subjects, obtained scores were entered in the computer using dBase package and analyzed using SPSS/PC package for statistical significance using 't' test and 'ANOVA'. The obtained raw scores of the 200 subjects were computed and statistically analyzed group wise i.e. Group-A: Normal hearing subjects: Group-B: Hearing impaired (Inclusive) and Group-C: Hearing impaired (Special).

The data was further analyzed statistically to study the difference in performance of the subjects according to their age, within the group & between the groups and also on the degree of hearing loss and further with respect to gender. The obtained data was further subjected to statistical analysis in order to study performance variation if any with respect to the type of school the hearing impaired children attended.

To further substantiate whether the performance of hearing impaired children who studied in integrated and segregated schools differed significantly or not, a two way analysis of variance 2X2 design (Green segregated) and the degree of hearing loss (severe or profound). The between subject factors were type of school and the degree of hearing loss.

**Result and Findings :**

- 1) The performance of normal hearing children was found to be better than that of the hearing impaired children on the test of basic concepts in Hindi, irrespective of the type school they attended.
- 2) The performance of hearing impaired children attending regular school (Inclusive) performed better than the hearing impaired children attending special school on the test of basic concepts.
- 3) The performance of both normal hearing and hearing impaired children on the test of basic concepts in Hindi, improves with increase in age.

**Conclusion :**

- 1) The test of basic concepts in Hindi, developed through the study was found to be highly reliable and therefore, can be very useful in identifying mastery or overall level of individuals (normal hearing or hearing impaired children) on concepts.
- 2) Thus, through this test, it is possible to identify those children having low concept skills and plan for special programmes to overcome the same in Hindi medium schools.
- 3) The test could also serve as a useful clinical tool to assess special children.
- 4) The findings of the study also clearly indicated that integrated school set-up is beneficial to hearing impaired children, with respect to their concept development and in turn on language skills. Therefore, it is beneficial to undertake assessment of basic concepts at an early age and plan accordingly, the type of school for the hearing impaired as well as special remedial programmes for the hearing impaired as well as other children.

## **References :**

1. Burning, R.H. Schraw, G.J and Ronning, R.R (1995): Cognitive Psychology and Instruction, Prentice Hall New Jersey, P- 57.
2. Chin J.L. (1975): The development of basic relational Concepts in educable mentally retarded children. Dissertation Abstracts International, 35, 2762 A
3. Davis, J. (1974): Performance of young hearing impaired children on a test of basic concepts. In Journal of Speech & Hearing Research Vol. 17, PP 270-272.
4. de- Villiers, J.G. and de- Villiers, P.A. (1979): Early language In A.E. Boehm ; Assessment of basic concepts, In K.P. Paget and B.A., Brackin (eds.) The Psycho educational assessment of pre-school children, PP- 145-159.
5. Dickie, D.C. (1980): Performance of severely and profoundly hearing impaired children on aural/oral and total communication; In Boehm, A.E. BTBC Manual, Psychological crop. P-39
6. Furth, H.G. (1966): Thinking without Language, In Jeffrey P.B. Deafness, Deprivation and I.Q.: Plenum Press, New York, PP 8-11.
7. Henkin, P.H. (1978): Concept attainment and reading achievement in normal disadvantaged high risk grade children. In Asian Journal of Psychology and Education. Vol 22, 1989,k PP 18-28
8. Johnson, H. (1977): The meaning of 'before and after' for pre-school children: In Journal of Exceptional Child Psychology, 1975, 19 PP 88-89.
9. Pintner, R. and Patterson, D. (1916): A measure of the language ability of the deaf children, In Janet, R.J., The impact of hearing impairment, In Jack Katz (eds.) Handbook of Clinical Audiolog, P 604.
10. Roe, B.D., Stoodt, B.S. and Burns, P.C. (1991) Secondary School Reading Instruction: The Content Areas: In Peter J. and Leonie D., Cognitive Development, Singular Pub group, California P 60.
11. Sherry, K.B. and Steve, M.C. (1986): Student and Teacher Prediction of Kindergarten's basic concepts mastery: How Valid Are They? Journal of Psychological Assessment, Vol. 4 March 1986, PP 163-168.
12. Skinner, C.E., (1984): Educational Psychology, prentice Hall of India Pvt. Ltd. New Delhi, 4th edition, PP 227-233
13. Verma, S. and Chawla, S. (1989): Concept formation in Socially Deprived and Non-Deprived Children: In Asian Journal of Psychology and Education. Vol. 22 1989, PP 18-28.
14. Vygotsky, L.S. (1962) Thought and Language. In Daniel, P.H. and James, M.K. Exceptional Children, prentice Hall New Jersey, P 299.
15. Woodruff, A.D. (1961): Basic Concepts of Teaching, In Peter, J. and Leonie, D. Cognitive Development, Singular Pub group, California, P 60
16. Zintz, M.V. (1970): The Reading Process, The Teacher and Learner, In Peter, J.V. and Leonie, D. Cognitive Development, Singular Pub group, California P 60.

## **Teachers' Attitude Towards Ict in Respect to Usage of Computer**

**Nitin Kumar Gupta\***

\*Research Scholar, Department of Education, Meerut College, Meerut, Uttar Pradesh, India

**Dr. Manju Gupta\*\***

\*\*Associate Professor (Retd.), Department of Education, Meerut College, Meerut, Uttar Pradesh, India

**Abstract :** *The present study was conducted to find out teachers' attitude towards ICT in respect to usage of computer working in higher education institutions. 500 teachers (250 male and 250 female) from 46 educational institutions, affiliated to Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly, Uttar Pradesh, were selected randomly as making a representative sample by employing stratified random sampling technique. A questionnaire was constructed and standardized to collect data followed by Normative survey method and analysed with descriptive (percentage) and inferential (Chi-Square) statistics. Findings of the study revealed that urban teachers and teachers of self-finance institutions had significantly higher attitude than those of rural teachers and teachers of government institutions respectively. Further, there was no effect of Gender, Marital status and Stream on their attitudes towards ICT in respect to usage of computer.*

**Keywords :** ICT, Attitude, Computer, Usage, Teacher, etc.

**Introduction :** Science and Technology have revolutionized the current education system. It has influenced nearly every walk of life. Education is no exception to it. It has influenced every aspect of education, such as teaching aids, curriculum, teaching methods, etc. It has modified the conception of teaching-learning process. But technology is a broad concept, includes hardware and software approaches. Technology may be of different types such as Information Technology (IT), Behavioural Technology (BT), Information and Communication technology (ICT), Computer Technology (CT), and Mobile Technology (MT) generally known as Mobile Learning. But, in general, mobile technology, computer technology and information technology all are the components of information and communication technology. Therefore, ICT is a broader term than rest of other terms.

Computer technology, generally, is defined as the combination of hardware and software to perform some tasks. It contains hardware parts like monitor, keyboard, mouse, joystick, etc. while in software parts, system software (Windows, Linux, MS-Dos etc.) and application software (MS-Office, Adobe Photoshop etc.) are included. **Collins's dictionary** described computer as a design and construction that helps people in their day-to-day work. Fundamentally, the word "**computer**" has been derived from the word '**compute**', which means, '**to calculate**'. It means any device used for calculation may be referred to as a computer.

**Sinha and Sinha (2014) referred computer as a data processing device that processes and retrieves the data as required. The term Data Processor is more inclusive because of computing and performing different functions and operations.** In this digital village, a traditional teacher with his/her old teaching method cannot exist. He/she should be competent enough to cope with the needs of the present education system. At the present time, a teacher should be worth sufficient in using different ICT tools for teaching to achieve the maximum objectives of the teaching. But for the same, it is necessary to know their attitudes about using various ICT tools and technologies. Attitude shows a person's favourable, unfavourable and neutral state to a certain idea, object, people, philosophy, conception, etc. To succeed in any profession like education, it is imperative that our attitude should be favourable to fulfil our objectives. Favourable attitude of teachers towards ICT leads to successful implementation of technology in the teaching-learning process while unfavourable attitudes create disturbances to the same. So, it is essential that teachers should have favourable attitude towards ICT and its different components to integrate the technology and different ICT tools in the teaching-learning process to achieve the aim of education.

**Objectives :** 1. To study Teachers' Attitude and its levels Towards ICT in respect to Usage of Computer working in higher education institutions when they are classified according to their - Gender : Male/Female, Marital Status : Married/Unmarried, Locality : Rural/Urban

**Hypotheses : Hypothesis-1:** There is significant difference between levels of attitude towards ICT in respect to usage of computer of male and female teachers working in higher education institution.

**Hypothesis-2:** There is significant difference between levels of attitude towards ICT in respect to usage of computer of married and unmarried teachers working in higher education institution.

**Hypothesis-3:** There is significant difference between levels of attitude towards ICT in respect to usage of computer of urban and rural teachers working in higher education institution.

**Method :** In this present study, researchers chose **Normative Survey Method** for the current study.

**Population :** Population of the present study consisted all the teachers, teaching in Higher Education Institutions affiliated to Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly, Uttar Pradesh. No. of teachers, teaching in all these institutions was the population for the present study.

**Sample and Sampling :** Researcher chose 500 teachers (250 male and 250 female), teaching in higher education institutions. There were nine districts, which have educational institutions affiliated to Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly in Rohilkhand region; 46 Institutions were chosen by Simple Random Sampling Method (Lottery Method) including university campus. After that, these 46 colleges and university campus were visited by the researcher. The researcher chose the teachers for sample by Stratified Random Sampling Method.

**Tool :** For the present study, a questionnaire ‘Teachers’ attitude scale towards usage of computer’ was constructed and standardized for collection of data.

**Statistics :** Chi-Square Test was used to analyse data.

**Processing of the Obtained Data :** The raw data was statistically processed and treated on Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 22.0. and MS Excel for organization of the raw data.

**Levels of Significance :** In the present study, hypotheses were tested at .05 level of Significance.

**Analysis of Data :**

**Testing Hypothesis Using Chi-square :**

**H<sub>1</sub>:** There is significant difference between levels of Attitude Towards ICT in respect to Usage of Computer of Male and Female teachers working in higher education institution.

**H<sub>0</sub>:** There is no significant difference between levels of Attitude Towards ICT in respect to Usage of Computer of Male and Female teachers working in higher education institution.

**Table-1 :** Chi-square test for differencebetween levels of Attitude Towards ICT in respect to Usage of Computer of Male and Female teachers working in higher education institutions

Gender		Levels of Attitude Towards ICT in respect to Usage of Computer					Chi Square Value	p Value
		Higher Attitude	Above Average Attitude	Average Attitude	Below Average Attitude	Low Attitude		
Male	Count	50	114	51	23	12	250	9.224
	Expected Count	42.0	121.5	52.0	18.0	16.5	250.0	
	% within Gender	20.0%	45.6%	20.4%	9.2%	4.8%	100.0%	
	% within Levels	59.5%	46.9%	49.0%	63.9%	36.4%	50.0%	
Female	Count	34	129	53	13	21	250	.057
	Expected Count	42.0	121.5	52.0	18.0	16.5	250.0	
	% within Gender	13.6%	51.6%	21.2%	5.2%	8.4%	100.0%	
	% within Levels	40.5%	53.1%	51.0%	36.1%	63.6%	50.0%	
Total	Count	84	243	104	36	33	500	
	Expected Count	84.0	243.0	104.0	36.0	33.0	500.0	
	% within Gender	16.8%	48.6%	20.8%	7.2%	6.6%	100.0%	
	% within Levels	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

From the above table, it was evident that obtained p value was .057 and Chi-Square value was 9.224 with df (degree of freedom) 4. Here, obtained p value was higher than .05 level of significance. Hence, Research Hypothesis was rejected while Null Hypothesis was accepted. It indicated that there was no significant difference between Levels of Attitude Towards ICT in respect to Usage of Computer of Male and Female teachers of Higher Education Institution at .05 level of significance  $\chi^2 = 9.224$ , df =4, p >.05.

Therefore, the study revealed that there was no significant difference in the Levels of Attitude Towards ICT in respect to Usage of Computer of Male and Female teachers working in higher education institutions.

**H<sub>2</sub>:** There is significant difference between levels of Attitude of Married and Unmarried teachers working in higher education institutions Towards ICT in respect to Usage of Computer.

**H<sub>0</sub>** : There is no significant difference between levels of Attitude of Married and Unmarried teachers working in higher education institutions Towards ICT in respect to Usage of Computer.

**Table-2 :** Chi-square test for difference between Levels of Attitude of Married and Unmarried teachers working in higher education institutions Towards ICT in respect to Usage of Computer

Marital Status		Levels of Attitude Towards ICT in respect to Usage of Computer					Total	Chi Square Value	p Value
		Higher Attitude	Above Average Attitude	Average Attitude	Below Average Attitude	Low Attitude			
Married	Count	43	128	55	15	9	250	8.907	.063
	Expected Count	42.0	121.5	52.0	18.0	16.5	250.0		
	% within Marital Status	17.2%	51.2%	22.0%	6.0%	3.6%	100.0%		
	% within Levels	51.2%	52.7%	52.9%	41.7%	27.3%	50.0%		
Unmarried	Count	41	115	49	21	24	250	8.907	.063
	Expected Count	42.0	121.5	52.0	18.0	16.5	250.0		
	% within Marital Status	16.4%	46.0%	19.6%	8.4%	9.6%	100.0%		
	% within Levels	48.8%	47.3%	47.1%	58.3%	72.7%	50.0%		
Total	Count	84	243	104	36	33	500		
	Expected Count	84.0	243.0	104.0	36.0	33.0	500.0		
	% within Marital Status	16.8%	48.6%	20.8%	7.2%	6.6%	100.0%		
	% within Levels	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		

From the above table, it was evident that obtained p value was .063 and Chi-Square value was 8.907 with degree of freedom 4. Here, obtained p value was higher than .05 level of significance. Hence, Research hypothesis was rejected while Null hypothesis was accepted. It indicated that there was no significant difference between levels of Attitude of Married and Unmarried teachers working in higher education institutions Towards ICT in respect to Usage of Computer at .05 level of significant  $\chi^2 = 8.907$ , df =4, p < .05).

Therefore, the study revealed that there was no significant difference in the levels of Attitude of Married and Unmarried teachers working in higher education institutions Towards ICT in respect to Usage of Computer.

**H<sub>3</sub>**: There is significant difference between levels of Attitude of Urban and Rural teachers working in higher education institutions Towards ICT in respect to Usage of Computer.

**H<sub>0</sub>**: There is no significant difference between levels of Attitude of Urban and Rural teachers working in higher education institutions Towards ICT in respect to Usage of Computer.

**Table-3** Chi-square test for difference between Levels of Attitude of Urban and Rural teachers working in higher education institution Towards ICT in respect to Usage of Computer

Locality		Levels of Attitude Towards ICT in respect to Usage of Computer					Total	Chi Square Value	p Value
		Higher Attitude	Above Average Attitude	Average Attitude	Below Average Attitude	Low Attitude			
Urban	Count	54	123	47	13	13	250	12.118	.016
	Expected Count	42.0	121.5	52.0	18.0	16.5	250.0		
	% within Locality	21.6%	49.2%	18.8%	5.2%	5.2%	100.0%		
	% within Levels	64.3%	50.6%	45.2%	36.1%	39.4%	50.0%		
Rural	Count	30	120	57	23	20	250	12.118	.016
	Expected Count	42.0	121.5	52.0	18.0	16.5	250.0		
	% within Locality	12.0%	48.0%	22.8%	9.2%	8.0%	100.0%		
	% within Levels	35.7%	49.4%	54.8%	63.9%	60.6%	50.0%		
Total	Count	84	243	104	36	33	500		
	Expected Count	84.0	243.0	104.0	36.0	33.0	500.0		
	% within Locality	16.8%	48.6%	20.8%	7.2%	6.6%	100.0%		
	% within Levels	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		

From the above table, it was evident that obtained p value was .016 and Chi-Square value was 12.118 with degree of freedom 4. Here, obtained p value was less than .05 level of significance. Hence, Research hypothesis was accepted while Null Hypothesis was rejected. It indicates that there was significant difference

between levels of Attitude of Urban and Rural teachers working in higher education institutions Towards ICT in respect to Usage of Computer at .05 level of significant  $\chi^2 = 12.11$ , df =4, p < .05. It was also observed that majority of Urban teachers had higher, above and average levels of Attitude Towards Usage of Computer as compared to Rural teachers working in Higher education institutions. Therefore, the study revealed that Urban teachers working in higher education institutions were showed significantly more in their Attitude Towards ICT in respect to Usage of Computer as compared to Rural teachers.

**Findings :** Findings of the study reveals that-**1.** Female and Male teachers working in higher education institutions did not differ significantly with respect to Attitude Towards ICT in respect to Usage of Computer. It means there was no significant effect of gender on Attitude Towards ICT in respect to usage of computer. **2.** Married and Unmarried teachers working in Higher Education institutions did not differ significantly with respect to Attitude Towards ICT in respect to Usage of Computer. It means there was no significant effect of Marital status on Attitude Towards ICT in respect to Usage of Computer. **3.** Urban teachers working in higher education institutions showed significantly higher Attitude Towards ICT in respect to Usage of Computer as compared to Rural teachers. It means there was significant effect of locality on Attitude Towards ICT in respect to Usage of Computer.

**Conclusion :** The present study was conducted to find out teachers' attitude towards ICT in respect to usage of computer. Data was collected and analysed with descriptive and inferential statistics. Findings of the study revealed that Urban teachers were more in their attitudes than those of rural teachers. As far as effect of gender and marital status were concerned, the study did not find any significant effect on their attitudes towards ICT in respect to Usage of Computer. Therefore, this study found no effect of gender and marital status on the attitudes of teachers.

#### References :

1. Agarwal, A. & Agarwal, S (2009). Computer and its components. Ascent computer studies, Delhi: J.B. Publishing House (P) Ltd., 5-8
2. Agarwal, M. & Prakash, S. (2010). Computer World. NMew Vision Computer, Varanashi: HPS International Pvt. Ltd., 13
3. Allence, M. (2008). Beyond policy: strategic actions to support ICT integration in Japanese schools. *Australian Journal of Educational Technology*, 24(3), 275-293. Retrieved from <https://eric.ed.gov>.
4. Bhattacharyjee, B. & Dev, K. (2016). Role of ICT inn 21<sup>st</sup> century's teacher education. *International Journal of Education and Information Studies*, 6(1), 1-6. Retrieved from <https://www.ripublication.com...pdf>
5. Bhalla, J. (2013). Computer use by school teachers in teaching learning process. *Journal of Educational and training Studies*, 1(2), 174-185. Retrieved from <http://dse.doi.org/10.111114/jets.v1i2.98>
6. Chamanlal, M.J. (2014). Role of Computer applications and tools in the scientific research process. *International Journal of Research in Science and Technology*, 3(5), 33-40. Retrieved from <https://www.ijrst.com>
7. Johri, D. (2009). A study of ICT using Competencies, Usage Patterns and E-barriers among Teacher Educators and Teacher trainees. Department of Education, Faculty of Education & Allied Sciences, M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly, UP
8. Jain, S.K. (2014). Impact of Information technology in libraries. *Shodhayatan*, 1(2), 155-157.
9. Mahashevta (2017). Review of ICT policies in India. *Bhartiyam, International Journal of Education & Research*, 7(1). Retrieved from [ganagainstituteofeducation.com...](http://ganagainstituteofeducation.com...)
10. Manish, A. & Vidyapati (2018). Effective use of ICT in teacher education for environment in classroom. *Educational Quest, International Journal of Education and Applied Social Science*, 9(2), 247-251.
11. Nicol, W. & Jonsan, M. (2020). The best educational apps for android and ios. Retrieved from <https://www.digitaltrends.com/mobile/best-educational-apps/>
12. Ratheeswari, K. (2018). Information and communication technology in education. *Journal of Applied and Advanced Research*, 3(1), 545-547. Retrieved from <https://www.researchgate.net>.
13. Shah, M.S. (2017). Academic achievement of students from joint and nuclear families at secondary school level, *Educational Research on Jammu KashmirGuwahati*: Empyreal Publication House, 1-22.
14. Sinha, P.K. & Sinha, P. (2014). Introduction, Basic Computer Organization, Computer Fundamentals, concepts, systems & applications, New Delhi: BPB Publication, 1,2,18.
15. Thakral, P. (2015). Role of ICT in professional development of teachers' learning community, 6(1), 127-133, New Delhi: New Delhi Publishers. Retrieved from [ndpublishers.in>issues pdf](http://ndpublishers.in>issues pdf)
16. Upadhyayya, A.K. (1999). A Comparative Study of Effectiveness of Computer Assisted Instruction and Traditional method in teaching Physics, Faculty of Education and Allied Sciences, M.J.P. Rohilkhand University, Bareily, U.P.
17. Verster, B. (2004). Normative surveys to determine end-user perceptions of public transport interchanges, Southern African Transport Conference (SATC 2004), 21-430.
18. Verma, S.K. (2011). A study of Communication Technologies with reference to its Prevailing Status, extent of Use, Awareness and Attitude of the teachers of professionals and traditional courses at +3 level. Faculty of Education & Allied Sciences, M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly. U.P.

## **A Study of Self-concepts of Science and Arts College Students**

**Dr. Manvir Singh\***

\*Asst. Prof. Dept. of Education, Bareilly College, Bareilly U.P.

**Smt. Reeti Nigam\*\***

\*\*Research Scholar,Dept. Education, Sanskriti University ChhataMathura, U.P.

**Abstract :** An individuals' self concepts is a set of inferences drawn from self observation in many different situations. So, it has major importance in education. The present work has two main objectives. First, to analyze the self-concepts of male and female college students while, second was to compare the self-concepts of science and arts students. A sample of 125 students of undergraduate final year Students were randomly selected from the population of aided college of Bahraich district. Data was obtained and analyzed with appropriate statistics to get the results. It was found that male and female students differ significantly on their self concepts. Similarly, science and arts students also differed significantly on their self-concepts.

**Keywords :** Self-concepts, Science and Arts Students, Random Sampling Mean, S.D., T-Test etc.

**Introduction :** The role of higher education is to promote a sense of common citizenship and culture and to further national integration, to make a direct contribution to national productivity and to contribute to the rapidly expanding store of knowledge and technology. Self-concepts are of major importance in education. An individual's self-concepts is a set of information drawn from self observations in many different situations. A number of variables play important role in the development of self-concepts. Several research studies have highlighted that the psychological contribution of a positive self-concept by students, during their academic stage leads to success in educational environment and social situation. It was found that self-concepts of positively associated with different factors seen as the individuals experiencing grater happiness(5). Gender has been a highly studied variable since there are differences between boys and girls in academic performance as well as in the psychological constructs{2,6}. Differences according to gender were also found in self concepts in a meta analyses study(4), identified that the women had a greater self concepts in the subject matter or course related to language, as well as the arts as compared to men. Self-concepts were studies with academic success or outcomes(3,7,8). Resilience and self efficacy as correlates of well being among the elderly persons was also studied (9).

On the basis of this review it is conducted that most of studies have been conducted at primary and secondary levels. In the present study the researchers have made and attempt to study the self-concepts of science and arts students at college level in Bahraich district.

**Objectives of the study :** Following objectives have been formed for the purpose of the present study.

To find out the differences between self-concepts of male and female collegestudents.

To investigate the difference between self-concepts of science and arts collegestudents.

**Hypotheses :** In Present study following hypotheses were tested.

**Methodology :**

**Population and sample :** In the present study of the college students of B.A. and B.Sc. final year of aided college of Bahraich district were the population of the study. The researchers randomly selected 125 college students (77 Male 48 female, 55 sciences and 70 Arts) to consist the sample.

**Tools of the study :** To collect the data Bhatnagar's self-concepts inventory was used. In this inventory five aspects of self concepts were measured. These are known as A- Achievement,C- Confidence, W-Withdrawal, I-Inferiority and E- Emotional instability. The students were asked to record the response on all 57 items by putting numerical scores against the chosen statement. Responses were recorded on a separate sheets.

**Statistical Technique used :** After collect the data on the inventory from the sample, the researchers scored them and prepared frequency distributions. Mean and S.D. were calculated of theall frequency distributions. To compare the mean difference of the groups, T- test was employed.

**Result and discussions :**

**Result were analyzed hypothesis wise :**

**Hypothesis :** I was that there is no significant difference in the self-concepts of male and female college students. In order to reach on definite conclusions the scores were tabulated for male and female students separately Calculated mean, S.D. and T- Values are presented in the following table.

**Table-1**

Mean, S.D. and T values of self-concepts of male and female students.

Sr.no.	Self-Concepts	Male(77)		Female(48)		T-Value	Level of significance
		Mean	S.D.	Mean	S.D.		
1.	Achievement	32.92	4.49	34.98	4.52	02.89	0.01
2.	Confidence	34.91	5.11	32.61	4.98	02.49	0.05
3.	Withdrawal	39.01	4.68	38.40	4.43	0.77	NS*
4.	Inferiority feeling	34.42	5.89	36.21	5.48	02.26	0.05
5.	Emotional instability	32.62	4.31	34.43	4.96	02.08	0.05

\*NS= Not significant %

It is revealed from the above table that mean of male students was higher on confidence and withdrawal than females. The mean of achievement, inferiority feeling and emotional instability were higher for female than that of males. Mean difference was found significant at 0.01 levels on achievement and 0.5 levels on confidence, inferiority feeling and emotional instability. Therefore hypothesis of no difference in the means of achievement, confidence, inferiority feeling and emotional instability was rejected. On the other hand it may be said that female students scored higher on achievement, inferiority feeling and emotional instability while male scored higher on confidence only.

**Hypothesis-2 :** This hypothesis was that there is no significant difference in self concepts of science and arts students. Mean SD and T values were calculated from the tabulated scores which are given in tab below

**Table-2**

Mean S.D. and T values of science and arts students.

Sr.no.	Self-Concepts	Science (55)		Arts (70)		T-Value	Level of significance
		Mean	S.D.	Mean	S.D.		
1.	Achievement	35.41	04.71	33.63	04.92	02.02	0.05
2.	Confidence	35.39	05.02	33.61	04.88	01.99	0.05
3.	Withdrawal	30.41	04.81	31.23	04.82	0.95	NS*
4.	Inferiority feeling	29.32	05.66	31.93	05.32	02.63	0.01
5.	Emotional instability	36.92	04.41	37.44	04.99	0.58	NS*

\*NS= Not significant.

It is revealed from the above table that mean score of Science students were higher on achievement confidence while on withdrawal inferiority feeling and emotional instability score of Arts students, were higher. On the basis T values it is revealed that withdrawal and emotional instability were not found significant, while achievement, confidence found significant at 0.05 level and inferiority feeling was significant at 0.01 level of confidence. Hence, main hypothesis of no difference was rejected on these three dimensions of self-concepts. In other words it may be concluded that the dimensions of self concepts were found higher for science students on achievement confidence and inferiority feeling only than that of arts.

#### Conclusions :

From the above results it can be concluded that :

1. The self concepts of female students were found significantly higher on achievement, inferiority feeling and emotional instability than male.
2. The self-concepts of male students was found significantly higher on confidence only than female
3. The self-concepts of science students were found significantly higher on achievement and confidence than arts students.

4. The self-concepts of arts students were significantly higher on inferiority feeling only than science students.

### **References :**

1. Bhatnagar R P (1970), A study of self concepts of bright achievers and non achievers. Journals of education and psy. Review 10 (3).
2. Herrera, L. Buitrago, R.E. and Cepero, S. (2017). Emotional intelligence in colombian primary school children, location and gender analysis. Univ. Psychol. 16, 1-10. doi: 10.11144/Javeriana.upsy16-3.eips.
3. Hogan, M.J., Parker, J.D., wiener, J., Watter, C., Wood, L.M., and Oke, A. (2010). Academic success in adolescence: relationships among verbal IQ, social support and emotional intelligence. Aust.J.Psychol.62,30-41.doi:
4. Huang, C.(2013). Gender differences in academic self-efficacy:a meta- analysis. Eur.J. Psyshol. Educ.28,1-35.
5. Hunagund, D.L., and Hangal, S.J.(2014). Self-efficacy and happiness in youth. J. Indian Acad. Appl. Psychol.40,70-73.
6. Janosevic, M., and Petrovic, B.(2019). Effect of personality traits andsocial status on academic achievement: gender differences. Psychol. Sch. 56, 497-509.doi:10.1002/pits.22215
7. Jansen, M., Scherer, R., and Schroeders, U. (2015) Students self concept and self -efficacy in sciences: differential relations to antecedents and educational outcomes. Contemp. Educ. Psychol 41,13-24.10.1016/j.cedpsych.2014.11002.
8. Losch, T., Ludtke, O., Ronitzsch, A., Kelava, A., Nagengast, B., and Trautwein, U(2017). A well-rounded view: using an interpersonal approach to predict achievement by academic self-concepts and peer rating of competence. Contemp.Edu.Psychol.51,198 208. doi: 10. 1016/j. cedpsych. 2017.07.003
9. Mamata, N., and Sharm, N.R. (2013). Resilience and self-efficacy as correlates of wellbeing among the elderly persons. J. Indian Acad. Appl. Psyschol. 39,281-288

## **A Study of Lathyrism and the Intake of Khesari Pulse with Old and New Concepts**

**Dr. (smt) Richa Singh\***

\*Ass. Prof. Home Science, G.V.P.G. College Risia (Brahaich)

**Abstract :** Lathyrism is a crippling disease of the nervous system characterized by paralysis of the leg muscles occurring individuals consuming large amount of Khesari Pulse. This disease has been reported to occur not only in M.P., Bihar and east U.P. but also in Spain Algeria and in some parts of France and Italy. It has now been proven to be harmless and has become the part of normal diet. It is hearting know that ICMR has recommended revoking the ban of Khesari Pulse. In Indian context the use of this rich source of protein as part of balanced diet would be useful.

**Keywords:** Lathyrism, *Lathyrus sativus*, Khesari Pulse, Neurolatherism, Normal diet, Drought and Famine.

**Introduction :** Lathyrism is a crippling disease of the Nervous System characterized by the paralysis of the leg muscles occurring in adults consuming large quantities of a pulse, khesari dal (*Lathyrus sativus*) or other *lathyrus* species over long periods. In India, the disease occurs in Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh. This disease has also been reported to occur in Spain, Algeria and occasionally in certain parts of France and Italy, where *Lathyrus* peas are consumed by the people.

Khesari dal (*Lathyrus Sativus*) contains a toxin which affects the nervous system (neurotoxin). The toxin cause damage to the nervous system. The disease is common among landless agricultural labourers in Madhya Pradesh, Bihar and agricultural labourers depend solely on kesari dal. Infact, Kesari dal is a hard crop which can survive even in severe droughts when much of the wheat crop is damaged. The agricultural labourers in these areas receive the dal from the landlords as wages. They prepare rotis using the dal and consume in the same which produces Lathyrism in them. In the initial stages, when the individual is subjected to physical stress (exercise), he exhibits a special walking style which looks embarrassing. On this position if khesari dal is not consumed, further progress of the disease can be controlled. There are four stages of the development of the disease in human beings. The progress of the established disease is typical

**Stages of The Disease :** In the first stage, there is weakness of the lower limbs with excessive muscular contraction in leg muscles, so that movement at the ankle and knee joints are restricted and painful. The patient will walk with jerky movements without the aid of a stick. So, this stage is called the no stick stage [1]. In the second stage flexion of the knee is more marked and there is a certain amount of inversion of foot with a tendency to walk on toes [2]. At this stage, the patient can walk only with the support of a stick. The patient walks on his toes with the support of a stick with the knees slightly bent, while walking. There is the crossing of legs one over the other[1]. In the third stage, the symptoms described above become more marked and the patient can walk only with the support of two sticks or crutches. The gait is slow and clumsy. There is crossing gait i.e. the legs cross one over the other while walking and the knees are markedly bent. The patient gets tired easily on walking even short distances. This stage is also called as the Two Sticks Stage. In the fourth stage, ultimately the knees become completely flexed and erect posture and walking becomes impossible.

There is atrophy of the thigh and left muscles. The patient can only crawl. So, this is called the crowling stage [2]. *Lathyrus Sativus* should have been implicated for a long time as responsible for Lathyrism in some parts of India. This disease is mainly of the neurological type. The presence of an unknown compound which on hydrolysis with hydrochloric acid yielded another ninhydrin positive compound. This compound causes nervous derangement in young chicks but rats and mice are not appreciably affected[2]. Some types of toxic compound may occur together in some plants also (2,4).

**Old concept :** At the domestic level the toxin in khesari lal was removed. In this method, water was first boiled and the container of water was removed from the fire. The dal was then soaked in this boiling water for about one hour. The water was then drained off and the dal was dried in sun shine. About 90-95% of the toxin from the dal was leached off or dissolved in the water[2].

**New Concept:** Neurolathyrism is now a disease of the causative agent. *Lathyrus sativus* has now been proven to be harmless and become part of usual diet.[3] A causal relationship between the excessive consumption of khesari and an upper motor neuron disorder been discussed that neurolathyrism has been only reported in the extreme conditions of drought or famine characterized by a spastic paraparesis of the lower limbs, is well known for several decades.[4] It has [5], but not in normal conditions and afflicts predominantly the lower socio-economic class. The last recorded episode of the disease was from Ethiopia during the 1955-1997 famine, and in India, it has virtually disappeared during the past three decades despite the continued cultivation and consumption in several states[6,7]. It has become abundantly clear over the past few years that, as a part of the normal diet like most legumes, Khesari pulse appears to be well tolerated. Despite the frequent use of Khesari pulse as a part of the normal diet, this pulse is still banned in many states of India. Some researchers have focused on the heartland of the Indian population which is solely dependent on *Lathyrus* pulse as their major food and still have reported incidence of spastic paraparesis in the community(11).

Khesari is a common edible pulse in Northern India. Millions of people are dependent on this pulse as a source of protein, as its seeds contain higher protein compared to other legumes. However, due to continued ban on Khesari pulse in Uttar Pradesh remove neurolathyrism risk, fear of arrest among farmers cultivationg *Lathyrus* always makes the perception diffult. It is heartening to know that, recently, a panel constituted by the Indian Council of Medical Research (ICMR) has recommended revoking the ban of Khesari pulse.[8]

**Conclusion :** It is the genral blief that limited intake of any thing is less harmful. This is also true in case of khesari. If it is consumed in limited quantity its nutritional values can be utilized optimally. In Indian context, it is very important to use this pulse as it is a rich source of protein. Earlier researches have also supported this belief. It is the need of the hour that national bodies such as ICMR come up with acceptable safe limits for consuming this dal as a part of a normal balanced diet and thus help in lifting the long associated stigma associated with its consumption [11] The availability of this rich source of protein as a part of balanced diet would benefit the marginal classes immensely and is thus of paramount importance with reference to the Indian context.

## References :

1. Diploma in Nutrition and Health Education -1, “ Nutrition for the community”. Booklet no.-5, IGNOU (1993), young Printing Press, Delhi. Pp-39-41.
2. Swaminathan , M. “ Essentials of food and Nutrition.” (1985) Vol. I , The Banglore Press, Banglore. pp-617- 622.
3. Singh SS, Rao SL. ‘Lesson from neurolathyrism: A disease of the past & the future of *Lathyrus sativus* (Khesari dal)’ Indian J Med Res. 2013;138:32-7[PMC free article] [Pub Med] [Google Scholar]
4. Dwivedi MP, Prasad BG. ‘An epidemiological study of lathyrism in the district of Rewa, Madhya Pradesh.’ Indain J Med Res. 1964;52:81-116. [Pub Med] [Google Scholar]
5. Misha VN, Tripathi CB, Kumar A, Nandmer V, Ansari AZ, Kumar B, et. al. ‘Lathyrism: Has the scenario changed in 2013?’ Neurol Res. 2014;36:38-40. [Pubmed ] [Google Scholar]
6. Getahun H, Mekomen A, TekleHaimanot R, Lambein F. ‘Epidemic of neurolathyrism in Ethiopia.’ Lancet. 1999;354:306-7. [Pub Med] [Google Scholar]
7. Misra UK, Sharma VP, Singh VP. ‘Clinical aspects of neurolathyrism in Unnao, India.’ Paraplegia. 1993;31:249-54. [Pub Med] [Google Scholar]
8. Campbell CG. Grass pea (*Lathyrus sativus* L.) ‘Promoting the Conservation and Use of Underutilized and Neglected Crops. Institute of Plant Genetic and rop Plant Research, Gatersleben/International Plant Genetic Resources Institute,’ Rome: Italy. 1997:18. [Google Scholar].
9. Khandare AL, Babu JJ, Ankulu M, Aparna N, Shirfule A, Rao GS, et al. ‘Grass pea consumption & present scenario of neurolathyrism in Maharashtra state of India.’ Indian J. Med Res. 2014;140:96-101.[PMC free article] [Pub Med] [Google Scholar]
10. Monsoor MA, Yusuf HK. ‘In vitro protein digestibility of *Lathyrus* pea (*Lathyrus sativus*) lentil(*Lens culinaris*) and chick pea (*Cicer arietinum*)’ Int J Food Sci Technol. 2002;37:97-9.[Google Scholar]
11. Chanrasia R.N. et. al. ‘Study of knowledge, Attitudes and Practice of participants with Resendor India of *Lathyrus*, But no species paraperasis’ J Neurosis Prac. 2018 Jan-March, 9(1): 11-13

## **Education and National Integration**

**Dr. Manoj Kumar\***

\*Asso. Prof & Head, Deptt. Of Education, St. Andrew's College, Gorakhpur, U.P.

**Abstract:** National integration is a complex process. It is multi-dimensional concept with many interlocking elements that operate independently to some degree but yet are also interactive, cumulative and generally complementary. The literal meaning of integrity is the state of being whole and undivided. Origin of this word is from the French word ‘intégrité’ or Latin word ‘integritas’, meaning integral. National integration is the awareness of a common identity among the citizens of a country. Textbooks should be rewritten if necessary to emphasize national integration. History books should emphasize cultural unity and its glorious past. Students should be made to realize the importance of independence. To promote social cohesion, consciousness of a national identity and need for national integration, a common core school curriculum should be adopted throughout the country with addition for and provision of regional knowledge on regional basis. Religion should be another important topic that should be stressed. Religious tolerance and respect for religion other than one's own is necessary. Secularism advocates neither anti-religious faith nor faith in any particular religion. Our schools must therefore stress basic unity of all religion. The students should be acquainted with the founder of each religion in India. In order to integrate the whole country, knowledge of different faiths and inculcation of a spirit of tolerance are inevitably needed.

**Keywords :** Education, National integration, Religious, Social cohesion, Political integration etc.

National Integration cannot be made by bricks and mortar, mould and hammer, but it quietly grows in people's minds through education. The great ideologist and author Myron Weiner, defines “National integration implies the avoidance of divisive movements that will balance the presence of attitudes in the nation and society that distinguish national and public interest from parochial interest”. **Dorothy Simpson** - National Integration means “creating a mental outlook which will promote and inspire every person to place loyalty to the country above group loyalties and the welfare of the country above narrow sectarian interests.” **Pandit Nehru** - “Political integration has already taken place but what I am after is something much deeper than that, an emotional integration of Indian people so that the two may be welded into one strong national unity, maintaining at the same time all our wonderful diversities.”

Education plays a role in national integration, because it teaches young people valuable traits that are desired in order to be tolerant and work in social harmony. The tradition of unity can be practiced and encouraged through education. A nation is a country with a unified socio-economic and political structure. It denotes a body of people who have a feeling of oneness, built on the basis of common history, society, culture and values. This feeling of oneness binds the people together in to a nation. In general terms it is this feeling which is known as national integration. National integration is the awareness of a common identity amongst the citizens of a country. It means that though the individuals belong to different communities, castes, religions, cultures and regions and speak different languages, all of them recognize the fact that they are one.

**Objectives :** The sentiments of national integration constitute the following: **1.** The individual should have ambition for national progress. **2.** The individual should have sentiments of friendship, integrity and honesty. **3.** The individual should have unflinching faith in national traditions and values. **4.** The individual's national feeling should be free from communalism and **5.** The individual's national feeling should comprise of social, economic, linguistic, cultural and religious aspects of life.

**Principles :** Principles are essential for the unity and integrity of India are a democracy, fundamental rights, fundamental duties, the unified justice system, secularism, common national emblems and national festivals etc. India is a democratic country, here the elected representatives of the public constitute the government. These representatives work according to the wishes of the public because it is the public who elects and sends them as a public representative. **1. Equal Fundamental Rights 2. Equal Fundamental Duties 3. Secular 4. Identical Symbols 5. Tourism and National Integration**

**Significance of National Integration in Modern Era :** National integration plays a more significant role in modern times. Hence it has challenges like communalism, regionalism, linguism, etc. Global terrorism is also one of the major threats to national integration. While few people with radical thoughts convince the population and brainwash them. They provoke them against their motherland. In the era of technological advancements and the accessibility of social media. It is very easy to get deceived. National integration helps to ignore these situations. It makes people intellectually mature and tolerant.

**Role Of Government In Promoting Education For National Integration :** The problem of national integration in India is connected with national reconstruction, building of national economy, improving the standard of living of people, developing values in society, securing social justice to the people, fostering fellow feeling and national sentiments. Education can play a major role in instilling a feeling of national integration among the citizens. The Education Commission of 1952-53 emphasized the role of education in the country. The Commission stated thus: ‘the educational system must make its contribution to the development of habits, attitudes and qualities of character, which will enable its citizens to bear worthily the responsibilities of democratic citizenship and to face all those fissiparous tendencies which hinder the emergence of a broad, national and secular outlook’. It is a well-known fact that the country has less internal matters and problems. They will always prosper and develop. The country which is united will always have fewer problems as compared to the country which is socially unstable.

**Content :** In 1962, a Committee was formed under the chairmanship of Dr. Sampurnanand called the Committee on Emotional Integration. The Committee was set up to study the role of education in promoting the process of emotional integration in national life and to advise on the positive educational programs for the youth. The Committee felt that education by itself cannot achieve national integrity and recommended that it is the duty of the educational institutions in the country to give a sense of direction to the students regarding the same. India at all times has been a multi-racial, multilingual, multi-religious society. Thus, national integration in India is the recognition of feeling of oneness, though people in the country belong to different castes, creed, faith, religion and regions and speaks different languages. Here in India, the diversities are recognized and respected by imbibing a sense of nationhood. On achieving independence in 1947, India was pledged to be built into a secular, democratic republic based on principles of social and economic justice. While efforts were afoot to achieve these objectives, it was found that India was faced with many diverse faces which began to eat into the vitals of the national unity and led to disruption. Having found this problem, Jawaharlal Nehru on July 26, 1960 declared that though political integration had taken place in the country, it is necessary to create something deeper than that, that is an emotional integrity, so that the country may be welded into one strong national unit maintaining at the same time all of its wonderful diversity. National integration aids to unite people of different race, caste, creed or thoughts and makes the country as a single entity. It strengthens the country and makes it powerful on the international platform. Confidence in the nation’s future. A continuous rise in the standard of living for the masses and the reduction in unemployment and in the disparities in development between different parts of the country, all of which are essential to promote a sense of equality of opportunity in political, economic and social terms. Introducing a common school system of public education. Making social and national service an integral part of education at all stages. Developing all modern Indian languages, and taking necessary steps to enrich Hindi as quickly as possible so that it is able to function effectively as the official language of the Union.

**Challenges to National integration :** The following challenges of National Integration are as follows :

**Communalism:** Communalism has been one of the most complex problems that India has been facing. This is generated when individuals belonging to one religion develop excessive affinity to their religion and hatred towards other religions. This kind of feeling promotes religious fundamentalism and fanaticism and proves to be dangerous for the unity and integrity of the country.

**Extremism :** Extremist movements going on in different parts of the country are yet another challenge to national integration. You must have heard about Naxalite movement or Maoist movement.

**Regionalism:** Regionalism is another obstacle in the way of national integration. On many occasions it encourages people to promote regional interests even at the cost of national priorities. One may think that raising the problems of a particular region is needed to attract the attention of the decision makers and to compel them to fulfill justified regional demands.

**Linguisim:** Official Language Commission set up in 1955 recommended in favour of replacing English by Hindi as official language, there were wide-spread protests in all the non-Hindi speaking regions.

**The following are some of the co-curricular activities for bringing out national integration :** (i). Special talks on unity and oneness of the country can be arranged. Eminent persons should be invited to deliver speech on national integration and nationalism. (ii) Seminar, dramas and exhibition on the theme of communal harmony and national unity should be organized. (iii) Celebration of festivals of other communities should be organised. (iv) Students should be made familiar with the meanings of the verses of the National Anthem and should be taught to recite it in unison and behaved in disciplined way when it is sung.(v) Respect of national flag, national symbols and national institutions should be taught to the children.(vi) Celebration of national festivals like Independence Day, Republic Day, Children's Day, Teacher's Day, Martyr's Day in the campus instills national temper and consciousness in the minds of budding citizens of the nation.(vii) Open-air dramas should be staged at least thrice a year in the school in which students should be encouraged to participate. Glorious events in our Indian history and the life of great national heroes should be staged with active participation of students.(viii) Taking pledge by every student twice a year for the service of their country and their countrymen. Repetition of pledge like this "India is my country, all Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. To my country and my people. I pledge my devotion. In their well being and prosperity alone lies my happiness".(ix) Celebration of birth anniversaries of national leaders and great men need to be organized in schools. (x) Display of educational films and radio and T.V. talks and mass media should be used for inculcation of national outlook and national feeling.

**Conclusion:** The National Unity Committee was formed in the year 1968 and recommended on education for national integration. Education should be reorganized for promoting the national sentiments of the people of the country. The regional imbalances in the country should be removed. Good education should be provided to everyone. A common school system should be established in the whole country. A council should be formed to rewrite the present textbooks prescribed for schools and colleges. Educational facilities should be provided without inequality. Equal opportunities for education should be provided for the weaker section of the society. Merit scholarships should be increased and Interuniversity programs should be organized. A sense of toleration, love, sympathy patience, fellow-feeling can be generated by education by bringing a desirable change in the mind sets so that children and citizens will be able to feel, think and act in common for the goodness of the nation. Allegiance to 'BHARAT' may stand above religion, caste, community, language and region. 'Love the people' and 'Love the nation' should be the motto of every Indian. National integration also helps in keeping the stability of a country and adds up to its whole development. It supports to nurture communal harmony and fights casteism, regionalism, and linguism, etc. National Integration improves the feeling of loyalty and fraternity towards the nation. It unites the people in case of any national emergency. National integration principally aims at providing a better environment for the people of a country. Thus they can develop themselves in all the aspects. It also aids to bind multi-racial and multilingual country like India, which has people with diverse culture and tradition. It also multiplies the union of brotherhood amongst communities, societies and the people. National integration is essential for any nation with socio-cultural, religious, linguistic and geographical diversities. And for a country like ours, it is still more necessary. As we know, India is a very large country. We have the second largest population in the world. A unique feature of our country is that all the major religions of the world are practiced here such as Hinduism, Islam, Christianity, Buddhism, Sikhism, Jainism, and Zoroastrianism. On the eve of independence, India was divided into two sets of territories - the first was the territory known as the British India, on which the British rulers had direct control, and the second being 562 independent Princely States, having indirect control of the British government. When independence was declared, Princely States were given the option to join either of the two nations, India or Pakistan. A few Princely States joined Pakistan, but the rest merged with India. However, there were exceptions like Hyderabad, Jammu and Kashmir, and Junagadh, who wished to remain independent.

#### **References :**

1. Amin,Syed Noor Ul,(2017). An Introduction to Education, Education Publisher, New Delhi
2. Desai,A.R.,2016,Social Background of Indian Nationalism,Sage Publications India Private Limited.New Delhi

## **A Perspective on Varying Notions of Development and Governance : An Indian Observation**

**Chinmayee Chaturvedi\***

\*Associate Professor, Department of Economics, N.A.S. College, Meerut, U.P.

**Abstract :** The concept of development and governance find their roots in ancient writings of Indian, Greek and Roman thinkers. These have evolved during centuries attempting to keep people at the centre stage. Simultaneously with innumerable experiments with different forms of government democracy remains the effective instrument for attainment of development and of good governance which are neither mechanized concepts nor utopian. They are value laden and their accomplishment rests on how society perceives the value. For development, people need to evolve and work with a collective wisdom. Good governance is a tool in this pursuit. However, neither development nor good governance can be achieved until society imbibes the quality of empathy prior to self interest.

**Keywords :** Development, Governance, Civil society, Democracy, Perceptions etc.

Development is a multidimensional phenomenon that can be defined in 'n' number of ways in keeping with the belief of the stake holders which has social, regional and historical bearings. Further, the notion of development is broadly influenced by the political economy of contemporary times. It does not mean that it stands to negate the theoretical constructs that have led to the evolution of development. However, it many a times becomes difficult to have a generalized version of development as various stake holders with different self interest are at struggle to have their version to supersede the opposite version. Development can be defined as creation of externalities that helps in capacity building and enlarges the choices with people. Development can be seen broadly in two ways. One pertains to the market orientation that is neo liberal in approach catering to creation of externalities that make the functioning of market smooth. The other view puts people at centre stage and emphasizes on enlarging the choices that people have in different spheres be it personal, social, political, economic or cultural. The present paper considers the second approach to development for further interpretations. The paper is divided in three parts where the first part is an attempt to analyze the nuances of development theory. The consecutive part tries to critically assess the version of present day perception of governance. The last part tries to verify the applicability of development theory with regards to concept of governance.

Development thinking, not the concept, dates back to ancient times. The *Arthashastra* of *Kautilya* suggest human welfare to cover social order, protection of livelihood, of weaker sections of population, prevention of harassment of the subjects, consumer protection etc. the rock edicts of Asoka suggest the humane duty of subjects and that of a king towards his subjects. Similarly, the ancient Greek and Roman thought also have a lineage that advocates justice as basis of equal citizenship and as foundation, with which political life should enable its people to achieve the ultimate end of happiness. After passive initial phase of medieval ages when feudalism was the order of the day and human welfare depended on the wishes of the feudal lord or the Oligarch, the later phase of medieval ages post renaissance and the beginning the modern era saw the impact of thinkers, - Kant, Hobbes, Locke, Rousseau, Jeremy Bentham and Laski -in not only changing the contemporary sensitivities and expectations of people but their ideas also have to have a bearing on future. These were the proponents of ideas of idealism, utilitarianism, social contract, liberalism etc. If Jeremy Bentham advocated individual freedom and freedom of expression through utilitarianism, Kant through his second categorical imperative suggested that rational beings should not be treated as means but as an end in themselves. Locke, Hobbes and Rousseau contributed to the idea of social contract and Laski believed in the evolution of co-operative state.

Alongside, Adam Smith, Marshall and thinkers of their ilk were advocating capitalism against mercantilism in later eighteenth century. Till the fifth decade of twentieth century when the term 'development' came to forefront, capitalism remained the dominant ideology in the world with communism as its anti-thesis. Adam Smith's version of economic freedom and self interest for the furtherance of general good got distorted that capitalism, in practice, bred class conflict among capitalists and worker class. Against this dominant thought

stood the socialist thought of Sismondi, Saint Simone that stressed upon the just distribution of wealth. It found its zenith with Marx.

With the independence of third world countries of Asia, Africa and Latin America, in the midst of twentieth century, the concern of economic thinking shifted to these countries who had inherited a dilapidated economy from imperial powers. The primary variable in economic thought now was more concerned with saving, capital formation and resource allocation and therefore development became synonymous to growth, which is quantitatively described as a continuous rise in production, national income and per capita income. Thus, the emphasis of economists like, Arthur Lewis, Rodan was to bring about structural change in economy to break the vicious circle of low income. Their contention was growth and not the *modus operandi* of its distribution. Development remained primarily a cause of concern for third world countries, as stated above. Meanwhile, the alternative theories of development were also propounded including the dependency theories that brought about the causes of underdevelopment in third world countries through periphery-centre relationship. Another set of theories advocated that development concerns distributive justice wherein, the prime emphasis was on what and how goods are to be made available to people. The thrust was on poor and landless class.

Precisely, development stands for the improvement in the life of individuals and thus, society. The strategy for the furtherance in living standards of people forms the core of development theories. Thus, from capital accumulation for growth to the distribution of growth, from human resource to environmental protection, have been the partial areas of development expanding the range of issues to be looked upon. If seen in holistic perspective, development, as against the growth, requires change in social structures, popular attitude and national institutions. Economists like – Dudley Seers, Mehboob-ul-Haq, Paul Streeton, Furtado and Amartya Sen have defined the broad arena of development whose core values are – sustenance of basic needs, self esteem in form of a sense of worth and freedom from any type of servitude. Thus, if for Dudley Seers development will take place if it impacts unemployment and squalor, for others it is enlargement of choices with individuals. Amartya Sen suggests that capabilities and entitlements are the base of any activity that can be termed as development effort that is enhancement in lives and freedom of people. Thus, the connotations of different thinkers have led to the evolution of this qualitative notion of development that keeps an individual in her capacity as an individual in the center stage of all activities. This needs a persistent effort from the state, which is the basic agent of development through its power of legislation and persuasion to reach the ultimate goal of human happiness.

Summarily, the notion of development as is seen today has culminated from a long historical process that has seen a plethora of still unanswered development questions in the form of better feasibility of mutually contentious ideas of capitalism and communism, as economic systems; of complementarities between increasing production and reduction in economic inequalities, poverty, squalor; tradeoff between displacement for progress and better rehabilitation.

Alike development, the notion of governance finds its roots in ancient ages in Indian scriptures. From *Vedas* to mythological texts to different *smritis* to *Arthashastra* advocate the benevolence of the king to secure the happiness for his subjects. King and therefore state were bestowed with the prime responsibility of welfare of masses. The *Shantiparv* in *Mahabharata* suggest the norms of organization that aims at preventing disorder in society so that state may be a catalyst in fostering people's welfare. *Arthashastra* advocate that king should merge his individuality with public duties. Similarly, for the Greek and Roman thinkers like Plato and Aristotle state exists to make the life of citizens good and virtuous. In medieval and modern ages Thomas Aquinas, Locke, Rousseau, Jeremy Bentham and Mill in their discourse had discussed governance while giving due importance to individual freedom.

The concept of governance found expression in the last decades of twentieth century with the idea of human development gaining coinage and the fact that third world countries were considered lax in forwarding the goals of development at grass root levels by the international donor agencies to the extent that Mahbub-ul-Haq concluded that crises of governance is the basic cause for the failure of responsive and effective governments. The World Bank defines governance as “tradition and institution by which authority in a country is exercised” in common good, UNDP suggests it to be a system of values, policies and institutions by which society manage its affairs through interactions. Thus, unlike the thought in ancient times, in present days state is considered as one and not necessarily the most important institution in the process of governance. Other than

state machinery all the actors are termed as civil society that includes different associations, NGOs, pressure groups, media, business houses and landlords. The other diversion from the early thinking is that the new concept essentially emphasizes on effective management of resources and so asserts that less state connotes more efficiency. Contemporarily, governance is relevant due to mis-governance of public administration in public life. It is now the management of economic and social resources for development with accountability, transparency and government responsiveness as core values of governance.

Governance can be either good or bad. While good governance can help secure human well being – the crux of development, poor governance not only corrodes the individual capabilities but also institutional capacities to provide sustenance to large sections of society. As propounded by international agencies, good governance seem to be a technocratic version of the role of state and society towards its members wherein state least possibly intervenes in the affairs of its people specially those pertaining to economic aspects. But this very conceptualization negates the power relationship and socio economic hierarchies within society. It came up as a consequence of market oriented reforms and considers market as the most efficient actor. This very consideration alleges the economic governance by state's institutions for social inequalities as people on the marginal rungs of the economy - dependent on government provisioning - are essentially considered a group of rent seekers.

The very concept of governance is difficult to operationalise as it seems to be a checklist of different criterion- "voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, control of corruption, transparency" etc., that are not ranked on the basis of priority. These are factually the end result of the way of political, economic and social life and culture of any nation. It takes decades of constant efforts so that a common perception is imbibed by the heterogeneous society regarding its role as a responsible actor in governance as a whole. The following section attempts to correlate the development perception with contemporary notion of governance with reference to general observations in Indian context as part of third world fraternity.

The idea of development since ages aims at furtherance of individuals in every aspect of life from spiritual and intellectual to political and economical. The core idea is to consider person as an end in itself. State plays a major role in this pursuit by not only providing the conditions but also setting the role models. In a monarchy this responsibility lies ultimately with the king. And in aristocracy or even oligarchy it is the elite who project themselves as role model. With the expansion of the democracy, that inherently is capable to accomplish the goals of development, the task of leading the society and influencing the people fell on a group of people from grass root to higher levels. Thus, from *Gram Pradhan* to Prime Minister there may be plethora of icons to be followed. Since governance gives prominence and ample scope to the role of civil society, the number of people who can claim following increases.

Democracy is considered to be an effective instrument not only for development but also governance amongst different forms of government. However, with particular reference to India- strong, effective and vibrant- the idea of democracy for majority of people and politicians alike is casting vote once in five years<sup>1</sup>. With this tendency the lofty goals of development of self uplift with freedom seem to take a back seat in the midst of scattered struggle here or there and what is left – especially after changed economic paradigm- is to seek a better economic standing in the market. It is reasonably relevant to mention that market is important in any economic system but it is not the only institution. Given undue importance and making it an end distorts the ideals of development. It is the responsibility of the polity to direct its citizens towards a fulfilling life in material and intellectual aspect<sup>2</sup>. It can be made possible with good governance. However, quantifying governance with a checklist of indicators defeats the very purpose because it makes governance a target to be accomplished by sheer legislation and not by active people's participation.

Need not to mention that development and governance are not mechanized concepts nor are they utopian rather value laden and their accomplishment rests on how society perceives the values. The ideals of development are universal but same may not be true for governance as it is time specific. It needs to corroborate theory with practice. In Indian context where discriminations on the basis of religion, caste, creed, gender, and region are rampant good governance is needed to mitigate inequalities. However, the festival of democracy is celebrated keeping multiple equations (primarily caste and religion) in to considerations by those who are legitimately made responsible for governance. They are required to set precedence but with every succession, matters seem to be influenced by the past. Similarly, the good Samaritans as actors of civil society seem not to

get much of the following. This makes governance a mere rhetoric. Thus, the much publicized indicators of governance by international donor agencies have influenced the policy perspectives in two ways. First, it has given the idea to the masses that there is plethora of affairs for which government can be held accountable. Secondly, government is expected to reduce its role in the functioning of economic system and attempt to make gateway for civil society. This has created a chaotic situation where practically government is held responsible for all the ills that society faces precisely for the non development and often for non governance. It may be worthwhile to mention again that democracy requires people to be not only an active participant in governance but to evolve and work with a collective wisdom, imbibing the quality of empathy prior to self interest so that goals of development and good governance may be achieved.

## **References :**

1. “The words “election” and “democracy” have become synonymous. We have convinced ourselves that the only way to choose a representative is through the ballot box. After all, the Universal Declaration of Human Rights of 1948 states as much: “The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.” The words “this will shall be expressed” are typical of our way of thinking about democracy: when we say “democracy”, we only mean “elections” ----- Electoral fundamentalism is an unshakeable belief in the idea that democracy is inconceivable without elections and elections are a necessary and fundamental precondition when speaking of democracy. Electoral fundamentalists refuse to regard elections as a means of taking part in democracy, seeing them instead as an end in themselves, as a doctrine with an intrinsic, inalienable value.” Reybrouck, David Van (2016) Why Elections are Bad for Democracy <<https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/29/why-elections-are-bad-for-democracy>> retrieved on July 02, 2017
2. “WE, THE PEOPLE OF INDIA----- secure to all its citizens: JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual” <[indiacode.nic.in/coiweb/coifiles/preamble.htm](http://indiacode.nic.in/coiweb/coifiles/preamble.htm)> retrieved on July 04, 2017
3. Chaudhary, Kameshwar (2007) (Ed), ‘Globalization, Governance Reforms and Development in India’. Sage Publications, New Delhi.
4. Chaturvedi, S.K. and Sharma, S.K., (2005) (Eds.), ‘Facets of Good Governance’. Originals, Delhi.
5. Kautilya, (2010), ‘Arthashastra’. Penguin Classics, Digital Book.
6. Savine, G.H., (1959), ‘A History of Political Theory’. George G. Harper, London
7. Todaro, Michael P. and Smith, Stephen J. (2013), ‘Economic Development’. Pearson, Delhi.
8. ‘India: Sustaining Reform, Reducing Poverty’ A World Bank Development Policy Review. (2003) Oxford University Press, New Delhi.

## The Pre-Raphaelite Poetry

**Dr. Alka Tandon\***

\*Associate Professor, Department of English, SN Sen B.V.P.G. College, Kanpur, U.P.

**Abstract:** Pre-Raphaelite is an artistic movement founded in 1848 by the poet and painters Dante Gabriel Rossetti. A group of seven young painters formed the Pre-Raphaelite Brotherhood in England in 1848. Eminent poets like Christina Rossetti, William Morris and A.C. Swinburne later joined the movement. The purpose of the Pre-Raphaelites was to restore simplicity and naturalness in art against the growing artificiality and materialism of the age. They took early Italian painters before Raphael as their model. They strongly condemned the mechanized style in painting. They wanted to leave the world of vulgar realities and live in the world of beauty, art and loveliness. These poets were highly impressed with the mysticism of the Middle Ages. One of their professed aims was to express wonders and reverence and awe that characterize medieval art. Their yearning for the past and avoiding the present was remarkable. They wanted express genuine ideas and sympathize with what is direct, serious and heart-felt in art.

To infuse naturalness and simplicity in art, extreme attention to realism, love of symbolism and pictorial depiction were the salient features of Pre-Raphaelite poetry.

**Keywords :** Pre-Raphaelite, Condemned, Professed, Yearning mechanized, etc.

The Pre-Raphaelite during the Victorian age originated with the establishment of the Pre-Raphaelite Brotherhood (P.R.B.) a group of high souled artists. Dante Gabriel Rossetti was the founder of the group. The other prominent members were painters such as John Everett Millais and William Holman Hunt. Eminent poets such as Christina Rossetti, William Morris and A.C. Swinburne joined the group later. The Pre-Raphaelite Movement was infact the movement for the regeneration of painting on the models of the early Italian painters. These painters believed in simplicity, natural grace, originality of conception and freshness. They broke away from the stale traditions in painting setup by Raphael and returned to the earlier freshness and freedom. They identified themselves to the painters before Raphael. They called themselves "Pre-Raphaelite" because they associated themselves with the individualities of the Italian Painters before Raphael. The Pre-Raphaelites commitment to sincerity, simplicity and moral seriousness is evident in the contemplative but uncomplicated subjects of its poetry and in the religious, mythical and literary subject depicted in its paintings.

In the latter half of the 19<sup>th</sup> century under the impact of the Industrial revolution, Pre-Raphaelite poetry appeared with basic endeavor to unify poetry and painting. The Pre-Raphaelite poets came in an age troubled with social and moral speculations. They kept themselves apart from the conflict between faith and materialism and from the problems of Victorian life and society. They were aloof from Tennyson's spiritual convictions, Browning's optimistic speculations, Arnold's criticism of life or Newman's faith in old religious order.

**Characteristics of Pre-Raphaelite Poetry :** The Pre-Raphaelite poetry focuses on the glorification of art, escape from the darkness and ugliness of contemporary society, continuation of romantic Poetry and gives a strong conception of scenes and situations precise delineation, lavish imagery and metaphor.

**Poetry of Revolt :** The Pre-Raphaelite poetry was a revolt and reaction against the conventionality of poetry represented by Tennyson. G. B. Rossetti, Christina Rossetti, William Morris and Charles Swinburne revolted against the idea of using poetry to the service of social and political problems of the age. It was against this age bound poetry that the Pre-Raphaelites raised their revolt and introduced the new standard of the glorification of art rather than the glorification of fleeting and temporary values of mundane life.

**Art for Art's Sake :** The Pre-Raphaelites were above all artists. They were votaries of art for art's Sake. Art was their religion. They had no morality to preach and no reforms to introduce through the medium of their poetry, Love of beauty was their sole creed and if in glorifying beauty they had to be sensuous, they were not afraid of the charges of moralists and orthodox puritans. The poets aimed both in poetry and painting at perfect form and finish.

**Medieval Outlook :** The Pre-Raphaelite poets sought to escape from their contemporary world of vulgar reality to a land of beauty romance and loveliness. They turned their eyes to the Middle Ages, where chivalry,

Knighthood, adventure and heroism were in the air. They sought poetic inspiration in the medieval and the supernatural and closed their eyes on the sores of their own times.

The Pre-Raphaelites were pictorial artists and their paintings and poems were symphonies in colour. Pictures are drawn with richness of a painter's brush. Rossetti's poetry is the most pictorial of the Pre-Raphaelite poets. He had the unfaltering touch and the observant eye of a meticulous painter. The Pre-Raphaelite poets gave special care to the presentation of elaborate and precise details.

**Sound and Sense :** Sound and Sense is one of the important features of their school of poetry. The Pre-Raphaelite poetry is rich in melody and music. In the poetry of Swinburne there is a flow of musical language and it is racy and profuse. In his poetry alliteration and onomatopoeic effects arise very spontaneously. His poems 'Atlanta in Calydon' and 'The Hounds of Spring' are rich in melody.

**Sensuousness :** The Pre-Raphaelite poetry is marked by sensuousness. Rossetti's poetry is sensuous and passionate. His sonnet sequence 'The House of Life' is full of sensual pleasures. 'The Blessed Damozel' is a religious narrative with pictorial and sensuous qualities. The poem portrays a heaven that is warm with physical bodies. Sensuousness being the dominant characteristic of the poets of the Pre-Raphaelite Brotherhood, the Pre-Raphaelite poetry came to be known as the "Fleshly School of Poetry".

**Influence of Keats and Tennyson :** The Pre-Raphaelite poets were influenced in their art by Keats and Tennyson. The movement was a direct and legitimate development of the Romantic Revival. They left behind a rich harvest of poetry for the delight and pleasure of posterity.

#### **The Pre-Raphaelite Poets :**

**Dante Gabriel Rossetti :** The leading spirit of the Pre-Raphaelite school of poetry, D.G Rossetti was not only a poet but also a painter. His poetry embodies all essential features that marked the Pre-Raphaelite poetry. His cult of love and beauty, his appreciation of colourful pictures rich in sensuous appeal, his artistic portraiture of life in its lovely aspects make him the supreme exponent of art during the nineteenth century. His poetic creativity is the result of pictorial representation of the renaissance "The Renaissance of wonder", says Theodore Watts-Dunton, "culminates in Rossetti's poetry as it culminates in his paintings". "The Blessed Damozel" is an artistic poem that reflects the pictorial qualities and passionate religious note. This remarkable dramatic lyric poem was inspired by Edgar Allan Poe's 'The Raven'

Rossetti's poetic world is a rare world of mystery, wonder and beauty. It is far removed from the world of sordidness. His poems are the flashes and glimpses of that unearthly spirit which haunts Coleridge's Ancient Mariner, and that magical note which glorifies Keats' La Belle Dame Sans Merci. He was highly influenced by the Romantic poets and spell bound by the supernaturalism of the medieval age. His poem 'Rose Mary' is rich in mystical supernaturalism of the Middle Age. In 'Sister Helen' the power of medieval-magic is presented with vigour and force. The fact is, says A.C. Benson, "Supernatural was an article of his imaginative creed; the conception of it affected him profoundly and he had an almost childlike relish for supernatural situations". Rossetti shaped the group's literary tastes, pressed for the founding of a magazine 'The Germ' and published several poems in it. He composed a sonnet sequence titled 'The House of Life' containing 101 sonnets which is full of sensual pleasures. Excessive sensuousness, passionate love and physical beauty prompted Robert Buchanan to call Pre-Raphaelite poetry as 'Fleshly school of poetry'

**William Morris :** William Morris immensely influenced by D.G. Rossetti had strong interest in medieval literature. As a poet and an artist in verse, the interest of Morris lay in the past rather than in the sordidness of his own times. His affinity with medievalism was vividly traced in The Defence of Guenevere and other Poems, The Life and Death of Jason and Earthly paradise. The life and death of Jason presents the finest picture of the Middle Ages in their heroism, supernaturalism, witchery and magic. "Morris turned to the Middle Ages not as a mere aesthetic scholar seeking anyone, not an aesthetic scholar composing skillful exercises but as a child turns to the fairy land"<sup>1</sup>

Morris was equally interested in Scandinavian sagas and Norse stories. His remarkable narrative poem is The Story of the Sigurd the Volsung and the fall of the Niblungs which is based on Norse Sagas. His Earthly Paradise is a collection of twenty four romantic narrative poems in classical or medieval themes. His poems transport us to an enhanced region to a world of beautiful illusions, where everything is bathed in the atmosphere of magic and shadowy unreality. Morris, the idle singer of an empty day, creates a world of enhancement and beauty suffused in the light of witchery and romanticism. In the last phase of his life he wrote many prose

romances which include A Tale of the House of Wolfings (1889), The Roots of the Mountains (1890), the Story of the Glittering Plain (1891) and The Sundering Flood (1898).

**A.C. Swinburne :** Algernon Charles Swinburne derived his subjects from romanticism and poems included in Poems and Ballads were coloured by sensuous thought and expressions in which the Pre-Raphaelite poets took special delight. Unlike other members of the Pre-Raphaelite group Swinburne was a musician rather than a painter. As Rossetti injected pictorial sensuousness to his poetry, Swinburne presented his poetry musically sensuous. He brought the gift of lyricism and melody to poetry. "Just as Rossetti made thought pictorially sensuous, Swinburne has made thought musically sensuous. He is not merely melodic-Shelley was gloriously melodic-he is harmonic. His melodies are rich and complex with a sweeping grandeur that no other poet has equalled, much less excelled.<sup>2</sup>

His first poetic work was Atalanta in Calydon which is an English translation of a Greek tragedy. The main characteristic of his poetry are rhythmic energy, persistent alliteration and variation of stress. His notable poems are Poems and Ballads (1866), Song before Sunrise (1871), Erechtheus (1876), Tristram and other poem (1882) Swinburne's poem broke in upon Victorian reserve and his sensuous pictures shook the generation.

Swinburne is the supreme melodist among the Pre-Raphaelite poets. Vowel calls vowel and consonant to consonant, and these links often seem stronger than the link of thought and imagery. Often in Swinburne's poetry words and phrases are used for musical effect without adding to the sense or meaning of the lines. Pre-Raphaelite poets sometimes sacrifices sense at the altar of sound and this is a standing charge against Swinburne's poetry.

**Christina Georgina Rossetti :** Sister of D.G. Rossetti, Georgina Rossetti penned five poems under the pseudonym of Ellen Alleyne for the Pre-Raphaelite magazine, The Germ in 1850. Goblin market and Other Poems (1862) and The Prince's Progress and Other Poems (1866) are the two most important works of Georgina Rossetti, like her brother, she infused sensuousness and pictorial detail in her works.

The Pre-Raphaelite Brotherhood survived only for a decade. But the contribution of Rossetti, Morris and Swinburne was remarkable in the sphere of poetry. They rendered a distinctive service to art by insisting that it is not the business of the artist to instructor to solve social problems. But their complete withdrawal from contemporary life into sensuousness and beauty left their poetry thin and bodiless. The Pre-Raphaelite movement did not survive for a long period. It started becoming unread, stilled and artificial. The early years of the twentieth century sounded the death-knell of the Pre-Raphaelites and with the coming of Robert Bridges and John Masefield on the poetic stage, poetry took a new turn and heralded the birth of a new age. Hence the Pre-Raphaelite school of poetry lost its appeal and was soon faded from the memory of the successive generations. While a relatively short-lived movement, the Pre-Raphaelite Brotherhood had a profoundly influential effect on the Victorian literature and art.

## References :

1. Alfred Noyes: William Morris
2. Arthur Compton-Rickett, A History of English Literature

## **Impact of Fluvial Hazards in Dev Prayag block, Tehri garhwal, Uttarakhand**

**Dr. Mukta Raje\***

\*Associate Professor, S. P. G. College, Mihrawan, Jaunpur, U.P.

**Harikesh\*\***

\*\*Research Scholar, S. P. G. College, Mihrawan, Jaunpur, U.P.

**Abstract :** Garhwal Himalaya is badly affected by fluvial hazards like channel sifting and seasonal flood due to landslides. Undulating topography fragile structure, heavy and concentrated rainfall are responsible for such landslides. Deforestation, unplanned landuse and unscientific construction work help to increase frequency and magnitude of such hazard. Settlement, agriculture, transport and forest are being affected.

**Keywords :** Fluvial hazard, Landslides, Channel shifting, Topography, Fragile structure, Deforestation etc.

The present study deals with fluvial hazards area detection, impact discussions and there dissemination of warning in Devprayag block of Tihari Garhwal district, Uttarakhand. The study area Devprayag block (Tehri Garhwal, Uttarakhand) extends from  $30^{\circ}08' 51.45''$  N to  $30^{\circ}23' 30''$  N and  $78^{\circ}28' E$  to  $78^{\circ}35' 47.15'' E$  covering an area of  $335\text{km}^2$ . Devprayag block located at the bank of river Bhagirathi and Alaknanda is facing various fluvial hazards, seasonal flood is the major fluvial hazard found in the study area recently the villages of Devprayag are being affected by this fluvial hazard. During monsoon numerous torrents are formed from Himalaya ranges. That is why landslides are occurred. Different size of boulders covered first order channels of the main rivers. This is the reason of sifting of first order river channels due to sifting of rivers channels many villages have been rejected by villagers. This mechanism is responsible for seasonal flood at the Devprayag main market, Shri Nagar Garhwal, coastal area of Alaknanda River, Manjakot etc.

In this research study an attempt has been made to analyse the causes and consequences of such hazards. Thus, on the basis of landforms of the study area, a hypothetical rain water amount and previous evidences a flood prone area map of the study area has been prepared. Provide flash flood prediction. In order to prepare this research work intensive field study and observation has been carried out and some measures have been put forward as suggestion. Map has been prepared through ARC GIC and BHUVAN portal. To check the impact of land slide and thus channels sifting and floodto some extend.




**Photo no. 1**

Topography of Devprayag is located in middle Himalaya and lesser Himalaya. Upper area of Devprayag is a portion of middle Himalaya and southern area of Devprayag from Manjacot to Koidiyala called lesser Himalaya. Lesser Himalaya is made by week and soft rock and soil texture just like slate, red soil, conglomerate structured soil etc. Middle Himalaya is made by some hard and some soft rocks. In middle Himalaya the rocks are Silmanite, Andalusite, Quartz, Mica, Schist, Kainite and Sand stone etc. Hardness of these rocks on mohoscale is between 4 to 7 which create a week texture and topology.

The topography of the study area is filled with small rivers who make the valley V-shaped and very sharp in the bottom. All area of Devprayag is slopy mountain ridge. The slope of Devprayag is north to south situated on the north side of Alaknanda River and slope of southern area is west to east. Southern area is situated on bank of the Ganga River south of Devprayag market. Its highest point is Jhandi. It is situating in north Devprayag border. Lowest point Koidiyala is situating at southern area of Devprayag. Highest point of

Devprayag is 2350 meter and lowest point 500 meter from sea level. Devprayag is an administrative block of the district Tihari Garhwal, Uttarakhand, India. Total area of the study region is 335 km<sup>2</sup>.

### Location Map Of Dev Prayag Block



### Devprayag Block


#### Objective the present paper attempts to:

- A. Assess the causes of fluvial hazards
- B. Examine the impact of such hazards
- C. Analyse the related issues and
- D. Suggest suitable planning to check fluvial hazards and damages of life and property

#### Methodology:

- To select the study area in terms of its morpho climatic characteristics.
- The study based on the extensive field observation and required data has been collected from secondary sources.
- Map has been prepared by ARC GIS and BHUVAN portal.

**Discussion and conclusion :** There are many sites of Devprayag who effected by landslide. The area of Devprayag is situated in a week catchment area of Himalayan mountain range that absorbed water and getting wet. The slope of this area is 30° to 60°. So down-slope movement of rock from its current position by force of gravitational. This process is effective in area of Devprayag to Koidiyala. Largest landslide area is situated in the top of TotaGhati and Teen Dhara area. We can see it at upside of road from Devprayag to Koidiyala. Teen Dhara is a major landslide area that effected to road every year in rainy season in length of 50 to 100 meters and blocks the road. It is cleaning always by JCB in 5 to 6 hours. By this process travelers are late for her goal. Who went to upward they getting also late and stay in Srinagar Garhwal. In rainy season people cannot travel without facing of harsh condition of landslides. Landslide area in study region is village Khodi, Paripanduli, Rampur Shyampur, Manjakot, Sindri, Chaurash and Devprayag to Koidiyala etc. people are constructed roads, buildings and terrace fields for their own need and made a wall of rocks for stop to soil from weathering. In the rainy season numerous torrents are formed. Rocks of the study area are effected by gravitational force therefore landslide occurred. On the basis of landform of study area a hypothetical rain water amount and previous evidences a landslide, cloud burst and flash flood prone map was prepared.



map no.2

Fluvial hazards often occur after heavy rainfall, avalanche and cloud bursting. River overflows of the study area and create a disastrous condition along the bank of rivers the study area Alaknanda, Bhagirathi and Ganga. There are so many areas which were effected by fluvial hazards in Devprayag block like Kirtinagar, Manjakot, Chaurash, Devprayag Ghat and many more villages situated at river bank area. You can see the pictures (photo no. 2) of fluvial hazards:



**Photo no.2**

Frazil structure is affecting upper hills situated at northern border area of Devprayag. In the winter seasons snowfalls makes a bed of ice and create a glacier cap at the top of hills. **In this condition ice caps** create low temperature in the valley. It affects to rocks and soil texture freezing and melting activity of ice makes the rock weak. This process is responsible for landslide. This process is affecting to village Panav, Khongach, Raragarh, Parkot, Raitasi, Paukhal range etc. and creates a disaster by frazil structure as photo no.3 depicts.



**Photo no.3**

Large amount of deforestation is also a main cause of fluvial hazards. Due to deforestation the grip of the soil become week and that causes erosion which shows photo no.4



**Photo no.4**

Unplanned landuse like construction work, agricultural settlement help to increase deforestation.



**Photo no.5**

Cloudburst is a major factor of channel shifting and flash flood, landslide and rill erosion because cloudbursts trigger numerous torrents formation, uproot tree and cause landslides leading to massive loss of people and property. Cloudburst effected area in Devprayag is near Khodi village, Paripanduli, Tegar, Dhaldhung etc. Channel shifting was broken the road at Tegad-Dhaldhung and in Kwili village. Photograph no.6 shows the

abovementioned condition.



**Photo no.6**

**Conclusion :** The fluvial hazard in the region tracked mainly with the help of weather station and INSAT series satellite. Weather warning systems are highly reliable and it is communicated to warning stations with the help of Indian Meteorological Department (IMD).

In the case of adverse weather or landslide which is expected over the region, a warning bulletin is released indicating that there is further threat. This warning message is issued to all the weather substation and also broadcast over the T.V. and radio station covering the affected area. The dissemination of weather warning are one of the greatest precautionary measures to protect the human life and property losses and to reduce the effect of intensity of such hazard in the study region.

**References :**

1. Srivastava, R. N. And Ahamad A., 1979, 'Geology And Structure Of Alaknanda Valley, Garhwal Himalaya Vol.(1)
2. Britannica Illustrated Science Library, Rocks and Minerals
3. J. Richerd Wilson, Minerals and Rocks, 2014, Vol.(1)
4. Maps, BHUVAN PORTAL, Arc GIS.
5. Das PranabKr, 2013, 'the Himalayan Tsunami –Cloud Burst Flash Flood and Death Toll: A Geographical Postmortem.
6. Uttarakhand Disaster 2013, National Institute of Disaster Management Ministry Of Home Affairs, Govt. of India, New Delhi.
7. Kumar , V.V.G. Jain , K. 2012,'Monitoring And Analysis Of Cloudburst Region Using Geometric Techniques .
8. Naithani ,A. K. Rawat G.S. Nawani , P. C. 2011, 'Investigation Of Landslide Events On 12th July 2007 Due To Cloud Burst In Chamoli District , Uttarakhand , India.

## **Comparison of Three Generations in Manju Kapur's Difficult Daughters**

**Dr. Sangeeta Arora\***

Associate Professor and HOD English, SRDA Girls' P.G. College, Hathras, U.P.

**Abstract :** Women in spite of having same mental and moral power are never regarded equal to man in this patriarchal set up. This image of women has been challenged in 'Difficult Daughters' by 'Manju Kapur'. Manju Kapur depicts the relationship between mother and daughter and the transition they have undergone. The attitude of the three generation of women is represented towards life. In the novel Kasturi, the grandmother has an attitude of complete acceptance as she belongs to the traditional times. Virmati believes in adjustment as she represents transitional phase and has compromising nature. Ida, a modern woman does not believe in adjustment. Virmati wants to have some recognition in life but in this patriarchal society she is considered as the one spoiling the name of the family. Virvati has to face many difficulties all her life inspite of her intellectuality. Manju Kapur wants to convey a message that empowerment should build human relationships.

**Keywords :** Patriarchal, Transition, Empowerment, Incarnates etc.

Despite innumerable evolutions, women who make up half of the population of the world is not treated at par with man. Women who has same mental and moral power is not recognized as equal to man in this male dominated society and is expected to serve, sacrifice and tolerate everything in this patriarchal society .She is expected to follow Sita Savitri and Gandhari. Woman is expected to live and breathe for others.

Manju Kapur, a prolific storyteller, has enriched her novels with feminist vision and has presented women as modern, new women carrying the burden of inhibition since time immemorial and she wants to break her silence now. She depicts woman in the society who have marriage as the ultimate aim and destiny and they cannot escape this destiny. Manju Kapur in her novel represents the females who want freedom from these social customs and traditions. Manju Kapur's protagonists are generally educated and this education motivates them for independent thinking which is not accepted by their family and society. So the women have to struggle between the traditions and modernity. Manju Kapur's female protagonist long for an identity for themselves because of their qualifications and faultless backgrounds.

Manju Kapur has a deep understanding of world of affairs so she tackles the Identity problems of her protagonists who are the educated Indian women. Her novels portray the fight of her female characters against restrictions imposed by patriarchal and traditional society. Manju Kapur's novels depict the struggle of the women for freedom and search for an identity. Manju Kapur herself had the first hand experience of partition and transfer of population and difficulties faced by the people during the time of partition. She understood the world affairs so in her novels protagonist always try to maintain a balance. Her protagonists have to suffer because of the dual standards in one side and on the other side these dual standards make them strong.

The novel 'Difficult Daughters' by Manju Kapur tells about a Punjabi family of pre partition days. In this novel Manju Kapur has depicted protagonist caught between passion of flash and to be a part of political movement of the day. She revolted against tradition. Title itself indicates protagonists search of an identity but she is restricted by family and society. 'Difficult Daughters' presents a woman who wants to establish her own identity. The Story of the 'Difficult Daughters' has three generations, Ida the narrator, Virmati her mother and Kasturi, her grandmother. The novel potrays the sad life of Virmati who is the central character. Ida does not want to be a replica of her mother.

The novel begins with the death of Virmati, the protagonist. Ida, Virmati's own daughter narrates her story. The story of Virmati is unfolded by the narrator. Ida describes her nature, her desire after her death and her attitude towards life. Virmati used to say, "Someone will value me after I have gone."(p1) Her attitude towards life is reflected in the lines:" when I die, she said to me, I want my body donated, My eyes, My heart, My Kidneys, any organ that can be of use."(p 1).The novelist manages the past and present in the novel. Ida, a divorcee, wants to recollect the memories of her mother. She tells the readers about Virmati's bold nature as she fought the evils of the society inspite of having been brought up in a traditional family. She used to engage herself in household duties and she lost her identity to fulfill her family responsibilities. Novelist tells the

readers about the real identity of Indian women which is to remain as a puppet in the hands of males. They have to follow their rules and orders. Women are taught to consider marriage as the ultimate goal of their life.

Virmati, being the eldest daughter in the family, looks after her brothers and sisters and assists her mother during pregnancy. She was always busy managing household affairs. In short Virmati was forced to tackle the responsibilities of the family at very early age. Virmati is pictured as common Indian women who spend most of their time in completing their household duties without bothering about their wishes to spend their life freely like any modern women.

Virmati had ten brothers and sisters. Her grandfather, a well known land owner, supported women education. Virmati used to pass her time in helping her ever pregnant mother and so she took care of all her brothers and sisters. Virmati became an expert in stitching and cooking . She joins college and falls in love with the Oxford returned professor, Harish Chandra, who was married to illiterate women, Ganga whom he wanted to educate but was not successful. The professor fell in love with his student Virmati because of her passion for studies and professor had an affair with Virmati. Virmati didn't want to marry the boy selected by her family as she wanted to study English. Her mother Kasturi did not encourage her studies because she believed that looking after the family, and children were the only duties for a woman. She was not successful in convincing her mother so she was engaged to engineer Indrajeet but due to his father's death the marriage was postponed. Virmati makes an attempt to end her life and she was locked in the godown and her younger sister Indu was married to Indrajeet. Virmati wanted to continue her studies in Lahore for which Kasturi accompanies her to Lahore. Because of her revolutionary zeal Virmati became centre of focus in Lahore. In Lahore she met Shakuntala who was free and vibrant in her outlook. At Lahore she became an active participant in the political movements of the day.

The professor Harish visited Virmati in Lahore and she became pregnant. Then a freedom fighter arranges for Virmati's abortion in her house. After the abortion Virmati joins the job of principal in a school in Nahan. At Nahan the professor Harish kept visiting. He did not talk about marriage so Virmati decides that she will not marry and she breaks all relationships with Harish. Then Harish marries her and she becomes the second wife of Harish and enters his house but her problems do not end here. She becomes an outsider in Harish's house. Harish's mother does not accept her although Virmati tries to adjust herself but she is mostly humiliated. A qualified lady has to struggle for existence and she has to perform house hold works and cook food with Ganga. Professor encourages her to read and involve herself in intellectual pleasures and not to bother about the trivial things at home. Then her father was killed in the riot but she was not allowed to attend his last rights because she was considered to be spoiler of the image of the whole family and also accountable for her father's death.

Ultimately Virmati gives birth to her daughter Ida, the narrator. Although she has always been against her parents and traditions but she fulfills her duty of being a mother and she teaches her daughter to adjust in life and settle peacefully in marriage but unfortunately Ida gets separated from her husband and the marital bond. Virmati had to suffer all her life because she loved and married going against society laws. Moreover, Harish had been impractical and irresponsible person. Virmati realizes that she had to respect traditional values and social norms at a later stage.

Traditional Indian family culture has been elaborated by Manju Kapur. Virmati's family is against any modernization. Shakuntala her cousin, who is educated and advanced, leads a modern life and her life attracts Virmati. Manju Kapur has described the freedom struggle along with the Virmati's struggle for independence. Freedom struggle has changed India our Nation but women's condition remains unchanged. Virmati longs for a free life but the reality does not permit her. Education develops realization of new outlook.

The novel tells the story of women from pre independent India to post independent era. Women are traditional at heart but they want to lead a modern life. The novel depicts three generations of mother daughter relationships. Readers come to know that Daughter's have always proved to be difficult for their mothers. Ida says in the beginning itself that she does not want to be like her mother. Ida belongs to post independent era and she explores the life of her mother. Narrator is more confident and more positive than her mother. While exploring her mother's life, the narrator finds out the similarities and differences between her life and her mother's. When her mother was alive at that time there was an emotional gap between the two. She says- "why was saying anything to her mother so difficult."(p10) Ida's uncle told her about Virmati's passion for studies.

Virmati, the eldest of the family, proved most difficult to be handled for the parents as she refused to follow the orthodox and conventional life and she did not want to be like her mother.

Ida and Chhoti, her step sister, the third-generation daughters lead a more liberated life. Chhoti does not want to marry because she has seen disintegration of this institution in her family. These third-generation daughters are no more victims of the patriarchal society as they are very well aware of their rights. Manju Kapur compares the characters Virmati and Ida to bring out their contradictions. Virmati struggles for her identity while Ida believes in breaking her marriage because she is not ready to follow the conventions of the society. The third generation daughters are seen yearning for their identity. They do not fit into the patriarchal framework. The readers can witness an emotional distance in the relationship of the mother and daughter. One thing is common that daughters do not want to be like their mothers but in the end they behave like their mothers. The daughters want to lead a traditional life.

The most interesting thing about Virmati is that on one side she is a strong and wants to resist all social and family pressures and on the other side she becomes weak in her relation with the professor. The reason for this weakness may be the lack of love in her life. She does not want to be haunted by her mother any more. The novel very realistically presents mother daughter conflicts. The attitude of three generations women is represented in the novel, Kasturi believes in complete acceptance because she belongs to traditional times. Virmati believes in adjustment and Ida incarnates non adjustment as she belongs to the modern era of highly qualified well educated employed women. Virmati represents transitional phase which has compromising nature. Manju Kapur depicts the position of women in Indian society in pre and post independent era.

## **References :**

1. Nayak, Bhagabat. "Feminist Assertions in Manju Kapur: A Socio-Ethical." *The Indian journal of English studies*, Vol. XII. 2003.
2. Sinha, Sunita. "Discovery of Daring and Desire in Manju Kapur's fiction." *Post – colonial women writers: New perspectives*, New Delhi: Atlantic, 2008.
3. Kapur, Manju."Difficult Daughters." London: Faber and Faber, 1998.
4. Chakravarty, Joya. "A study of Difficult Daughters and A Married Woman." *Indian women novelists in English*. Ed. Jaydipsinh Dodiya. New Delhi: Sarup, 2006

## **Treatment of Human Relations in D.H. Lawrence's short story**

### ***The Prussian Officer***

**Dr. Lt. Anjita Singh\***

\*Associate Professor, English , A.N.D.N.N.M.M. College, Kanpur, U.P.

**Abstract :** D.H.Lawrence, one of the most criticized and maligned of British writers exhibited a profound understanding of the intricacies and complexities of human relations. He writes unabashedly on human issues such as sexuality, emotions, mental states and instinct. He was censored for his frank and for his generation, startling portrayals of human tendencies which were still considered taboo. But this did not deter him, and he has given brilliant exposition to shades of human experiences in his fiction. His short stories throw light on the ever-shifting focus and ever-changing states of human minds and emotions. The short story, *The Prussian Officer* is a dark study of the unconscious mental capers and their manifestations on conscious emotion and actions. The negative repercussions of human emotions like envy and anger are illustrated.

**Keywords :** Human, Relations, Real, Individual, Traditional etc.

David Herbert Lawrence, one of the most widely read of the British English writers, was very vivid and frank in his handling of unconventional themes through his novels and short stories. The preponderant theme of the Short Stories of Lawrence is the theme of human relations. In order to explore this theme in its totality, he brings within the scope of his creativity, characters drawn from various walks of life, from various periods of time and from various nationalities. He also varies the tone and temper of the stories from the comic to the serious. The result is a rich exploration of the complex warp and woof of humanity.

What distinguishes Lawrence from other artists who have dealt with this theme from time immemorial is his most distinctive talent, his capacity to explore the complex origins of human relationships. He makes his fiction a study of the least coherent and most crucial moments of sympathy and antipathy between the people and a study of the deep and dark consciousness of the characters as they tumble through their destiny. Lawrence has no regard for the traditional method of planting an individual into the story and describing his sojourn through the series of events and his emergence from them by arranging the required chain of events. He is interested in the real person beneath the conventional pattern of thought. He describes his method in a letter to Edward Garnett thus, You must not look in my novel for the old stable ego of the character. There is another ego, according to whose action the individual is unrecognizable, and passes through, as it were, allotropic states The ordinary novel would trace the history of the diamond, but I say 'Diamond', what? This is carbon. And my diamond might be coal or soot and my theme is carbon. (Huxley 198)

By the "old stable ego" of the character he implies a fixed scientific pattern of certain physical and mental states. He does not conceive his characters as part of a fixed pattern of life who behave according to fixed conventions. Since there is constant action and interaction of thoughts in an individual it would be highly absurd to conceive a character as a complete manifestation of any particular habit, tendencies or idiosyncrasies.

Lawrence's entire concentration is to explore the deepest psyche of his characters, to lay bare their anguish and ecstasy, their anxiety and serenity and their hopes and fears which he justifies by situating the individuals in various relationships be it a man-to-man, man-to-woman, mother-to-child, master to servant etc.

Criticism has been levelled against Lawrence's obsessive concern with the theme of human relations. T.S. Eliot finds faults with Lawrence on account of "the absence of moral and social sense in all the relations of Lawrence's men and women." (After Strange Gods 36). Eliot feels that Lawrence's philosophy behind human relations is hardly any philosophy worth the name. Other critics feel that Lawrence brands human relations in his fiction in a way that perverts the whole philosophy of human relations. Lawrence's obsessive and pervasive concern with the theme of human relationships goes so far as to make his depiction uncanny because Lawrence violates the cannons of probability, involving temperamentally dissimilar characters into a situation that is not conducive to a willing suspension of disbelief. Lawrence had to suffer censorship and he spent part of his life in a kind of voluntary exile. But posthumously, E.M. Forster described him as one of the greatest imaginative novelists of our generation

However, putting aside the opinions of detracting critics, it is not to be denied that Lawrence as a writer illuminates literature in a variety of ways with his powerful vision of its moral relationship to all our human experiences. "The amazingly difficult and vital business of human relationship", Lawrence complains, "has been laughably underestimated in our epoch. Modern man was increasingly depriving himself of the vital contacts. Nearly all his relations were old, mechanical, and dead"( Fantasia...245)

Lawrence started his literary career when Englishsociety was undergoing tremendous change in its pattern of social life. The progress of events - such as increased industrialization, war, labour movements, povertycontributed to the instability of society and the complexity of human relationships and was the foundation of Lawrence's understanding of them.

*The Prussian Officer* is an expose of intense hostility between the Prussian Officer of the title and his orderly. Lawrence lays bare the triviality and foolishness that lie behind the veil of rigorousand socially decorous military life.

Lawrence conceived the story during the first few months of his relationship with Frieda Weekley in Germany. Possibly, he heard of a sensational trial of an army captain who has kicked his orderly to death butwas acquitted on the grounds that it was only the second time. Incidentally Harry T. Moore pointed out that Frieda's father also used to beat his orderly. In this way in the milieu of his father's army connection Lawrence experienced a new kind of discipline and authority. Heanalyzed it with deep psychological insights. Integrating his imagination and experience, he wrote the short story, *The Prussian Officer*. Not an exact account, it is more of a sublimation of experience through intensive observation and the writer's imagination makes the presentation extremely realistic.

The story is about an officer who works up an unreasonable though not incredible, hatred for his orderly and follows it up with insult and injury. The antagonism between the captain and the orderly is essentially psychological, rising from cultural causes of which Lawrence is keenly aware.

The story begins with the spectacle of a young orderly marching in pain, conscious of the deep bruises on the backs of his thighs. He is highly stressed trying to suppress the pain He is also conscious of "the fine figure of the captain wheeling on horseback at the farmhouse ahead... The orderly felt he related to that figure moving so suddenly on horseback: he followed it like a shadow, mute and inevitable and damned by it. And the officer was always aware of the tramp of the company behind, the march of his orderly among the men"

Thus, the two men, the captain and the orderly are shown as being tied in a relationship which is inevitable but cursed. Moreover, it is not until the middle of the story that we realize the nature of this relationship, and also the reason of the orderly marching in pain. He has been tormented by the officer who resents the young fellow's physical zest and seeks to demoralizehim. The sadistic assaults of the officer and thebreakdown of the orderly are detailed. Moreover, Lawrence intensifies the action of the story by juxtaposing two characters of opposite natures, one whole but innocent, the other warped but dominating, and bent on encroaching on the other's self-respect

The captain is a haughty youth belonging to a Prussian aristocratic family and has ruined his prospects of life by incurring debts by gambling. He has not found a suitable wife though he has intimacies with women. This is part of the reason for his pевishness. On the other hand, the orderly is a vigorousyoung man with an obvious sensual apprehension of life. Thus, the essential contrast between the two is very apparent.The captain begins to abhor the natural instinctive behavior of the orderly. It is a mixed reaction - a criticism as well as a desirable quality. The officer becomes acutely conscious of his servant and feels it like a flame upon his tense, rigid body. There was something so free and self-contained about the young fellow's movement, that it makes the officer uncomfortable and irritated. He keeps his face averted, to avoid seeing him. And yet as the young soldier goes about his work unaware, the officer would follow him with his eyes. And it irritated him to see the soldier's young, brown, shapely peasant's hand grasp the loaf or the wine-battle send through him a flash of hatred or of anger. It was rather the instinctive sureness of movement of an unhampered young animal that irritated the officer to such a degree.

The use of metaphors and phrases to describe the two men is very effectively expressive of the increasing strain in the relationship between the captain and the orderly. The 'stirrings' of their innate self start reflecting in the action performed by their bodies. Lawrence views these strains and anxieties of the officer and his orderly in psychological light and portrays their consequent actions. The small incidents arouse the captain

into brutal passion ‘A bottle of wine’, suggestive of blood, upset by the orderly, suddenly unleashes the officer’s hatred, a scar across the knuckle of the soldier’s thumb increases this hatred out of all proportion. The captain’s desire for violence to the brink of madness is increased by the fact that the soldier has a sweet- heart, a girl from the mountains as independent and primitive as the man himself with whom he finds simple happiness. She eases him after the strain of hostility; whereas the captain finds his relationships, ‘a mockery of pleasure’. At this juncture all the captain’s pent-up jealousy, all his sexual frustrations finally explode. He beats his servant with a belt and kicks him brutally and the started look of pain of the orderly, the tears in his eyes and the blood on his mouth, sends a thrill of pleasure through him.

The orderly is aghast at the treatment of his officer and his bruises hit him with the realization of the bond between the two and impossibility of breaking it. There are only two people in the world now in his comprehension - himself and the captain. A long and well constructed flash back takes us back to the opening scene, where the orderly is marching in heat. Something happens to him during this day in manoeuvres. The precious instinct to save him from the persecution is growing into a feeling of rancour and hatred. First there is a feeling of being dominated and hence annulled by the captain. The captain - proud on horseback in the sunlight self - possessed, watches him.

The action has grown to such a climax that the two men stand tense and still, the master laboriously chewing his bread, the servant staring with averted face, his fists clenched. He waits for the suitable moment to catch his prey. His eyes follow the small but detailed movements of the officer’s drinking bout. He saw the thin, strong jaw working and the instinct which had been jerking at the young man’s wrists suddenly jerked free. He jumped feeling as if it were rent in two by a strong flame. And when the spur of the officer caught in a tree root and he fell down backwards with a crash, the middle of his back hitting against a sharp-edged base of a tree, in a second the orderly, with his serious, earnest young face and under lip between his teeth, got his knee in the officer’s chest and presswd the chin backward over the farther edge of the tree-stump, pressing, in an overwhelming sense of relief. With the base of his palms and with all his might, he pushed at the chin. And it exquisite pleasure to feel that chin and hard rough and bearded jawin his hands. He did not allow himself to slacken till he heard a click and heavy convulsions shook the body of the officer. The orderly was frightened and horrified, yet it pleased him to feel the chest of the other man yield in expiration to the weight of his strong, young knees, to feel the hard twitching of the prostrate body jerking his own whole frame which was pressed down on it. His killing of the officer is the passion of relief in which his blood exults.

The murder scene is described in all its brutal details - the little cluck and crunching sensation of the breaking neck, the blood filling the dead man’s nostrils and trickling down the upturned face into the eyes, and the feelings of the orderly, the shock and distress. The heavy relief in the orderly’s soul is to articulate the psychology of the soldier, of which he himself is unconscious. Thus, Lawrence is successful in bringing to light the deep dark caravans of feelings through the acts of his characters.

One is here reminded of Lawrence’s aesthetic and metaphysical law that everything in life must be “one living continuum with all the universe”(Phoenix 541) The incidents in the orderly’s life happen in such a way that from normal, natural and vital life he is fo.rced into an unnatural, immortal and life-denying relation of bitter hatred with his captain. During his military life, only the image of authority, that is, the captain, has any relation with him. Once he kills the captain or finishes the object of authority, he loses his last relation with the universe. After killing the captain when he uses his horse, it hurts him to sit in the saddle. And when trying to “get down form the horse, he fell. He jerked its bridle and sent it cantering jerkily away. It was his last connection with the rest of the things”(Cushman.104)

Lawrence has himself commented about the tale, that “it is a story of a youth who has gone out from everyday life into the unknown and he could not, and he did not even want to go back”(Cushman.104) By putting together pristine innocence and conventional sophistication, Lawrence has depicted a psychological and ethical story.

#### **References :**

1. Huxley, Aldous. *The Letters of D.H. Lawrence*. London Heinemann. Toronto 1956
2. Eliot, T.S.*After Strange Gods.A Primer of Modern Heresy*. London, Faber & Faber 1934
3. Lawrence D.H. *Fantasia of the Unconscious and Psychoanalysis and theUnconscious*.London, Heinemann. 1961
4. Cushman, Keith.*D.H.Lawrence at Work:The Emergence of the Prussian Officer Stories*.Carloettesville, 1978
5. Lawrence D.H. *Phoenix:The Posthumous Papers of D.H. Lawrence*. London, Heinemann 1961

## **Theme of Wilderness in the works of Catherine Parr Traill and Susanna Moodie**

**Dr. Pratyush Chandra\***

\*Assistant Professor, P.S.M.P.G. College, Kannuaj, U.P.

**Abstract :** Wilderness is one of the dominating themes in Canadian literature. Themes always reflect the manner in which we live and relate to others. A theme is, therefore, at the centre of existential choice and individual vision. Themes are central to the structure and the style in the works of art. They are the organizing principles. Wilderness stands for space. Literally wilderness denotes the un-crowded area. In the Canadian context, it refers to un-crowded rural settlements. In literature, space, time and climate become the metaphors for existential questions of our destiny, our reason for living. Such questions belong to all human experience but in the hardships of Canadian climate, winter is the inevitable metaphor for death, for physical hardships and emotional rigours. Winter is also a metaphor for a spiritual mystery behind life and death. This is put into image both by the silence, solitude and beauty of winter itself, and by the spring time, which follows winter and is a universal symbol of hope and rebirth.

**Keywords :** Wilderness, Un-crowded, Existential, Mystery, Canadian literature etc.

Nineteenth century reviews, particularly of relatively minor literature, tends to rely heavily on plot, summary and long excerpts from a work to give the reader a sense of the book's nature and quality. When the critics of Canadian literature started celebrating the careers of Moodie and Traill, more attention was paid to biographical details, perhaps because of the autobiographical nature of many of their works, than to actual literary achievement. In addition to it, Traill became the victim of her longevity, being treated as the "Grand Old Lady" of Canadian literature and botanical study. She has also been viewed, frequently, as the shadow of Susanna Moodie; that is, *Roughing It in the Bush* has, generally been given priority when their works have been examined tighter. Sometime, Traill has been simply associated with her sister and not considered as an individual entity having distinct worth of her works. More recent criticism has, however, endeavored to redress the earlier imbalanced treatment of books by the two sisters. Almost all the works of Catherine Parr Traill, written in her Canadian pioneering of the bush life, in the backwoods thereof, expound, more or less, the theme of wilderness but her master piece *The Backwoods of Canada*, in main and *The Canadian Settlers Guide*, in general, throw ample light on the wilderness of Canada.

Susanna Moodie's *magnum opus* *Roughing in the Bush* and *Life in the Clearings versus the Bush* are matchless works of the nineteenth century Canadian writing in English, in as much as, the exposition of the theme of wilderness is concerned. Mrs. Moodie's *Life in the Clearings*, is, as already stated, the improvement of her adaption to its wilderness. Both the works, taken in together, reflect the Canadianization. Carol Shields comments on these works. The experience of her life is so long and varied, so splintered and buffeted by social upheavals, that she is obliged to create new form. *Roughing it in the Bush* and *Life in the Clearings* are both books that generously and disconcertingly embrace element of travel writing, the literary sketch, narrative fiction, mediation, factual material and poetry. The tone varies widely, from injured and defensive to astringent and bright, and the theme of dislocation and adaptation is anchored to the seemingly random ceremonies and stories with which she shapes her sense of the world. Moodie's Crusoe baffled by her own heated imagination, the dislocated immigrant who never fully accepts or rejects her adopted country. When her methodology wobbles, her reflexes can be counted on. Her acts of re-imagination rise from an unconscious strategy of survival; she states her belief in male dominance, for instance, but reserves for women characters like Jeanie Burns qualities of courage and endurance. She struggles with the image of a beautiful lake disfigured by a new saw-mill natural harmony confronted by necessary progress and is unable to resolve her feelings. Thus Mrs. Moodie's *Roughing It in the Bush* and *The Life in the Clearings versus the Bush* are great pioneering ventures in the backwoods of Canada. In as much as the theme of wilderness is concerned, both these works are unique achievements of Canadian writing in English in the nineteenth century.

The growing body of critical writings about Susanna Moodie and *Roughing It in the Bush* included biographical, bibliographical, literary, historical and thematic studies. Audrey Morries' *Gentle Pioneers: Five Nineteenth Century Canadians*, provides useful detail about the Canadian lives of the Moodies, Stricklands and that of the Traills. Clara Thomas' *The Strickland Sisters in The Clear Spirit* is the most concise and reliable biographical sketch. William Magee sees Mrs. Moodie as "an early prototype for local colour school". Clara Thomas' "Journey of Freedom" places the Strickland Sisters' work in a tradition of women's travel writing. Recently there has also been a variety of studies attempting to provide thematic, structural or psychological interpretation of *Roughing It in the Bush*. Most of these have their roots in Carl Klinck's influential introduction of the *New Canadian Library reprint*. Here Klinck justifies his abridging of the text by arguing that the book is best read as a novel that gains by "concentration" upon Moodie's dramatization of herself as "author – apprentice – heroine". In searching for a formal pattern in *Roughing It in the Bush* R.D. MacDonald seizes upon the movement from "romantic anticipation to disillusionment" that Susanna Moodie undergoes in learning to see nature, not as "beautiful and benevolent", but as a "dangerous task master". Carl Ballstadt in a later essay studies Moodie's treatment of water imagery to reach a very different conclusion that, "she is conscious of adjusting to the wilderness".

G. Noonan surveys *Roughing It in the Bush* in "Criticism with some notable omissions" and argues that Moodie's "strategy of fiction" is to present her self deliberately as a figure who barns by experience, even as she holds to her negative views about the imprisoning bush. There is one more, a different kind of critical approach, to be found in the deliberate juxtaposition of Susanna Moodie's and Catharine Parr Traill's responses to Canada. Clara Thomas and T.D. Mac Lulich see their personal adventures as contrasting applications of the Robinson Crusoe story. William Gairdner develops the thesis that Moodie's subjectiveness and Traill's objectivity are an early instance of the "two realities" of the Canadian imagination, the one emotional and mythopoetic, the other rational and Puritan. David Jackel maintains the comparison but argues that *Roughing It in the Bush* is a vastly overrated work, "a questionable choice for inclusion in the canon of classic Canadian Literature". He perceives "the real strengths of our British inheritance" in Traill's work, not that in Moodie's. *Roughing It in the Bush; or Life of Canada* has proved both intriguing and frustrating to the critics who have sought to analyze its structure. Always there are loose ends. It readily does not belong to any established genre but makes a postmodernist pastiche. It reflects the elements of poetry, fiction, travel writing, autobiography and social documents in it and eludes definition. In the words of David Jackel:

*Roughing It in the Bush* is a pretentious sentimental, self indulgent, unstructured and derivative book... The series of sketches that comprise it are unified only by the presence of Mrs. Moodie. Her experience, her feelings, her opinions – are sentimental, self-dominate the books, but they do not structure it... *Roughing It in the Bush* is undisciplined self-expression.

In favour of Susanna Moodie, it is argued that the sketch from gave her a freedom not only to range widely in mood and subject but also to present material in a personal and informal way. It held her to no particular narrative unity other than that of personal voice and values. Accordingly, though a loose chronological order pertains in the book, it is entirely possible that particular sketches could have been omitted without significantly altering the overall effect. Editors like Carl Klinck have supported this view.

The complexity of the *Roughing It in the Bush* results from several factors. Some of these are imaginative tensions of the author, the several ostensible aims of the books and the variety of styles attempted by Mrs. Moodie in pursuit of effects. Her peculiar blending of the sketch, travel, narrative, the sentimental novel tradition and autobiography really, renders *Roughing It in the Bush*, forcefulness and a unique focus for special attention to be paid by the reader. The blending was in part accidental. It grew out a period of intensely autobiographical writing. Michael, A. Peterman, evaluating Mrs. Moodie's works, especially *Roughing It in the Bush* remarks: If there is any majority agreement among those who have suited *Roughing It in the Bush* in detail, it is that the pattern of adaption, of learning through experience, prevails. While this view is consistent with Moodie's middle class values ... Moodie's pursuit of effects – humorous, grotesque, sentimental melodramatic, enthusiastic or didactic – is a consistent element of her writing. She could not resist an opportunity either to entertain or to moralize. The many occasions in which fresh or sharp observations are dulled by stylized comments suggest the frequency with which she relied upon conventions and clichés to shape her expression. Clearly, no single critical rationalization can adequately explain a book in which each sketch was meant to be

entertaining in it self. As Dunbar Moodie observed in "The Village Hotel", "Travelers and book makers, like cooks, have to collect high flavoured dishes, from far and near, the better to please the palates of their patrons." It has often been observed that Susanna Moodie was not an artist and that *Roughing It in the Bush* is not a work of art. The chief ground for these propositions seems that the aesthetic and ornamental aspects of her writing were unusually the most artificial, over written and convention bound sides of her work. Only in those pieces in which she brought the tensions of her feelings and thoughts to the centre by blending the flexibility of the sketch with the intensifying devices of the novel did she become a writer meriting serious consideration. In such cases, "mystery" or energy vies strongly with conservative and middle her, every as she felt the need to harness or reform them. As a matter of fact, Susanna Moodie, as a writer was at her best when she was self-revealing. In other words, the autobiographical aspect of her works in general' and that of the *Roughing It in the Bush*, in particular offer the best of her writing skill to the reader. Fortunately, the self expression is neither meager in these major works nor the charn of style is lacking in them.

Susanna Moodie's master piece *Roughing It in the Bush* and *The Life in the Clearings versus the Bush* studied in detail, in the chapter four and the chapter five, are replete with the theme of wilderness *inter alia* self-revelation, character sketches and social delineation. Moreover, these works are the vivid accounts of the difficulties and problems, of the life in the backwoods of Canada, as faced by the pioneers of the settlement there. Susanna Moodie, on the basis of her own experience, warns the willing emigrants of the prospects of clearing the woods – both its advantages and disadvantages.

## References :

1. The Backwoods of Canada ; Being Letters from the Wife of an Emigrant Officer, Illustrative of the Domestic Economy of British America. London: Charles Knight, 1836.
2. "The Mill of the Rapids: A Canadian Sketch." Chambers's Edinburgh Journal, 7 (1838), pp. 322–23.
3. "The Settlers Settled or, Pat Connor and His Two Masters." Sharpe's London Journal, 10 (1849), pp. 107–10, 137–42, 274–77, 335–40.
4. The Canadian Crusoe's: A Tale of the Rice Lake Plains. London: Hall and Virtue, 1852.
5. "Forest Gleanings, " I–XIII. The Anglo-American Magazine, vols. 1–3 (1852–53).
6. The Female Emigrant's Guide, and Hints on Canadian Housekeeping. Toronto: Maclear, 1854–55.
7. Lady Mary and Her Nurse or, A Peep into the Canadian Forest. London: Hall and Virtue, 1856.
8. Canadian Wild Flowers. Painted and lithographed by Agnes Fitzgibbon.
9. Studies of Plant Life in Canada or, Gleanings from Forest, Lake and Plain. Ottawa: A. S. Woodburn, 1885.
10. Pearls and Pebbles or, Notes of an Old Naturalist. Toronto: Briggs, 1894.
11. Cot and Cradle Stories. Toronto: Briggs, 1895.
12. Margaret Atwood, The Journals of Susanna Moodie (Toronto: Oxford University Press, 1970), p. 62.
13. Afterword, The Journals of Susanna Moodie, p. 62.
14. Canada: A Contrast," Roughing It In the Bush (1913: rpt., Toronto: Coles, 1980), P. 5.
15. Susanna Moodie, Introduction to Life in the Clearings (1853: rpt., Toronto: Macmillan, 1959)
16. Thomas Carlyle, "Biography," Critical and Miscellaneous Essays: Collected and Republished (London: Chapman and Hall, 1847), pp. 1-2.
17. Afterword, The Journals of Susanna Moodie, p. 63.
18. Marian Fowler, The Embroidered Tent: Five Gentlewomen in Early Canada (Toronto: Anansi, 1982).
19. Atwood, The Journals of Susanna Moodie, p. 11.
20. The Journals of Susanna Moodie, p. 22.
21. Susanna Moodie, Roughing It In the Bush; or, Life in Canada (London: Richard Bentley, 1852), 11, p. 163.

## **The Art of Indian English Poetry : A Brief Survey**

**Dr. Subham Chatterjee\***

\*Associate Professor & Head, K.G.K. P.G. College, Moradabad, U.P.

**Abstract :** The bulk of Indian English Poetry is as different and as varied as life in the subcontinent itself. There are poems in different forms containing a wide range of themes. The themes include patriotism, freedom, mythology and religion, god, man, nature and the description of events of significance from the past, of present and future. This research paper aims to portray the varied genius of Indian English poets and their vista of thoughts that have been captured time to time in their poem. We have taken into account of all the major poets down from Toru Dutt to R. Partha Sarathy, Jayanta Mahapatra and O.P. Bhatnagar. The Indian English Poets have done themselves and their country proud by effectively integrating foreign medium and native rhythms of life. The Indian writers use the English Language, which is a legacy of Colonial times, Prolifically and profitably. One finds vast material both creative and critical coming out of press every year. Indeed, the paper highlights the distinguished merit of the Indian English poets in Indian ethos. Through a particular thought Indian English Poets Present the universal predicament of human life.

**Keywords :** Subcontinent, Colonial, Unbounded sympathy, Unflinching lamp, Renaissance, Motionless, Mystic cry, Chastening, Indigenous, Artifact etc.

The bulk of Indian English Poetry is as different and as varied as life in the subcontinent itself. There are poems in different forms containing a wide range of themes. The themes include patriotism, freedom, mythology and religion, god, man, nature and the depiction of events of significance from the past, of present and future. The Indian English poets have done themselves and their country proud by effectively integrating a foreign medium and native rhythms of life. The Indian writers use the English language, which is a legacy of colonial times, prolifically and profitably. One finds vast material both creative and critical coming out of press every year.

K.R. Srinivasa Iyengar cites Mr. Oaten aptly comparing Henry Derozio to John Keats as both have “unbounded sympathy” for nature and both died “while their powers were not yet fully developed.”<sup>1</sup>

Toru Dutt, who also died young, handled writing poetry in French and English with equal ease. Edmund Gosse praises her collection of poems in English entitled *Ancient Ballads and Legends of Hindustan* as a work of “fasting worth”. She drew inspiration from *The Ramayana*, *The Mahabharata* and *The Bhagavadgita*. Her short but highly evocative poem Sita is considered as “the unflinching lamp” throwing light on the quality of her - heart. The picture of sad Sita, Rama’s consort and queen, in the sage Valmiki’s hermitage which is in “A dense, dense forest where no sunbeam pries” is truly heartening. Toru is nostalgic of her childhood and of her brother and sister “And who is this fair lady? Not in vain she weeps.” All the three pairs of eyes shed tears listening to their mother’s account of Sita.

Toru drew from Greek mythology to create a unique poem, The Lotus. It is written in the form of a Petrarchan sonnet: “Love came to Flora asking for a flower — / There is strife in Psyche’s bower.” And, “And Flora gave the Lotus, rose-red dyed / and lily-white, queenliest flower that blows.” H.A.L. Fisher remarks, “The Lotus is another star-like poem that twinkles sweetly on the sky of Indian English poetry.”<sup>2</sup> Among Toru’s innumerable poems, a memorable one is Our Casuarina Tree.

RABINDRANATH TAGORE, popularly known as Gurudev, is remembered for his versatility. He was a poet of no mean stature. It wouldn’t be an exaggeration to say that India went global as a literary force to contend with, with Tagore’s Nobel Prize winning Gitanjali, a slim volume of devotional poems. It is written in the form of Vaishnava and Shiva poets, who seek God as a child seeks its mother or as a lover seeks his beloved. Its imagery, the experience and the revelation are Indian to the core. The very first line strikes the right note thus: “Thou hast made me endless, such is / thy pleasure.”

The soul is immortal. It is like a ‘flute of reed’ and ‘melodies eternally new’ are ‘breathed through it.’ Lord Krishna is the flutist and the human soul is his ‘flute’. The devotee’s hunger for the divine and the Lord’s grace are equally endless: “Ages pass and still thou pourest and still / there is room to fill.”

Gitanjali is a renaissance poem. It is novel in every aspect. It treats the relationship between man and God, man and Nature and links the three together in a hitherto unknown manner. The poet depicts life as a journey, a quest or a waiting to realize union with God. The technique of versification, the imagery therein are one of their kind. It is written as a series of prose lyrics. Yet it makes better music than some traditional poems. The abundant and apt use of imagery especially of nature creates fine word pictures. The devotee is a ‘little flower’. He is like a ‘July cloud of unshed showers.’ His soul’s flight is like the flight of ‘a flock of home-sick cranes’ towards their ‘mountain nests.’ When the devotee’s search for ‘light’ is realized, he dances in gay abandon:

**Light, my light, world-filling light  
The eye-kissing light heart-sweetening light  
Heaven's river has drowned its banks  
And the flood of joy is abroad.**

“Poetry”, says. James Kruger, “increase and refines man’s sensibility to the natural world. His insight into human behaviour is developed - his knowledge and understanding ... his capacity to feel the emotions is expanded. He can increase his stature as a human being.”<sup>3</sup>

SRI AUROBINDO’S works of art, especially Savitri, is an example for the above definition of poetry. According to C.D. Narsimhiah, Sri Aurobindo “made the English language accommodate certain hitherto unknown areas of experience both through his prose work ‘Life Divine’ and through his epic ‘Savitri’ not to speak of the numerous translations from Sanskrit poetry and drama as well as his less known but important works.”<sup>4</sup>

Rose of God, a poem of Sri Aurobindo is known to be ‘a pure mystic cry’ of the soul, its sound and rhythm merge to produce a deep effect. C. D. Narsimhaiah aptly analyses Sri Aurobindo’s achievement thus: “It is interesting and important to remember that Sri Aurobindo nearly succeeded in creating an idiom in English which is peculiar and unique to the Indian people.”<sup>5</sup>

Kamla Das’s Punishment in the Kindergarten deserves praise for its depiction of change in the poet from petulance to peace. Skilful choice of words renders the poem authentic. She recalls that particular day in kindergarten, when her teacher threw words at her like “pots and pans” and drained “that honey coloured day of peace.” So she “hid her face in the sun- warmed hedge! and smelt the flowers and the pain.” Years later, as a result of life’s chastening experiences, she says, “My mind has found/ An adult peace.”

NISSIM EZEKIEL declared that he would “sing the song” of his “experience.” Only he did it in impressive poetry. His Sahitya akademy award is a deserving mark of recognition of life in all its shades. Ezekiel wrote on beggars, hutment dwellers, and pavement sleepers of Bombay. He is popular for various reasons. Simplicity, common topics, interesting words and word pictures and aesthetic appeal are the obvious features of his poetry. Some of his best poems are the very ‘Indian poems’.

Nissim Ezekiel may not be the quintessential Indian poet and might not have played a major role in creating a poetic tradition. Yet, it is beyond doubt that his poems not only provide great reading pleasure but also become source of inspiration for budding poets:

“I only know how to work at one poem at a time, stitch by stitch”<sup>6</sup> says A.K. RAMANUJAN, who lived in America but wrote on his Indian experience. Like Ezekiel, he too poeticized a variety of subjects. Quite a few of his poems are strongly nostalgic of Indian past. Irony is a by-word in his poems. His Small Scale Reflections on a Great House manifests the way things are in his ancestral house.

**Sometimes I think that nothing  
that ever comes into this house  
goes out. Things come in everyday  
to lose themselves among other things  
lost long ago ..**

Just as A.K. Ramanujan who wanted to return to native tradition as express in his poem, Conventions in the Dust, “I must seek and will find/ my particular hell in my own Hindu mind”, R. Parthasarthy has also set a task for himself as a poet. He says, “I saw my task as one of acclimatizing the English language to an indigenous tradition.”<sup>7</sup> He not only followed what he believed, but also urged fellow Indian poets to return to their own linguistic traditions. To quote from his, Rough Passage:

**How long can foreign poets  
Provide the staple of your lines  
Turn inward and scrape the bottom of your past.**

JAYANTA MAHAPATRA'S poetry serves as an example, for Ayyappa Panikar's comment on Indian poetry in English that "national sensibilities are ultimately based on racial and cultural factors." But nature, myth and landscape merge in Mahapatra's award winning book, Relationship. Even in other poems such as A Monsoon Fable and The Lost Children of America, he links the remembered experiences with native Cuttack. He doesn't gloss over the ugly details as may be seen in The Lost Children of America:

**Here in the dusty malarial lanes  
of Cuttack...  
wander the lost children of America  
smelling of incense and living on grass and flowers  
like scavengers accompanied by their impulsive shadows.**

O.P. Bhatnagar's poetry appeals to the general Indian reader because of its political and social import. A variety of aspects have been poeticized. In The New British Empire, he writes on national pride: "Wasn't one Kohinoor in the London / Enough to tease us in our graves?" On political corruption, he writes in Thoughts on Election Day in India "With a handful literates/ stealing illiterate favours in steel boxes...." In A Lucky Star to Hang on on the theme of the gap between the rich and the poor:

**How long shall the unprivileged suffer  
like a valley sunk in its seat?  
Isn't there a lucky star  
Somewhere in the sky  
For the miseries of the poor to hang on?**

Even in a random analysis like the one above, the discerning reader would certainly appreciate the fact that the 'poet's eye' in Indian English poetry, is alert and sensitive to every nuance of change and becoming of Life. And what's more, he translates his thoughts and feelings using all possible elements of poetry such as diction, metrics, sound, imagery, irony, paradox, symbol and ambiguity, with spontaneity, fluency and force into a language in to which his initiation was but, due to a chance encounter.

#### **References :**

1. K.R. Srinivasa Iyengar, Rpt. Indian Writing in English (New Delhi: Sterling Publishers, - 1990), p.35.
2. Ibid., p. 73. –
3. James R. Kruger, Elements of Poetry (USA: The Macmillan Company, 1955), p.3.
4. B.K. Das, Essays on Poetry (New Delhi: Kalyani Publishers, 1993), p.2.
5. Ibid.
6. Ibid., p. 25.
7. R. Parthasarathy, 'Tradition and Freedom', The Indian Journal of English Studies (1981- 82), p. 52

## **Approach of sustainable Development : A Theoretical Analysis**

**Dr. Santosh Kumar Yadav\***

\*(Asst. Prof.) Dept. of Economics, St. Andrws College, Gorakhpur, U.P.

**Abstract :** In 1950's and 1980,s development was regard as the concept of growth in a economic Framework, but 1970's gave rise to a new concept is not seen in a separate sector but as an inherent aspects of development. In 1987, the Bruntland Commission published its report 'Our common future, in an effort to link the issue of Economic development and environmental stability. (United Nation General Assembly, 1987, P.43). However, long before the late 20<sup>th</sup> century, scholar argued that there need not be a trade-off relationship between environmental sustainability and Economic development.

**Keywords :** Development, Growth, Trade-off Relationship, Environmental sustainability, Economic development etc.

**Introduction :** In 1987 the Bruntland Commission published its report 'Our common future, in an effort to link the issue of Economic development and economic sustainability. In doing so, this report provided the oft-so definition of sustainable development as 'development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet own needs' (United Nation General assembly, 1987, p. 43). Although somewhat unclear, this concept of sustainable development aims to maintain economic advancement and progress while protecting the long-term value of the environment. It 'provides a framework for the integration of environment policies and development strategies' (United Nations General Assembly, 1987). How ever before the late 20<sup>th</sup> century scholars argued that there need not be a trade-off between environment sustainability and economic development.

**Objective:**

1. To define the economic sustainability.
2. To analyze the definition and Principal of sustainable development.
3. To analyze the trade-off relationship between environmental sustainability and Economic development.

**Economics of Sustainability :** In 1920, Arthur Pigou noted that the presence of incidental, uncharged services, act as a barrier to achieving equilibrium in the market. In his work 'The Economics of Welfare', Pigour noted that the divergence between marginal private costs and benefits and marginal social costs and benefits create what we now call "externalities" (Pigou, 1920). These externalities are conceived as transaction spillovers, or costs and benefits unaccounted for in the given price of good or service. In order to correct the market failure, Pigou proposed a tax on those activities that produce negative externalities at a rate equal to those external costs. By levying this charge, called a Pigouvian tax, the market price will more accurately reflect the comprehensive costs and benefits of the activity.

According to Michael Porter and Claas vander Linde theorized that pollution is a sign of inefficient resource use. Therefore, win-win opportunities for the environment and economy can be captured through improvements which reduce pollution in production processes (Porter & Van der Linden, 1999). These authors argue that competitive advantages rely on the capacity for innovation; thus, "by stimulating innovation strict environmental regulations can actually enhance competitiveness" (Porter & Van der Linde, 1995 p. 98). As the Porter Hypothesis states, properly designed environmental policies that make use of market incentives can encourage the introduction of new technologies and reduce production waste. The tests of this theory have yielded mixed results, but scholars generally agree that policy design and public support are crucial elements to the success of these incentives Nonetheless, market-based environmental tools are generally perceived as more "business friendly" than traditional command and control policies (Cooper & Vargas, 2004).

This inherent interdependence between the long-term stability of the environment and the economy is the foundation of the field of sustainable development.

Components of a healthy environment , such as clean air and water, are considered public goods in that they are non-rivalrous and not excludable. Thus, it is up to the public sector to maintain the provision of these goods and services. More recently, nations have moved towards the implementation of these market-based

mechanisms to internalize the complete costs of pollution and ensure long-term stability of the environment, in other words, to ensure sustainable development.

**Sustainable Development: Definition and Principles :** Although many definitions abound, the most often used definition of sustainable development is that proposed by the Brundtland Commission (Cerin, 2006; Dernbach J.C., 1998; Dernbach J.C., 2003, Stoddart, 2011). This broad definition, which will be used in this dissertation, does not limit the scope of sustainability . The explanation dues, however, touch on the importance of intergenerational equity. This concept of conserving resources for future generations is one of the major features that distinguish sustainable development policy from traditional environmental policy, which also seeks to internalize the externalities of environmental degradation. The overall goal of sustainable development is the long-term stability of the economy and environment; this is only achievable through the integration and acknowledgement of economic, environmental and social concerns throughout the decision making process.

In the application of this definition sustainable development, one issue concerns the substitutability of capital, There are several types of capital social, natural and man-made. The definition of weak sustainable development explains that only the aggregate level of capital matters: man-made, or manufactured, capital strong sustainability, on the other hand, recognized the unique features of natural resources that cannot be replaced by manufactured capital is an adequate alternative to natural capital. Most ecologists and environmentalists are proponents of the strong sustainability definition (Stoddart, 2011)

In addition to sustainability, this definition of sustainability is also founded on several other important principles. Contained within the common definition of sustainable development intergenerational equity recognizes the long-term scale of sustainability in order to address the needs of future generations (Dimbach J.C. 1998; Stoddard, 2011). Also, the polluter pays principle states that “governments should require polluting entities to bear the costs of their pollution rather than impose those costs on others or on the environment” (Dimbach J.C. 1998; p. 58). Thus, government policy should ensure that environmental costs are internalized where ever possible be, this also sever to minimize externalities.

The precautionary principle stabilities that “where there are threats of serious or irreversible damage. Lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost effective measure to prevent environmental degradation” (United Nation conference on the Human Environment, 1992). Therefore, the proponent of an activity bears the burden of proving that this action will not cause significant harm. Explicitly stated in the Rio Declaration, the nation of common but differentiated responsibilities recognize that each nation must play their part on the issue of sustainable development . This principle also acknowledges the different contributions to environmental degradation by developed and developing nations, while appreciating the future development needs of these less developed countries (Brodhag & Taliere, 2006 (Dimbach J.C. 1998; United Nations Conference on the Human environment, 1992) Developed nations, therefore, bear greater responsibility in light of the resources they require and the pressures they exert on the environment.

The principle of sustainable development underlying all others is the integration of environmental, social and economic concern into all aspects of decision making. All other principles in the sustainable development framework have integrated decision making at the core (Dembach J.C., 2003; Stoddart, 2011). It is this deeply fixed concept of integration that distinguishes sustainability from other forms of policy.

Institutionally, government organizations are typically organized into sector ministries and department this works fairly were until the system encounters something very comprehensive and highly integrated in nature, such as sustainable development in practice, sustainable development requires the integration of economic environmental and social objectives across sectors, territories, and generation. Therefore, sustainable development requires the elimination of fragmentation; that is, environmental, social and economic concerns must be integrated throughout decision making process in order to move towards development that is truly sustainable.

## References:

1. Broding, C. & Taliere, S.(2006) sustainable development strategies: Tools for policy coherence, Natural Resources Forum, 136-145.
2. Cerin, P.(2006). Bringing economic opportunity into line with environmental influence: A Discussion on the coase theorem and the Porter and van der Linde hypothesis Ecological Economics, 209-225.

3. Cooper, P.J. & Vargas, M. (2004) implementing sustainable development: From Global Policy to Local Action; Lahan, M.D: *Rowman little field publisher, inc.*
4. Dermbach, J.C. (1998); sustainable developments as a framework for National Governance. case western reserve law review, 1 - 103.
5. Dermbach, J.C.(2003) achieving sustainable development: The Central & multiple facts of integrated decision making; Indiana Jeneral of Global Legal studies; 247-285.
6. Pigou, A. (1920); The economics of welfare; London, England: Machmillon & Co.
7. Porter, M.E., & van der Lindey, C. (1999). Green and competitive: ending the stalemate. Jeneral of Business Administration & Politics, 215-230.
8. Stoddart, H.(2011); A Pocket guide to sustainable development governance. Stackholder forum.
9. United Nation conference on the Humen Environment.(1992). Rio declaration on environment & development. Rio de Janiero, Brazil: United Nation.
10. United Nation General Assembly. (1987) Report of the world commission on environment & development: Our common future.

## **Population Education : A Necessity**

**Dr. Saroj Kumari\***

\*(H.O.D) Asso. Prof. Deptt of Teacher , Edu. (B.Ed.) CSSS (P G ) College, Machhra, Meerut, U.P.

**Abstract :** The concept of population education was introduced by professor S.R Wayland of Columbia University in 1935. This concept leads to a greater awareness among students and teachers and a positive change in their attitudes. It focuses on population and its management. It gives knowledge about the population situation and makes people aware of the problems related to it. It studies about various aspects of people's life which includes sex education, family planning, population statistics, etc. In this way, population education is useful in controlling population. "*The most serious problem of population explosion has plagued our world in our times.*" **Dr. Lulla&Dr. Murty**

**Keywords :** Population Education, Value orientation, Mortality, Fertility, Morbidity, Migration etc.

Population education is a term used internationally to refer to educational programmes to assist learners in acquiring better knowledge, skills, values and morals that will enable them to make informed decisions about population events and issues which will affect the quality of life and their society. "**Population education is an educational programme which provides for a study of the population situation in. the family, community, nation and world with the purpose of developing in the students rational and responsible attitudes and behaviours towards that situation.**" UNESCO, 1970.

**Need And Importance of Population Education :** Population Education helps and enables us to be aware of the process and consequence of population growth on the quality of our lives and environment. It provides the learners with a knowledge and understanding of the prevailing population situation in their own country and the world. According to Dr. Lulla and Dr. Murty, "No thoughtful person can ignore the need and importance of population education in the context of modern times." We can understand the need and importance of population education in the following points:

**Controlling population explosion:** There is an unprecedented population explosion which poses a great challenge to the welfare of mankind. Population education serves as a safety valve.

**Ensuring quality of Life :** Population education provides an opportunity as well as a challenge to see how best and through what means we can succeed in creating an urge in every individual to aspire for a better quality of life.

**Value orientation :** Population education helps us to develop socially desirable values in our children. It assists us to develop a sense of equality. It has a great potential to develop a healthy attitude. It indicates how to develop discipline in sexual matters.

**Increasing National Wealth :** Population education helps us to look at the population not only in terms of its number of consumers of goods and services or natural resources and wealth but also at the producers of National Wealth..The role of population education becomes vital as it leads us to appreciate the productivity, conservation and maintenance of the environment.

**Environment Protection:** Plants are the main source of oxygen. They take in carbon dioxide and release oxygen thereby maintaining environmental balance. Forests are being depleted for many domestic and commercial purpose. That's why environmental pollution is increasing day by day. Population education can play a important role to control the pollution.

**Health and population education :** Population growth affects every aspect of human life. Many problems have been faced due to rapid growth as the resources to uphold the population are depleting rather than increasing. Depletion of resources, poverty, unemployment, flood and landslides, lack of health facilities, shortage of drinking water , etc. are the consequences of population growth. Government is helpless to provide health facilities to all people due to rapid growth of population. That's why we need the population education.

**There are also some educational problems due to over population.** These are – (a) too many pupils at all levels, (b) poor building, furniture and equipments, (c) wastage and stagnation, (d) poor staff, (e) unemployment, (f) poor quality of education, (g) student indiscipline and other allied problems at various stages of education.

Hence, population education needs to be given top priority. The situation is so grim that something needs to be done quick at grassroot level. The younger generation needs to be informed. They need to be properly educated for leading a planned adult life. A country, where 50% of the population is below 18 years, marriage is almost universal, where literacy rate is just 30%, where the standard of living is low and unemployment has taken on dangerous proportions. Population education seems to be most relevant.

**Aims Of Population Education :** The following are the main aims of population education : **1.** To provide knowledge and understanding of the prevailing situation. **2.** Create awareness among the students about population matters, environment, and supply and demand of essential commodities. **3.** Provide necessary skill to evaluate the impact and consequence of population growth on society. **4.** To give the knowledge of population policy and population measures. **5.** To provide the knowledge of causes of population growth and government's efforts to check it. **6.** To develop awareness on the population dynamics. **7.** To provide the knowledge of manpower management and resource development. **8.** To enable students to know the merits of small family. **9.** To know the causes of urbanization and its related problems. **10.** To know about the causes of deforestation and ecological imbalance.

**Contents Of Population Education :** There was a workshop organized by NCERT in New Delhi in July 1970. It suggested five areas that form the curriculum of population education:

**Population Growth :** Population growth is one of the necessary conditions that affect economic growth. It is a function of the balance between fertility and mortality. Population grows at different rates in different countries because of birth rate, fertility rate, mortality rate and migration.

**Economic Development and Population :** The quantity, quality, structure, distribution and movement of a population can help or hinder the rate of economic development. A developed country with a low population density and a low percentage of employable people needs an increase in population to keep up with population development. The smaller the population, the greater the economic development process and the reduction of poverty.

**Social Development and Population :** In the few countries where fertility and population growth rates remain high, the number and share of young people continue to grow. Rapid population growth makes it more difficult for low-income and lower-middle-income countries to afford the increase in public expenditures on a per capita basis that is needed to eradicate poverty, end malnutrition and ensure universal access to health care, education and other vital services.

**Health, Nutrition and Population :** The World Bank Group's Health, Nutrition and Population Global Practice provide financing, state-of-the-art analysis and policy advice to help countries expand access to quality and affordable health care. Nutrition actions cannot only help ensure that rapid increase in population, life span and urbanization are accompanied by improved quality of life and economic development but also help slow population growth by lowering fertility rates.

**Biological Factors, Family life and Population :** Reproduction is a quintessentially biological process and hence all fertility analyses must consider the effects of biology. Such factors include : 1. The age of onset of potential fertility. 2. The degree of fecundability that is the monthly probability of conceiving in the absence of contraception. 3. The incidence of spontaneous abortion and stillbirth. 4. The duration of temporary fecundability following the birth of a child. 5. The age of onset of permanent sterility.

**Conclusion :** The overall objective is to instil in rural youth the understanding that rapid population growth affects nearly all aspects of rural life, and that they are the ones who can affect the population growth rate. Finally, it must be remembered that population education is just one link in the overall chain of integrated rural development. Only by working together on a wide range of issues can we hope to provide a better life for ourselves and our children.

## References :

1. Pathak, P.D. : Indian Education & It's Problems, Agrawal Publications Agra – 2, p.444 (2014-15)
2. Singh, V.B. &Pahuja, Sudha : Development of Educational System in India, R. Lall Book Depot, p.456.(2016)
3. Dr. Lulla& Dr. Murty: essential Problems of Indian Education, p. 215. (Publisher Lakshmi Narain Agarwal, 1971)
4. Pachauri, Girish : Contemporary India and Education, R. Lall Book Depot. P. 333. (2017)

## A Review Study on Impact of Diet on Menopausal Symptoms

**Dr. Bharti Pandey\***

\*Department of Home science, A.N.D.N.N.M.Mahavidyalaya, Kanpur, U.P.

**Abstract :** Menopause is a natural transition in a women's life as her menstrual cycle comes to an end. Menopause is linked to changes in metabolism, reduce the bone density and increase risk of heart diseases. Many women going through menopause experience unpleasant symptoms such as hot flashes and poor sleep. Nutrition plays an important role in prevention and treatment of menopause symptoms. A whole food diet high in fruits, vegetables, whole grains, high-quality protein and dairy products may reduce menopause symptoms. Phytoestrogens and healthy fats, such as omega-3 fatty acids from Fish net also help. Some foods like added sugars, processed carbohydrates, alcohol, caffeine and high sodium or spicy foods should be avoided. Some changes in diet may make this important transition in women's life easier. This research article discusses what a woman should eat during her menopausal. Which may affect her symptoms.

**Keywords :** Menopause, Diet in menopause, Foods to eat, Foods to avoid etc.

**Introduction :** Menopause is documented as a complete cessation of menstruation for a period of one year. Perimenopause duration is variable, and it is defined as the time of irregular period until menopause. The natural menopausal age of a woman serves as a biomarker for subsequent diseases prediction and mortality. Menopause causes many physiologic changes, which explain the increased prevalence of chronic diseases observed in postmenopausal women. Menopause happens when ovaries stop producing eggs, meaning periods come to an end. This affects hormone levels and often leads to a number of symptoms, both physical and mental. The average age of menopause of an Indian woman is 46.2 years. The time leading up to the menopause is called the perimenopause and can last up to four years. For the first few years the menstrual cycle will typically become less regular, with some women suffering heavier periods than normal. With increasing life expectancy, women spend 1/3<sup>rd</sup> of life in this phase.<sup>1</sup> According to a study, at least 60% of women suffer from mild symptoms and 20% suffer severe symptoms and 20% from no symptoms.<sup>2</sup> Several symptoms bear an obvious relationship to the changing hormonal milieu associated with menopause, and most women make direct linkage between menopause and the common symptoms of hot flashes, vaginal dryness, disrupted sleep, night sweats, depressive symptoms and cognitive difficulties. During the transition to menopause and beyond, the hormone estrogen begins to decline, disrupting normal cyclical patterns of estrogen and progesterone.<sup>3</sup> Declining estrogen levels negatively impact metabolism, potentially leading to weight gain. These changes may also affect cholesterol levels all how the body digest carbohydrates.<sup>4</sup> Many women experience symptoms like hot flashes and difficulty in sleeping during this transition period.<sup>5</sup> Additionally, hormone changes lead to declined bone density, which can increase risk of fractures.<sup>6</sup> An understanding of risk factors and dietary management of these common menopausal symptoms allows for improved patient care and health outcomes for older females. Fortunately, making changes in the diet of menopausal women may help relieve menopause symptoms.

**Foods to eat to relieve some symptoms of menopause :** There are evidences of various research studies that certain foods may help relieve some symptoms of menopause such as hot flashes poor sleep and low bone density.

**Dairy Products :** The decline in the estrogen levels during menopause can increase women's risk of fractures. Dairy products such as milk, yogurt and cheese contain calcium, phosphorus, potassium, magnesium and vitamin D and K - all of which are essential for bone health. In a study in nearly 750 postmenopausal women, those who ate more dairy and animal protein had significantly higher bone density than those who ate less.<sup>7</sup> Dairy may also help improve sleep. A review study found that foods high in the amino acid glycine- found in milk and cheese promoted deeper sleep in menopausal women.<sup>8</sup> Some evidence linked dairy consumption to a decreased risk of premature menopause, which occurs before the age of 45. In one study, woman with the high intake of cheese and fortified milk, rich in vitamin D and calcium, had a 17% reduced risk of early menopause.<sup>9</sup>

**Healthy Fats :** Omega-3 fatty acids may benefit women going through menopause. A review study in 483 menopausal women concluded that omega-3 supplements decreased the frequency of hot flashes and severity of

night sweats.<sup>10</sup> In another review of eight studies on omega-3 and menopausal symptoms, only a few study supported the beneficial effects of the fatty acids on hot flashes. Therefore, results were inconclusive.<sup>11</sup> Foods highest in Omega-3 fatty acids include fatty fish, such as mackerel, salmon and anchovies, and seeds like flaxseeds, Chia seeds and hemp seeds.

**Whole Grains :** Whole grains are high in nutrients, including fiber and vitamin B such as thiamin, riboflavin and pantothenic acid. A diet high in whole-grain has been linked to a reduced risk of heart disease, cancer and premature death. In a review, researchers found that people who ate three or more serving of whole grains per day had a 20 to 30% lower risk of developing heart disease and diabetes, as compared to people who ate mostly refined carbohydrates.<sup>12</sup> A study in over 11,000 postmenopausal woman noted that eating 4.7 g of whole grain fiber per 2000 calorie per day reduced the risk of early death by 17% compared to eating only 1.3 g of whole – grain fiber per 2000 calorie.<sup>13</sup> Whole grain foods include brown rice, whole wheat bread, barley, quinoa, buckwheat and rye.

**Fruits and vegetables :** Fruits and vegetables are rich source of vitamins and minerals, fiber and antioxidants. For this reason dietary guidelines recommend filling half of our plate with fruits and vegetables. In a one- year intervention study in over 17,000 menopausal women, those eating more vegetables, fruits, fiber and soy experienced a 19% reduction in hot flashes compared to the control group. The reduction was attributed to the healthier diet and weight loss.Cruciferous vegetables maybe especially helpful for postmenopausal women. In one study, eating broccoli decreased levels of a type of estrogen linked to breast cancer, while increasing levels of an estrogen type that protects against breast cancer. Dark berries may also benefit women going through menopause. In an eight- week study in 60 menopausal women, 25 g a day of freeze dried strawberry powder lowered blood pressure compared to a control group.<sup>14</sup> In a eight- week study in 91 middle aged women, those who took 200 mg of grapeseed extract supplements daily rates of depression, compared to a control group.<sup>15</sup>

**Phytoestrogen- Containing Foods :** Phytoestrogens are compounds in foods that act as weak estrogens in our body. Most recent studies suggest that phytoestrogen may benefit health especially for women going through menopause. Foods that naturally contain phytoestrogen include soya bean, chickpeas, peanut, flaxseeds, barley, grapes, berries, plums, green and black tea and many more. In a review study of 21 on soy, postmenopausal women who took soy isoflavones supplements for at least four weeks had 14% higher estrogen levels compared to those who took placebo.<sup>16</sup> In another study ranging from 3 to 12 months, phytoestrogens including soy, isoflavones supplements were found to lower incidences of hot flashes compared to control groups with no serious side effects.

**Quality Protein :** The decline in estrogen from menopause is linked to decreased muscle mass and bone strength. Women going through menopause should eat more protein. Dietary Guidelines recommend that women over 50 eat 1-1.2 grams protein/kg body weight. In a one year study in 131 postmenopausal women, those taking high quality protein daily had significantly better bone mineral density compared to those taking a placebo powder.<sup>17</sup> Foods high in protein include eggs, meat, fish, legumes, and dairy products. Protein powders can be added to smoothies or baked goods.

**Foods to avoid to relieve some symptoms of menopause :** Avoiding certain foods may help reduce some of the symptoms linked to menopause, such as hot flashes weight gain and poor sleep.

**Added sugars and processed carbohydrates :** High blood sugar, insulin resistance and metabolic syndrome have been linked to higher incidence of hot flashes in Menopausal women. Processed foods and added sugars are known to raise blood sugar rapidly. The more processed food is, the more pronounced its effect on blood sugar maybe. Therefore limiting the intake of added sugar and processed foods such as white bread, crackers and baked goods, may help reduce hot flashes during menopause. Keeping the added sugar intake to less than 10% of daily calorie intake- so if you eat a 2000 calorie diet, less than 200 calorie or 50 g should come from added sugars.

**Alcohol and caffeine :** Studies have shown that caffeine and alcohol can trigger hot flashes in women going through menopause. In one study in 196 menopausal women, caffeine and alcohol intake increase the severity of hot flashes but not their frequency.<sup>18</sup> Another study associated caffeine intake with a lower incidence of hot flashes. Caffeine and alcohol are known sleep disruptors and that many women going through menopause have trouble sleeping.

**Spicy foods :** Avoiding spicy food is a common recommendation for women going through menopause. However, evidences to support this are limited. One study in 896 women going through menopause in Spain and South America examined the association between lifestyle factors and incidences of hot flashes and associated spicy food intake with an increase in hot flashes. Another study in 717 Perimenopausal women in India associated hot flashes with spicy food intake and anxiety levels. Researchers concluded that hot flashes were worse for women with overall poorer health.<sup>19</sup>

**High- salt foods :** High salt intake has been linked to lower bone density in postmenopausal women. In a study in over 9500-post menopausal women, sodium intake of more than 2 g per day was linked to 28% higher risk of low bone mineral density. After menopause the decline in estrogen hormone increases the risk of developing high blood pressure. Reducing the sodium intake may help lower this risk. In a randomized study in 95 postmenopausal women, those who followed a moderate- sodium diet experienced better overall mood, compared to women who followed a generally healthy diet with no salt restriction.<sup>20</sup>

**Conclusion :** Menopause is linked to changes in metabolism; reduce bone density and increased risk of heart disease. Many women going through menopause experience unpleasant symptoms, such as hot flashes and poor sleep. A whole- food diet high in fruits, vegetables, whole grains, high-quality protein and dairy products may reduce menopause symptoms. Phytoestrogens and healthy fats, such as omega-3 fatty acids from Fish, may also help. Research studies suggested that restricted added sugars, processed carbohydrates, alcohol, caffeine in the diet along with moderate sodium intake and low spicy food may help in relieving menopausal symptoms. These important changes in the diet may make this important transition in women's life easier.

## References :

1. Mishra N, Mishra VN, Devanshi, Exercise beyond menopaus : Do's and don'ts; J midlife health; 2011; 2:51–6 ( PMC free article ) PubMed (google scholar)
2. Tumbull S.; Yoga as a treatment for menopausal symptoms; J yoga ontogenet and therapy investigation; 2010; 2:14–5 (google scholar)
3. Nanette Santoro, Neil Epperson and Sarah B Matthew; Menopausal symptoms and their management; Endocrinol. Metabolism clinical North America; 2015 September; 44(3):497–515.
4. Fernando L., Guzman G., Estrogen deficiency and the origin of obesity during menopause; Biomed research Int., 2014 (pub med)
5. Robot or Friedman; Menopausal hot flashes: mechanisms, endocrinology, treatment; J Steroid Bio chemMolBiol; Sep 2013.
6. Shannon de Sullivan, Age of menopause and fracture risk in postmenopausal women randomized to calcium, vitamin D hormone therapy, or the combination: results from the women's health initiative clinical trials; Center for bio statistics; The Ohio State University; April 2017.
7. Claire Durosier et al.;Peripheral skeleton bone strength is positively correlated with total and dairy protein intakes in healthy postmenopausal women; American Journal of clinical nutrition; February 2017.
8. Parazzini F and Minerva Ginecol; Resveratrol, tryptophanum, glycine and vitamin E: a nutraceutical approach to sleep disturbances and irritability in peri- and post- menopause; Department of clinical sciences and community health Italy; 67 (1): 1 - 5; February 2015.
9. Purdue-Smith AC, et al.; Vitamin D and calcium intake and risk of early menopause; American Journal of clinical nutrition; 2017.
10. Hanukkah Pataday title; flaxseed reduces total and LDL cholesterol concentration in Native American postmenopausal women; journal of women's Health; 17 (3): 355-66;April 2008.
11. ValentinaCiappolino et al.; N-3 Polyunsaturated fatty acids in menopausal transition: A systematic review of depressive and cognitive disorders with accompanying Vasomotor symptoms; International Journal of molecular science 23; 19 (7); June2017.
12. Angel Gil et al.; Whole-grain cereals and bread: A duet of the Mediterranean diet for the prevention of chronic diseases; Public Health Nutrition; 14(12 A) 2316–22; Dec. 2011.
13. DR Jacobs et al.; Fiber from whole grains, but not refined grains, is inversely associated with all- cause mortality in older women: The Iowa women's Health study; Journal of American Coll Nutr. ; 19(3 suppl): 326 S-330S; June 2000.
14. Rafaela G Feresin et al.; Impact of daily strawberry consumption on blood pressure and arterial stiffness in pre-and stage one hypertensive post menopausal women: A randomized controlled trial; food function; 15 8(11); 4139–4149; Nov. 2017.
15. Masakazu Terrell et al.; Effects of grape seed pro anthocyanidin extract on menopausal symptoms, body composition, and cardiovascular parameters in middle aged women: A randomized, double blind, placebo- controlled pilot study;Journal of obstetrics and gynecology, Japan; 21(9): 990–6 September 2014.
16. El Hooper et al.; Effects of soy protein and isoflavones on circulating hormone concentrations in pre- and postmenopausal women: a systematic review and meta-analysis; Hum reprod update;Jul 2009.
17. DanielleKonig et al.; Specific collagen peptides improve bone mineral density and bone markers in postmenopausal women –A randomized controlled study; Nutrients; 10(1) 97;Jan 2017.
18. Jack and Diane; and exploratory study on Percy relationship of alcohol, caffeine and physical activity on hot flashes and menopause woman; J Scientific Research; Vol. 2. No. 9; Sep.2010.
19. E Stefanopoulou et al.; An international menopause society study of climate, altitude, temperature (IMS – CAT)and vasomotor symptoms in urban Indian regions; Climactic; 7(4): 417–24; August 2014.
20. Susan Jane Torres et al.; A moderate sodium DASH- type diet improves mood in postmenopausal women; Nutrition; 28(9): 896–900; September 2012.

## **The Cultural Context of Development : Its Relevance for a Country like India**

**Dr. Neerja Misra\***

\*Associate Professor, Economics, BSNV(P.G.) College, Lucknow, U.P.

**Abstract :** Dissatisfaction is an important component that leads to development. A desire to do better, achieve more and have more leads to actions in the concerned direction. However, the definition of development has varied across different ages in different cultures.

**Keywords :** Dissatisfaction, Cultural, Occurrence, Environment, Economic development etc.

Adam Smith believed that development was one of the fruits of labour, which people were motivated to in pursuance of self interest<sup>1</sup>. According to Amartya Sen's 'capability approach' development is a tool which enables people to reach the highest level of their ability<sup>2</sup>.

However, neither of the aforementioned approaches may culminate in happiness or contentment. Sen has also argued that poverty may in fact be viewed in a cultural context, i.e. through the lens of the general attitudes prevailing in the time and place of its occurrence<sup>3</sup>.

India is a country where people believe that 'Karma' is the central part of human life. True liberation comes from detaching oneself from the compulsive need to please your '*indriyas*' or sense organs. The culture teaches us that what we get in life is a result of our "Karma" in this life as well as those of our previous lives. '*Daan*' or giving away of alms can redeem our misfortunes to some extent, and so we must be content with our lot in life.

The world is a place where people come and go. Thus, contentment or '*santosha*', an ethical concept central to Indian philosophy means being satisfied and comfortable with one's circumstances in life. It also means understanding and accepting oneself and one's environment leading to a joyful spiritual state.

In a culture like this, creating awareness about what people lack or emphasizing dissatisfaction to achieve physical and economic development is a herculean task. The question is: What is a better life?

Attainment of physical and economic wellbeing may not hold a lot of charm for people whose culture has inculcated '*santosha*' in them.

Economic development has led to an increase in urbanisation and higher standards of living all around the world<sup>4</sup>. When technology and infrastructure improve, rural areas become more accessible and diversified and the living environment further improves. However, in a country like India, the philosophy of contentment or '*santosha*' creates a major hurdle in the path to development.

In a labour surplus country, we are short of labour: a labourer getting Rs. 200 per day under the National Rural Guarantee Program will work for a few hours and be content to stay where he is. He will make no effort to improve himself, earn more and do better for his family as long as his basic needs are met. In spite of the difficult odds that they face, they make huge compromises and are content with them. This attitude of making do with bare necessities has also added to the problem of population in India – in a recent television interview a man from Dharavi – Asia's largest slum – proudly proclaimed himself to be the father of twelve children.

The problem has been accentuated by the various schemes of the different governments offering grains and other necessities at highly subsidised rates leading to the attainment of the '*santosha*' level rapidly. Such schemes have been enacted by all political parties for electoral gains – in fact they have all tried to outsmart each other in the process.

The National Food Security Act enacted in July 2013 by the UPA government under the Prime Minister of Dr Manmohan Singh entitled the beneficiaries of the Public Distribution System to five kgs of cereals – at Rs 3 per kg for rice, Rs 2 per kg for wheat and coarse grains at Re 1 per kg<sup>5</sup>. Pregnant women, lactating mothers and certain categories of children are eligible for daily free cereals also.

Prime Minister Narendra Modi has announced a monthly pension of at least Rs 3000 for workers of the unorganised sector after the age of 60<sup>6</sup>. The Direct Cash Transfer Scheme for farmers announced by the Modi government in 2019 aims to transfer Rs 6000 to farmers who have agricultural holding of less than two hectares<sup>7</sup>.

Delhi chief minister Arvind Kejriwal's free electricity and water (free electricity for people consuming 200 units per month and 20,000 litres of free water per month for every household) has been very rewarding electorally<sup>8</sup>.

The outcome of these policies has led to the creation of unproductive labour which is detrimental for the economy. The need to exert oneself to do better does not arise because the level of contentment has been reached. The supply curve starts bending backwards very early as people start substituting leisure for labour leading to losses in production and degradation of skill. The environment thus created is not conducive either for entrepreneurship or hard work.

At some point, the government and the political parties will have to differentiate between welfare schemes and populist policies. They will at some point have to realise that these schemes make citizens irresponsible and lazy and that it is a never-ending trail. The poor will also at some point realise that the corrupt will wipe away the benefits meant for them and that they will continue to suffer as before.

For welfare schemes, rational debates should happen and experts should be called in to help promote the efficient utilisation of scarce public resources. For the betterment of the economy, however, schemes that promote self-help and work culture are needed.

We have in India the shining example of Gujarat, a state ravaged by a massive earthquake on January 26, 2001<sup>9</sup>. Though aid poured in, the industrious people of the state helped build back the economy in record time. The work culture was so strong that a little aid went a long way. This is the need of the nation today. With a population of 138 crores a strong work culture may not only make us a super power, it may make us tremendously happy and contented as well. So, let us look at ways to strengthen and promote a strong work culture and environment.

## References :

1. A Smith *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (W. Strahan and T. Cadell, London, 1776).
2. Sen, A. 1985b, "Rights and Capabilities", in *Morality and Objectivity: A Tribute to J.L. Mackie*, London: Routledge and Kegan Paul, pp. 130–48.
3. Sen, A. (1979). Issues in the Measurement of Poverty. *The Scandinavian Journal of Economics*, 81(2), 285–307.
4. Lepak, D. P., & Snell, S. A. (1999). The Human Resource Architecture: Toward a Theory of Human Capital Allocation and Development. *The Academy of Management Review*, 24(1), 31–48.
5. SINHA, D. (2013). Cost of Implementing the National Food Security Act. *Economic and Political Weekly*, 48(39), 31–34.
6. See Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan Yojna, (PM-SYM), a pension scheme for the Unorganised Workers and (2) National Pension Scheme for the Traders and Self Employed Persons (NPS-Traders) (for the Vyapari's) under section 3(1) of Unorganised Workers Social Security Act, 2008
7. See Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi or PM-KISAN
8. Rutten, M. (2001). Involvement and Indifference: Gujarat Earthquake in Wider Perspective. *Economic and Political Weekly*, 36(35), 3358–3361.

## ***The Shadow Lines : A panorama of Emancipation of Women***

**Dr. Manisha Khanna\***

\*Faculty- English, Center of Legal Education, Iswar Saran P.G. College, Prayagraj, U.P.

**Abstract :** Indian English fiction writers have illustrated women and their experiences in patriarchal societies with a profound sympathetic understanding. This paper is an attempt to analyze the portrayal of women in *The Shadow Lines* by Amitav Ghosh. A prolific novelist of contemporary Indian English fiction, Ghosh's portrayal of women is sensitive as well as cathartic. He delineates cultural construction as well as deconstruction through his women characters. Amitav Ghosh neither presents his women characters as explicit drastic feminists nor as the stereotypical submissive women, rather a realistic representation of women. Amitav Ghosh meanders through the emotional world of women to understand the feminine sensibility as well as their psychology. Through *The Shadow Lines*, women characters are represented as courageous, akin men, since they fight the shattering challenges of widowhood, poverty, injustice meted out by the deranged world. Amitav Ghosh has dwelled upon the inequality between the genders tracing the evolution of the feminine world from the stereotypes to the feminists. His women characters are portrayed as a life giver and are the guiding spirits of his fiction. In the novel, *The Shadow Lines*, Ghosh envisages a future where women empowerment will lead to the radical changes in society, thereby emancipating women. The novel depicts the life of three generations across the cultures and borders, where women characters begin their life as puppets, controlled by the patriarchs through the strings of culture and tradition, undergo transformation and evolve into strong personalities.

**Keywords :** Patriarchal, Empowerment, Feminism, Emancipation, Revolutionary etc.

**Portrayal of Women :** In his novels, Amitav Ghosh portrays women characters as leading spirits. Women neither fight against men with their feminine sensibility nor live as subjugated women in the male dominated society, but they try to assert their rights as human beings in the society with the help of education, employment and their revolutionary attitudes towards life's verisimilitude. Amitav Ghosh has attempted to explore the emotions of women to gauge the feminine sensibilities as well as psychology. Ghosh's women characters are unique, inimitable, distinctive, unlike the stereotypical weak, diminutive, minuscule women of Indian society. On the contrary, they fight for their various causes and eventually become revolutionaries with strong convictions.

*The Shadow Lines* is a story of a middle class Indian family of Kolkata. The boy/narrator/protagonist character presents the outlook of the members of his immediate and extended family, thereby giving each a distinct character. Narrator's grandmother, Tha'mma represents the idea of idealism, enthusiasm, patriotism with which the Indians worked towards nation building post independence. Amitav Ghosh's leading character Tha'mma vehemently laments at the futility of creating nations with imaginary borders. She bewails at the absurdity of drawing lines which arbitrarily divide people, while their memories remain undivided.

**Revolutionary Spirit of Women :** In *The Shadow Lines* Tha'mma is an important character. She is the narrator's grandmother. When Tha'mma was studying at college in Dhaka, she wanted to work for the terrorists – to run errands for them, to cook their food, to wash their clothes and to render some help because the terrorists were working for freedom. She wants to help terrorists from the perspective of martyrdom in the freedom struggle of Independence. Tha'mma was introduced to the terrorist while participating in the nationalist movement in Bengal. She tells her grandson the story of the arrest of her classmate during a police raid at their college. Tha'mma's classmate seemed an unlikely terrorist due to his shy demeanor. But, while being arrested, he does not display any fear or anxiety. Tha'mma is greatly inspired and motivated to be a part of freedom struggle. Tha'mma adds that she had dreamt of him and says: "**If only she had known, if only she had been working with him, she would have warned him somehow, she would have saved him, she would have gone to Khulna with him too, and stood at his side, with a pistol in her hands, waiting for that English magistrate....**" (*The Shadow Lines* P. 43)

When the astonished narrator asks Tha'mma whether she would have killed the English magistrate, she replies: "**I would have been frightened, she said. But I would have prayed for strength, and God willing,**

**Yes, I would have killed him. It was for our freedom. I would have done anything to be free” (*The Shadow Lines* P. 43)**

**Good Samaritanism :** Tha'mma had Good Samaritan instincts and nurtured a desire to help those who were fighting for Indian Independence, thereby contribute in a minuscule way. Tha'mma was the guardian of her family and due to her caution, care and vigilance, the family enjoys a decent life. She instills certain moral values in her family, so that her family never makes any compromises with self-respect, self esteem. She was both moderate as well as conservative and thinks that anybody who does not live according to the old accepted principles of life is besmirched, tarnished and degraded.

Tha'mma is an emotional character in the novel. When her relative shows her the post-card, she has received from her uncle, Jethamosai, she becomes so emotional that tears starts rolling down her cheeks. She decides to contact her uncle, forgetting her differences with that family. When Tha'mma enters Dhaka, she comes to know her birth place has become a part of another nation, Pakistan. The catastrophic political event of the Partition of India in 1947 makes Dhaka, the capital of East Pakistan and alienates her from her native city. Dhaka is Tha'mma's place of birth, but her nationality is Indian. When Tha'mma was young girl living in East Bengal, she had thought of fighting for freedom. The national feelings still continue to inspire Tha'mma. She still identifies herself with the country she belongs to. During the time of Indo-Pakistan war, patriotic feelings re surface and Tha'mma gives away her chain with ruby pendent, a memorable memento of her late husband, to the war fund because she has values the sacrifices of innumerable freedom fighters for the sake of freeing motherland.. She tells grandson: “**I gave it away... I gave it to the fund for the war. I had to, don't you see? For your sake; for your freedom. We have to kill them before they kill us” (*The Shadow Lines* P. 237)**

Tha'mma's decision to visit her Jethamosai results in the loss of her own blood relations. Despite the huge loss, she cannot endure the reality of impending India – Pakistan war and therefore donates her gold chain to the war fund. Tha'mma is also ready to donate her blood in the war.

**Emancipation of women :** Through the character of Tha'mma, the novel delivers highlights the futility of creating nation with imaginary borders or absurd shadow lines, which arbitrarily divide people with undivided, unrelenting memories. She remains a revolutionary in the novel and has strong patriotic emotions. “**Tha'mma is another pillar of this novel ... Ghosh depicts all the peculiarities of a suffering, braving middle class Indian. For all her extremes, she is a real life heroine” (Twari p. 33).**

**Feminism :** Apart from Tha'mma, Ila is another important character in the novel. As a woman of modern civilization, Ila wants to be free of commitments, relationships, duties, traditions and of everything. She is stubborn and lives in her own world. She is very positive, firm and determined to preserve her marital relations and she was open minded girl. Ila was a typical modern, beautiful, attractive and sensitive girl of modern era. She wears the western dresses and looks like a foreigner. She lives life in full measure, without caring about the Indian traditions and culture. It makes her to delink from her people both in thought and culture because she has lived many countries in her early life and is truly cosmopolitan. She finds life in Kolkata dull and boring due to orthodox Indian culture. In order to relieve herself of that boredom she takes Robi and the narrator to a night club, where she wants to dance and has no compunctions in dancing with a stranger. She starts dancing with a boy and is completely oblivious of uncle Robi's discomfiture. When her uncle does not permit her to dance with a stranger, she cries out: “**Do you see why I have chosen to live in London? ... it's only because I want to be free ... free of your bloody culture” (*The Shadow Lines* p. 98).**

Like Ila and Tha'mma, May is another revolutionary character in the novel. She is bold and practical with her approach. She is always conscious of her duties and faults. She is outright in expressing her emotions. As a British woman, her interpretation of Indian people, places and events is different. She is unable to relate with the anguished feelings for the statue of Queen Victoria, which belongs to Indian history and its people. But when confronted by a beggar, she gives money to her, thereby exhibiting very kind, benevolent, munificent character. She also displays helplessness; “it was an act of helplessness. She wasn't used to being helpless” (*The Shadow Lines* 166). Abject poverty and illness in India shocks May. Her idealism does not permit such injustice to exist. But she is practical enough to understand that she can do little for the poor, apart from supporting the poor and orphan people.

May had a compassionate heart which was full of love for all living beings. She cannot see anybody writhing in pain, therefore, while going on a drive with Tridib, she is appalled to see a dog is writhing in pain.

She can't control herself and asks to Tridib to stop the car and asks him to relieve the dog of its pain. When Tridib says that they will not be able to do anything, then she feel ashamed and reprimands him. “**Can’t you help a bit? She said. All you’re good for is words. Can’t you ever do anything?”** (*The Shadow Lines* 173).

She takes out her pen-knife and stabs the dog because she can't bear to see the dog writhing in pain. May becomes a part of an Orchestra without informing it to the narrator. When he gets to know about it from The Guardian, May admits that she is working with the Orchestra because she has to make a living somehow and cannot depend on anyone. May Price went along with Tridib to bring Jethamoshai from Dhaka when it was engulfed in communal riots. Despite Tridib reservations about allowing May to go to Dhaka, she goes there. While they were returning by a car and Jethamoshai in an auto rickshaw, it is attacked by frenzied rioters. May cries in horror that they are acting selfishly and saving themselves while endangering Jethamoshai and tries to save him. Tridib gets down from the car to save Jethamoshai and is cut ear to ear by Muslim rioters. The riotous mob kills Tridib when he follows May to save the old man. His end is brutal and May accepts the entire blame for Tridib's untimely death. For a long time she held herself responsible for the death of Tridib, her hearty lover. She asks the narrator, “Do you think I killed him?” (*The Shadow Lines* p. 251). She sleeps on the floor in the memory of Tridib, fasts because her hunger has finished, works for earthquake relief as a penance. She suffers his death like hell. At the conclusion of the novel she realizes Tridib's sacrifice and frees herself from the burden of guilt. “**He gave himself up; it was a sacrifice. I know I can’t understand it, I know I mustn’t try, for any real sacrifice is a mystery**” (*The Shadow Lines* 251-252).

*The Shadow Lines* is a panorama of emancipation of women, who are virtuous, innocent, wise and pure hearted. May was friend of all and has malice for none in her whole life. It makes her a revolutionary character in the novel along with Tha'mma . She helps others whenever she gets chance and has a positive attitude towards her life. Thus Amitav Ghosh depicts his women characters as revolutionaries, passionate, sensitive, patriotic, nationalistic and strong individual personalities.

## References :

1. Ghosh, Amitav. *The Shadow Lines*. New Delhi: Ravi Dayal, 1988.
2. Iyengar, K. R. Srinivas. “Indian Writing in English”. New Delhi: Sterling Publishers, 1994.
3. Krishnaswamy, Shantha. “The Woman in Indian Fiction in English”. New Delhi: Ashish Publishing House, 1984.
4. Khair, Tabish. Ed. Amitav Ghosh: A Critical Companion. Delhi: Permanant Black, 2006.
5. Mondal, Anshuman. A. Amitav Ghosh: Contemporary World Writers. New Delhi: Viva Books, 2010.
6. Tiwari, Shubha. Amitav Ghosh: A Critical Study. New Delhi: Atlantic publishers, 2008.

## Creativity : Its Nature and Development

**Dr. Smita Misra\***

\*Assistant Professor, Dayanand Womens Training College, Kanpur, U.P.

**Abstract :** Torrance (1967) states that "The old myth that creativity is the function of superior genes and that talent will come out has been exploded. Like all other physical and mental abilities, creativity is product of heredity and environment". In my doctoral study of creativity in reference to level of aspiration, anxiety and academic achievement of 400 students, the score of zero with respect to creativity was not found in even a single student. It is a fact that this potential has not got as much attention as other psychological traits like intelligence etc.

**Keywords :** Creation, Traditional Indian, Hindu philosophy, Digital Revolution, Development of Creativity etc.

Creation of mankind is culmination of God's creative pursuit. The hidden and expressive endowment of this creativity in humans reflects the creative endeavour of the Almighty Creator. According to ancient and traditional Hindu philosophy, human being is a part of the Almighty, who is extended throughout the universe. All the traits of the Almighty are contained in the soul of the human being since it is a part of the Almighty.

Traditional Indian psychology states that all knowledge and capabilities are present inside every individual and its fullest realization is the ultimate aim of education. Creativity is such a trait of the personality. The need of the hour is to fully recognize it, nurture and foster it.

Creativity is a term which is widely used in all spheres of life without realizing its full meaning and connotation. The present scenario of fast pace of development needs innovation in every walk of life which in turn demands the development of creativity in every individual. The digital revolution has generated so much information that now it is the need of the hour to properly codify them, sort out relevant and irrelevant information and devise ways and means to share the sorted, coded and relevant information. This is possible only with a fully developed mind set.

Torrance (1967) states that "The old myth that creativity is the function of superior genes and that talent will come out has been exploded. Like all other physical and mental abilities, creativity is product of heredity and environment". In my doctoral study of creativity in reference to level of aspiration, anxiety and academic achievement of 400 students, the score of zero with respect to creativity was not found in even a single student. It is a fact that this potential has not got as much attention as other psychological traits like intelligence etc.

Now we would try to understand that what is creativity. It is more necessary to understand the nature of creativity than to formulate definitions for it. Hanslay & Torrance (1990) set the fact that we cannot precisely define creativity should not overly disturb us. It should in fact remind us that the very nature of this phenomena of creativity involves more than the semantic world. We can compare creativity with a diamond. It has so many facets that it cannot be comprehended fully even when viewed from multiplicity of angles. These include many abilities, skills, processes and qualities important among them are fluency, flexibility, originality, sensitivity, curiosity, elaboration, visualization, divergent thinking, imagination, independence, ambiguity, complexity, risk taking, improvisation and openness (S. Gulati 2000). In very crude terms, creativity is ways of carrying out tasks and finding solutions to daily life problems boldly through new ways and devices. This thought of new and uniqueness is the essence of the concept of creativity. Some psychologists defined creativity in terms of product where emphasis is on output. The other point of view gives importance to creative efforts where emphasis is on thinking process, that is, ability to create a product.

It is important to understand that creativity is an ability which on rearing gives an innovative and lively person which may become boon for human race but if this ability is crushed or the fire is not ignited properly, it becomes destructive. In present age of confusion, tension and violence, creative imagination of a child is lost amidst highly mechanical and routined life. In International Conference of Delhi, Dr. R. Ramanna (1986) (Chairman Atomic Energy Commission) posed a question "Are children being exposed to **too much knowledge** in the rapidly advancing world today at the cost of stunting their creativity?" Creative children are delightful youngsters but rearing up creative potential requires awareness, time dedication and constant support to the child. Any blockage to creative potential will lead to individual's psychological death.

**Development of Creativity :** There are three steps –

1. Creating a conducive atmosphere in which children are relaxed and free from any psychological pressure
2. Recognition of talent
3. Fostering of talent

**First step** is the fore-most important factor for germination of the seeds of creativity.

**Recognition of talent :** This step include awareness of following facts that may help in the recognition of the talent.

- a) Keen observation
- b) Patient listening
- c) Provide a 'refuge'
- d) Helping him understand his divergence
- e) Letting him communicate his ideas
- f) Accepting mistakes without making adverse comments.
- g) Using measuring tools if needed to know the level of creativity.
- h) Seeing that creative talent is recognized.
- i) Helping parents, peers and others to understand him.
- j) Be a 'sponsor' and 'patron'

It is an important task because in early childhood elementary school years, manifestation of creativity is not so powerful but the seed of creativity remains incubated and needs proper atmosphere and proper attention to germinate.

**Fostering the talent :** Some researcher have suggested a developing pattern of creativity according to the age of child. Even teacher should understand the pattern and must recognize the crucial points. There are age level characteristics (Torrance, Ligon 1957, Kirkpatrick, 1900, Calvin Mayer, 1906, Simpson, 1922).

Age	Characteristics	Experience	Suggestion
1 year	Imagination starts	Expressed through sound rhythm	By the age of 1 <sup>st</sup> year imagination starts.
2 year	Want to experience by touch & test	Expressed in unique way	Creative growth can be stimulated through blocks.
4 year	Experience world directly highly curious, attention for short span	Enjoys wonders of nature, unique creative actions with things	Keeping environment safe. Should provide toys which can became a variety of things as blocks, pencil, colour standards.
4 to 6 year	Highly curious, show skill of short term planning	Learn to play adult role, show creative process or unique products	Encouraged, should not be evaluated by adult standards.
6 to 8 year	Creative imagination takes a turn towards realism, produce details in play	Personify moral principles, drawing becomes more representative	Role-Playing, participation in adult activity.
8 to 10 year	Use variety of skills in being creative, uses unique ability of creativity.	Girls exploration on books, boys do firsthand experience, read & think but lack of confidence in publicizing	Need challenges to discover, to create, making plans.
12 to 14 year	Response to adventures.	Make tentative	Adults need to make

	Gifted children show high creativity	vocational choice give creative solutions for problems	themselves available, provide provocative food for thought.
16 to 18 year	Stable enough, can develop vision for life, show special aptitudes, imagination needs independent expression.	Use creative application of what has been learned, can channel emotional energy to creativity	
After 18 years, or High School Grade	Show declination in creativity		

### Some techniques of fostering the talent :

- Encourage unusual or odd questions.
- Provide activities to promote creative thinking abilities, e.g. to list unusual uses they can think of things.
- Organise brainstorming sessions.
- Use synectics – It is strategy based on analogies to generate ideas.
- Provide students situations to evaluate their own ideas or thinking.
- Extra credit for creative thinking.
- One fact should be remembered that apart from divergent thinking abilities, creativity requires above average intelligence, deep knowledge and higher motivation.

In this highly competitive and rapidly developing world, the need of the hour is to properly recognize the creative talent, for the society's survival is dependent on it. If we want our education system to survive the changes brought by the knowledge explosion of information technology, we must mobilize the creative talent of the vast human resource which is lying in a dormant stage and is stagnating.

### References :

1. Passi, B.K. (1972). An Exploratory Study of Creativity and its relationship with intelligence and Achievement in School Subjects at Higher Secondary Stage, Ph.D. Education., Punjab University (Unpublished).
2. Paramesh, C.R. Creativity and Personality. Janatha Book House.
3. Arora, G.L. (1976). A study of Relationship between Anxiety and creative Thinking. Indian Educational Review, 11, pp. 91-93.
4. Kothari, C.R. (2006). Research Methodology: methods and techniques, New Age International (P) Ltd.

**प्रकाशित पुस्तकें :**

- नारी विमर्श ( प्राचीन काल से आधुनिक काल तक ) - डॉ० अनीश कुमार वर्मा
- सामाजिक न्याय : समस्या एवं समाधान - डॉ० अनीश कुमार वर्मा
- कामकाजी महिलाएँ : समस्याएँ एवं समाधान - डॉ० अनीश कुमार वर्मा
- काशी में हिन्दू विद्यवायें - डॉ० रजनीश
- विश्व के प्रमुख धर्म - डॉ० डी०सी० पाण्डेय
- प्रमुख समकालीन दार्शनिक - डॉ० डी०सी० पाण्डेय
- लिंग भेद एवं सामाजिक परिवर्तन - डॉ० त्रिपुन्जेय कुमार पटेल
- यज्ञतंत्र - डॉ० मिताली देव
- Effects of Migration on Rural Labour Households at Origin - Indra Kant Bharti



**Published by :**

**South Asia Research & Development Institute**  
B. 28/70, Manas Mandir, Durgakund  
Varanasi-221005, U.P. (INDIA)  
Email : [researchdiscourse2012@gmail.com](mailto:researchdiscourse2012@gmail.com)  
Mob. 09453025847, 08687778221



ISSN 2277-2014